राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8) विधान सभा के द्वितीय सत्र का इक्कीसवां दिवस (संख्या 15

सोमवार

दिनांक 22 जुलाई, 1985

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हीरालाल देवपुरा अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री भंवरलाल शर्मा।

जयपुर नगर स्थित न्यायालय भवन

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मंत्री महोदय 420।

श्री अध्यक्ष : 420 नहीं है, 426 है।

श्री भंवरलाल शर्मा : Sorry, 426।

श्री अध्यक्ष : अपना नम्बर याद रह गया क्या आपको। इट इज 426।

जयपुर स्थित न्यायालय भवन

426. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या सामान्य प्रशासन विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में कितनी ज्युडिशियल, कार्यपालिका न्यायालय और ट्रिब्यूनल्स हैं?

(2) उपरोक्त सभी ज्युडिशियल, सेमी ज्यूडिशियल व ट्रिब्यूनल्स कितनी पृथक पृथक बिल्डिगों में स्थित हैं और उनका कुल माहवारी किराया कितना अदा करना पड़ रहा है?

(3) क्या राजस्थान सरकार सभी न्यायालय व सेमी ज्यूडिशियल न्यायालय व ट्रिब्यूनल्स को एक परिसर में रखने की योजना रखती है?

सामान्य प्रशासन मंत्री (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध दूसरे विभागों से भी है इसलिए पूरी सूचना एकत्रित नहीं हो पाई है, अतः इसको एक सप्ताह के लिए पोस्टपोन किया जावे।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा तो पूरे सत्र में पहला ही प्रश्न आया है पहले नम्बर पर। मैं तो यह सोचता था....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह महत्वपूर्ण प्रश्न तो है नहीं। इसका सम्बन्ध गृह विभाग से है, सामान्य प्रशासन से है इसलिए सूचना पूरी एकत्रित नहीं हो सकी।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, लाटरी में मेरा पहला नम्बर आया, अगर यह नम्बर लाटरी में आ जाता तो रकम मिल जाती लेकिन यहां तो बात ही दूसरी हो गई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री हीरालाल सहरिया।

समाज कल्याण छात्रावास, बालोतरा

427. **श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगढ) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण छात्रावास, बालोतरा जिला बाड़मेर के भवन की हालत काफी जीर्ण शीर्ण हो गई है और उसके गिरने का खतरा है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए बिजली के प्रकाश की समुचित व्यवस्था नहीं है ? तथा 80 छात्रों को एक ही नल से गुजारा करना पड़ रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि छात्रावास में शौचालय, स्नानागार की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है और शौचालय के अभाव में छात्र शहर की गली, कूचों में शौच के लिए बैठ रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं ?

(4) क्या यह सही है कि छात्रों की संख्या वर्तमान में 1972 से दुगुनी हो गई है और रहने के स्थान की स्थिति पूर्ववत ही बनी हुई है ?

(5) क्या यह सही है कि समाज कल्याण विभाग छात्रावास हेतु अपना निजी भवन निर्माण की सोच रहा है ? अगर हां, तो निजी भवन कब तक तैयार हो जावेगा ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण विभाग (श्री छोगाराम बकोलिया) : (1) जी हां, किन्तु गिरने का खतरा नहीं है।

(2) छात्रावास में छात्रों के लिए बिजली के प्रकाश एवं नल की सुविधा उपलब्ध है। समुचित व्यवस्था हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

(3) जी नहीं, शौचालय की अस्थाई व्यवस्था है। स्नान खुले में करना पड़ता है।

(4) वर्ष 1972 में छात्रावास की छात्र संख्या 30 थी, जो वर्तमान में 50 है किन्तु भवन उपलब्ध न होने के कारण उसी भवन में व्यवस्था की जा रही है।

(5) जी हां एक लाख रुपये की स्वीकृति दी जा चुकी है। निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

श्री हीरालाल सहरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह जो भवन निर्माण करने जा रहे है वह कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भवन एन. आर. ई. पी. में बनाना तय हुआ है और इसके लिए एक लाख रुपया स्वीकृत किया गया है। अब भवन निर्माण का कार्य शीघ्र ही चालू करवा देंगे।

श्री अमरचंद (गंगरार) : अध्यक्ष महोदय,

(श्री अमरचंद)

जहां भवन उपलब्ध नहीं है, मंत्री महोदय, किस तरह से उनके लिए....

श्री अध्यक्ष : यह तो एक जगह का सवाल है। कृपया बैठें।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : अध्यक्ष महोदय, एक सप्लीमेंट्री। यह मेरे बालोतरा का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : पूछिए।

श्री चम्पालाल बांठिया : क्या यह सही है कि यह भवन किराये पर है ? और यदि हां, तो क्या मकान मालिक ने कभी समाज कल्याण विभाग को भवन के जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने का नोटिस दिया है ?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय यह भवन किराये पर है और ढाई सौ रुपया पर मंथ इसका किराया दिया जा रहा है। इसमें पांच कमरे हैं और दो हॉल हैं। इसकी थोड़ी जीर्ण-शीर्ण अवस्था है। उसको ठीक करने के लिए अब निर्देश दे दिए गए हैं। आप कहते हैं कि उसके द्वारा नोटिस दिया गया है, तो वह भवन खाली करने के लिए हो सकता है। भवन उपलब्ध नहीं होने के कारण हम खाली नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए दूसरी व्यवस्था करने के लिए ही दूसरा भवन एन. आर. ई. पी. में बनाने की सेंक्शन दे दी गई है।

श्री चम्पालाल बांठिया : अध्यक्ष महोदय, इसमें 9 कमरे हैं और 2 हॉल हैं। बाथरूम की कोई व्यवस्था नहीं है और शौचालय की भी कोई व्यवस्था नहीं है। लोग इधर उधर बैठते हैं। सारे शहर को गन्दा कर रखा है। इसका किराया बहुत कम है जिससे बहुत परेशानी है। उसने 81 में नोटिस दिया था। आप कहते हैं कि गिरने की हालत में नहीं है. मैं आपको बताता हूं कि यह कभी भी गिर सकता है।

श्री रामसिंह बिश्नोई (लूणी) : आप क्या चाहते हैं ?

श्री चम्पालाल बांठिया : 1979 की भयंकर बाढ़ में भवन दुर्घटना से कट गया है शीघ्र नया भवन बने।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : यह केवल बालोतरा का ही प्रश्न नहीं है, राजस्थान में....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। माननीय कृपया बैठें।

प्रश्न सं. 428।

श्री नाथूसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।

श्री हंसराज मिढा।

घग्घर बाढ़ के जल का उपयोग

429. **श्री हंसराज मिढ़ा** (सूरतगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा पिछले 25 वर्षों से घग्घर बाढ़ का जल, जो कि अनूपगढ़ तहसील से होकर पाकिस्तान जा रहा है, के उपयोग के लिए कोई योजना बनाई गई है ?

(श्री हंसराज मिढ़ा)

(2) यदि नहीं, तो क्यों ? और क्या सरकार भविष्य में ऐसा विचार रखती है ?

सिंचाई मंत्री (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) : (1) जी हां।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न में शायद ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने सोचा कोई नहीं पूछ रहे हैं। प्रश्नकर्ता।

श्री हंसराज मिढ़ा : मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि पाकिस्तान में पानी जाता है या नहीं ? अनूपगढ़ से घग्घर फ्लड का पानी पाकिस्तान जा रहा है या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जवाब आ रहा है, कृपया बैठें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह बात सही है कि 1964 में जो घग्घर फ्लड का पानी आता था वह हनुमानगढ़ होकर अनूपगढ़ के पास में पाकिस्तान चला जाता था। उसके बाद सूरतगढ़ के दक्षिण-पश्चिम में रेत के टीबों से घिरे हुए जलाशयों में डिप्रेशन बना कर उसमें पानी इकट्ठा करने का काम शुरू किया। इसके अलावा चैनल बनाने का काम भी शुरू किया गया। इसके कई काम प्रगति पर हैं, कई काम अधूरे हैं और कई काम पूरे हो चुके हैं। इन सबके पूरा होने पर पाकिस्तान में पानी जाने का सवाल ही पैदा नहीं होगा।

श्री हंसराज मिढ़ा : अध्यक्ष महोदय, पानी अभी भी अधिकांश पाकिस्तान में जा रहा है। जो चैनल बनाई जा रही है उसकी क्षमता साढ़े तीन सौ क्यूसेक है जब कि पानी हजार क्यूसेक जाता है। यह चैनल 5 जी. बी. के पास है वहां से नहर क्रोस करके 5 जीबी, 7 जीबी 11 जीबी, 10 जीबी, 14 जीबी, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 इस साइड में पानी दे दिया जाय तो वह पानी पाकिस्तान में भी नहीं जाएगा, अण्डर ग्राउण्ड वाटर का लेबल भी ऊपर आएगा और उस पानी का यूटिलाइजेशन होकर उससे हजारों क्विंटल धान पैदा होगा। अगर इस पानी को पाकिस्तान में नहीं जाने देकर अपने एरिया में रोका जावे तो इससे बहुत ज्यादा फसल पैदा हो सकती है। अभी जो नहर बन रही है वह ढाई सौ क्यूसेक की है। अगर पांच सौ क्यूसेक की बना दी जाय उसकी खुदाई करके और कुछ ऊपर बढ़ा करके तो उस पानी से जो मैंने जीबी एरिया बताए हैं, उनमें मेरे खयाल से करोड़ों रुपयों की फसल पैदा हो सकती है और जितना पैसा आपका लगेगा उतने की एक ही फसल में पैदावार हो सकती है। मेरा सुझाव है कि इसका जल्दी से जल्दी इंजीनियरों द्वारा सर्वे करवा कर यह स्कीम लागू की जावे तो कम खर्च में बहुत ज्यादा पैदावार हो सकती है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जो पानी पाकिस्तान में जाता है उसको यूज करने के

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

लिए यह योजना बनाई गई है। मानकथेडी व किशनपुरा माइनर बन चुकी है, अब इनकी लाइनिंग का काम शुरू किया जा रहा है। डिप्रेशन नं 12 व 16 से एक लिंक नहर बनाई जा रही है जिसकी क्षमता 300 क्यूसेक है। इसको पूरा किया जाएगा। सूरतगढ़ व सरदारगढ़ फार्मों को डिप्रेशन नं. 6 से पानी दिलाने हेतु एक लिंक नहर की योजना हाथ में ली गई है। इस पर 166 लाख रुपये खर्च होने हैं। इस साल में इस पर 25 लाख रुपये खर्च कर रहे हैं। डिप्रेशन सं. 16 से एक नहर का निर्माण करना है जिससे इंदिरा गांधी नहर प्रणाली की अनूपगढ़ शाखा में पानी पहुंच जावेगा. उसकी अनुमानित लागत 520 लाख रु. है। कट नं. 15 के अंतिम छोर पर रेगुलेटर के लेवल को नीचा करेंगे। उसमें पानी पहुंचाने का काम हाथ में लिया जा रहा है। डिप्रेशन नं 6 के सेडल बांध में एक केप का निर्माण कर रहे हैं जिसकी अनुमानित लागत 130 लाख रु. रखी है। इसी तरह से पीलीबंगा करणीसर को पूरा करेंगे, अनूपगढ़ शाखा लिंक को पूरा करेंगे। इन सारे कामों के पूरे होने पर ऐसा मान कर चलते हैं। हमारा पानी जो बढ़ा है, डिप्रेशन में पड़ा रहता है और सिंचाई के काम में नहीं आ रहा है उसको सिंचाई के काम में ला सकेंगे।

श्री हंसराज मिढ़ा : माननीय मंत्री महोदय, आप यह बताने का कष्ट करें कि यह जो किशनपुरा घग्घर फ्लड कंट्रोल नहर बन रही है यह कितने आ.डी. कितने अरसे में बनी है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि फ्लड में मेक्जिमम कितना पानी आता है, कितने क्यूसेक पानी आता है ? नं. 2, जो डिप्रेशन बने हुए हैं उनके कारण सीपेज, वाटर लोगिंग इतना हो गया है कि बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो पानी घग्घर फ्लड में आता है क्या राज्य सरकार उसकी पूरी व्यवस्था अविलंब करके एक तरफ नहरों की दृष्टि से सिंचाई करेगी और दूसरी तरफ डिप्रेशन में नुकसान हो रहा है उस नुकसान को अविलंब समाप्त करने की कोशिश करेगी ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह बात सही है कि डिप्रेशन में जो पानी भर रहा है उससे गांवों की खेती योग्य जमीन को नुकसान हुआ है और कुछ मकानों को नुकसान हुआ है। हमने ऐसी जमीनों का मुआवजा भी चुकाया है और जिनकी जमीनें नुकसान में आई हैं उनको दूसरी जमीनें देने का फैसला भी किया है। यह बात सही है कि पानी डिप्रेशन में भरा हुआ है उससे नुकसान होता है इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। हमने जो योजना बनाई उसका मकसद यही है कि डिप्रेशन के पानी को खाली करके हम पानी नहरों के जरिए, लिंक नहर के जरिए भूमि पर सिंचाई के काम में लाना चाहते हैं। इसमें देरी अवश्य हुई है यह मैं मानता हूं। इन कामों को शीघ्रातिशीघ्र शुरू करेंगे और पूरा करेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : क्या आप एक भी वर्ष ऐसा बता सकते हैं जिसमें किसी डिप्रेशन का पानी डिप्लीट हो गया हो ? योजना इतनी कम है कि सारे पानी का उपयोग आप नहीं कर सकेंगे। सारे पानी

6

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

के उपयोग की योजना बनावें। जब तक आप पूरी योजना नहीं बनाएंगे, मास्टर प्लान नहीं बनाएंगे तब तक किसी प्रकार नुकसान नहीं रुकेगा। जो इससे खेती में फायदा हो सकता है वह नहीं होगा। मंत्री महोदय, Take it as very urgent, सारी योजना बना कर अविलंब पूरी करवाइए।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, प्रश्न में बिल्कुल क्लियर है इसमें पूछा गया है कि जो पानी घग्घर का है वह पाकिस्तान की सीमा में जाता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब दे दिया है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : नहीं दिया, आपने तो भावी प्रोग्राम बताया है पानी पाकिस्तान में जा रहा है उसका उपयोग करने का। हम तो उसी इलाके में रहने वाले हैं। आप साफ बताइए कि पानी पाकिस्तान में जा रहा है या नहीं ?

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, डिप्रेशंस को खाली कराने की बात मंत्री महोदय ने कही। मुझे जानकारी मिली है कि सरकार मछली पालने का ठेका वहां पर दे रही है इन्हीं डिप्रेशंस में। जो ठेकेदार हैं उनके वेस्टेड इंट्रेस्ट हो गये हैं इसलिए वे डिप्रेशंस को खाली करवाने में जानबूझ कर रोड़े अटकाते हैं जिससे सरकार योजना बना चुकी है वह भी कामयाब नहीं होती। इसी वजह से वहां वाटर लोगिंग हो रहा है। क्या सरकार को इसका ध्यान है और इस पर सरकार कुछ करेगी ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, मछली पालने के ठेके की जो बात अभी कही गई है उसकी सूचना मेरे पास नहीं है। मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि जो योजना पानी कृषि के काम में लाने के लिए बनाई गई है उसमें किसी भी ठेकेदार द्वारा उत्पन्न रोडे को सरकार नहीं चलने देगी और डिप्रेशन का पानी खेती के काम में यूज करेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न। श्री गोविन्दसिंह।

"अन्य पिछड़ा वर्ग" श्रेणी की जातियों को सुविधाएं

430. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या समाज कल्याण विभाग द्वारा राजस्थान में "अन्य पिछड़ा वर्ग" की जातियों की कोई सूची प्रकाशित की गई है ? अगर हां, तो कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) सूची में उल्लेखित जातियों को क्या सहूलियतें राज्य सरकार प्रदान कर रही है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री छोगाराम बकोलिया) : (1) जी हां, यह सूची वर्ष 1956 में शिक्षा विभाग ने प्रकाशित की थी जिसकी प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची में उल्लेखित जातियों के सीमान्त जिलों में रहने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है, इसके अतिरिक्त राजकीय व अनुदानित छात्रावासों

(श्री छोगाराम बकोलिया)

में 10 प्रतिशत स्थान इन जातियों के छात्रों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं तथा राजकीय शालाओं एवं महाविद्यालयों में शिक्षण शुल्क से मुक्ति भी दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट I देखें)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो अन्य पिछड़े वर्ग के संबंध में दो आयोग भारत सरकार ने बनाए थे, पहला तो काका कालेलकर आयोग और दूसरा मण्डल आयोग। इनके प्रतिवेदन पर तो अभी फैसला होना बाकी है। जैसा प्रधान मंत्री जी ने कहा कि यह राष्ट्रीय...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप भूमिका नहीं बांधें प्रश्न पूछ लें।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 15 और (16)4 में जो सुविधाएं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए, अन्य पिछड़े वर्ग को दी जानी चाहिए वह पूरी तरह से नहीं मिलीं नम्बर एक, जैसा आपने फर्माया, शिक्षा शुल्क में माफी दी जा रही है, अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है जिस प्रकार की शिक्षा शुल्क में माफी दी जानी चाहिए वह इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं वे अन्य पिछड़े वर्ग, जातियों के विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट नहीं देते। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो सुविधा दे रहे हैं उसको लागू करने के लिए हिदायत गजट में निकालनी है तो गजट में निकालें।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि कुछ बोर्डर के इलाके हैं बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर उनमें अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रावासों से प्रवेश दिया जाता है लेकिन बाकी के जिलों में प्रवेश नहीं दिया जाता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सुविधा बाकी जिलों के विद्यार्थियों को भी दी जाय।

अध्यक्ष महोदय, तीसरा सवाल यह है, पंचायत मंत्री भी विराजमान हैं, पंचायतों के जो नियम हैं उसके नियम 267(2) के तहत यह प्रावधान है कि अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को निःशुल्क भूखण्ड आवंटित किया जाएगा। लेकिन इसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है इसलिए मैं चाहूंगा यह जो तीन सहूलियतें दी जा रही हैं वे राजस्थान में दी जानी चाहिए और जो मण्डल आयोग की सिफारिशें हैं उन पर भी राज्य सरकार विचार करे और अपना मत बना कर 51% जनता, जो राजस्थान का पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए कुछ करे जैसा कि संविधान में प्रावधान है।

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, सीमांत क्षेत्रों में हम सुविधा छात्रवृत्ति की देते हैं। उसके आगे एक्सटेंशन के लिए माननीय सदस्य ने जो निवेदन किया उस पर हम विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : एक बात बताइए, रेवेन्यू ओथोरिटीज सर्टिफिकेट नहीं देती आपकी लिस्ट में होते हुए भी, उसकी व्यवस्था करेंगे या नहीं ?

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न सर्टि-

(श्री छोगाराम बकोलिया)

फिकेट दिलाने का है, उस पर अवश्य अमल करेंगे और निर्देश जारी करके तहसीलदार, एस. डी. ओ. को निर्देशित करेंगे कि अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थी आयें तो इमिजिएटली सर्टिफिकेट दिये जायं, जो कि सूची के....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : गलत रिप्लाई दे रहे हैं, लिस्ट मौजूद है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी अच्छे तरीके से काम चल रहा था, आप सभी खड़े हो गए।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, अव्यवस्था में परिवर्तन न करें, श्री शिवचरणसिंह जी, आप बैठते नहीं। माननीय सदस्य, आपके सामने खड़े हैं। आप तो पुराने सदस्य हैं।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मण्डल आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उस पर राज्य सरकार विचार कर रही है। आप उसको लागू करना चाहते हैं या नहीं? उस पर क्या सिफारिशें की है राज्य सरकार ने ?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय नीति निर्धारण के आधार पर अमल किया जाएगा इसलिए राज्य सरकार अकेले ही उस पर....

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : यह स्टेट सब्जेक्ट है। केन्द्रीय सरकार ने इस पर राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार ने मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर क्या विचार किया और क्या सिफारिश करने जा रही है? क्या इसे लागू करना चाहती है या नहीं ?

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आफ द प्राइम मिनिस्टर है उसमें बिल्कुल नीतिगत प्रश्न है। नेशनल लेवल पर इस पर विचार होगा उस समय सारी बातों, अन्य पिछड़ी जातियों के बारे में विचार किया जाएगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य। कृपया बैठें, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री देवेन्द्र कुमार।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) : मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट कितने पेज की है? वह भी देखी है क्या ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें, बैठें। मंत्री महोदय से जो प्रश्न पूछा गया था उसका तो उन्होंने जवाब दे दिया है। आप तो पॉलिसी मैटर पर आ गये हैं....

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। प्रश्न काल में

श्री शिवचरण सिंह : माननीय अध्यक्ष

(श्री शिवचरण सिंह)

महोदय मेरा प्रश्न था मुझे भी अलाऊ करें।

श्री अध्यक्ष : आप क्या पूछना चाहते हैं ? श्री शिवचरण सिंह जी।

(व्यवधान)

कृपया आप बैठें। पालिसी की बात है। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

माननीय श्री यदुनाथ सिंह जी, कृपया आप बैठें। आर्डर प्लीज। एक दूसरे पर आक्षेप नहीं। कृपया बैठें।

श्री यदुनाथ सिंह : यह जवाब दे दिये, माननीय मन्त्री महोदय ने....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। आर्डर प्लीज।

यह एक इतना महत्वपूर्ण सवाल है जो राजस्थान से ही सम्बन्ध नहीं रखता है बल्कि इसका दूसरे राज्यों, दूसरे प्रान्तों पर भी असर पड़ेगा। इसलिए कृपया इसको यहां पर इस तरह का विषय न बनायें। आप और हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है देश में इस वक्त।

कृपया माननीय सदस्य बैठें। श्री शिवचरण सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह : तो राजस्थान विचार क्यों नहीं करेगा ? दूसरी स्टेट में लागू हैं तो फिर यहां राजस्थान में क्यों नहीं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आर्डर प्लीज।

सरकार करेगी विचार, सरकार जवाब देगी, अपनी सिफारिश भेजेगी।

आर्डर प्लीज।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : नम्बर एक यह तो जवाब दिया है....

श्री अध्यक्ष : एक मिनट। पहले शिवचरण सिंह जी पूछेंगे बाद में आप।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : मण्डल आयोग पर नहीं, आप दूसरा पूछ लीजिये ?

श्री शिवचरण सिंह : दूसरा ही अब प्रश्न कर रहा हूं।

भारत सरकार से समाज कल्याण विभाग की मार्फत अन्य वर्ग जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, को सहायता मिलती है उसमें अन्य पिछड़े हुए वर्गों को राजस्थान में कुछ सहायता देने के लिए प्रावधान है क्या ? आप बता दीजिये ?

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने आन्सर में पूरी डिटेल दी है।

श्री शिवचरण सिंह : आपका पूरा जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आप सुनने की कोशिश करें। आपने प्रश्न पूछा है, आप सुनने की कोशिश कीजिये।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय

(श्री छोगाराम बकोलिया)

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न दो के जवाब के अन्दर मैंने पूर्णतया इसकी डिटेल बता दी है। और कहें तो मैं वापस पढ़ कर सुना देता हूं।

श्री शिवचरण सिंह : यह पिछड़े वर्गों की बतायी है। अन्य पिछड़े वर्गों की अलग से आपने नहीं बतायी है।

श्री छोगाराम बकोलिया : अन्य पिछड़े वर्गों के लिए है....

श्री शिवचरण सिंह : आप पढ़िये, दुबारा पढ़िये। भारत सरकार पिछड़े वर्गों को किस तरह सहायता देती है क्या आप भारत सरकार का हुक्म नहीं मानते। आप राजीव जी की दुहाई देते हैं, पर अनुपालना नहीं करते हो।

श्री छोगाराम बकोलिया : अन्य पिछड़े वर्गों के लिए है, आपको बिल्कुल इसमें बता दी गयी है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री छोगाराम बकोलिया : अन्य पिछड़े वर्ग...

श्री यदुनाथ सिंह : कौन कौन हैं ?

श्री अध्यक्ष : सूची दे दी है। सूची दे दी है पिछड़े वर्गों की।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, हम भी तो पिछड़े हुए हैं। हमारे पर भी सोचें, मण्डल आयोग पर बहस होगी तो...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपका सवाल लेंगे। माननीय सदस्य सूची दे दी है।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछड़े वर्गों की सूची 58 जाति की दे दी है और अजमेर की अलग से 22 कास्ट की है जो संलग्न है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें।

नेक्स्ट। श्री देवेन्द्र कुमार मीणा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अन्य पिछड़े वर्गों की सहूलियत के लिए प्रश्न क्रमांक (2) में पूछा गया है ..

श्री अध्यक्ष : बता दिया उन्होंने।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरा आपसे निवेदन है कि आज कल आम सहमति की चर्चा हो रही है। क्या राज्य सरकार अपनी सिफारिशें केन्द्र को भेजने के पहले इस विषय पर राजस्थान के लोगों की आम सहमति लेगी, विधायकों की लेगी, या नहीं ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष जी, अन्य पिछड़े वर्गों की जातियों की जो सूची आपने तय की है, अन्य पिछड़े वर्गों की जाति ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया।

श्री केदारनाथ : जो मण्डल आयोग की रिकमण्डेशन है, जाति का आधार वही है क्या आपका ?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष, मण्डल आयोग की सिफारिश में जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसको भी शामिल किया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठें। आर्डर प्लीज।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जाति जो बतायी है, 58 एक है और दूसरी 16 है। लेकिन मण्डल आयोग ने 140 जातियां स्पेसिफाइड की हैं। इसके अलावा पूरे भारत में जो अन्य पिछड़े वर्गों की 3543 जाति हैं वह मण्डल आयोग की रिपोर्ट में स्पेसिफाइड की हैं। जाति के आधार पर 1931 के पहले सेंक्शन हुआ करती थी लेकिन अब जाति के आधार पर होती नहीं है इसलिए अलग से प्रश्न है यह। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा है मण्डल आयोग के बारे में, उसने 140 जातियां राजस्थान के अन्दर रिकमण्ड की हैं।

श्री अध्यक्ष : बहुत हो गया।

आर्डर प्लीज।

नैक्स्ट। श्री देवेन्द्र कुमार मीणा।

पंचायत समिति, सराड़ा में विभिन्न कार्यों पर व्यय

431. **श्री देवेन्द्रकुमार मीणा** (गोगुन्दा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, सराड़ा, जिला उदयपुर में सिचाई अधूरे भवन, स्कूल, दवाखाना, मेड़ बन्दी में 1983–84 में कुल कितना रुपया खर्च हुआ ?

(2) पंचायत समिति द्वारा पंचायतों को कितने कार्य दिये गये ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार मजदूरों को पेमेंट दिया गया है ? यदि हां, तो जावद, सेमाल, परशाद, खरवर, निवोधा, विरपुरा, निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों की प्रति दिन मजदूरी का किस हिसाब से पेमेंट दिया गया ? कृपया पेमेंट की सूची सदन के पटल पर रखें।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भाटी) : (1) वर्ष 1983-84 में रुपये 361257-71 पैसे व्यय हुये हैं।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। संबंधित ग्राम पंचायतों से मस्टरोल मंगाये गये हैं जो अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः मजदूरों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : अध्यक्ष महोदय,

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)

ग्राम पंचायतों से मस्टररोल मंगवाये हैं कब तक आ जायेंगे ? इस सम्बन्ध में सरकार क्या सोचती है ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, दो-तीन बार रिमाइण्डर भेज दिया है सरपंच के पास, मस्टररोल अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। जितनी जल्दी हो सकेगा हम मंगवा लेंगे।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित किया जाय...

श्री अध्यक्ष : इसको स्थगित करने की क्या बात है ?

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : एक कापी पंचायत समिति में रहती है, मस्टररोल की डुप्लीकेट कापी।

श्री अध्यक्ष : मस्टररोल की कापी।

श्री भंवरलाल शर्मा : जी हां।

श्री अध्यक्ष : मस्टररोल की कापी। कृपया बैठें। आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सही अर्ज कर रहा हूं, एक कापी रहती है मस्टररोल की ट्रू कापी भुगतान के पहले रहती है....

एक माननीय सदस्य : वो तो एन.आर.ई.पी. की है....

श्री भंवरलाल शर्मा : एन. आर. ई. पी. अर्ज कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठें।

नेक्स्ट। माननीय सदस्य....

(व्यवधान)

इतना तेज और आक्रोश में बोलने से बात मेरी समझ में नहीं आती। आप धीमे-धीमे बोले तो मैं समझ पाऊंगा।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि पेमेंट का आधार....

श्री अध्यक्ष : क्या चीज ?

श्री सी. पी. जोशी : पेमेंट का आधार है पंचायत समिति में वह क्या न्यूनतम मजदूरी के आधार पर है या टास्क बेसिस पर ? पेमेंट का आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष : यह सवाल आ जायेगा। बैठें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : यों तो टास्क बेसिस है, एक एलीमेंट्री बेसिस है। लेकिन एक 1982 में आर्डर निकला था मिनिमम वेजेज पर कि 9 रुपया प्रति व्यक्ति तक किया जाना चाहिए जिसमें खाद्यान्न एवं मूल्य दोनों का है।

श्री सी. पी. जोशी : क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे, इस आधार पर हर पंचायत समिति में पेमेन्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है ? हाई कोर्ट का बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्टिव है पेमेन्ट न्यूनतम वेजेज के आधार पर होगा। इसमें मजदूरी का आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष : यही तो बताया कि न्यूनतम मजदूरी का आधार क्या है। मिनिमम वेजेज की बात लिख कर भेजी हुई है उसमें खाद्यान्न का जो पैसा चुकाया जाता है .

श्री सी. पी. जोशी : दोनों को मिलाकर क्या न्यूनतम वेजेज के आधार पर पेमेन्ट हो रहा है या नहीं ? यह पूछना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : आप बैठें। आपको बहुत जल्दी लग रही है। माननीय शिवचरणसिंह जी, कृपया संयम बरते। जवाब आ रहा है। आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से बार बार पंचायतों को निर्देश भेजे गये हैं कि इसी आधार पर दी जाय। अगर कोई पर्टिक्यूलर केसेज में पेमेंट नहीं हुआ तो हम वापस बी. डी. ओ. को कह रहे हैं कि इसी बेसिस पर पेमेंट होना चाहिए।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं. जानकारी लेना चाहता हूं कि पेमेंट जो पंचायत के अ पंचायत समितियां कर रही हैं, कई जगह मेरे को जानकारी मिली है, एक रुपया नब्बे पैसे के अलावा पेमेन्ट नहीं हो रहा है दिन भर का। क्या यह सही है ? क्या मंत्री महोदय इसकी पूर्ण जानकारी करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ने कह दिया कि जानकारी करेंगे और पूरा पेमेंट नहीं हुआ है तो पूरा पेमेंट करवायेंगे। अभी कहा है।

नेक्स्ट। श्री भैरू लाल भारद्वाज।

जयपुर जिले में सिंचाई कार्यों पर व्यय

432. **वैद्य भैरूलाल भारद्वाज** (जमवारामगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1984-85 के बजट में जयपुर जिले में कितनी धन राशि आवंटित की गई और उसमें से कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) जिले के इस समस्त व्यय में कितने रुपयों का निर्माण कार्य हुआ है और कितना वेतन, भत्ते आदि अनुत्पादक कार्यों पर व्यय किया गया है।

सिंचाई मंत्री (श्री गुलाबसिंह शक्तावत): (1) सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1985-86 के चार माह के बजट में जयपुर जिले के लिए 90.84 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई जिसमें से माह जून, 85 के अन्त तक 45.77 लाख रुपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

(2) जिले के इस समस्त व्यय में निर्माण कार्यों पर 39.75 लाख रुपये एवं वेतन, भत्ते आदि व स्थापन्न व्यय के रूप 5.80 लाख रुपया खर्च किया गया है।

श्री भैरू लाल भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान की दृष्टि से जो जयपुर जिले के भूमि का अनुपात है और आबादी का भी अनुपात है उस दृष्टि से, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया, अव्वल तो सिंचाई विभाग ने बजट कम अलाट किया है। दूसरा, जो बजट अलाट हुआ है उसका उपयोग भी उसी हिसाब से पूरा नहीं करते हैं ? तीसरी बात मैं यह कहता हूं कि जयपुर

(श्री भैंरूंलाल भारद्वाज)

जिले में खास तौर से जो खर्च हुआ है वह भी अनुत्पादक कामों में अधिक खर्च हुआ है। कुछ बताया आपने, मंत्री महोदय, इतना तो निर्माण पर खर्च हुआ है शेष अनुत्पादक कार्यों पर खर्च हुआ। अनुत्पादक व्यय सिंचाई विभाग में इतना बढ़ा हुआ है खास तौर से जयपुर जिले में कि अधिकांश पैसा तनख्वाह और बढ़े हुए भत्तों पर खर्च हो जाता है। जो स्टाफ रखा हुआ है उसके लिए...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछ लें।

श्री भैंरूंलाल भारद्वाज : जयपुर जिले के नाम पर जो पैसा रखा जाता है उसमें निर्माण कार्यों का बहुत कम हिस्सा है। मंत्री महोदय, यह सारी जो गड़बड़ हो रही है, अन्याय हो रहा है जयपुर जिले के साथ उसको नये सिरे से देखकर भविष्य में कोई न्याय करने की तजवीज करेंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : अध्यक्ष महोदय, जैसा निवेदन किया कि निर्माण कार्यों पर 39.75 लगाया गया है और भत्तों के लिए केवल 5.80 लाख रुपया खर्च किया है। इसलिए अनुत्पादक व्यय ज्यादा हुआ, यह बात सही नहीं है।

श्री भैंरूंलाल भारद्वाज : 100 में से 39 हुआ ना ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज 100 में से नहीं...

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री रामसिंह विश्नोई : जमवा रामगढ़ का अलग से बताना।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जमवा-रामगढ़ में वर्क्स पी.एच.ई.डी. के मार्फत कर रहे हैं। सिंचाई विभाग के मार्फत् नहीं है। पीने के पानी का मुख्य रूप से काम आता है। पी.एच.ई.डी. के द्वारा काम कर रहे हैं।

श्री भैंरूंलाल भारद्वाज : जमवा रामगढ़ में तो सिंचाई विभाग का कोई नाम नहीं रहा है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : मैं कब कह रहा हूं ? सिंचाई वहां नहीं होती। जहां तक जयपुर जिले में राजस्थान के अन्य जिलों के मुकाबले कम राशि खर्च करने का सवाल है, माननीय सदस्य, जहां नदी और ऐसी योजनायें हैं जिनसे पानी रोक कर अधिक पानी का उपयोग किया जा सकता है उसको पहले बनाया गया है। उन पर धनराशि खर्च करने का फैसला किया गया है। जो बड़ी बड़ी योजनायें हैं इनका कार्य प्रगति पर है। राजस्थान में कितनी राशि किस जिले में खर्च हुयी, इसको इस तरह से लेना ठीक नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : जरूरी है। जिलों के साथ बड़ा भेदभाव हो रहा है, विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : इसका आधार क्या है? यह बतायें। पैसा राजनैतिक आधार पर खर्च किया जाता है, टैक्निकल आधार पर नहीं। सारा पैसा कुछ स्थानों पर खर्च होता है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर आर्डर। कृपया बैठें।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : यह बतायें कि नहरों की सफाई पर कितना खर्च कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अब फिर आपने बोलना शुरू कर दिया। शिवचरण-सिंह जी, आपने फिर शुरू कर दिया....

(व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जिस क्षेत्र की जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता को ध्यान में रख कर ही खर्च किया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। नेक्स्ट।

(व्यवधान)

श्री भैरू लाल भारद्वाज : मैंने यह निवेदन किया है, जयपुर जिले की सिंचाई योग्य भूमि, उसका क्षेत्रफल, उसकी आबादी, जिसको सिंचाई के जरिये लाभ पहुंचाना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले में राजस्थान की आबादी का 1/10 भाग है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछ लें।

श्री भैरू लाल भारद्वाज : क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बहुत बड़ा है। मैं तो यह कहता हूं कि आप व्यक्ति वाइज लें जिसको आप लाभ पहुचाना चाहते हैं। खेती की इतनी बढ़िया जमीन है जयपुर जिले में जो पानी की वजह से अनुत्पादक हो रही है। ..

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : जयपुर से बढ़िया जमीन सांचौर में है परन्तु पानी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य भाषण नहीं दें।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बातें न करें। माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : यह ठीक है कि बड़ी सिंचाई की योजनायें नहीं बन सकती है लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, एनीकट्स बनाकर...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : क्या जयपुर जिले का राज्य सरकार ने इस बात का सर्वे कराया है कि कितने वर्षों से पुराने बांध टूटे पड़े हैं अगर उनकी मरम्मत करा दी जाय या उनको ठीक करा दिया जाय तो कितने क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा हो सकती है? पानी उपलब्ध है लेकिन बांध टूटने से सिंचाई नहीं हो रही है और कुओं का जल स्तर भी ऊंचा नहीं हो रहा है।

16

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : यह सूचना अभी नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

आंगनबाड़ी योजनायें एवं छात्रावास

433. **श्री किरोड़ी लाल मीणा** (महुआ) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कितनी आंगनबाड़ी योजनायें गत पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत हुई थीं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। क्या यह सही है कि अधिकांश आंगनबाडी योजनाओं में परियोजना अधिकारी नियुक्त नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) प्रदेश में गत पंचवर्षीय योजना में कितने छात्रावास खोले गये थे ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या गत पंचवर्षीय योजना में विधान सभा क्षेत्र में महुआ के ग्राम खेड़ला में विभाग की ओर से कोई छात्रावास स्वीकृत हुआ था ? अगर हां, तो कब ? छात्रावास के लिए कितनी राशि कब स्वीकृत हुई थी, तथा उसका उपयोग हुआ या नहीं ?

(4) क्या यह सही है कि खेडला छात्रावास में बरती गयी अनियमितताएं व भ्रष्टाचार को लेकर समाज कल्याण विभाग के उच्चाधिकारियों को शिकायतें की गई थीं ? अगर हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(5) क्या यह सही है कि खेडला छात्रावास में बरती गई अनियमितताएं व भ्रष्टाचार को लेकर समाज कल्याण विभाग से संबंधित उच्चाधिकारियों को शिकायतें की गई थीं ? अगर हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री छोगाराम बकोलिया) :

(1) गत पंचवर्षीय योजना काल में 38 बाल विकास परियोजनायें जिसके अन्तर्गत आंगनबाडियां चलाई जाती हैं स्वीकृत हुई थीं। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है। (परिशिष्ट (अ) सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में चल रही कुल 60 परियोजनाओं में से 48 में परियोजना अधिकारी नियुक्त हैं। शेष नियुक्त किये जा रहे हैं।

(2) गत पंचवर्षीय योजना में 70 छात्रावास खोले गये। सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है (परिशिष्ट "ब")

(3) जी हां वर्ष 80–81 में एक संस्था को अनुदानित छात्रावास चलाने की स्वीकृति दी गयी थी तथा उसे 24,350/–रु. की स्वीकृति दी गयी थी। संस्था से उसके उपयोग की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। और संस्था के विरुद्ध वसूली हेतु एफ.आई.आर. दर्ज करादी गयी है।

(4) जी नहीं। छात्रावास उसी वर्ष बन्द कर दिया गया था।

(5) जी हां, इसकी जांच की गयी और संस्था के विरुद्ध थाना सलमपुर में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406, 467, 465 के अन्तर्गत एफ. आई. आर. दर्ज कराकर कार्यवाही की जा रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

श्री किरोड़ी लाल मीणा : मंत्री महोदय, क्या यह सही है कि परियोजना अधिकारी के अभाव में आंगनबाड़ी योजना सही रूप से

17

(श्री किरोड़ी लाल मीणा)

लागू नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो इन रिक्त पदों पर कब तक अधिकारी लगा दिये जायेंगे ? एक प्रश्न।

यह कि विधान सभा क्षेत्र महुआ के ग्राम खेड़ला के स्टडी सर्किल छात्रावास के प्रभारी ने नये छात्रों के फर्जी नाम लिखकर और फर्जी फर्मों के नाम से भुगतान करके 20 हजार रुपये का घोटाला किया था इस घोटाले एवं अनियमितता के संबंध में विभाग द्वारा थाना सलमपुर में एफ. आई. आर. 42/82 आई. पी. सी. 406, 407, 467, 463 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था ? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही हुयी है ?

श्री शिवचरण सिंह : गिरफ्तार नहीं हुए ? पैसे खा गये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के जवाब में बताया कि 48 आंगनवाड़ियों जो हैं उसमें पूरे परियोजना अधिकारी लगा दिये हैं बाकी शेष के लिए अब स्वीकृति मिली है, गवर्नर साहब से स्वीकृति प्राप्त कर ली है और उनको लगाने के लिए अब अलग से कार्यवाही कर रहे हैं। आंगनवाड़ी आई. सी डी. एस. छात्रावास खोलने की कार्यवाही कर रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : एक भी नहीं लगाया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य श्री शिवचरणसिंह जी, आप बैठें। माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, गम्भीरता से लें।

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व जहां आई. सी. डी. एस. में सी. डी. पी. ओ. नहीं लगे हुए थे वहां आर. ए. एस. अधिकारी लगा दिये हैं। अभी जो फंक्शन कर रहे हैं उसमें सबकी नियुक्ति कर दी गयी है।

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही के बारे में बतायें।

श्री शिवचरणसिंह : वह कब तक गिरफ्तार होंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्नकर्त्ता को पूछने दें। आप हाऊस में अकेले नहीं। आप आज ...

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि एफ. आई. आर. लोज करवा दी है। पुलिस की कार्यवाही चल रही है। वह कार्यवाही करके रिपोर्ट दे दे उसके बाद आगे की कार्यवाही होगी।

श्री किरोड़ी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय 82 से एफ. आई. आर. लोज हुयी

18

(श्री किरोड़ीलाल मीणा)

है। और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री भंवरलाल शर्मा : एफ आई. आर. कब लोज हुयी है?

श्री अध्यक्ष : एफ. आई. आर. कब दर्ज की गयी, यह जानकारी हो तो बता दें।

श्री शिवचरण सिंह : 1982 में हुयी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शिवचरण सिंह।

श्री छोगाराम बकोलिया : एफ. आई. आर. 1980-81 में लोज करवाई थी

श्री अध्यक्ष : क्या कार्यवाही हुई? किस स्टेज पर है? बता दें।

श्री छोगाराम बकोलिया : यह जानकारी अभी प्राप्त नहीं है। जानकारी उपलब्ध जब होगी सूचित कर दूंगा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस केस को परश्यू करने के लिये डिपार्टमेंट का कौन अधिकारी लगाया गया है? अगर वे ठीक रूप से परस्यू नहींकरें तो उस अधिकारी के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री शिवचरण सिंह : मंत्री जी को जब पता लगा कि पैसा खा करके उन्होंने....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री छोगाराम बकोलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को संतुष्ट कर सकता हूं कि किसी प्रकार का घोटाला होने नहीं दिया जायेगा। जहां पर भी इस प्रकार के मामलें होंगे, दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : होता यह है कि एफ. आई. आर. दर्ज होती है फिर एफ. आर. हो जाती है, उसे फिर खुलवा दिया जाता है...

श्री मोहन छंगाणी (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग सड़े हुए पांव की तरह है। सड़े हुए पांव का कोई इलाज नहीं है अत. इसको निकलवा ही दें। इसमें कोई सुधार होने वाला नही है। मंत्री महोदय कितनी ही कोशिश करें कोई सुधार नहीं हो सकता। यदि मंत्री महोदय सजग हों और दूरदर्शी हों तभी कुछ सुधार आ सकता है। परंतु इस जैसे भ्रष्ट विभाग में सुधार की आशा नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतसिंह।

श्री सम्पतसिंह (नगर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एक पवित्र भावना से समाज कल्याण विभाग खोला गया था पर इसमें अनाज, खाद्य सामग्री बिकती है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दूसरी बात कर रहे हैं।

श्री सम्पतसिंह : यह पूरे विभाग की बात है। यह खबर है कि....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, श्री लालचन्द।

श्री लालचन्द डूडी (मादरा) : 1981-82 में एफ. आई. आर. दर्ज हुई उसके बाद एफ. आई. आर. हुई और उसके बाद फिर केस को रीओपन किया गया। जिसकी वजह से एफ. आर. लगी उसके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी ? फिर रीओपन कारवाई गई है इसका मतलब है कि कोई, गड़बड़ थी। संबंधित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी ?

श्री किरोड़ीलाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस अधिकारी के विरुद्ध आरोप थे वह इस समय क्या सरकारी सेवा में है ?

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह गुर्जर।

श्री गोविन्द सिंह गूजर : जो भाग सं. (1) है उसके संबंध में पूछना चाहता हूं जिसे प्रोजेक्ट्स आफिसर बना रखा है उसकी हालत यह है कि मिश्रावाद में भी सेंट्रल गवर्नमेंट से उस आंगनवाड़ी में लड़कियां ही नहीं भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, यह हालत है, वह बन्द हो रहा है। यह हालत है प्रोजेक्ट आफिसर की।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने प्रश्न किया है कि समाज कल्याण विभाग में, आई. सी. डी. एस. प्रोग्राम में और अन्य प्रोग्राम में कई प्रकार की धांधलेबाजी है और सही मायने में पूरा लाभ नहीं मिल पाता। मैं वास्तव में इस बात को काफी कुछ महसूस कर रहा हूं। जब से मैंने इस विभाग को संभाला है तब से एक्टिवली इस विभाग को सुधारने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन फिर भी इस विभाग के अन्दर पूर्व से चली आ रही कमियां हैं उन कमियों को निपटाने के लिए माननीय सदस्य का पूरा सहयोग लिया जायेगा इसीलिए मैंने परसों ही 15 एम. एल. एज. की मीटिंग बुलाई है, जोन वाइज एम. एल. एज. इस प्रकार के छात्रावास के लिए सुझाव दें। सुधार के लिये उनकी ओपिनियन मांगी है और जो कुछ भी कमियां हैं, आई. सी. डी. एस. प्रोग्राम में फीड्स प्रापरली बच्चों को नहीं पहुंचाया जाता है उसके ऊपर पूरे तरीके से मोनिटरिंग की जा रही है। इसलिये महिला कल्याण और बाल विकास के लिये अलग से डायरेक्टरेट राजस्थान सरकार ने बनाया है उस डायरेक्टरेट की मोनिटरिंग होगी जिससे कि इन सारी सुविधाओं का लाभ बच्चों को मिल सके, पोषाहार का पूरा लाभ मिल सके लेकिन फिर भी कुछ लोगों की ऐक्टिविटी ऐसी हैं जिसके कारण से अनुसूचित जाति के लोगों को पूरा लाभ नहीं मिलता है। हम उन तत्वों को दूर करके रहेंगे, मिटा करके रहेंगे। इसमें पूरे के पूरे माननीय सदस्यों का सहयोग वांछित है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री लालचन्द डूडी : प्रश्न किया गया था उसका जवाब क्या है ?

श्री छोगाराम बकोलिया : जो दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य का था, मैं माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं कि यह छात्रावास जो है यह पहले मीणा सुधार संघ, नाडौती द्वारा संचालित किया जा रहा

20

(श्री छोगाराम बकोलिया)

था। उसके बाद में ठेढ़ली के स्टैंडी हाउस समिति द्वारा इस संस्थान को संचालित किया जाता है। इनको 23 450/- दिये गये थे लेकिन उसका पूरा यूटिलाइजेशन नहीं होने के कारण से इनके अगेंस्ट में एफ. आई. आर. लौज की गई थी। इनसे वसूली के लिए पूरी कार्यवाही की जायेगी। इसमें कोई डिपार्टमेंटल आदमी के द्वारा नहीं संस्था के द्वारा इस प्रकार का गबन किया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री देवीसिंह भाटी। आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण सिंह : पैसा भी लिया है और राज्य की सेवा में है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही।

श्री अध्यक्ष : माननीय शिवचरण जी, कृपया बैठें। श्री देवी सिंह भाटी। आर्डर प्लीज। कृपया बैठें।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 8 जुलाई, 1985)

ग्राम पंचायत, जयमलसर द्वारा आबादी भूमि का अवैध आवंटन

144. **श्रीमती रतन कवर :** (शेरगढ़)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर की ग्राम पंचायत, जयमलसर जिला बीकानेर के भूतपूर्व सरपंच ने जयमलसर के एक धनाढ्य सेठ राम नारायण राठी व उसके परिवारजनों व उसके ट्रस्टों के नाम से आबादी भूमि आवंटित की है ? यदि हां तो किस दर से व किस प्रयोजनार्थ ? कृपया भू-खण्डों के पट्टे की प्रति मय नाम पता स्थाई व अस्थाई विवरण सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम पंचायत, जयमलसर ने किन-किन न्यासों के नाम आबादी भूमि आवंटित की है ? क्या वह न्यास पंजीकृत है ? यदि नहीं, तो उन न्यासों को नियम विरुद्ध हजारों वर्ग गज भूमि आवंटन करने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत के मौजूदा सरपंच ने श्री राम नारायण राठी व उनके परिवार जनों व उसके ट्रस्टों को बेनामा आवंटन की गयी लाखों वर्ग गज आबादी भूमि की जांच हेतु राज्य सरकार व अधिकारियों को समय-समय पर लिखा है ? यदि हां, तो उनमें आज तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या ग्राम पंचायत उक्त भूमि आवंटित करने के लिये समक्ष थी ? यदि नहीं तो क्या राज्य सरकार पंचायत की कीमती आबादी भूमि की जांच करवाकर पट्टे निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि भू-खण्ड आवंटन के समय विभिन्न न्यासों के रजिस्ट्रेशन नम्बर स्वामित्व प्रलेख नहीं दिये गये ? यदि हां, तो भू-खण्ड आवंटन किन

(श्री देवीसिंह भाटी)

नियमों के अन्तर्गत किया गया है ? कृपया आवंटी न्यासों के रजिस्ट्रेशन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

मंत्री, (पंचायत श्री नरेन्द्रसिंह भाटी) : (1) जी हां। विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है।

(2) न्यासों का विवरण प्रश्न के भाग एक के उत्तर में दे दिया गया है। इन न्यासों के पंजीकृत होने की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(3) जी हां। प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है।

(4) राजस्थान पंचायत [सामान्य] नियमों के नियम 266 में पंचायत को बिना नीलाम आपसी बातचीत से भी भूमि के विक्रय के अधिकार हैं। यह प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है, जहां से निर्णय होने पर सरकार आवश्यकतानुसार कार्यवाही करेगी।

(5) जी हां। आवंटन राजस्थान पंचायत एक्ट, 1953 और उसके अधीन निर्मित राजस्थान पंचायत [सामान्य] के नियम 266 के अन्तर्गत करना बतलाया है।

[सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।]

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि जयमलसर ग्राम में कई भूतपूर्व मंत्री महोदय, कई वर्तमान मंत्री महोदय सेठों के प्रभाव में आकर कई पत्थर लगा करके, चक्कर लगा कर आये थे। इसलिए मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया उसके बारे में मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूं। भाग [5] में मैंने पूछा था, "क्या यह सही है कि भू-खण्ड आवंटन के समय विभिन्न न्यासों के रजिस्ट्रेशन नम्बर, स्वामित्व प्रलेख नहीं दिये गये ?" आपने कहा "जी हां"। अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस एक ही व्यक्ति के परिवार के तीन-तीन ट्रस्टों के नाम से एक ही गांव में 44 बीघा भूमि आवंटित करवा ली क्या आप यह जांच नहीं करेंगे कि वह ट्रस्ट वाकई में हिन्दुस्तान में कहीं रजिस्टर्ड है या नहीं ? उनके रजिस्ट्रेशन की कापी की क्या पंचायत को आवश्यकता नहीं थी ? इस तरह तो आप किसी को भी आवंटित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिये, क्या यह आवश्यक नहीं था कि वह जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड हैं उसके रजिस्ट्रेशन की प्रति आप पंचायत में लेते और उसके बाद में आवंटन करते....

श्री अध्यक्ष : रेवेन्यू अपीलेट अथोरिटी में मामला विचाराधीन है।

श्री देवीसिंह भाटी : वह अलग है। क्या डीड की कापी पंचायत को लेना आवश्यक नहीं था ? उस डीड के आधार के ऊपर आवंटन करते वरना तो कोई भी फर्जी ट्रस्ट बता करके अलाट करवा सकता है। दूसरा, एक ही परिवार के तीन ट्रस्टों को एक ही गांव में कुल कितनी बीघा भूमि या वर्ग गज भूमि आवंटित की है ? यह बता दें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसी मसले को लेकर रिवीजन में अभी के जो सरपंच थे वह कलेक्टर के पास गये थे, 277 के तहत और यह मसला उठाया था कि यह रजिस्टर्ड है या नहीं, इसकी अपील उन्होंने रेवेन्यू अपीलेट अथोरिटी में की है। करना चाहिए था भूतपूर्व सरपंच को, यह जरूरी था। उन्होंने किया या नहीं, यह रजिस्टर्ड है या नहीं, जैसे ही यह केस डिसाइड हो जायेगा, हमें उसका पता लगेगा। जहां तक कितनी वर्ग गज जमीन है, यह सूची मैंने आपको दी है।

श्री देवीसिंह भाटी : आप हाउस में बता दीजिये, कुल कितने वर्ग गज जमीन एक ही परिवार को दी है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : श्री रामनारायण राठी, चेरिटेबल ट्रस्ट-16163 वर्ग गज।

श्री देवीसिंह भाटी : टोटल बता दीजिये, पूरी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पूरी बता देता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : पूरे तो 22 पट्टे हैं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : हां तो फिर आप, सुनिये ना।

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : (2) 21071 वर्ग मीटर

(3) 8000 वर्ग मीटर जो कि अस्पताल कर्मचारियों के आवास हेतु।

(4) 7354 वर्ग मीटर

(5) 9143 वर्ग मीटर

(6) 7085 वर्ग मीटर-कन्या पाठशाला के लिये।

(7) 3955 वर्ग मीटर

(8) 8214 वर्ग मीटर।

श्री मानिक चन्द सुराना : (लूणकरणसर) जो लाखों वर्ग मीटर भूमि दी गई है, क्या माननीय मंत्रीजी यह विश्वास करते हैं कि एक ही ग्राम पंचायत की 70-80 प्रतिशत आबादी भूमि एक ही परिवार से सम्बन्धित या उससे सम्बन्धित फर्जी या असली चेरिटेबल ट्रस्ट को दे दी जाय? क्या यह राजकीय नीति के अनुकूल है?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : किन सरकमस्टासेज में यह जमीन अलाट हुई किस काम के लिये हुई, जैसा कि पता लगाने की कोशिश है, वहां पर 20-25 लाख की राशि से एक अस्पताल भी बना है। इतनी जमीन एक ही ट्रस्ट को, अलग अलग नाम से जो ट्रस्ट हैं उनको दिया जाना उचित है या नहीं है इसकी इन्क्वायरी कराकर मैं आपको बता सकता हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : क्या राज्य सरकार अपने स्तर पर जांच करेगी? माननीय मंत्री जी, मैं आपको यह भी निवेदन करूं, यह जो कुल मिलाकर एक लाख वर्ग मीटर से भी ज्यादा जमीन वहां पर आवंटित हुई है, मुश्किल से, अध्यक्ष महोदय, वहां

(श्री मानिक चन्द सुराना)

पर कोई 15-20 कमरे बनाये गये हैं। सारी जमीन को पक्की ईंटों की दीवार से घेरा गया है या कांटों की दीवार अभी भी लगी हुई है। मुश्किल से 2000 वर्गमीटर में भी कन्स्ट्रक्शन नहीं है। जयमलसर गांव चूंकि कमाण्ड एरिया के नजदीक आया हुआ है, इस तरह से लाखों वर्गमीटर जमीन एक ग्राम पंचायत के सरपंच ने मिल कर रामनारायण राठी को जो आवंटित की है, मैं माननीय मंत्रीजी से चाहूंगा, जैसा उन्होंने स्वयं कहा है, क्या आप अपने स्तर पर इन सारी फाइलों को मंगवा कर मौके की रिपोर्ट, कितना कन्स्ट्रक्टेड एरिया है, यह देखकर यदि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो इसको निरस्त करने की सारी कार्यवाही नीतियों के आधार पर करेंगे?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : जैसे ही आर. ए. ए. से डिसीजन हो जायगा....

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें आर. ए. ए. का कोई प्रश्न नहीं है। आर. ए. ए. में नये सरपंच ने यह चुनौती दी है कि पुराने सरपंच को इस तरह करने का अधिकार नहीं है। सरपंच के अधिकार का सवाल है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप शायद गलत फर्मा रहे हैं। कलेक्टर को नये सरपंच ने कहा था उसके खिलाफ आर. ए. ए. में अपील की जा रही है।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं निवेदन करूं, कलेक्टर ने यह माना है कि सरपंच को ऐसी पिटीशन लाने का अधिकार है। आर. ए. ए. में सेठ लोग चले गये यह कह कर कि नया सरपंच पुराने सरपंच की कार्यवाही को चुनौती नहीं दे सकता। इसमें नये और पुराने सरपंच का सवाल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है, चाहे आर. ए. ए. यह मान भी लें कि नये सरपंच को अधिकार नहीं है लेकिन राज्य सरकार के अधिकार असीमित हैं। इसलिये राज्य सरकार के अधिकारों के तहत, मैं निवेदन करूंगा, आप इन सारी फाइलों को मंगवा लें और कन्स्ट्रक्टेड एरिया कितना है इसकी रिपोर्ट कलेक्टर से मंगवा लें। इस सेठ ने, अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े राजनेताओं को गुमराह किया है। उस अस्पताल में एलोपेथी का एक भी डाक्टर आज तक नहीं रखा है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री मानिक चन्द सुराना : वह तो यह चाहते हैं कि राज्य सरकार के गले में यह माला डाल दी जाय और पी. बी. एम. अस्पताल की जो भी टी. बी. क्लिनिक वगैरह हैं वह वहां शिफ्ट कर दिये जायं। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो कुछ होने वाला नहीं है, जो प्रिंसिपल, मेडिकल आफिसर मेडिकल कालेज के करने को तैयार नहीं है, उनका अलग मसला है। वर्तमान परिस्थितियों में उसका उपयोग सम्भव नहीं है, उस सेठ के साधनों से सम्भव नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, सरकार के स्तर पर कार्यवाही करने का आश्वासन विधान सभा को दें, उसकी रिपोर्ट से भी अगले सत्र इस विधान सभा को सूचित करें। अध्यक्ष महोदय, यदि यह परम्परा पड़ गई तो जितनी 7000 ग्राम पंचायत हैं उनकी 80 प्रतिशत जमीन इसी तरह से सरपंच मिलकर कुछ सीमित परिवार के लोगों के हाथों में दे देंगे। मैं चाहता

(श्री मानिक चन्द सुराना)

हूं कि इस तरह की गलत परम्परा न पड़े और सरपंचों के दिमाग अपने अधिकारों तक सीमित रहें, उसका दुरुपयोग वह नहीं करें, इस बात की व्यवस्था आप करें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री चुन्नी लाल इन्दलिया : क्या यह सही है कि जयमलसर ग्राम में जो एक लाख कुछ वर्ग मीटर भूमि जिस सेठ रामनारायण राठी को दी गई है, आज की तारीख में उस भूमि पर काश्त की गई है ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं वापस रिइट्रेट करूंगा, जैसे ही डिसीजन हो जाता है मैं इसमें इन्क्वायरी करवा लूंगा। I can not otherwise go in it.

श्री देवीसिंह भाटी : वह अलग है।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अलग कैसे है।

जहां तक आपने पूछा, काश्त हो रही है या नहीं हो रही है, हो सकता है उसमें काश्त हो रही हो। मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है, आप चाहें तो मैं पता लगा कर आपको बता सकता हूं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में उस भूमि में ग्वार बोया गया है।

श्री देवीसिंह भाटी मंत्री महोदय ने यह उत्तर में बताया कि जयमलसर में एक अस्पताल बनाने के लिये, एक पशु चिकित्सालय बनाने के लिये, एक कन्या पाठशाला बनाने के लिये जमीन दी थी। इसका कहीं उस प्रार्थना पत्र में प्रोविजन नहीं बताया है। इस प्रकार की किसी भी संस्था की स्वीकृति नहीं है राज्य सरकार से, फिर किस आधार पर दे दी आपने ? आप जो बता रहे हैं आर. ए. ए. में इसकी अपील चल रही है वह तो अलग मसला है पंचायत का। बाकी कागजात तो आपके पास हैं उसकी सारी जांच करके आप उसको तुरन्त निलम्बित कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। आपने पूछ लिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : इतना बड़ा घपला है।

श्री अध्यक्ष : आपने कह दिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : इतना बड़ा एक पूंजीपति सेठ है, उसने सारी गवर्नमेंट को, बहुत से मंत्रियों को भ्रष्ट किया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : जो भी मंत्री रहते हैं, उससे वह कोई न कोई पत्थर लगवा देते हैं। अच्छे चरित्रवान, ईमानदार मंत्री से भी वह कोई न कोई पत्थर गड़ाकर उनके खिलाफ कोई न कोई घपला रखते हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठे। आर्डर।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : ऐसे भ्रष्टाचारी पूंजीपति के खिलाफ इन्क्वायरी

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

बैठानी चाहिये । मैं मांग करता हूं कि ऐसे भ्रष्टाचारी के खिलाफ सरकार को जांच बैठानी चाहिये । जिस परपज के लिये भूमि ली गई है वहां आज की तारीख में ग्वार की बीजाई हो रही है, क्या उसको सरकार रोकेगी ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठें कृपया ।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, सन् 1979 के अन्दर ज्यादातर एक ही माह जुलाई में सारे आवंटन कर दिये और पट्टे दे दिये गये ।

श्री अध्यक्ष : इन्क्वायरी चल रही है । माननीय सदस्य, इसकी अपील चल रही है, मामला चल रहा है ।

श्री देवीसिंह भाटी : वह अलग मसला है । वह तो एक पंचायत के संरपच को यह अधिकार था या नहीं, उसके लिये वर्तमान सरपंच ने अपील की है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि फैसला होते ही वह स्वयं इस बात को देखेंगे कि दरअसल में वास्तविक स्थिति क्या है और कितनी जमीन यूटिलाइज हुई है और कितनी नहीं हुई है । परपजफुली है या नहीं है । यह आपने स्वयं बता दिया ।

श्री देवीसिंह भाटी : सन् 1980 से हम यह मसला विधान सभा में उठा रहे हैं, पर ये कार्यवाही नहीं कर रहे हैं । उसको पूरा मौका दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय ।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, यदि सरपंच के अधिकार के बारे में आर. ए. ए. यह मान भी ले कि उसको अधिकार नहीं है तो क्या सरपंच के अधिकार और राज्य सरकार के अधिकारों में भिन्नता नहीं है ? क्या राज्य सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग करेगी ? सरपंच के अधिकार क्या थे, क्या नहीं, यह प्रश्न नहीं है । वह निर्णय, अध्यक्ष महोदय, सिर्फ सीमित होगा कि नये सरपंच को अधिकार है या नहीं चुनौती देने का । यहां प्रश्न यह है कि राज्य सरकार के पास सारी जानकारी है, राज्य सरकार अपने अधिकारों के तहत यह कार्यवाही करे । हमारी मांग यह है ।

श्री अध्यक्ष : बैठें आप । कृपया बैठें । मंत्री महोदय ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : एक प्रश्न । एक प्रश्न ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय । आर्डर प्लीज । क्या प्रश्न है ?

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मैं यह जानकारी चाहता हूं, इस जमीन का जो आवंटन हुआ क्या यह जनता शासन से पहले...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । कृपया बैठें । बैठें कृपया, बैठें । आर्डर आर्डर । माननीय सदस्य । आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर वही बात....

श्री अध्यक्ष : आप तो यह बता दीजिये कि आप उसकी जानकारी के लिये रेकार्ड देखकर फाइलें वाइलें देखकर....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैंने तीन बार तो अर्ज कर दिया और कितनी बार रिइट्रेट करूं। जैसे ही यह मसला....

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन दूसरा हो गया। यह कहते हैं जो क्वेश्चन आर. ए ए. के पास विचाराधीन है वह केवल इस बात तक सीमित है कि सरपंच को यह अलाट करने का अधिकार था या नहीं। वह उसी तक सीमित बता रहे हैं। जैसा आपने प्रश्न ..

श्री मानिक चन्द सुराना : नये सरपंच ..

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

अधिकार था या नहीं था, वह प्रश्न अलग रह गया। प्रश्न है इतनी जमीन देने के बारे में और उसका प्रापर यूटिलाइजेशन नहीं होने के बारे में। जिस तरह से आपने बताया, आप यह कहते हैं कि एक लाख वर्ग मीटर में से केवल 2000 वर्ग मीटर में कन्स्ट्रक्शन हुआ है, जैसा बता रहे हैं, यूटिलाइज हुआ है। इस बारे में आप यह देखेंगे कि प्रापर यूटिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, कितना बाकी है, यह प्रश्न का उत्तर है। यह आप देना चाहें, दे दें।

(12.00 मध्यान्ह)

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आप जो फरमा रहे हैं वह यह है कि जैसे ही, सपोज आर.ए.ए. यह डिसाइड कर लेती है कि उसको अधिकार था....

श्री अध्यक्ष : तो क्या हुआ ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : तो आप क्या करेंगे, मतलब, सरकार क्या करेगी ?

श्री अध्यक्ष : अधिकार था तो क्या करेगी, नहीं करेगी, अधिकार था तो क्या हुआ ?

श्री मानिक चन्द सुराना : एक सैकण्ड, माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

मंत्री महोदय, अधिकार था तो क्या हुआ ?

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात फिर अर्ज कर रहा हूं कि मैं इसको डैफिनैटली एन्क्वायर करवा लूंगा कि उसने कार्यवाही ठीक तरह से की या नहीं की। अगर गलत की है तो उसमें एन्क्वायर करवा कर उसके खिलाफ जो एक्शन होगा, देख लेंगे, करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री देवीसिंह भाटी : यह स्पष्ट आश्वासन पहले ही दे देते।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। 231.

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : देवीसिंह साहब, 1979 का मसला है, आप लोगों ने कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट 231. ऑर्डर प्लीज, आर्डर, माननीय सदस्य। 231 आपका ही है।

स्थगित प्रश्न

दिनांक 11 जुलाई, 1985

पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर की प्राथमिक पाठशालायें

231. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर जिला जालौर में प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षकों की बड़ी भारी कमी है ? पंचायत समिति क्षेत्र सांचोर में कुल कितनी प्राथमिक पाठशालायें कन्या पाठशालाओं सहित हैं, एवं उनमें कुल कितने शिक्षक कार्यरत हैं ? तथा कितने शिक्षकों की कमी है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) इस पंचायत समिति क्षेत्र में कितनी प्राथमिक पाठशालाओं में उपयुक्त पाठशाला भवनों का अभाव है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें । सरकार उक्त पाठशाला भवनों का कब तक निर्माण कराये जाने का विचार रखती है ?

(3) इस पंचायत समित क्षेत्र की कितनी प्राथमिक पाठशालाओं में कुर्सी, मेज एवं टाट पट्टियों का अभाव कबसे चला आ रहा है ? इनकी पूर्ति कब तक करा दी जायेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह भाटी) : (1) जी नहीं । पंचायत समिति सांचोर में कन्या पाठशालाओं सहित 190 प्राथमिक विद्यालय हैं । इन पाठशालाओं में 246 पद स्वीकृत हैं तथा 240 शिक्षक कार्यरत हैं । इस प्रकार 6 पद रिक्त हैं ।

(2) इस समिति में 9 शालायें ऐसी हैं जिनके लिए उपयुक्त भवन नहीं है जिनका विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । ग्रामवासियों के जन सहयोग से शाला भवनों के निर्माण कराये जाने की कार्यवाही चालू है ।

(3) पंचायत समिति की 107 शालाओं में कुर्सी, मेज एवं टाट पट्टियों की कमी बताई गयी है । राज्य सरकार द्वारा आवंटित अनावर्ती व्यय की राशि तथा पंचायत समिति की निजी आय से कमी की शीघ्र पूर्ति के लिए विकास अधिकारी को लिखा गया है ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी, शिक्षकों की कमी के बारे में जो सूचना आपको प्राप्त हुई है वह असत्य है । आप इसकी वापस जांच करवा लें । आपने जो भी इन्फार्मेशन दी है, टोटली मैं तो इसको फाल्स कहूं, आप इसकी जांच करा लें ।

दूसरे, नौ विद्यालयों का नाम लिया कि उनके भवन नहीं हैं । ऐसी बात नहीं है । करीब 50 पर्सेण्ट पाठशालायें ऐसी हैं जिनमें कक्षायें पेड़ के नीचे चलती हैं । इसके बारे में आप दोबारा जांच करवा लें और दोबारा इन्फार्मेशन प्राप्त कर लें । मैं इसको चैलेन्ज करता हूं ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, अगर हमारी पार्टी के उप नेता महोदय

28

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

इसको चैलेन्ज करते हैं, यह सही निकल जाय कि इन्फार्मेशन ठीक नहीं है बिल्कुल, तो जिनके खिलाफ कार्यवाही करनी है गलत सूचना के लिए, करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री केदार।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उप नेता, और मन्त्री जी में कोई गलत साबित होगा तो क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर। माननीय सदस्य। आपने नहीं सुना तो अच्छा किया।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12 जुलाई, 1985)

241. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश में कितने स्टेडियम निर्मित हैं व कितने निर्माणाधीन हैं ?

(2) इनके देखभाल की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने किसको सौंप रखी है ?

(3) इस वर्ष स्टेडियमों के लिए कितनी राशि केन्द्र से प्राप्त हुई है ?

राज्य मंत्री, खेल (श्री छोगाराम बकोलिया) : (1) निर्मित स्टेडियम 21, निर्माणाधीन स्टेडियम–14.

(2) विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" व "ख" में अंकित है।

(3) स्टेडियमों के लिए वर्ष 1985-86 में अभी तक कोई राशि केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की गयी है। वर्ष 1984-85 में स्वीकृत राशि में से रुपए 14,11,235/- वर्ष 1985-86 में प्राप्त हुए हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

श्री केदारनाथ : केन्द्र ने कितनी टोटल राशि आपको मंजूर की ? कितनी आपने मांगी थी 1984 में, कितनी मंजूर की ? आपको मिली है 14 लाख 11 हजार।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मांगी कितनी गयी, इसकी तो मेरे पास जानकारी नहीं है लेकिन जो स्वीकृत होकर आयी है वह है 14 लाख 11 हजार 235।

श्री केदारनाथ : स्वीकृत राशि 14 लाख 11 हजार टोटल मंजूर की है ?

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 14 लाख 11 हजार 235 टोटल राशि मंजूर नहीं की है। यह पहली किश्त के रूप में दी गयी है। सैकण्ड किश्त यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेशन और कन्स्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद दी जायेगी। सैकण्ड किश्त की भी कुछ राशि इसमें है साथ।

श्री केदारनाथ : कुल कितनी है राशि ?

श्री अध्यक्ष : 1984 में टोटल राशि केन्द्र ने कितनी मंजूर की है, प्रोफेसर केदार पूछ रहे हैं। टोटल राशि कितनी मंजूर की है, यह पता हो तो बता दें।

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, टोटल राशि जो है वह है

(श्री छोगाराम बकोलिया)

31 लाख 50 हजार। उसके अगेन्स्ट 14 लाख 11 हजार 235 प्राप्त हुई है।

श्री केदारनाथ : 14 लाख मिली है, इसके बंटवारे के कौन से नार्म्स हैं आपके पास ? नये स्टेडियम्स के लिए ..

श्री छोगाराम बकोलिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 14 लाख राशि आवंटित हुई है उसमें, मैं निवेदन करना चाहता हूं, हनुमानगढ़ के स्टेडियम हेतु 50 हजार प्राप्त हुए हैं। चित्तौड़गढ़ के स्टेडियम हेतु 50 हजार प्राप्त हुए हैं। प्रतापपुर, बांसवाड़ा हेतु 50 हजार, सवाई माधोपुर स्टेडियम हेतु एक लाख 25 हजार, धौलपुर में मिनि स्टेडियम हेतु 50 हजार प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त हुए हैं। जोधपुर स्पोर्ट्स काम्प्लैक्स के लिए ढाई लाख रुपये, अजमेर स्पोर्ट्स कॉम्प्लैक्स के लिए 86,235 रुपये द्वितीय किश्त के रूप में प्राप्त हुए हैं। भीलवाड़ा स्पोर्ट्स काम्प्लैक्स के लिए ढाई लाख रुपये, बीकानेर स्पोर्ट्स काम्प्लैक्स के लिए दो लाख 50 हजार रुपये, पाली स्पोर्ट्स काम्प्लैक्स के लिए ढाई लाख प्रथम क़िश्त के रूप में प्राप्त हुए हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : What about Jaipur ?

श्री छोगाराम बकोलिया : Not under consideration.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : जयपुर के लिए हुआ ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। जो मंजूरी आयी बता दी सब। इसमें नहीं है तो नहीं है।

आर्डर प्लीज। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

स्थगन प्रस्तावों पर (शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

~~स्थगन प्रस्तावों~~

~~[illegible]~~

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

राजमहल (टौंक) का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

428. **श्री नाथूसिंह** (टोडारायसिंह) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजमहल तहसील देवली, जिला टौंक को पर्यटन स्थल बनाने हेतु अब तक कोई सर्वे किया गया है ? यदि हां, तो उसकी क्या रिपोर्ट है ? कृपया रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार राजमहल को पर्यटन स्थल बनाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) किसी भी स्थान को पर्यटन स्थल बनाने के क्या-क्या मापदण्ड हैं ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(पर्यटन मन्त्री)

(3) सरकार किसी स्थल को पर्यटन स्थल घोषित नहीं करती अपितु जहां पर्यटकों का आवागमन होता है, वह स्थल स्वत: ही पर्यटन स्थल बन जाता है। पर्यटकों की संख्या में स्वत: ही वृद्धि होने से स्थान पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ऐसे स्थलों पर राज्य सरकार अपने सीमित साधनों के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर वहां विकास कार्य हाथ में लेती रहती है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विलास सिंचाई परियोजना, कोटा

559. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिला स्थित विलास सिंचाई परियोजना कब प्रारम्भ हुई थी? इसको कब पूर्ण होना था? मूल परियोजना पर कितनी धनराशि व्यय होने का प्रावधान था? कृपया प्रतिवर्ष होने वाले व्यय की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विलास परियोजना पर होने वाली संपूर्ण धन राशि यू. एस. ऐड द्वारा देने का निश्चय हुआ था? यदि हां, तो कौन से वर्ष में कितनी धनराशि उपलब्ध होने वाली थी, एवं उससे परियोजना के कौन से भौतिक लक्ष्य पूरे होने वाले थे? कृपया वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस परियोजना में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि व्यय हुई है, एवं कौन से भौतिक लक्ष्य पूर्ण कर लिए गये हैं? योजना के अनुसार कार्य नहीं होने के क्या कारण हैं, एवं यह परियोजना कब तक पूर्ण हो जायगी?

उत्तर

(1) कोटा जिला की विलास परियोजना का कार्य मार्च 1981 में प्रारम्भ हुआ था। यू. एस. ए. ई. डी. द्वारा अप्राइज्ड रिपोर्ट, 1982 के अनुसार इस परियोजना को मार्च, 1986 तक पूर्ण करना था। इस रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित लागत रु. 629.70 लाख को निम्नलिखित वर्षवार विवरण के अनुसार व्यय करना प्रस्तावित था।

वर्ष	आर्थिक लक्ष्य (लाखों में रु.)
1981-82	34.50
1982-83	116.30
1983-84	222.50
1984-85	198.20
1985-86	58.20
योग–	629.70 लाख रु.

(2) जी नहीं।

(3) परियोजना पर प्रतिवर्ष व्यय हुई राशि व भौतिक लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :–

वर्ष	व्यय हुई राशि (रु. लाखों में)	पूर्ण किये गये भौतिक लक्ष्य
1980-81	10.06	सर्वेक्षण, भवन निर्माण

(सिंचाई मंत्री)

1981-82	21.25	सर्वेक्षण, भवन निर्माण व मशीनरी क्रय
1982-83	25.57	डेम 10 प्रतिशत
1983-84	58.85	डेम 20 प्रतिशत
1984-85	31.82	डेम 25 प्रतिशत नहर 5 प्रतिशत

रिपोर्ट में प्रस्तावित राशि के वर्षवार आंकड़े वास्तविक रूप में उपलब्ध नहीं होने के कारण योजना के अनुसार कार्य नहीं हो सका। अब इस योजना को उपयुक्त धनराशि मिलने पर वर्ष 1990 तक पूर्ण कराए जाने की संभावना है।

कर्मचारी संघ के प्रचार मंत्री पर कातिलाना हमला

560. **श्री यदुनाथसिंह** (नदवई): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रचार मंत्री श्री हरि बाबू शर्मा पर न्यू गेट के अन्दर असामाजिक तत्वों द्वारा कातिलाना हमला किया गया था? यदि हां, तो सरकार द्वारा हमलावरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह सही है कि कर्मचारी नेता, श्री हरि बाबू शर्मा ने एस. एम. एस. अस्पताल जाकर अपने चाकू लगे हाथ की चिकित्सा करवायी थी? जिसकी सूचना राज्य सरकार को दी थी? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या यह सही है कि उक्त समाचार दैनिक पत्रों में प्रकाशित हुआ था। यदि हां, तो उक्त समाचार पर राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) श्री हरिबाबू शर्मा ने पुलिस में कोई रिपोर्ट अंकित नहीं कराई है।

(2) श्री हरिबाबू शर्मा का एक परिवाद गृह विभाग में प्राप्त हुआ था जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक, जयपुर के माध्यम से वृताधिकारी, आदर्श नगर, जयपुर से जांच करवायी गयी। जांच से मामला मकान खाली कराने का पाया गया। श्री शर्मा ने एस. एम एस. अस्पताल में चाकू लगे हाथ की तथाकथित चिकित्सा करायी, इसकी सूचना पुलिस थाना मोतीडूंगरी या आदर्श नगर में भी नहीं की।

(3) जी हां। समाचार दैनिक पत्रों में प्रकाशित होने पर वृताधिकारी, आदर्श नगर से जांच करवाये जाने पर मामला मकान खाली कराने का पाया गया। उक्त प्रकरण में शान्ति भंग न होवे इस हेतु निरोधात्मक कार्यवाही अमल में लाई गई।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों हेतु आवटित राशि

562. **श्री भंवर लाल शर्मा** (हवामहल): **श्री हरि कुमार औदिच्य** (रामगंज मण्डी): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अनुसूचित [illegible] ज[illegible]
के लिये किस किस [illegible]

(श्री भंवर लाल शर्मा)

अन्तर्गत 1984-85 में कितनी-कितनी राशि का प्रावधान किस किस कार्य के लिए रखा गया था, और उसमें से कितना-कितना खर्च हुआ ?

(2) किन-किन कार्यों के लिए मार्च, 1985 के अन्तिम सप्ताह में धनराशि का आवंटन व स्वीकृति की गई ?.

(3) क्या ऐसी आवंटित राशि का वर्ष 1984-85 में उपयोग हो गया ? यदि हां, तो किस प्रकार ? यदि नहीं, तो कितनी धनराशि शेष रही ?

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति एवं जन जातियों के लिये वर्ष 1984–85 के प्रावधान एवं व्यय की मदवार सूचना संलग्न है। (परिशिष्ट "अ")

(2) जिन कार्यों के लिये मार्च, 85 के अंतिम सप्ताह में धनराशि का आवंटन किया गया व स्वीकृति दी गई वह सूचना परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। आवंटित राशि का वर्ष 84–85 में सम्बन्धित मद में ही उपयोग हो गया। सूचना परिशिष्ट "ब" पर अंकित है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

निदेशक, भूमि व भवन कर के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि निदेशक, भूमि एवं भवन कर विभाग के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने शिकायत नं. 2121 दिसम्बर 1984 में दर्ज की थी ?

(2) क्या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने जनवरी, 1985 में मुख्य शासन सचिव, राजस्थान को उक्त अधिकारी पर आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा था ?

(3) यदि हां, तो इतने गम्भीर आरोप होते हुये भी अधिकारी को निलम्बित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह सत्य है कि लोकायुक्त भी इस मामले की जांच जनवरी-फरवरी, 1985 से कर रहे हैं ?

(5) यदि हां तो कृपया उक्त में से प्रत्येक विभाग की इस जांच के संदर्भ में केस की प्रगति, आदेशों की प्रतियां, व संबंधित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) शिकायत पत्र में आरोपों के उल्लेख मात्र से किसी को निलम्बित नहीं किया जाता है। आरोपों के जांचों से प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित होने पर यदि सक्षम अधिकारी आवश्यक समझें तो निलम्बित किया जाता है। उपरोक्त सन्दर्भित शिकायत

(गृह मंत्री)

पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर गहराई से विचार करने के बाद राज्य सरकार ने शिकायत की प्रारम्भिक जाँच करवाना भी आवश्यक नहीं समझा।

(4) राजस्थान लोकायुक्त एवं उप-लोकायुक्त एक्ट, 1973 को धारा 10, व 15 की उप-धारा 2 के अन्तर्गत यह सूचना देना सम्भव नहीं है।

(5) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

पोषाहार कार्यक्रमों के अन्तर्गत खरीद

564. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत पोषाहार कार्यक्रमों के अन्तर्गत एल्यूमिनियम की तस्तरी, पीतल के रामझारे, एल्यूमिनियम की परातें, लोहे की बाल्टियां, पीतल भरत के चमचे, पलटा एवं दरियों आदि की केन्द्रीय खरीद विभाग द्वारा की जाती रही है?

(2) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 एवं 1984-85 में पिछले पांच सालों में प्रति वर्ष वितरण हेतु क्रय की गई सामग्री पर कितना-कितना व्यय किया गया और उसमें से कितनी कितनी संख्या में वह सामग्री कहां-कहां भेजी गई? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस सामग्री का भौतिक सत्यापन किया जाता रहा है? यदि हां, तो भौतिक सत्यापन अन्तिम बार कब किया गया, एवं उसके क्या परिणाम रहे? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केवल वर्ष 1980-81 में अकाल पोषाहार कार्यक्रम के लिए निविदाएं आमन्त्रित कर एल्यूमिनियम की तस्तरियां, पीतल के रामझारें, एल्यूमिनियम की परातें, लोहे की बाल्टियां, पीतल भरत के चमचे, पलटा एवं दरी-पट्टियों आदि की केन्द्रीय खरीद की गई थी। बाद में कोई केन्द्रीय खरीद विभाग द्वारा नहीं की गई।

(2) केवल एक वर्ष 1980-81 में सामान क्रय किया गया था। वर्ष 81-82 से 84-85 तक कोई सामान क्रय नहीं किया गया है। 80-81 में विभाग द्वारा सामग्री क्रय हेतु निविदाएं आमन्त्रित की गई थीं। सामग्री सीधे ही विक्रेता द्वारा दस जिला परिषदों को भिजवाई गई थीं। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) सामान सीधा जिला परिषदों में प्राप्त हुआ, जहां से अकाल पोषाहार केन्द्रों (विद्यालयों) को भेजा गया था। सामान का भौतिक सत्यापन शाला के प्रधानाध्यापकों द्वारा नियमानुसार किया जाता है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

माही परियोजना में हुई चोरियां

566. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की माही परियोजना के तहत गत 3 वर्षों में कितनी कीमत की किन-किन वस्तुओं की चोरियां कब-कब हुई ? कृपया सूचना सदन की पटल पर रखें।

(2) उक्त चोरियों की विभाग ने कब-कब किन-किन व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई व उनमें से कितने प्रकरण कहां-कहां किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध चल रहे हैं ?

(3) उक्त प्रकरणों में किन-किन को क्या-क्या सजा हुई व कौन-कौन निर्दोष घोषित किये गये ?

(4) चोरियों के प्रकरण में किस-किस व्यक्ति को विभाग ने कब से निलम्बित कर रखा है ? कृपया सूचना सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) 22 चोरी की घटनाएं हुई हैं, सूचना परिशिष्ट "क" पर अंकित है।

(2) इस प्रश्न का प्रत्युत्तर परिशिष्ट "ख" पर अंकित है।

(3) प्रकरणों में किन किन को क्या-सजा हुई इसकी सूचना परिशिष्ट "ग" पर अंकित है।

(4) चोरियों के प्रकरणों में जिन व्यक्तियों को निलम्बित कर रखा है उसकी सूचना परिशिष्ट "घ" पर अंकित है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

टोंक में बल्लियों की नीलामी

567. **श्री नाथूसिंह** (टोडारायसिंह) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि टोंक में इसी वर्ष कुछ बल्लियों की नीलामी की गई थी ? यदि हां, तो कब, कितनी व कितनी राशि में, किसको बेची गई ?

(2) क्या उक्त बल्लियों की नीलामी हेतु कोई कमेटी बनाई गई थी ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन सदस्य थे ?

(3) उक्त बल्लियों की नीलामी में क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

(4) क्या उक्त बल्लियों की नीलामी में विभाग को कोई घाटा हुआ है ? यदि हां, तो कितना ?

(5) क्या उक्त सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 18·3·85 को सार्वजनिक नीलामी द्वारा कुल 3750 बल्लियां 7777/– रु. में श्री सत्यनारायण नामक सर्वोच्च बोली लगाने वाले को की गई।

(2) जी हां। नीलामी कमेटी के निम्न सदस्य थे :—

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

1. सहायक अभियंता, निर्माण उपखंड-तृतीय, जयपुर ।

2. सहायक लेखाधिकारी, वृत्त-2, जयपुर

3 सहायक जिलाधीश, टोंक ।

(3) नीलामी की प्रक्रियानुसार बोली लगाने वालों से निर्धारित अमानत राशि जमा करवाने के पश्चात् बोली लगाने की स्वीकृति दी गई और सर्वोच्च बोली पर कमेटी के सदस्यों की सहमति से बल्लियां बेचने की स्वीकृति दी गई ।

(4) जी नहीं ।

(5) जी नहीं ।

विभागाध्यक्ष के पद पर भारतीय प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति

568. **श्री दामोदर दास आचार्य** (नागौर) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की करेंगे :—

(1) क्या वर्तमान में निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग के पद पर एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी कार्यरत है ?

(2) क्या राज्य सरकार निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग के पद पर भी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के स्थान पर भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी नियुक्त करने का विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) वर्तमान में ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

कापरेन-रोटेदा सड़क

569. **श्री मांगीलाल मेघवाल** (पाटन) **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कापरेन-रोटेदा सड़क पर मार्च, 1984 तक कितना व्यय हुआ एवं वर्ष 1984-85 में कितना ? क्या यह सही है कि वर्ष 1984-85 में सड़क पूर्ण होने का बजट था ? यदि हां, तो कार्य क्यों रोका गया ?

(2) क्या ग्राम जैथल से अरनेठा-झालीजी का बराना से स्टेशन अरनेठा बड़ा खेड़ा से पापड़ी सड़कों का कार्य चालू किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) जैथल से अरनेठा, झालीजी का बराना से स्टेशन अरनेठा एवं बड़ा खेड़ा से पापड़ी सड़कों पर कितना व्यय हुआ ?

उत्तर

(1) कापरेन-रोटेदा सड़क पर मार्च, 84 तक कोई कार्य नहीं हुआ । वर्ष 84-85 में केवल मिट्टी का कार्य हुआ । वर्ष 84-85 में इस सड़क को पूर्ण करने का प्रावधान नहीं था धनाभाव के कारण कार्य रोकना पड़ा ।

36

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) ग्राम जैथल से अरनेठा, झालीजी का बराना से स्टेशन अरनेठा की सड़कों का कार्य अभी धनाभाव के कारण प्रारम्भ नहीं किये जा रहे हैं धनराशि उपलब्ध होने पर चालू किये जा सकेंगे। तथा बड़ा खेड़ा से पापड़ी सड़क का कार्य वर्ष 1984-85 में ही चालू हो चुका है।

(3) बड़ा खेड़ा से पापड़ी सड़क पर माह 5/85 तक रु. 166899/- का व्यय हो चुका है जेथल से अरनेठा, झालीजी का बराना से स्टेशन अरनेठा पर कोई व्यय नहीं हुआ।

ब्वायज हैड क्वार्टर-रामनिवास बाग

570. **श्रीमती नीलिमा** (मिनाय) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ब्वायज हैड क्वार्टर रामनिवास बाग, जयपुर को सरकार ने रेस्टोरेन्ट (किरण कैफे) चलाने हेतु कुछ मर्यादित समय के लिए ठेकेदार श्री किरण सिंह को दिया था ? यदि हां, तो इस बिल्डिंग का कितना क्षेत्रफल देने हेतु मूल एग्रीमेन्ट विधि से अनुमोदित कराया था, और क्या इसमें बाहर का खुला हुआ हिस्सा (ओपन टैरेस) भी शामिल था ?

(2) क्या यह सही है कि कई बार अधिकारिक स्तर पर व पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री द्वारा इस स्थान को खुली नीलामी द्वारा देने का निर्णय हुआ था ? यदि हां, तो अब इस निर्णय को क्यों बदल कर इसी ठेकेदार को पुनः गलत ढंग से ब्वायज हैड क्वार्टर, टैरेस (खाली स्थान) जो बिल्डिंग क्षेत्रफल से ज्यादा है के सहित ठेकेदार को अपने पैसे से चार लाख रुपये के रेस्टोरेन्ट बनाने की इजाजत मालिकाना हक के साथ इस शर्त पर कि सरकार इसे ऑफिस के अलावा किसी अन्य काम के लिए खाली नहीं करवा सकेगी, नया निर्णय लिया गया है ? कृपया ऐसा करने का कारण व दिये जाने वाले क्षेत्रफल से सरकार को हानि-लाभ का ब्यौरा सदन पटल पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ब्वायज हैड क्वार्टर, रामनिवास बाग, जयपुर की नीलामी हेतु बनी समिति की रिपोर्ट ताक में रखी है ? क्या पब्लिक पार्क एक्ट में किसी भी तरह के निर्माण बाग में नहीं करवाये जा सकते हैं ?

(4) क्या सरकार ठेकेदार के बजाय किसी सरकारी उपक्रम (पर्यटन निगम आदि) को यह स्थान देने पर विचार करेगी, ताकि सरकारी सम्पत्ति की रक्षा हो सके ?

उत्तर

(1) जी हां। विधि विभाग से अनुमोदित एग्रीमेंट में निर्मित भवन एवं उसकी भूमि का क्षेत्रफल नहीं दर्शाया गया है, भवन से संलग्न उद्यान क्षेत्र सम्मिलित नहीं था।

(2) भवन में आवश्यक परिवर्तन/परिवर्धन करने के पश्चात खुली निलामी द्वारा ठेके पर दिये जाने का निर्णय लिया हुआ है। इस ठेकेदार द्वारा अपने खर्चे से मालिकाना हक के साथ निर्माण करने एवं भवन को किसी विशेष शर्त के अनुसार खाली

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

कराने का जैसा कोई निर्णय राज्य सरकार द्वारा नहीं लिया गया है।

(3) जी नहीं। पब्लिक पार्क एक्ट के अनुसार सार्वजनिक बाग में कोई भी निर्माण कार्य बिना अनुमति के नहीं करवाया जा सकता है।

(4) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

नदी सरादना (अजमेर) ग्राम तक सम्पर्क सड़क

571. **श्री रमजान खां** (पुष्कर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला अजमेर के ग्राम नदी सरादना की आबादी एक हजार से अधिक है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस गांव में जाने के लिए कोई भी सड़क की सुविधा नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस गांव में आने के लिए कोई पक्की सड़क बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इस गांव में जाने हेतु एक कच्चा रास्ता बना हुआ है। इसे पक्का बनाने हेतु धनाभाव के कारण अभी कोई योजना नहीं है।

विद्युत मण्डल द्वारा विद्युत कनेक्शन्स

572. **श्री परसादीलाल** (लालसोट) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है विद्युत मंडल द्वारा डिमाण्ड नोटिस के जमा कराने के एक माह तक एल फार्म नहीं दिये जाने पर छः माह का नोटिस दिये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो कृपया परिपत्र की प्रति सदन पटल पर रखें।

(2) क्या यह सच है कि श्री चौथमल खटीक दौलतपुरा, तहसील लालसोट को एल फार्म देने का नोटिस दिनांक 16 जून 1979 को दिया था ? एल फार्म दिनांक 21 नवम्बर, 1979 को आ गया, फिर भी उसे रद्द कर दिया गया और कनेक्शन नहीं दिया ? क्या यह उचित है ?

(3) क्या मंत्री महोदय अनुसूचित जाति के उक्त किसान के साथ की गई इस ज्यादती को करने वाले अधिकारी को सजा देंगे और किसान को विद्युत सम्बन्ध दिलावेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सच है कि श्री जयदेव मीणा, दौलतपुरा, तहसील लालसोट (जयपुर) को कनेक्शन दे दिया है ? जबकि उसकी स्थिति भी चौथमल खटीक जैसी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) श्री जयदेव मीणा को डिमाण्ड नोटिस, जमा तारीख, एल फार्म नोटिस तारीख और एल फार्म आने की तारीख सदन पटल पर रखें।

(1) जी हां। मण्डल परिपत्र (सरकूलर) संख्या 3121 दिनांक 20.9.1975 की प्रति परिशिष्ट "ए" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। श्री चौथमल खटीक ग्राम दौलतपुरा तहसील लालसोट को "एल" फार्म देने का नोटिस उसके दिये गये मांग पत्र में ही दिनांक 23.3.1979 को दिया गया था, जिसके अनुसार मांग पत्र की राशि जमा करवाने के बाद 7 माह के अन्दर एल फार्म देना था। मांग पत्र की राशि दिनांक 21-4-1979 को जमा कराई गई, तदनुसार एल फार्म दिनांक 20.11.1979 तक देय था। श्री चौथमल खटीक को स्मरण पत्र संख्या 701 दिनांक 16.6.1979 भेज कर दिनांक 20.11.1979 तक "एल" फार्म प्रस्तुत करने को पुन: कहा गया। "एल फार्म दिनांक 22.11.1979 को प्राप्त हुआ। अत: मण्डल के परिपत्र (सरकूलर) के अनुसार आवेदन पत्र रद्द कर दिया गया जो कि उचित था।

(3) संबंधित अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई। अत: उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी नहीं। श्री जयदेव मीणा ग्राम दौलतपुरा तहसील लालसोट (जयपुर) को अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है।

(5) श्री जयदेव मीणा को डिमाण्ड नोटिस दिनांक 6.1.1981 को दिया गया एवं डिमाण्ड नोटिस की राशि दिनांक 28.1.1981 को जमा कराई गई। डिमाण्ड नोटिस में ही धनराशि जमा करवाने के बाद 7 माह के अन्दर "एल" फार्म देने के निर्देश दिये गये थे। तदनुसार "एल" फार्म दिनांक 27.8.1981 तक प्राप्त होना था। "एल" फार्म 5.3.1983 को प्राप्त हुआ।

(परिपत्र की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

गम्भीरी नदी पर पुल

573. **श्री विजयसिंह** (रूपवास) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में गम्भीरी नदी पर कितने पुल निर्माण हुए हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या इस नदी पर और भी पुल निर्माण करने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में उहर क्षेत्र में गांव भैरधा पर पुल कब तक निर्माण हो जायेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रूपवास में गम्भीर नदी पर खानुआ ब्रिज भरतपुर रूपवास सड़क पर कि. मी. 34 में निर्माण किया गया है।

(2) जी नहीं। सीमित साधनों के कारण वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। इस विधान सभा क्षेत्र में ऐसे किसी भी गांव पर पुल बनाने का प्रस्ताव नहीं है।

बरसाती नदियों के जल का उपयोग

574. डॉ. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान में कुल कितनी बरसाती नदियां हैं, तथा उनका कितना पानी बहकर प्रतिवर्ष निकल जाता है ? इस पानी को सुरक्षित करने के लिए क्या कोई सर्वे किया गया है, योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) उक्त जल की सिचाई के कार्य में कितनी उपयोगिता है ? यदि उक्त जल को रिजर्व कर सिंचाई के काम में लिया जाय तो विभाग को कितना लाभ हो सकेगा।

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल 59 मुख्य बरसाती नदियां हैं। इनका कुल सतही पानी लगभग 15.865 मिलियन एकड़ फुट आंका गया है। राज्य से कितना पानी बाहर बहकर जाता है आंका नहीं गया है। उपलब्ध पानी में से राज्य में ही उपयोग किये जा सकने वाले पानी की काफी मात्रा सिंचाई सुविधाओं हेतु उपयोग में लाई जा रही है। शेष पानी को उपयोग में लाने हेतु विभिन्न वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं का सर्वे कराया जा रहा है।

(2) शेष पानी जो राज्य में ही उपयोग में लाया जा सकता है उसकी सुरक्षा हेतु सभी योजनायें सम्पूर्ण करने पर लगभग 4 लाख हैक्टर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराई जा सकेंगी। इससे राज्य में लगभग 10 लाख टन अतिरिक्त पैदावार होने की आशा है।

कामां क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

575. श्री शमशुलहसन (कामां) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) विधान सभा क्षेत्र कामां में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है ? एवं कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है ?

(2) शेष ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक पूरा होगा ?

(3) वर्ष 1980 से 1985 तक भरतपुर जिले में पंचायत समितिवार ग्रामीण विद्युतीकरण का मय नये कनेक्शनों के विवरण कृपया सदन पटल पर रखें।

उत्तर

(1) सप्तम् विधान सभा चुनाव की सूची के अनुसार विधान सभा क्षेत्र कामां में कुल 192 ग्राम हैं तथा कस्बा कामां है, जिसमें से 47 ग्राम व कस्बा कामां का विद्युतीकरण किया जा चुका है। 145 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है ?

(2) शेष ग्रामों के विद्युतीकरण करने की अभी कोई योजना नहीं है। अतः विद्युतीकरण के सन्दर्भ में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(3) विवरण देते हुए तालिका "अ" संलग्न है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

40

चान्दा खुर्द व चान्दा कलां ग्रामों का विद्युतीकरण

576. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले की तहसील केशवराय पाटन के ग्राम चान्दा खुर्द एवं चान्दा कलां को विद्युतीकरण हेतु कब स्वीकृति दी गई थी? स्वीकृति की तारीख से अब तक उक्त गांवों के विद्युतीकरण हेतु क्या ठोस कार्यवाही की गई?

(2) क्या यह सही है कि उक्त दोनों ग्रामों का विद्युतीकरण आज तक भी नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक कर दिया जावेगा?

(3) उक्त गांवों का विद्युतीकरण नहीं करने के लिए किस अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया, तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां, बूंदी जिले की तहसील केशवराय पाटन पंचायत समिति इटावा क्षेत्र के ग्राम चांदना खुर्द एवं चांदना कलां इटावा की आर. एम. एन. पी. योजना में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत है। वर्ष 1984-86 के फेज प्रोग्राम में उक्त दोनों ग्रामों को विद्युतीकरण हेतु सम्मिलिति किया गया था।

(2) जी हां, योजनानुसार उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण दीपरी पर 33/11 के.वी. और सब-स्टेशन बनाकर 11 के.वी. लाइन खेंचकर प्रस्तावित था। परन्तु उक्त 33/11 के.वी. सब-स्टेशन के निर्माण कार्य पूर्ण न हो पाने तथा चम्बल नदी को पार करने में कठिनाई को ध्यान में रखते हुए इन्द्रगढ़ की ओर अधिक लम्बी 11 के.वी. लाइन खेंचकर चांदना कलां एवं चांदना खुर्द को वर्ष 84-85 के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। परन्तु दुर्गम क्षेत्र होने के कारण उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण अभी पूर्ण नहीं किया जा सका है। वर्ष 85-86 में उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण करने का प्रयास किया जायेगा।

(3) उपरोक्त वर्णित स्थिति से यह स्पष्ट है कि कोई भी अधिकारी उपरोक्त ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं करने के लिए दोषी नहीं है। अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

चौरासी क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

577. **श्री शंकरलाल अहारी** (चौरासी): क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चौरासी विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण हुआ है, तथा अब तक कितने गांवों में विद्युत लगा दी गई है?

(2) विद्युतीकरण में घोषित कितने गांवों में बिजली आनी बाकी है? इन गांवों में कब तक बिजली आ जावेगी?

(3) वर्ष 1985-86 में कितने गांवों में और बिजली की योजना है?

उत्तर

(1) चौरासी विधान सभा क्षेत्र में कुल

(ऊर्जा मंत्री)

248 ग्राम हैं; जिसमें से माह मार्च, 1985 तक 171 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है, जिनमें से 115 ग्रामों में विद्युत कनेक्शन हैं।

(2) उक्त क्षेत्र में 19 और ग्रामों का विद्युतीकरण करना स्वीकृत है, जो अगले वर्षों में धन एवं विद्युत की उपलब्धि पर निर्भर करेगा।

(3) वर्ष 1985–86 के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। अभी उक्त कार्यक्रम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अतः ग्रामों के विद्युतीकरण के सन्दर्भ में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

लाडनूं तहसील में अग्नि पीड़ितों की सहायता

578. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि कलेक्टर नागौर ने, दिनांक 20-4-1983 के तहसील लाडनूं के कुछ व्यक्तियों को अग्नि पीड़ित सहायता स्वीकृति की ? यदि हां, तो किन-किन को कितनी-कितनी राशि स्वीकृति की ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त राशि का भुगतान कब-कब किसके द्वारा किया गया ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सहायता राशि देने में अत्यधिक देरी हुई है और जिलाधीश, नागौर के कार्यालय में कुछ प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं ? यदि हां, तो किस स्टेज पर और क्यों ? तथा इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

(4) क्या सहायता राशि देने की कोई प्रक्रिया या नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उनका अनुसरण किया गया ? कृपया नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां, जिलाधीश, नागौर ने दिनांक 20-4-83 को तहसील लाडनूं के 7 व्यक्तियों को अग्नि पीड़ित सहायता स्वीकृत की थी। जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उपरोक्त राशि का भुगतान दिनांक 5-7-85 को किया जा चुका है।

(3) जिला कार्यालय में अग्नि पीडित परिवारों के कुल 360 प्रार्थना-पत्र विचाराधीन थे। उक्त 360 अग्नि पीड़ित परिवारों को बजट के अभाव में जिलाधीश द्वारा सहायता राशि स्वीकृत नहीं की गई जिलाधीश नागौर को सहायता विभाग द्वारा दिनांक 15-7-85 को अग्नि सहायता मद में 1,40,000 रुपये का आवंटन किया जा चुका है।

(4) जी हां, अनुदान राशि स्वीकृत करते समय अधिसूचना में अंकित निर्देशों की पालना की जाती है। नियमों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

42

(सहायता मन्त्री)

(सूची एवं नियमों की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

कनिष्ठ लिपिकों के कार्य

579. **श्री मालाराम** (खेतड़ी) : क्या कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार के कार्यालयों/विभागों में नियमों के अन्तर्गत कनिष्ठ लिपिकों के क्या कार्य निर्धारित हैं ? कृपया संबंधित नियमों की प्रति सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार के कतिपय कार्यालय/विभागों में कनिष्ठ लिपिकों से वरिष्ठ लिपिक एवं सहायक (आफिस असिस्टेन्ट) का कार्य भी लिया जा रहा है ? यदि हां तो क्यों ?

(3) शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर में कनिष्ठ लिपिक का क्या-क्या कार्य निर्धारित है तथा सामान्यत: कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक के पद पर कितने समय में पदोन्नति हो जाती है ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) नियमों के अन्तर्गत कार्य निर्धारित नहीं हैं। लेकिन राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में निर्देश जरूर जारी किये गये हैं।

(2) सामान्यत: कनिष्ठ लिपिकों से वरिष्ठ लिपिक एव सहायक (आफिस असिस्टेन्ट) का कार्य नहीं लिया जाता है। किसी वरिष्ठ लिपिक के अवकाश पर होने अथवा कार्यालय में लिपिकों की संख्या कम होने की स्थिति में विशेष परिस्थितियों में या राज्यहित में आवश्यकता होने पर कनिष्ठ लिपिकों से वरिष्ठ लिपिक का कार्य लिया जा सकता है।

(3) राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 2 (20) कार्मिक (व्य. एवं प.)/60 दिनांक 20/6/60 एवं प. 2 (5) व्य. एवं प./71 दिनांक 20/1/72 के अनुसार सचिवालय में कनिष्ठ लिपिकों के लिये निम्न कार्य निर्धारित हैं :—

1. डायरी करना।
2. डिस्पेच करना।
3. टंकण (हिन्दी एवं अंग्रेजी)
4. पत्रावलियों को रिकार्ड करना।
5. अनुभाग में कार्यरत कर्मचारियों की छुट्टी संबंधी रिकार्ड रखना।
6. निर्धारित रिटर्न्स भिजवाना तथा
7. जो कार्य अनुभागाधिकारी द्वारा विशेष तौर पर सौंपा जाय उसे सम्पादित करना।

आदेशों की प्रतिलिपियां संलग्न हैं। कनिष्ठ लिपिक के पद से वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति में सामान्यत: लगभग 8-9 वर्ष का समय लग जाता है।

(आदेशों की प्रतिलिपियों के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

गांधीनगर-जयपुर के राजकीय आवास

580. **श्री काली चरण सर्राफ** (जौहरी बाजार) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकारी कालोनी गांधी नगर, जयपुर में एच. टाइप क्वार्टर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अतिरिक्त लिपिक वर्गीय कितने कर्मचारी कब से आवास कर रहे हैं ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या उक्त कर्मचारियों के आवास गृह बदलने के राज्य सरकार के पास प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो किस-किस के कब से हैं ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या उक्त को प्राथमिकता के तौर पर स्तरानुसार मकान देने हेतु सरकार सचेष्ट है ? इनमें से प्रत्येक को कितने आवास रिक्त होने पर कब तक आवास आवंटित कर दिये जायेंगे ?

(4) क्या अपंग कर्मचारियों को मकान बदलने में प्राथमिकता नहीं दी जाती है ? यदि दी गई है, तो अब तक कितने कर्मचारियों को दी गई ? यदि नहीं, तो कितने अपंग कर्मचारियों के आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) गांधीनगर जयपुर में एच व जी टाइप के आवास पंचम श्रेणी के आवासों की श्रेणी में आते हैं। 800/– रुपये तक मासिक मूल वेतन पाने वाला कर्मचारी पंचम श्रेणी आवास का पात्र होता है। जो 942 में बदलने हेतु श्री ओम प्रकाश जोशी, वरिष्ठ लिपिक व श्री बी. एल. सोनी, क. लि. ने आवेदन पत्र दिया। जी 942 आवास श्री ओम प्रकाश जोशी, व. लि. को आवंटित किया गया। श्री महादेव प्रसाद विजय, मुद्रक तथा श्री प्रहलाददास पारीक, क. लि. ने जो 753 आवास परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र दिया। जी-753 आवास श्री महादेव प्रसाद विजय को आवंटित किया गया। श्री प्रहलाद दास पारीक व श्री बी. एल. सोनी, क. लि. ने आवास विशेष में परिवर्तन हेतु आवेदन पत्र दिया था उन आवासों के अन्य व्यक्तियों को आवंटन होने पर उनके आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही शेष नहीं रही। श्री किशनलाल भाटिया, क. लि. जो एच-527 में रहते हैं, पंचम श्रेणी आवास में बदलने हेतु आवेदन दिया है।

(3) आवास रिक्त उपलब्ध होने पर आवास परिवर्तन हेतु मेरिट के आधार पर निर्णय लिया जायेगा। एच टाइप में रहने वाले कर्मचारी को पंचम श्रेणी आवास में बदलने का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उनके द्वारा चाहा गया आवास उपलब्ध होने की दशा में मेरिट के आधार पर आवास बदलने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसके लिये कोई प्राथमिकता सूची तैयार नहीं की जाती है।

• अपंग व्यक्तियों को मकान बदलने हेतु प्राथमिकता देने के संबंध में नियमों में कोई प्रावधान नहीं है परन्तु फिर भी कोई अपंग व्यक्ति किन्हीं कारणवश आवास बदलने हेतु आवेदन पत्र देता है तो उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय लिया जाता है।

44

(सामान्य प्रशासन मन्त्री)

(4) श्री महेश चन्द्र अग्रवाल, क. लेखाकार जो अपंग हैं इन्होंने एफ-19, गांधी नगर से एफ-480 गांधी नगर में आवास बदलने हेतु आवेदन पत्र दिया था इस पर इन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश संख्या एफ 1 (60) सा. प्र./2/80 दिनांक 29/10/1984 द्वारा आवास बदलने की अनुमति प्रदान की गई परन्तु बाद में श्री महेश चन्द्र अग्रवाल, क. लेखाकार ने पहले वाले राजकीय आवास में ही रहना पसन्द किया। वर्तमान में किसी अपंग व्यक्ति का आवेदन पत्र राजकीय आवास बदलने हेतु विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

निवाई के ग्रामों के विद्यालयों का निर्माण

581. **श्री ग्यारसीलाल** (निवाई): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत छुरिया, तहसील निवाई चतुर्भुजपुरा, केरिया की ढाणी तथा जोधपुरिया देवस्थान के लिए गत वर्ष कुए तथा स्कूल निर्माण आदि के लिये राशि स्वीकृत हुई है ?

(2) यदि हां, तो कितनी राशि किस-किस निर्माण कार्य में किसके द्वारा खर्च की गयी ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

मांवडा कलां (नीम का थाना) का विद्युतीकरण

582. **श्री सुन्दर लाल** (सूरजगढ़): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मांवडा कलां तहसील नीम का थाना, जिला सीकर को विद्युतीकृत कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम के कुछ मोहल्लों में तार लाइन अभी तक नहीं बिछाई गई है ? यदि हां, तो ऐसे मोहल्लों की सूची कृपया सदन पटल पर रखें।

(3) अब सरकार उक्त मोहल्लों में कब तक बिजली के तार बिछाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि ग्राम मांवडा कलां (कोड नं. 9/4/41) तहसील नीम का थाना जिला सीकर दिनांक 31.10.1976 से विद्युतिकृत है।

(2 व 3) मण्डल में विद्युतिकृत ग्रामों में लाइनों का विस्तार मांग व व्यय की उपादेयता को ध्यान में रखते हुये प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। इनका मोहल्लेवार विवरण नहीं रखा जाता। उक्त ग्राम में 139 सभी श्रेणी के विद्युत कनेक्शन विभिन्न मोहल्लों में दिनांक 17.7.1985 तक दिये गये हैं। दिनांक

(विद्युत मंत्री)

17.7.1985 को उक्त गांव में विभिन्न श्रेणी के 87 आवेदन विचाराधीन थे।

हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

584. श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मण्डी) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण के संबंध में अब तक राज्य सरकार द्वारा क्या-क्या और कब-कब घोषणाएं की गई हैं?

(2) इस संबंध में कोई नीति व आदेश संबंधी परिपत्र कब-कब निकाले गये? कृपया ऐसे आदेश व परिपत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार ने हरिजन बस्तियों का सर्वेक्षण कराया है? यदि हां, तो ऐसे सर्वेक्षण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) इन हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण की क्या परिभाषा है और क्या आधार है? इस आधार व परिभाषा के अनुसार अब तक कितनी बस्तियों का विद्युतीकरण हो चुका है, और कितनी शेष हैं?

उत्तर

(1) विद्युतिकृत ग्रामों की हरिजन बस्तियों से संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा मांग करने पर विद्युतिकरण करने के आदेश पहले से दिये जा चुके हैं। वर्ष 1982 में राज्य सरकार ने घोषणा की कि नये ग्रामों का विद्युतीकरण करते समय पहला ट्रांसफार्मर हरिजन बस्तियों के यथा सम्भव नजदीक लगाये जायें जिससे ग्रामों के साथ हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण भी किया जा सके।

(2) वर्ष 1981-82 में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र निर्देश तथा उनकी अनुपालनार्थ मण्डल के आदेशों की प्रतिलिपियां सूची "अ" "ब" एवम् "स" संलग्न हैं।

(3) हरिजन बस्तियों का सर्वेक्षण समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। अतः प्रश्न समाज कल्याण विभाग से संबंधित है।

(4) राज्य में हरिजन बस्तियों/मोहल्लों की परिभाषा निम्न प्रकार है :—

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में —

1. ऐसी बस्ती/मोहल्लों जिसमें परिवारों की न्यूनतम संख्या 20 हो।

2. ऐसी उक्त बस्ती/मोहल्लों में 75% जन संख्या अनुसूचित जाति की हो।

3. ऐसी बस्ती/मोहल्लों में यदि दो या दो से अधिक अनुसूचित जाति की विभिन्न उपजातियों पास-पास (शामिल) रहती हो तो वह एक ही बस्ती/मोहल्ला माना जावेगा।

(ख) शहरी क्षेत्रों में हरिजन बस्ती/मोहल्लों के लिये भी उपरोक्त परिभाषा ही लागू होगी किन्तु उनमें परिवारों की संख्या न्यूनतम 50 होना अनिवार्य होगी।

(विद्युत मंत्री)

अब तक 8914 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। राज्य में कुल हरिजन बस्तियों की जानकारी विद्युत विभाग में उपलब्ध नहीं है। इसकी जानकारी समाज कल्याण विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

(आदेशों की प्रतिलिपि के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

जिला परिषद्, अजमेर की बैठकें

585. **श्री चुन्नीलाल मेघवाल** (सुजानगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत पांच वर्षों में जिला परिषद्, अजमेर की बैठकें कब-कब आमंत्रित की जाकर सम्पन्न हुई, और उनमें कौन-कौन जन प्रतिनिधि उपस्थित हुये तथा उनको कितना-कितना यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता कब-कब चुकाया गया? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

निजी क्षेत्र में खण्डसारी उद्योग की स्थापना

586. **श्री हंसराज मिढ़ा** (सूरतगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला श्रीगंगानगर की तहसील अनूपगढ़ में कृषि उत्पाद गन्ना की खरीद श्रीगंगानगर चीनी मिल द्वारा की जाती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या दूसरी चीनी मिल खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्या सरकार खण्डसारी उद्योग लगाने की मंजूरी निजी क्षेत्र में प्रदान करेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। जिला श्रीगंगानगर की तहसील अनूपगढ़ के क्षेत्र सरूपसर, 9 जी. बी. (रघुनाथ गढ़) श्री विजय नगर एवं रामसिंहपुरा से श्रीगंगानगर शुगर मिल द्वारा वर्ष 1982-83 तक गन्ना क्रय किया जाता था किन्तु उक्त केन्द्रों की दूरी फैक्ट्री से 100 किलो मीटर से अधिक होने के कारण, गन्ने की ढुलाई में लागत अधिक आने एवं ढुलाई के दौरान गन्ने के सूख जाने के कारण वर्ष 1983-84 से गन्ना क्रय करना बन्द कर दिया था।

(2) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता। अनारक्षित क्षेत्र में खाण्डसारी उद्योग लगाने हेतु राजस्थान खाण्डसारी शुगर मैन्यूफैक्चरर्स लाईसेन्सिंग आर्डर 1974 के अन्तर्गत वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करने पर लाइसेन्स दिया जा सकता है।

मताधिकार से वंचित क्षेत्र

587. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(चुनाव मंत्री)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां की जनता को मताधिकार न तो पंचायत क्षेत्र में है और न ही नगरपालिका व नगर परिषद् क्षेत्र में है ?

(2) यदि हां, तो जांच क्यों नहीं करवाई गई ? कृपया ऐसे क्षेत्रों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सवाईमाधोपुर सीमेंट फैक्ट्री क्षेत्र किसी पंचायत या नगर पालिका में नहीं है। इस क्षेत्र को सवाईमाधोपुर नगर पालिका में मिलाने का प्रश्न स्वायत्त शासन विभाग के विचाराधीन है। बांदीकुई रेल्वे कालोनी भी पंचायत व नगर पालिका में शामिल नहीं होना बताया गया है उस तथ्य की पूरी जांच की जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(2) इसका उत्तर भाग एक में दिया जा चुका है।

जैसलमेर नगर में प्रदूषण रहित उद्योग

588. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने हाल ही में ऐसे निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत जैसलमेर नगर की चालीस किलोमीटर की परिधि में प्रदूषण रहित उद्योग लगाये जा सकेंगे ?

(2) क्या उक्त प्रकार के निर्देश प्राचीन स्थापत्य कला नष्ट होने से बचाये जा सकने को मद्देनजर रखते हुए दिये गये ?

(3) क्या जिला प्रशासन द्वारा लघु उद्योगों की स्थापना की ओर ध्यान आकर्षित करने पर उक्त हिदायतें दी गई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई, एवं कितनी सफलता मिल पाई ?

उत्तर

(1) जी हां।

परन्तु उन पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

(2) जी हां।

अन्य के अलावा यह भी एक उद्देश्य था।

(3) जी नहीं।

यह मामला पूर्व से ही भारत सरकार व राज्य सरकार के विचाराधीन था और मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित की गई समिति इस मामले पर विचार कर रही है और शीघ्र ही निर्णय लेगी।

सड़कों व चौराहों का यातायात की दृष्टि से विकास

590. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उसके नियंत्रणाधीन नगर की मुख्य सड़कों को चौड़ी करने, जे. डी. ए. द्वारा अनुमोदित योजनानुसार चौराहों का याता-

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

यात की दृष्टि से विकास करने, पुल निर्माण करने व सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था करने की योजना जयपुर शहर के लिए बनाई गई है ? यदि हां, तो कब ? व इसके लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

(2) जयपुर शहर में यातायात की दृष्टि से कहां-कहां पुलिया प्राथमिकता के आधार पर बनाई जानी आवश्यक है ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें ।

(3) जे. डी. ए. से अनुमोदित एवं स्वीकृति प्राप्त शहर में यातायात की दृष्टि से बस व ट्रक स्टेण्ड कहां-कहां प्रस्तावित हैं ? और उनके बनाये जाने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही अब तक प्रारंम्भ की गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । जयपुर शहर के विकास की योजनायें जे. डी. ए. द्वारा ही बनाई जाती हैं ।

(2) बाइस गोदाम पर रेल्वे ओवरहैड पुल की विशेष आवश्यकता है जिसके बारे में रेल्वे से पत्राचार हो रहा है ।

(3) बस व ट्रक स्टेण्ड आदि बनाने की जिम्मेदारी जे. डी. ए. नगर पालिका रोडवेज आदि की है ।

हिन्दुस्तान केबिल्स लि. द्वारा उद्योग की स्थापना की पेशकश

591. **श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़)** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रीको लिमिटेड के द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान केबिल्स लि. (भारत सरकार का उपक्रम) राजस्थान में आप्टिकल फाइबर केबिल्स एवं आप्टिकल लाइस सिस्टम से सम्बन्धित उद्योग लगाना चाहता है ? यदि हां, तो इसकी क्या शर्तें हैं और इसके लिए स्थान चयन का प्रस्ताव कहां कहां के लिए विचाराधीन है और कब तक इसका अन्तिम निर्णय होने की सम्भावना है ?

(2) क्या झुंझुनूं जिले में भी उक्त उद्योग लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि मैसर्स हिन्दुस्तान केबिल्स लि. आप्टिकल, लाइस सिस्टम से संबंधित उद्योग राजस्थान में लगाना चाहता है । हिन्दुस्तान केबिल्स लि. के अनुसार यह उद्योग ऐसे स्थल पर लगाया जाना चाहिए जहां निम्नलिखित अर्हतायें उपलब्ध हों :—

1. वातावरण शुष्क एवं धूल रहित हो ।

2. साधारण तापक्रम हो ।

3. स्थल के आस पास हरियाली हो ।

4. स्थल के आस पास आवश्यक औद्योगिक एवं सामाजिक आधारभूत सुविधाएं हों ।

उपरोक्त अनुसार उदयपुर, अलवर, जयपुर एवं कोटा पर स्थल प्रस्तावित किये गये हैं इन्हीं स्थलों में से एक स्थल का उद्योग स्थापना हेतु चयन किया जायेगा ।

(उद्योग मंत्री)

(2) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

हिन्दुस्तान केमिल्स द्वारा इस कारखाने की लागत पूंजी 30 करोड़ रुपये दर्शाई गई है।

बाम्बे हाई गैस पर आधारित खाद का कारखाना

592. **श्री फूलचन्द** (नीमकाथाना)
श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि बाम्बे हाई की गैस पर आधारित खाद कारखाने राजस्थान में लगाने के लिए जनता सरकार ने केन्द्र को लिखा था ?

(2) यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई, तथा राज्य सरकार ने इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही की है ?

(3) यदि सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) भारत सरकार द्वारा जुआरी एग्रो केमीकल्स लिमिटेड, जुआरी नगर (गोवा) के पक्ष में जिला सवाई माधोपुर के ग्राम विलोपा के निकट उक्त प्लान्ट स्थापित करने हेतु आशय पत्र दिनांक 16.10.1984 को जारी किया जा चुका है। इकाई द्वारा सर्वे कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा इकाई को 236 बीघा राजकीय भूमि आवंटित की जा चुकी है एवं निजी भूमि की अवाप्ति हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

इन्दिरा गांधी मुख्य नहर में लाइनिंग का कार्य

593. **श्री शोपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी मेन कैनाल में जब सन् 1984 में पानी छोड़ा गया तो नहर कई जगहों से टूट गई थी ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि जहां से नहर टूटी वहां पर नहर में लाइनिंग का काम नहीं हुआ था ?

(3) उक्त उद्योग की लागत पूंजी कितनी होगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) व (3) प्रश्न नहीं उठता।

जोहड़, नाडियों आदि की खुदाई के कार्य

594. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वक्त राज्य के बीकानेर, चूरू नागौर आदि जिलों में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत जोहड़ नाडियों आदि की खुदाई के कार्यों की

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

स्वीकृति दी गई है ? यदि हां, तो जोहड़ व नाडी का नाम, ग्राम व तहसील, व जिलेवार मय धनराशि, जिसकी स्वीकृति दी गई है की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उपरोक्त जोहड़ नाड़ियों के लिए अधिक धनराशि स्वीकृत कर पक्का बनवाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी जोहड व नाडियों को पक्का बनवाने का सरकार का इरादा है ?

उत्तर

(1) राज्य के बीकानेर, चूरू, नागौर जिलों में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत जोहड़, नाड़ियों आदि के खुदाई कार्यों की दी गई स्वीकृति की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जोहड़, नाडियों को पक्का बनाने के लिए अधिक धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर

595. **श्रीमती रतनकंवर** (शेरगढ़), **श्री देवी सिंह भाटी** (कोलायत) : क्या जेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर के खिलाफ बन्दियों की कितनी शिकायतें जनवरी, 1984 से मई, 1985 तक विभाग को प्राप्त हुई हैं ? कृपया प्राप्त शिकायतों की प्रति सदन के पटल पर रखें। इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर में बंदियों के मनोरंजन के लिए रेडियो की सुविधा उपलब्ध है ? यदि हां, तो कारागृह में किस स्थान पर रेडियो लगाया हुआ है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने बंदियों को खाने पीने के बर्तन, मनोरंजन के साधन समाचार-पत्र पुस्तकालय, साबुन, तेल, इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध की हुई है ? पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें उपलब्ध है ? तथा वर्ष 1980 से अप्रेल, 1985 तक कौन-कौन सी पुस्तकें खरीदी गई हैं ? कृपया केन्द्रीय कारागृह में बंदियों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 1984 से मई, 1985 तक केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर के खिलाफ बंदियों की 10 शिकायतें प्राप्त हुई जिनकी प्रतिलिपियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं। इन शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी हां। केन्द्रीय कारागृह बीकानेर की लाइब्रेरी में रेडियो लगाया हुआ है।

(3) जी हां। केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर के पुस्तकालय में 1579 पुस्तकें उपलब्ध हैं। धनाभाव के कारण 1980 से अप्रेल, 1985 तक केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर के पुस्तकालय हेतु पुस्तकें क्रय नहीं की गई हैं। कारागृह में बंदियों को उपलब्ध कराई हुई सुविधाओं का विवरण (परिशिष्ट "ख"

(जेल मंत्री)

पर) सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

खातोली व इन्द्रगढ़ में छात्रावास

596. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खातोली तथा इन्द्रगढ़ के विभिन्न स्कूलों में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति तथा जनजाति के छात्रों की संख्या को देखते हुए वहां पर समाज कल्याण छात्रावास खोले जाने की मांग समय-समय पर की जाती रही है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त स्थानों पर समाज कल्याण विभाग के छात्रावास खोलने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वित्तीय साधन होने पर छात्रावास खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

तिजारा क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापक

597. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र तिजारा में प्राथमिक शालाओं में कितने अध्यापक हैं ?

(2) कक्षा 5 तक कितने छात्र अध्ययन कर रहे हैं, और एक अध्यापक कितने छात्रों पर है ?

(3) शिक्षकों की कमी है, तो उसके क्या कारण हैं, तथा सरकार इस संबंध में क्या उपाय कर रही है ?

उत्तर

(1) तिजारा विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक शालाओं में 305 अध्यापक कार्यरत हैं।

(2) गत शिक्षा सत्र के अन्त में 15022 छात्र अध्ययन कर रहे थे। इस प्रकार 49 छात्रों पर एक अध्यापक आता है।

(3) पंचायत समिति, तिजारा से प्राप्त सूचना के अनुसार एक अध्यापक के पद की कमी है। अतिरिक्त अध्यापकों के पदों की मांग शिक्षा विभाग से की गई है। स्वीकृति आने पर ही पद का आवंटन किया जाना सम्भव होगा।

विद्युत मण्डल, नावां द्वारा जारी कनेक्शन्स

598. **श्री हरीशचन्द्र कुमावत** (नावां) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नावां तहसील में विद्युत मण्डल कार्यालय सहायक अभियन्ता, (रा. ई. सी. एवं डी. पी. ए. पी.) में कितने काश्तकारों के कुओं एवं घरेलू कनेक्शनों के लिए सिक्युरिटी राशि जमा की गई है ? ऐसे लोगों के कनेक्शन्स अब तक क्यों नहीं किए गए हैं ?

52.

(श्री हरीश चन्द्र कुमावत)

(2) नावां तहसील क्षेत्र के कितने लोगों के मीटर खराब हैं तथा कितने लोगों ने मीटर बदलवाने की फीस जमा करा रखी है ? ऐसे लोगों के मीटर अब तक क्यों नहीं बदले गये हैं ?

(3) जिन लोगों के मीटर चालू नहीं हैं, उनमें ऐवरेज चार्ज प्रति हार्सपावर 100 यूनिट विद्युत खर्च बताया जाकर वसूली की कार्यवाही किस आधार पर की जा रही है, जबकि फ्लेट रेट भी इस दर से कम पड़ती है ?

(4) क्या कार्यालय सहायक अभियन्ता (आर.ई.सी.) कुचामन सिटी द्वारा काश्तकारों के वसूली बिल मनमाने ढंग से बनाये जाते हैं ? तथा राशि जमा कराने के समय उनमें रद्दोबदल किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) नावां तहसील के कितने काश्तकारों द्वारा भार कम कराने के लिये आवेदन प्रस्तुत किये हुए हैं ? उनमें कितने काश्तकारों के मामलों का निस्तारण किया गया है ?

उत्तर

(1) नावां तहसील के कार्यालयों सहायक अभियन्ता (ग्रा. वि. नि.) तथा डी. पी. ए. पी. में जितने आवेदकों द्वारा कुओं एवं घरेलू कनेक्शनों की सिक्यूरिटी राशि जमा कराई गई है उसका विवरण निम्न प्रकार है:—

सहायक अभियन्ता (ग्रा. वि.)	डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा	एल. फार्म प्राप्त
(अ) कृषि	43	43
(ब) घरेलू	192	174
सहायक अभियन्ता (डी.पी.ए.पी.)		
(अ) कृषि	8	8
(ब) घरेलू	497	16

योजना मद में उपलब्ध वित्तीय साधनों के आधार पर फेज प्रोग्राम बनाकर पंचायत समितिवार कृषि कनेक्शन हेतु लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं, तदनुसार कनेक्शन दिये जाते हैं। उपरोक्त में से जिन कृषि उपभोक्ताओं द्वारा डिमाण्ड नोटिस की राशि दिनांक 31-3-1985 तक जमा करा दी है, उनको कनेक्शन देने के निर्देश हाल ही में प्रसारित किये जा चुके हैं। घरेलू कनेक्शन हेतु उपलब्ध वित्तीय साधनों के आधार पर कनेक्शन दिये जाते हैं।

(2) नावां तहसील में कार्यालय सहायक अभियन्ता (ग्रा.वि.नि.) में कुल 755 मीटर खराब हैं इनमें से 99 लोगों द्वारा जले हुए मीटरों की कीमत जमा करवाई

(विद्युत मंत्री)

है इनमें से 76 मीटर बदले जा चुके हैं तथा शेष बदले जाने का कार्य प्रगति पर है। कार्यालय सहायक अभियन्ता (डी.पी.ए.पी.) के अधीन क्षेत्र में कुल 492 मीटर खराब हैं जिनमें से 23 उपभोक्ताओं द्वारा जले हुए मीटरों की कीमत जमा करवाई गई है। इन सभी उपभोक्ताओं के तथा शेष में 91 मीटर बदले जा चुके हैं। शेष उपभोक्ताओं के मीटर बदले जाने का कार्य प्रगति पर है।

(3) इस क्षेत्र में ऐसी कोई वसूली नहीं की गई है।

(4) काश्तकारों के वसूली बिल उपभोग के अनुसार ही बनाये जाते हैं परन्तु कभी किसी प्रकार की त्रुटि सूचित किये जाने पर जांच के उपरान्त आवश्यक सुधार किया जाता है।

(5) नावां तहसील के कुल 137 उपभोक्ताओं ने भार कम कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये उनमें से 61 फाइलों का निस्तारण किया गया है। शेष की प्रक्रिया चालू है।

गाडूलिया लुहारों हेतु आवासीय कालोनी

599. **श्री जगजीतसिंह** (किशनगढ़) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या किशनगढ़ चमड़ाघर रूपनगढ रोड पर गाडूलिया लुहारों के लिये आवासीय कालोनी का निर्माण किया गया था ? यदि हां, तो कब, और कितने वर्ग गज भूमि में उक्त कालोनी का निर्माण हुआ ?

(2) क्या उक्त कालोनी में रहने वाले लुहारों को उनके मकानों के पट्टे दिये गये हैं ? यदि हां, तो किस वर्ष में ? यदि नहीं, तो सरकार अब कब तक उनको पट्टे उपलब्ध करायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं, वर्ष 1959–60 तथा 63–64 में क्रमश: 15 एवं 16 गाडूलिया लुहारों को भवन निर्माण हेतु सहायता दी गई थी।

(2) जी नहीं, इस सम्बन्ध में उप जिलाधीश, किशनगढ़ से निवेदन किया गया है।

सुमेरपुर–तखतगढ़ सड़क

600. **श्रीमती बीना काक** (सुमेरपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सुमेरपुर से तखतगढ़ सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

उत्तर

सुमेरपुर से तखतगढ़ सड़क बनी हुई है। इस समय इस सड़क के कुछ हिस्सों में विशेष मरम्मत का कार्य इस वर्ष दिसम्बर माह तक पूरा हो जायेगा।

सोम कागदर सिंचाई परियोजना

601. **श्री दयाराम परमार** (खैर-

54

(श्री दयाराम परमार)

वाड़ा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि सोम कागदर सिचाई परियोजना के निर्माण कार्यों पर अधिक धन व्यय न करके स्पेयर पार्ट्स की खरीद पर अधिक खर्चा किया जाता है ?

(3) विगत एक वर्ष के दौरान इस परियोजना पर स्पेयर पार्ट्स खरीद कर कितनी राशि व्यय की गई और उन स्पेयर पार्ट्स का उपयोग कहां-कहां किया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) विगत वर्ष के दौरान इस खण्ड द्वारा परियोजना पर कुल 3·61 लाख के स्पेयर पार्ट्स खरीदे गये जिनका उपयोग परियोजना में उपयोग में लाई जाने वाली निम्न मशीनों एवं वाहनों में उपयोग किया गया:—

1. टाटा ट्रक (पांच)

2. बेडफोर्ड ट्रक (तीन)

3. कंक्रीट मिक्चर 10/7 सी.एफ.टी. (दस)

4. वाइब्रेटर (छः)

5. वॉटर पम्प चौदह हार्स पावर

6. वाटर पम्प दस हार्स पावर

7. वाटर पम्प 5 एच.पी.

8. हिन्दुस्तान ट्रैक्टर 50 एच. पी. (चार)

जनजाति विकास निगम द्वारा नियंत्रित चीनी का व्यापार

603. **श्री नवनीतलाल नीनामा** (घाटोल) : क्या जनजाति विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान जनजाति विकास निगम द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालय डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाडा के माध्यम से नियन्त्रित चीनी का व्यापार किया जाता है ? यदि हां, तो अप्रेल 1983 से अप्रेल 1985 तक कितना व्यापार किया ? कृपया माहवार सूची तीनों क्षेत्रीय कार्यालयानुसार सदन के पटल पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा समय पर माल नहीं उठाने से अप्रेल, 1983 से अप्रेल, 1985 तक किस-किस रेल्वे स्टेशनों पर कितना-कितना डेमरेज देना पड़ा ? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

(3) क्या विभाग इस मामले में दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक व क्या ?

उत्तर

(1) जी हां, अप्रेल, 1983 से अप्रेल, 1985 में किये गये नियन्त्रित चीनी के व्यापार की माहवार तीनों क्षेत्रीय कार्यालय अनुसार सूची परिशिष्ठ-1 सदन के पटल पर रख दी गई है।

(जनजाति विकास मंत्री)

(2) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अप्रेल, 1983 से अप्रेल, 1985 तक उदयपुर में 2,639.00 रुपये एवं डूंगरपुर में 1,58,479.40 रुपये वारफेज/डिमरेज के रेल्वे स्टेशनों पर चुकाये। सूची परिशिष्ट-2 संलग्न है।

(3) जी हां, संघ इस मामले में दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा है। विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

कोटा थानों में कार्यरत पुलिस कर्मी

६०५ **श्री प्रतापसिंह** (छबड़ा) व

श्री प्रभूलाल (नैनवा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले के थाना छबडा, छीपाबड़ोद, बापचा, हरनावदाशाहजी व कवाई में कितने पुलिसकर्मी दो साल से अधिक समय से कार्यरत हैं?

(2) क्या यह राज्य सरकार के नियमों के विपरीत है?

उत्तर

(1) कोटा जिले के थाना छबड़ा पर सहायक उप निरीक्षक 1, मुख्य आरक्षी 1, आरक्षी 14, थाना छीपाबड़ोद पर सहायक उप-निरीक्षक 1, मुख्य आरक्षी 1 व आरक्षी 12, थाना बापचा पर आरक्षी 13, थाना हरनावदाशाहजी पर आरक्षी 13, एवं थाना कवाई पर मुख्य आरक्षी 2 व आरक्षी 4 दो वर्ष से अधिक की अवधि से कार्यरत हैं।

(2) जी नहीं।

श्रीनगर-पीसांगन के हैण्ड पम्प्स

605. **श्री गोविन्दसिंह** (नसीराबाद) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, श्रीनगर व पीसांगन में कुल कितने हैण्ड पम्प लगे हैं? कृपया ग्रामवार सूची प्रस्तुत करें।

(2) इन हैण्ड पम्पों में तारीख 30-6-1985 को कितने खराब थे? खराब में कितने मेजर मरम्मत के व कितने माइनर मरम्मत के हैं?

(3) खराब पड़े हैण्ड पम्प कब तक ठीक कर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, श्रीनगर में 381 एवं पीसांगन में 308 हैण्ड पम्प लगे हुये हैं जिनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) पंचायत समिति में नियुक्त हैण्ड पम्प मिस्त्री द्वारा माइनर खराबी यथा समय ठीक कर दी जाती है व मेजर खराबी को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा ठीक कराया जाता है जिसके लिये लिख दिया गया है।

(सूचियों के लिये कृपया परिशिष्ट 18 देखें)

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा सीमेंट खम्भों की खरीद

606. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने वर्ष 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83 तथा जुलाई, 1983 में कितने सीमेन्ट के खम्भे खरीदे ? कृपया वर्षवार विवरण मय प्रतिपोल कीमत सदन के पटल पर रखें।

(2) राज्य में निजी क्षेत्र में 46 सीमेन्ट खम्भे बनाने के कारखाने कहां-कहां हैं? क्या विद्युत मण्डल के एक करोड़ की लागत के 96 कारखाने बन्द हैं ? यदि हां, तो मण्डल के कारखाने किन कारणों से बन्द पड़े हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जून, 1981 में बानसूर जिला अलवर में 495 खम्भों की हेराफेरी का माल पकड़ा गया था जिसमें बिना खम्भे प्राप्त किये विभाग ने भुगतान कर दिया था ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विभाग द्वारा अब तक क्या कार्य-वाही की गई है ?

(4) क्या यह सही है कि बानसूर कांड के बाद राज्य के 8 अन्य जिलों में भी ऐसे मामले पकड़े गये ? यदि हां, तो उस पर क्या विभागीय व कानूनी कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष वार खरीदे गये खम्भों की संख्या व दर प्रति खम्भा बताते हुए विवरण सूची "क" में संलग्न है।

(2) राज्य में उक्त अवधि में निजी क्षेत्र में 51 सीमेन्ट के पी. सी. सी. खम्भे बनाने वाली फर्में थीं, जिसका विवरण सूची "ख" में संलग्न है। विद्युत मण्डल की 40 पोल फैक्ट्रियों का कार्य अनार्थिक पाये जाने व अन्य प्रशासनिक कारणों से उन्हें मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार बन्द कर दिया गया था।

(3) इस प्रकरण में प्राथमिक जांच के आधार पर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध ता. हि. की धारा 409, 467, 420, 468 एवं 120 बी के तहत थाना अधिकारी, थाना पुलिस बानसूर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 31-5-81 को दर्ज कराई गई थी। श्री जी.बी. उपाध्याय, सहायक अभियन्ता को दिनांक 22-5-81 को निलम्बित कर दिया गया था। (जिन्हें बाद में दिनांक 6-9-84 को लम्बित जांच बहाल कर दिया गया)। इस मामले में मुख्य दोषी श्री जी. बी. उपाध्याय, सहायक अभियन्ता एवं श्री भगवान सहाय खण्डेलवाल, स्टोर कीपर को रा. रा. वि. म. (कर्मचारी) वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) विनियमन 1962 के नियम 7 के अन्तर्गत आरोप-पत्र दिये जा चुके हैं। श्री जी. बी. उपाध्याय ने अपने आरोप पत्र का उत्तर प्रस्तुत कर दिया है। श्री बी. एस. खण्डेलवाल का उत्तर प्रतीक्षित है।

(ऊर्जा मंत्री)

(4) जी नहीं, उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसे कोई मामले नहीं पकड़े गये।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 19 देखें)

स्थगित प्रश्न

(11-7-1985)

ग्राम पंचायतों को अनुदान

250. **श्री नारायणराम बेड़ा** (मोगलगढ़) : क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य में ऐसी कितनी ग्राम पंचायतें हैं, जिनको वर्ष 1981-82 से आज तक अनुदान राशि नहीं मिली है? कृपया नामों की सूची सदन की मेज पर रखें। अनुदान नहीं दिये जाने का क्या आधार है?

(2) जोधपुर जिले में ओसियां पंचायत समिति के अधीन ऐसी कितनी प्राथमिक पाठशालाएं हैं, जो आबादी गांव के नाम से स्वीकृत हैं, लेकिन गांव की आबादी क्षेत्र में नहीं खोल कर अन्य स्थान यानि ढाणियों में चालू की गयी हैं? यदि हां, तो किस कारण से, व किनके आदेशों से ऐसा किया गया है? कृपया सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) प्राप्त सूचनानुसार 1981-82 से आज तक जिन ग्राम पंचायतों को अनुदान राशि नहीं मिली है उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है एवं अनुदान नहीं दिये जाने के कारण भी उनके सम्मुख अंकित हैं।

(2) पंचायत समिति, ओसियां में ऐसी कोई प्राथमिक पाठशाला नहीं है जो आबादी गांव के नाम से स्वीकृत हो लेकिन गांव की आबादी क्षेत्र में नहीं खोलकर अन्य स्थान यानि ढाणियों में चालू की गई हो। सभी शालाएं स्वीकृत स्थानों पर ही चालू हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 20 देखें)

(11-7-1985)

उदयपुर के शिक्षित बेरोजगारों को ऋण

253. **श्री नवनीतलाल** (घाटोल): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) उदयपुर नगर में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने हेतु जितने लोगों ने वर्ष 1983 84 व 1984-85 में आवेदन किये? उनमें से कितने लोगों को 25 हजार रुपये देने हेतु बैंकों को निर्दिष्ट किया गया? कृपया सूची बैंकों के अनुसार नाम प्रार्थी, पिता या पति, आयु, वार्षिक आय, अभिभावक सहित सदन के पटल पर रखें।

(2) उदयपुर नगर में किस-किस बैंक द्वारा, किस-किस व्यक्ति को कितना-कितना ऋण स्वीकृत कर भुगतान कर दिया गया है? क्या यह कार्यवाही मैरिट के अनुसार हुई है? शेष को नहीं देने का कारण क्या रहा? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

58

उत्तर

(1) उदयपुर नगर में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने हेतु वर्ष 1983–84 में 1609 व वर्ष 1984–85 में 2235 लोगों ने आवेदन किये, उनमें से वर्ष 1983–84 में 501 व वर्ष 1984-85 में 755 लोगों को ऋण देने हेतु बैंकों को निर्दिष्ट किया गया। वर्ष 1983-84 में व वर्ष 1984–85 में क्रमशः 8 व 316 व्यक्तियों को 25,000 रुपये देने हेतु बैंकों को निर्दिष्ट किया गया। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उदयपुर नगर में स्थित विभिन्न बैंकों द्वारा वर्ष 1983–84 में 263 लोगों को ऋण वितरण किया गया। वर्ष 1984-85 में जुलाई, 85 तक 350 व्यक्तियों को ऋण वितरण किया जा चुका है। वर्ष 1984–85 की ऋण वितरण प्रक्रिया निरन्तर होने के कारण पूर्ण सूची उपलब्ध कराना फिलहाल सम्भव नहीं है। ऋण स्वीकृति एवं वितरण कार्य योजना के मापदण्डों के अनुसार ही किया गया है शेष व्यक्तियों को औपचारिकतायें पूर्ण करने पर निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति तक ऋण दिया जा सकेगा। वर्ष 1983–84 में जिन-जिन व्यक्तियों को ऋण वितरण किया गया है उनकी सूची सदनकी मेज पर रख दी गई है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

11-7-1985

जहाजपुर पंचायत समिति द्वारा वितरित ऋण एवं अनुदानों की राशि

270. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जहाजपुर पंचायत समिति के माध्यम से विभिन्न योजनाओं पर वर्ष 1982–83 से 30 जून, 1985 तक किस-किस व्यक्ति को, किस कार्य हेतु ऋण एवं अनुदान दिया गया? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ऋण अनुदान का उपयोग पूर्णतः हुआ है? यदि नहीं, तो किस-किस व्यक्ति ने, किस प्रकार का ऋण अनुदान का दुरुपयोग किया? कृपया उनके नाम सहित की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बिना सत्यापन किये ऋण अनुदान का भुगतान किया गया है? यदि हां, तो इसका विवरण एवं उच्चाधिकारियों द्वारा की गई जांच एवं सत्यापन का विवरण कृपया सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि कुछ लोगों को बिना सत्यापित किये भेड़, बकरी यूनिट के फर्जी ऋण अनुदान दिये गये? यदि हां, तो इस बाबत शिकायतें प्राप्त होने पर कोई जांच एवं कार्यवाही, उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा द्वारा की गई? यदि हां, तो कृपया रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अनुदान का उपयोग पूर्णतः हुआ है। दुरुपयोग करने की कोई शिकायत इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी नहीं। केवल बायोगैस संयंत्रों के लिये अनुदान के कुछ मामलों में कार्य अपूर्ण रहा है, जैसा कि सूची में दर्शाया गया है। इसकी जांच जिलाधीश (अध्यक्ष डी. आर. डी. ए.) द्वारा उप जिलाधीश शाहपुरा से कराई गई थी। रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं। ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची एवं रिपोर्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है –

(1) श्री ग्यारसी लाल, सदस्य विधान सभा की ओर से पशु चिकित्सालय ग्राम झिलाय के कम्पाउण्डर की असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या के सम्बन्ध में,

(2) श्री हरीश शर्मा और श्री गणेश बैरागी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन में नियुक्तियों में अनियमितताओं के सम्बन्ध में,

(3) श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से वन्य जीव रक्षण के सिद्धान्तों के विपरीत केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य में भारी मशीन चलाने के सम्बन्ध में,

(4) श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से चम्बल सिंचित क्षेत्र में बनाये गये भवन रहने योग्य न होने के सम्बन्ध में,

(5) श्री नारायण राम बेडा और श्री विरदमल सिंघवी, सदस्य, विधान सभा की ओर से भोपालगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति के व्यवस्थापक द्वारा गबन के सम्बन्ध में,

(6) श्री जगमाल सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की ओर से भिवाड़ी एवं अलवर औद्योगिक क्षेत्र के लिए किसानों की भूमि कम कीमत पर अधिग्रहण करने के सम्बन्ध में।

आर्डर प्लीज।

(7) श्री मोहन लाल चौहान, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम पीलवा क्षेत्र में अकाल राहत कार्य की मजदूरी के भुगतान में अनियमितता के सम्बन्ध में,

(8) श्री रमजान खां, सदस्य, विधान सभा की ओर से नागौर गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा सैनिकों को प्लाट आवंटन में अनियमितता के सम्बन्ध में,

(श्री अध्यक्ष)

(9) डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से 29 अप्रेल, 1985 को जुगल किशोर की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में,

(10) श्री हरलालसिंह खर्रा, सदस्य विधान सभा की ओर से ग्राम आसपुरा बड़ा पंचायत समिति श्रीमाधोपुर के सार्वजनिक कुएं को विद्युत कनेक्शन न दिये जाने के सम्बन्ध में,

(11) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से रायपुर क्षेत्र में गैर-मुमकिन पहाड़ पर कृषि करने पर नाजायज जुर्माना लगाये जाने के सम्बन्ध में,

(12) श्री शोपत सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से ए डी जे और सी जे कोर्ट, हनुमानगढ़ के लिए भवन न होने के सम्बन्ध में,

(13) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बालेसर जिला जोधपुर चिकित्सालयों में मरीजों को इन्जैक्शन उपलब्ध होने पर भी न दिये जाने के सम्बन्ध में,

(14) श्री नत्थी सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से 14-7-85 को भरतपुर में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को कोतवाली में ले जाकर पुलिस द्वारा पिटाई एवं उसके फलस्वरूप मृत्यु के मामले में कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में,

(15) श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर की स्ट्रीट लाइट्स का विद्युत किराया अदा न करने के कारण आज रात्रि से स्ट्रीट लाइट कनैक्शन काटे जाने के सम्बन्ध में,

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(1) श्री हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा से खातोली, कनवाड़ गेता, गूडला आदि की ओर चलने वाली बसें समय पर न चलने के सम्बन्ध में,

(2) श्री मोहनलाल बारुपाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम चान्दनी तहसील डेगाना के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जे के सम्बन्ध में,

(3) श्री हंसराज मिढा, सदस्य, विधान सभा की ओर से रामसिंहपुरा तहसील अनूपगढ़ की डिस्पेन्सरी में डाक्टर व कंपाउन्डर न होने के सम्बन्ध में,

(4) श्री शिवचरणसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से करौली में सड़कों के रख-रखाव में अव्यवस्था के सम्बन्ध में,

(5) श्री डूंगरराम पंवार, सदस्य, विधान सभा की ओर से टीबी विधान सभा क्षेत्र के पीरकामडिया ग्राम में ट्यूबवैल्स को बिजली का कनेक्शन न देने के सम्बन्ध में,

(6) श्री आर. डी. यादव सदस्य,

(श्री अध्यक्ष)

विधान सभा की ओर से झुन्झुनू शहर की एक कालोनी के नामकरण के सम्बन्ध में,

(7) श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम भूकाय जिला बीकानेर में पुलिस चौकी एक व्यक्ति के मकान में होने के सम्बन्ध में,

(8) श्री कालीचरण सराफ, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणाम में गंभीर गलतियां होने के सम्बन्ध में,

(9) श्री चम्पालाल बांठिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका पोकरण के वरिष्ठ लिपिक द्वारा अनियमितता के सम्बन्ध में,

(10) श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर), सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील सरदारशहर में काम के बदले अनाज योजना में निर्मित कार्यों के भुगतान न करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्तावों का विषय स्थगन प्रस्ताव की परिसीमा में नहीं आता और ये विषय अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। अत: मैं इन पर स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को इन पर बोलने की अनुमति भी नहीं होगी।

(1) श्री दाऊदयाल जोशी, सदस्य, विधान सभा की ओर से चने की छिलकी को राज्य से बाहर भेजने के परमिटों के सम्बन्ध में,

(2) श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से 20 जून, 1985 को झालरापाटन में 13 व्यक्तियों पर कातिलाना हमले के नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। अत: मैं इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(1) श्री मालाराम और श्री हरलाल सिंह खर्रा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम दूदवा तहसील खेतड़ी की चरागाह भूमि का आवंटन करने के सम्बन्ध में।

सरकार ने जानकारी दी है कि मामला उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी के न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य विधान सभा की ओर से सांभर सिटी में 11 वर्षीय लड़की की हत्या के सम्बन्ध में।

सरकार ने जानकारी दी है कि संदिग्ध अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पोस्टमार्टम से गला घोंटने से मृत्यु होना बताया है।

(3) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम पंचायत खानपुर के सरपंच द्वारा गबन व अनियमितता के सम्बन्ध में।

सरकार ने जानकारी दी है कि ज्यादातर गबन लेखा सम्बन्धी भूलें थीं। भूमि बेचने में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। बैठक बुलाने में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा की ओर से बाबा हरिद्वारिकानाथ स्मारक माध्यमिक विद्यालय को बन्द करने के सम्बन्ध में।

सरकार ने जानकारी दी है कि विद्यालय के छात्रों को अन्य विद्यालयों में प्रवेश दिया गया है। संस्था की जमा राशि को देने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। अतः मैं इन पर स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

जिन स्थगन प्रस्तावों को मैंने केवल अस्वीकार किया है और जिन पर मैंने बोलने पर अनुमति नहीं देने का निर्णय नहीं लिया है मैं उन माननीय सदस्य का नाम पुकारूंगा वह अपनी बात संक्षेप में कहेंगे।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री गालाराम।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज....कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

माननीय मैंने जानकारी के लिये भेजा है। कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

सदन की व्यवस्था बनाये रखें। मैं इजाजत नहीं दूंगा। कृपया बैठ जायं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, मैं इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य सदन की व्यवस्था बनाये रखें। कृपया बैठ जाये।

श्री हरलाल सिंह।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों की कोई सीमा होती है। आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

मैं बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। कृपया सदन का समय न लें....

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : कृपया मजबूर न करें।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हरिजन बालिका के साथ बलात्कार किये जाने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। मैं बोलने की इजाजत नहीं दूंगा...

(व्यवधान)

आप सदन के समय का दुरुपयोग नहीं करें। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। मैं

(श्री अध्यक्ष)
इजाजत नहीं दूंगा। कृपया बैठें। सदन के समय का दुरुपयोग नहीं करें....

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : अध्यक्ष-महोदय, मैं दुरुपयोग नहीं कर रहा मैं सदुपयोग कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदार शहर) : 20 दिन हो गये....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कोई जानकारी आपको करनी है तो आप मुझसे मेरे कक्ष में आकर पूछ लें। कृपया बैठ जायं।

श्री हरलालसिंह।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री लालचन्द डूडी (मादरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रस्ताव 3-4....

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा। यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है।

श्री लालचन्द डूडी : इस तरह से ब्यूरोक्रेट्स ..

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठें। आप आसन की अवहेलना कर रहे हैं....कृपया बैठें....

श्री लालचन्द डूडी : इतने बड़े क्रान्तिकारी....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज, यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। कॉलोनी का नाम क्या रखें क्या नाम नहीं रखें यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है। हाउस के काबिल नहीं है। कृपया बैठ जायं....

(व्यवधान)

अंकित न हो।

श्री लालचन्द डूडी : ×××.

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री लालचन्द डूडी : ×××

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है....

श्री मानिकचन्द सुराना (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका स्थगन प्रस्ताव आया है उस पर मुझे विचार करना है, उसको रेफर नहीं किया है....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया....

श्री अध्यक्ष : मैंने उसको रेफर नहीं किया है। मुझसे चर्चा कर लें। कृपया। उस पर सदन में तीन बार चर्चा हो चुकी है।

श्री भंवरलाल शर्मा : उस पर नहीं बोलूंगा।

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : हाउस में वाद-विवाद हो चुका है, दुबारा मुझे क्षमा करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप बोलने की अनुमति दें या नहीं दें, यह मेरा प्रश्न नहीं है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मेरे कक्ष में आकर पूछ लें।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप भले ही उस पर न बोलने दें, पाठ्यपुस्तक मण्डल....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, फिर आप सब्जेक्ट ओपन कर रहे हैं बोलने के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : बोल नहीं रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : तो फिर क्या कर रहे हैं, माननीय सदस्य, पाठ्यपुस्तक पर काफी चर्चा हो चुकी है ...

श्री भंवरलाल शर्मा : ये किताबें आपको देना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदया ने कहा था हाउस के अन्दर कि दो घन्टे के अन्दर ..

श्री अध्यक्ष : आप मंत्री महोदया से चर्चा कर लें, आवश्यक समझें तो मेरे समक्ष मेरे कक्ष में आकर बात कर लें....

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं उनसे आपके माध्यम से ..

श्री अध्यक्ष : मेरे माध्यम से कर लीजियेगा लेकिन कृपया सदन का समय न लें। कृपया बैठ जायं।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने हाउस के अन्दर जानकारी दी थी कि दो घन्टे के अन्दर अन्दर. ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज मंत्री महोदया अभी हैं नहीं ...

श्री भंवरलाल शर्मा : साहब उन्होंने यह कहा था कि दो घन्टे के अन्दर अन्दर जानकारी करके...

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदया अभी नहीं हैं। पूछेंगे किनसे, माननीय सदस्य ? आप फिर सब्जेक्ट ओपन कर रहे हैं....

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं ओपन की बात नहीं करूंगा लेकिन ये किताबें सदन की मेज पर रखना चाहता हूं। आप इनको देख लीजियेगा 15-15 पाठ गायब हैं।

श्री अध्यक्ष : आप रख दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय मंत्री महोदया ने कहा था केवल एक किताब के लिये लेकिन यह केवल एक किताब नहीं है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय श्री भंवरलालजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें आप देखेंगे. ..

श्री अध्यक्ष : आप ओपन नहीं करेंगे। आप स्वयं नियमों का पालन करने वाले हैं, आप जानते हैं ..

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं बोलूंगा नहीं साहब, इस बात को....

श्री अध्यक्ष : आप सारी रामायण तो बोल रहे हैं फिर। कृपया बैठें।

श्री भंवरलाल शर्मा : रोज चर्चा होती है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, फिर रिपीट कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : फिर क्या करें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या करें, यह बता दें।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने आपको आश्वासन दिया था, मंत्री महोदया है नहीं। आयेगी तब आपको उनसे बात करायेंगे। आर्डर प्लीज। यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। जो अभी खरीद कर ले जायेंगे, उनका क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : एक बार चर्चा हो चुकी है, एक लॉट में छपी होंगी उनमें गलती से एक किताब नहीं, कई किताबें होंगी। फिर रोज इस तरह से एक एक किताब रखते जायेंगे, उसका क्या होगा, माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से राजस्थान की जनता लुटती रहेगी। सरकार कुछ तो....

श्री अध्यक्ष : आप सुनने की और समझने की कोशिश क्यों नहीं करते ? मंत्री महोदया हैं नहीं, आपकी उनसे बात करायेंगे मेरे कक्ष में। कृपया आर्डर प्लीज।

श्री हरलालसिंह।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : विमला घानका (हरिजन) महिला के साथ 8 पुलिस अधिकारियों द्वारा बलात्कार ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं जानकारी करूंगा।

श्री देवीसिंह भाटी : यह गंभीर मसला है।

श्री अध्यक्ष : आपका कौन सा स्थगन प्रस्ताव है ?

श्री देवीसिंह भाटी : मैंने मोशन दिया है, इस विमला घानका के साथ 8 पुलिस अधिकारियों ने 6 महीने तक लगातार बलात्कार किया है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पुलिस थानों में इस प्रकार के कर्म...

श्री अध्यक्ष : आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है।

श्री देवीसिंह भाटी : ध्यान ही तो आकर्षित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ध्यानाकर्षित सरकार का किया है ..

श्री देवीसिंह भाटी : उसके तहत सरकार को कहें। अध्यक्ष महोदय, आज इस मामले में

66

श्री अध्यक्ष : आपके स्थगन प्रस्ताव को मैंने रिजेक्ट नहीं किया है। इस पर आपको बात करनी है।

श्री देवीसिंह भाटी : जब से यह खबर अखबारों में आई है कोई भी औरत थाने में—

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठें। मैंने रिजेक्ट नहीं किया है।

श्री रामचन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। हमारे शिक्षा मन्त्रीजी न तो सदन में आ रहे हैं और न ही आने के बारे में पता लग रहा है। बड़ी चिन्ता का विषय है। हम उनकी कुशल क्षेम पूछना चाहते हैं लेकिन उनसे सम्पर्क नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, माननीय सदस्य। कृपया बैठें।

श्री नाथसिंह : वह विधान सभा के सामने एक कमरे में बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री हरलालसिंह।

श्री हरलालसिंह खर्रा : माननीय अध्यक्ष जी, खेतड़ी तहसील में दूदवा गांव में चरागाह की भूमि पर लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है। जो प्रभावशाली लोग हैं उन्हें पंचायत का बिना मर्जी के अलाटमेन्ट भी हुआ है। गांव वाले काफी परेशान हैं क्योंकि पशुओं को चराने के लिए जगह नहीं है। गांव की सीमा के हिसाब से राज्य सरकार का जो नियम है, आधा बीघा भूमि एक पशु की होगी, ऐसी जमीन होते हुए भी प्रभावशाली लोगों को भूमि अलाट की गई और लोगों ने अनधिकृत कब्जे किए हैं। मेरा तो राज्य सरकार से यही निवेदन है कि जिस भूमि का गलत अलाटमेन्ट हुआ है उसको तुरन्त निरस्त किया जाय और जो अनधिकृत कब्जा है वह 91 के तहत हटाकर या उनके लिए सजा का जो प्रावधान है उस तरह से सजा दे करके भविष्य में लोग अनधिकृत कब्जा नहीं कर सकें यह व्यवस्था फरमाई जावे।

मेरा एक छोटा-सा और है। एक ही मिनट में कह देता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या ? माननीय सदस्य, इस पर व्यवस्था नहीं दी। कृपया बैठें। आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री हरलालसिंह खर्रा : पानी की व्यवस्था के लिए कनेक्शन मांग रही थी पंचायत। बिजली वालों ने डिमाण्ड नोटिस तक नहीं निकाला। वह पैसा देने के लिए तैयार हैं। गांव वालों ने चन्दा करके कुआं बनाया, गांव वालों ने चन्दा करके मोटर फिटिंग की। उस पर तीस-चालीस हजार रुपये गांव वालों ने खर्च कर दिया पीने के पानी के लिए फिर भी बिजली विभाग कनेक्शन नहीं दे रहा है। मेरा निवेदन है कि इसकी जांच करवायें। ए. ई. एन. गड़बड़ कर रहा है। एक्स. ई. एन. कहता है डिमाण्ड नोटिस निकालो, ए. ई. एन. कहता है मैं तो जब तक रहूंगा नहीं निकालता। उसे पैसा चाहिए। अब कौन गांव वाला पैसा देगा ? साहब, मेरा निवेदन है कि इसकी जांच कराई जाय और कनेक्शन करवाया जाय। वहां दो कुएं और हैं।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री हरलालसिंह खर्रा : उनमें खारा पानी है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री मालाराम

(अनुपस्थित)

श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस किसी चीज में परमिट पद्धति प्रारम्भ हो जाती है वहीं घोटाले की शुरूआत हो जाती है। माह जून तक चने की चूरी पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं था। आ-जा रही थी, किसी प्रकार का कोई...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको शायद इसमें आनन्द नहीं आ रहा है। दाऊदयालजी आयुर्वेद के ज्ञाता हैं. उनको मालूम है कैसे बोलना चाहिए।

श्री दाऊदयाल जोशी : दुर्भाग्य की बात है कि जून के बाद राज्य सरकार ने चने की चूरी पर प्रतिबन्ध यह कह कर लगा दिया कि जिसको चने की चूरी राज्य सीमा से बाहर भेजनी है वह हमसे परमिट ले जबकि इस सारे राज्य में एकदम चारे और दाने का अभाव था, आज भी वह ही अभाव बना हुआ है। भगवान का लाख-लाख शुक्र है कि बारिश प्रारम्भ हुई है लेकिन अभी तक खण्ड वृष्टि है, सारे राज्य में भय व्याप्त है, कि ठीक प्रकार से बारिश हो पायेगी या नहीं। मुझे दुख और आश्चर्य है कि जब हमको स्वयं चारे पानी की आवश्यकता है, पहली बार राजस्थान में जिस प्रकार का चारे का अभाव बना वैसा कभी नहीं बना, हमेशा चारा ठांगने के हिसाब से बिकता था। एक ठांगला तीन रुपये का, लेकिन अब की बार तोल के हिसाब से चारा बिका है, आठ आना किलो चारा बिका है। आठ आना किलो में चारा आज तक नहीं बिका। इतनी अलभ्यता होते हुए भी राज्य सरकार ने किस प्रकार किन कारणों से इस प्रकार के परमिट सिस्टम की व्यवस्था की? मुझे दुख है कि राज्य सरकार ने एक ही छोटे से आदेश के आधार पर सारे राज्य में इस प्रकार की चिन्ता व्याप्त कर दी। आश्चर्य और दुःख है कि आज की तारीख, जबकि चारा दाने की आवश्यकता है, में भी लाखों टन चने का छिलका राज्य के बाहर विशेषकर दिल्ली प्रदेश में भेजा जा रहा है। मेरा आपसे इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आग्रहपूर्वक निवेदन है कि जो चारे का छिलका राज्य से बाहर भेजने की परमिट पद्धति प्रारम्भ की है उसको राज्य सरकार तुरन्त वापस ले। इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, इसमें भाई-भतीजावाद हो रहा है, इसमें निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। लाखों रुपया इधर-उधर देकर परमिट लिये जा रहे हैं इसको रोका जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के गृहमन्त्री का ध्यान एक और महत्वपूर्ण घटना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मुस्लिम समाज के तबलीकी समाज के लोग 20 जून के बाद में इतने आतंकित हो गये हैं कि न वह पुलिस थाने

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

में अपनी रिपोर्ट कराने जा रहे हैं, न अपने घरों पर लौट रहे हैं। मैं बात शुरू करूं उसके पहले आज मेरे पास पत्र तबलीकी समाज के जो राजस्थान के अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से आया। उसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

"आपका ध्यान झालरा पाटन नगर में दिनांक 20-6-85 की रात को हुई घटना की ओर आकर्षित कर रहा हूं। 20 जून की रात को नासिरूद्दीन एवं उसके 20-25 साथियों ने हमारे 11 साथियों पर कातिलाना हमला किया। उसमें कई साथियों के गम्भीर चोटें आई लेकिन पुलिस व जिला प्रशासन झालावाड़ ने कोई विशेष कार्यवाही नहीं की। हमें कोई बदले की कार्यवाही नहीं करनी। लेकिन पुलिस व जिला प्रशासन द्वारा अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही न होने से अपराधी बेधड़क फिर से धमकियां दे रहे हैं। पूरे नगर में आतंक का वातावरण बना रखा है। हमारे साथियों की जानमाल का पूरा खतरा है। पूर्व में करीब तीन साल पहले भी हमारे साथियों के साथ मारपीट की थी। उस समय भी प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की, इस वजह से इनके हौसले बढ़े हुए हैं। हमारे साथियों को मस्जिदों में नमाज पढ़ने देने में भी यह बाधा पहुंचाते हैं, हमारे मजहबी मामलों में भी यह रोड़े अटकाते हैं। हमें किसी राजनैतिक मामलात में दिलचस्पी नहीं है और न किसी प्रकार की सदारत से हमारे साथियों को लेना-देना।

आप हाड़ौती क्षेत्र के जिम्मेदार विधायक हैं। क्षेत्र में अमन चैन रहे, इसकी जिम्मेदारी आप पर भी है। झालरापाटन में हमारे साथी अल्पमत में हैं दूसरे लोग उनकी जान-माल के दुश्मन बन हुए हैं। आपसे व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करता हूं कि आप राज्य सरकार का ध्यान हमारे साथी, जो हाड़ौती में रहते हैं, जान-माल की रक्षा के लिए दिलायें और हमारे साथियों को भयमुक्त करने का कष्ट करें।"

यह पत्र आया है। हाजी गुलाम हुसैन साहब राजस्थान सूबाए अमीर तबलीगी समाज के अध्यक्ष हैं, जयपुर में निवास करते हैं। मेरी इस बात की ताईद झालावाड़ से आने वाले माननीय विधायक महोदय भी करेंगे। मै खास तौर से उस घटना का जिक्र, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सामने इसलिये करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपको जानकारी केवल मात्र हो जाय। माननीय मन्त्री महोदन बिराजमान हैं। इस्लामी सदर के एक अध्यक्ष हैं श्रीमान नसीरूद्दीन साहब। उनको एक धमकी भरा पत्र मिला। पत्र में लिखा गया कि 20 जून तक आप कमेटी की सदारत से इस्तीफा दे दीजिये वरना आपको गोली मार दी जायेगी। यह पत्र मिला उसके बाद श्री नसीरूद्दीन साहब इतने कुपित हो गये, इतने क्रोधित हो गये, इतने नाराज हो गये कि कस्बे के ही मुस्लिम समाज के सात प्रभावशाली लोगों के विरुद्ध नामजद इस्तगासा दायर कर दिया। झालावाड़ के माननीय सदस्य बैठे हैं। उन्होंने बीच में

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

हस्तक्षेप किया। किस-किसके विरुद्ध किया है, कांग्रेस (इ) के नगर अध्यक्ष, श्री अब्दुल अजीज, नगरपालिका से पूर्व अध्यक्ष कासिम अली साहब, हैडमास्टर याकूब साहब गोरी, प्रमुख व्यवसायी नूर मोहम्मद साहब, मौहम्मद याकूब साहब और कासिम भाई लुहार साहब। इन सातों व्यक्तियों के विरुद्ध यह है। मुझे पत्र भिजवाया है तबलीकी समाज के अध्यक्ष ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के जो माननीय विधायक हैं वह स्वयं वहां के कलेक्टर के पास गये। उन्होंने जाकर कलेक्टर से कहा कि यह लोग नेक हैं। इनकी नेकचलनी में किसी प्रकार की शंका नहीं है। यह ईमानदार व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं कलेक्टर साहब ने उनकी बात मानकर व सब ही लोगों से जानकारी करने के बाद कलेक्टर साहब ने जो किया वह केवल वैमनस्य भाव से झूठे मन से पुरानी बात के आधार पर किया है।

जब नसिरूद्दीन साहब को मालूम पड़ा कि माननीय विधायक बीच में आ गये हैं और कलेक्टर साहब कुछ नहीं कर रहे हैं तो 19 तारीख के दिन उन्होंने एक जुलूस निकाला। गुण्डे लोग भर लिये एक ट्रक में और नारे लगाते रहे, तबलीकी समाज के और कुछ लोग जो वहां पर अल्पमत में हैं, वहां पर हाय-हाय के नारे लगाते रहे और यह कहते रहे कि उनको गिरफ्तार किया जाय। उन्होंने हमारे लीडर साहब नसिरू-द्दीन जी साहब को धमकी भरा पत्र लिखा है। अध्यक्ष महोदय, 19 तारीख को पुलिस में रिपोर्ट की। वहां पर थानेदार मोहनलाल गालव ए. एस. आई. कमरूद्दीन साहब से कहने लगे कि आप किसी से पूछ लें कि हम कैसे लोग हैं, हम किस प्रकार के लोग हैं और आज ऐसे नारे लगाये जा रहे हैं कि हमको अपनी जान का खतरा है। अध्यक्ष महोदय मैं मन्त्री महोदय को कहना चाहता हूं कि मोहनलाल गालव और ए.एस.आई कमरूद्दीन साहब ने इस पर कोई गौर नहीं किया। 20 जून की रात को जब इस पर गौर नहीं किया तो जब लोग नमाज पढ़ कर आ रहे थे।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जब नमाज पढ़कर बाहर आये, मैं इस घटना का इसलिए जिक्र करना चाहता हूं ताकि मंत्री महोदय को यह जानकारी हो जाय कि किस प्रकार की स्थिति लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन के विरुद्ध वहां पर हो रही है। वहां पर पुलिस केवल इस घटना को टकटकी लगाकर देख रही थी। देख ही नहीं रही थी बल्कि पैसे खा रही थी। पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की।

(12.30 म. प.)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उस समय सब इन्सपेक्टर गालव और ए. एस. आई. कमरूद्दीन जी साहब मोटर साइकल के पीछे बैठे हुए थे। जैसे ही लोग नमाज अदा करके निकले उन्होंने उनको रोक कर कहा कि आप जरा रुकिये उन्होंने। कहा

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

कि हमको हमारी जान का खतरा है। हमको चेतावनी मिली है कि हमारी जान का खतरा है इसलिये हमारे जीवन की रक्षा की जाय। गालव साहब और कमरूद्दीन साहब ने कहा कि चिन्ता मत करें, हमने सब प्रवन्ध कर दिया है। वहां से दोनों के दोनों चले गये। जैसे ही वह वहां से ओझल हुए, ऐसा लगता है कि जैसे मिली भगत हो, उस समय करीब 100-150 लोगों ने उन पर हमला बोल दिया जिसमें चाकू से, तलवार से, लोहे की चैनों से भयंकर रूप से मारा मारी हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह चित्र मेरे पास है, उपाध्यक्ष महोदय। यह है मोहम्मद यूनूस जिनके सिर पर चाकू की चोट लगी है, सिर पर चार टांके आये हैं और अन्दर की भी चोट है। दूसरा चित्र है श्रीमान जमील अहमद साहब का जिनकी नाक पर चोट आई है। तीसरे हैं, अबदुल कयूम खां साहब जिनके हाथ में फ्रेक्चर हुआ है। चौथे हैं, यूसूफ खां साहब सन आफ अब्दुल शकूर साहब जिनकी टेलरिंग की बहुत बड़ी दुकान है। इनके सिर पर चार टांके आये हैं। पांचवे जो सज्जन हैं वह है लियाकत हुसैन साहब सन आफ वजीर हुसैन साहब, इनकी रेडीमेड की दुकान है, उनके सिर पर चोट आई है, टांके आये हैं, पीठ पर चाकू लगा है, तीन टांके आये हैं। कासमअली साहब के सिर पर चोट आई है, पांच टांके आये हैं और हाथ पर अन्दरूनी चोट आई है। यह हैं मौहम्मद यूसूफ खान साहब, इनकी कनपटी में चोट आई है। यह हैं मौहम्मद याकूब साहब, इनके सिर, पर चार टांके लगे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह आठ ही लोग नहीं हैं इनके साथ पांच और लोग हैं। यह 13 लोग हैं जिन पर कातिलाना हमला हुआ है तलवार से, छुरी से और लोहे की चैनों से। उस वक्त इन्हीं की जमात का एक लड़का भागा-भागा सब इन्सपैक्टर साहब के पास गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि जब वह लड़का पहुंचा तो वहां पर नासिरूद्दीन साहब बैठे हुए थे। नासिरूद्दीन साहब, जिन की यह करतूत है, बैठे हुए थे। उपाध्यक्ष महोदय, यह नासिरूद्दीन साहब कौन हैं ? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कोटा में जब एक बार झगड़ा हुआ था उस वक्त एक गजानन्द नाम का व्यक्ति मारा गया था। उस गजानन्द वाले केस में मुख्य अभियुक्त नासिरूद्दीन साहब वहां पर बैठे हुए थे और श्री गालव साहब वहां बैठे हुए लिमका पी रहे थे। ए. एस. आई. श्री कमरूद्दीन साहब भी वहां पर लिमका पी रहे थे। जब वह जवान वहां पर गया तो उसने कहा कि वहां पर तबलीकी समाज के लोगों को लोग पीट रहे हैं, 15 मिनट से पिटाई हो रही है। यह काण्ड वहां पर एक घन्टे तक चलता रहा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं मन्त्री महोदय को आपके माध्यम से कि उस वक्त लिमका पीते पीते थानेदार गालव साहब ने कहा कि गलत बोलते हो, मैं अभी उधर से आया हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह सब योजनाबद्ध तरीके से हुआ। जब वह जवान 15 मिनट तक मिन्नत करता रहा तो सब इन्सपैक्टर गालव को उधर से जो कुछ बोहरा समाज के लोग आ रहे थे उन्होंने कहा कि सब इन्सपैक्टर, साहब आप

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

कर क्या रहे हैं, वहां पर पिछले 20–25 मिनट से लोगों की पिटाई हो रही है, लोगों की जान जाने का खतरा है। तब गालव साहब खड़े हो गये और सीधे नहीं जाकर मन्दिर के पीछे से घूम कर थाने पर चले गये। उपाध्यक्ष महोदय, यह घटना एक घन्टे तक चली। एक घन्टे तक पिटाई होने के पश्चात स्थिति यह बनी कि नामजद रिपोर्ट थाने में लिखाई गयी। उसके पश्चात् मेरी जानकारी में तो यह है, मुझे पता नहीं, क्या हुआ, उन लोगों ने मिल कर उन लोगों की जमानत ली और ऐसी धारायें लगा दीं कि जैसे वकूआ हुआ ही न हो। पर जान पर हमला हुआ। लोगों के घाव हैं मैंने आपको फोटो दिखाई है। आवश्यकता तो इस बात की थी कि उन लोगों पर 307 का मुकदमा चलाया जाता। किन्तु कौन चलायेगा मुकदमा? मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि इसमें धन खाया गया है पुलिस के साथ मिलकर। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें सब-इन्सपेक्टर गालव को ससपेन्ड किया जाय। मैं कहना चाहता हू कि ए.एस.आई. कमरूद्दीन को ससपेन्ड किया जाय। मैं निवेदन करना चाहता हू कि इसकी सी.आई.डी. से जांच कराई जाय। जैसा कि मैं कहता आया हूं, आज वहां पर भय व्याप्त हो रहा है। तबलीकी वर्ग के अध्यक्ष ने मुझे पत्र लिखा, मैं हाड़ौती के विधायक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बीच में पड़कर, उपाध्यक्ष महोदय, प्रयत्न किया। यहां पर सवाल आ गया है बहुमत और अल्पमत का। उपाध्यक्ष महोदय, यह वह लोग हैं जो अल्पमत के हैं। खुदा से खौफ खाने वाले मुस्लिम समाज का वह वर्ग है तबलीकी समाज। जब यह पत्र देने मेरे पास आये तो चर्चा के दौरान कुछ लोगों ने कहा कि वहां पर हमला हुआ तो उन्होंने कहा कि इस बात की चर्चा मत करें. आप तो एक बात कहो कि उनके जीवन की रक्षा हो जाय। मैं माननीय मन्त्री महोदय को आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी तुरन्त जांच करायी जावे, तुरन्त वहां से एस.आई. गालव को हटाया जाय और ए.एस.आई. कमरूद्दीन को हटाया जावे। इसके पश्चात् सी.आई.डी से इसकी जांच करवाकर उन लोगों को कुशलता से घर पर पहुंच या जावे। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इस वर्ग ने मुझको पत्र लिखा और यह कहा कि उनके जीवन को खतरा है, उनके जीवन को असुरक्षा पैदा हो गई है, वह लोग मारे-मारे फिर रहे हैं इसलिये इस बात की व्यवस्था करें। यह सामान्य प्रश्न नहीं है। मैं पिछले कई दिनों से यह कहता आ रहा हूं और हाड़ौती क्षेत्र की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। यह घटना सचमुच ऐसी घटना है जो लोग भगवान से खौफ खाते हैं, भय खाते हैं, इस प्रकार की तालीम देते हैं कि भगवान की इबादत करो, खुदा की इबादत करो, भगवान की पूजा करो, भगवान को याद करो, ठीक से नमाज अदा करो, इस प्रकार के मुस्लिम समाज के एक अल्प वर्ग के जीवन को खतरा पैदा हो गया है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि आप इसकी व्यवस्था करें। आप कहें तो मैं आपको उनके अध्यक्ष ने जो पत्र दिया है वह सम-

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

पित कर दूं । आप इसकी जांच करावें उन लोगों के जीवन की रक्षा करें, सी.आई.डी. से जांच करावें, धारा 307 लगाकर इस मुकदमें की जांच करावें, और लोगों को राहत दें मैं चाहता हूं जो माननीय विधायक उस क्षेत्र के है वह भी अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे तो कहें और वहां की सारी स्थिति की जानकारी दें ताकि सारी स्थिति स्पष्ट हो जावे मन्त्री महोदय के सामने ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कहा है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह उनके क्षेत्र की बात है ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र की बात है इसलिए मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, जिस घटना का माननीय कोटा से आने वाले विधायक ने जिक्र किया है मैं उसका समर्थन करता हूं उसकी ताईद करता हूं । ये घटना बिलकुल सत्य है । ऐसे लोगों के साथ अपराध किये गये हैं जो लोग शान्ति और सकून से अपना जीवन निर्वाह करते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, जब यह घटना घटी उसके दूसरे दिन ईद की नमाज करनी थी लेकिन इस घटना के कारण और जो उन लोगों के साथ मारपीट की गयी है उसके कारण इस समाज के वर्ग के लोग अपनी ईद की नमाज भी अदा नहीं कर सके ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : शेम इससे बढ़ कर और शर्मनाक बात क्या हो सकती है ।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : मैं इस बारे में पिछले दिनों वहां जो पुलिस अधीक्षक और जिलाधीश हैं उनसे और संबंधित अधिकारियों से पिछले दिनों मिला । जहां तक घटना का सवाल है यह बात सही है । मुझे भी धमकियां दी गयी । वहां पर जुलूस निकाला गया और उन लोगों ने मेरे घर पर आकर अनर्गल आरोप लगाये ।

हमारे कोटा से आने वाले माननीय सदस्य हैं उन्होंने जो घटना रखी है वह घटना बिलकुल सही है । मारपीट की गई है, उनके हाथ टूटे हैं, फ्रैक्चर हुए हैं । ज्यादातर लोगों के चोटें आयी हैं, फिर भी 307 का मुकदमा दर्ज नहीं कर सामान्य प्रकरण बना दिया है, जब कि वस्तुतः इस प्रकार के केसेज में पुलिस 307 की धारा लगाती है । यह सब क्यों हुआ और किस कारण से हुआ इन सबकी जांच होनी चाहिए और जो व्यक्ति दोषी हैं उनको दण्डित किया जाना चाहिए ।

धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक ।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव यह है कि सांभर में एक 11 वर्षीय रैगर लड़की, जो शिड्यूल्ड कास्ट की है, पुत्री ठाकुरसी के साथ 12-7-85को बलात्कार किया गया । उसके बाद उसका गला घोंटकर उसे मार दिया गया ।

(श्रीमती विद्या पाठक)

उसके 12 वर्षीय भाई ने जब उसको झोंपड़ी में मरा हुआ देखा तो वह अपने पिता के पास गया जो कि मजदूरी का काम करता है। सांभर स्टेशन पर नमक की बोरियां भरता है, जो लोड करने का काम होता है वह काम करता है। जब उसके पिता को खबर लगी तो 300-400 लोग वहां आ गये। यह घटना सुबह 11 बजे की है। जो वहां कान्स्टेबल था उसने वहां पहुंच कर लाश को देखा, उस स्थान को देखा, पांव के निशान ट्रेस किये, यह देखा कि यह कहां तक पहुंचते हैं। उन्होंने रास्ते में एक बीस पैसे का सिक्का और एक 25 पैसे का सिक्का खून से रंजित रास्ते में पड़ा हुआ देखा, पांव के निशान एक झोंपड़ी तक जाकर रुक गये। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो घटना हुई यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके पश्चात् 13 तारीख शाम को कोटा से पधारने वाले माननीय सदस्य ने टेलीफोन किया कि सांभर में इस तरह की घटना हो गई है। 12 तारीख को सुबह 11 बजे रेप हुआ है, 13 तारीख रात तक उस शव के पोस्ट मार्टम की कोई कार्यवाही तक नहीं हुई है और न ही अन्त्येष्टि के लिए उसको दिया गया। इस वजह से क्षेत्र में बहुत आतंक व्याप्त है। लोग बड़े दुःखी हैं, क्योंकि एस. पी. नहीं थे। जयपुर जिला के रूरल एरिया के एस. पी. नहीं थे, एडीशनल एस. पी. नहीं थे, कोई जिम्मेदार व्यक्ति अवेलेबल नहीं थे. जब मैंने कलैक्टर महोदय को फोन किया तब उन्होंने रात 11 बजे मुझे बताया कि यहां से अपनी एक स्पेशल जीप देकर वे अधिकारियों को वहां भेज रहे हैं और क्या कार्यवाही हुई. यह ज्ञात कर रहे हैं। पूरी जानकारी उनको भी पता नहीं थी। जयपुर जिले के जिलाधीश को पता नहीं थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह घटना हुई बडी दुर्भाग्यपूर्ण है। 14 तारीख को सुबह मैं सांभर में उस स्थान पर पहुंची। वहां काफी लोगों की भीड़ थी। पुलिस से बात की, डाक्टर से मैंने बात की और उसके विषय में पूरी बात मालूम की। जो तथ्य मेरे सामने सार्वजनिक स्थान पर बैठ कर लोगों ने बताये, उनका मत यह था कि यह बलात्कार हुआ है 12 तारीख को सुबह 11 बजे और 14 तारीख तक अगर मैंने प्रयास नहीं किया होता तो 11 बजे जो स्पेशल टीम, जो फिंगर प्रिन्ट्स के एक्सपर्ट्स की होती है, नहीं पहुंच पा सकती थी। इसके अतिरिक्त भी उसी क्षेत्र के आसपास उस गांव के आसपास उसी तहसील के पुलिस वाले घूमते रहे। यह सही है कि उस दिन कैसेज हुए। उस दिन फागी में भी केस हुआ, दूदू में भी हुआ, पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवाल तो इस बात का उठता है कि आखिर जन भावनाओं की भी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तीन दिन तक वहां डैड बाडी पड़ी रही, वहां का रेस्पांसिबल व्यक्ति, वहां का थानेदार, इन्चार्ज मोहनलाल दादरवाल उसी स्थान पर निरन्तर बना रहा। दूसरे दिन 13 तारीख को डाक्टर ने सुबह देखा क्योंकि शाम को 8 बजे 12 तारीख को डैड बाडी हास्पिटल में लाई गई। पोस्टमार्टम रात को हो नहीं सकता। 13 तारीख को सुबह जब डाक्टर ने देखा। उसने कहा कि ऐसा लगता है कि गला घोंट कर के भी मारा गया है। इसका पोस्टमार्टम मैं तभी करना चाहूंगा जब फिंगर एक्सपर्ट्स वहां पहुंच जायेंगे। पुलिस यूनिट में, कहीं दूसरी जगह नहीं

74

(श्रीमती विद्या पाठक)

मोडस ओपरेन्डी आफ क्राइम, फिगर एक्स-एक्सर्ट का एक सेल होता है, उसके फिगर प्रिन्ट्स लेने हैं या, कोई और इन्वेस्टीगेशन करना है उसकी कार्यवाही वह करता है। उस सेल के अधिकारी भी उसी क्षेत्र के पास रहे पर न एडीशनल एस. पी. साहब को वहां जाकर देखने की फुरसत, न वहां बैठे हुए स्थानीय श्री मोहनलाल दादरवाल ने जन भावनाओं का आदर किया। जब मैं पहुंची थी 14 तारीख को $8\frac{1}{2}$. 9 बजे, कार्यवाही मेरे जाने के बाद हुई। तब तक भी शव नहीं दिया गया था। जहां बलात्कार हुआ और जिस व्यक्ति ने बलात्कार किया उसका घर करीब दो मिनट के वाकिंग डिस्टेन्स पर है पर वह आदमी खुला हुआ छुटा हुआ घूम रहा था। पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की और न ही उसको बुलाने की कोशिश की। यह स्थिति है। उसके बाद दो बजे उसको अरेस्ट दिखाया गया। पुलिस ने उस लड़की के विषय में जो एफ. आई. आर. लिखी वह रात को $8\frac{1}{2}$ बजे लिखी बताते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक ऐसे अमानवीय सत्य का सरकार यह जवाब देती है, सरकार से जवाब यह आया है कि उसका गला घोंट कर मारा गया है और उसका अपराधी पकड़ लिया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ कुछ प्रश्न स्वतः ही उठ खड़े होते हैं। उस जवाब को देखने से ऐसा लगता है कि उस लड़की के साथ रेप हुआ ही नहीं। जब कि डाक्टर की मेरे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है: उसने एक स्थान पर 35 घाव, 35 चोटों के निशान बताये हैं। सारी बाड़ी पर लगभग 48 निशान हैं। उस 11 साल की बच्ची की पूरी बाडी पर लगभग 48 निशान हैं और सरकार जवाब देती है कि गला घोंट कर मारा गया। उसका ब्रूटल रेप हुआ फिर भी उसमें कोई कार्यवाही हुई नहीं तो यह सरकार का जो जवाब है यह निन्दनीय है।

इसके अतिरिक्त, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा एतराज इस बात पर है कि पुलिस को बाकी सब केसेज में जाने की जल्दी थी पर इस बच्ची के साथ रेप हुआ और उसकी लाश तीन दिन तक पड़ी रही। वहां के अधिकारी मोहनलाल दादरवाल इसके लिए जिम्मेदार होने चाहिए। वे स्थानीय थाने के इन्चार्ज हैं। उसी स्थान पर वे बने रहे लोगों से कहते रहे कि फिगर प्रिन्ट एक्सर्ट नहीं आ रहे हैं। मैंने पूछा, आपने किससे कान्टेक्ट किया था? उनका कोई जवाब नहीं था। ऐसी हृदयहीन जो बात है, पुलिस की लापरवाही है यह निन्दनीय है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी, मेरी एडीशनल एस. पी. साहब से भी बात हुई। वे दूसरी बार मेरे पहुंचने के थोड़ी देर बाद वहां पहुंचे थे। उनका कहना यह था कि हमारे पास काम बहुत है इसलिये हम नहीं आ पाये। इस तरह की जो बात उन्होंने की, लोगों की बात की कि भीड़ क्यों मचा रखी है। यह पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का रवैया नहीं हो सकता इसकी यह सदन निंदा करना चाहता है। पुलिस का ऐसा हृदयहीन एटीट्यूड और इस तरह का व्यवहार भी निंदनीय है। परन्तु सबसे बड़ा जो टेस्ट पाइन्ट आता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में

75

श्रीमती विद्या पाठक)

माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं के रेप हुआ 12 तारीख को सुबह 11 बजे, कलप्रिट कहीं बाहर का नहीं. ट्रेसेज उसकी झोंपड़ी तक पहुंचते हैं और इसने मन्जूर किया है कि उसने रेप किया है। फिर भी उसको कब पकड़ा गया ? आप बोलें, आपके पास तो जवाब आया होगा। माननीय मंत्री महोदय, उसको 14 तारीख को दो बजे पकड़ा गया। उसके बाद उसका मेडिकल एक्जामिनेशन हुआ। हर एक कोई जानता है, माननीय सनस्यों में से बहुत से वकील हैं 12 तारीख को रेप हुआ उसके बाद 14 तारीख को दो बजे उसका मेडिकल एक्जामिनेशन हुआ। उसकी क्या एवीडेंस आप पाना चाहते हैं ? मेरा चार्ज है आपकी पुलिस पर कि इस तरह के केसेज थे उसकी एवीडेंस को समाप्त करने के लिये इतना टाइम दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय, आप स्वयं इस बात की जांच करें। केवल यही कह देना काफी नहीं कि यह ह्यूमन प्राब्लम है। रोज बलात्कार होते रहते हैं। यह बहुत निन्दनीय बात है, माननीय मंत्री महोदय। जयपुर में माननीय सदस्य रोज कहीं न कहीं की एक दो बलात्कार की घटना की बात कहते हैं। उन पर आप कोई कार्यवाही करते नहीं इसलिये आपकी पुलिस निरंकुश और निर्भय होती जा रही है। यह चेतावनी आप दीवार पर लिखी हुई की तरह समझ लीजिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि कलप्रिट के ऊपर कार्यवाही क्या हुई. यह तो अदालत देखे लेकिन ऐसे विभाग, जिसने इतनी सारी खामियां रखीं, के ऊपर कार्यवाही मंत्री महोदय करें और सदन को सूचित करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव दिया था। मैं तो केवल आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। तीन बातें माननीय सदस्या ने कही हैं–एक तो यह कि जो पोस्टमार्टम हुआ इसमें 48 घंटे क्यों लगे ? दूसरे अभियुक्त क्यों नहीं पकड़ा गया जल्दी ? इसके अन्दर नेगलीजेन्स डिपार्टमेन्ट की है या अधिकारियों की है ? थानेदार और फिंगर प्रिन्ट को सूचना मिल गयी तो उसके नहीं पहुंचने की जांच करें। सूचना नहीं मिली तो उनके विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही करें ताकि आगे इस तरह के केसेज का रिपीटीशन नहीं हो। 48 घंटे तक बाडी पड़ी रही और बलात्कार हुआ, यह बड़ी निन्दनीय घटना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय सरकार से जो जवाब आया है उससे मुझे बड़ी ठेस लगी है और दुख हुआ है। मैं दो बार पंचायत राज मंत्री श्री भाटी जी से मिला हूं। मैंने पूरे प्रमाण उनको दिये हैं। मंत्री जी ने मुझे बड़े प्रेम से बैठाया, मुझे सम्मान दिया और मुझसे वायदा किया कि सरपंच को सस्पैण्ड कर देंगे किन्तु आज के जवाब से ऐसा लगा जैसे इन्होंने कोई जांच ही नहीं की। मेरे स्थगन प्रस्ताव के बाद सरपंच ने और जमीनें बेचीं। एक प्लाट तो अपने पुत्र योगेश के नाम अलाट कर दिया और एक ही प्लाट तीन तीन आदमियों को बेच दिया। यहां तक कि

(श्री हरीश शर्मा)

भारत के प्रसिद्ध जैनियों के मन्दिर चांदखेड़ी जैन मन्दिर, जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, जैनियों का तीर्थ स्थान है, की जमीन भी उसने हड़प ली और बेच दी। मन्दिर की सुरक्षा करना तो दूर रहा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्दिर की सम्पत्ति को भी नष्ट कर रहा है। यहां तक कि सार्वजनिक धर्मशाला पर भी कब्जा कर रहा है। किराया खुद ले लेता है और पंचायत में जमा नहीं कराता। जब जांच के लिए ए.डी.एम. गया तो ग्राम पंचायत का सैक्रेटरी जोशी सारी जमीनों के कागजात लेकर भाग गया। कारण, उस सैक्रेटरी ने भी बागेर में और थानपुर में भी प्लाट ले रखे हैं, ट्रक ले रखे हैं। इसकी पुनः जांच करायें, सरपंच को सस्पैण्ड करें और सैक्रेटरी का वहां से ट्रान्सफर करें। मंत्री जी ने मुझे सस्पैण्ड करने का वचन दिया और राजपूत होकर अपने वचन से मुकर रहे हैं....

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (मंत्री, पंचायती राज) : यह तो आपके और मेरे बीच में सीक्रेट वार्ता थी। खुली क्यों कर रहे हैं ?

श्री हरीश शर्मा : मान्यवर, आज तक जवाब नहीं आया और आया वह भी गलत आया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ जी।

श्री केदारनाथ : मान्यवर, यह प्रश्न ऐसा है जो शिक्षा नीति से संबंध रखता है। मैं एप्रोप्रियेशन बिल पर जब जनरल डिस्कशन होगा उस समय बोलूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है सूचना के लिए। अभी बिजली बोर्ड ने कुछ पैसा बढ़ाया है, ज्यादा रेट की है और उसके अनुरूप बिल भी भेजने शुरू कर दिये हैं। जो बिल आप भेजते हैं उनमें एक बिल आपने भेजा है। मंत्री महोदय बैठे हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जयपुर मसाला पिसाई केन्द्र है इनको बिल भेजा है। आपने उसमें कहा है कि अगर आप चैक से जमा करायें तो 30 तारीख को दे दें और अगर नकद जमा करायें तो 31 जुलाई को जमा करा दें। अगर नहीं करायेंगे तो आपका कनेक्शन काट दिया जायेगा। इस बिल को मैंने भी देखा है और सब लोगों ने भी देख लिया है। इसमें कोई राशि नहीं है कि कितना पैसा जमा करायें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : गलती से रह गया होगा। मुझे दे दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या जमा करायें और कितना करायें ?

श्री शिवचरण सिंह : 5 रुपये की जगह 5 लाख रुपये का बिल आया है। इसका जवाब दिया है महकमे ने, यह कोरा भेज रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसा एक केस नहीं है अनेक केसेज हैं। तो, माननीय मंत्री महोदय, कम से कम आप यह तो कीजिए।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : सारे राजस्थान में ऐसे ही बिल भेजो।

श्री भंवरलाल शर्मा : मंत्री महोदय, कम से कम यह तो करें।

श्री उपाध्यक्ष : अलग से बात कर लें।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मेवाड़ काम्पलेक्स योजना की क्रियान्विति

श्री सी.पी. जोशी राजस्थान में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मेवाड़ काम्पलेक्स योजना की क्रियान्विति के संबंध में पर्यटन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। श्री सी.पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेवाड़ काम्पलेक्स योजना पिछले लम्बे समय से राजस्थान और भारत सरकार के बीच विचाराधीन है। गोगुन्दा, कुम्भलगढ़, चावण्ड और हल्दी घाटी यह चार जो स्थान हैं इनका सीधा संबंध महाराणा प्रताप के जीवन से है। इन स्थानों को डवलप करने के लिए राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने एक योजना बनाई। छठी पंचवर्षीय योजना में भी वित्तीय प्रावधान नहीं रखने से इस योजना की क्रियान्विती नहीं हो सकी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं कभी पधारें, हल्दीघाटी पर तो कुम्भलगढ़ और चावण्ड स्थानों की पवित्र भूमि, जहां पर हल्दी घाटी का संग्राम हुआ था, पर इस आशा और विश्वास के साथ आते हैं कि इससे हम प्रेरणा लेंगे। कुछ दर्शनीय स्थल होंगे लेकिन आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि वहां पर ऐसी स्थिति है कि पर्यटक वहां आकर अपने मन में दुखी होते हैं। मैं मंत्री महोदय को केवल मात्र निवेदन करना चाहता हूं कि योजना की महत्ता के बारे में वह स्वयं परिचित हैं। योजना के क्रियान्वयन में उनकी स्वयं की रुचि हो सकती है लेकिन वित्तीय साधनों की उपलब्धता नहीं होने से राजस्थान सरकार और भारत सरकार के बीच में इस योजना की क्रियान्विती नहीं हो पा रही है। माननीय भारत सरकार के मंत्री उदयपुर आये थे तब मोती डूंगरी को भी इसी स्कीम में शामिल करने की उन्होंने घोषणा की थी ..

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्री से और रिक्वेस्ट कर दीजिए साथ के साथ।

श्री भंवरलाल शर्मा : उनके और इनके बीच में बोलचाल के संबंध नहीं हैं।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि योजना का प्रारूप बन चुका है। योजना का एस्टीमेट उन्होंने किया था एक करोड़ रुपया। यदि आज की प्राइस से उसका अन्दाज लगायें तो उसकी 5 करोड़ की योजना होगी। यदि योजना की क्रियान्विति नहीं करनी है तो मुझे इस संबंध में कुछ नहीं कहना है लेकिन बार बार हमें पत्रों के माध्यम से विधान सभा में यह आश्वासन देते रहें कि इस योजना की क्रियान्विति करने जा रहे हैं फिर भी इस योजना की कोई क्रियान्विति नहीं हो तो मैं चाहूंगा, मंत्री महोदय इस बारे में गम्भीरता से सोचें कि वित्तीय साधनों की उपलब्धता कहां कहां से हो सकती है। यदि राजस्थान की सरकार वित्तीय साधनों की उपलब्धता नहीं कर सकती है तो इसकी जो आल्टरनेटिव व्यवस्था हो सकती है उस संबंध में मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। इसके

(श्री सी. पी. जोशी)

अन्दर कुछ पार्ट ऐसा है, यदि सम्भव हो तो एन. आर. ई. पी. और आर. एल. ई. जी. पी. के प्रोग्राम के अन्दर एलोकेशन आफ फण्ड करवा लें जिससे कन्सट्रक्शन आफ रोड है और दूसरा पार्ट है वह आर. एल. ई. जी. पी. में हो जाये और एन. आर. ई. पी. में हो जाये। यदि यह भी सम्भव नहीं है तो स्वयं मंत्री महोदय इस बात को जानते हैं कि भारत के अन्दर सांस्कृतिक ट्रस्ट बना रखे हैं उन्होंने, उस ट्रस्ट के माध्यम से यदि इसको इनकोरपोरेट करना चाहें उसको इसका पार्ट बनाकर जैसा गंगा के वाटर पाल्यूशन को दूर करने के लिए एक ट्रस्ट बनाकर और पैसा लाकर हम कर रहे हैं और उससे पैसा मिल सके तो उसमें लें। यह भी सम्भव नहीं है तो जितने बड़े बड़े राजघराने हैं चाहे जयपुर का हो, चाहे कोटा का हो, चाहे उदयपुर का हो, इन सब का अर्बन सीलिंग एक्ट का इतना पैसा बचा हुआ है इसको भी हम नोटीफाई करें और एक ऐसा ट्रस्ट बनायें, प्राइवेट कम्पनी लिमिटेड बनायें जिसमें स्टेट गवर्नमेन्ट भी शेयर करे और जो फाइनेन्शल इन्सटीट्यूशन्स हैं वह भी शेयर करें। इसको यदि हम लिमिटेड कम्पनी बनाकर भी डवलपमेन्ट करना चाहें तब भी यह डवलपमेन्ट हो सकता है।

(1.00 म. प.)

लेकिन आवश्यकता इस बात की है, हम इसको ध्यान में रखें कि पर्यटन को बढ़ाने की दृष्टि से काम करना चाहते हैं इसलिये वित्तीय साधन हमें उपलब्ध कराने चाहिए। यदि हम इस मेवाड़ काम्प्लेक्स वाली योजना की कार्यान्विति में प्रोग्रेस करेंगे तो जितने टूरिस्ट आते हैं इस जगह को देखने के लिए वह आज जितने हरैस्ड होकर जाते हैं उतने हरैस्ड होकर नहीं जायेंगे। आप आश्चर्य करेंगे जो फिगर्स दिये हैं कि इतने पर्यटक उदयपुर के अन्दर आ रहे हैं. उन्चास लाख इस साल के फिगर्स हैं, उससे सिद्ध है कि सबसे ज्यादा राजस्थान में पर्यटक उदयपुर में आते हैं। वह उदयपुर में इसलिये आते हैं कि वहां सबसे बड़ी चीज हल्दी घाटी है जहां महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा था। उस मिट्टी को देखने के लिए, उस स्थान को देखने के लिए, जहां स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध हुआ था, आते हैं। तैंतीस साल के बाद भी आप मेवाड़ काम्प्लेक्स के लिये कुछ नहीं कर सके, केवल मात्र योजना क्रियान्विति में पड़ी है यह कोई अच्छी बात नहीं है। मैं चाहूंगा मं. मंत्री महोदय जवाब दें कि छठी पंचवर्षीय योजना निकल चुकी है उसमें इंवेस्टमेंट कुछ नहीं किया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में अगर क्रियान्वित नहीं करना चाहते हैं तो एक और बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। राजस्थान सरकार ने वहां की सारी लैंड के सेल, कंस्ट्रक्शन आदि पर बेन लगा दिया है। आठ साल से वहां जितने भी रहने वाले लोग हैं वह कंस्ट्रक्शन इसलिये नहीं कर सकते। राजस्थान सरकार ने अपना यह इण्टेशन बता दिया है कि हम विकास करना चाहते हैं। इससे वहां सारी एक्टीविटी रुकी हुई हैं। यदि हम इस स्कीम को एक्सपेन्ड करना चाहते हैं तो वहां के लोगों को जो तकलीफ है वह दूर हो पायेंगी। यदि हम क्रियान्वित करना चाहते हैं तो मंत्री महोदय केवल मात्र यह बतायें What are the possible altearnative जिससे हम अपनी योजना क्रियान्वित कर

(श्री सी. पी. जोशी)

सकें, योजना की महत्ता के बारे में डिस्कशन कर सकें। यहां कोई मेरिट नहीं है, लेकिन मेरिट इस बात की है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो मैंने माध्यम बताये हैं उस माध्यम का उपयोग करके इस योजना की क्रियान्विति कर सकते हैं तो कितने पैसे का ऐलोकेशन करेंगे, इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय अवगत करायें जिससे हम इस योजना की महत्ता के बारे में लोगों को बता सकें। जो आपका टूरिस्ट्स का वहां नम्बर था वह बढ़ेगा और रेवेन्यू जो जुड़ी हुई है इस मामले में वह भी बढ़ेगी। इसलिये मैं चाहूंगा कि पर्यटन की दृष्टि से ज्यादा इस ऐतिहासिक स्थान को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय वक्तव्य दें, स्पष्ट करें कि कब तक इसको विकसित करवायेंगे, कितने वित्तीय साधन उपलब्ध करवा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवेन्द्र कुमार मीणा।

(अनुपस्थित)

मंत्री महोदय।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सी. पी. जोशी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इसकी हिस्टोरिसिटी पर और इसके प्रपोजल के बैकग्राउण्ड पर इतना नहीं जायें। यह तो सदन के सभी माननीय सदस्यों को पहले ही पता है कि इस देश की आजादी में महाराणा प्रताप का क्या योगदान रहा है। मेवाड़ काम्पलेक्स के नाम से जो यह योजना हमारे सामने है, सरकार के सामने है, वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। सरकार का पिछले कुछ सालों से यही प्रयत्न रहा है, चूंकि एक बार टूरिज्म मिनिस्टर्स कांफ्रेंस में अर्ली सेवंटीज में और उसके बाद जनता पार्टी के समय में भी यह मसला उठा था खासकर जब स्वर्गीय प्रधान मंत्री इंदिरा जी सेंटेनरी सेलीब्रेशंस के लिए हल्दी घाटी पधारी थीं। अपने प्रदेश के न केवल नेतागण बल्कि पूरी ही जनता और देश की जनता आस्था रखती है महाराणा प्रताप में और याद करती है उनके योगदान को और उनके बलिदान को। मैं बिलकुल एग्री करता हूं माननीय सदस्य के विचारों से कि सरकार को कुछ न कुछ इसमें ठोस कार्यवाही करनी चाहिये। इसमें कोई एलिमेंट आफ डिस्प्यूट नहीं है और एलिमेंट आफ डिसकशन भी नहीं है चूंकि सेंट्रल स्पांसर्ड योजना होनी चाहिए थी, होने वाली थी। जब 1980-81 में सर्वे होकर डवलपमेंट प्रपोजल मेवाड़ काम्पलेक्स, खासकर कुम्भलगढ़, हल्दीघाटी, गोगुन्दा, चावण्ड, पर विचार करने के लिये उदयपुर में एक मीटिंग हुई थी उसमें प्रताप स्मारक भी सम्मिलित किया गया था मोती डूंगरी वाला। उस समय, उपाध्यक्ष महोदय, इसका खर्चा एक करोड़ आंका गया था। वित्तीय कमी के कारण वह काम हाथ में नहीं ले पाया गया सरकार से। आज की तारीख में जो फिगर माननीय सदस्य ने दिये हैं, एस्कलेशन के कारण करीब-करीब पांच-छः करोड़ है। लेकिन इससे इसके कन्क्लूजन पर नहीं पहुंच जाना चाहिए कि इस पूरे एरिया को टूरिज्म डवलपमेंट से बिलकुल वंचित कर दिया गया है। इंडिविजुअली कुछ प्रपोजल पहले से चले आ रहे थे, कुछ नये निर्णय लिये गये थे जो कि जनरली

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

इसमें इनकारपोरेटेड हैं, जैसे कुम्भलगढ़ की एक योजना भी थी। इसके अगेंस्ट में तो कुछ भी नहीं हुआ लेकिन इसमें कुछ कार्यवाही हो रही है। उदाहरण के रूप में अर्ज करूं कि कुम्भलगढ़ फोर्ट की देखरेख का काम, उपाध्यक्ष महोदय, आर्कालोजिकल सर्वे आफ इण्डिया के हाथों में है। मेरा यह मानना है सरकार का यह मानना है पिछले कुछ वर्षों के अनुभवों से कि जितने भी हिस्टोरिकल मौन्यूमेंट्स हैं भले ही कुम्भलगढ़ हो, हल्दी घाटी में यह एप्लाई नहीं करेगा, या डीग हो, या जैसलमेर हो, ऐसे हिस्टोरिकल स्पोट्स पर सरकार को इकोनामिक वायबिलिटी किसी रूप में लानी पड़ेगी। जैसे डीग या कुम्भलगढ़ का मैं अर्ज करूं, आज हमें कुम्भलगढ़ की परमिशन मिल जाये उसके बारे में हमने आर्कोलोजिकल सर्वे को लिख भी दिया है। आप हमें या तो इस पूरे एरिया को हैंड ओवर कर दीजिये या हमें परमिशन दीजिये वहां पर कुछ कमरे बनाने के लिए या जो वहां मौजूदा कमरे हैं उनको कंवर्ट करके टूरिस्ट को रखने के लिए परमिशन दीजिए आप हमें एक अच्छा रेस्टोरेंट बनाने के लिए भी। कुम्भलगढ़ में 1981 में जो टूरिस्ट इनफ्लो की मात्रा थी वह करीब 40-45 हजार थी एनुअली। आज आंका जाता है कि वह शायद एक लाख बढ़ जाये। कुछ सड़कें भी इसमें प्रपोज्ड थीं और वह पी. डब्ल्यू. डी. के तहत या किसी और प्रोग्राम के तहत बन नहीं रही हैं। तो एक तो मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सिर्फ एक टोकन एलोकेशन हमारे बजट में रखकर हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ जायें। केन्द्रीय सरकार को बार-बार चिट्ठी-पत्री के जरिये या मीटिंग से यह प्रयत्न हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय, किसी न किसी रूप में इस प्रोजेक्ट के लिए इन प्रपोजल्स के लिये धनराशि हम उनसे उपलब्ध करवायें। लग रहा है ऐसे ही पिछले तीन-चार साल के अनुभवों से कि केन्द्रीय सरकार भी इस पोजीशन में नहीं है कि इसको टोटली फाइनेंस करे। मैं न केवल माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं, बल्कि सदन को भी, अभी जो हेरीटेज इंडिया का प्रपोजल एक मूव हुआ है अपने देश में। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं जो दो काम्पलेक्स पेन्डिंग हैं, प्रायोरिटी में नम्बर वन एन्ड टू, इन दोनों को हम प्रपोजल के रूप में हेरीटेज इण्डिया को सजेस्ट करेंगे कि वो अपने हाथ में लेवें। कुछ हम भी उसमें कन्ट्रीब्यूट करेंगे, होगा वह टोकन ही उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि आज की तारीख में जो बजट टूरिज्म डिपार्टमेंट को मिला है वह अगर इसके अगेन्स्ट में आंका जाय तो बिलकुल ही कम है। 14-15 करोड़ का बजट है, उपाध्यक्ष महोदय ..

एक माननीय सदस्य : कमजोरी है आपकी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कमजोरी है सो है, आप निकाल दें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : वह जब डिमान्ड आये टूरिज्म की आप उसको बढ़ा देना। मैं बहुत ही ग्रेटफुल होऊंगा आपका।

एक माननीय सदस्य : आपके बस की नहीं है क्या ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मेरे बस का जितना था उतना तो कर लिया।

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिह : जो जिले आठवीं और नवीं सेन्चुरी के हैं....

(व्यवधान)

उनकी आपने कभी चर्चा ही नहीं की....

(व्यवधान)

लेकिन बयाना का किला नाइन्थ सेन्चुरी का है, कुम्भलगढ़ का किला एट्थ सेन्चुरी का रहा है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अलग से प्रश्न उठाना चाहिये। आपको उठाना चाहिये।

श्री नरेन्द्रसिह भाटी : माननीय सदस्य, किस ग्रेव टापिक पर डिसकसन हो रहा था और आप कहां से कहां हमें ले जाना चाहते हैं। डीग वेस्ट में है।

एक माननीय सदस्य : इस किले के ऊपर 35 साल में एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। एक पैसा भी उसकी खाई पर खर्च नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आप अलग से प्रश्न उठायें, उन्होंने रेफरेन्स दिया है।

श्री नत्थी सिंह : अभी जवाब में कहा है

एक माननीय सदस्य : आपका ही जवाब है। बूढ़े हो गये प्रस्ताव लाते लाते डीग के लिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, हेरीटेज इण्डिया की बात की लेकिन इसके साथ ही साथ में मैं यह प्रयत्न करूंगा, डिपार्टमेंट भी करेगा कि जो वेरियस एजेन्सीज हैं जिसके तहत अपन को धनराशि उपलब्ध होती है जैसे एन.आर.ई.पी. या रूरल डवलपमेंट का कोई एक क्वान्टम तो हमने इन वेरियस एजेन्सीज को सूचित किया है जैसे पी.डबलू.डी. को सूचित किया है कि ऐसा एक प्रपोजल है. बनिस्पत कि आप डुप्लिकेशन करें इन्ही प्रपोजल्स को लेकर आप उस कार्य में सड़कें या कुछ और तरह की इमारतें इन्क्लूड कर लें। तो वह भी डिपार्टमेंट का प्रयास होगा। टोकन. अभी तक हमने इसलिये रखा है हमारे बजट में, उपाध्यक्ष महोदय, इसके तहत कि हम चूंकि सेन्ट्रली एडेड, कम्पलीटली एडेड, हो रहे ये या होने जायें तो वो हमें बता दें कि इतना दे सकेगी सेन्ट्रल गवर्नमेंट और जो कमी पड़ जायगी उसका खुद के हमारे बजट में से प्रोविजन करेंगे। एक बार जो जमीनों का भी जिक्र हुआ था मैंने माननीय सदस्यों को भी पहले सूचित कर रखा है और कुछ सरपंचों की भी हमारे पास लिस्ट आई है....

(व्यवधान)

क्या फरमाया आपने ?

श्री उपाध्यक्ष : वो शंका समाधान की कह रहे हैं, दे दें, ऐसा मतलब है न आपका ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं काम्पलेक्स के बारे में सवाल करना चाहता हूं। यह बात पूरी हो जाय तब करें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ललित जी की, उपाध्यक्ष महोदय, प्राबलम वही है, काम्पलेक्स एग्जिस्ट हो सकता है बिना जमीन के लेकिन इनमें पेशेन्स तो है नहीं । कुछ और पाइन्ट उठाना चाह रहे होंगे ।

श्री हरिशंकर भामड़ा : वो मन में ही होता है । इन्होंने यह समझा कि पेशेन्स नहीं है ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : तो, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को यही अर्ज करना चाहूंगा कि मेरी ओपीनियन में और सरकार की ओपीनियन में यह अनिवार्य नहीं होगा । जो बेन लगा है, इस बेन के तहत जो एरिया डिमारकेटेड है, खसरा डिमारकेटेड है उनको बेचने पर जो रोक लगी है वह बेन मैं नहीं चाहूंगा । यह अन्डर कन्सीडरेशन है तो हम उस एरिया को जहां तक हो सके प्रिजर्व और इनटेक्ट रखें । मेरे ख्याल से माननीय सदस्य भी इससे सहमत होंगे । यह कहते हुए मैं फिर विश्वास दिलाना चाहता हूं सदन को और माननीय सदस्यों को कि हमारा और सरकार का खास तौर से इस काम्पलेक्स के बारे में टोटली कमिटमेंट है । मैं चाहूंगा कि जितनी जल्दी हो किसी एजेन्सी के थ्रू इसकी हम शुरुआत करा सकें या कम्पलीट करा सकें । यही विश्वास दिलाते हुए और धन्यवाद अर्ज करते हुए समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सी.पी. जोशी ।

श्री सी.पी. जोशी : माननीय मंत्री महोदय से मेरे दो बेसिक प्रश्न हैं...

I am not going in the merits of the scheme;

हेरीटेज इण्डिया का जो रेफरेन्स दिया है मैं समझता हूं कि हेरीटेज आफ इंडिया का जितना अलोकेशन आफ फन्ड्स है और राजस्थान की जितनी कल्चर हेरीटेज अवेलेबल है, उसको देखते हुए क्या मंत्री महोदय, इस तरह के क्षेत्र को डवलप करने के लिये दो भागों में बांटेंगे ? डवपलमेंट के एक पार्ट में हेरीटेज इंडिया की तरह हेरीटेज राजस्थान की एक आप लिमिटेड कम्पनी बनायें, उसमें जो राजा महाराजा हैं या जो राजस्थान के बाहर बिजनेस मैन हैं, उनको जैसे आपने आज होटल दिला रखी है, डवलपमेंट के लिये प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी बना कर एक पार्ट को तो आप हाथ में लें इसके आधार पर और जो दूसरा पार्ट है जैसे हल्दी घाटी पर्टीक्यूलर जगह में रक्त तलाई के अन्दर पंचायत समिति का काम्पलेक्स हो, आप खुद पंचायत राज मंत्री हैं यदि टोटली स्कीम को पंचायती राज के अन्तर्गत लें और एन. आर.ई.पी. को ट्राई करके उसको आप पंचायती राज डाइवर्ट करने के लिये प्रयास करेंगे तो एन.आर.ई.पी का पैसा उस जगह डवलपमेंट के लिये आ सकता है । प्लान की जो रोड्स हैं आपकी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्लान की रोड्स को प्रायोरिटी में ले करके काम कर सकते हैं । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि आप जो प्रयास कर रहे हैं, वह प्रयास और कास्ट जो एक्सकलेटेड हैं उन दोनों के बीच में सम्बन्ध स्थापित करने के लिये क्या आप यह महसूस नहीं करते हैं कि जितना कल्चरज हेरीटेज राजस्थान में अवेलेबल है, जितना कल्चरज हेरीटेज डवलप करने का राजस्थान में स्कोप है और जितने आपके फाइनेंसियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इन दोनों का भी कोई सम्बन्ध नहीं है और

(श्री सी. पी. जोशी)

हेरीटेज इंडिया से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह हेरीटेज इंडिया राजस्थान का तो केटर नहीं कर पायेगी। इसलिये आप मुझे मेहरबानी करके यह बतायें कि राजस्थान का टूरिज्म कम्प-लेक्स डवलप करने का जितना टोटल पोटेन्शियल है और राजस्थान में अवेलेबल है वह हेरीटेज इंडिया के अन्दर टोटल नहीं हो सकेगा तो हेरीटेज इंडिया के जितने फन्ड्स अवेलेबिल हैं....it will cater the need of the entire nation and not of a particular state.

हमारी अपनी आवश्यकता इस बात की है कि कितने पर्यटक राजस्थान में आते हैं। तो क्या उसकी प्रायोरिटी फिक्स कराने के लिये हेरीटेज इण्डिया को आप बाउन्ड कर सकेंगे। वह भी प्रपोजल्स जायेंगे तो हेरीटेज इन्डिया का फेट भी ऐसा नहीं है कि सेवन्थ प्लान के अन्दर भी हम हेरीटेज इन्डिया से एक्सपेक्ट करके रुक जायं। मैं कम्पलीट आश्वासन चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना, जो राजस्थान सरकार के हाथ में है, में चाहे पंचायत राज के माध्यम से, चाहे एन. आर. ई. पी. के माध्यम से और चाहे आर. एल. ई. जी. पी. के माध्यम से या आप अपनी खुद की लिमिटेड कम्पनी बना करके टोकन ग्रान्ट स्टार्ट करें, शेयर करें। यदि इस आधार पर राजस्थान में मेवाड़ काम्पलेक्स को डवलप करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? पहली चीज। सातवीं पंचवर्षीय योजना में आपके इन सारे प्रयासों के बाद हम क्या आशा करें कि जो करीब 6 करोड़ के एस्टीमेट की हो गई हैं, यदि सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी आपने इसको कम्पलीट नहीं किया तो आठवीं पंच-वर्षीय योजना में इसकी कास्ट हो जायगी 12 करोड़। तो वैसे ही कास्ट इतनी ज्यादा हो जायगी कि कम्पलीट नहीं हो पायेगा। तो जो 6 करोड़ का एस्टीमेट है, आज की तारीख में सारे प्रयास करने के बाद कितना अमाउन्ट इसमें इन्वेस्टमेन्ट कर पायेंगे? ये दो चीज हैं।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : माननीय उपा-ध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नाथद्वारा ने बता दी सारी स्थिति लेकिन मैं थोड़ा सा गोगुन्दा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मेवाड़ काम्पलेक्स का महत्वपूर्ण स्थान गोगुन्दा है वहां पर महाराणा प्रताप का तिलक हुआ। मारवाड़ से लगा करके माउण्ट आबू तक का सारा क्षेत्र, उदयपुर से जाने वाला सारा क्षेत्र है। हमने पहले भी इस बारे में सरकार से निवेदन किया था कि ऐसे स्थान को महत्वपूर्ण समझें। वह स्थान जो पर्यटक लोग आते हैं उनको देखने की इच्छा होती है, उस सारे क्षेत्र को देखने की इच्छा होती है। वह ऐसा स्थान है। मेवाड काम्प-लेक्स का दूसरा नम्बर है गोगुन्दा का। वहां पर महाराणा प्रताप का तिलक हुआ है। वहां पर बावड़ी खुदी हुई है और वहां पर बहुत बड़ा गांव है। आज उनके सारे खण्ड-हर पड़े हुए हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय इसमें इन्ट्रेस्ट ले रहे हैं। इन्ट्रेस्ट लेने की तो आवश्यकता है लेकिन क्योंकि आदिवासी बैल्ट है सारा उस पर वे आधारित हैं। आदिवासियों ने सबसे बड़ा योग दिया है महाराणा प्रताप को। उन्होंने जिस तरीके से

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

बलिदान दिया है, महाराणा प्रताप का तिलक भी वहीं पर हुआ है, वहां से वे चावण्ड आए। तो मैं यह मानता हूं कि कुम्भलगढ़ से जो रोड निकाल रहे हैं इसी को निकालें। गोगुन्दा आने वाले हल्दीघाटी होकर कुम्भलगढ़ देखते हुए लोग गोगुन्दा आ सकते हैं। मेरा निवेदन है मन्त्री महोदय से, इस बारे में अभी अपने माननीय सदस्य नाथद्वारा से आने वालों ने बताया था, उसमें आपने स्पष्ट कर दिया लेकिन मैं यह चाहता हूं कि गोगुन्दा इतना प्रसिद्ध स्थान है, वहां हिन्दुस्तान के माने हुए महाराणा प्रताप का तिलक हुआ है। इन्होंने अपनी सारी जिन्दगी वहां पर दी है? आदिवासियों से घिरा हुआ है वह इलाका। इसकी ओर सरकार विशेष ध्यान दे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें माननीय मंत्री महोदय के सामने निवेदन करना चाहता हूं। जो वक्तव्य माननीय मन्त्री महोदय ने दिया है उनकी इच्छा तो है, पर he is lacking in strong will. मेवाड़ काम्पलेक्स के डवलपमेंट के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्ट्रोंग विल की अनुपस्थिति उनके वक्तव्य में झलकती है। मैं केन्द्रीय सरकार की चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन सुझाव देना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : विल से माननीय सदस्य का मतलब वसीयत से है या विल से है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इच्छा उत्कंठ इच्छा से है, राजनैतिक इच्छा! उसका कारण है साहब....

श्री नत्थीसिंह : विल का मतलब यह तो नहीं है कि वे अपने जमाने में नहीं करेंगे। ऐसे ही छोड़ जायेंगे आगे के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने बड़े विश्वास के साथ में कहा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : विश्वास की कमी तो है ही....

श्री उपाध्यक्ष : विश्वास के साथ कहा है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : साथ ही इच्छा इस काम को पूरा करने की कम है। वह बात बतायेंगे इसके बारे में, मुझ को विशेष कहना नहीं है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के किसी प्रदेश में या विश्व के किसी भी देश में अगर राजस्थान का नाम आता है तो मेवाड़ का इतिहास उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। यह चावण्ड, यह कुम्भलगढ़ यह हल्दीघाटी, यह गोगुन्दा। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार से सहयोग लेने की चर्चा, एक बात हो गई। यह इतना सेन्टीमेन्टल इश्यु है जो राजस्थान के बाहर प्रवासी राजस्थानी हैं उसके दिल में बहुत बड़ी इच्छा है। मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि आप अप्रोच तो करिये। इस मेवाड काम्पलेक्स के डवलपमेन्ट का जहां तक सवाल है, आप एक बार प्रवासी राजस्थानी को कांटेक्ट करके देखिये। वह आतुर हैं। छोटे से पाली में महाराणा प्रताप घोड़े पर की मूर्ति लगाने की इच्छा जागृत

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

हुई वहां के नगर पालिका के अध्यक्ष की, एक लाख रुपया छः दिन में पाली के ग्रास पास के लोगों ने इकठ्ठा करके उनको दे दिया। मैं ग्रापके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि प्रवासी राजस्थानी भावनात्मक रूप से मेवाड़ कोम्पलेक्स के साथ बहुत ग्रधिक जुड़ा है। ग्राप एक बार कोई न कोई इस तरह की बात करके, इस तरह का एप्रोच करके कोशिश करिये इस मेवाड़ कोम्पलेक्स के डवलपमेन्ट की दृष्टि से। ग्रगर प्रारम्भ हो गया थोड़ा सा तो फिर केन्द्रीय सरकार पर भी दबाव डालने में सहूलियत होगी कि इतना काम इस नाते से प्रवासी राजस्थानियों के द्वारा हो गया।

एक बात ग्रौर कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापके माध्यम से कि कुछ एजेन्सीज हैं, मुझे चावण्डी की जानकारी है व्यक्तिगत रूप से। चावण्डी में एक समिति बनी थी। उस समिति ने प्रयास किया था उस शहर को डवलपमेन्ट करने का। राजस्थान सरकार का सहयोग किंचित नहीं रहा किन्तु थोड़ा बहुत जितना भी था उससे एक ग्रच्छा डवलपमेन्ट करने की कोशिश उन्होंने की है। मैं इसलिये कहना चाहता हूं, यह इस बात का द्योतक है, मेवाड़ के ग्रन्दर रहने वाले व्यक्ति, जो राजस्थान से बाहर रहता है मेवाड़ को छोड़ कर मारवाड़ के लोग भी राजस्थान से जो बाहर रहते हैं उनका सेंटिमेंटल टच इसमें है। राजस्थान के मन्त्रिमण्डल या विशेष रूप से मन्त्री महोदय का बहुत जाना होता है चुनाव के समय, बहुत बातों में जाना होता है, कई बातें कहनी होती हैं, इण्डस्ट्री लाने के लिए भी कहनी होती हैं, इस इश्यू पर, इस सेंटीमेंटल इश्यू पर ग्राप सम्पर्क करने की कोशिश करेंगे तो मेरा ग्रापके माध्यम से कहना है कि इस काम्पलेक्स के विकास की दृष्टि से प्रवासी राजस्थानी ग्रपना बहुत बड़ा कण्ट्रीब्यूशन ग्रापको कर सकेगा। एक बार शुरू हो गया तो फिर केन्द्रीय सरकार को ग्रापको कहने में जोर ग्रा जायेगा। यह लगेगा कि ग्रापने भी कुछ कण्ट्रीब्यूशन इस नाते से करने की कोशिश की है। मुझको यह लगता है कि केन्द्रीय सरकार शायद इस नाते से देने की स्थिति में है किन्तु जो मैचिंग शेयर राजस्थान की ग्रोर से होना चाहिये, राजस्थान-सरकार उस मैचिंग शेयर को देते हुए घबराती है। उनके सामने वह प्रश्न खड़ा हो जाता है तो इस कारण से बाधा ग्रा रही है। यह समय नहीं है, जब एप्रोप्रियेशन बिल ग्रायेगा तब मैं चर्चा करूंगा इस बात की। इसलिये मैं ग्रापसे कहना चाहता हूं कि एक बार राजस्थान सरकार ग्रपने मैचिंग शेयर के बारे में पर्टीक्यूलर होकर केन्द्रीय सरकार के सामने रिक्वेस्ट जोरों से करेगी तो हो सकता है कि इन प्रवासी राजस्थानियों का कण्ट्रीब्यूशन भी एक मैचिंग शेयर ग्राका माना जा सकता है। इससे राजस्थान का जो कंसोलिडेटेट फण्ड है उस पर शायद बहुत बड़ा भार नहीं पड़े। इस पर जोर डालिये, कुछ मैचिंग शेयर करिये तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक ग्रच्छी समुचित धनराशि ग्रापको मिल सकती है। मेवाड़ का काम्पलेक्स के डवलपमेन्ट के कारण हिन्दुस्तान भर में राजस्थान का जो नाम है, पर्यटकों को ग्राकर्षित करने का केन्द्र बन

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

सकता है। इसके लिये माननीय मन्त्री महोदय स्ट्रोंग विल, पोलिटिकल विल अपनी बनाइये। कुछ दवाव डालिये मन्त्रिमण्डल पर तो इसकी क्रियान्विति होने में बहुत सहयोग होगा। और जैसा माननीय सदस्य ने इस काम्पलेक्स के विकास की दृष्टि से आपको कहा है उसमें आपको सहूलियत होगी, यही मेरा आपसे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री हरिशंकर भामड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, हल्दी घाटी मैं स्वयं गया था। हल्दी घाटी जो है, जिसको अब चौड़ा कर दिया गया है सड़क बना करके, उसके पास चेतक का एक स्मारक बना हुआ है। जब कोई आदमी वहां जाता है और यह कोशिश करता है पता लगाने की कि हल्दी घाटी में युद्ध कैसे हुआ तो, उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा आश्चर्य होता है, जैसी वहां की जमीन है, जैसी स्थिति है उससे लगता ही नहीं कि यहां कभी युद्ध हुआ होगा। वह कौन सा नाला है जिस नाले को चेतक ने पार किया था। कई नाले हैं वहां पर। तो ऐसा लगता ही नहीं है वहां पर कि हल्दी घाटी के बारे में जो इतिहास में बातें लिखी हुई हैं वह सही ही हैं। इसकी सारी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार पर है। इसमें बहुत बड़ा पैसा लगाने की जरूरत भी नहीं है। थोड़ी खोज करके उन स्थानों पर यदि साइन बोर्ड लगा दें कि यह वह नाला है जिसे चेतक ने पार किया था। यह स्थान है कि जहां युद्ध हुआ था, जहां मुगल सेनायें थीं, जहां पर महाराणा प्रताप की सेनायें थीं। उसमें आकर्षण बढ़ेगा और आकर्षण बढ़ेगा तो लोग आयेंगे। तो जैसा ललितजी ने कहा केवल आपके फण्ड और केन्द्रीय सरकार के फण्ड ही नहीं, शायद लोग भी उसमें डोनेशन करने के लिये तैयार होंगे। लेकिन यह प्राथमिक काम वहां पर हल्दी घाटी में नहीं है। वहां पर स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी गई थीं, तो ठहरने के लिये तो बहुत अच्छा स्थान तो जरूर बना. जिसे होटल कहिये या मोटल कहिये। इसके सिवाय कोई चीज का पता चलता नहीं है। इसलिये इस काम्पलेक्स को पूरा करने के पहले जो बेसिक बातें हैं उनकी तरफ सरकार ध्यान दे। उसमें बहुत ज्यादा फण्ड की जरूरत भी नहीं है. खोज करके वहां पर इस तरह के इण्डीकेशन लगा दिये जावें, बोर्ड लगा दिये जावें ताकि लोगों को उसको देखने में रुचि हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, जो सजेशन माननीय सदस्य भामड़ाजी से आया उसकी सूचना के लिये मैं अर्ज कर दूं कि बोर्ड लगे भी थे और वहां से कुछ बोर्ड्स हट भी गये थे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनको रीइंस्टेड करवा दूंगा, लगवा दूंगा।

जहां तक माननीय ललितजी का सजेशन है उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की तो आदत ही हो गई है शायद हर एक चीज को पोलिटिकलाइज करने की। सरकार की न केवल स्ट्रांग विल है, मैं आपको अर्ज कर दूं, बहुत ही स्ट्रांग इन्टेंशन है इसको क्रियान्वित करने की। एफर्ट्स पहले भी किये गये हैं नान गवर्नमेंट सोर्सेज से पैसा उपलब्ध कराने के लिए। अनफा-

(श्री नरेन्द्रसिंह भाटी)

चूंकि नेटली जो रेसपांस होना चाहिये था, नहीं हुआ। सरकार का पहले भी इरादा था वहां उस सोर्स को टेप करने का और आगे भी है। जो मेचिंग शेयर का आपने उठाया, बार-बार आपकी पोलिटिकलाइज करने की आदत तो है ही....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसमें क्या है ?

श्री दाऊदयाल जोशी : सात साल में कुछ किया नहीं। आप व्यर्थ में आलोचना की बात कर रहे हो।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप, दाऊदयालजी, मुझे यही बता दो कि कुम्भलगढ़ कितनी दूर है उदयपुर से ?

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं वहां होकर आया हूं।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : कितने किलोमीटर दूर है ?

श्री दाऊदयाल जोशी : भाई से पूछो, जोशी से पूछो। मैं पूरा मेवाड़ काम्पलेक्स घूमा हूं चुनाव के माध्यम से।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य :

श्री दाऊदयाल जोशी : एक चप्पा-चप्पा जानता हूं। इतना अनुभव है।

श्री उपाध्यक्ष : जरा तसल्ली से सुन लें।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ माननीय सदस्य को यही बताना चाहता हूं, कोई मेचिंग शेयर की कंसीडरेशन के कारण, मतलब फिफ्टी-फिफ्टी या ऐसा कुछ हो उसके कारण राज्य सरकार दब रही हो या डर रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। फुल्ली सेन्ट्रल फण्डेड प्रोजेक्ट की कोशिश हो रही है। अगर वह पूरा नहीं कर पायेंगे और हमारे को कुछ देना पड़ेगा तो हम शर्तिया देंगे।

जहां तक माननीय सी. पी. जोशी का प्रश्न था हेरिटेज ऑफ इण्डिया के बारे में, मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं आपको, जो पालिसी तय हुई है उसके तहत हेरिटेज ऑफ इण्डिया के नीचे, उपाध्यक्ष महोदय, सेन्ट्रल गवर्नमेण्ट करीब सात प्रोजेक्ट देगी, मैं चाहूंगा इस प्रोजेक्ट को हम उन सातों में से एक में इनक्लूड करवा दें तो उससे हमें काफी फायनेन्सियल ऐड अदरवाइज मदद मिलेगी।

माननीय देवेन्द्रजी ने जो गोगुन्दा का जिक्र किया, मैंने पहले भी अर्ज किया, उनकी महत्वता में कोई डाउट नहीं है। इसलिये यह प्रोजेक्ट एण्ड काम्पलेक्स की पूरी बुकलेट भी तैयार हुई है, उपाध्यक्ष महोदय, और निर्णय भी लिया गया था। हम यही चाहते हैं, सरकार यही चाहती है कि उसको और सुन्दर बनाया जाय, उसमें व्यवस्था रहने की इत्यादि उपलब्ध करायी जाय जिससे टूरिस्ट अट्रैक्ट भी हो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप जवाब कुछ भी दे दो सी पी. सेटिसफाइड नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : I am fully satisfied.

(श्री सी. पी. जोशी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करूंगा, मन्त्री महोदय पंचायत राज मन्त्री भी हैं, वहां पंचायत समिति का कार्यालय है....

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्रीजी बहुत कुछ कह गये। इससे ज्यादा और क्या होगा। मन्त्रीजी इससे ज्यादा और क्या विल करेंगे। किसी तरह की भी विल, वैसी विल मान लीजिये या वैसी विल मान लीजिये, इससे स्ट्रांग विल क्या होगी?

श्री सी.पी. जोशी : पंचायत समिति का हैडक्वार्टर है इसलिये मैं कह रहा हूं। पंचायत समिति का हैड क्वार्टर वहां है उसको तो आप प्रोजेक्टर बनाकर टैक अप कर सकते हैं यह मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे।

श्री उपाध्यक्ष : वह सारी चीजें कह दी।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह इश्यू ....

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिदेव जोशी, मुख्य मंत्री, कोटा नगर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा किये गये लाठीचार्ज के संबंध में एक वक्तव्य देंगे।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पाइन्ट आफ आर्डर।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्रीजी पधारे थे। इस कार्य सूची में यह लिखा है। मेरा निवेदन है कि क्या इसी की राह देखते रहें कि वक्तव्य देने का सवाल आये उस वक्त चले जायं। बड़ा इम्पार्टेण्ट सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ललित जी, क्या कोई एतराज उठाना जायज है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आखिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहां रहते....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी तैयार है, जो सुनायेंगे। एतराज उठाना ही जरूरी है तो बात दूसरी है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : क्या कोटा का इश्यू इतना....

श्री हरीश शर्मा : मुख्य मंत्री अयोग्य हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : पहले ही बात हो चुकी है इसलिये कोई बात नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : क्या मुख्य मंत्रीजी अयोग्य हैं अयोग्यता मुख्य मंत्रीजी को है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : इस हाउस में अयोग्यता का कोई प्रश्न ही नहीं है। अयोग्य शब्द तो इस हाउस में है ही नहीं।

श्री हरीश शर्मा : आप रोज बोलते हो उनको ही बुला दो आज तो। आप तो रोज ही बोलते हो।

शासकीय वक्तव्य

कोटा नगर में पेयजल दरों में वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : बात यह है आप सुनना नहीं चाहते। परसों के दिन भी कहा पोस्टपोन कर दो, आप कहो तो आज भी पोस्टपोन कर देवें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा पेयजल की दरों में की गई वृद्धि के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की कोटा शाखा द्वारा दिनांक 20 जून, 1985 को जलदाय विभाग. झाला हाउस, कोटा पर प्रदर्शन का आयोजन किया। करीब 400-500 कार्यकर्ताओं का जुलूस दिन के करीब 11 बजे झाला हाउस पहुंचा। जुलूस का नेतृत्व भूतपूर्व लोकसभा सदस्य. श्री कृष्ण कुमार गोयल....

श्री हरीश शर्मा : मंत्री।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मंत्री मान लीजिये।

श्री हरीश शर्मा : थे, मान लीजिये नहीं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : कोई एतराज नहीं है मुझे।

एवं वर्तमान विधायक सर्व श्री ललित किशोर चतुर्वेदी एव भूतपूर्व मंत्री भी लिख दूं, दाऊदयाल जोशी एवं हरिकुमार औदिच्य कर रहे थे।

प्रदर्शनकारियों ने जलदाय विभाग के मुख्य द्वार पर उत्तेजनात्मक नारेबाजी की। दिन के करीब 11 बजकर 15 मिनट पर प्रदर्शनकारी पुलिये का कार्डन तोड़कर कार्यालय में जबरन घुसने लगे, जिस पर मौके पर उपस्थित नगर दण्डनायक एवं अपर अधीक्षक पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाये रखने एवं जबरन अन्दर नहीं घुसने हेतु आग्रह किया परन्तु प्रदर्शनकारी उग्र होकर पथराव करने लगे जिसके कारण अपर अधीक्षक पुलिस सहित कई पुलिस कर्मचारियों के चोटें आई। प्रदर्शनकारियों ने वहां पर खड़े पुलिस एवं जलदाय विभाग के चार वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया एवं पुलिस वायरलैस सैट को भी तोड़ दिया। घटनास्थल पर उपस्थित नगर दण्डनायक, कोटा द्वारा दी गई चेतावनी की परवाह न कर जब प्रदर्शनकारी पथराव कर जलदाय विभाग में जबरन घुसने लगे तो नगर दण्ड-नायक के आदेश से पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक पीछे हटा दिया। इस घटना के दौरान माननीय विधायक श्री दाऊदयाल जोशी एवं श्री हरिकुमार औदिच्य के भी साधारण चोटें आई जिन्हें पुलिस द्वारा अस्पताल पहुंचा कर डाक्टरी मुआयना एवं उपचार करवाया गया। कुछ अन्य प्रदर्शन-कारियों के भी साधारण चोटें आई परन्तु वह डाक्टरी जांच हेतु उपस्थित नहीं हुए। उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा थाना कैथुनीपोल पर अभियोग संख्या 73–85 धारा 147, 148, 149, 307, 332, 353, 440, 379 ता. हि एवं धारा 3 प्रिवेन्शन आफ डेमेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान जारी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप आदेश दो तो मैं कोटा के अखबार

(श्री हरीश शर्मा)

की एक बात कह देना चाहता हूं । नवज्योति अखबार है । कोटा. 12 जून । गत दिनों पेयजल की दरों में वृद्धि के विरोध में आतंककारी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं पुलिस के मध्य हुए लाठी भाटा जंग के पश्चात् पुलिस प्रशासन द्वारा भारतीय जनता पार्टी विधायकों सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं के विरूद्ध दर्ज किये गये गंभीर प्रकरण अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है । गत 10 जून को झाला हाउस के बाहर लाठी भाटा जंग पश्चात् आंतककारी भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी जिन्हें जिला प्रशासन ने सायंकाल रिहा कर दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इतना ही काफी है । अखबार पढ़ने की अनुमति नहीं है, इतना ही रेफरेंस काफी है ।

श्री हरीश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, धारा 307, चोरी का उन पर आरोप लगाया । मैं पूछना चाहता हूं, इससे पहले आज तक उन्होंने कोई केस किया है ? मेरे पर बहुत से केसेज हो सकते हैं लेकिन उनके विरूद्ध ऐसा एक भी कोई केस आज से पहले का हो तो मैं यह आरोप मान लूंगा । न उन्होंने कोई अपराध किया, न कोई तोड़ फोड़ की, न उन पर किसी बात का आरोप है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि उन पर आपने धारा 307 लगायी, उन्होंने किसको मारा, कौनसी हत्या की, कौनसी चोरी की ? मान्यवर, सिटी मजिस्ट्रेट वहां उपस्थित ही नहीं । पहली बात तो यह है, मुखराम चौधरी स्वयं जो कुछ था सिटी मजिस्ट्रेट था, कलेक्टर था, सब कुछ वही था । उसी ने आते ही यह आदेश दिए । प्रहलादसिंह प्रदेश मंत्री ने यहां कहा है कि किस प्रकार पुलिस द्वारा पिटाई की गई । पूरी फोटो आई है अखबार में । मोडूलाल वर्मा का हाथ टूट गया, एम. एल.ए. का सिर फूट गया । इसके बावजूद भी पुलिस वाले एक व्यक्ति को भी बता दें जिसने पुलिस वालों को मारा । उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस ने कहा है कि पत्थर मारे । पत्थर तो उनके भी लगे और पुलिस के पत्थर पुलिस के लगे और केस बना इनके ऊपर । इस सबकी आपको जांच करनी चाहिए । मैं चाहूंगा कि निर्दोष लोगों पर से केस उठा लें आप । यह तो आप बताए'गे कि कौनसा अपराध किया, किसके मारा, किसके हाथ में लाठी थी, चाकू था, गोली थी, रिवाल्वर था, क्या था ? कैसे 308 का केस बना इन पर ? कैसे इन पर चोरी का केस बना ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिकुमार ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है वह असत्य का पुलिंदा है । जहां उनको प्रदर्शन करना था उसी के पास रामतलाई मैदान है । 1500 की संख्या में कार्यकर्ता और जनता इकट्ठी थी । केवल आधी फर्लांग की दूरी पर नारे लगाते हुए पहुंच गये । हमने यह जरूर कहा कि हम घेराव करना चाहते हैं, हम अन्दर जाना चाहते हैं, किसी बल का प्रयोग नहीं करेंगे । श्री कृष्ण कुमार गोयल ने कहा था तो आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए या अन्दर जाकर घेराव करने दीजिए । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

दाऊदयाल जोशी, हरिकुमार जी और जिला अध्यक्ष के कहने के पश्चात् कि अगर आप घेराव करने नहीं देते तो गिरफ्तार करिए वरना हम अन्दर जाकर घेराव करना चाहते हैं। गिरफ्तारी नहीं की गई बल्कि जो वहां पर ए. एस. पी. मुखराम चौधरी थे उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। हम घुसना चाहते थे, हां यह बात सच है। हमें रोका गया धक्का मुक्की हुई. इसके लिए मैं मना नहीं करता किन्तु उसी समय कृष्ण कुमार गोयल, जो कि इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे, पास में छोटा सा चबूतरा था उस पर चढ़ गए, वो खड़े थे, उनके पास मैं खड़ा था. श्रीमान मुखरामजी चौधरी खड़े थे, ए. डी. एम. कोटा थे। लोग शांत होकर बैठ गए थे। गोयल साहब का भाषण हुआ उससे उत्साहित होकर एक कार्यकर्ता ने माला उनके गले में डालनी चाही. फैंकी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि इस बात की उच्च स्तरीय जांच हो, वह माला उनके बजाय चूक कर, मुझसे चूक कर ए. एस. पी. श्रीमान मुखराम चौधरी के जाकर लगी। एक क्षण इंतजार नहीं किया उन्होंने। बहाना बनाना चाहते थे वो। एकदम कह दिया, लाठी और पत्थर चार्ज। पत्थर वर्षा हो गई। हम उनको कहते रहे, जनता बैठी हुई है सामने, गेट के सामने हम बैठे हैं, कृष्ण कुमार गोयल का भाषण चल रहा है। पर वह तो उत्ते-जित होकर चबूतरे से कूद कर नीचे आ गए और कहने लगे लाठी चार्ज। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, ए. डी. एम. थे जिला मजिस्ट्रेट थे, क्यों नहीं उन्होंने उस असेम्बली को इल्लीगल घोषित किया? असत्य है बिल्कुल। न चेतावनी दी गई इस बात की कि असेम्बली इल्लीगल है, आप लोग इस जगह को छोड़ कर चले जाइये। केवल सिरफिरे थे वह ए. एस. पी., पता नहीं कौनसी बात उनके ध्यान में थी। मजिस्ट्रेट चाहते थे, उसके मन में इच्छा थी कि गिर-फ्तार कर लिया जाय- किन्तु ए. एस. पी. अड़े हुए थे कि आज कुछ करके मुझे बताना है। ऐसी भावना उनके मन में थी। जैसे ही लाठी चार्ज शुरू हुआ वहां से लोग भागने लगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें बताना चाहिए था पहले। पर अन्दर से घुड़सवार बुलाए गये। हम सामने खड़े थे। मैंने कहा, हम गिरफ्तारी देना चाहते हैं, हम ट्रक पर चढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग ट्रक पर भी चढ़े। सामने जो छात्रावास है उसमें ए. एस. पी. के हुक्म से लोग घुस गए, उनके पीछे पुलिस चली गई मारने के लिए। वह लोग तो छात्रावास के थे। उन्होंने कहा, आप अन्दर प्रवेश नहीं कर सकते बिना हमारे सबके बाहर आए। इसलिए ठुकाई करनी शुरू की। घुड़सवार, जो बाहर आ गए, ऐसे दौड़े कि 3–3 कि. मी. तक दौड़ते रहे यह प्रसादसिंह चड्ढा सिक्ख है, सिक्ख समुदाय के है, भारतीय जनता मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं। वह पास में जो झाला हाउस है उस झाला हाउस में जाकर चाय पी रहे थे। उन घुडसवारों ने पकड़ा वहां जाकर। छावनी का जिस प्रकार से युद्ध होता है उस क्षेत्र से चल कर दूसरे आफिस, जो तीन मंजिल पर है सिंचाई का, में घुसकर उनको खींचते हुए लाए। कहां सिक्ख है, यह तो उपद्रव फैलाता है, मौका आ गया है इसको पकडने का। 36 चोटें उसके शरीर पर लगी।

92

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

एक हमारे हरिजन नेता श्री गोड़ूलाल वर्मा उपाध्यक्ष हैं। वह चले जा रहे थे रामतलाई के मैदान में। घुड़सवार उनको वहां से खींच कर लाए। 33 लोगों के चोटें आईं। मैं पूछना चाहता हूं हम पर धारा 307 लगाई है। उससे भी ऊपर कोई धारा है। तो लगा दीजिए। मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जब 307 धारा लगाई है।

अगर हमने मारने की साजिश की तो सुबह पकड़ कर शाम को छोड़ कैसे दिया ? अगर माइक चोर लिए, छीन लिए तो उनकी रिकवरी करने के लिए क्या पुलिस ने रिमाण्ड लिया अदालत से ? यह झूठी साजिश है। जब देखा गया कि अब क्या होगा, हरिकुमार जी पिट गए. दाऊ दयाल जी के माथे पर चोट आ गई, मेरे हाथ पर लगी, गोयल साहब के थोड़ी सी लगी, प्रहलाद जी जोर से पिटे. 73 लोगों की पिटाई हुई है, घाव लगे तो इस स्थिति के बाद क्या किया, हमको छोड़ दिया। पुलिस थाना, नयापुरा पुलिस थाना में 2-2 दस्तखत कराए उपस्थिति के और उन दस्तखतों पर धारा 307 लगा दी उसके साथ 107 और कुछ होती है वह लगा दी कि चाहें तो यह लगा देंगे चाहे तो यह लगा देंगे. देखें कि इनका क्या रोल रहता है। मंत्री महोदय, केवल पुलिस के सहारे मत जाइये, एक-एक अखबार उठा लीजिए कोटा का मैं कहना चाहूंगा, हो सकता है वह अलग एजेंसी का हो भा.ज.पा. का हो। लेकिन वहां तो पत्रकार भी पीटा गया नवज्योति का। सारे रिपोर्टर्स लेने आये थे। कह रहा था, पत्रकार है। क्या पत्रकार होता है, ऐसी मां को गाली देकर खींच लिया और कस कर पिटाई की। राजस्थान पत्रिका में छपा, नवज्योति में छपा, देश के सारे अखबार हैं सबमें छपा फिर भी पुलिस को अयोग्य कैसे कर दें। कर बढ़ाने का अधिकार है राजस्थान की सरकार को चोर दरवाजे से। बजट सेशन का इंतजार नहीं किया जा सकता इससे पहले ही आर्डर निकाल कर नोटिफिकेशन के द्वारा राजस्थान की जनता पर कर थोपा जा सकता है। अगर भा.ज.पा. इस रवैये के खिलाफ महीना भर पहले आन्दोलन चलाती तो 1500 ही नहीं 50 हजार गिरफ्तारियां देने की कोशिश करती। भाजपा 24 मई को राजस्थान बन्द कर देती। पेट में अकुलाहट यह थी, जो कष्ट देती रही। हमने तो स्वयं यह उजागर करने की कोशिश की थी. क्योंकि स्वयं आन्दोलन चला रहे थे हमने जनता के सामने सारी बात रखने की कोशिश की थी, राजस्थान की निकम्मी सरकार को उजागर करने की कोशिश की थी। पुलिस ने चोर दरवाजे से 307 की धारा लगाई। मैंने किसी को कत्ल किया, उसने किसी को कत्ल किया ? पकड रहे हैं 307 में फिर किसको छोड़ें तो दो छोड दिये। बाद में बताना यह क्योंकि वक्तव्य का सवाल आ गया। 307 से और बड़ी धारा लगाइए, 307 तो लगी हुई थी हम पर और पता नहीं कितने लोगों पर लगाई है. इस बात की सूचना आपने दे दी। मैं कुछ मुद्दे पर चाहूंगा, गृह मंत्री महोदय से कि वह देखें। मैं मांग करता हूं कि वहां जो ए.एस.पी. हैं उनको अविलंब सस्पेण्ड करने की आवश्यकता है। कभी व्यक्तिगत रूप से वहां के कलेक्टर से बात कर लीजिए, माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

चाहता हूं, वहां के कलेक्टर वहां के सिटी मजिस्ट्रेट का तबादला हो गया उनको बुलाइए और कांफीडेंस में लेकर बात करिए, पूछिए तो सही कि हकीकत क्या है, कैसे लगी, क्या हो गया, गोयल साहब के क्या हो गया क्या स्थिति बनी । वह ए.एस.पी. कानाफूसी करके इस प्रकार की बात करने की कोशिश करता था, राजनैतिक संरक्षण में रहना चाहता है । मैं केवल इन्हीं बिन्दुओं पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किस प्रकार की स्थिति बनी 307 में रिकवरी करने का सवाल समझ में नहीं आ रहा, चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है । माइक तोड़ दिये, माइक ले गये, चुरा कर ले गये । केवल मात्र राजस्थान की सरकार से मैं कहना चाहता हूं, पुलिस की जो अकर्मण्यता, पुलिस की जो निष्क्रियता है, पुलिस की जो बदला लेने की भावना है, विशेष कर एडिशनल एस. पी. की उसका तुरंत तबादला वहां से हो गया था एक बार, पर पता नहीं कौन से कारण हो गये थे, उनकी जानकारी कर लें माननीय मुख्य मंत्री महोदय फाइल देख कर कि क्या बात हो गयी तबादला हो गया, कुछ दिन पहले कलेक्टर को बड़ी खुशी थी कि शायद अच्छी तरह से व्यवस्था कायम रह सकेगी लेकिन फिर वे लौट कर आ गये । मैं इसमें नहीं जाना चाहता । मैं कहना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य औरों को भी बोलना है ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कि जिस प्रकार का वक्तव्य है वह मनगढ़न्त है, पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर है, पुलिस को बचाने के लिए है । उन्होंने जिस प्रकार के काम किए हैं उन पर पर्दा डालने की साजिश, कोशिश इस वक्तव्य के द्वारा की गयी है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिकुमार औदित्य ।

श्री हरिकुमार औदित्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 10 जून को कोटा में....

एक माननीय सदस्य : हरिमोहन जी आ गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : हरिमोहन जी आ गये, एक सैकण्ड । श्री हरिमोहन शर्मा ।

श्री हरिमोहन शर्मा : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से लोकतंत्र में किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए किसी भी विपक्षी दल को अहिंसात्मक आन्दोलन करने का अधिकार है । वह जो अधिकार है उसका सदुपयोग किया जाय तो लोकतंत्र के हित में कहा जायगा और अगर उस अधिकार का दुरुपयोग किया जाये तो उसे लोकतंत्र विरोधी कहा जायगा । हमें तो यह उम्मीद थी कि राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर शपथ लेने के बाद अहिंसा के पुजारी बनने की जो घोषणाएं की थी, राजनीति दल उसकी निश्चित रूप से पालना करेंगे लेकिन मुझे लगता है कि .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जरा तसल्ली से सुन तो लीजिये ।

श्री हरिमोहन शर्मा : चाहें महात्मा गांधी की सिद्धान्तों की हम दुहाई दें, चाहें

(श्री हरिमोहन शर्मा)

राजघाट पर कसम खायें, चाहें महात्मा गांधी की मूर्ति साथ साथ लिये फिरें लेकिन आचरण बदलना आसान नहीं है, विचार बदलना आसान नहीं है। यह मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि....

(व्यवधान)

मेहरबानी करके बोल लेने दीजिये।

एक माननीय सदस्य : सुनो जरा।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुनिये आप।

श्री हरिमोहन शर्मा : कोटा में....

श्री दाऊदयाल जोशी : हम पिटे हैं इसलिए बोल रहे हैं।

श्री नाथूसिंह : वे पुलिस वाले तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपके पिटने का मुझे बहुत दुःख है अगर आप पिटे हैं तो। कोटा में जो आन्दोलन या सत्याग्रह का नाम देकर पानी की दरें बढ़ाने के मामले में कुछ व्यक्तियों ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में प्रदर्शन किया....

एक माननीय सदस्य : कितनी संख्या में ?

श्री हरिमोहन शर्मा : संख्या ? हम भी वहीं के रहने वाले हैं. आप थोड़े दूर रहते हैं। आप खुद जानते हैं कि कितनी संख्या थी। कोटा, बूंदी में हम किसी भी स्थिति में एक दूसरे को जानते हैं।

एक माननीय सदस्य : हमारी स्थिति मत बतायें अपनी स्थिति बतायें।

श्री हरिमोहन शर्मा : सत्याग्रह करने के बाद विपक्ष के जो माननीय सदस्य कोटा विधान सभा क्षेत्र के चुने गये प्रतिनिधि हैं उन्होंने खुद ने यह प्रश्न पैदा कर दिया। वे चाहते थे, चाहे वह अपराध करने वाले नहीं हैं लेकिन इनको गिरफ्तार किया जाय। वह अभी आपके सामने अपने विचार रखें। अगर गिरफ्तार नहीं करें तो ऐसी हिंसात्मक स्थिति पैदा करें कि पुलिस इसको गिरफ्तार करें। राजनीति में रहते हुए इनके जन समस्याओं के लिए लड़ने के मोटिव हो या नहीं लेकिन अखबारों के माध्यम से इनकी गिरफ्तारी की खबरें छप जायें और जनता यह समझे कि हमारे लिए ये लड़ने वाले हैं, इस भावना से उद्देश्य पर पहुंचने की दृष्टिकोण से. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जुलूस ये लेकर गये और इन्होंने घेराव करने की साजिश रची। निश्चित रूप से इन लोगों की ओर से नेतृत्व का जो बड़ा वर्ग था वह आगे था। निश्चित रूप से उनके साथ जो व्यक्ति थे उनमें से ही सबसे पहले पथराव हुआ जिससे पुलिस अधिकारी के चोट आयी। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता।..

श्री नाथूसिंह : आप मौजूद थे क्या ? जुलूस में गये थे ?

श्री उपाध्यक्ष : विवाद नहीं। तसल्ली से सुन लीजिये।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप नहीं थे। अरे जब आप नहीं थे, माननीय सदस्य नहीं थे तो बीच में इन्ट्रप्शन क्यों कर रहे हैं। मैं तो बिल्कुल नजदीक था, आपके किलोमीटर के दायरे में रहता हूं..

श्री उपाध्यक्ष : विवाद नहीं ।

श्री हरिमोहन शर्मा : इन सब बातों को लेकर, मैंने पहले भी जब जब अपने विचार रखे तब तब कहा कि राजनीतिक दल अराजकता के सम्बन्ध में पुलिस प्रशासन, कानून और व्यवस्था के सम्बन्ध में आरोप हमेशा सरकार पर लगाते रहे हैं । यहां स्थिति खराब है खास तौर से कोटा डिवीजन में, मैंने यह निवेदन किया था । मैंने उस समय भी निवेदन किया था कि राजनैतिक दल इस कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने के प्रयास करते हैं । उसका सबूत आपने खुद अभी और आन्दोलन करके, पत्थर फैंक कर दे दिया है । मैं आज यही विनम्र प्रार्थना, निवेदन करना चाहता हूं कि राजघाट पर आपने कसम खायी, वह आपके मन में उतरी । आगे भी प्रदर्शन आप करें, आपका अधिकार है और प्रजातंत्र में इसको अधिकार माना है । मैं इसका पक्षधर हूं । मेहरबानी करके ऐसे पत्थर फैंकने वाली बात, ट्रकों को तोड़ने वाली बात, इधर उधर पत्थर फैंक कर अशांति पैदा करने की बात आप नहीं करें तो देश की भावना देश के हित में होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिकुमार औदिच्य ।

एक माननीय सदस्य : पहले के वक्त गुस्सा आया था उसका बदला ले लिया जाये । संवाददाताओं को बताने गये थे, बदला लेने के लिए आये थे ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं हरिकुमार जी औदित्य बोलेंगे । आप कृपा करके सुनिये । आपका बाद में है ।

श्री हरिकुमार औदिच्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 10 जून को कोटा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं पर पुलिस द्वारा क्रूरतापूर्वक, निर्दयतापूर्वक लाठी चार्ज किया । इसके बारे में हमारे गृह मंत्रीजी ने अपना वक्तव्य दिया है । कोटा से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि यह असत्य का पुलिन्दा है, मैं यह नहीं कहना चाहता । क्योंकि इस सदन में चाहे डीग का गोली काण्ड हो, चाहे कोटपूतली का गोली काण्ड हो, जितनी भी वारदातें आयीं, सदन इस बात का साक्षी है कि सरकार ने और पुलिस ने कभी भी सत्य बात सदन के सामने नहीं रखी । इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है. कोटा में जो 10 तारीख को जो घटना हुई, इस सदन के तीन चश्मदीद गवाह आपके सामने आज मौजूद हैं ? चाहे आप पुलिस के झूठें और असत्य व्यक्तियों पर विश्वास कर लें किंतु मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मुख्य मंत्री जी यहां विराजमान हैं, हमने कोटा में कई आन्दोलन, एक नहीं अनेकों बार किये हैं लेकिन कोई यह नहीं कह सकता, मुख्य मंत्री जी को विश्वास नहीं हो सकता, कोटा में बी. जे. पी. कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से चाहे वे जनसंघ में रहे हों, किसी प्रकार की हिंसा हुई हो, किसी प्रकार की मारपीट हुई हो, किसी भी पुलिस अधिकारी के साथ कोई अभद्र व्यवहार किया गया हो । जैसा अभी कोटा से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे थे कि जहां पुलिस मौजूद थी, जहां प्रदर्शन ले गये, वह स्थान जहां से रवाना हुए वहां से मुश्किल से 25 कदम दूर होगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस बिल्डिंग से जहां वाटर वर्क्स का आफिस है, के

(श्री हरिकुमार श्रौदिच्य)

के सामने जैसे छात्रावास बता रहे थे, उसके बीच में मुश्किल से 20–25 फीट के फासले से, आप स्वयं कल्पना, माननीय सदस्य कल्पना करेंगे, कोई कितने जोर से पत्थर फेंके, क्या पत्थर भी फेंक सकता है ? यह जो पुलिस की मनगढ़न्त बात कही है कि प्रदर्शनकर्त्ताओं द्वारा पत्थर फेंके गये बिल्कुल असत्य बात है बल्कि हुआ यह, हमने इनको जरूर कहा कि आप हमको गिरफ्तार कर लीजिये, हम गिरफ्तार होना चाहते हैं। सामने से बिल्डिंग तोड़ कर जायेंगे तो कहां जायेंगे, हमसे दो कदम दूर बहुत बड़ा गेट था, किले की भांति वह गेट लगा हुआ था और पुलिस से हमारे बीच में यह जिद्दमजीदी हो रही थी कि हम जाना चाहते हैं। मैं आपसे बिल्कुल सत्य निवेदन करना चाहता हूं मुख्य मंत्री को आपके माध्यम से कि सुखराम शर्मा, जो उस क्षेत्र के थे, ऐसी भद्दी गालियां हमारे मुख के ऊपर....

एक माननीय सदस्य : सुखराम चौधरी हैं।

श्री हरिकुमार श्रौदिच्य : सुखराम चौधरी ने आवेश में आ करके भद्दी गालियां दीं, मैं इस बात को सदन में अपने मुंह से नहीं कह सकता। जैसा भाई ललित जी बता रहे थे कि माला उनके पैर पर लगी तो उससे उनको चोट आयी, क्या उन्होंने मेडिकल करवाया, कहीं सफाखाने में जाकर अपना मेडिकल करवा कर रिपोर्ट दी कि सुखराम चौधरी के चोट आयी। पूरी असत्य बात है। उनके पैर पर किसी प्रकार की चोट नहीं थी। उपाध्यक्ष महोदय, वे तैश में थे। मैं तो वहां उनके सटकर खड़ा था, बड़ी मुश्किल से एक कदम, दूर उनसे हाथ जोड़ रहा था, मैं उनसे कह रहा था कि आप विवेक मत खोइये, आप धैर्य रखें। इस प्रकार की हरकतों से आपको नुकसान पहुंचेगा हमको भी नुकसान पहुंचेगा लेकिन वे तो बार-बार गालियां देते जा रहे थे। दरवाजा खोलकर घुड़सवार निकालें और प्रदर्शनकारी ही नहीं आसपास वहां से 10 कदम दूर, 20 कदम दूर दो-चार दुकानें, आयल मिल है, वहां जाकर लोगों को बाहर निकाल कर उन पर लट्ठ बरसाए।

(2.00 म. प.)

मैं खुद सुखराम जी से बात कर रहा था, मेरी पीठ पर तीन-चार लाठी आकर लगीं। सुखराम जी के सामने आकर लगीं। एक अधिकारी, जो शायद महताब सिंह जी थे, ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो इनको लाठी मार रहे हो। फिर शांति से हम ट्रक में बैठ गये। मेरे साथ अन्य कार्यकर्त्ता थे। मेरे हाथ में चोट आयी। ट्रक में बैठने के बाद मैंने ट्रक के डाले पर हाथ रखा था। बराबर में घुड़सवार आते हैं, उनका लेवल ऊंचा हो जाता है। फिर मेरे हाथ पर लाठी मारते हैं। जो कार्यकर्त्ता थे, श्याम और रमेश नाम के जो कार्यकर्त्ता थे उनके सर में लाठी मारी। एक के सर में चार टांके आये थे और दूसरे के बराबर खून बहता रहा है। यह गलत बयानी करते हैं। शाम को पांच बजे तक आर. पी. लाइन में पड़े रहे एक कम्पाउण्डर जरूर आये। लेकिन चिल्लाने के बाद भी हॉस्पिटल नहीं भेजा गया। पुलिस ने सरासर गलत बयानी की है कि उनको हॉस्पिटल ले जाकर के उनका मेडिकल कराया। आखिरकार पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रक तोड़ने की बात बतायी,

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

वायरलैस को तोड़ने की बात बतायी। वायरलैस तो हमने आंख से ही नहीं देखा। हमारे हजार बारह सौ कार्यकर्ता खड़े हुए थे। इतनी सी थोड़ी जगह में घुड़सवार इस प्रकार से दौड़ाये गये थे कि क्या जलियावाले बाग में दौड़े होंगे या 42 के आन्दोलन में जैसे रामपुर में घोड़े दौड़ते देखे वैसी की वैसी स्थिति हो रही थी। प्रहलाद सिंह चड्ढा, मोटूलाल वर्मा, हम ट्रक में बैठे बैठे देख रहे थे, नीचे जमीन पर गिरे हैं मुकराम साहब घुड़सवारों को कह रहे हैं उनके उपर घोड़े दौड़ाओ। थाना किशनपोल से डेढ़ किलोमीटर था वहां घोड़े दौड़ रहे थे और इधर सूरजपोल तक घोड़े दौड़ रहे थे, सारा क्षेत्र सूरजपोल से लेकर कैथूनीपोल तक श्मशान बना हुआ था। घुड़सवार पुलिस ने घसीटकर मारा, पुलिस के आर. ए सी. के लोगों ने डण्डों से मारा और पुलिस के अधिकारी देखते रहे। पुलिस के एस. पी. हैं वह पुलिस के कंट्रोल पम्प में चाय पी रहे थे। इतना बड़ा काण्ड हुआ पुलिस के एस. पी. ने वहां मौके पर आकर नहीं देखा कि जनता पर और जन प्रतिनिधियों पर लाठी बरस रही है। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो कुछ भी पुलिस का वर्णन यहां रखा गया है शत-प्रतिशत असत्य है। निरपराध प्रदर्शन करने वाले थे, हम ने 302 307 ताजीराते हिन्द का जो भी जुर्म किया था शाम को छोड़ दिया। जाइये कोई जुर्म नहीं बनता है। अब जब सरकार की नींद हराम होने लगी, समाचार पत्रों में सरकार पर आरोप लगने लगे तो हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे की तैयारी कर रहे हैं हमें इसका कोई गिला नहीं है। मुख्यमंत्री जी, आप जितने मुकदमें लगा सकते हैं लगाइये लेकिन सत्य तो सत्य ही रहेगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इस सदन में बैठे हुए लोगों के साथ इस प्रकार की हरकत होती है और चुने हुए लोगों के साथ पुलिस मारपीट करती है और ये सामने बैठे हुए सरकार के नुमायन्दे उनको बचायेंगे तो राजस्थान के अन्दर प्रजातन्त्र जीवित नहीं रह सकता है। इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पुलिस किसी की सगी नहीं है यह पुलिस आपको भी किसी दिन, किसी क्षण पीट सकती है। ..

श्री रतनलाल ताम्बी : जनता राज में....

श्री दाऊदयाल जोशी : आपका कुछ नहीं किया। जनता राज में तो आपने हलवा पूरी खायी है जेल में।

मैं निवेदन कर रहा था कि राजनीति में 35–36 साल में ऐसा नग्न नृत्य कोटा की धरती पर मैंने नहीं देखा। मुझे याद है माननीय तत्कालीन मुख्य मंत्री जिस समय कोटा पधारे थे. टूटी पुलिस का उद्घाटन करने के लिए तब भी हमने प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन बड़े जोश से था, किसी कार्यकर्ता के हाथ से उनकी गाड़ी पर एक डण्डा लग गया, उत्तेजना फैली थी लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया, क्योंकि शालीनता थी। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वह शालीनता

98

(श्री दाऊदयाल जोशी)

नष्ट होती जा रही है। पुलिस दिन प्रतिदिन निरंकुश बनती जा रही है। आये दिन दुर्घटनायें हो रही हैं। इसलिए मैं रतनलाल जी ताम्बी से कहना चाहता हूं, मेरे भाई, वकालात मत करो। हरिमोहन शर्मा जी यह किसी की सगी नहीं है किसी दिन तुम चक्कर में आ गये तो बख्शेगी नहीं। मेरे राजनैतिक जीवन में मुझे 17–18 बार जेल में जाने का अवसर आया है। अनेक आन्दोलन मैंने किये हैं लेकिन जिस प्रकार का नग्न प्रदर्शन इस आन्दोलन में हुआ है मैंने पहली बार ही देखा है। पुलिस पर लोग पत्थर फेंकते हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, नहीं फैंकना चाहिए लेकिन पुलिस खुद आन्दोलनकारियों पर पत्थर फेंके, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा है राजनैतिक जीवन में। लेकिन पुलिस ने पहली बार आगे होकर पत्थर फैंके हैं।

जैसे ही घटना का पता लगा कि सदन में आने वाली है मैं तो अपेक्षा कर रहा था गृहमन्त्री जी और मुख्य मन्त्री जी बुलाकर पूछते कि हम कोई ऐरे खेरे नत्थू गैरे नहीं थे, सदन के सदस्य थे, सदन के सदस्य के चोटें लगी हैं, चोटें लगने के बाद माननीय मुख्य मन्त्री जी बुलाते पूछते कि भाई दाऊ जी कैसे चोटें लगीं क्या हुआ, तेरे लगी बताते हैं, हमारे पास रिपोर्ट आयी है। ललित जी से पूछ सकते थे। हरिकुमार जी के हाथ में पट्टी बंधी थी उनसे पूछ सकते थे। लेकिन उनको बुलाकर पूछने की आवश्यकता नहीं थी, केवल पुलिस के द्वारा जो पुलिन्दा माननीय गृह मन्त्री जी के हाथ में थमा दिया उसको यहां पढ़ दिया। इतनी मानवता हमारे शासन में शायद नहीं रही। मुझे आश्चर्य है, दुःख है। इस प्रकार का असत्य वक्तव्य सदन के समक्ष पेश दिया है ...

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, × × × शब्द एक्सपंज किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : शब्द × × × एक्सपंज किया जाय।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × × और असत्य में कोई अन्तर नहीं है। काने को काना न कहकर एक आंख का कह दें। अन्धे को सूरदास कह दिया जाय कोई अन्तर नहीं होता है। असत्य में और × × × में अन्तर नहीं है।

मेरा निवेदन है माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, चेतावनी दी गयी। चेतावनी दी गई तो माइक था। कितने बजे दी गई? कोई माइक नहीं, कोई लोगों को बताया नहीं अचानक मुखराम चौधरी के माला लगते ही लोगों को पिटवा दिया। माला पैरों में लगी गले में लगती तो पता नहीं क्या होता। पैरों में माला पड़ने का अपराध लोगों को पिटवा दिया। माननीय गृह मंत्रीजी मेरा निवेदन है कि प्रहलादसिंह चड्ढा को पीटा है। दो घुड़सवारों ने उसको भाला हाउस से थाने तक इस प्रकार से पीटा कि दो घोड़ों के बीच में प्रहलादसिंह को लटकाकर लाठी बरसाते रहे। सरदार तू तो आतंककारी है, नेता-

x x x शब्द माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

गिरी करता है। लगातार लाठी से पीटते हुए ले गये। मोटूलाल वर्मा रामतलाई पर मारा घेर करके 14 घुड़सवारों ने तब तक मारा जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। आधा घन्टे बाद सिंधी कालोनी के सिंधियों ने देखा अरे यह क्या हुआ, भाई। उसको पानी पिलाया, होश आया तो उसने कहा, मैं अम्बिकानगर बस्ती में रहता हूं मेरे घर वालों को इनका करो। तब जा करके उसको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। उसको गिरफ्तार नहीं किया। माननीय गृहमंत्री जी जब पुलिस निरंकुश होती जा रही है तो आपसे अपेक्षा करता था कि निश्चित रूप से आप साथ बैठ कर वक्तव्य देंगे लेकिन आपने इतनी जरूरत नहीं समझी। तीन सदस्य माननीय ललितजी, मैं और हरिकुमारजी थे उनको बुलाकर विचार करते। पुलिस के अधिकारी पर विश्वास न करके उन पर करते। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री डूंगरराम पंवार (टी.वी.) : उपाध्यक्ष महोदय, यह पुलिस दूसरे नम्बर का घुल्लूधारा है इससे कब निपटेंगे?

श्री दाऊदयाल जोशी : एक निवेदन और करना है कि किसी भी व्यक्ति को, तीनों में से एक को भी पुलिस ने हॉस्पिटल नहीं भेजा है। थानों में आकर ही पट्टियां बांधी हैं। हॉस्पटल नहीं भेजा है तीनों को।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तो सरकार विधान सभा से पूछे बगैर पानी की कीमतें बढ़ा देती है और पानी की कीमत बढ़ने से जनता में रोष होता है जनता को जागृत करने के लिये बी.जे.पी. के नेतृत्व में जो आन्दोलन चला वह विभिन्न खण्डों में चला। सरकार को चाहिये तो यह था कि जनता की भावना का आदर करते हुए आपने पीने के पानी की जो कीमतें बढ़ाई हैं उसको कम करते। जेल भरो आन्दोलन अचानक नहीं हो गया, उपाध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना दी गई थी। प्रदर्शन हुए, सफाई हुई, बंन्द का आयोजन हुआ इसके बाद में 10 जून को जेल भरो आन्दोलन रखा गया था जनता पार्टी के नेतृत्व में। राजस्थान में सारे कार्यकर्ताओं ने जेलो में जाकर अपने को गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत किया। 10 जून को कोटा में जिस तरह का वातावरण पुलिस के द्वारा पैदा किया गया, उपाध्यक्ष महोदय, वह बहुत ही निंदनीय और घृणित था। मेरा निवेदन यह है कि...

श्री उपाध्यक्ष : कोई नयी बात नहीं है। कोई नयी बात हो तो बतलाइये।

श्री हीरालाल आर्य : इसमें 4-5 सौ लोगों का नाम लिया है। 4-5 सौ लोग नहीं थे 1000 से 2000 के बीच में लोग थे और केवल खदेड़ने के लिए कि सारे के सारे गिरफ्तारी दे देंगे, भाजपा का वर्चस्व बढ़ जायेगा, पुलिस ने पहले से ही तय कर रखा था। आखिर जब ये प्रदर्शनकारी झाला हाउस के गेट पर आकर इकट्ठे हुए, भाषण चल रहे थे और....एक माला...

श्री उपाध्यक्ष : वह तो आ गया। दुहराने का कष्ट नहीं करें।

श्री हीरालाल आर्य : यही निवेदन कर रहा हूं कि पुलिस को इतना क्षुब्ध होने की आवश्यकता नहीं थी। मुखराम चौधरी ने

(श्री हीरालाल आर्य)

पहले भी कह रखा था कि मैं आन्दोलनकारियों को किस तरह से सबक सिखाऊंगा। बार-बार यहां कोटा में एक तरह का वर्चस्व जमा रखा है, मैं इनको सबक सिखाऊंगा। केवल इसलिये मजिस्ट्रेट था नहीं, बिना मजिस्ट्रेट के अकेले ही सब कुछ चला करके जो वातावरण वहां पैदा किया सारी चर्चा की जा चुकी है, मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो गलतबयानी इस सदन में की गई है इस सारे प्रकरण की जांच होनी चाहिये और जो गलत मुकदमें दायर किये गये हैं ये सारे मुकदमें वापस लिये जाने चाहिये। ये सुखराम चौधरी है वहां पर, इसको वहां से हटाइये। इतना ही कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : मैं दो-तीन सवाल पूछना चाहता हूं। जैसा कि आपके स्टेटमेन्ट को सुनने से मालूम पड़ा, लाठीचार्ज से पहले वहां के प्रशासन ने न तो कोई वार्निंग दी, न अनलाफुल असेम्बली डिक्लेयर किया और न आंसू गैस का इस्तेमाल किया जो रिजार्ट से पहले किया करते हैं तो यह लास्ट रिजार्ट हुआ करता है लाठीचार्ज। माननीय जोशीजी यहां बैठे हैं, कितना नम्बर तो पुलिस फोर्स का था? आपने जैसा कहा है कि चार सौ था, क्या आउट नम्बर कर दिया? क्या ओवर पावर कर दिया? अगर सिचुएशन आपके कंट्रोल के बाहर हो गई, केवल सैल्फ डिफेंस में लाठीचार्ज आप कर सकते थे, तो सैल्फ डिफेंस का आपने कोई कारण नहीं बताया। आपका स्टेटमेन्ट पढ़ने के बाद सैल्फ डिफेंस के लिए आपने कोई रीजन्स नहीं दिये हैं, कन्विन्सिंग नहीं है। माननीय जोशीजी, हमारे रेजिम में आपने केवल एक बार आंदोलन किया। जोशीजी खुद सत्याग्रह करने आये थे जनता पीरियड में। माननीय पूर्व मुख्यमन्त्रीजी यहां बैठे हैं, मैं खुद सैक्रेटेरिएट के गेट पर गया इसलिये कि पुलिस इस्ट्रेंट को इस्तेमाल करने में चूक न जाय। एजीटेशन में अगर पुलिस ने अपनी फोर्स का एक्सेसिव यूज किया है तो हमने अपने रेजिम में कभी भी उनको प्रोटेक्ट नहीं किया। एक केस हमारे सामने आया न तो अनलाफुल असेम्बली डिक्लेयर किया, न आंसू गैस का इस्तेमाल किया और न आपने 144 धारा लगाई। हमेशा एजीटेशन से पहले डिमांस्ट्रेशन से पहले प्रशासन नियम बनता है कि कौनसा डीमार्क करना है एरिया और वहां क्लैप करना है 144 धारा। एक लाइन तय करनी है कि इसके आगे गिरफ्तारी दो। जहां वे वापस चले गये। आपने कोई प्रिकाशन नहीं लिया फिर भी आप प्रोटेक्ट करने जा रहे हो तो आपसे, मान्यवर, आपकी मार्फत निवेदन करना है कि जांच का विषय है। हमारा यह मतलब नहीं कि दफा 307 लगा दी। आपका स्टेटमेन्ट जो सुना है उसमें कोई हैड इन्जरी नहीं है, मामूली टच आये हैं फिर आप स्टेटमेन्ट के द्वारा उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो जिन्होंने इस तरीके से बिहेव किया, उनको पिच फालो किया, ट्रक में बैठे हुए को पीटा, स्कूल में जाकर छात्रों को पीटा। यह तो पुलिस की ऐसी कार्यवाही है कि कोई किसी प्रकार का प्रोटेक्शन मत दीजिये आप। यह जांच का सवाल है। हाई पावर जांच कमेटी बनाकर इसकी जांच की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशंकर भाभड़ा प्रश्न दो एक।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : पहला प्रश्न तो मेरा यह है कि इस पानी की दरों को बढ़ाने के बारे में जो आंदोलन किया गया था उसकी पूर्व सूचना मुख्य मन्त्री महोदय को लिखित में दी थी, क्या यह सही है कि सरकार ने सारे राजस्थान में इस प्रकार के आदेश जारी किये कि गिरफ्तार किसी को भी नहीं किया जाय ? पहला प्रश्न तो मेरा यह है।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि लाठी-चार्ज करने के पहले कुछ प्रावधानों का उपयोग पुलिस को मौके पर करना चाहिये, क्या पुलिस ने उन सारे कानूनी प्रावधानों का उपयोग किया।

तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि क्या राज्य सरकार ने इस घटना के बाद पुलिस वर्शन के अलावा अपनी ओर से किसी जिम्मेदार अधिकारी को भेजकर उस घटना की वास्तविकता की जांच करवाई है ? धारा 307 लगी है। यह आपने पुलिस के वर्शन के हिसाब से पढ़ करके सुना दिया। इस सदन में मेरे खयाल से बहुत से वकील बैठे हुए हैं और वे इस बात को जानते हैं कि धारा 307 एक ऐसी धारा है जिसमें किसी की हत्या करने का प्रयास होना चाहिये और हत्या करने के प्रयास के लिए कुछ तैयारियां मीन्स इन्टेशन बहुत जरूरी है। मान लीजिए, सशस्त्र भी रहा हो तो इन्टेन्शन बहुत जरूरी है। जबकि इस आंदोलन में घोषित इंटेशन यह था कि चूंकि हमने महीने भर तक आंदोलन किया' सरकार ने उसमें कुछ सुनवाई नहीं की इसलिये हम 10 तारीख को पूरे राजस्थान में गिरफ्तारियां देने का कार्यक्रम करेंगे। जैसा कि मेरे पहले गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि हमेशा से यह परम्परा रही कि जब इस तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन होते हैं तो सरकार एक रेखा खींचती है कि इस रेखा के बाहर यदि आप आये तो आपको गिरफ्तार कर लिया जायेगा, तभी शान्ति रहेगी।

मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि भारतवर्ष में, राजस्थान में यदि आप डेमोक्रेसी को चलाना चाहते है तो क्या आपकी वह मंशा है कि विरोधियों का मुख बन्द हो जाय, विरोधी आंदोलन नहीं करें, शांतिपूर्ण आंदोलन को जान-बूझकर हिंसात्मक स्वरूप देने के लिये पुलिस का दुरुपयोग किस हद तक किया जाय, स्वयं पुलिस ही पथराव करे और स्वयं पुलिस ही लाठी-चार्ज करे ? इस परम्परा को यदि आपने बढ़ावा दिया तो फिर इस देश में प्रजातन्त्र कायम नहीं रहेगा। शान्तिपूर्ण आन्दोलन जैसा कि मेरे पहले माननीय कोटा के क्षेत्र से आने वाले सदस्य हमको गांधीजी और उनकी समाधि की याद दिला रहे थे, मैं गांधीजी के उन परम भक्तों को याद दिलाना चाहता हूं कि वह भी गांधीजी ने जो आंदोलन किये थे उनको याद करें। सन् 1942 के आन्दोलन को याद करें जनता पार्टी रेजिम में जो आंदोलन किये गये, जिस तरह से अदालतों के सामने पथराव किये, हवाई जहाज उड़ाये गये, उनको भी याद करें। यह परम्परा पहले रही है। किसी भी राजनैतिक दल का घोषित शांतिपूर्ण आंदोलन हो, अहिंसात्मक उनकी इंटेशन नहीं है परन्तु सरकार

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

उसको जान-बूझकर हिंसा में बदलने के लिए पुलिस की मशीनरी का उपयोग करें. क्या सरकार इस बारे में सावधानी से विचार करेगी कि पुलिस इस प्रकार के आंदोलनों, जो शान्तिपूर्ण हैं, को हिंसात्मक बनाने का अपनी तौर से, प्रयास न करे ? यह मेरा प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो वक्तव्य सरकार की ओर से दिया गया है उसके संबंध में जानकारी चाही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 10 जून को कोटा में जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें अधिकार था कि वे अहिंसात्मक तरीके से शान्ति से प्रदर्शन करते रहते। सरकार उनके अधिकारों को छेड़ना नहीं चाहती। जहां तक मीटिंग कर रहे थे, नेता लोग भाषण दे रहे थे तब वहां सरकार ने किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की लेकिन जब स्थिति आगे बढ़ी और वे जबरन पुलिस के कार्डियन को तोड़कर अन्दर घुसना चाहते थे .

श्री हरीश शर्मा : यह गलत है। यह सही नहीं है। सही कहो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, इतनी सी, इतनी चौड़ी पत्थर फैंकने की स्पेस चाहिए, कोई दिखता हुआ आदमी....

(व्यवधान)

जरा जांच तो करवाइये। अपने आप मालूम पड़ जायेगा।

Every time repeating the police version.

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : There is no question of repetition. Please hear me.

श्री हरिशंकर भाभड़ा : माननीय मंत्री जी से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस वर्शन को वह रिपीट नहीं करें।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : पुलिस वर्शन को रिपीट करने का सवाल नहीं है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : यदि सरकार ने अपने तई किसी तरह की जांच करवायी हो, उनके किसी जिम्मेदार आफिसर ने जांच जाकर की हो और उस जांच पर सरकार स्पष्ट हो तो अपनी ओर से बात कहे, समझ में आयेगी। केवल पुलिस वर्शन, रिपोर्ट लेकर आप कहेंगे तो फिर उसका प्रतिवाद यहां से होगा, उससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यदि आपने नहीं करायी है तो कृपया आज ही सदन में यहां आश्वासन दे दें कि आप उसकी जांच करवा लेंगे और जांच कराने के बाद जो सही बात है वह सदन के सामने....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपने जो शंकायें उठायी हैं उनके बारे में सुनने का धैर्य तो थोड़ा सा रखें।

जब यह स्थिति पैदा हो गयी और जो वहां पर गाड़ियां खड़ी थीं उन पर पथराव किया गया, लाइटें टूट गयीं, माइक टूट गया, माइक का पीस टूट गया तब मजबूर होकर वहां पर मौजूद सिटी मजिस्ट्रेट ने एक आदेश दिया जिसको मैं पढ़कर सुना रहा हूं। सुनिये,

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

"To the Station House Officer, P. S. Kaithunipole, Distt. Kota City. Whereas it has been made to appear to me that about 400-500 persons of Bhartiya Janata Party have come in a procession alongwith public street and have gathered in front of the Jhala House, where office of the P.H. E. D. is located, are indulging in brick batting and stone throwing. Their activities are likely to lead to a riot or affray. Therefore, I, Rohit R. Brandon, City Magistrate, Kota, do hereby direct you to use mild force at your command to disperse the procession."

This is the order given by the City Magistrate.

श्री हरिकुमार औदिच्य : बाद में लिखा लिया। मैं खुद ब्रान्डन के पास खड़ा हुआ था, ब्रान्डन मेरे पास खड़े थे। मुखराम चौधरी मेरे पास खड़े थे। ब्रान्डन कह रहे थे हरिकुमार जी पुलिस क्या कर रही है मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : रोहित ब्रान्डन, सिटी मजिस्ट्रेट, कोटा।

श्री दाऊदयाल जोशी : जब मेरे माथे पर चोट लगी, माननीय शक्तावत जी, मेरे माथे पर डण्डा लगा तो मेरे खून को बताया सिटी मजिस्ट्रेट ने, दाऊदयाल जी, आपके खून आ गया है। अरे ! कैसे आ गया है खून।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आगे आप सुन लें।

श्री छोगाराम बकोलिया : आपके साथ सिम्पैथी बरती होगी उन्होंने।

श्री दाऊदयाल जोशी : क्या सिम्पैथी बरतेंगे वह।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : प्रश्न यह है कि जो लोग इकट्ठे हुए थे उसको इल्लीगल डिक्लेयर क्यों नहीं किया। हमने सोचा कि हम किसी भी शान्तिप्रिय मीटिंग, प्रदर्शन को किसी प्रकार...

आप सुनिये तो सही।

(व्यवधान)

श्री मोहन प्रकाश : पहले किया या बाद में ? बाद में लिखा गया है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : बाद में नहीं लिखा गया है यह तो उसी वक्त लिखा गया है।

किसी भी शान्तिप्रिय प्रदर्शन को हम रोकना नहीं चाहते थे। किसी भी राजनीतिक पार्टी के अधिकारों को हम छीनना नहीं चाहते थे। जहां तक शान्तिप्रिय प्रदर्शन का सवाल था हमने उसको इसलिए इल्लीगल डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन जब स्थिति इस तरह की आ गयी, वायलैन्स पैदा करने की स्थिति आ गयी तब सिटी मजिस्ट्रेट ने यह उचित समझा और एक्शन लेना पड़ा।

श्री हरीश शर्मा : कितने तार चोरी

(श्री हरीश शर्मा)

हुए, यह तो बताओ ? धारा 379 लगायी, कितने तार चोरी गये ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : प्रोफेसर केदार ने कहा कि कोई चेतावनी नहीं दी गयी। चेतावनी दी गयी जब माइक को चोरी करके लेकर गये। माइक नहीं होता तो क्या चोरी करके ले जाते ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : तो पुलिस से आप हमको रोकते नहीं ? रिमाण्ड लेते हमारा, वसूल करते। बात कर रहे हैं !

श्री हरिकुमार औदिच्य : माइक तो था ही नहीं।

श्री कालीचरण सर्राफ : माननीय गृह मन्त्री जी ने यह बताया कि धारा 307 लगायी गयी है। तो मैं यह पूछना चाहूंगा, किस किस की हत्या का प्रयास किया गया, कृपया बतायें।

श्री शिवचरण सिंह : माइक था ही नहीं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उनको चेतावनी दी गयी।

श्री दाऊदयाल जोशी : हमको पता तो लग जाय कि मैं माइक चोर हूं या क्या हूं। किसने छीना, मुझे बता दो। माइक कौन छीनकर ले गया, यह तो बता दीजिए ? दाऊदयाल जी ने हरिकुमारजी ने या ललित जी ने ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप सुनिये, यह भी बता दूंगा मैं। चेतावनी के बाद नगर मजिस्ट्रेट के आदेश से

श्री हरिमोहन शर्मा : माइक तो आपने चोर लिया था, आप ही चोर हो उस माइक के तो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मन्त्री महोदय, किसी को भेजकर जांच कराइये, यह गलत बयानी हो रही है यहां।

श्री मोहन प्रकाश : माननीय गृह मन्त्री जी, इसी तरह राजा मानसिंह वाले में भी आपने कहा था और धारा 307 लगायी थी। इसी तरीके से धारा 307 राजा मानसिंह पर लगायी गयी।

श्री कालीचरण सराफ : किस किस की हत्या का प्रयास किया, बताइये आप।

श्री हरीश शर्मा : माइक की चोरी किसने की ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरीश जी, मोहन प्रकाश जी। माननीय सदस्य।

श्री हरीश शर्मा : चोर कौन है चोर, यह तो बताओ। चोरी किसने की ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सारी घटना को लेकर जो मुकदमा दायर किया गया वह अन्डर इन्वैस्टीगेशन है। धारा कौन सी प्रूव होती है, नहीं होती है, यह अभी कहना सम्भव नहीं है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आप धारा 302 लगाइये लेकिन इन्डिपैण्डैंटली जांच करवाइये। पुलिस इन्वैस्टीगेट करेगी।

105

एक माननीय सदस्य : इतनी सारी पुलिस क्या करती रही जो माइक ले गये उठाकर ?

(व्यवधान)

श्री हरिकुमार औदिच्य : हमारा इतना ही निवेदन था, चाहे आप धारा 302, 307 या सारी ताजिराते हिन्द लगा दीजिए हमको कोई गिला नहीं है। आप जितने केस बनायें, बनाइये, आपकी हुकूमत है लेकिन हमारा इतना निवेदन है, आप जांच तो करा लीजिए।

श्री दाऊ दयाल जोशी : ऐसा और करिये, किसी पुलिस वाले को मरवा दीजिए। उसकी लाश को बंटवा दीजिए और 302 और लगवा दीजिए। यही बची है, बची क्या है और।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध है...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सुनाओ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध है जिसमें मुखराम चौधरी, एडीशनल एस. पी. के चोट आयी है....

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कहां आयी है।

श्री दिग्विजय सिंह : इसका आपरेटिव पोर्शन पढ़ दो आप।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं पढ़ रहा हूं, सुनिये तो सही।

श्री दाऊदयाल जोशी : चोट लग गयी उसको इनाम-विनाम बख्शो आप।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : इसके अतिरिक्त दो माननीय सदस्यों के चोट आयी। इन्होंने कहा अभी कि हमको पुलिस ने वहां मेडिकल के लिए नहीं भेजा। उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्री हरिकुमार औदिच्य को हमारे वहां पर जो प्रेमशंकर मीणा, एस. एच. ओ. थे वे लेकर गये थे और मेडिकल करवाया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कहां गये थे।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मैं तो रिजर्व लाइन में रहा हूं। मैं तो रिजर्व लाइन से कहीं गया ही नहीं।

श्री दाऊदयाल जोशी : दाऊदयालजी को कौन ले गये थे ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : दाऊदयाल जी को मिस्टर वृजराज सिंह डी. वाई. एस. पी. लेकर गये थे और उनका मेडिकल करवाया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कहां ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उनके मेडिकल की रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है।

श्री दाऊदयाल जोशी : हद हो गयी, पराकाष्ठा है।

एक माननीय सदस्य : XXX बयान दे रहे हैं आप।

XXX अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री दाऊदयाल जोशी : जरा रामकिशन जी से पूछो, मुखराम चौधरी क्या है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : पुलिस ने फोटो भी खिचाई है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी दाऊदयाल जी का मसला चल रहा है।

श्री दिग्विजय सिंह : मैंने यह निवेदन किया था, माननीय मन्त्री जी ने मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी बतायी, मुखराम चौधरी और जो लोग हैं. मैंने कहा, ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ दो मेडिकल रिपोर्ट का।

श्री हरिमोहन शर्मा : रिपोर्ट का ऑपरेटिव पोर्शन नहीं होता। ऑपरेटिव पोर्शन तो जजमैण्ट का होता है।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय मन्त्री महोदय तो जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मेडिकल रिपोर्ट में ऑपरेटिव पोर्शन नहीं होता।

श्री दिग्विजय सिंह : I correct myself। वाइटल पोर्शन पढ़ दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह यह पढ़ दें कि उनके चोट कहां लगी हैं, कैसे हथियार से लगी। यह तो पढ़ सकते हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कोटा में हुए लाठी चार्ज के बारे में यहां चर्चा की है और उसके बारे में गवर्नमेण्ट ने अपना स्टेटमैण्ट दिया है। जैसा कि अभी कहा गया है पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने पेयजल की बढ़ी हुई दरों के विरोध में आन्दोलन किया था, जयपुर में भी हुआ था और सभी जगहों पर हुआ था। अब यहां जयपुर के माननीय सदस्य भी बैठे हैं, चूरू से आये हुये माननीय सदस्य भी बैठे हैं और दूसरी जगहों से आये हुये माननीय सदस्य भी बैठे हैं। सरकार की अप्रोच तो वही थी जो पूरे राजस्थान में रही है। अब विकृति किस में आई, पुलिस में आई या वहां के रहने वाले माननीय सदस्यों में आई यह मैं नहीं कह सकता। आगे यह....

श्री भंवरलाल शर्मा : मुख्य मंत्री जी जयपुर में भी लाठीचार्ज हुआ था।

(व्यवधान)

श्री हरिदेव जोशी : आगे यह कहा है फूल की माला फैंकी गई उसको पत्थर समझ लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य ने काफी हद तक एक बात कही है, वह यह है कि वह चाहते थे कि गिरफ्तार कर लिया जाय, वह चाहते थे कि ट्रक में बैठा लिया जाय और पुलिस ने इन्कार किया कि वह गिरफ्तार नहीं करेंगे, वह यह नहीं करेंगे। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अगर गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हम अन्दर जायेंगे। यह आपने कहा। अगर आप नहीं करेंगे तो हम घेराव करेंगे। तब स्थिति ने पलटा खाया और तब वह अन्दर जाने की कोशिश करने लगे अथवा घेराव करने की कोशिश करने लगे अथवा फूल, जिसको पुलिस ने पत्थर

(श्री हरिदेव जोशी)

समझ लिया, जब लगा तब स्थिति ने पलटा खाया।

अब नेचरली जो रिपोर्ट माननीय मंत्री ने यहां पढ़ी है वह पुलिस का वर्णन है क्योंकि माननीय मंत्रीजी या मैं भी मौके पर नहीं थे। जो मौके पर आप लोग थे उन्होंने एक हद तक बात कही है, जो मुझे समझ आती है और हर पालिटिकल पार्टी करती है कि आप वहां पर गये थे प्रदर्शन के लिये, गिरफ्तारी देने के लिये, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तब आपने चाहा कि दफ्तर में घुस जायं कॉर्डियन तोड़कर के कॉर्डियन होगा पुलिस का आखिर, उसको तोड़कर घुस जायं। तब मजिस्ट्रेट ने आर्डर दिया कि ये ब्रेक करके अन्दर जाना चाहते हैं उनको रोका जाय लाइट फोर्स काम में लेकर के। इस वर्णन की डिफरेन्ट ओपिनियन है। जो डिफरेन्ट ओपिनियन है आपकी और पुलिस के वर्णन में उसके लिये उपाध्यक्ष महोदय, यही कहा जा सकता है कि मैं दिखवा लूं और दिखवा करके असर्टेन कर लूं कि कहां सत्य है, कहां असत्य है। यही मैं निवेदन कर सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वक्तव्य पर वाद-विवाद समाप्त हुआ।

माननीय मंत्रीजी राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

विधायी कार्य

विधेयक का पुरः स्थापन

राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (आबकारी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

माननीय मंत्रीजी राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित भी करेंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी अध्यादेश को प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (1985) का अध्यादेश संख्या 1) को प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री शीशराम ओला, प्रभारी मंत्री राजस्थान कृषि साख

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) (संशोधन) विधेयक, 1985 पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करेंगे।

राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) (संशोधन विधेयक, 1985

श्री शीशराम ओला (राज्य मंत्री वन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

माननीय मंत्रीजी राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री शीशराम ओला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां निराकरण) (संशोधन) विधेयक, 1985 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी अध्यादेश को प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री शीशराम ओला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 63(1) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि साख प्रचालन (कठिनाइयां-निराकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1985 (1985 का अध्यादेश संख्या 2) को प्रख्यापित करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सहकारिता मंत्रीजी, श्री शीशराम ओला मांग संख्या 9–वन एव मांग संख्या–11 विविध सामाजिक सेवायें के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : पाइन्ट ऑफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : बीच में पैदा नहीं होता।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो खतम हो गया साहब।

श्री उपाध्यक्ष : इसके बीच में पैदा नहीं होता।

श्री भंवर लाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। आपने अनुमति दी है कृषि विधेयक के सम्बन्ध में और माननीय मंत्री महोदय कह रहे हैं करसी। यह तो इसमें कहीं आया नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वही आशय होता है। माननीय श्री शीशरामजी ओला मांग संख्या–9, वन एवं मांग संख्या 11 विविध सामाजिक सेवायें के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांगें
मांग संख्या–9, वन
एवं मांग संख्या–11, विविध
सामाजिक सेवाएं

श्री शीशराम ओला (वन राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 9 वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,97,39,000 रुपये (उन्नीस करोड़ सत्यानवें लाख उनतालिस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है प्रदान की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री दिग्विजय-सिंहजी आज आपसे ही शुरू होगा।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : आज उधर से शुरू करवा लें।

श्री शीशराम ओला : उपाध्यक्ष महोदय, एक मांग और है।

श्री उपाध्यक्ष : कौनसी रह गई ?

श्री शीशराम ओला : मांग संख्या 11 विविध सामाजिक सेवाएं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने दोनों मांगों के लिये कहा है। एक सैकण्ड। रखिये।

श्री शीशराम ओला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या-11, विविध सामाजिक सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,81,60,000 रुपये (तीन करोड़ इक्यासी लाख साठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाय।

मांग संख्या 9 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 9, मुख्य शीर्षक वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय,

श्री रेवंत राम चौधरी (डूंगरगढ़)

श्री रामदेव चौधरी (मूंडवा)

श्री नारायण राम बेड़ा (भोपालगढ़) :

1. बिना वृक्ष लगाये वृक्षों के नाम से राज्य सरकार की निधि का दुरुपयोग करने पर चर्चा के लिये।

2. जंगलों से ही वृक्षों की कटाई करवाने की साजिश पर चर्चा के लिये।

श्री बहादुर सिंह (खानपुर) :

3. पौधों को नष्ट होने से बचाने हेतु बांसवाड़ा में कलचरों की देखरेख हेतु गार्डों की व्यवस्था करने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

4. वनों की अवैध कटाई को रोकने में राज्य सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

5. जिला बांसवाड़ा में वनों की नाजायज कटाई से होने वाली हानि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

6. वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

110

(श्री नवरंगसिंह)

7. जंगलों के पेड़ों की कटाई की रोक-थाम करने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) :

8. प्रदेश में वृक्षारोपण तथा प्लांटेशन के बाद उनकी रक्षा एवं देखभाल करने में सरकारी उपेक्षावृति पर चर्चा के लिये।

9. तहसील खानपुर के घने जंगल वन अधिकारियों की मिली भगत से काटे जाने वाली हानि पर चर्चा के लिये।

श्री शोपतसिंह (हनुमानगढ़) :

10. वन विभाग में फैले भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

11. खेती योग्य भूमि को वनों के लिये रिजर्व न की जाने पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल) :

12. वनों की कटाई को रोक पाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल मीणा (सराड़ा) :

13. जिला उदयपुर में वन विभाग द्वारा वृक्ष लगाने हेतु निर्धारित स्थानों पर दो तीन बार खड्डे खोदने के बाद भी वृक्षों को न लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

14. वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार से व्यय हो रहे सरकारी धन का अपेक्षित लाभ न मिलने पर चर्चा के लिये।

श्री शिवचरणसिंह (करौली) :

15. फोरेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार वनों की रक्षा करने में असफल रही इससे उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

16. सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को गति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

17. राज्य में वनों की अवैध कटाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

18. वन विभाग द्वारा पौधे लगाये जाने के बाद उनकी उचित देखभाल नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) :

19. वन विभाग में योग्य एवं पात्र क्षेत्रीय पदों के उपलब्ध होने पर भी राज्य वन सेवा में सीधी भर्ती से पद भरे जाकर, योग्य क्षेत्रीय पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को राज्य वन सेवा प्रशिक्षण में नहीं भेजने पर चर्चा के लिए।

20. भारत सरकार की वन अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार क्षेत्रीय प्रशिक्षण में आनर्स श्रेणी प्राप्त क्षेत्रीयों को राज्य वन सेवा प्रशिक्षण में भिजवाने का लाभ देने का आदेश निदेशक, वन शिक्षा अनुसन्धान संस्थान एवं महाविद्यालय देहरादून द्वारा प्राप्त होने पर योग्य क्षेत्रीयों को उक्त आदेशानुसार इस प्रशिक्षण में राज्य सरकार द्वारा नहीं भेजने पर चर्चा के लिए।

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) :

21. वन विभाग जलाऊ लकड़ी व कोयले के डिपो बालोतरा नगर में न खोले जाने से

(श्री चम्पालाल बांठिया)

उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

22. वन विभाग के कर्मचारियों की मिली-भगत से की जा रही हरे वृक्षों की अवैध कटाई पर चर्चा के लिए।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा) :

23. वन विभाग को वन लगाने के लिये बिलानाम भूमि दिलाने और उसमें पर्याप्त वन लगाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अशक अली (फतेहपुर) :

24. रेगिस्तानी क्षेत्र को बढ़ने से रोकने के लिए वन क्षेत्रों का निर्माण कराने पर चर्चा के लिए।

श्री जय कृष्ण तोसावड़ा (दूदू) :

25. वन विभाग द्वारा लकड़ी दूसरे इलाकों में भेजे जाने की प्रवृत्ति को रुकवाने पर चर्चा के लिए।

26. विभाग द्वारा राज्य में नहरों के किनारे पर खड़े पेड़ों की कटाई की रोकथाम में उदासीनता वरतने पर चर्चा के लिए।

27. वन विभाग द्वारा लगवाये जाने वाले पौधों में भ्रष्ट तरीके अपनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

28. वनों की अवैध रूप से काटी जाने वाली लकड़ी को रोकने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिए।

29, वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) :

30. चौमू में रेन्जर-कार्यालय खोलने एवं नर्सरी की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

31. चौमू क्षेत्र के वनों की सुरक्षा नहीं होने से ग्राम-जनता में व्याप्त भारी असन्तोष पर चर्चा के लिए।

श्री गणेशलाल बैरागी (हिण्डोली) :

32. बूंदी जिले में नष्ट हो रहे जंगलों को बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुजान सिंह यादव (बहरोड़) :

33 राज्य में वनों के संरक्षण और अनेक प्रकार के पेड़ लगाकर वन विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हंसराज मिढ़ा (सूरतगढ़) :

34. वन विभाग में बढ़ती तानाशाही व व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने पर चर्चा के लिए।

श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची) :

35. पाली जिले में अरावली पहाड़ के वनों की सुरक्षा पर चर्चा के लिये।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) :

36. झुन्झुनू जिले में जंगलों की अवैध कटाई को रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

37. झुन्झुनू जिले में वन संरक्षण एवं विकास करने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) :

38. फार्म फोरेस्ट्री को प्रोत्साहन देने हेतु चर्चा के लिये।

112

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) :

39. तिजारा विधान सभा क्षेत्र में ग्राम इन्दौर, मालीपरज व तिजारा की रूंध में वनों की हो रही अवैधानिक कटाई को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

40. तोहार्गत के पहाड़ों में वृक्षारोपण कर हराभरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. किरोड़ी के पहाड़ों को हरा-भरा करने पर चर्चा के लिये।

श्री डूंगरराम पंवार (टीबी) :

42. गंगानगर जिले में वन अधिकारियों द्वारा की जा रही भारी अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा मनमानी पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

43. राज्य में वनों की निरन्तर हो रही कटाई को रोकने एवं वन सम्पदा के आवश्यक विस्तार में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

44. वन सम्पदा की सुरक्षा व वन विकास कार्यक्रम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (झालरापाटन) :

45. वनों की अंधाधुंध कटाई एवं वन क्षेत्रों में खनन कार्य को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपुतली) :

46. वन संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण स्तर पर वनों की कटाई रोकने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

47. वन विकास एवं घास विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. वनों की अवैध कटाई में विभाग के लिप्त होने पर चर्चा के लिये।

49. वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

50. वनों के व्यापक प्रसार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. वनों के क्षेत्रीय विकास की योजनाओं में लगे धन के अनुपात का उचित मात्रा में लाभ प्राप्त नहीं होने पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) :

52. नाहरगढ़ पहाड़ी पर काले हिरणों का अभ्यारण्य घोषित करने के बाद भी अभी तक क्रियान्विति के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) :

53. नाहरगढ़ पहाड़ी पर सघन वन विकास हेतु समयबद्ध योजना बना कर उसे मूर्तरूप दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. जयपुर के तीन ओर स्थित पहाड़ों पर लगे वृक्षों की कटाई को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) :

55. राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य केवलादेव (भरतपुर) में बार-बार आग लगने पर चर्चा के लिये।

56. केवलादेव राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में पशु चराई रोकने देने पर चर्चा के लिये।

वैद्य भैरूलाल भारद्वाज (जमुवारामगढ़) :

57. जमुवा रामगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित होने के बावजूद वृक्षारोपण के कार्य में कोई प्रगति न होने पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) :

58. सड़कों, नहरों के किनारे बेकार पड़ी भूमि में वृक्ष लगाने के कार्यक्रम में गतिशीलता लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सम्पतसिंह (नगर) :

59. रूंद, मांढेरा, डीग, पहाड़ताल, सेवत मन्दिर सीकरी में वन विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी) :

60. वन विभाग-देसूरी में वनों की अवैध कटाई को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) :

61. चारागाह विकास के लिए वन विभाग की भूमि पंचायतों को वापिस सौंपने पर व उसके चारागाह विकसित न होने पर चर्चा के लिये।

62. ऊंट, गाय, भेड़ व बकरी की चराई की रेट समान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अब्दुल हादी (चौहटन) :

63. वन विभाग द्वारा अतिक्रमित पशुओं पर लगाये जाने वाले चार्ज व पेनल्टी पर चर्चा के लिये।

64. तहसील चोहटन में वन क्षेत्रों पर नियुक्त वन अधिकारियों द्वारा पशुपालकों व ग्रामीणों को तंग किये जाने पर चर्चा के लिये।

65. चोहटन तहसील के ग्राम तारातरा के वन क्षेत्र को वन विभाग के अधिकार से हटाकर पंचायत को सौंपने हेतु चर्चा के लिये।

66. पंचायतों द्वारा वन विभाग के चारागाह की भूमि में चरने वाले पशुओं की चराई वसूल करने पर चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी) :

67. बूंदी विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत लोयचा में क्लोजर बनाने पर चर्चा के लिये।

68. बूंदी जिले में वनों की अवैध कटाई को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन सिंह (रानीवाड़ा) :

69. जसवन्तपुरा की पहाड़ी वन क्षेत्र में चारे की अनुमति के साथ पशुओं के पड़ाव की अनुमति हेतु चर्चा के लिए।

70. जसवन्तपुरा में वन्य जीवों का संरक्षण व वन्य जीव अभ्यारण्य हेतु आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री अर्जुन सिंह)

71. जसवन्तपुरा में वनों का संरक्षण व कटाई आदि पर रोक की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) :

72. रणथम्भौर अभ्यारण्य में अधिकारियों द्वारा धन का दुरुपयोग व मनमाने ढंग से धन को खर्च किये जाने पर चर्चा के लिए।

73. रणथम्भौर अभ्यारण्य की भूमि पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

74. राज्य में वन सम्पदा को नष्ट होने से बचाने पर चर्चा के लिए।

75. राज्य में विश्व बैंक की सहायता से सामाजिक वानिकी योजना लागू किये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री किरोड़ीलाल (महुआ) :

76. वन विभाग में फर्जी मस्ट्रोल भरने व साइड प्लान्टेशन में भारी भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए।

श्री राजेश (थानागाजी) :

77. गेम्स सैन्चूरी सिरसका में आवागमन की सड़क कोरोक देने से उत्पन्न ग्राम जनता की परेशानी पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) :

78. पौधा लगा देने मात्र को ही वन वृद्धि समझ लेने पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

79. वन विभाग में तकनीकी कर्मचारियों के सेवा नियम नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

80. वन कर्मियों द्वारा पशुपालकों को नाजायज परेशान किये जाने पर चर्चा के लिए।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :

81. उदयपुर जिले के अन्तर्गत वन विकास हेतु चर्चा के लिए।

श्री थानसिंह मीणा (सलूम्बर) :

82. सलूम्बर में अवैध लकड़ी कटाई को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :

83. आरक्षित वनों की रक्षा के लिए अधिक संख्या में कर्मचारी लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री मांगीलाल आर्य (जालौर) :

84. वन विभाग द्वारा अवधि आरक्षित क्षेत्र (क्लोजरों) के विकास हेतु चर्चा के लिए।

श्री विजय सिंह (रूपवास) :

85. विधान सभा क्षेत्र रूपवास में अधिक वृक्षारोपण कर सौन्दर्यकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86. अजान बांध पर वृक्षारोपण करने तथा अनुसूचित जाति के लोगों को पेड़ लगाने के लिए पेड़ों की व्यवस्था पर चर्चा के लिए।

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी) :

87. वनों की अवैध कटाई की रोकथाम हेतु वन विभाग में कर्मचारियों को एक स्थान पर दो वर्ष से अधिक नहीं रखे जाने पर चर्चा के लिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

88. जिला जालौर में वन खण्डों में फीडर बैंक कायम करने के बारे में चर्चा के लिये।

89. जिला जालौर के वन खण्डों से नाजायज तौर से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने के बारे में चर्चा के लिये।

90. जिला जालौर में वन विकास करने में सरकार की घोर उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

91. वन विभाग में केटल गार्ड के पद पर महिलाओं की नियुक्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मोहन प्रकाश (राजाखेड़ा) :

92. धौलपुर–राजाखेड़ा सड़क पर सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

93. धौलपुर जिले में बड़े पैमाने पर हो रही वनों की कटाई रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

94. धौलपुर जिले की पार्वती नहर के किनारे सामाजिक-वानिकी करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रशेखर (खैरथल) :

95. अलवर जिले में वन अधिकारियों के सहयोग से पेड़ काटे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

96. वन विभाग द्वारा जो पेड़ लगाये जाते हैं उनके रख रखाव के लिए व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र कुमार परमार (आसपुर) :

97. जिला डूंगरपुर में वनों की हालत में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा) :

98. जिला उदयपुर. कोटडा में वन की अवैध कटाई पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) :

99. मवेशियों को वन विभाग की चारागाह में प्रवेश के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कमला भाई मीणा (लसाडिया) :

100. जिला उदयपुर तहसील धरियावद के गांव मुण्डला, सीतामाता सेन्चुरी क्षेत्र में जंगली जानवरों की मृत्यु पर ग्रामवासियों पर किये जाने वाले जुर्माने पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूसिंह (टोडारायसिंह) :

101. दौसा व सिकराय क्षेत्र में वनों की अवैध कटाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) :

102. वन विभाग में छाये भ्रष्टाचार एवं पेड़ों की अवैध कटाई पर चर्चा के लिये।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मण्डी) :

103. दरा गेम्स सेन्चुरी क्षेत्र में किसानों को गीली लकड़ी एवं सर बोझा लाने के नाम पर परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री किरोड़ी लाल (महुआ) :

104. जिला सवाई माधोपुर की वन

(श्री किरोड़ी लाल)

विभाग रेंज महुआ में साइड वालाहेडी, कालापहाड़ आदि पर पौधशाला कार्य के अन्तर्गत गड्डे खुदवाने के नाम पर हजारों रुपये का दुरूपयोग होने पर चर्चा के लिये।

श्री ईश्वरलाल सैनी (लक्ष्मणगढ़) :

105. सिरसका टाईगर प्रोजेक्ट को तुरन्त नेशनल पार्क घोषित करने हेतु चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

106. बाड़मेर जिले में कई वन क्षेत्र अनुपयोगी प्रमाणित होने पर भी वन विभाग के कब्जे में होने से स्थानीय जनता को होने वाली परेशानी पर चर्चा के लिये।

107. रेगिस्तानी क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा अतिक्रमी पशुओं पर ऊंची दर से जुर्माना व चराई वसूल करने के विषय पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमला देवी (सागवाड़ा) :

108. वनों की रक्षा तथा उचित विकास पर चर्चा के लिये।

109. वनों की रक्षा एवं उचित विकास में ह्रास पर चर्चा के लिये।

हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) :

110. बालोतरा में लकड़ी व कोयला का डिपो खोलने की घोषणा की क्रियान्विति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) :

111. नाथद्वारा क्षेत्र में चूने के भट्टे हेतु उपयोग में लायी जाने वाली लकड़ी की अवैध कटाई नहीं रोकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

112. पंचायत समिति खमनोर की विभिन्न पचायतों द्वारा वन लगाने के लिए भेजी गई योजना की स्वीकृति न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

113. नाथद्वारा नगर में स्थित वन जमीन में वन विभाग द्वारा पौधे नहीं लगाने तथा सुरक्षा नहीं करने से अतिक्रमण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) :

114. भरतपुर स्थित राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य की उचित देखरेख नहीं कर पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

115. राज्य सरकार द्वारा राज्य के रेगिस्तान को नियन्त्रित नहीं कर पाने एवं पशुधन के चारे की समुचित व्यवस्था नहीं करने पर चर्चा के लिए।

116. सरकार राज्य के लुप्त होते वन्य जीवों की रक्षा करने में अक्षम रही है पर चर्चा के लिए।

117. सरकार राज्य में लुप्त होते वनों की रक्षा करने में अक्षम रही है पर चर्चा के लिए।

श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :

118. पंचायत समिति बस्सी में दूबली बांध के नीचे से पृथ्वीपुरा बांध तक एवं पृथ्वीपुरा बांध से लेकर भूडला तक नदी के दोनों किनारों पर प्लांटेशन लगाये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिए।

श्री जगदीशप्रसाद तिवाड़ी (बस्सी) :
श्री प्रभुदयाल मीणा (सिकराय) :

119. पंचायत समिति बस्सी के क्षेत्रों में कानोता, सांभरिया, बांसखोह, भूडला, बस्सी-तूंगा, बस्सी-देवगांव, जटवाड़ा से पड़ासोली वाया टहटड़ा बडवा सम्पर्क सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण किये जाने के सन्दर्भमें चर्चा के लिए।

120. पंचायत समिति सिकराय के ग्राम दुब्बी रोड नं. 11 राष्ट्रीय राजमार्ग पर उपलब्ध चारागाह भूमि में प्लांटेशन लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121. पंचायत समिति बांदीकुई में घनावड़ व भांवता में प्लांटेशन लगाये जाने के क्रम में चर्चा के लिए।

122. पंचायत समिति दौसा क्षेत्र के ग्राम कालाखोह व ग्राम भाण्डारेज में पड़त सरकारी भूमि में प्लांटेशन लगवाये जाने के विषय में चर्चा के लिए।

123. पंचायत समिति बस्सी क्षेत्र में बांसखोह-भूडला सड़क के दोनों ओर भूडला ग्राम की चारागाह भूमि में वृक्षारोपण किये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिए।

124. पंचायत समिति बस्सी में रोजवाड़ी प्लांटेशन में नर्सरी को विकसित कर स्थानीय लोगों को उनकी मांग के अनुसार पौधे सुलभ कराये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिए।

125. जयपुर जिले की पंचायत समिति बस्सी में बैनाड़ा प्लांटेशन में नये पौधे लगाये जाने व सुरक्षा की समुचित व्यवस्था किये जाने के सन्दर्भ में चर्चा के लिए।

श्रीमती सुमित्रासिंह (पिलानी) :

126. वनों की अंधाधुंध कटाई पर चर्चा के लिए।

श्री सम्पतसिंह (नगर) :

127. भरतपुर घना, रूघ माढैरा, पहाड़ताल में मवेशी चरने पर लगी रोक एवं हरे वृक्षों की विभाग की मिलीभगत से कटाई पर चर्चा के लिए।

श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर) :

128. जिला अलवर में नई पौध लगाने में की जा रही पक्षपात पर चर्चा के लिए।

129. जिला अलवर में अधिकारियों की मिलीभगत से हरे वृक्षों की, की जा रही कटाई पर चर्चा के लिए।

श्री देवीलाल (शाहपुरा) :

130. वन विभाग द्वारा लगाये गये वृक्षों की देखरेख एवं रक्षा की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

131. वनों के विकास हेतु अधिक धनराशि की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132. जिला चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा में वृक्षारोपण को प्राथमिकता प्रदान करने पर चर्चा के लिए।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) :

133. बूंदी जिले में चंदन के पेड़ों की अवैध कटाई पर चर्चा से लिए।

134. झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र में काला शीशम के पेड़ों की अवैध कटाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

118

(श्री हरीश शर्मा)

135. प्रदेश में वन्य जीवों की सुरक्षा की कारगर व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये।

136. कोटा जिले के दरा गेम सैन्चुरी के वन्य जीवों का शिकार किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

137. वनों की सुरक्षा की कारगर व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये।

138. झालावाड़ जिले की खानपुर तहसील में प्रतिदिन वनों की अवैध कटाई होने पर चर्चा के लिये।

139. कोटा क्षेत्र में प्रतिदिन हजारों हरे पड़ों की अवैध कटाई होने पर चर्चा के लिये।

140. अवैध रूप से वन क्षेत्र में पेड़ों को काटने वालों के विरुद्ध कोई कठोर दण्ड का प्रावधान न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

141. असामाजिक तत्वों द्वारा सशस्त्र होकर हाड़ौती अंचल के वनों के हरे पेड़ों की कटाई का अभियान चलाने पर भी विभाग द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये।

श्री किरोड़ोलाल मीणा (महुआ) :

142. सवाई माधोपुर रेन्ज महुआ में दिनांक 31-5-85 को गीली लकड़ी से भरे 6 ट्रक वन अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेकर छोड़ जाने से सरकार को हुई हानि पर चर्चा के लिये।

श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन) :

143. हिण्डौन क्षेत्र में वन विभाग की अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

श्री ऋषिकेश मीणा (सपोटरा) :

144. विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में वन उपज को ऊंट व भेड़ों द्वारा नष्ट करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) :

145. डूंगरपुर जिले में वनों की स्थिति के बारे में चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

146. स्थानीय कर्मचारियों की सांठगांठ से वन सम्पदा की हो रही क्षति एवं विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) :

147. खानपुर तहसील की बोरबन्धी नर्सरी में लगाये गये हजारों पौधों में से एक भी पौधा जीवित न होने पर चर्चा के लिये।

श्री अमर चन्द (गंगरार) :

148. वन विभाग द्वारा वृक्षों की अवैध कटाई रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूंलाल मीणा (सराड़ा) :

149. जिला उदयपुर की पहाड़ियों पर पेड़ों की कटाई से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

150. वन विभाग द्वारा फलदार वृक्ष दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. वनों की कटाई रोकने में वन विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :

152. केशवराय पाटन तहसील में मेज नदी के किनारों पर पेड़ लगाये जाने पर चर्चा के लिये।

153. केशवराय पाटन तहसील में चम्बल के किनारों पर पेड़ लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :

154. बीकानेर ज़िले की पूगल ब्रान्च डंडी की डिस्ट्रब्यूटी पर विभाग द्वारा पेड़ लगाये जाने से धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये।

155. बीकानेर ज़िले में के. जे. डी. नहर के दायें और बांये किनारों पर पेड़ लगाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

156. बीकानेर जिले की लूणखा डिस्ट्रब्यूटी पर वन विभाग द्वारा पेड़ नहीं लगाकर राशि के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये।

157. इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की पूगल ब्रान्च पर वन विभाग द्वारा सही ढंग से पेड़ नहीं लगाने एवं धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये।

158. बीकानेर जिले में गाढ़वाला गांव की वन पौधशाला में पेड़ लगाने के समय पौधे उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

159. बारियांवाली (खाजूवाला) में वन विभाग द्वारा पौध काश्तकारों को नहीं मिलने पर चर्चा के लिये।

160. बीकानेर शहर के चारों तरफ एक हरी पट्टी लगाई जाने की योजना बनाने की क्रियान्विति में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

161. वृक्षारोपण कार्यक्रम में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

162. उपनिवेशन विभाग की भूमि पर वन विभाग द्वारा की गयी तारबन्दी से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

163. बीकानेर जिले में नोखा कस्बा के पास बीकासर ग्राम की रोही में वन विभाग की नर्सरी के औचित्य पर चर्चा के लिये।

164 इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के बायें किनारे पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

165. फलदार पेड़ राज्य में लगाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

166 बीकानेर जिले में वन विभाग की तारबन्दी की हुयी भूमि में चारागाह विकास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. बीकानेर जिले के ग्राम हिम्मतसर में वन विभाग द्वारा पेड़ नहीं लगाया जाना एवं नोखामंडी से पसरासर तक सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

168. नोखामंडी से नागौर सड़क पर सड़कों के दोनों ओर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।

120

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

169. नोखामंडी से पाचू तक सड़क के दोनों ओर वन विभाग द्वारा पेड़ नहीं लगाये जाने पर चर्चा के लिये ।

170. बीकानेर जिले की मुकाम समराथल धोटा नर्सरी पर पेड़ लगाने के समय कास्तकारों को पेड़ उपलब्ध नहीं कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

171. पूगल से दन्तौर वाया वल्लर सड़क पर पेड़ लगाने की योजना में शिथिलता बरतने पर चर्चा के लिये ।

172. बीकानेर जिले की बल्लर डिस्ट्रब्यूट्री के दायीं और बांयी तरफ वृक्ष रोपण न कर धन के अपव्यय पर चर्चा के लिये ।

173. बीकानेर जिले की बल्लर डिस्ट्रब्यूट्री के कुशालवाला माईनर पर वृक्षा लगाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

174. बीकानेर जिले के कुशालवा मान नहर के चक नं. 17 के. एच. 18, 19, के. एच. एम. पर वृक्ष लगाने व किसानों को पेड़ वितरण करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

175. खण्डेला की मोरवाड़ी जंगलात की पहाड़ी से जंगलातवालों की मिलीभगत से वन क्षेत्र में हो रही क्षति पर चर्चा के लिये ।

श्री रघुनाथ परिहार (बाली) :

176. बाली क्षेत्र में सड़कों के किनारे पेड़ (शोल्डर बेल्ट) लगाने हेतु चर्चा के लिये ।

177. नापा-मीमाण पहाड़ी क्षेत्र में बंजर पहाड़ियों में वृक्षारोपण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

178. पाली जिले की अरावली पहाड़ियों में उन्नत पेड़ के बीजारोपण वायुयान से करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

179. ग्राम सीलनबाद तहसील लाडनूं में वन विभाग द्वारा एक क्षेत्र में तारबन्दी करने के बाद भी पेड़ नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

180. वनपाल, केटल गार्डस् व उससे ऊपर के अधिकारियों को वन की रक्षा हेतु राइफलें व पिस्तोल आदि दिए जाने बाबत चर्चा के लिये ।

181. कोटा जिले में वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत जो गश्त दल नियुक्त किए हैं उनकी निष्क्रियता से सारे ही वन क्षेत्रों से वन्य जीव नष्ट प्राय: हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

182. रणथम्भौर अभ्यारण्य पर लाखों रुपया व्यय कर देने पर भी वन्य जीवों की बढ़ोत्तरी न होने पर आये दिन बाघ व शेरों के मारे जाने पर चर्चा के लिये ।

183. राज्य के अभ्यारण्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

184. कोटा में स्थित वन संरक्षण परियोजनाओं को समाप्त करने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।

185. चम्बल की नहर के किनारों पर

(श्री दाऊदयाल जोशी)

वन विभाग द्वारा भी फलदार वृक्ष लगाने को आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

186. कोटा की कैथून से आजाद पुरा तक की सड़क पर पेड़ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

187. कोटा जिले की वृक्ष विहीन पहाड़ियों पर वृक्षों के पुन:रोपण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

188. वन विभाग को भूमि पर अवैध कब्जों को रोकने में विभाग की असमर्थता पर चर्चा के लिये ।

189. कोटा नगर में जलाऊ लकड़ी एवं कोयला वन विभाग के डिपो से आम व्यक्ति को मुहैया नहीं हो पाता, अत: नगर में और डिपो खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

190. रोड साइट प्लांनटेशन के कार्य में गति लाकर उन वृक्षों की रक्षा हेतु समुचित उपाय करने हेतु चर्चा के लिये ।

191. वन विभाग में पदोन्नतियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण न्याय पाने हेतु अदालतों में जाने पर चर्चा को लिये ।

192. कोटा जिले में जो पैडोक्स बनाए गए हैं के नष्ट होने व उनमें भ्रष्टाचार के आधार पर पशुओं को चरने की छूट देने पर चर्चा के लिये ।

193. दरा गेम्स सेन्चुरी की दुर्दशा एवं उसके कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

194. कोटा नगर के आसपास बोरावास व दरा तक 10 वर्षों में वन का दोहन करने से वन क्षेत्र के वृक्ष रहित हो जाने पर चर्चा के लिये ।

195. वन विभाग में कर्मचारियों को नई भरती में व्याप्त एवं भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

196. राज्य के वन विभाग के तहत किये कत्थे, गोंद, तेंदू पत्ते के किये जा रहे व्यापार में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

197. राज्य के वनों के तेजी से हो रहे ह्रास से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :

198. इन्द्रगढ़ में पुन: रेन्ज कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

199. ग्राम डोवरली, खेड़ली कलां में वृक्षारोपण कार्य द्वारा चम्बल के कटाव को रोकने पर चर्चा के लिये ।

श्री महेन्द्र शास्त्री (मण्डावर) :

200. वन विभाग द्वारा किशनगढ़ वास के क्षेत्र में पीपल के हरे वृक्षों को काटकर हरियाणा एवं दिल्ली के ट्रकों द्वारा खुले रूप में भिजवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

201. किशनगढ़ वास के क्षेत्र के काटे गए वृक्षों की शिकायत के उपरान्त भी उचित कार्यवाही न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

202. तिजारा किशनगढ़ वास जिला अलवर में सोशियल फोरेस्ट्री में वृक्षों के

122

(श्री महेन्द्र शास्त्री)

लिए खुदाए गये गड्डों में कम पैसे देना तथा अधिक रेट की रसीद लेकर भ्रष्टाचार फैलाने पर चर्चा के लिये।

203. वन विभाग द्वारा सोशियल फोरेस्ट्री के लिए अलाट ग्राम माचा तहसील किशनगढ़ जिला अलवर की भूमि में काश्त कराये जाने पर चर्चा के लिये।

204. वन विभाग द्वारा सड़कों के किनारे लगे वृक्षों की रक्षा न कर पाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) :

205. सफेदा (यूकेलिप्टस) के बजाय पीपल और नीम के वृक्ष लगाने के महत्व पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोडा (जयपुर ग्रामीण) :

206. वन क्षेत्र में पेड़ लगाओ सप्ताह में होने वाले भ्रष्टाचार पर भी विभाग को दी जाने वाली राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।

207. वन क्षेत्र में लगे पेड़ों की देखभाल के अभाव में होने वाली क्षति पर चर्चा के लिये।

208. वन क्षेत्र में अधिक पेड़ लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

209. जयपुर नगर की पहाड़ियों से अवैध कटाई से शहर को असुन्दर बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

210. जयपुर शहर में वन विभाग की भूमि में हो रहे अतिक्रमण न हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

211. वन विभाग की नर्सरी खातीपुरा के बीज गोदाम को रेस्ट हाउस के लिये उपयोग में लेने पर चर्चा के लिये।

212. जमवा रामगढ़ में ईयर मार्क अभ्यारण्य के ठीक रख रखाव के अभाव पर चर्चा के लिये।

213. अच्छे शेरों की नस्ल समाप्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

214. वन्य जीवों की सुरक्षा के अभाव पर चर्चा के लिये।

215. वन विभाग की सवीना चौकी पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

श्री सम्पत सिंह (नगर) :

216. वन विभाग की चुंगी चौकी पर पैसा लेकर अवैध लकड़ियां जाने देने पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल सोलंकी (सिरोही) :

217. आबू पर्वत वीरान पहाडियों पर वृक्षारोपण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

218. सिरोही जिले की नर्सरियों में उन्नत किस्म के पौधे तैयार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

219. सिरोही जिले में मृतकों को जलाने हेतु फायर वुड का परमिट दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(श्री रामलाल सोलंकी)

220. सिरोही रेन्ज में ट्रेंड रेन्जर नियुक्त होते हुए भी रेन्जर द्वितीय श्रेणी से नियमों के विरूद्ध काम लेने पर चर्चा के लिये ।

221. सिरोही जिले में अवैध शिकार पर रोक लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

222. शिवगंज में लकड़ी व कोयले का डिपो खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

223. सिरोही से आबू पर्वत तक नई सड़क पर वृक्षारोपण कराने हेतु चर्चा के लिये ।

224. आबू गेम सेन्चुरी की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये ।

225. सिरोही जिले में शिवगंज से सिरोही, सिरोही से कालन्द्री, सिरोही से रेवदर सड़कों के किनारे वृक्षारोपण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

226. सिरोही जिले के वनों में आग लगने से हुए नुकसान पर चर्चा के लिये ।

227. सिरोही की पहाड़ियां मातर माता, रोवाड़ा, मनादर, आलवा में वृक्षारोपण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

228. सिरोही जिले में वन विभाग के घास जोडों में अवैधानिक रूप से पशुओं को चारा चराने से राजकोष में हो रही हानि पर चर्चा के लिये ।

श्री खेमराज (उदयपुर ग्रामीण) :

229. बारावाल ग्राम में वन विभाग द्वारा काश्त की भूमि पर बाउन्ड्रीवाल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

230. व्यापार मंडल द्वारा अवैध रूप से वनों से लकड़ी कटवाने पर चर्चा के लिये ।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा) :

231. ग्राम भादवा के जंगलात की वन विभाग द्वारा देख रेख छोड़ दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री सम्पतसिंह (नगर) :

232. बहुमूल्य पेड़ों की कटाई रोकने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) :

233. वन विभाग में फैल रहे व्यापक भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

234. वन विभाग के अधिकारियों द्वारा कृषकों को अपने निजी कार्य हेतु लकड़ियां ले जाते पकड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

235. वन विभाग में वर्षो से कार्यरत ट्रेक्टर ड्राइवर व मजदूर दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहे मजदूरों को स्थाई नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

236. वन विभाग द्वारा हथोरा पंचायत समिति श्री माधोपुर की गोचर व काश्त की भूमि दबा लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

237. ग्राम अरनिया को गोचर भूमि

124

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

में वन विभाग द्वारा खाई खोदने के लिए मिली राशि से उस कार्य को नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) :

238. वनों की रक्षा करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मणसिंह (भीम) :

239. भीम क्षेत्र में जंगलों की अवैध कटाई रोकने हेतु चर्चा के लिये।

240. राष्ट्रीय मार्ग नम्बर 8 पर लगाये पेडों के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री प्रभूदयाल मीणा (सिकराय)
श्री भूदर मल वर्मा (दौसा) :

241. सिकराय मेंहदीपुर बालाजी मोड पर नर्सरी से निःशुल्क पौधे वितरण करने के बजाय कीमत लेकर पौधे वितरण करना तथा प्राप्त कीमत की राशि सरकारी कोष में जमा न कर अप्रत्यक्ष गबन करने पर चर्चा के लिये।

242. पंचायत समिति सिकराय, दौसा, बांदीकुई में वन विकास किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

243. दौसा, सिकराय पंचायत समिति क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम प्रस्तावित चारागाह भूमि में वृक्षारोपण किये जाने हेतु चर्चा के लिये।

कुमारी गिरिजा व्यास (उदयपुर) :

244. उदयपुर सम्भाग के वनों में अवैध कटाई को रोकने के सम्बन्ध में कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

245. उदयपुर में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

246. "वाटर कन्सरवेशन" में वनों के महत्व के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री थानसिंह मीणा (सलूम्बर) :

247. जयसमन्द गेम सेन्चुरी में जंगल की अवैध कटाई पर चर्चा के लिये।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) :

248. जंगलों की वृद्धि करने तथा जंगलों की कटाई रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

249. राज्य में पेड़ों की कटाई से भूमि कटाव के अधिक बढ़ने की आशंका पर चर्चा के लिये।

श्री भोलाराम सैनी (गुढ़ा) :

250. उदयपुरवाटी निर्वाचन क्षेत्र में जंगलों की हो रही अवैध कटाई पर रोक नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

251. झुन्झुनू जिले में वनों के विकास के लिये अभियान चलाये जाने पर चर्चा के लिये।

252. उदयपुरवाटी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वन विभाग द्वारा पौध को लगाने के बाद उनकी देखभाल नहीं करने पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल पारीक (मांडल) :

253. वनों को बढ़ाने के लिये ग्रामीणों को शामिल कर उनके अनुभवों से वनों का लाभ उठाये जाने पर चर्चा के लिये।

(श्री बिहारीलाल पारीक)

254. वनों में लकड़ी की, की जाने वाली चोरियों को विभाग रोकने में असमर्थ रहा है इस पर चर्चा के लिये।

255. वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा पशु चराने पर रोक पर चर्चा के लिये।

256. वनों में बढ़ते जा रहे अवैध शिकार पर प्रतिबन्ध लगाने तथा नये अभ्यारण्य बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

257. पहाड़ी क्षेत्र में वन विस्तार हेतु हवाई जहाज से बीजारोपण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

258. राज्य में वन सम्पदा से होने वाली आय अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम होने के कारणों पर चर्चा के लिये।

259. जंगल में उगने वाली घास काटने का परमिट न दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

260. बिना वृक्ष की पहाड़ियों पर कृषकों को पौधे लगाने की इजाजत देकर नये वन विकसित किये जा सकते हैं, इस पर चर्चा के लिये।

261. वन विभाग द्वारा राजकीय मार्ग पर लगाये जाने वाले वृक्षों की सुरक्षा नहीं होने पर चर्चा के लिये।

262. नहरों के किनारे वृक्षावलियां लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

263. वर्षा से काबीज वन भूमि से किसानों को बेदखल नहीं किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

264 वन विभाग ने वृक्षारोपण कार्यक्रम द्वारा फलदार व पशुओं के चारे के लिये काम में आने वाले पौधों को लगाने पर चर्चा के लिये।

265. वन विभाग द्वारा स्थानीय व्यक्तियों की सेवा में नई नियुक्तियों में प्राथमिकता नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

266. वनों की अवैध कटाई रोकने व दोषी कर्मचारियों को दण्डित नहीं करने पर चर्चा के लिये।

267. सरकार अंधाधुंध अनुपयोगी यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने को रोकने में अक्षम रही है इस पर चर्चा के लिये।

268. सरकार सोशल फौरेस्ट्री को प्रोत्साहित करने में अक्षम रही है इस पर चर्चा के लिये।

269. वन विभाग में बांध संरक्षण तथा पौध वितरण में हुई अनियमितता पर चर्चा के लिये।

270. स्थानीय एवं भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्थानीय पेड़ लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

271. वन विभाग द्वारा पौधे लगाने के बाद उनकी देखभाल नहीं करने पर चर्चा के लिये।

272. चारागाह विकास को वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता देने के संबंध में चर्चा के लिये।

(श्री बिहारीलाल पारीक)

273. विभाग जनता की आवश्यकतानुसार कोयला लकड़ी उपलब्ध करवाने में असमर्थ रहा इस पर चर्चा के लिये।

274. वन विभाग की अकर्मण्यता से वन संपदा नष्ट हो रही है तथा विभाग द्वारा वनों के विकास की योजना पर ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

275. वनों के विकास के लिए प्रदेश भर में अभियान नहीं चलाया जा रहा है इस पर चर्चा के लिये।

276. वन विभाग के कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

277. बीकानेर जिले में पेड़ों की अनियमित कटाई को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

278. वन विभाग के वृक्षारोपण कार्यक्रम द्वारा फलदार व पशुओं के चारे के लिये काम आने वाले पौधों को लगाने पर चर्चा के लिये।

279. विभाग द्वारा स्थानीय व्यक्तियों को नयी नियुक्तियों में प्राथमिकता नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये।

280. जिला बीकानेर में चारागाह भूमि में वृक्षारोपण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

281. इन्दिरा गांधी मुख्य नहर में द्वितीय चरण की बरसलपुर व चारनवाला शाखा, वितरिका माईनर के किनारे प्राथमिकता के आधार पर पेड़ लगाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 11 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक विविध सामाजिक सेवाएं के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय.

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल) :

1. पर्यावरण सुधार के नाम पर हो रहे धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये।

श्री शिवचरण सिंह (करौली) :

2. विविध सामाजिक सेवाओं में दक्षता की कमी पर चर्चा के लिये।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

3. जोधपुर, पाली, बालोतरा शहर में तेजाब युक्त पानी के कारण फैल रहे जल प्रदूषण से शहरों के पास के गांवों के तालाब, नाडी, कुए व बावड़ियां खराब हो जाने व गंदे पानी के पीने से मवेशियों की मौतें हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

4. वायु पर्यावरण की शुद्धि के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

5. जयपुर नगर में औद्योगिक कारखानों से निकले दूषित जल से उत्पन्न प्रदूषण की समस्या के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द्र जाट (बनेड़ा) :

6. भीलवाड़ा नगर व गुलाबपुरा नगर के उद्योगों द्वारा जल व वायु प्रदूषण की कार्यवाही पर आवश्यक रोक न कर पाने की सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।

127

श्री अश्क अली (फतेहपुर) :

7. शहरों में बढ़ते हुए दूषित पर्यावरण को रोकने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री जयकृष्ण तोसावड़ा (दूदू) :

8. बढ़ते दूषित पर्यावरण से जन साधारण को बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमू) :

9. चौमू क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र में पर्यावरण सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) :

10. थल पर्यावरण को दूषित कर रहे तत्वों को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा):

11. भिवाडी के औद्योगिक क्षेत्र में नये-नये उद्योग लगने से वायु, जल व भूमि में फैल रहे प्रदूषण को रोकने हेतु चर्चा के लिये।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) :

12. खेतड़ी कॉपर औद्योगिक क्षेत्र में दूषित पर्यावरण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) :

13. राज्य में बढ़ते हुए दूषित पर्यावरण को रोकने में बरती जा रही शिथिलता एवं प्रदूषण के खतरों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) :

14. पर्यावरण की बढ़ती समस्या पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

15. राजस्थान के चिड़िया घरों में अच्छी किस्म के जानवरों के अभाव पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) :

16. पर्यावरण सुधार हेतु वैज्ञानिक आधार पर समयबद्ध कार्यक्रम बना कर उसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) :

17. पर्यावरण को दूषित नहीं बनने देने पर चर्चा के लिये।

वैद्य भैरूलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) :

18. जयपुर नगर के पर्यावरण को शुद्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पोकरलाल परिहार (देसूरी) :

19. पर्यावरण सुधारने हेतु चर्चा के लिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (बूंदी) :

20. बूंदी जिले में ए.सी.सी. सीमेन्ट फैक्ट्री लाखेरी से उत्पन्न वायु प्रदूषण पर चर्चा के लिये।

कुमारी गिरजा व्यास (उदयपुर) :

21. उदयपुर शहर में प्रदूषण के संदर्भ में पर्यावरण सुधार के कार्यक्रमों को उचित प्रोत्साहन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

22. लाखेरी सीमेंट फैक्ट्री से फैल रहे वायु प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मालाराम (खेतड़ी) :

23. खेतड़ी नगर में चांदमारी तथा कापर खानों से हो रहे प्रदूषण का समाधान न किये जाने पर चर्चा के लिये।

128

श्रीमती हमीदा बेगम (चूरू) :

24. वक्फ की सम्पत्ति पर नाजायज कब्जे रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।

श्री रामचन्द जाट (बनेड़ा) :

25. भीलवाड़ा में कार्यरत सोपस्टोन फैक्ट्री को जिलाधीश भीलवाड़ा द्वारा वायु प्रदूषण के कारण बंद कर फिर चालू कराने का अनुचित आदेश प्रदान करने पर चर्चा के लिये।

26. भीलवाड़ा में वनस्पति मिल्स, मोर्डन वूलन्स, भीलवाड़ा वूलन्स एवं अन्य प्रदूषण कारक उद्योगों से प्रवाहित जल को भीलवाड़ा के तालाब में डालने से भयंकर बीमारियां उत्पन्न होने पर चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्रकुमार परमार (आसपुर) :

27. जिला डूंगरपुर के उद्योगों से बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम पर चर्चा के लिए।

कुमारी गिरिजा व्यास (उदयपुर) :

28. पिछोला व फतेहसागर झील के आसपास पर्यावरण सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

29. कांकरोली देवस्थान को अव्यवस्था पर भी दिये जा रहे सहायतार्थ अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल आर्य : (पीपल्दा) :

30. कोटा के उद्योगों से फैल रहे जल एवं वायु प्रदूषण को रोकने में विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

31. उद्योगों के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को रोकथाम नहीं करने पर भी सरकार द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने पर चर्चा के लिये।

32. राज्य में सार्वजनिक सड़कों पर मशीन सुधारने वाले वैल्डिंग युनिट्स के कारण फैल रहे प्रदूषण से जनस्वास्थ्य को हो रही हानि पर चर्चा के लिये।

33. राज्य में आबू की नक्की झील में ब्रह्मा कुमारी संस्था का गटर व गन्दा पानी डालने से फैल रहे जल-प्रदूषण पर चर्चा के लिये।

34. सांगानेर के वार्ड नम्बर 9, 10, 11 व 12 में दूषित पर्यावरण के कारण अमानवीय परिस्थिति उत्पन्न हो जाने पर चर्चा के लिये।

35. राज्य में बसों व अन्य वाहनों के बदआवाज व तेज हार्नों से जन-स्वास्थ्य को भारी हानि होने पर चर्चा के लिये।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी) :

36. बालोतरा के औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों के दूषित पानी के लिये वाटर पोल्यूशन प्लांट लगाने या इसकी उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

37. गोविन्द मार्ग राजा पार्क स्थित रावल इण्डस्ट्रीज से जहरीली गैस निकलने के कारण आसपास का जनजीवन त्रस्त होने पर चर्चा के लिये।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :

38. उदयपुर जिले में पर्यावरण नियमों के लागू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गंगाराम चौधरी (बाड़मेर) :

39. थार-रेगिस्तान में तेजी से इकोनोलोजिकल इमबेलेंस होने से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) :

40. वायुएवं जल-प्रदूषण मण्डल में योग्य वैज्ञानिक नहीं होने पर चर्चा के लिये।

41. थर्मल पावर कोटा द्वारा किये जा रहे वायु-प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

42. कोटा, उदयपुर, अलवर तथा पाली जिलों में वायु एवं जल-प्रदूषण अत्यधिक होने पर चर्चा के लिये।

43. जल एवं वायु प्रदूषण मण्डल के लिये पर्याप्त साधन तथा प्रयोगशालाओं के लिये बजट न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

44. कोटा जिले की मंगलम सीमेंट, मोड़क उद्योग द्वारा फैलाये जा रहे वायु प्रदूषण पर चर्चा के लिये।

45. प्रदेश में बढ़ते वायु एवं जल प्रदूषण से फसल कम होने पर चर्चा के लिये।

46. कोटा में जे. के. एवं डी. सी. एम. उद्योगों द्वारा किये जा रहे जल एवं वायु प्रदूषण पर चर्चा के लिये।

47. वायु प्रदूषण फैलाने वाले छोटे-बड़े उद्योगों के लिये कठोर दण्ड का प्रावधान न होने पर चर्चा के लिये।

48. जवाहर सागर बांध में जल प्रदूषण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

49. कोटा में उद्योगों के कारण वायु एवं जल प्रदूषण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

50. कोटा के पास चम्बल नदी में धातु प्रवाहित करने से जल प्रदूषण बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भैरूलाल मीणा (सराड़ा) :

51. उदयपुर स्थित पेस्टी साइड उद्योग से दूषित पानी आयड़ नदी में डालने से उदयसागर का पानी खराब होने से फसल को नुकसान एवं स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य की हानि पर चर्चा के लिये।

52. उदयपुर के आसपास के छोटे-बड़े उद्योगों से निकलने वाला पानी अथवा गैस से स्थानीय नागरिकों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) :

53. केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल द्वारा गन्दे बेकार कचरे से हो रहे दूषित वातावरण को रोकने हेतु मिल को निर्देश देने पर चर्चा के लिये।

54. लाखेरी सीमेन्ट कम्पनी द्वारा फैलाये जा रहे वायु प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. कापरेन एवं केशवराय पाटन में दूषित वातावरण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :

56. बीकानेर में जिले जरूरतमन्द लोग जैसे अन्धे, अपंग, वृद्धावस्था, लावारिस आदि को धर्मार्थ अनुदान राशि देने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।

57. बीकानेर जिले में देवस्थान विभाग के अधीनस्थ दुकान, मन्दिर व पार्क आदि यथा स्थान रतन बिहारीजी का पार्क, शिव बाड़ी में शिवजी का मन्दिर आदि की देख रेख न करने पर चर्चा के लिये।

58. बीकानेर जिले में बेरीयांवाली (खापूवाला) में वक्फ बोर्ड के बने हुए मकान व चार-दीवारी आदि को तोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

59. बीकानेर जिले की नोखा तहसील में देवस्थान की भूमि पर विभाग के अधिकारियों द्वारा गुप्त रूप से कब्जा करवाने पर चर्चा के लिये ।

60. देवस्थान की भूमि, पर बीकानेर शहर के अन्य लोगों द्वारा नाजायज कब्जा कर लेने पर भी विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की जाने पर चर्चा के लिए ।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) :

61. जयपुर शहर में व्याप्त गन्दगी से आसपास का पर्यावरण दूषित होने पर चर्चा के लिये ।

62. मोती डूंगरी रोड़ पर बूचड़खाने की उपस्थिति से वहां से गुजरने वालो को हो रही कठिनाई पर चर्चा के लिए ।

63. औद्योगिक क्षेत्रों में व्याप्त जल व वायु प्रदूषण पर चर्चा के लिए ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :

64. पर्यावरण सुधार के बारे में पर्यावरण सन्तुलन बनाये रखने में सरकार की घोर उपेक्षावृत्ति पर चर्चा के लिए ।

श्री रघुनाथ परिहार (बाली) :

65. देवस्थान विभाग द्वारा मंदिरों की समुचित देखभाल के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

66. नगरपालिका बाली एवं खुडाला फालना (जिला पाली) में सार्वजनिक उद्योगों हेतु आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) :

67. कोटा में स्थित रंग बाड़ी उद्यान पर असामाजिक तत्वों द्वारा जबर्दस्ती कब्जा कर लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

68. कोटा स्थित जन्तुआलय में भ्रष्टाचार एवं दुर्दशा पर चर्चा के लिये ।

69. कोटा नगर के उद्योगों से निकलने वाले धुएं व पानी से जन-जीवन को उत्पन्न खतरे के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

70. कोटा नगर में स्थित थर्मल पावर स्टेशन की कार्बनडाई-आक्साईड गैस से भविष्य में सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में परिवर्तित होने व उससे इस क्षेत्र में व्याप्त भय के संबंध में चर्चा के लिये ।

71. डी.सी.एम. उद्योग की गैस से पूरे क्षेत्र का वातावरण दूषित होने के संबंध में चर्चा के लिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

72. जयपुर स्थित चौकड़ी गंगापोल में "सरस हाऊस" में ऊन रंगने की फैक्ट्री से आसपास के क्षेत्र में दूषित वातावरण उत्पन्न होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

73. पर्यावरण को दूषित होने से बचाने हेतु कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

74. जयपुर नगर में चलने वाली प्रदर्शनी में रात के दो–दो बजे तक रिकार्ड बजने से होने वाले शोरगुल से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

75. जयपुर स्थित चिड़ियाघर में पशु-पक्षी सुरक्षा के लिए विभाग द्वारा ठीक सामान उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

76. गंगानगर शुगर मिल के वेस्ट वाटर से नजदीक बस्ती में होने वाले दूषित वातावरण से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

श्री सम्पतसिंह (नगर) :

77. सड़कों पर चलने वाले वाहन यथा ट्रक, मोटर. स्कूटर, ट्रैक्टर्स से दूषित धुआं एवं तेज होर्न से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

78. जयपुर नगर में विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में ट्रीटमेण्ट प्लान्ट की व्यवस्था के अभाव में पर्यावरण के दूषित होने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री खेमराज (उदयपुर ग्रामीण) :

79. उदयपुर शहर में पेस्टीसाइड्स इण्डिया व उदयपुर डिस्टेलरी से उत्पन्न प्रदूषण पर चर्चा के लिए।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान (फुलेरा) :

80. फुलेरा क्षेत्र में रेनवाल-किशनगढ़ में गन्दा पानी रुके रहने पर पर्यावरण दूषित होने पर चर्चा के लिए।

81. तहसील फुलेरा के कस्बा सांभर लेक में सिंचाई विभाग द्वारा बनाई गई बाढ़ सुरक्षा डोल से रुके पानी से पर्यावरण दूषित होने पर चर्चा के लिए।

श्री रामलाल सोलंकी (सिरोही) :

82. सिरोही जिले के मंदिरों की व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

कुमारी गिरिजा व्यास (उदयपुर) :

83. उदयपुर की पिछोला झील के आसपास पर्यावरण सुधार कार्यक्रम पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या–9

एवं 11 पर विचार

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, दिग्विजय सिंह जी की तैयारी नहीं है इसलिये....

श्री दिग्विजय सिंह : तैयारी है। एक मांग और रह गई थी इसलिये कहा था...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भंवरलालजी, आपको कैसे मालूम है कि वह तैयार होकर नहीं आये हैं।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में आज मांग संख्या-9 वन एवं मांग संख्या-11, विविध सामाजिक सेवा के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सर्वप्रथम मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमें यह सोचना होगा हमारी वन सम्पदा, जो धीरे-धीरे

(2.39 म. प.)

(श्री पंकज पंचोली, सभापति, पदासीन)

नष्ट हो रही है, को हम कैसे बचायें। सभापति महोदय, वैसे नेशनल पालिसी के अनुसार 33 पर्सेन्ट हमारी वन सम्पदा होनी चाहिये। राज्य के कुल भू-भाग के 33 पर्सेन्ट हिस्से पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार वन सम्पदा होनी चाहिये।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी वन सम्पदा किस प्रकार से धीरे-धीरे नष्ट हो रही है। रियासतों का जब विलीनीकरण हुआ और उसके साथ साथ जमींदारी प्रथा भी समाप्त हुई उस समय जो वन मौजूद थे, उनका जो पर्सेन्टेज था, सभापति महोदय, उस समय राज्य में 14 पर्सेन्ट वन संपदा थी जो आज घटकर 8 पर्सेन्ट पर आ गये है। यह इस बात का द्योतक है कि हमारी वन सम्पदा की काफी क्षति हुई है। इसमें कोई शक नहीं है, सभापति महोदय। इसके कई कारण हैं। एक्सप्लोजन आफ पापूलेशन इसका सबसे बड़ा कारण है। हमारी पापूलेशन जब बढ़ती है, तो स्वाभाविक है कि वन सम्पदा नष्ट होती है। कुछ और ट्रेन्ड भी होते हैं, सोशल एन्वायरमेन्ट का भी फर्क पड़ता है कि वह जमीन के ऊपर लोग एन्क्रोचमेन्ट करना चाहते हैं। पर इसका यह अर्थ नहीं कि हम उसको नहीं बचायें। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जहां तक वन सम्पदा के धीरे-धीरे क्षीण होने का प्रश्न है यह एक इण्टरनेशनल फिनोमिना भी है। आज अमेरिका के अन्दर भी जो सौ वर्ष पहले वन थे उसमें कमी आई है, इसमें कोई शक नहीं। प्रश्न इस बात का है कि जो हमारे पेड़ बचे हैं उनको हम कैसे बचायें। सभापति महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि आज साधारण काश्तकार या ग्रामवासियों के लिए लकड़ी की बहुत आवश्यकता है। घरों के अन्दर रोटी भी बनायेंगे और कोई काम की बात करेंगे तो हमको लकड़ी सबसे पहले चाहिये। इसके अलावा भी कई कामों के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है। इसलिये धीरे-धीरे वह वन सम्पदा नष्ट होती जा रही है। तो हमें इस सारे पहलू पर बहुत चिन्तन करना होगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सारी फारेस्ट नीति के ऊपर, इस सारी फोरेस्ट पालिसी के ऊपर आपको बहुत गहराई से सोचना होगा कि अब हमें किस स्तर के ऊपर पहुंचना है।

सभापति महोदय, जिस प्रकार से हमारे प्रान्त के अन्दर वन सम्पदा के नष्ट होने से इकानामिकल बैलेन्स बिगड़ा है उसके कई बुरे परिणाम हमारे सामने आये हैं। वन भी प्राणियों के, मनुष्य के जीवन में बहुत

(श्री दिग्विजय सिंह)

महत्वपूर्ण हैं और उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है । सभापति महोदय, इसी सन्दर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वनों के सम्बन्ध में आज जो स्कीम हमारे पास हैं उसके ऊपर अधिक ध्यान देना पड़ेगा । हम हमारे बजट के अन्दर भी देखते हैं, वन विभाग का प्रतिवेदन आया है उसमें भी आपने वनों के ऊपर, क्लोजर के ऊपर काफी बातें कहीं हैं । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि क्लोजर और प्लानटेशन काफी हो रहा है पर उनके फालो अप और उनके रख-रखाव के लिए पीछे कुछ नहीं होता । आज भी, सभापति महोदय, ऐसे ऐसे क्लोजर हैं राजस्थान के अन्दर, वहां जो भवन बने हुए हैं, क्लोजर की डोलियां बनी हुई हैं, वहां पर पेड़ नाम की कोई चीज नहीं है । आप रावतभाटा में चले जायं, रावतभाटा मैं गया था था और आपका क्षेत्र भी है, आपको बहुत जानकारी भी होगी, सभापति महोदय, वहां पर बड़े-बड़े क्लोजर बने हुए हैं और फारेस्ट की चौकियां बनी हुई हैं पर वन नाम की चीज नहीं है । न मालूम किस प्रकार के क्लोजर बनाये थे । अगर उस वक्त वन थे तो वन गये कहां, कोई पता है ?

सभापति महोदय, इसी प्रकार वनों के सम्बन्ध में जैसा मैं पहले बता रहा था वह चीज मेरे दिमाग से निकल गई, हमारी वन-सम्पदा नष्ट हुई इसके क्या कारण रहे हैं कि जहां हम 14 पर्सेन्ट पर थे आज आठ पर्सेन्ट पर आ गये । गलती यह की गई कि जिस समय स्टेट्स का मर्जर हुआ उसके बाद में जब जागीरदारी प्रथा समाप्त हुई तो भूतपूर्व जागीरदारों ने अपनी स्टेट्स में काण्ट्रेक्ट दे दिये । वनों के काण्ट्रेक्ट दे करके उन काण्ट्रेक्टर्स को कह दिया था कि वन काट सकते हो । इसी वजह से वन सम्पदा नष्ट हो गई । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा, ठीक था उन भूतपूर्व जागीरदारों ने कोई काण्ट्रेक्ट दे दिये थे ठेकेदारों को लेकिन स्टेट्स ने, जहां तक मुझे मालूम है, किसी भी प्रकार का काम नहीं किया । भूतपूर्व जागीरदारों ने काण्ट्रेक्ट जरूर दिये थे, यह मेरी जानकारी में है । मैं एक बात जानना चाहूंगा कि क्या आप उन काण्ट्रेक्टर्स को रोक नहीं सकते ? हाईकोर्ट में भी जहां तक मेरी जानकारी है, एक दो मामले में गये थे । उन्होंने कहा कि पूर्व का जो एग्रीमेन्ट है हमारे साथ जागीरदारों से, वह वैसा का वैसा स्टेण्ड करेगा और हमें अधिकार होगा कि हम जंगल काटें । पर सरकार को सोचना चाहिये था जिस प्रकार उनके काण्ट्रेक्ट हुए थे उसका उनको आप मुआवजा दे देते या किसी प्रकार से दूसरी व्यवस्था कर देते और सम्पदा को बचा लेते । खैर, सभापति महोदय, आज वह चीज नहीं रही । अब हमारे जंगल आज जिस स्थिति में आ गये उनको हम कैसे बचायें, इसके ऊपर विचार करना होगा ।

मैं निवेदन कर रहा था जो आपके क्लोजर हैं उन क्लोजर के ऊपर जितना प्रोटेक्शन होना चाहिये वह प्रोटेक्शन आज नहीं है । उसके दो तीन कारण हैं । सभापति महोदय, एक तो आपके जो फोरस्ट गार्ड हैं वह गार्ड जहां पर रहते हैं उसका बीट इतना बड़ा है कि वह कण्ट्रोल नहीं कर सकता । उसका बीट बहुत बड़ा है । मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनका

(श्री दिग्विजय सिंह)

बीट 8 से 10 किलोमीटर के बीच का है जबकि मध्य प्रदेश के अन्दर, उत्तर प्रदेश के अन्दर जो फोरस्ट गार्ड का बीट है वह बहुत कम है। वहां उनके पास ज्यादा वन सम्पदा है। आपको भी इसके ऊपर दुबारा सोचना होगा कि फोरस्ट गार्ड के पास जो आपने बीट दे रखा है उसकी सीमा कम करें या ज्यादा स्टाफ बढ़ायें। दोनों में से एक चीज करनी होगी या तो उसका बीट कम करें या स्टाफ बढ़ायें। ये जो क्लोजर हैं इन क्लोजर के प्रोटेक्शन के सम्बन्ध में, सभापति महोदय, आपको बहुत विचार करना होगा। जो प्लान्टेशन और फारेस्टरी लगाते हैं उसको हम कैसे सुरक्षित रख पायें इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा।

सभापति महोदय इस वर्ष राजस्थान के अन्दर सोशल फारेस्टरी की भी योजना है। सोशल फारेस्टरी के सम्बन्ध में वर्ड बैंक से कुछ आपको धनराशि मिल रही है। जहां तक मेरी जानकारी है वह धनराशि आपको प्राप्त हो गई है। फोरेस्ट डिपार्ट-मेन्ट ने उसको अप्रूवल भी दे दी और अप्रूवल के बाद एग्रीमेन्ट सांइन हो गया। सोशल फारेस्टरी की स्कीम अपने राज्य में लागू होनी चाहिये। सभापति महोदय, पहले की तरह फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ने इस बार फिर चर्चा शुरू कर दी कि इसके अन्दर जो स्टाफिंग पैटर्न है वह इतना हैवी है कि इसके ऊपर आप पुनरावलोकन करें। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं अगर आपने फिर डिले कर दिया तो जो स्कीम है, वर्ल्ड बैंक से जो पैसा आपको मिलने वाला है, सोशल फारेस्टरी को अगर डवलप करना चाहते हैं यहां की यहां यह स्कीम रखी जाय और कहीं दूसरी जगह न चली जाय, तो सभा-पति महोदय, इस ओर विशेष ध्यान देवें।

इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, जब हम एक तरफ जंगल के रख रखाव की बात करते हैं तो दूसरी तरफ जंगल कैसे सुरक्षित रहें उसके ऊपर भी हमें सोचना है। इसी के साथ-साथ हम जो फारेस्ट के अन्दर नये प्लान्ट लगाते हैं उसके ऊपर भी दुबारा से रिव्यू करें। आज डिपार्टमेन्ट में एक तो आप जिसे बबूल कहते हैं वह और दूसरा पौधा सुबबूल, इसी प्रकार के दो-तीन प्लान्ट हैं उनको ही ज्यादातर काम में लेते हैं। मेरा सुझाव है कि आप अच्छी लकड़ी जैसे शीशम है, जामुन है, धोक है, फरीर है, छीलर है, नीम है, बबूल है, तेन्दू है, इस की लकड़ी के प्लान्ट फारेस्ट में लगायें तो आपको लाभ भी होगा और उस क्षेत्र में को भी लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं एक-दो बात आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहूंगा, सैंच्युरी के संबंध में। हमारे यहां सैंच्युरीज हैं और प्रोजेक्ट भी हैं। जैसे सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट है और रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट है। पहले मैं घना सैंच्युरी, जो बर्ड सैंच्युरी है के ऊपर दो तीन सुझाव जो महत्वपूर्ण हैं, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, जो केवलादेव घना है सैंच्युरी है वह आज विश्व की मानी हुई सैंच्युरी है। वह बर्ड सैंक्युरी बड़ी मानी हुई है। वहां 328 वैराइटीज की बर्ड आती हैं और

(श्री दिग्विजय सिंह)

खास तौर से जो साइबेरियन क्रेन हैं जिसके लिए वह जगह मशहूर है। सभापति महोदय, मुझे समझ में नहीं आता कि किस आधार पर दो-तीन वर्ष पहले घना के अन्दर ग्रेजिंग को बन्द कर दिया गया। ग्रेजिंग को इसलिए बन्द कर दिया गया कि माइग्रेटिंग बर्ड, जो बाहर से आती हैं, डिस्टर्ब हो जाती हैं। जबकि हमारे ओरनिथालाजिस्ट डाक्टर सालिम अली ने और उनके अलावा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रिजरवेंस के चेयरमैन ने भी, सभी ने इस बात को कहा है कि हमारे यहां बर्ड्स का ग्रेजिंग बन्द क्यों किया गया, वहां ग्रेजिंग बन्द करना प्रापर नहीं है क्योंकि बर्ड्स को लैण्ड करने के लिए लैण्ड स्ट्रिप्स दिखनी चाहिए। अगर वह उनको नहीं दिखती हैं तो वह वहां पर नहीं आती है। पर इसके लिए विभाग यह कह देगा कि हम ऐसा कर देंगे कि बर्ड्स को स्ट्रिप्स दिखाई दें या नहीं, फिर भी वहां पर बर्ड्स आयेंगी। पर, सभापति महोदय, ऐसी बात नहीं है। बर्ड्स ऐसी जगह पर जाती हैं जहां पर वैसे टैंक्स हों। बर्ड्स के अन्दर कुछ इस प्रकार का सिस्टम डवलप हुआ है कि बर्ड्स उसी टैंक पर वापस आती हैं जिस पर से वहां से जाती हैं। जैसे हमारी घना केवलादेव सैंक्चुरी जहां पर पर्टिकुलर टाइप आफ डक्स ही आती हैं। वह दूसरी जगह पर नहीं जाती हैं। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि घना सैंक्चुरी के अन्दर, जो हमारी विश्वविख्यात बर्ड्स सैंक्चुरी है, जो घास की चराई पर रोक लगा रखी है, उसके ऊपर पुन: विचार करने की आवश्यकता है।

ओरनिथालाजिस्ट्स और इस क्षेत्र के रिनोण्ड आदमियों की राय भी आप ले लें। मैं यह नहीं कहता कि मेरे कहने से ही आप करें, आप उनकी भी ओपीनियन ले लें, उनकी राय लेकर आप इस बात को देखें ताकि स्थिति स्पष्ट हो।

श्री यदुनाथ सिंह : रेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग कर दें। वहां पर वाइल्ड कैटल भी हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : हां वाइल्ड कैटल भी हैं। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि रीसैण्टली मिस्टर फिलिप ने, जो कि वर्ड वाइल्ड लाइफ प्रिजरवेंस सोसायटी के चेयरमैन हैं, स्वयं यह स्वीकार किया है कि वहां पर वाल बनाने की बात गलत थी, वहां पर बड़ी वाल नहीं बनानी चाहिए थी पर उस समय जब मैंने खुद स्वीकार किया तो उसके पीछे मेरा आशय यही था कि इकालाजिकल सिचुएशन जो बाहर है वह अन्दर नहीं पहुंचेगी और जो अन्दर हैं वह बाहर नहीं जायेगी। इससे हुआ यह कि ग्रेजिंग वाइल्ड हो गया। सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जरा विभाग की तत्परता और सक्रियता तो देखिये कि केवला देव सैंक्चूरी के अन्दर जनवरी से मार्च तक, तीन महीने आग लगी। वहां पर जनवरी में आग लगी, फरवरी में आग लगी और फिर बाद में मार्च में भी आग लगी। इसी 1985 के तीन महीनों में सब कुछ हुआ।

श्री यदुनाथ सिंह : सबको जस्टिफाई कर दिया डिपार्टमैन्ट ने।

136

श्री दिग्विजय सिंह : जैसा कि यदुनाथ सिंह जी कह रहे हैं, विभाग ने सब जस्टिफाई कर दिया। यह कैसे हुआ, इस सब प्रोबेबिलिटी को जस्टिफाई कर दिया कि यह सब आग क्यों लगी। शायद डिपार्टमेण्ट यह कहेगा कि इससे घास की ग्रोथ ठीक हो जायेगी। यह ठीक है कि इसकी ग्रोथ ठीक हो जायेगी पर मैं ऐसा समझता हूं, सभापति महोदय, कि इसके अन्दर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। सभापति महोदय, वहां पर घास की कटाई के लिए जो मस्टर रोल भरे जाते हैं वह फर्जी मस्टर रोल भरे जाते हैं। जब उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होता है तो यह देखा जाता है कि कितनी घास की कटाई हुई है। वहां पर घास दिखाई नहीं देती तो डिपार्टमैण्ट की पोल खुल जाती है। उस पोल खुलने से बचने के लिए यह आग लगायी गयी है। जब जनवरी में आग लगी तो सरकार को इत्तिला की गयी, फरवरी में आग लगी तो सरकार को इत्तिला की गयी और फिर मार्च में आग लगी तो भी सरकार को इत्तिला की गयी। मैं पूछना चाहता हूं राज्य सरकार से, आपके माध्यम से, कि सरकार ने जनवरी में आग लगी तो क्या प्रिकाशंस लिये, फरवरी में आग लगी तो क्या प्रिकाशंस लिये और उसके बाद में क्या किया? एक तरफ हम यह बात करते हैं कि हमारे वनों की रक्षा की जाय पर जब वनों के रक्षक ही भक्षक बन जांय तो क्या करें? जब वह इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं तो हम क्या करें? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक गम्भीर मसला है, मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

सभापति महोदय, एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि फारेस्ट के विषय में हम सभी चिन्तित हैं कि हमारे वन सुरक्षित रहें। इन वनों को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार प्रयत्न करती है। राज्य सरकार इस सम्बन्ध में पंचायतों के ऊपर भी काफी कार्यवाही कर रही है, वन सप्ताह भी मनाते हैं। लेकिन, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक बड़ा षड्यन्त्र रचा जा रहा है। षड्यन्त्र यह रचा जा रहा है कि माउण्ट आबू में हमारी जो सैंक्चुरी है उसको किस प्रकार से नष्ट किया जाय। सैंक्चुरी रैस्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया होता है। वैसे भी फारेस्ट एक्ट के अन्तर्गत आप किसी गांव में जंगल की कटाई नहीं कर सकते बिना सरकार की स्वीकृति के। पर राजस्थान में सभी कानून-कायदे बलाये ताक रख दिये गये हैं। सभापति महोदय, माउण्ट आबू की हमारी सैंक्चुरी जैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी, ट्यूरिस्ट रिजोर्ट है, समर रिसोर्ट है राजस्थान का एक मात्र। माउण्ट आबू के अलावा दूसरा समर रिजार्ट हमारे राजस्थान में नहीं है। वहां हर गुजरात से हर साल ट्यूरिस्ट आते-जाते हैं। गुजरात प्रान्त के लोग कहते हैं कि आप आबू और माउण्ट आबू हमें सम्भला दो, हम इसको डवलप कर लेंगे पर हमारी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। सभापति महोदय, मैं सदन का थोड़ा समय तो लूंगा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है पर आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हू कि आबू क्षेत्र के अन्दर वनों का जिस प्रकार सत्यानाश हो रहा है वह बहुत ही दयनीय और शोचनीय बात है। सभापति महोदय,

(श्री दिग्विजय सिंह)

'माउण्ट ग्राबू ग्रौर ग्राबू के उस क्षेत्र को, जो 'सैंक्चुरी घोषित है, डवलप करने के लिए एक डवलपमैण्ट बोर्ड भी बना हुग्रा है जिसके 'चेयरमैन हमारे मुख्य मंत्रीजी हैं। सभापति महोदय, जहां तक मुझे याद है ग्रौर जहां तक मेरी जानकारी है, सन् 1983 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड की मीटिंग हुई थी। वह मीटिंग तत्कालीन वन राज्य मंत्री गोविन्द सिंहजी साहब, जो यहां पर विराजे हुए हैं, की ग्रध्यक्षता में हुई थी। उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया था कि माउंण्ट ग्राबू ग्रौर ग्राबू में ट्रीज की कटाई कतई नहीं होनी चाहिए। यह निर्णय भी लिया गया कि जामुन ग्रौर केरी के जो ठेके दिये जाते हैं वह भी ग्रब नहीं होंगे। इसके साथ-साथ यह निर्णय भी लिया जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड के परव्यू में नहीं ग्राता था कि म्यूनिसिपेलिटी द्वारा प्लाट काटने के लिए जो राक्स की ब्लास्टिंग होती है उसको तुरन्त रोका जाय। इसके लिए तत्कालीन मुख्य मन्त्रीजी को पत्र भी लिखा गया। जहां तक मेरी जानकारी है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मन्त्रीजी, सुन रहे हैं ग्रापकी बात।

श्री दिग्विजय सिंह : मुझे विश्वास है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : मंत्रीजी सुन रहे हैं ग्रापकी बात, पाइण्ट नोट कर रहे हैं। ग्राप बोलिये।

श्री दिग्विजय सिंह : मुझे विश्वास है। मैंने नहीं कहा, यह तो यदुनाथ सिंहजी कह रहे हैं। मुझे तो इन पर विश्वास है।

श्री सभापति : यदुनाथ सिंहजी को शक हो रहा है ग्रापको तो शक नहीं हो रहा है? वह तो लिख रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : मेरे को तो विश्वास है। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री शिवचरण जी माथुर....

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मेरे में विश्वास नहीं है क्या?

श्री सभापति : भाटी साहब क्या कह रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं यह कह रहा था कि सिर्फ इन्हीं में विश्वास है दूसरों पर विश्वास नहीं है?

श्री सभापति : सभी मन्त्रियों में ग्रापका विश्वास है।

श्री दिग्विजय सिंह : ग्राप जैसी भावना रहे ग्रौर ऐसी जागृति से काम करें तो ग्राप में भी विश्वास है।

श्री सभापति : ग्राप पर ज्यादा विश्वास है।

श्री दिग्विजय सिंह : ग्राप पर भी विश्वास है।

तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन

138

(श्री दिग्विजय सिंह)

कर रहा था कि तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री शिवचरण माथुर की अध्यक्षता में भी मीटिंग हुई और जहां तक मेरी जानकारी में है यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में एक भी प्लाट नहीं दिया जाय, जंगल या जमीन का कोई रकबा नहीं दिया जाय। नगर पालिका द्वारा वहां पर न कोई प्लाट दिया जाय न ब्लास्टिंग की जाय। आप आश्चर्य करेंगे, सभापति महोदय, अखबारों में खबर ? कि बम्बई की एक सोसाइटी ने आबू के अन्दर एक ट्यूरिस्ट काम्प्लेक्स डवलप करने के लिए फारेस्ट डिपार्टमेन्ट, ट्यूरिस्ट डिपार्टमेण्ट और एक कोई हाई पावर कमेटी है उसके साथ, जिसे हमारी देसी भाषा में कहा जाता है कूंड़ली में गुड़ फोड़ना, उसी तरह सांठ-गांठ और षड्यन्त्र करना शुरू कर दिया है। सभापति महोदय, आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि इसके अन्दर कोई मामूली आदमी इन्वाल्व्ड नहीं है

श्री सभापति : आप नाम बता दें क्या नाम है सोसाइटी का।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं आपको नाम भी बता दूंगा। वह है वाइल्ड लाइफ और इसके चेयरमेन हैं बाम्बे के वानखेड़े साहब। इसकी एक डाइरेक्टर हैं हमारे राज्यपाल महोदय की पत्नी श्रीमती सत्या मेहरा।

(3.00 म. प.)

यह भी उनमें डायरेक्टर हैं। सभापति महोदय, यह अखबार के अन्दर खबर निकली कि बन कैसे दिया जा रहा है। उसकी सारी फोटो छपी है। हमारी सरकार बड़ी सजग रहती है, किसी प्रकार की झूठी खबर निकले तो फौरन खण्डन करती है कि कुछ नहीं हुआ। आज इस खबर को निकले हुए कई दिन हो गये 15 जून, 1985 की है, मैं समझता हूं आज तक कोई खण्डन नहीं हुआ कि कैसे सोसायटी को दी जा रही है या कैसे सोसायटी से समझौता हो गया है। फारेस्ट डिपार्टमेंट ने स्वीकार कर लिया कि हम अपनी जमीन को काटने के लिये तैयार हैं। यह सोसायटी पर निर्भर है कि वह काम्पलेक्स विकसित करेगी या उसको बेचेगी जिससे उन्हें एक करोड़ रुपये की आमदनी होगी। वह तो जमीन ही एक करोड़ की है और जो पूरी लकड़ी काटनी है उसकी कीमत पचास लाख रुपये है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि इतने बड़े आदमी इन्वाल्व हों, इस प्रकार से चुपचाप कार्यवाही हो और अखबारों में भी प्रकाशन हो जाए फिर भी विभाग की तरफ से आज तक कुछ नहीं हुआ। मुझे जहां तक जानकारी है विभाग ने भी स्वीकृति दे दी हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर यह एरिया सोसाइटी को दे दिया जाये। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सारे मामले की जांच करवायें और जो हमारे सैंक्चुरी डिक्लेयर्ड एरिया हैं और समर रिसोर्ट है उसका सत्यानाश होने से बचायें। मैं यह चाहूंगा....

श्री रघुनाथ विश्नोई : विभाग ने कैसे स्वीकृति दे दी ? आपको कैसे मालूम है ?

श्री दिग्विजय सिंह : इसका मालूम तो उत्तर में आ जायेगा।

श्री सभापति : मंत्री महोदय के जवाब में आपका उत्तर आ जायेगा।

श्री दिग्विजय सिंह : इसलिये स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जायेगी।

श्री सभापति : कृपया संक्षिप्त करें।

श्री दिग्विजय सिंह : समापन से पहले एक दो तथ्यों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : जल्दी से कह दें।

श्री दिग्विजय सिंह : यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाई माधोपुर के रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, जैसे मैंने पहले कहा हम जंगल को बचाने की बात बहुत करते हैं और सब इस बात की दुहाई देते हैं कि जंगल बचाने चाहिए। पर हमारे जंगलात में रहने वाले जो टाइगर प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं वह स्वयं ही जंगलात की जमीन ले लें और सरकार मौन होकर बैठी रहे, सरकार विवश हो जाय, इस वजह से लाचार हो जाय कि वह पहली सरकार के भतीजे थे क्योंकि सरकार में उनके काका जी बैठे थे। मैं पूछना चाहता हूं क्या इसकी बहुत जरूरत थी कि सरकार के नकद जंवाई हो। पहले तो काका जी बैठे रहे अब क्या हैं इन डायरेक्टर महोदय के सरकार में? मैं तो यहां तक कहूंगा पूर्व मंत्री जी ने जरा सी हिम्मत की थी और हिम्मत करके उनका स्थानान्तरण कर दिया था। बाद फिर इनका स्थानान्तरण हो गया, तो उनका स्टे आ गया। सभापति महोदय, इसकी मुझे गिला नहीं है उनका स्थानान्तरण वहां हो या वहां नहीं रहे, कहीं कुछ करें, रणथम्भौर के डायरेक्टर बना कर जैसे जागीरदारों-महाराजाओं के समय में पट्टे देते थे इनको भी राज्य सरकार जागीर का पट्टा दे दें कि पूरा सूबा रणथम्भौर इनको दे दिया गया। जैसे मुगल जमाने में सूबा होता था, उसका वापस रिवाइव करके दे दो। सभापति महोदय, जो उन्होंने हरकत की है वह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इन डायरेक्टर साहब की अपनी जमीन कोई अनूपगढ़ के अन्दर थी, 49 बीघा, इन्होंने सरकार को लिखा कि मैं अपनी वह जमीन सरेण्डर करना चाहता हूं उसके एवज में रणथम्भौर में जमीन लेना चाहता हूं। टाइगर प्रोजेक्ट की जमीन है। टाइगर प्रोजेक्ट की वह जमीन आपके प्रोजेक्ट मैप के अन्दर दिखाई हुई है। प्रोजेक्ट में दो प्रकार एरिया है. एक तो प्रोजेक्ट एरिया है और एक कोर एरिया। जो कोर एरिया है यह अन्दर वाला है और प्रोजेक्ट एरिया बाहर का है। यह जमीन प्रोजेक्ट एरिया के बिलकुल अन्दर है। इन्होंने दरख्वास्त की कि 49 बीघा जो इनकी जमीन अनूपगढ़ में है उसके एवज में रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट के पास में जो माधोसिंह पुरा नाम का गांव है उसमें जमीन चाहते हैं। आप आश्चर्य करेंगे. नियमों के अनुसार भी फोरेस्ट विभाग को पूछा जाता है कि आपकी उस फोरेस्ट जमीन को रिलीज करने में आपत्ति तो नहीं है. वन विभाग से पूछा, उन्होंने कहा आपत्ति नहीं है। 49 बीघा जमीन अनूपगढ़ की है उसके एक्सचेंज में जमीन लेना चाहते हैं सवाई माधोपुर में। विभाग ने विभाग से कह दिया कि हमें आपत्ति नहीं है। जिसको मिल रही है उसको लिखकर भेजा कि आपत्ति नहीं है, जैसा मेरी जानकारी है मैं गलत होऊं। सबसे आश्चर्य की बात और सबसे सोचने की बात एक और है कि यह सारी कहानी और स्थिति सरकार

(श्री दिग्विजय सिंह)

जो जमीन इनकी अनूपगढ़ में है, हनुमानगढ़ में जो जमीन है उस जमीन को मुखिया ने देने से इन्कार कर दिया और यह कहा की आपकी कोई जमीन नहीं है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय पूछ रहे हैं कि हनुमानगढ़ में या अनूपगढ़ में ।

श्री दिग्विजय सिंह : अनूपगढ़ में, तहसील हनुमान गढ -

श्री सभापति : कृपया स्पष्ट करें ।

श्री दिग्विजय सिंह : अनूपगढ तहसील । I correct it.

सभापति महोदय, इन्होंने दरख्वास्त की । जब सरकार को मालूम पड़ा जो मुखिया थे, जो वह जमीन देना चाहते थे, उन्होंने उस जमीन को किसी और के नाम बेच दिया और बेचान करके यह कह दिया कि यह जमीन आपकी नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है सरेंडर करने का । सभापति महोदय, सरकार ने तत्परता से आदेशों को निरस्त करते हुए जिलाधीश सवाई माधोपुर को लिख दिया था कब्जा न दें, जमीन अपने पास रखें इसको स्थानान्तरित न करें । तत्कालीन कलेक्टर ने तुरत फुरत उनको बुलाकर कहा कि तुम कब्जा कर लो मेरे पास आदेश आ गये हैं, तुम कब्जा कर लो नहीं तो फिर कार्यवाही तुम्हारे खिलाफ हो जायेगी । सिंह साहब ने कब्जा कर लिया और तत्कालीन जिलाधीश ने सरकार को लिख दिया कि हमने नहीं दिया है । उनसे कह दिया कि हाई कोर्ट में रिट करके स्टे ले आओ । वह हाई कोर्ट में जाकर रिट करके स्टे ले आये । आज तीन साल हो गये एक दफा भी विभाग की तरफ से उसको कंटेस्ट नहीं किया गया और जवाब देने के लिए नहीं गये । आखिर में ऐसा क्यों ? ऐसा सापट कार्नर उनके लिये क्यों है ? क्या ऐसा कोई योजना है, कोई ऐसी मिठास है जिससे सारी सरकार उनसे मुग्ध हो जाए ।

श्री सभापति : संक्षेप में कहें ।

श्री दिग्विजय सिंह : खास बात तो रह गई है ।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें । काफी बातें आपने कही हैं ।

श्री सूरजपाल सिंह : दो सिंहों के बीच में फंस गये....

श्री दिग्विजय सिंह : कहीं आप तो नहीं हैं ।

इस सन्दर्भ में, सभापति महोदय, सरकार ने यह कहा कि उन डायरेक्टर साहब ने धोखाधड़ी की है और सरकार को गुमराह किया है । उन्होंने तुरन्त क्लेक्टर को आदेश दिया कि आप उनकी रिपोर्ट दर्ज करवायें । एफ.आई आर दर्ज की गई ।

श्री सभापति : पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मंत्री जी नोट कर लेंगे ।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं आपको ज़रा सा बता रहा हूं मेरी आप सुनें तो, 2.1.84 को....

(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : 2.1.84 को एफ. आई.आर. दर्ज करवाई गई और यह धारा 420/467/468/471,120 (बी) आई.पी. सी. के अन्तर्गत यह मुकदमा दर्ज किया गया...

श्री सभापति : किस नम्बर में, आप मंत्रीजी को बता दीजिये।

श्री दिग्विजय सिंह : रिपोर्ट-44 और 45...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : आप चाहेंगे तो मैं फोटो स्टेट काफी मंत्रीजी को दे दूंगा....

सभापति महोदय, इसके बाद आज दिन तक इसके ऊपर इस केस का चालान करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। मैंने इस सम्बन्ध में केन्द्र के तत्कालीन अनुभाग मन्त्री श्री दिग्विजयसिंहजी को भी लिखा। उनका उत्तर भी मेरे पास आया। फिर जो सैक्रेटरी थे अनुभाग मंत्री के श्री समरसिंहजी उनको भी लिखा और उनका भी जवाब मेरे पास आया। सबों ने बहुत तत्परता बताई और कहा कि आपने जो बात बताई है, यह बहुत गम्भीर है। हम सरकार को लिख रहे हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें। मैंने यहां की सरकार को लिखा, सरकार ने फिर लिखा कि हम विजिलेन्स से इसकी जांच करवायेंगे। सभापति महोदय, एक तरफ तो सरकार खुद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाती है, धोखाधड़ी का मामला साबित होता है सब चीज है, दूसरी तरफ कह रही है कि विजिलेन्स से जांच करवायेंगे।

सभापति महोदय, मै इसके साथ एक और निवेदन करना चाहूंगा, आप कुछ भी कर लें पर इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी वहां लगे हुए हैं कि उस एरिया पर उन्होंने बहुत आराम से तार खींचकर कुए का निर्माण कर लिया है, 30-40 हजार का कुआ होगा। उस जमीन पर आज भी 40 लाख रुपये के पेड़ हैं। यह सब जमीन उसको मुफ्त में दी जा रही है और वहां की जमीन सरकार को मिल नहीं रही है। एक और तथ्य, सभापति महोदय, सामने आया है कि उन्होंने तहसीलदार साहब से मिलकर रिकार्ड में यह एन्ट्री करवाली कि हमने कब्जा ले लिया। सही मायने में बात यह है कि अभी कोई कब्जा नहीं लिया क्योंकि वह जमीन बिक चुकी। तो किस प्रकार से श्री सिंह साहब अपने वर्चस्व से से या अपने मेलजोल से वहां रहना पसन्द कर रहे हैं या टिकना पसन्द कर रहे हैं।

वह मैंने आपको सारी हकीकत बताई। हम फारेस्ट की इतनी बात करते हैं, इतने चिंतित है कहते हैं फारेस्ट को हमें बचाना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से जो रक्षक है वही भक्षक बनकर बैठा रहेगा। जंगलात की जमीन यहां से हजारों कोस दूर नहीं लेकर वहां लेना चाहता है तो इस सारे मामले में, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से चाहूंगा कि एक तो सी बी. आई. से नहीं, एक अ. ई. बी. अलग होती है, इन्टेलीजेन्स ब्यूरो आप उससे सारी जांच करवा लें सभापति

(श्री दिग्विजयसिंह)
महादय, एक मेरी पुरजोर मांग यह है कि इनको आप वहां से हटा देंगे तो यही नहीं बल्कि कई सनीसेनखेज रहस्योद्घान होंगे। वहां पर उन्होंने एक डोमेन बना रखा है। उस सेंचुरी में अपना डोमेन बना रखा है। उसके अन्दर कलेक्टर को कोई पावर्स नहीं हैं, यहां से बड़ी से बड़ी तोप चली जाय आफीसर की, उसको कोई पावर्स नहीं है। सब पावर्स वहां उनकी है ..

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री दिग्विजयसिंह : सभापति महोदय अन्त में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि छोटी सी बात है, किस प्रकार से डोमेन के अन्दर उनका आतंक छाया हुआ है। सभापति महोदय, 17-8-83 को एक रिपोर्ट दर्ज हुई। एक टेम्प्रेरी फारेस्ट गार्ड वहां लगाया गया। जब उसको लगाया उसके थोड़े दिन बाद चोरी हो गयी। मित्र ठहरे हुए थे उनका टेप-रेकार्डर चोरी चला गया तो उस आदमी को पकड़ कर फारेस्टर और रेन्जर से पिटवाया। उसके बाद शेर तो नहीं था पर शेर के पिंजरे में उसको दो दिन तक रखा और उसको यातनायें दी गई। सभापति महोदय, उसने हाथ जोड़कर कहा कि मैं ले आऊंगा, आप मुझे छोड़ दो। वह गांव चला गया। उसके बाद फिर यह रेन्जर और फारेस्टर वगैरह उसको जबरदस्ती लेकर आये। रास्ते में उसने कहा कि मुझे लघु-शंका करनी है। उस बहाने उसने आत्म-हत्या कर ली। वह मर गया। इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं करवाई। पुलिस में जंगलात विभाग की तरफ से रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। उसके मामा ने आकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। जब वह लाश हॉस्पिटल में में पड़ी रही तो मालूम हुआ कि क्या मामला था। सभापति महोदय, उसकी भी रिपोर्ट दर्ज हुई। इस प्रकार वहां भय का वातावरण इस शख्स ने बना रखा है कि जब तक वह वहां मौजूद है वहां जितना भी स्टाफ है या गार्ड्स हैं वह इनके खिलाफ कोई एवी-डेंस देने के लिये तैयार नहीं होंगे। आप वहां उसको हटाइये। फिर उसके कारनामे सामने आयेंगे और सही स्थिति मालूम पड़ेगी, गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया का 50–50 का शेयर होकर जो प्रोजेक्ट वहां डवलप हुआ है उसका किस प्रकार से मिसयूज हो रहा है। अगर वह वहां बने रहेंगे, तो सभापति महोदय, वहां का जो टाइगर प्रोजेक्ट है, जिसका आज इतना नाम हो रहा है, आप जरूर कहेंगे कि उनकी वजह से हो रहा है लेकिन मैं नहीं मानता कि उनकी वजह से हो रहा है। उस सेंचुरी की नेचुरल सराउ-न्डिंग्स, ऐसी हैं, उसके 5 तो कुल इनले पाइन्ट्स हैं जिनके माध्यम से कोई व्हीकल अन्दर जा सकती है और बाकी सारा पहाड़ी से घिरी हुई सेंचुरी है। किसी व्यक्ति के पीछे कोई चीज नहीं रहती। इसलिये आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इसकी निष्पक्ष जांच करायें।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री दिग्विजयसिंह : माननीय सिंह साहब एक सिंह बने हुए हैं उनको हटायें और हिम्मत करें। आप हिम्मत कर सकते हैं, मुझे मालूम है। आपने कहा भी है कि मैं प्रयत्न करूंगा। मैं विशेष तौर से निवे-दन करूंगा कि वहां एक जोगी महल है। वह वहां डवलप हो गया, वह बहुत अच्छा

(श्री दिग्विजयसिंह)

स्थान है। सभापति महोदय, सवाई माधोपुर के अन्दर जो चर्चा है वह मैं शब्दों में नहीं कहना चाहता हूं, उस जोगी महल को आम लोग सवाई माधोपुर में भोगी महल कहते हैं। वह जोगी महल नहीं है भोगी महल है। वहां रंगरेलियां खुलेआम होती हैं। जो दिल्ली से मेहमान आता है उनको एन्टरटेन करते हैं। यहां से बड़ा अधिकारी चला जाये उनको करते हैं, राजनेता चला जाये उनको करते हैं। इसी वजह से उनकी जो नींव है वह बिल्कुल गाड़ रखी है उन्होंने ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें। काफी कह दिया आपने।

श्री दिग्विजयसिंह : यह तो सरकार के कारनामे हैं जो सरकार दबाती है, वही निवेदन कर रहा हूं।

अन्त में, सभापति महोदय, मैं एन्वायरमेन्ट के ऊपर निवेदन करना चाहूंगा -

श्री सभापति : काफी लम्बा हो गया, माननीय सदस्य। शार्ट में कह दें आप।

श्री दिग्विजयसिंह : ....इसमें इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, मंत्रीजी आप इसकी जांच करवालें, आई. बी. से जांच करायें और दौराने जांच....

श्री सभापति : यह कह चुके हैं आप।

श्री दिग्विजयसिंह : उनको कहना होता तो चेम्बर में कह देता।

श्री सभापति : कह देना, कह देना।

श्री दिग्विजयसिंह : आप मुझे बार-बार कह रहे हैं कह देना, कह देना तो कह ही तो रहा हूं। मैं अभी पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा, माननीय सभापति महोदय।

मैं यही निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से कि आप सारे मामले की निष्पक्ष जांच करायें और जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, अपने आपको वी. बी. आई. पी. समझते हैं उनका भी आप यथोचित इन्तजाम करें।

एन्वायरमेन्ट के ऊपर एक बात निवेदन करना चाहूंगा। वह इतनी सी है कि जो देवपुरा के अन्दर खाद का कारखाना लगा रहे हैं तो इसको भी कम से कम आप देख लें, कहीं इसका रेजीडुअल इफेक्ट सैंचुरी पर या उसके आसपास तो नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, यह कारखाना जूरीवाल लगा रहे है जो आलरेडी गोआ में लगा चुके हैं। इसका गोआ में क्या बिटर एक्सपीयरेन्स रहा है इसके लिए इलस्ट्रेटेड वीकली में भी आया है। उन्होंने इसमें साफ लिखा है कि इस प्लान्ट के लगने से वहां पर किस प्रकार से वेजीटेशन का सत्यानाश हुआ है, किस प्रकार से फिश वगैरह मर गई हैं और वाइल्ड लाइफ पर कितना इफेक्ट किया है। वह सारा उसमें दिया है तो मैं सभापति, आपके माध्यम से यही निवेदन करूंगा कि देवपुरा के अन्दर जो खाद फैक्ट्री लगने जा रही है इसका क्या रेजीडुअले इफेक्ट होगा और कितने एरिया में इफेक्ट होगा, इसकी जांच आप करवा लें। अभी जो हमारा टाइगर प्रोजेक्ट है वह पास में है इसलिए आप इस बात को

(श्री दिग्विजय सिंह)

जांच करें। इनको एन. ओ. सी. दे दिया होगा या नहीं, यह तो आप जानें लेकिन दुबारा आप इसकी तो जांच करके देखें।

इन्हीं शब्दों के साथ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए माननीय मन्त्री महोदय से चाहूंगा कि मेरे द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का स्पष्ट रूप से उत्तर देने की कृपा करें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य का उत्तर आयेगा।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : सभापति महोदय, मांग संख्या 9 फारेस्ट के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय हमारा दुर्भाग्य है कि समय समय पर हमारे उदयपुर जिले में अकाल पड़ता रहता है। बारिश कम होने से जो हमारे जंगल और राष्ट्रीय सम्पति है वह दिन प्रति दिन कम होती जा रही है। सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर जिला सबसे पहला पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर अधिक से अधिक जंगल पहले थे। अब इस वक्त कम होने का एक बड़ा कारण यह है, सभापति महोदय, अकाल के समय पर आदिवासी इस क्षेत्र में रहते हैं सरकार की तरफ से उनके खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। इसलिये विशेष रूप से वह आदिवासी जो लकड़ी पर, उस जंगल पर निर्वाह करता है, के द्वारा कोयला बनाने के लिये, लकड़ी बेचने के लिये जंगल काटा जाता है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को सबसे पहले यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उस क्षेत्र के आदिवासियों के लिये कोई रोजगार पैदा करें ताकि वह निर्वाह कर सकें और जंगल की रक्षा कर सकें।

मैं इसके साथ ही साथ हमारे फोरेस्ट द्वारा जो जंगल लगाये जाते हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में फारेस्ट का जंगल है, और व्यक्तिगत जंगल भी बहुत हैं जिसको हम बीड कहते हैं। आज सरकार की ओर से आदिवासियों को 100 एकड़ जमीन देने का और एक बीड़ के रूप में जमीन देने का जो फैसला किया गया है उसके लिये मैं सरकार का स्वागत करता हूं परन्तु वे अच्छी तरह से अपनी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं जहां पर आदिवासी का प्राइवेट बीड है, जहां बीड़ प्राइवेट रहता है वहां बहुत अच्छी रक्षा होती है। इसी तरह जो लकड़ी होती है उसकी रक्षा हो सकती है उस जंगल को दूसरा आदमी काट नहीं सकता, आदिवासी रक्षा के लिये अपने बीड़ को रखता है। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं यदि आप ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र में जंगल पनपाना चाहते हैं, जंगल का विकास करना चाहते हैं तो आप सरकार के नियमानुसार बीड़ के रूप में एक-एक आदिवासी को सीमाबन्दी करके जमीन दे दीजिये और पेड़ लगाने की व्यवस्था कीजिये, तो आदिवासी अपनी जमीन को सुरक्षित रखेगा। हमको दो बातों की जरूरत है। वह आदिवासी चाहता है कि लकड़ी सूखी मिले और घास मवेशी के लिये मिले। लकड़ी के काटने की आवश्यकता नहीं। मैं इस मौके पर सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

यह स्कीम बहुत बढ़िया स्कीम है, आदिवासी अपना निर्वाह कर सकते हैं और जंगल भी पनप सकेगा। जंगल जितना पनप सकेगा उतना ज्यादा होगा।

सभापति महोदय, हमारे उस क्षेत्र में भू-संरक्षण का काम कडाना परियोजना के अन्तर्गत चल रहा है, सन् 68 में तो इस काम की शुरुआत हुई थी। यह काम सिर्फ उदयपुर डिवीजन में था लेकिन इतने अरसे के बाद जहां-जहां पहाड़ रोके हुए हैं, जो मेड टिकी हुई हैं वहं बिल्कुल खतम हो गई हैं। इस कारण वहां पर जंगल बिल्कुल समाप्त हो गया है। कडाना परियोजना के अन्दर जो भी मेड़बन्दी की है, जो जंगल रोके हैं, उनकी व्यवस्था करनी चाहिये. उनको पनपाने की जरूरत है। यदि नहीं पनपा सकें तो जहां की समस्या है। फोरेस्ट विभाग के रेन्जर को दे दी जाय। उदाहरण के तौर पर, सभापति महोदय, मैं जिस गांव में रहता हूं. परसाद गांव है हमारा, उस परसाद के पास नरपद, नाल हलकार से लेकर चांवद तक बहुत बड़ा पहाड़ है। उस पहाड़ पर कडाना परियोजना के अन्तर्गत उन्होंने मेड़बन्दी की। मेड़बन्दी करने के बाद मैंने कई बार सरकार से निवेदन किया था, फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट को खैरवाड़ा जाकर कह कर आया था कि इसके बारे में कोटा डिवीजन को लिखिये कि इस जंगल की व्यवस्था ठीक करे। वहां पर बहुत घना जंगल था। उस जंगल में न तो फोरेस्ट वाले जा रहे हैं, न कडाना वाले देख हैं। न देखने का कारण वह जंगल साफ हो गये है। जितनी योजनायें कडाना परियोजना के अन्तर्गत हैं उनको ठीक करना है तो डिपार्टमेंट को व्यवस्था को देखना चाहिये। मेरा यह निवेदन है कि आप एक व्यवस्था के आधार पर काम करें तो सबसे अच्छा होगा और उससे आदिवासियों का भला होगा।

मैं साथ ही साथ, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में सूखा व अभाव रहता है अकाल की समस्या रहती है। हमारे संभाग में जो काम इस अकाल के समय चल रहे हैं वह बहुत कम चल रहे हैं। आप दूसरे काम मत चलाइये, खासकर खड्डे की व्यवस्था हो मेड़बन्दी की व्यवस्था हो, पहाड़ नंगे कौनसे हैं उनको ठीक करने के लिये लेना है तो सरकार अपनी योजनाओं के आधार पर विशेष कर उन पर ध्यान दें तो बहुत बड़ा जंगल हो जायेगा हमारे आदिवासी को रोजगार मिल जायेगा। उस रोजगार के आधार पर हम अपनी व्यवस्था कर सकते हैं, अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सकते हैं।

मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आया हूं मुझे उसका दुख मालूम है, मैं सरकार को जानकारी देना चाहता हूं। हमारे यहां पर ठेकेदारी प्रथा खतम की गई। ठेकेदारी प्रथा खतम होने के बाद क्या हुआ? हम गवर्नमेन्ट के जरिये व्यापार मण्डल चला रहे हैं। उसके कारनामे क्या हैं? सभापति महोदय, तीनों ही जंगलों में व्यापार मण्डल द्वारा काम हो रहा है लेकिन वहां पर जितने घोटाले हुए हैं मैं इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह उनकी ठीक ढंग से जानकारी करें, जांच करें। वहां पर रहने वाले कर्मचारी वहां कुछ नहीं देख

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

रहे हैं। बाढ़ खेत को खा रही है। आदिवासी वहां जंगल को काटेगा नहीं। वहां बाहर से लोग आ रहे हैं। चोरी से सागवान के लड्ढे जा रहे हैं, अरडू के लड्ढे के जा रहे हैं। सूखी लकड़ी गुजरात जा रही है। सिरोही निकल रहा है माल इधर कुम्भलगढ़ की तरफ निकल रहा है। सिरोही का जंगल देख लीजिये आप। कोटा की साइड जितना जंगल है उसका व्यापार मण्डल ने सत्यानाश कर दिया। मैं कहना चाहता हूं कि आदिवासी लकड़ी केवल उसकी रोजी-रोटी के लिये लेगा। जो आपके अधिकारी वहां बैठे हुए हैं, सरकार नहीं सोचती कि उनके बारे में क्या व्यवस्था की जा सकती है। जंगल हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति है, हमारी अमानत है जिसका हम बच्चों की तरह पालन-पोषण करते हैं। सभापति महोदय, मैं सरकार को उस क्षेत्र की जानकारी देना चाहता हूं, यदि सरकार को जानकारी नहीं हो तो मैं दे सकता हूं कि कौनसी तारीख को कौनसा माल निकला, कौन सी लकड़ी कहां गई। यह मैं बता सकता हूं और मैंने इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय को लिखकर भी दिया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करें। इस तरह से चोरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आप सबसे पहिले कानूनी कार्यवाही करें। यह बाढ़ खेत को खा जाने वाली बात है, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि बाढ़ खेत को खा रही है।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही साथ....

श्री सभापति : जरा शार्ट करें।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : मैं तो थोड़ा सा ही बोलूंगा।

आज वन-सुरक्षा के बारे में कुछ बातें सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं, सभापति महोदय, आप के माध्यम से। हमारे क्षेत्र में पढ़े लिखे लड़के नहीं है। गवर्नमेंट ने नियम बना रखा है कि जो मैट्रिक पास होगा वही सिपाही डंडा लेकर फिरेगा, उसी को भर्ती किया जायेगा। क्या यह सही है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या पहाड़ पर रहने वाला रक्षा नहीं कर सकता है, वह नहीं चल सकता है? मैट्रिक पढ़ा हुआ आदमी आप जयपुर से भेजेंगे। बाहर का आदमी वहां पर आकर वन रक्षा का क्या काम करेगा? तो मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस बात का ध्यान रखे, वहां रहने वाले आदमी 8 वीं पास मिल सकते हैं, मिडिल पास तो मिल ही सकते हैं। सभापति महोदय, मैट्रिक पास आदमी बाहर से आता है उसको जानकारी नहीं होती इस कारण जंगल का सत्यानाश हो रहा है। उस सत्यानाश को रोकने के लिये, जो इस तरह अनियमिततायें हो रही हैं। उनको रोकने के लिये मैं आपसे और सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आदिवासी पहाड़ पर रहते हैं उन लोगों को अपने ही जंगल में ड्यूटी पर लगाइये, वन रक्षक की जगह लगायें, गार्ड की जगह लगाइये। वह अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं। जो दूसरे आदमी मैट्रिक वाले होंगे वह थोड़े दिन वहां घुस जायेंगे फिर क्या करेंगे? दूसरी नौकरी ढूंढते रहेंगे। उसको चिन्ता नहीं है जंगल जाये तो जाये, उसको नौकरी की चिन्ता

(श्री देवेन्द्र कुमार मीणा)

है। तो मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जहां इस प्रकार का नियम है वहां वहां मन्त्री महोदय को इस नियम में परिवर्तन करना चाहिये। वन मन्त्री गये थे उनको हमने निवेदन किया था लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया।

श्री सभापति : कृपया संक्षेप में।

श्री देवेन्द्र कुमार मीणा : इसके साथ ही, सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। एक मुद्दे की बात मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में ज्यादातर पहाड़ों के बीच डीप में लोग अलग-अलग रहते हैं। वे किस आधार पर रहते हैं ? भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने 78 में एक अध्यादेश निकाला था। सैन्ट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें जंगलात की जमीन बता दी थी। मैं मानता हूं, सभापति महोदय, कि हमारे लोगों ने 30 साल पहले उस जंगल में कुआं खोद लिया, उस जंगल में एक मकान बना लिया, उस जंगल में खेती की बाड़ी बना ली, इस तरह से वह वहां रह रहे हैं उनको डिस्टर्ब करने की बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनके सन् 71 के पहले के कब्जे हैं। हमारी सरकार भारत सरकार को लिखे, सिफारिश करे कि इस तरह के लोगों को बेदखल नहीं करे क्योंकि हमारे पास कोई जमीन नहीं है, हम पहाड़ों को खोदकर उस जमीन को समतल बनाते हैं, जंगल में रहते हैं। जब जंगल में रहने वालों के लिये इस तरह की व्यवस्था हो सकेगी तभी उन गरीब लोगों का निर्वाह होगा, उनको परेशान नहीं होना पड़ेगा।

पोकरिया गांव में, सभापति महोदय, अभी मैं गया था। तारीख 1 से 20 तक मेरा प्रोग्राम था। पोकरिया नाले में एक आदिवासी से फोरेस्ट की मांग अलग है, रेवेन्यू की अलग है। दोनों विभाग उस आदमी से पैसा वसूल कर रहे हैं ? तो, सभापति महोदय, मालिक कौन हैं ? फोरेस्ट वाले हैं या रेवेन्यू वाले हैं ? मेरे को बड़ा अचम्भा हुआ कि यह क्या बात है, फोरेस्ट वाले अलग उसको तंग कर रहे हैं और रेवेन्यू वाले अलग कर रहे हैं। इस तरह के कई घपले चल रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिये। विशेष तौर से मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां काफी चोरी-चपाटी हो रही है। जो हमारे कर्मचारी हैं, सब नहीं, बहुत तो ईमानदारी से काम करते हैं लेकिन कुछ कर्मचारी ऐसे हैं मेरे क्षेत्र में जो हर तरह से अपना घर बनाना चाहते हैं, उसके बारे में सरकार सबसे पहले व्यवस्था करे। यह सम्पत्ति इनको रहन करने की आवश्यकता नहीं है। यह जंगल हमारी अमानत है, राष्ट्र की अमानत है इसकी रक्षा करना आपका और हमारा, सबका काम है।

मैं आपका आभारी हूं जो मुझको टाइम दिया और कुछ कहने का मौका मिला।

धन्यवाद।

श्री सभापति : इसके पहले कि मैं आगे का नाम पुकारूं, माननीय सदस्यों से मैं अपेक्षा करता हूं और सहयोग चाहता हूं कि

(श्री सभापति)

10 मिनट से अधिक का समय नहीं लेंगे।

श्री बिहारीलाल पारीक : सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। निवेदन यह है कि हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देते हैं उसमें आसन से व्यवस्था है कि....

श्री सभापति : हां, बोलने का समय दिया जाता है।

श्री बिहारी लाल पारीक : हां, हुकुम।

श्री सभापति : अगर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इसी विषय में है तो बोलने का समय दे दिया जायगा।

श्री बिहारी लाल पारीक : 9.00 बजे रात में कि 10.00 बजे, कब आज्ञा होगी आपकी ?

श्री सभापति : नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। क्रम से आ जायगा। ना पक्ष, हां पक्ष बराबर चल रहा है।

मैं आगे का नाम पुकार रहा हूं, श्रीमती विजय राजे सिन्धिया। सॉरी। श्रीमती वसुन्धरा राजे सिन्धिया।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मां बोलेगी कि बेटी बोलेगी ?

श्री बिहारी लाल पारीक : सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि मेरा नाम है या नहीं ?

श्री सभापति : आपका नाम आ जायेगा।

श्रीमती वसुन्धरा राजे सिन्धिया।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (धौलपुर) : सभापति महोदय, आपने शायद साहिर का नाम सुना होगा। साहिर एक रेगिस्तान है जो सहारा के बाजू से बनता जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है, मैं आपसे परमिशन चाहूंगी थोड़ा सा कोट करने के लिये कि इसे बनने में 200 वर्ष लगे and it is not just a question of drought, the climate is changing बताते हैं "some 20-30 million people will have to move or die...."

और फिर बताते हैं "desert advancing southward at an average speed of seven and a half miles (12 K. M.) a year, and blamed it mostly on overgrazing."

अब आप शायद यह पूछ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि साहिर से आज हमारा क्या मतलब है। परन्तु मैं समझती हूं कि हमारा बहुत बड़ा मतलब है। यदि निगाह हम आस पास में ही डालें, इस क्षेत्र में डालें, राजस्थान में डालें तो मालूम पड़ जायगा कि यह भी क्षेत्र कितना अकालग्रस्त है। एक और रिपोर्ट है जिसमें बताया जाता है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झाबुआ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आर्डर प्लीज। कृपया डिस्टर्ब न करें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : रिपोर्ट्स की ओर हम थोड़ा ध्यान भी देते हैं. रिपोर्टस को भी देखते हैं और वैसे हमने क्षेत्र में दौरा भी किया है। वह क्षेत्र बताया जाता है बहुत घने जंगलों से घिरा हुआ था। आज 100-100 किलोमीटर घूमने के बाद भी उस क्षेत्र में एक तिनका घास नहीं मिलता। बच्चे मर रहे हैं जानवर मर रहे हैं और हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है। यह क्षेत्र पहले ऐसा नहीं था। वर्षो पहले बताया गया था कि यहां भी रेगिस्तान हो सकता है। राजस्थान का यह दुर्भाग्य है कि आज सिर्फ 9 प्रतिशत क्षेत्र में जंगल है जिसमें से सिर्फ 4 प्रतिशत क्षेत्र में घने जंगल हैं। एक वक्त था जब राजस्थान का जन्म हुआ था उस वक्त 12 हजार किलो मीटर में जंगल था। 16 प्रतिशत क्षेत्र में जंगल थे जिसमें से 10 प्रतिशत क्षेत्र में घने जंगल थे। आज उसकी क्या हालत हो गई है? हमारी लापरवाही की वजह से सबसे ज्यादा डायरेक्ट असर पड़ता है आदिवासियों पर। आदिवासी किस तरह से अपना जीवन गुजार रहे हैं उसके बारे में लिखा भी बहुत है, सुना भी बहुत है और अपनी आंखों से मैंने काफी देखा भी है। आज आपको ताज्जुब होगा, पर देखा है और यह सही भी है कि जो आदिवासी जंगल में रहने के आदी हैं उनको अपने जीवन का गुजारा करने के लिये सब कुछ उसी जंगल से मिलता है चाहे फल हो चाहे फूल हो, चाहे औषध हो, चाहे जड़ी-बूटी हो। सब उनको वहीं मिलता है परन्तु आज उनको अपने घरबार से निकाला जा रहा है। उनको री-सेटल तक नहीं किया जा रहा है। उनकी हालत इतनी बुरी है कि आज उन्हीं जंगलों में उनको 10–12 घंटे घूम कर लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ रही है। कभी कभी दो वक्त भोजन तक नहीं मिलता है। ऐसी हालत में उन आदिवासियों के लिये क्या किया जा रहा है, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं।

फोरेस्ट एक्ट, 1981 का जो सरकार ने बनाया था उसके अन्तर्गत यह बताया है कि आदिवासियों को जो भी संरक्षण दे सकते हैं, हम उसको देने की कोशिश करेंगे। परन्तु बुनियादी आवश्यकताओं के लिये वह जंगल में जाते हैं तो उन पर बड़ा फाइन होता है। हजार रुपये तक फाइन होता है। सोशल फोरेस्ट्री के लिये, यूक्लिपट्स के प्लाण्टेशन के लिये, बम्बूल के प्लाण्टेशन के लिये पुराने जंगल काटे जा रहे हैं, जलाये जा रहे हैं। आदिवासियों को इससे बहुत ज्यादा दुख है? कहीं कहीं तो जो पौधे लगाये गये थे वहां उन्होंने बाद में जाकर उन पौधों को निकाल कर फेंका है। मै तो समझती हूं कि अगर सरकार ने वहां पूछताछ की होती, सावधानी बरती होती तो शायद इतनी हानि और इतना नुकसान उन्हें भुगतना नहीं पड़ता। सोशल फोरेस्ट्री के लाभ जो भी हैं, कहीं कहीं किसानों ने उठाये हैं। क्योंकि डीजल के, बिजली के, बीज के दाम ऊंचे हो गये हैं इसलिये किसान ने यह सोचा है कि अपनी जमीन पर यूक्लिपट्स और बम्बूल के पेड़ लगाये जायं। बड़ी तादाद में उन्होंने लगाये हैं परन्तु इसकी वजह से अनाज का उत्पादन कम होता जा रहा है। अगर डायरेक्ट सिंचाई करनी है हमें तो इस पर अच्छी तरह से ध्यान देना होगा। उदयपुर, बांसवाड़ा, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा ऐसे क्षेत्र हैं जहां काफी आदिवासी हैं उनको उसी क्षेत्र में काम देना चाहिये। रोजगार उन्हें वहीं मिलना चाहिये।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

जयपुर का मैं उदाहरण देना चाहती हूं। झालाना डूंगरी में बहुत ही यूक्लिपट्स है। फोरेस्ट एक्ट लागू है, यू. पी., एम.पी. में दोनों सरकार उस पर ध्यान दे रही हैं परन्तु राजस्थान सरकार ने उसका खुला उल्लघंन किया है। फोरेस्ट एक्ट के अन्तर्गत कोई माईनिंग अलाउ नहीं है उस एरिया में। आज वहां माईनिंग हो रही है और कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाड़ौती बहुत बड़ा एरिया है, दो-दो सो लोगों की गैंग आकर वहां हरे पेड़ काट रही है। पांच करोड़ तक का नुकसान वहां राज्य सरकार को भुगतना पड़ रहा है। उदयपुर लकड़ी के खिलौनों का सेन्टर है। वहां भी अनाप-शनाप कटाई की वजह से उस उद्योग को क्षति पहुंच रही है। वहां भी लोग बेरोजगार हो रहे हैं।

बांस फर्नीचर आदि के लिए काम में लिया जाता है परन्तु आज इस बांस को फर्नीचर में लगाया नहीं जाता इसकी वजह से पैसा सही नहीं मिल रहा है। जो बांस आदिवासी छः रुपया किलो बेचते हैं आज उन आदिवासियों को उसका दो रुपया किलो दिया जा रहा है। उनको आज अपना पेट भरने के लिए इधर उधर देखना पड़ रहा है।

लोग कहते हैं कि आदिवासी बहुत ज्यादा अपराध करने लगे हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि वह आखिर जायेंगे कहां और करेंगे क्या? उनका सब कुछ ले लिया गया है, आखिर कहां जायेंगे वह? बांसवाड़ा में अभी हाल ही में एक काण्ड हुआ था जहां आदिवासियों ने जाकर दुकानें लूटी परन्तु पैसा नहीं लिया, सिर्फ अनाज लेकर गये हैं वह लोग। इसका मतलब तो काफी क्लियर है। जब तक उनकी प्राब्लम पर बहुत जल्दी निगाह आप लोग नहीं डालेंगे तब तक उनकी हालत नहीं सुधर सकती है।

कत्थे का उत्पादन कम होता जा रहा है पेड़ों की कटाई की वजह से। बताया जाता है कि दो चार साल में शायद कत्था मिलना ही मुश्किल हो जाय। यहां तक स्थिति पहुंची कैसे? अगर हम इस पर निगाह रख रहे हैं, हम लोगों ने कानून और नियम बनाये हैं तो यहां तक हमें पहुंचने की जरूरत नहीं थी। सरकार ने राजस्व और वन विषयों के लिए 68-69 में कत्थे के लिए एक नई व्यवस्था की थी। उन्होंने उसका संग्रह, उत्पादन और विक्रय अपने हाथ में ले लिया था। मुख्यालय पर लकड़ी आती थी और वह गोदामों में सुरक्षित रखी जाती थी। उद्देश्य अच्छा था परन्तु भ्रष्टाचार की वजह से इसकी बिक्री हो गई। और किसको यह मालूम नहीं है? कोई रजिस्टर में यह नहीं लिखा गया है कि कितना कत्था बेचा गया और कितने दामों पर बेचा गया। आदिवासियों का पूरी तरह से वहां शोषण हुआ।

जो यह सोशल फोरेस्टिंग है उसमें भी आज भरतपुर, अलवर, अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा में 80–81 में 25 लाख से लेकर 42 लाख रुपया दिया गया। फिर 81–82 में 27 लाख से 76 लाख तक रुपया दिया गया। बताया जाता है कि इन दो वर्षों में 3850 हैक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण किया गया और 82–83 में 3900 हैक्टेयर में किया गया। 20 लाख पौधे बांटे गए। परन्तु यह तो शिवचरण-

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

जी माथुर का कहना है कि बीस पौधों में से 19 तो सूख गए होंगे, बड़ी मुश्किल से एक पनप पाया होगा। शिवचरणजी माथुर जब मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने अपने वक्तव्य में यह कहा था। तो मैं समझती हूं कि तिगुना नुकसान हुआ होगा। कोटा शाहबाद में सरकार ने स्वीकार किया है कि 80–82 में दस हजार हरे पेड़ काटे गए। कितना नुकसान हुआ है वह आप स्वयं समझ लेंगे। लाखों की तादाद में जलाऊ लकड़ी काटी गई है। पुराने वृक्ष जिनको मल्टी कल्चर और मोनो-कल्चर के नाम दिए जा रहे हैं, मल्टी कल्चर जो फोरेस्ट होता है वहां कई किस्म के वृक्ष पैदा होते हैं, उगते हैं। उनको काट काट कर अगर हम मोनो-कल्चर करायेंगे तो उसकी वजह से जमीन इतनी उपजाऊ नहीं होगी। जमीन कमजोर हो जायगी और जो उपजाऊ जमीन किसानों के लिए हम लोग ईयर मार्क करके अलग से रखते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जायगा। स्थान का चयन ठीक से नहीं किया गया है और यह भी नहीं देखा गया है कि कौनसा वृक्ष कहां लगाना चाहिए। वृक्षों की 69 उप जातियां हैं परन्तु उसमें से फोरेस्ट अधिकारियों को, मुझे लगता है कि दो उप जाति पहचान में आती हैं, बम्बूल और यूक्लिपटस। और कोई चीज इनके ध्यान में आती नहीं है न यह कोशिश कर रहे हैं कि और कोई चीज को हम बुआवें। भीलवाड़ा में करवी ग्राम पंचायत में 25 हजार रुपया खर्च करके चारागाह में प्लाटेशन करवाया गया। प्लाण्टेशन करवाने के बाद गांव वालों ने आ करके उनको उखाड़-उखाड़ कर फेंक दिया। कितनी धन हानि हुई, आप सोचिये।

वर्ल्ड बैंक ने 1979 की रिपोर्ट जो लिखी है और जो प्रकाशित हुई है उसमें कहा है कि शार्ट ड्यूरेशन की प्लाण्टेशन होती है, यूक्लिपटस के लिए, वह जमीन के लिए बहुत हानिकारक है। जंगली पशु जो मवेशी और जानवर उठा कर ले जाते हैं, एक रूल बनाया गया है जिसके अन्तर्गत उनके मालिकों को मुआवजा देना बहुत जरूरी है परन्तु यह दिया नहीं जाता। गार्ड्स की ड्यूटी किस तरह से लगाई गई है उस पर भी कोई गौर करें। ज्यादातर उनमें दिहाड़ी पर लगाए जाते हैं, मस्टर रोल पर लगाए जाते हैं। उनमें से कई तो महिलायें भी हैं। और यह सब अधिकारियों के घरों पर काम करते हैं। अगर यह फोरेस्ट अधिकारी हैं तो उनके घरों पर जाकर वह क्या कर रहे हैं। ऊंट, भैंस, भेड़, बकरी आकर पेड़ों का नुकसान कर रही हैं और कोई नए पेड़ों को पनपने नहीं दे रहे हैं। उनकी कोई रक्षा नहीं हो रही है। चारागाहों के जहां लाईसेंस दिए गए हैं, उनको वहां भी जानवर चराने का मौका नहीं मिलता है। उनको रिश्वत देनी पड़ती है तभी वह कुछ काम कर सकते हैं। फिर रिश्वत लेंगे भी क्यों नहीं ? आखिर उनका वेतन भी तो कितना कम है। उस वेतन से कैसे गुजारा करेंगे। जब तक भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, जब तक अपनी जेब नहीं भरेंगे तब तक काम कैसे चलेगा। आज उसी वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि यह चारागाह जो हैं उनमें एक नए किस्म की घास लगाई जावे। धौलपुर में यह कोशिश हो रही है कि प्लेन द्वारा यह घास डाली जावे। चार साल हो गए घास डालते डालते, मैंने तो अभी कोई

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

घास नहीं देखी है और न मैंने कोई प्लाण्टेशन देखा है। यह जहां जमीन पर जानवर छोड़ देते हैं और क्रोपिंग हो जाती है उसी की वजह से जमीन की कटौती होती है और यह बीहड़ बढ़ते जाते हैं। इनको रोकना है तो अभी से चारागाह डिमार्केट किया जावे और उन चारागाहों में इन मवेशियों को रोका जावे। अगर इनको ज्यादा आगे बढ़ने देंगे तो यह बीहड़ भी बहुत जल्दी जमीन घेरने लगेंगे।

यह काली पीली आंधी जो पहले रेगिस्तान में दिखाई देती थी आजकल बहुत दूर तक पहुंचने लगी है। यह सिल्टिंग प्रोसेस सोइल इरोजन की वजह से बांधों में हो रहा है जो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। जलवायु और वेदर में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। बताते हैं कि राजस्थान में बहुत अच्छी वर्षा हुई है इस वर्ष परन्तु अगर आप पढ़ो, यह आज का ही पेपर है, इसमें यह लिखा गया है कि बहुत अच्छी वर्षा चार-पांच दिन होने के बावजूद भी वाटर लेवल राइज नहीं हुआ है और पानी की बहुत ज्यादा शार्टेज होने वाली है। इस तरह से चलता जाएगा तो रेगिस्तान आगे बढ़ता जाएगा और इसकी किसी तरह से रोकथाम हम नहीं कर सकेंगे।

एक और नये किस्म का पेड़ है जिसकी प्लाण्टेशन होती है रेगिस्तान के आजू-बाजू। यह रेगिस्तान को रोकता है। इसमें से कोयला भी मिलता है। आजकल इसकी अनाप-शनाप कटाई हो रही है। जिसकी वजह से आज यह रेगिस्तान और बढ़ता ही जा रहा है। अगर निश्चित मात्रा में लकड़ी उठाई जावे तो मैं समझती हूं कि इससे भी हमारे लिए बहुत कुछ नुकसान कम होगा। आज सप्लाई और डिमाण्ड में चार गुना फर्क है। गरीब लोग किस तरह से अपना जीवन गुजारेंगे यह मैं समझती हूं कि देखने और समझने लायक है।

शिकार अवैध हो रहा है, उसकी रोकथाम नहीं है। कोई तो मांस के लिए जानवर मारे जाते हैं, कोई तो खाल के लिए मारे जाते हैं। वन विहार करके एक सैंक्चुरी है धौलपुर में, जिसको मैंने 12 साल से देखा है जो बिगड़ती ही जा रही है। यह फारेस्ट कंजरवेशन एक्ट के अन्तर्गत आती है। वहां अनाप-शनाप माइनिंग हो रही है, लकड़ी काटी जा रही है। एक वक्त था जब कि यहां जानवर बोली पर आते थे, उनके लिए चारा डाला जाता था परन्तु आज ढूंढने पर भी जानवर दिखाई नहीं देते वहां।

टूरिस्ट बंगलों की क्या हालत हैं कोई जाकर देखे। किसी तरह से भी देखभाल नहीं होती है। अगर आप विदेशी टूरिस्ट या और कोई क्षेत्रों से टूरिस्ट को अपने यहां लाना चाहते हैं तो इसमें भी थोडा-सा आप लोगों को फर्क लाना होगा।

वैज्ञानिकों के अनुसार यूक्लिपट्स और बबूल हानि भी करते हैं तो उनके उपयोग भी हैं। यूक्लिपट्स से दियासलाई बनती है और यह कागज के उद्योग में काम में काम आता है। परन्तु राजस्थान में मैं समझती हूं कि कागज के उद्योग में ज्यादा लाभ नहीं हो सकता है क्योंकि एक कागज के उद्योग के लिए एक पाली डिस्ट्रिक्ट के लिये जितना

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

पानी लगता है उतना पानी हमें उनके लिए ईयरमार्क करना होगा।

राजस्व का स्रोत अगर आप देखें तो बताया जाता है कि तीस करोड़ रुपये तक हम लोग जंगलों पर खर्च करने को तैयार हो जाते हैं परन्तु उससे आय जो है वह 9 करोड़ की है। कितना बड़ा घाटा है। पौधे जरूर दिए जाते हैं, पंचायत समितियों में दिए जाते हैं, नर्सरीज से लाते हैं, फ्री पौधे दिए जाते हैं पर सब सूख जाते हैं। आप दस रुपये के हिसाब से एक पौधा लगायेंगे तो समझो कि लगभग तीस लाख पौधे तो लग ही जायेंगे और यहां पर एक विशाल वनखड़ा हो जाएगा. कोई अगर ध्यान दे तो राज्य की वन सम्पदा को बढ़ाने के लिए दो-चार सुझाव तो वैसे हैं ही जो नार्मल सुझाव हैं। सावधानी से धन का उपयोग करना और सड़कों के किनारों पर, मेड़ों पर पेड़ लगवाना जिसकी वजह से वाटर लेवल ठीक हो जायेगा, उपज में वृद्धि हो जायेगी और अनेक लाभदायक रिजल्ट होंगे। परन्तु ज्यादातर मैं मंत्रीजी का ध्यान दो पाइंट पर लाना चाहती हूं जो एक तरह से रिवोल्यूशनरी कहलाये जा रहे हैं। चार साल पहले यह काफी परश्यू हुआ भी था, इसको एक्सपोर्ट प्लानिंग के अन्दर लिया जा रहा है, बताया जाता है कि उद्योगपतियों ने जो परश्यू किया था एक सम्मेलन किया था उसमें उन्होंने आफर किया था कि अगर कोई लाज में हमारे लिये ढील दी जाय, हमारी इन्कम को क्लब नहीं किया जाय और हमें लैण्ड सीलिंग के तहत नहीं लिया जाय तो हम बीस साल के पट्टे पर यह जमीन लें। उससे सोशल फारेस्ट्री करें और बीस साल के बाद यह जो जमीन है वापस रिवर्ट हो जायगी कोआपरेटिव्ज को, जिससे जो लेबर ने काम किया था, एक किस्म से उनकी हो जायगी। यह आइडिया वैसे है बहुत बढ़िया और मैं समझती हूं इस पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। आदिवासियों को पट्टे दिये जाय पेमेंट बेसिस पर ताकि उनको इंसेंटिव हो तो एक किस्म से उनका रोजगार निश्चित हो जायगा, उनका रहना भी वहां निश्चित हो जायगा। मैं समझती हूं कि इस पर मन्त्रीजी अगर थोड़ा ध्यान दें तो बहुत कुछ हो सकता है। बहुत ही जल्दी इस दूषित चक्रव्यूह से निकलना है, बहुत ही अर्जेन्टली हमें इन मामलों में ध्यान देना है।

एक शिकायत के तौर पर नहीं बल्कि मैं मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहती हूं, नये एम. एल. ए. जो हैं वह ज्यादा अध्ययन करते हैं और पुराने जो हैं उनकी तो आदत पड़ जाती है, माननीय सदस्यों ने पूछा था आपने शायद देखा होगा कि नहीं देखा होगा पढ़ा जरूर है और पढ़ाई, मैं समझती हूं, आप लोगों से ज्यादा की है क्योंकि यह फर्स्ट टर्न मेरा इस हाउस में है, उस हिसाब से मैं मंत्रीजी से इतना कहना चाहूंगी, महरबानी करके जो भी आप पत्रिकाएं वगैरह अपने वन विभाग से डिबेट के पहले देते हो, वह थोड़े दिन पहले हम लोगों को मिले तो शायद हम उससे अच्छी तरह से स्टडी करके उस पर दो तीन पाइन्ट आपके सामने रख सकेंगे। हालात तो यह है कि आज वह पहुंचे हैं कागजात मेरे पास, पर पढ़ नहीं बिल्कुल पाई। मैं आशा करती हूं, अगले साल आप इस पर ध्यान देंगे और जल्दी से जल्दी भेजेंगे। जो हानि इस प्रदेश में हो रही है जिसकी वजह से विशेषज्ञ भी,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

वैज्ञानिक भी और दूसरे हम लोग भी काफी पढ़ाई-वढ़ाई करते हैं और देख रहे हैं कि यह इलाका कहीं रेगिस्तानी न बन जाय, महरबानी करके, मंत्री महोदय, आप इस पर ध्यान दें।

धन्यवाद।

श्री सभापति : सुश्री गिरिजा व्यास।

श्री हेमाराम चौधरी : दूसरा नाम तो मेरा था।

श्री सभापति : आप बोलेंगे बाद में। सुश्री गिरिजा व्यास का नाम पुकारा है।

श्री नत्थीसिंह : लेडिज फर्स्ट। महिलाओं को पहले दीजिये। आप महिलाओं के बीच में मत आओ। हमारी तो कोई भी नहीं है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। आपस में बातचीत नहीं। आर्डर प्लीज।

सुश्री गिरिजा व्यास (उदयपुर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विविध भौगोलिक स्थिति का राज्य है। एक ओर मरुस्थलीय तन्त्र है तो दूसरी तरफ अरावली पर्वतमाला। तीसरी ओर पूर्वी मैदान हैं तो चौथी ओर हाड़ौती के पठार हैं। इन विभिन्न भागों की पर्यावरणीय समस्याएं भी विभिन्न हैं।

महोदय, जहां तक अरावली पर्वतमाला या पर्वतीय तंत्र का प्रश्न है, राज्य में 1980 की वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 34-913 वर्ग किलोमीटर अर्थात राज्य का 10.20 प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्र था। लेकिन 80-82 के उपग्रह के जो छाया चित्र आये हैं उसके अनुसार केवल 5322 वर्ग किलोमीटर अर्थात 1.7 प्रतिशत भूभाग ही अब बचा है। महोदय, मैं कहना चाहती हूं, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों के 60 से 80 प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र अपेक्षित है। लेकिन फिर भी राज्य सरकार न तो इस ओर पूरा ध्यान दे पायी है और न ही उन कारणों को खोज पाई है जिन कारणों से वन नष्ट हो रहे हैं।

महोदय, जहां तक अरावली पर्वतमाला का प्रश्न है, गिरवा, गोगुन्दा, एरनपुरा, राजसमन्द, भीम, आमेट, पुष्कर आदि क्षेत्र वन विनाश के स्थल बन रहे हैं। यह बहुत चिन्तनीय विषय है। इस बात की अविलम्ब आवश्यकता है कि सांभर एवं दूसरी वीरान पर्वत श्रृंखला में सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम किये जायं ताकि मरुस्थल को अरावली के पूर्व में आने से रोका जा सके। उदयपुर के क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण आवश्यक है क्योंकि उदयपुर का क्षेत्र ही अरावली को बचाये रखने में काफी मदद दे रहा था। मगरा क्षेत्र में कुछ मृदा बाकी है उस परत का लाभ उठा कर चारागाह एवं वन विकास कार्यक्रम लागू किये जाय क्योंकि अरावली की 700 किलोमीटर लम्बी पर्वत श्रेणी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। यह दुख का विषय है, महोदय, कि केन्द्रीय सरकार दूसरे पर्वतीय स्थलों को अपनी योजनाओं में ले रही है लेकिन अरावली के पर्यावरणीय विकास के लिये आज तक कोई योजना लागू नहीं की गई। राज्य सरकार इस ओर आवश्यक कदम उठायेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। उदयपुर शहर के मध्य फतहसागर की पाल से लेकर बड़ी तक के बचे खुचे हरे

(सुश्री गिरिजा व्यास)

क्षेत्र को भी लोग नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि इस पर काबू नहीं पाया गया तो उदयपुर की झीलें सपाट हो जायेंगी जैसा कि जलदाय विभाग की मांग पर जो बहस हुई थी उस पर भी मैंने कहा था।

पर्यावरण संरक्षण के लिये औद्योगिक विकास को शहरों के पास लगाम देना आवश्यक है। यह बात कड़वी अवश्य लगती है और विशेषकर आज जब औद्योगिक विकास के संबंध में हम बात करते हैं। लेकिन जब साथ में पर्यावरण के संबंध में भी हम सोचते हैं तो हमें यह प्रश्न बहुत विचारणीय लगता है। उदयपुर के ही आस-पास करीब 14 औद्योगिक केन्द्र हैं। मंत्रीजी, अपने अभी पर्यावरण दिवस पर कुछ स्वदेशी तकनीक की बात कही थी, मैं उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं और कहना चाहूंगी कि स्वदेशी तकनीक पर आप शीघ्र ही एक कमेटी कायम करें ताकि प्रदूषण पर कन्ट्रोल किया जा सके। प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अनुसार ट्रीटमेंट प्लांट आवश्यक है लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि औद्योगिक केन्द्र में न तो प्रापर ट्रीटमेंट प्लांट हैं और यदि हैं तो वे उतने पावरफुल नहीं हैं। राज्य सरकार इस ओर भी पूरा ध्यान देगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

महोदय, वनों की कटाई पर रोक लगाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा है। गिरवा, गोगुन्दा, केवड़े की नाल, नाथद्वारा, मावली, बल्लभनगर के क्षेत्र से वन नष्ट हो रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण विभाग की भ्रष्टाचारिता और उदासीनता है, यह कहते हुए मुझे जरा भी कष्ट नहीं हो रहा है। राज्य सरकार को इस ओर कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात है चौक पोस्ट पर कुछ कड़ाई से काम लेना होगा। मैं एक बात कहना चाहूंगी, मंत्री महोदय, चौकपोस्ट पर जो कर्मचारी कार्यरत हैं यदि उन्हें 6 माह में ट्रांसफर कर दिया जाय तो काफी कुछ भ्रष्टाचार मिट सकता है। एक कड़े कदम की ओर मैं आपको इशारा करना चाहती हूं। किसानों को जो छूट दी गई है, यदि केवल तीन वर्ष के लिये उस छूट से छुटकारा पा लिया जाय तो कटाई में काफी कमी आ सकती है। महोदय यह बहुत हिम्मत का काम है लेकिन, मंत्री महोदय, मलेरिया जब भी जायगा, कुनैन से ही जायगा।

यह तो हुई विभाग की बात। किन्तु हमारे क्षेत्र में कटाई का कुछ कार्य आदिवासी करते हैं। मेरे पूर्व में जो माननीय विधायकों ने कहा, आदिवासी जो कटाई का कार्य करते हैं उसके पीछे उनकी भूख प्रमुख है और कहा गया है कि "बुभुक्षिता किम् न करोति पापम्। इसलिये जब तक उनको पूरा रोजगार नहीं मिलेगा तब तक इस कटाई पर हम कन्ट्रोल नहीं पा सकेंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर। इनको बोलने दें, डिस्टर्ब न करें। माननीया सदस्य, कृपया बोलने दें।

सुश्री गिरिजा व्यास : महोदय, नये उद्योग, नगरपालिकाओं की लापरवाही और लोगों की अनभिज्ञता आज जल प्रदूषण को जन्म दे रही है। उदयपुर की उदयसागर झील उद्योगों का शिकार है तो पिछोल

(सुश्री गिरिजा व्यास)

गन्दगी का। 1981 में जल प्रदूषण को रोकने वाले केन्द्रीय बोर्ड के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश के 1700 उद्योग ऐसे थे जिनसे जल प्रदूषण होता था। इनमें से केवल 460 के पास वाटर ट्रीटमेंट प्लान्ट था। छठी योजना में केवल आठ प्रकार के उद्योग ऐसे थे जो जल प्रदूषण बढ़ाने वाले माने गये थे लेकिन सेवेन्थ प्लान में अन्य नौ को भी इसमें शामिल कर लिया गया। पहले चरण में चीनी, शराब कास्टिक सोडा, उर्वरक, तेल, शोधन, मानव निर्मित रेशा, स्टील प्लान्ट व वस्त्र उद्योग हैं और दूसरे चरण में लिये जाने वाले उद्योग हैं, लुगदी और कागज, दवाइयां कीटनाशक, ताप बिजली संयंत्र, अलोह धातु उद्योग, रंग के कारखाने, बड़े इंजीनियरिंग कारखाने, चमड़े के कारखाने। जल प्रदूषण करने वाले उद्योगों में बहुत कम के पास संयंत्र हैं। उदयपुर में सामान्य प्रदूषण एवं विशेषकर जल प्रदूषण बढ़ाने वाले कारखाने जिंक स्मेल्टर, पेस्टीसाइड्स आफ इण्डिया, डिस्टलरी, वस्त्र उद्योग आदि हैं। या तो इनके पास संयंत्र ही नहीं हैं या है तो पर्याप्त नहीं है। मैं राज्य सरकार से मांग करती हूं कि इनमें शीघ्र ट्रीटमेंट प्लान्ट लगे और इनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करें।

महोदय, उदयपुर झीलों की नगरी है। यह झीलें उदयपुर के लैण्ड स्केप को ही सुन्दर नहीं बनातीं बल्कि उदयपुर के लोगों को पेयजल भी प्रदान करती हैं लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है यह झीलें अब पूरी तरह से प्रदूषित हो गई हैं। मैं खास करके उदयपुर की जो सबसे प्रमुख झील है पिछोला, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। वैसे डब्ल्यू. एच ओ. के अनुसार हैल्थ फार आल 2000 तक पूरा हो जायगा लेकिन मुझे लगता है यदि वाटर पोलूशन इसी मात्रा में बढ़ता रहा, हैल्थ की रेट घटती रही तो 2000 तक पचास पर्सेन्ट लोग रोगों से ग्रस्त हो जायेंगे।

(4.00 म.प.)

माननीय सभापति महोदय, इस संबंध में उदयपुर के मेडिकल कालेज की रिपोर्ट आपके सामने पेश करना चाहूंगी। सिर्फ दो साल में जो रोग बढ़े हैं पेयजल से उनकी रिपोर्ट मैं आपको देना चाहूंगी। उदयपुर में 1982 में गेस्ट्रो एंट्राइटिस के 717 रोगी थे जो कि 1983 में 3895 हो गये हैं। स्टाएण्ड के 316 थे जो बढ़ कर 537 हो गये हैं। एम्बियोवायसिस के 466? थे जो 83 में 4546 हुए, हेफेटाइटिस के 760 थे जो थोड़े से घटे हैं और 105 रह गये हैं। वोर्म केसेज 112 थे अब 97 हैं। वोर्म डिसीज जो दूसरे प्रकार की हैं उसके 82 में 62 थे और अब 66 हैं। पोलियोमाइ लाइटिस के 61 थे वे अब 53 हैं। इस प्रकार 82-83 में रोगियों की संख्या पेयजल, जो दूषित हमें मिल रहा है, के कारण बढ़ी है. मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी और सदन को अवगत कराना चाहूंगी। उदयपुर की स्वयं-सेवी संस्थाएं और वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जो रिपोर्ट है उससे जो तथ्य सामने आये हैं वह मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। इन झीलों से करीब 13 लाख गैलन पानी प्रतिदिन ड्रिंकिंग वाटर के रूप में सप्लाई होता है लेकिन अब भी इसमें मानवीय हस्तक्षेप वैसा ही है जैसा पहले था जबकि इसे ड्रिंकिंग वाटर के रूप में यूज नहीं किया जाता था। न इससे

(सुश्री गिरिजा व्यास)

वार्शिग होती है न बाथिंग होती है।

होटल काम्पलेक्सेज आपके जो बढ़ रहे हैं, पर्यटन मंत्री मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि कम से कम ग्रीन बैल्ट और इन झीलों के आसपास होटल की परमिशन अब आगे नहीं देवें। दूसरा राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगी कि आथोराइज्ड और अनआथोराइज्ड कब्जे मकानों के इन झीलों के आसपास हो रहे हैं उन्हें रोकें। पिछोला का इकालोजिकल स्तर गिर रहा है उसका सबसे बड़ा कारण वहां पर भराव है। सिंचाई मंत्रीजी इस ओर पूरा ध्यान देंगे। वहां के कैचमेंट एरिया में जो वृहद् डिफोरेस्टेशन हो रहा है यदि अफोरेस्टेशन वहां पर किया जाय तो अच्छी बरसात के कारण हमें काफी लाभ मिल सकेगा। उदयपुर की झीलों की सबसे बड़ी समस्या जलकुंभी की समस्या है जो पांच वर्ष पहले हमारे सामने आई थी। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सिंचाई विभाग इस ओर पूरा ध्यान नहीं दे रहा है। उदयपुर के नागरिक ही इस ओर आगे आये थे और अभी भी इस ओर प्रयत्नशील हैं। यह जलकुंभी हटे तो कम से कम यह झीलें सुरक्षित रह पायेंगी। करीब 40 पाइन्ट मिस्सेवियस डिस्पोजल होता है जिससे करीब 36 लाख क्यूबिक मीटर मलवा प्रतिदिन इन झीलों में पड़ता है। मुझे यह भी कहते हुए अफसोस है कि विभिन्न विभाग जैसे पी.एच.ई.डी. म्यूनिसिपल कारपोरेशन, इरिगेशन, यू.आई.टी और हैल्थ डिपार्टमेंट में पूरी तरह से कोआर्डिनेशन नहीं है और वह इन झीलों का रख रखाव नहीं रख पा रहे हैं वाटर इंटेक पाइन्ट और हमारी जो सप्लाई लाइन है वह भी पूरी तरह से एप्रोप्रिएट नहीं है इसी वजह से उदयपुर में समस्याएं सामने आ रही हैं। वहां जो सबसे बड़ी दिक्कतें आ रही हैं उनको रोका जाय। जहां से मैंने बात शुरू करी वहीं पर फिर आ रही हूं कि पर्यावरण के लिए जो सबसे बड़ी बात है और जिसकी हमें अब जरूरत है, वक्त की मांग है वह है अफोरेस्टेशन। जब तक इस ओर हम ध्यान नहीं देंगे तब तक न तो हम प्रदूषण से बच पायेंगे और न ही पर्यावरण को सुरक्षित रख पायेंगे। पर्यावरण को नियंत्रित रखने वाले मुख्य साधन वृक्ष हैं और वन हैं। हमें मिश्रित प्रजातियों के वृक्ष लगाने चाहिए लेकिन साथ ही जैसे मेरे से पूर्व विधायक महोदय ने कहा था कि उनका फालो अप आवश्यक है। वृक्ष तो हम लगा देते हैं. ट्री प्लाण्ट भी मिल जाते हैं लेकिन न उनको ट्री गार्ड मिलता है, न ही उनका फालो-अप होता है। इस संबंध में मंत्री महोदय आप उचित व्यवस्था करेंगे। जो नये पौधे लगाये जाते हैं उन्हें पनपने में कम से कम 10-15 वर्ष लगते हैं इसलिए कम से कम तब तक के लिए कटाई पर पूरी तरह से रोक लगाने की आवश्यकता है। मान्यवर स्थानीय प्रजातियों को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। जैसा कि माननीय विधायक कह रहे थे, हम सिर्फ एक यूक्लिपट्स को जान गये हैं जो कि केवल दलदली जमीन के लिए मुफीद है लेकिन हम पर्वत, पठार सब जगह यूक्लिपट्स का प्रयोग करने लग गये हैं जो कि उचित नहीं है। ईंधन की बचत के प्रयोग करने चाहिए और नागरिकों को इससे अवगत करना चाहिए। सौर शक्ति की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। योजनाओं को निर्धारित

(सुश्री गिरिजा व्यास)

करने में सभी विभागों में कोग्राडिनेशन हो ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। अंत में मैं फिर इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगी कि अफोरेस्टेशन वक्त की मांग है, विशुद्ध पानी आज के वक्त की मांग है और इस तथ्य को हमें नहीं भूलना चाहिए कि फोरेस्ट का रोल वाटर कंजरवेशन के लिए बहुत आवश्यक है। मान्यवर, मैं अंत में एक बात और कहूंगी कि जहां हम आयुर्वेद को विशेष महत्व देने की सोच रहे हैं, डीफोरेस्टेशन और चराई की वजह से आयुर्वेदिक औषधियां और जड़ी-बूटियां जो पनप रही थीं वे भी समाप्त हो रही हैं इसलिए इस ओर पूरा ध्यान देकर योजना बनावें तो हम प्रदूषण से भी बच सकेंगे और फोरेस्ट को भी बढ़ा सकेंगे।

जय हिन्द।

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

(व्यवधान)

क्या दिक्कत है, माननीय सदस्य। महिला सदस्याएं बोल रही हैं, बोलने दीजिये। आर्डर प्लीज। उनको कोई एतराज नहीं है। माननीय सदस्या, कृपया बोलें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : माननीय सभापति महोदय, वन भारतीय संस्कृति का आधार है इसलिये वन-संपदा का संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिये अधिनियम बने हैं। जो इन कानूनों को तोड़ता है उसके लिए सजा का प्रावधान भी है। राजस्थान के फार्मेशन के समय राजस्थान में 35 हजार स्क्वायर कि. मी. में वन थे आज हमारे वन घटकर 31 हजार स्क्वायर कि.मी. में रह गये हैं। क्यों? यह इसलिये कि राजस्थान में कटाई की अदूरदर्शितापूर्ण, अविवेकपूर्ण और अवैज्ञानिक नीति अपनाई गई। जिस प्रकार से अंधाधुंध अनियन्त्रित चराई होती है उससे आज हालत बिगड़ती चली गई। जैसा धौलपुर से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं, उदयपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने भी सदन का ध्यान आकर्षित किया कि यह वन जब कम होते हैं तो प्रकृति का सन्तुलन बिगड़ता है, मौसम बदलते हैं और मौसम जब बदलते हैं तो बरसात भी अनियन्त्रित होती है। कहीं अनावृष्टि, कहीं अतिवृष्टि होती है। उसकी वजह से आर्थिक सन्तुलन बिगड़ गया। मैं निवेदन कर रही थी कि यह तो हुआ लेकिन इसके साथ ही साथ जो एक ढर्रे पर चल रहे हैं हमारा अपना स्वयं का कुछ नहीं है, कुछ बाहर से हमने सीख लिया उसी नीति के आधार पर चल रहे हैं। यह बात मैं इसलिये कहना चाहती हूं कि मैं एक रेगिस्तानी इलाके से आती हूं उस रेगिस्तानी इलाके से जहां पर वन-संपदा के नाम पर बबूल और सफेदा लगा दिये हैं तो रही-सही हमारी जो कृषि है वह भी खतम हो जायेगी। मैं कहना चाहूंगी, माननीय मंत्री महोदय, मैंने भी इस पिरियड में आकर मेरे खेत के चारों तरफ यूकिलपट्स लगाये थे। जहां कहीं इस पेड़ की छाया पड़ती है उस छाया से कोई भी पौधा, वनस्पति नहीं पनपती, अनाज नहीं पनपता, गेहूं और बाजरा नहीं पनपता। हमने कल्प-

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

वृक्ष की कल्पना की है, हमने नाम सुना है कल्पवृक्ष का लेकिन मैं कह सकती हूं कल्प वृक्ष अगर कोई है तो राजस्थानी इलाके में खेजड़ी है जिसको हमारी भाषा में जांटी कहा जाता है। यह खेजड़ी कल्पवृक्ष है इसलिये कि इस एक ही वृक्ष से फोडर मिलता है, इसकी पत्तियां फर्टीलाइजर के काम आती हैं, इसी पेड़ से सांगरी मिलती हैं जो सब्जी के काम आती हैं और पकने पर ड्राई फ्रूट हो जाती हैं। रेगिस्तान में रहने वालों को इससे फ्यूअल मिलता है। इस प्रकार से यह खेजड़ी कल्पवृक्ष है। गांव-गांव में ईंधन की फ्यूअल की बड़ी समस्या है इसलिये हर साल काटी जाती है। इसकी पत्तियां झाड़कर फोडर के काम में, चारे के काम में ली जाती हैं। बड़ी न्यूट्रिसियस, बड़ी नरिशिंग फीड है यह जानवरों के लिये। और जो लकड़ी इसकी है वह जलाने के काम में आती है इसलिये फ्यूअल की प्राब्लम उन इलाकों में नहीं है जहां खेजड़ी होती है, जांटी होती है। इसलिये मैं कह रही थी कि यह कल्पवृक्ष है, रेगिस्तान को फल देता है, सब्जी देता है, फोडर देता है, फ्यूअल देता है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा, सुना होगा लोगों के मुंह से कि जब भयंकर अकाल पड़ा था, छप्पनवें का अकाल जिसको बोलते हैं, उसमें लोगों ने खेजड़े की छाल को पीस-पीसकर, कूट-कूटकर उसकी रोटी बनाई थी और उससे महीने-दो-महीने गुजारे थे। तो इस पेड़ की जो छाल है वह भी खाने के काम में आती है। इतना ही नहीं, इसकी जो जड़ें हैं, जो रांग जड़ कहलाती है, वह लेदर को रंगने के काम में आती है और उसके नीचे और जो जड़ें जाती हैं उन जड़ों को किसान अपनी खेती के उपयोग में लेता है। जैसे भेली, दही मथने का झेरणा, यह सब भी उस नीचे वाली जड़ से ही बनाया जाता है। यह इतना उपयोगी वृक्ष है लेकिन हमारे विभाग के पास इसके लिये कोई योजना नहीं है कोई योजनाबद्ध कार्यक्रम नहीं है कि किस इलाके में कौन सा पेड़ पनपाया जाये, कौन से पेड़ को संरक्षण दिया जाये। यह बात तो सही है कि खेजड़ी बड़ी मुश्किल से उगती है। यह जहां उगती है यही एक ऐसा पेड़ है, सारे पेड़ों से अलग है जिसके नीचे अनाज और जगह के मुकाबले में ज्यादा होता है। खेजड़ी के नीचे ज्यादा अनाज होगा और बाकी जगह इतना नहीं होगा। यही अकेला वृक्ष है बाकी तमाम वृक्षों की बात कर लीजिये बढ़िया से बढ़िया वृक्ष की बात कर लीजिये, वह फल दे सकता है आपको लेकिन उसके नीचे अनाज पैदा नहीं होगा। यह बिल्कुल तथ्य है। इसलिये मैं कहना चाहूंगी कि वन विभाग उदासीन रहा है इस खेजड़ी को पनपाने में और इससे रेगिस्तानी इलाकों का इलाज करने में।

माननीय सभापति महोदय, यह तो बड़ी खुशी की बात है कि सन् 81 में सही, सन् 82 में सही, कम से कम हमें सुध तो आयी....

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय सरकार सो रही है।

श्री सभापति : मंत्रीजी बैठे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मंत्रीजी को नींद आ रही है।

श्री सभापति : नहीं, नोट कर रहे हैं। मंत्रीजी जाग रहे हैं। आपको शंका हो रही होगी, यह सो नहीं रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, माननीय सदस्या, कृपया बोलें। मंत्रीजी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, हर बात को नोट कर रहे हैं आपकी।

श्री शीशराम ओला : मैं सुन रहा हूं।

श्री सभापति : और आपकी बात तो तवज्जह से नोट कर रहे हैं पहले सदस्यों से ज्यादा।

श्रीमती सुमित्रासिंह : आपको धन्यवाद।

मैं निवेदन कर रही थी कि सन् 81 में ही सही कम से कम हमें इस बात का ध्यान तो आया, सन् 82 में स्वर्गीय इन्दिरा गांधी, जो उस समय की प्रधान मंत्री थीं, मुझे याद है यह कहा था कि हमने यूक्लिपट्स लगा कर वन बढ़ाया। यह कोई इतना ज्यादा उपयोगी पेड़ नहीं है। यह दलदली इलाके या जहां नहरें हैं या जहां वाटर लोगिंग की प्राब्लम है वहां पर तो ठीक है लेकिन रेगिस्तानी इलाके के लिए यह वृक्ष ज्यादा उपयोगी नहीं है। मुझे खुशी है कि आजादी के 35 साल बाद ही सही कम से कम चीज को पकड़ा तो सही। तब उन्होंने कहा था कि हमें नीम के वृक्ष लगाने चाहिए पीपल के वृक्ष उगाने चाहिए। हमारे हिन्दू धर्म के अन्दर जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सब धार्मिक ग्रंथों में बड़ा महत्व है पीपल और बड़ का। लेकिन यह अलग बात है कि हमने उसका गलत इन्टरप्रिटेशन करके जिसे कहना चाहिए रख-रखाव की तरफ ध्यान नहीं दिया। पीपल को पूजने तो लगे लेकिन पीपल को सींचा नहीं, पीपल लगाया नहीं। इसलिए केवल गलत इन्टरप्रिटेशन से हमें काफी नुकसान हुआ। मैं समझती हूं, इस बात को वन विभाग भी समझता है, वन विभाग के सारे अधिकारीगण जो यहां पर बैठे हुए है वह भी जानते होंगे कि पीपल के पेड़ में अद्भुत क्षमता है, पर्यावरण को सुधारने की, अद्भुत क्षमता है प्रदूषण को रोकने की। एक पीपल का पेड़ दो हजार वर्ग फीट के एरिया के अन्दर इतनी आक्सीजन निकालता है कि कैसा भी प्रदूषण हो, चाहे वह कारखाने का हो, चाहे गाड़ियों के धुएं का हो या किसी और का हो....

श्री भेरूलाल भारद्वाज : वृक्ष में पीपल के लिये बहुत कह रही हैं आप इसलिए कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है .

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अजी आप विराजें। आपने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। आपका जब समय आये तो बोलिये, अभी बीच में मत बोलिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, उनको कहने दीजिये। माननीय सदस्य, उनको बोलने दीजिये। आप भी अपना नम्बर आये तो कह दें। कृपया बोले। प्लीज कन्टीन्यू।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय सभापति महोदय, यह सत्ता पक्ष के जो सदस्य हैं वह बीच में बोलते हैं, आप उनको नियन्त्रित करिये थोड़ा-सा।

तो मैं निवेदन कर रही थी कि इसमें अद्भुत क्षमता है दो हजार वर्ग फीट के एरिया के अन्दर भयंकर से भयंकर प्रदूषण को रोकने की। यह बड़ी खुशी की बात है कि पीपल और नीम के वृक्ष की ओर अब

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

ध्यान दिया जा रहा है। नीम में भी क्षमता है। यह भी आक्सीजन निकालता है। लेकिन केवल सूर्य की रोशनी में। जब सूर्य छिप जाता है तो रात को कार्बनडाई आक्साइड छोड़ने लगता है। इसलिए गांवों में लोग कहा करते हैं कि नीम के नीचे रात को मत सोना। दिन में तो सोना हितकारी है लेकिन रात में मत सोना, हितकारी नहीं है क्योंकि सूर्य की रोशनी के अभाव में यह कार्बनडाईआक्साइड छोड़ता है। मैं निवेदन कर रही थी, माननीय सभापति महोदय, कि अब हमने इस बात की तरफ ध्यान दिया है। मैं समझती हूं हमारे धार्मिक ग्रंथों में तो यहां तक कहा गया है कि एक कुआं एक बावड़ी या एक अस्पताल या एक धर्मशाला बनाने का पुण्य जितना है उतना पुण्य एक बड़ के वृक्ष को लगाने का है। इसलिए कि बड़ के वृक्ष में असंख्य प्रकार छोटे-मोटे पक्षी आकर बसेरा लेते हैं। यह जो इकोलोजिकल बैलेंस की बात है, पर्यावरण के सुधारने की बात है इसके अन्दर अद्भुत क्षमता है पर्यावरण को सन्तुलित बनाये रखने की, पर्यावरण को सुधारने की। इसलिए मैं निवेदन कर रही थी सभापति महोदय, कि आज हम सही तरीके से सोचें कि किस इलाके में हमें कौन सा पेड़ लगाना चाहिए।

मैं इसके साथ साथ एक सुझाव भी माननीय मंत्री महोदय को देना चाहूंगी। आज हमारे प्रदेश में 31 हजार स्क्वायर किलोमीटर वन बाकी बचे हैं। इसमें भी केवल वन जिसे कहना चाहिए करीब 10 हजार स्क्वायर किलोमीटर ही हैं बाकी 11 हजार स्क्वायर किलोमीटर तो बिल्कुल ही निम्न स्तर के हैं और 9 हजार स्क्वायर किलोमीटर बैरन हिल्स हैं जिनके ऊपर किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं होती है, किसी प्रकार की वनस्पति उगती नहीं है। लेकिन यह बात कहे कौन। इन्दिरा गांधी जब हार गयी थीं 77 का चुनाव तो उसके बाद एक बार वह मंसूरी गयी थीं। वहां उन्होंने देखा किसी जमाने में अपने सौन्दर्य, अपनी रमणीयता से मंसूरी मन मोह लिया करती थी आज इसकी स्थिति खराब है उन्होंने कहा, यह तो बहुत गलत बात है, वन की कटाई को रोकना चाहिए, अब जो वन का एरिया है, वन का जो हमारा क्षेत्र है इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाय। हालांकि राजस्थान सरकार ने अपने 6 हजार स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र को बिल्कुल बरबाद कर दिया चाहे किसी भी खनिज के लिए दे दिया हो, चाहे उद्योगों के लिए दे दिया हो, चाहे प्रशासन के लिए दे दिया हो। हमने अपना क्षेत्र कभी सोशल फोरेस्ट्री के नाम से, कभी चारागाह की भूमि के नाम से दे दिया। नयी नयी योजना है, वर्ल्ड बैंक 40 करोड़ रुपया दे रहा है सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर केवल इस स्पेशल फोरेस्ट्री के लिए। मैं एक निवेदन करना चाहती हूं कि आपने फैसला तो कर लिया कि चारागाह की भूमि पर जो कोई पेड़ लगायेगा उसको तीन हजार रुपये हम साल के भी देंगे और 20 साल बाद जब वह पेड़ पनप जायेगा तब उसका 20 पर्सेन्ट उसको इन्कम का देंगे। लेकिन इससे आप चरागाह का नुकसान नहीं कर रहे हैं क्या? यह पेड़ बिना प्रोटेक्शन के पनपेगा कैसे? यदि उसका प्रोटेक्शन करना चाहते हैं तो गायें जायेंगी कैसे, पशु उसमें चरेंगे कैसे? आज हमारे चरागाहों की हालत खराब हो गयी है। माननीय सभापति महोदय, मुझे आज आपके

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

का ती मालूम नहीं है क्योंकि वहां तो होल्डिंग ग्राफ लैण्ड बहुत कम है इसलिए हो सकता है वहां चरागाह बहुत कम हों लेकिन हमारे रेगिस्तानी इलाकों में ग्राज भी हर गांव में करीब-करीब ग्रच्छे चरागाह हैं। हमारे चरागाह की हालत क्या हो रही है ? हमारे चरागाह में किसी भी प्रकार का कोई घास नहीं, इतने सख्त हो गये, पत्थर के समान उनमें कुछ नहीं उगता है। केवल एक बांस का पौधा है जिनको ऊंट खाया करता है वाकी कोई पशु उसको मुंह नहीं लगाता है। यह हालत हमारे चरागाह की है। हम उन चरागाह, जो इतने बड़े हो गये हैं, में यदि एक बार ट्रैक्टर चला करके ग्रच्छी घास सेवण ग्रौर इसी तरह की उगा दें तो मैं समझती हूं कि सचमुच के चरागाह के रूप में काम ग्रायेंगे। लेकिन इसमें भी कई बार कई प्रकार की बाधायें ग्राती हैं।

मंत्री महोदय, मैं एक बात कह रही हूं बड़े ध्यान से सुनिये, झुंझुनूं में वैसे तो फोरेस्ट के नाम पर कुछ तो खेजड़ी पहाड़ के इलाके पर है ग्रौर थोड़ा बहुत बीड़ बाकी बचा है। एक बीड़ झुंझुनूं का है ग्रौर एक लुहाना के ग्रन्दर है। यह वन सम्पदा के नाम पर वहां है। मैंने निवेदन किया था ग्रापसे, जिन लोगों को माइनिंग लीज ग्राज रोकी हुई है इसलिए रुकी पड़ी है कि 80 में जब इंदिरा गांधी वापस सत्ता में ग्रायी तो उन्होंने वनों की ग्रन्धाधुध कटाई को देखते हुए वनों के क्षेत्रफल को बराबर बनाये रखने के लिए कानून बनाया कि वनों को किसी भी प्रकार से किसी भी हालत में रिलीज नहीं किया जायेगा। नतीजा यह निकला कि राज्य सरकार ने माईनिंग लीज जिनकी खतम हुईं उनको किसी भी प्रकार से रिनुग्रल नहीं दिया। मैं कोई उनकी पैरवी नहीं करने जा रही हूं जिनको इसमें रिनुग्रल नहीं नहीं मिला है लेकिन मैं यह निवेदन करने जा रही हूं कि वनों के हित में यह बात है, यदि ग्राप लोगों को रिनुग्रल दें तो इस कंडीशन पर हैं कि वह लोग ग्रपने क्षेत्रफल के ग्रन्दर 10 हजार पेड लगायेंगे क्योंकि कई लोग मीलोंमील के ग्रोनर हैं। उनको इस कंडीशन को ग्रटैच करके दें, कि 10 हजार पेड़ इस क्षेत्रफल में लगायेंगे ग्रौर 15 साल के बाद हमें सौंपेंगे। हर साल उनकी चैकिंग हो कि Whether they have planted the trees or not उन्होंने रख-रखाव किया है या नहीं, पेड सरवाईव किया है या नहीं। इतने इतने पेड़ लगा करके एवरी ईयर सरवाईव करेंगे तो ग्रापको रिनुग्रल मिलेगा, इस प्रकार से पेड़ लगाने की कंडीशन के साथ ग्राप रिनुग्रल देने लग जायेंगे तो मैं समझती हूं वह इलाका जो बैरन हिल्स है, जिस पर किसी तरह की रेजीडिटी रूप नहीं होती है, ग्रापकी माइन्स निकलती है हराभरा होगा। जो कुछ ग्रापके माइन होल्डर्स ग्रापको देते हैं, वह जिस तरह माइन्स की लोसनिंग कर रहे हैं, एक तरह से कत्ल कर रहे हैं क्योंकि वह तो सोचते हैं कि क्या पता किस समय हम से ले लेंगे जिस ग्रन्धाधुन्ध तरीके से, ग्रवैज्ञानिक रूप से उसका खनन कर रहे हैं इससे श्रमिकों के जीवन को खतरा है। इससे वहां माइन्स कहां-कहां पर रह जायेगी ग्रौर कहां चली जायेंगी इसका कोई भरोसा नहीं है। इस कंडीशन के साथ ग्राप उन्हें यदि माईनिंग लीज का रिनुग्रल दें तो ग्रापके वनों की जो सम्पदा है यह बढ़ायी जा सकती है। ग्रौर जितना ग्रापका नुकसान होगा, यदि 10 पेड़

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

कटेंगे तो पांच गुणा पेड़ उस जमीन में लगेंगे जहां अच्छे मिनेरल्स हैं, जहां से स्टेट को अच्छी इन्कम हो सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं, मंत्री महोदय, आपका इस बात पर ध्यान दिलाना चाहती हूं कि मैं कह रही थी चरागाह की भूमि पर पेड़ लगाने के लिए जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को आप एक योजना के मुताबिक 3 हजार रुपये साल के देंगे। इस बात के लिए कि पेड़ लगायें और उस पेड़ को 30 साल के बाद सरकार को सौंपेंगे। लेकिन चरागाह के ऊपर जहां आपने यह कर दिया है, जहां राजस्व भूमि पर यह कर दिया है, सरकारी जमीन पर यह कर दिया है, मैं समझ नहीं पा रही हूं यह या तो आप अपने भाषण में स्पष्ट कर दें इस बात को कि उस भूमि का क्या होगा जिस पर पेड़ लगायेंगे। क्योंकि पेड़ लगायेगा तो किसी को जाने नहीं देगा। जाने नहीं देगा तो थोड़े दिनों के बाद मालिक बनेगा। वह कहेगा कि यह जमीन हमारी है हम 15 साल से बैठे हैं। कोई चुनी हुई सरकार, चाहे इस पार्टी की हो या दूसरी पार्टी की हो, किसी मतदाता की नाराजगी मोल लेने की हैसियत में नहीं होती है इसलिए ही अनधिकृत निर्माण होते हैं, अतिक्रमण होते हैं। अतिक्रमण के जरिये जितनी जमीन चरागाह की दबायी है, जितने राजस्व भूमि पर कब्जे किये हैं, जितने वनों पर कब्जे किये है, ट्रेसपास किये हैं उसका आपके पास और हमारे पास कोई इलाज नहीं है। इसलिए इस बात को पहले सोच लें कहां पेड़ लगें। कहीं ऐसे लोगों को आप नया लाइसेंस तो नहीं दे रहे हैं कि चरागाह की रही सही भूमि को वह इस तरह से हड़प कर लें और एक तरह से लीज है यह 15 साल की। इसके बाद क्या होगा, इस चरागाह की जमीन पर पेड़ लगाने से पहले आप अच्छी तरह से इसके बारे सोच लें। इस तरह का प्रोविजो लगा दें ताकि इस तरह की कोई बात भविष्य में न हो सके।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ निवेदन करूंगी कि चरागाह के विकास के लिए जो सूखी बंजर भूमि है उसके ऊपर ट्रैक्टर चला कर अच्छी घास डाल दें। कितने वर्ष हो गये हम को सुनते सुनते कि हवाई जहाज से बीज बिखेरे जायेंगे परन्तु हमने हवाई जहाज से बिखेरे हुए बीजों से कहीं चरागाह को पनपते नहीं देखा। इसलिए मैं यह सोचती हूं अपने मन में कि इस बार जो कुछ वनों का मामला है, भारत सरकार ही वनों के मामले में जिम्मेदार रह गयी है, राजस्थान के पास तो कुछ है भी नहीं। जितनी स्कीम हैं चाहे एन.आर.ई.पी. की हो, चाहे रोजगार गारंटी स्कीम हो, चाहे सोशल वर्क्स हों, चाहे वानिकी हो, चाहे कोई और पैसा हो, सब कुल मिला कर के भारत सरकार की स्कीम है। भारत सरकार के पैसे को राजस्थान सरकार इस तरीके से खर्च नहीं करे जैसे, मैं बताती हूं, पांच बत्ती से स्टेच्यू सर्किल, तालुका मार्ग तक नीचे बिजली के तार हैं वहां आपने ठेका दिया था एक आदमी को पेड़ लगाने का, उसने 40 पेड़ लगाये होंगे, आप दो पेड़ बता रहे हैं वहां दो पेड़ भी नहीं पनपे हैं। तो ऐसा न हो। साढ़े सात करोड़ आप लगायेंगे। केवल पेड़ लगा देने मात्र से या पेड़ को जमीन पर रख देने मात्र से पेड़ नहीं पनपता है। पेड़ बहुत मुश्किल से पनपता है।

164

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपका हुकम है, अब खत्म कर दूंगी।

माननीय मंत्री महोदय, पेड़ लगाना बहुत मुश्किल है लगाने में तो पांच मिनट का समय लगता है लेकिन पेड़ को पालना बहुत मुश्किल है। उसका सरवाइवल बहुत मुश्किल है। इसी तरह नहीं हो कि कागजों से ऊपर आंकड़े साढ़े सात करोड़ के बता दें। अगले साल पूछेंगे आपसे, एक करोड़ पेड़ भी सरवाईव कर दिये तो मैं समझती हूं कि राजस्थान की सरकार को श्रेय होगा। वन मंत्री की तारीफ होगी, प्रशंसा करूंगी कि 1 करोड़ पेड़ तो आपने छोड़ दिये हैं इस राजस्थान की जमीन के ऊपर।

इन्हीं शब्दों के साथ अपने कटौती प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करती हूं।

श्री सभापति : श्री हेमाराम।

(व्यवधान)

अब आप बोलेंगे। हेमाराम जी बोल लें पहल्यां पाछे बोलजो आप।

श्री हेमाराम चौधरी (गुड़ामालानी) **:** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान पश्चिमी राजस्थान में जो वनों की निरन्तर कटाई हो रही है, ह्रास हो रहा है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। सभापति महोदय, पश्चिमी राजस्थान को हम रेगिस्तानी इलाका कहते हैं और रेगिस्तान में बरसात बहुत कम होती है। हर साल प्राय: अकाल पड़ता है। बरसात सबसे कम होने का कारण यह है कि पेड़ों की निरन्तर कमी हो रही है। सभापति महोदय, मुझे याद आता है

श्री भंवरलाल शर्मा : महिलायें बाहर कैसे हो रही हैं, आपके भाषण में।

श्री हेमाराम चौधरी : जहां पेड़ बहुत ज्यादा थे वहां बहुत ज्यादा बरसात होती थी। मैं जब छोटा था तब मुझे याद है इतनी बरसात होती थी कि रोज बरसात आती थी। ऐसी बरसात होती थी कि पशु, भेड़, बकरी के पैर सड़ जाते थे। लेकिन आजकल तो कहीं बरसात के एकाध बार ही दर्शन हो जाय तो बहुत है। यह पेड़ हमेशा कटते हैं इसकी वजह से यह अकाल प्रमुख समस्या हो गयी है। यह जो वन हैं, यह हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर बहुत प्रभाव डालते हैं। यदि हम इन वनों की कटाई नहीं रोकेंगे और इनका विकास नहीं करेंगे तो यह अकाल हमेशा ही पड़ता रहेगा। हर आदमी की आर्थिक स्थिति वनों से प्रभावित होती है। किसान सीधे रूप से इससे प्रभावित होता है। पशुपालक भी सीधे रूप से इससे प्रभावित होता है। फिर उनको रोजगार देने के लिये, पशुओं को बचाने के लिये सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं उसके बावजूद भी उनको सही तरीके से न तो रोजगार दे पाते हैं और न सही तरीके से व्यवस्था कर पाते हैं। तो, सभापति महोदय, यह जो अकाल की भयंकर विभीषिका हर साल होती है इसको रोकने के लिये जो प्राकृतिक वन हैं उनकी रक्षा और विकास बहुत आवश्यक है।

सभापति महोदय वनों के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। इसके अनुपात में जितना विकास वनों का होना

(श्री हेमाराम चौधरी)

चाहिये उतना नहीं हो करके बहुत कम विकास होता है। उससे भी कहीं ज्यादा जो हमारे प्राकृतिक वन हैं, अपने आप जो लगे हुए हैं उनका ह्रास होता जा रहा है और वे हमेशा कम होते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण, सभापति महोदय, यह रहा है कि जो आबादी का बढ़ता हुआ भार जमीन के ऊपर है उसको रोटी पकाने के लिये लकड़ी की जरूरत है, ईंधन की जरूरत है। ईंधन जब तक हम पैदा नहीं करेंगे तब तक वृक्ष की कटाई नहीं रोकी जा सकती क्योंकि आदमी को रोटी पकाने के लिये लकड़ी चाहिये। जब तक कोई दूसरी व्यवस्था नहीं कर दी जाती खाना पकाने की, तब तक जो जो लकड़ी है, पेड़ काटकर काम में लेते रहेंगे।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे तत्कालीन वन राज्य मंत्री श्री गोविन्द सिंह गुर्जर एक बार बाड़मेर आये थे तब उन्होंने बालोतरा और बाड़मेर में कोयला और लकड़ी का डिपो खोलने की घोषणा की थी लेकिन वह अभी तक घोषणा ही है, वहां इस प्रकार का कोई डिपो नहीं खोला गया है। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो मंत्रीजी वहां पर दौरे पर पधारे और उन्होंने वहां लकड़ी और कोयला का डिपो खोलने की घोषणा की, उसकी क्रियान्वित करायेंगे तो हमारे वहां पेड़ों की जो कटाई निरन्तर हो रही है वह रोकी जा सकती है अन्यथा उसके अभाव में चाहे आप कितने ही कानून बना दें, चाहे आप कितनी ही सख्ती बरत लें, वनों की कटाई नहीं रोक सकते क्योंकि लकड़ी की जो जरूरत है आदमी को वह किसी भी तरीके से काम में लेगा।

जो बालोतरा क्षेत्र है वहां पर रंगाई-छपाई की बहुत ही बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां हैं उनमें प्रतिदिन सैकड़ों ट्रक लकड़ी की खपत है। जब तक हम उसके लिये लकड़ी का कोयला या पत्थर का कोयला, जैसी जरूरत है उसके अनुसार कोई व्यवस्था नहीं करते वन विभाग की तरफ से डिपो खोलकर, तब तक लकड़ी बाहर से कटकर वहां आती रहेगी इसके लिये चाहे आप कितनी ही सख्ती बरत लें। क्योंकि बिना लकड़ी के वह औद्योगिक इकाइयां चल नहीं सकतीं। वह बन्द हो जायेंगी। उसके ऊपर भी काफी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है इसलिये उनको चलाने के लिये आप डिपो खोलें और उन औद्योगिक इकाइयों में जितनी भी लकड़ी की जरूरत है, कोयले की जरूरत है उसकी आप विभाग की तरफ से व्यवस्था करावें जिससे कि हमारे वहां पर जो प्राकृतिक वन हैं, जो पेड़ अपने आप लगे हुए हैं वन नहीं कटें कम से कम। यदि हम उसको रोक पाने में सफल हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि आज के समय में जो वन सम्पदा हमारी है वह नष्ट होने से बचायी जा सकेगी। नहीं तो हम बराबर कोशिश तो कर रहे हैं कि वनों का विकास हो लेकिन विकास के बदले उनका हर वर्ष ह्रास होता है। जितने वृक्ष इस साल आज हम देख रहे हैं अगले वर्षों में इतने वृक्ष भी नहीं होंगे इससे भी कम वृक्ष होंगे। चाहे आप नये कितने ही लगायें उससे अधिक संख्या में जो लगे हुए हैं वे कट जायेंगे तो यह वनों का एक तरह से ह्रास ही होता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान में जहां

(श्री हेमाराम चौधरी)

रेगिस्तान है वहां पानी की बड़ी भारी कमी है और पेड़ लगाना भी बहुत कठिन है इसलिये वहां पर जो प्राकृतिक वन लगे हुए हैं उनकी सुरक्षा की जाय, दूसरा वन लगाने के लिये सरकार पूरी तरह से ध्यान दे और विभाग को पाबन्द करे कि वहां पर इस तरह के पेड़ लगाये जायं जो कि उपयोगी हों। जैसा खेजड़ी के पेड़ के बारे में सुमित्रा जी ने सुझाव दिया, उसके बारे में मेरा यही निवेदन है कि खेजड़ी वास्तव में बहुत उपयोगी पेड़ है और उसको लगाया जाना चाहिये लेकिन इसके लगने में जो समस्या आ रही है वह यह है कि पेड़ लगाने में समय बहुत लगता है। कितने ही वर्ष लग जाते हैं। बहुत वर्षों के बाद में यह पेड़ पनपता है। दूसरे कई पेड़ हैं वह आसानी से जल्दी लग जाते हैं, जल्दी पनप जाते हैं। इसके पनपने में टाइम बहुत लगता है। इसलिये मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके ऊपर कोई अनुसंधान कराया जाय और वैज्ञानिक इसके ऊपर बैठ करके सोचें। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जोधपुर में है वह देखे कि यह जो खेजड़ी का पेड़ है, जल्दी कैसे तैयार हो सकता है। यदि यह पेड़ जल्दी तैयार हो जाय, जितना समय लगता है उससे कम समय में तैयार हो जाय तो वास्तव में यह बहुत उपयोगी पेड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं। इससे ज्यादा उपयोगी कोई भी पेड़ पश्चिमी राजस्थान के लिये, रेगिस्तानी इलाकों के लिये हो नहीं सकता। इसलिये इसके बारे में रिसर्च की आवश्यकता है। इसके ऊपर रिसर्च करके इसको जल्दी पनपाने की कोई न कोई तरकीब निकालें।

सभापति महोदय, इसी तरह से जो पेड़ों की कटाई होती है उसको रोकने के लिये सरकार कदम उठाये। ईंधन की जरूरत है, ईंधन की व्यवस्था कर दें। जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनमें भी लकड़ी की जितनी जरूरत वहां है उसके मुताबिक कोयले या लकड़ी की व्यवस्था विभाग अपनी तरफ से कर देता है तो ईंधन के लिये लकड़ी लोग काटते हैं वह कटना बन्द हो सकता है। जो कुछ यह प्राकृतिक वन अपने आप लगे हुए हैं वह भी कटने बन्द हो सकते हैं नहीं तो ये कटते रहेंगे। सख्ती का जहां तक सवाल है, सख्ती बरती भी कहीं नहीं गयी है और जहां बरतनी शुरू की भी है, बरतते भी हैं वहां भी लोगों की यह शिकायत रहती है कि हम आखिर खाना बनाने के लिये लकड़ी का उपयोग नहीं करें तो क्या करें। जैसा किसान के बारे में कहा गया कि किसान जो पेड़ काटता है खुद के उपयोग के लिये वह भी बन्द कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि वह भी बन्द कर दिया जाता है तो किसान अपना हल बनाने के लिए, अपनी खुद की खाट वगैरह बनाने के लिए अपने खेत की लकड़ी काम में लेता है। वह झोंपड़ा बनाने के लिए भी काम में लेता है। लकड़ी के झोंपड़े होते हैं, उसमें उसको काम में लेना पड़ेगा। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो खास करके लकड़ी का उपयोग है या तो औद्योगिक इकाइयों में है या जो घनी आबादी है, बड़े-बड़े शहर हैं वहां इसकी ज्यादा खपत होती है वहां पर आप इनको खोल देते हैं। जैसे खास करके बाड़मेर जिले में दो ही स्थान हैं बाड़मेर और बालोतरा, वहां पर वनों की जो कटाई हो रही है वह

(श्री हेमाराम चौधरी)

बिल्कुल ही कम हो सकती है। नहीं तो यह कटाई होती रहेगी। चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लें कितने ही पेड़ लगाने की कोशिश कर लें, कितने ही करोड़ों-अरबों रुपये खर्च कर दें कभी भी जो प्राकृतिक वन हैं, कटना रुकेंगे नहीं और आगे भी जो विकास आप करना चाहते हैं वह भी होगा नहीं, इसलिये मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाह रहा हूं।

दूसरा, सभापति महोदय, पर्यावरण के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। बालोतरा औद्योगिक क्षेत्र जो है वहां पर रंगाई और छपाई की जो औद्योगिक इकाइयां हैं उसके कारण वहां जो दूषित जल है वह बालोतरा के अन्दर पहाड़ों में, खेतों में, नदी में चारों तरफ फैल चुका है। काश्तकारों के खेतों के अन्दर वह पानी फैलने से पशु पी लेते हैं तो वह भी मर जाते हैं। जो पीने का पानी है वह भी दूषित हो गया है। बालोतरा के बिल्कुल पास में ही बिठूजा है जहां से पीने के पानी की सप्लाई होती है। यह जो दूषित जल है वहां तक चला गया है। वहां पर जो पानी के ट्यूबवेल हैं, ओपनवेल हैं उनके अन्दर वापस यह दूषित जल आने लग गया है। उनके अन्दर पानी को देखें तो रंग दिखाई देता है। इस तरह से वहां पर जो दूषित जल की समस्या है उसको हल करने के लिए आप कोई कारगर कदम उठायें। ट्रीटमेंट प्लांट लगायें या कोई और दूसरी व्यवस्था जो भी हो सकती है उसका सर्वे करवायें। वर्षों से वहां पर एक स्कीम लगी हुई है। और यह समस्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। इसकी तरफ आप ध्यान नहीं देंगे तो बहुत ही भयंकर समस्या खड़ी हो जायेगी। आज भी बहुत ही भयंकर समस्या है। जैसी खारावेरा के अन्दर घटना हुई, लोगों की मृत्यु हुई वहां भी इस तरह का गन्दा पानी पीने से लोगों की जानें जा सकती हैं, पशुओं की जानें जा सकती हैं। इसलिये इनको बचाने के लिये आप वहां पर चाहे ट्रीटमेंट प्लांट लगायें, चाहे आप कोई भी दूसरा तरीका निकालें, सर्वे करवायें लेकिन इसके बारे में जल्दी से जल्दी कदम उठायें, नहीं तो बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान हो रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया संक्षिप्त करें।

श्री हेमाराम चौधरी : रीको के द्वारा वहां पर जो भूखण्ड आवंटित किये जाते हैं रीको ने आज दिन तक उसके बारे में कि यह दूषित जल है इसका क्या किया जाय कभी सोचा ही नहीं। मैं समझता हूं कि इसके बारे में सोचना चाहिए। वाटर पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड, रीको और दूसरे जितने भी इससे सम्बन्धित विभाग संस्थायें हैं उनको बैठकर कोई न कोई ठोस निर्णय लेकर सर्वे करवाकर कोई न कोई हल निकालना चाहिये। जितनी भी धनराशि की जरूरत है जो औद्योगिक इकाइयां वहां हैं वह भी इसमें सहयोग करने को तैयार हैं। सबसे बड़ी कमी यही है हमारे यहां, सभापति महोदय, जब यह औद्योगिक इकाइयां वहां पर चालू की गयीं उस समय किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं कि आखिर जो दूषित जल होगा उसका क्या होगा, यह कहां जायेगा, इसका क्या किया जायेगा। कभी किसी ने सोचा ही नहीं। हजारों की

(श्री हेमाराम चौधरी)

संख्या में वहां इकाइयां लग गयी । इसलिए आप अभी समय रहते इसको सोचें और कोई न कोई ठोस निर्णय लें । मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसी वर्ष इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा धनराशि खर्च हो । उसकी व्यवस्था करके इसका ठीक हल निकालें नहीं तो समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जायेगी । जैसे कि आप गंगा के पानी को साफ करने के लिए बहुत ज्यादा धनराशि खर्च कर रहे हो, उसी तरह हमारे वहां की यह एक सबसे बड़ी समस्या है, राजस्थान के पास इतना पैसा नहीं है

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें ।

श्री हेमाराम चौधरी : भारत सरकार से इसके लिए निवेदन करके वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और रीको और औद्योगिक इकाइयों वह देने को तैयार हैं जो भी उनकी जैसी स्थिति है, से भी पैसा लेकर इसका हल अवश्य निकालें नहीं तो यह समस्या और बढ़ जायेगी ।

धन्यवाद ।

श्री सभापति : सुश्री पुष्पा जैन ।

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के
निर्धारित समय में वृद्धि

श्री बी. डी. कल्ला (मुख्य सचेतक) : एक मिनट, समय बढ़ा लें ।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की मांग पारित हो, तब तक के लिए बढ़ा दिया जाय ।

श्री सभापति : सदन की आज्ञा से सदन का समय आज की मांग पारित होने तक बढ़ाया जाता है ।

मांग संख्या 9 एवं 11 पर विचार

सुश्री पुष्पा जैन ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : सभापति जी, नम्बर तो मेरा था । मेरा नम्बर था ।

श्री भंवरलाल शर्मा : लेडीज फर्स्ट ।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : सभापति महोदय, पोल्यूशन के बारे में लम्बे समय से चर्चा हो रही है....

श्री सभापति : आप कृपया बोलें ।

सुश्री पुष्पा जैन : इस पर कई सेमीनार भी आयोजित हुई हैं, एक्सपर्ट्स ने भी अपनी ओपीनियन दी लेकिन मुझे आपके सामने कहना पड़ रहा है कि पूरे राजस्थान में पोल्यूशन इस कदर फैला हुआ है और उसके अन्जाम भी सामने आ रहे हैं लेकिन इसके बारे में राज्य सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे पता लगे कि राज्य सरकार इस पोल्यूशन को रोकने के लिए चिन्तित है । सभापति महोदय, मैं बताना चाहती हूं, अभी मेरे से पहले भी माननीय सदस्य कह रहे थे कि निम्बाहेड़ा, उदयपुर, चित्तौड़ की सीमेन्ट फैक्ट्रियों से जो एयर पोल्यूशन हो रहा है उस से हालत खराब हो रही है, लोग मर रहे हैं । उदयपुर की डिस्टिलरी और उदयपुर पेस्टिसाइड्स के

(सुश्री पुष्पा जैन)

कारण पोल्यूशन हो रहा है उससे लोगों की हालत खराब हो रही है। अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे बालोतरा का। बालोतरा ही नहीं, बालोतरा, जोधपुर, पाली इन तीनों में जिस कदर वाटर पोल्यूशन हो रहा है, राजस्थान में वह अपने स्तर पर सबसे बड़ा वाटर पोल्यूशन है। सबसे ज्यादा लोगों की जान इससे जा रही है, पशु मर रहे हैं और काश्तकार बरबाद हो रहा है लेकिन राज्य सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लगा नहीं राज्य सरकार की किसी बात से ऐसा, किसी कदम से ऐसा कि राज्य सरकार इसके प्रति चिन्तित है। सभापति महोदय, मैं बताना चाहती हूं कि जोधपुर इण्डस्ट्रियल एरिया, जो बासनी नाम से प्रसिद्ध है आस पास तमाम क्या बरबादी हो चुकी है, काश्तकार की जमीनें बरबाद हो चुकी हैं। बालोतरा में जो हालत हो रही है वह अभी माननीय सदस्य ने बयान की है। सभापति महोदय, पाली के बारे में आपको बताना चाहती हूं, पाली में जो उद्योग लगे हुए हैं उनमें 80 पर्सेन्ट रंगाई-छपाई से सम्बन्धित हैं। 80% उद्योगों पर पाली की 50 पर्सेन्ट जनता निर्भर करती है। वहां करीब 30-40 हजार के बीच में मजदूर इन मिलों में काम करते हैं। लाखों रुपया सरकार इन से लेती है ऑक्ट्रॉय के रूप में, दूसरे रूप में लेकिन उनके बारे में सरकार ने कोई ऐसा संयंत्र नहीं लगाया जिससे इस वाटर पोल्यूशन की समस्या का निदान किया जा सके। संयंत्र कहने को तो लगा हुआ है, एक करोड़ की लागत का ट्रीटमेंट प्लान्ट लगा हुआ है। सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय हैं नहीं, आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूं, सहयोगी मंत्री बैठे हैं अगर वह कह सकें उनसे, एक करोड़ का ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, जिस पर 25 हजार पर डे की मेन्टीनेन्स कास्ट आ रही है उस ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, से, सभापति महोदय, 5 पर्सेन्ट वाटर भी साफ नहीं हो रहा है। 5 पर्सेन्ट भी। जो एसिड काम में लेते हैं, जैसा एसिड का खर्चा दिखा रखा है उससे यह जाहिर है कि 50 फीसदी पानी साफ कर रहे हैं लेकिन मैं चुनौती देती हूं राज्य सरकार को, मैं यह दावे से कह सकती हूं, राज्य सरकार इस बात की जांच करवाये, वहां के जिलाधीश, वहां के अधिकारी, रीको और वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से सारी जानकारी लें और इसकी उच्च स्तरीय जांच करायें तो स्वयं मालूम पड़ जायेगा कि 50 फीसदी जो आप पानी की सफाई बता रहे हैं उसमें से सिर्फ 5 पर्सेन्ट बड़ी मुश्किल से हो रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि बाकी एसिड जाता कहां है। खर्चा तो इन्होंने एसिड का इतना दिखाया हुआ है। जितना एसिड ट्रीटमेन्ट प्लान्ट में खर्च कर रहे हैं, सभापति महोदय, राज्य सरकार अगर चाहे तो मैं नाम बता सकती हूं कि वह एसिड खुले आम कालाबाजारी में बिक रहा है, ट्रीटमेन्ट प्लान्ट में काम नहीं आ रहा है। राज्य सरकार को बार बार इसकी जानकारी देने के बावजूद राज्य सरकार इसके बारे में कोई सजगता नहीं बरत रही है। सभापति महोदय, आज लोग मर रहे हैं लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं पशु धन बरबाद हो रहा है। और तो और, जो काश्तकार हैं उनकी रोजी रोटी का जरिया ठप्प हो गया है। पूरी हालत खराब है।

(सुश्री पुष्पा जैन)

पाली से आगे चलकर मैं बताना चाहती हूं, सभापति महोदय। पहले तो यह पाली तक ही सीमित थी वाटर पोल्यूशन की समस्या। आज पाली जिले से आगे बाड़मेर के समूचा, जोधपुर के लूणी क्षेत्र, में भी प्रभाव गहरा हो चुका है जिसका जिक्र मेरे से पहले बोलने वाले माननीय मेरे साथी विधायक कर रहे थे। लूणी में जो 13 बच्चे और एक महिला की मृत्यु हुई उसमें जांच चल रही है, मैं कहना तो नहीं चाहती लेकिन मेरा यह अनुमान है, शायद कहीं ऐसा तो नहीं कि वाटर पोल्यूशन के कारण ही उन लोगों की जान गयी हो। सभापति महोदय, अब इसका निदान कौन करेगा? राज्य सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? किस से कहें जाकर? आपने वहां रीको को बैठाया हुआ है। आपने वहां वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बैठाया हुआ है। सभापति महोदय, मैं इल्जाम लगाना चाहती हूं रीको पर। रीको ने जितनी धांधली मचा रखी है उतनी धांधली शायद और किसी डिपार्टमेन्ट ने नहीं मचा रखी है। लोगों को भू-आवंटन किये जा रहे हैं उसमें लाखों रुपए की हेराफेरी उसके बाद जो नियमन का काम है उस नियमन के नाम पर लाखों रुपये ले रहे हैं।

मैं राज्य सरकार पर भी आरोप लगाना चाहती हूं कि अभी चुनाव हुआ था पार्लियामेन्ट का, उस समय 109 फैक्ट्रियों को इन्होंने नोटिस दिये। उनका नियमन नहीं किया। उनको तोड़ने के नोटिस दिये। सभापति महोदय, मैं जानना चाहती हूं राज्य सरकार से, अपने जवाब में बताये कि वह कौनसा कारण था कि 109 फैक्ट्रियों को तोड़ने का आदेश देने के बावजूद आपने उन फैक्ट्रियों को तोड़ा नहीं? आपका मुंह कैसे बन्द हो गया, आपके हाथ कैसे रुक गये? क्योंकि लाखों रुपए आपने उस चुनाव में चन्दा लिया उन फैक्ट्री वालों से। आपने उन फैक्ट्रियों को अपनी आमद का जरिया बना रखा है इसलिए आप वहां के वाटर पोल्यूशन की प्राब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि समस्या चलती रहे, फैक्ट्री वाले आपको पैसा देते रहें और गरीब मजदूर, गरीब काश्तकार बरबाद होता रहे। आखिर इसका कारण क्या है? आप आप कहते हैं, मंत्री महोदय ने अपने सवाल के जवाब में पिछले दिनों विधान-सभा में उत्तर दिया कि हमने आइन्दा से एन. ओ. सी. देना बन्द कर दिया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं, कि क्या इलाज है एन. ओ. सी. बन्द करना इसका? कितनी फैक्ट्री ऐसी चल रही हैं जिनको आपने एन. ओ. सी. दिया? मैं जानना चाहती हूं राज्य सरकार से कि क्या उनमें ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगा हुआ है? अगर नहीं लगा है तो आपने किस बेसिस पर उनको एन. ओ. सी. दे दिया। आपकी एन. ओ. सी. बिक रही है। वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एन. ओ. सी. दे देता है। बिना किसी कारण के इन्होंने ट्रीटमेन्ट, प्लान्ट लगाया है। चाहे पानी की सफाई हो रही है या नहीं हो रही है। आज आप कहते हैं कि एन. ओ. सी. देना बन्द कर देंगे तो सवाल पैदा होता है. सभापति महोदय, कि पहले ही करीब छः हजार हैक्टेयर जमीन बरबाद हो चुकी है इस पाल्यूटेड वाटर से, उस बरबादी के कारण वह लोग जो वहां अपनी रोजी-रोटी उन मिलों में काम करके

171

(सुश्री पु.पा. जैन)

चलाते हैं, उन फैक्ट्रीज में काम करके चलाते हैं, 30-40 हजार मजदूर कहां जायेंगे अपना पेट भरने ? आप फैक्ट्रियों को बन्द कर दीजिए, उनको तोड़ दीजिए और पानी की सफाई मत करिये ट्रीटमैण्ट प्लाण्ट लगाइये मत तो फिर कहां जायेगा इन्सान ? इससे अच्छा है कि नसबन्दी के जरिए या और कोई तरीका है तो उसके जरिये से मार डालिये सारे लोगों को, न बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी।

एक माननीय सदस्य : आजकल तो चलाकर कराते हैं नसबन्दी साहब।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर। नो इन्ट्रप्शन, प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : कुछ तो होना चाहिए नहीं तो ऐसी लोगों, मारेंगे मैना रही हैं।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगी, सरकार कहती है कि उद्योगपति कास्टिक रिकवरी प्लांट लगायें। इसके लिए वह प्रेरित करना चाहती है। आप कहें उद्योगपति लगा सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि नहीं लगा सकते या नहीं लगाना चाहते हैं। वह चाहते हैं। उनकी जान फंसी हुई है केसेज पर। वह स्वयं चाहते हैं कि राज्य सरकार जल्दी से जल्दी इसका कोई उपाय करे ताकि किसानों की जो जमीन बरबाद हो रही है वह भी अपनी जमीन को बचा सकें, हम लोगों का जो नुकसान हो रहा है अनावश्यक, हम भी बचा सकें। उसके लिए पैसे से भी मदद करना चाहते हैं लेकिन राज्य सरकार की ऐसी जिद है, वह उनसे कहती है कि आप कास्टिक रिकवरी प्लान्ट लगाइये। अब वह लोग कोई एक्सपर्ट हैं ? फैक्ट्री लगाते हैं तो इस बात का कोई डिप्लोमा थोड़े ही लेकर आये हैं कि कास्टिक रिकवरी प्लान्ट लगायें, और लगायें तो वह सक्षम होगा या नहीं, वह सक्सेसफुली चलेगा या नहीं चलेगा, इसकी जांच कौन करे। तो, सभापति महोदय, एक तो कास्टिक रिकवरी प्लान्ट बहुत महंगा है। दूसरे बिजनेसमैन अपना पैसा लगाये उसके बावजूद सही नहीं चले इसकी गारन्टी क्या है ? क्या राज्य सरकार इस बात की गारन्टी दे सकती है कि उद्योगपति अपना प्लान्ट लगा लें, प्लान्ट सक्सेसफुली चलेगा। अगर राज्य सरकार इसकी गारन्टी दे दे तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहती हूं कि पाली का हर उद्योगपति ऐसा प्लान्ट लगा लेगा। लेकिन मुझे विश्वास है, मुझे जानकारी है कि राज्य सरकार के पास ऐसी एजेन्सी नहीं है जिसके द्वारा राज्य सरकार आज इस स्थिति में हो कि वह गारन्टी दे दे कि वह प्लान्ट लगा लें। जब आप ऐसी गारन्टी नहीं दे सकते तो फिर आप कैसे उन फैक्टरी वालों से कह रहे हैं कि आप ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगा लीजिये। यह तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। आज अहमदाबाद में प्लान्ट चल रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, वहां प्लान्ट कैसे चल रहे हैं ? आज गुजरात में सक्सेसफुली वाटर पोल्यूशन दूर किया जा रहा है इस प्लान्ट के जरिये से। क्या आप नहीं कर सकते ऐसा ? अगर आपके राजस्थान से कोई एक्सपर्ट नहीं हैं तो गुजरात की मदद लीजिये। इसमें शर्म की क्या बात है ? कोई काम दूसरी स्टेट में कर रहे हैं और हमारी स्टेट में उसकी जानकारी या

(सुश्री पुष्पा जैन)

तकनीक जानने वाले लोग नहीं हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये कि वहां से एक्सपर्ट्स लगा लें, जानकारी ले लें कि आखिर आपने कैसे किया, आपके यह प्लान्ट सक्सेसफुली कैसे चल रहे हैं हम भी चलाना चाहते हैं। आखिर आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा, कोई तो कदम उठाना ही पड़ेगा जिससे लोगों को लगे, गरीब काश्तकारों को लगे कि आप उनकी जमीनों को बचाना चाहते हैं, उन्हें भी सरसब्ज बनाना चाहते हैं, उन्हें भी रोज-रोटी देना चाहते हैं आप। आज तक आपने कोई ऐसे कदम नहीं उठाये जिससे लोगों को यह महसूस हो कि आप कुछ करना चाहते हैं।

सभापति महोदय, यह पाली की फैक्ट्रियों का जो पानी है यह बांडी नदी में जाकर गिरता है। कुछ पानी जमीनों में बिखर जाता है, कुछ पानी पाली के तालाब में चला जाता है। अब यह सारा का सारा पानी मिल करके बांडी नदी से आगे कुओं में जाता है। आगे जाता है तो उससे सारा पानी खराब हो जाता है और प्रदूषण फैलता है। सभापति महोदय, अब मैं यह बताना चाहती हूं कि करीब 6 हजार हैक्टेयर जमीन बरबाद हो चुकी है। पिछले दिनों भू-जल विभाग द्वारा स्टडी की गई थी। उसमें उन्होंने बताया कि बांडी नदी से 500 मीटर दोनों तरफ करीब 3 सौ कुएं खराब हो चुके हैं जिनसे न तो खेती हो सकती है न पानी पिया जा सकता है। जो कुएं गांव की उन्नति के कारण थे वही कुएं गांव की बरबादी का कारण हो गये हैं।

सभापति महोदय, पैदावार निरन्तर गिर रही है। जब जमीन खराब हो जायेगी, बन्जर हो जायेगी तो उसमें पैदावार कैसे होगी। थोड़ी बहुत पैदावार जो उस एरिया में हो रही है। मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगी कि वहां जो पैदावार होती है उसकी जांच करवायें। वह खाने योग्य नहीं है। वह जो अनाज पैदा कर रहे हैं उस पोल्यूटेड जमीन से वह अनाज खराब है। उसके खाने से लोगों में बीमारियां फैलेंगी, लोग मरेंगे इसलिये वह जमीन काबिले काश्त नहीं हैं। राज्य सरकार को इसके लिए गम्भीरता से सोचना चाहिये।

सभापति महोदय, इस जिले में जस्ते और पारे का बहुत अधिक मिश्रण हो गया है जो सबसे ज्यादा गम्भीर है। सभापति महोदय, उससे आज तो लोग मरेंगे, बीमारियां फैलेंगी ही लेकिन आने वाली जो सदियां हैं उनमें लोगों को इतनी ज्यादा बड़ी-बड़ी बीमारियां हो जायेंगी जिसकी आज बैठकर हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अस्पतालों में इन दिनों निरन्तर भर्ती होने वाले जो मरीज हैं उसका सर्वे किया गया, उसका जायजा लिया गया सभापति महोदय, जो गैस ट्राइटिस्ट व अन्य बीमारियां ज्यादा बढ़ी हैं 1980–81 के बीच में। और यही वह समय 1980-81 के बीच का है जिसमें पाली में ज्यादा से ज्यादा रंगाई-छपाई की फैक्ट्रियां बढ़ी हैं और इसी दौरान यह बीमारियां बढ़ी हैं।

सभापति महोदय, जानवरों के हास्पिटल से जो जानकारी हासिल की गई उसमें पानी से चमड़ी व गैस की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ी हैं। दो सौ-ढाई सौ के करीब

(सुश्री पुष्पा जैन)

जानवर दूषित पानी पीने से मर चुके हैं। सभापति महोदय, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे और रीको कोई ध्यान नहीं दे। वॉटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अब मेरी समझ में नहीं आता, यह बला क्या है? यह वॉटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किस मर्ज की दवा है? यह क्यों बैठा हुआ है वहां पर? माननीय मंत्री महोदय से मैं इल्तजहा करूंगी कि जब अपना जवाब दें तो कम से कम मुझे समझायें तो सही। मेरी समझ में नहीं आता कि यह करता क्या है। वॉटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्यों बैठा हुआ है? लाखों रुपयों का खर्चा इस बोर्ड पर कर रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है। एक भी काम अगर जस्टिफाई कर सकें कि वाटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यह काम कर रहा है और काम जस्टिफाई होता है तो मैं यह मानूंगी।

रीको के अधिकारी वहां पर फैक्ट्रियां बना रहे हैं, गलत तरीके से जमीनें ले रहे हैं, प्लान्ट लगाये बिना, एन. ओ. सी. के बिना उनकी जमीनों का नियमन किया जाता है। जमीनें गलत-सलत तरीके से हथिया लेते हैं। अब ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद करेंगे कि वह गरीब लोगों के बारे में सोचेंगे। तो, सभापति महोदय, मेरा यही कहना है कि जो लोग मर रहे हैं, पाली की 50 फीसदी जनता जो गांवों में रहती है, उसकी जमीनें बंजर हो चुकी हैं। उनकी जमीनें बचाने के लिये मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगी कि आप जल्दी से जल्दी कोई तरीका निकालिये। आपसे नहीं होता है तो आप गुजरात या दूसरे प्रदेशों से मदद लीजिये ताकि ट्रीटमेन्ट प्लान्ट सक्षम तरीके से चल सकें। उसके लिये आप चाहेंगे तो वैसे आपकी जिम्मेदारी है यह, जनता की की जिम्मेदारी नहीं है लेकिन फिर भी पाली की जनता आपको सहयोग देगी, बालोतरा की जनता आपको सहयोग देगी, जोधपुर की जनता आपको सहयोग देगी। आपको अगर धन की आवश्यकता होगी तो धन भी देगी और दूसरी तरह की मदद लेना चाहेंगे तो वह भी देगी। लेकिन एक्सपर्ट नहीं है वह तकनीशियन तो आपको स्वयं बुलाने पड़ेंगे। वहां की नगर पालिका आपको पैसा दे सकती है, वहां की फैक्ट्रियों के मालिक पैसा देने को तैयार हैं, वहां की उम्मेद मिल आपको पैसा देने के लिये तैयार है फिर आप क्यों काम नहीं करना चाहते? और अगर यह बहाना बनायें कि बजट में पैसे का प्रावधान नहीं है तो राज्य सरकार भूखी नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है, यह बहाना भी नहीं चलेगा।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि पैसे का इन्तजाम हो जायेगा। आप मन बनायें काम करने का। अगर आपका मन ही नहीं है, आप यह चाहते हैं कि यह पोल्यूशन की समस्या चलती रहे ताकि आपकी रोजी रोटी भी चलती रहे, चुनाव के समय में आपको चन्दा मिलता रहे तो फिर माफ करियेगा इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। समस्या का समाधान करना है तो ईमानदारी से मन बनाइये, आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया, जल्दी से जल्दी राज्य सरकार ने पाली, जोधपुर, बालोतरा के वाटर पोल्यूशन की समस्या सुलझाने के लिये कोई संयंत्र नहीं लगाया, कोई कारगर तरीका अख्तियार नहीं किया तो मैं चुनौती

(सुश्री पुष्पा जैन)

देती हूं सदन में कि जन आन्दोलन होगा जिसका आपको सामना करना पड़ेगा और उसमें कोई नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, पश्चिमी राजस्थान की गरीब जनता की नहीं होगी।

श्री सभापति : श्री बिहारीलाल पारीक।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य का नाम बोल दिया मैंने। आपका कटौती ..

श्री देवीलाल : पहल्यां आप कह्या कि हेमाराम जी के बाद आपका

श्री सभापति : आपके कटौती प्रस्ताव नहीं हैं।

श्री देवीलाल : हैं, साहब।

श्री सभापति : आप व्हिप साहब से बात करिये. आपका नाम आ जायेगा। अभी आप श्री बिहारी लालजी को बोलने दीजिये।

श्री बिहारीलाल पारीक (माण्डल) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 9 वन ..

(व्यवधान)

वह भी कहता हूं-

शैले: शैले: न माणिक्यम्
मोक्तिकम न गजे: गजे: ।
साधवो न सर्वत्रम्
चन्दनम् न वने: बने : ।।

श्री सभापति : यह कहां से कोट किया आपने. यह भी बता दीजिये।

(व्यवधान)

श्री बिहारीलाल पारीक : सभापति महोदय, हमारे प्रदेश की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में वनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी राज्य सरकार बहुत सजग है। स्वर्गीय संजय गांधी जो हमारे देश में हुये, महान् विभूति हुई....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, कृपया सुनें, माननीय सदस्य।

श्री बिहारीलाल पारीक : उनकी भावना थी और उनकी भावना के अनुसार 5 सूत्र उन्होंने देश को दिये उसमें वन विभाग को बढ़ावा, प्रेरणा मिली है। वास्तव में यह सही है कि वृक्ष नहीं होते तो बरसात नहीं होती। बहुत दिनों तक किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इसमें ताज्जुब नहीं है कि यह संजय गांधी की देन है। सभापति महोदय, राज्य में वन सम्पदा से होने वाली आय कम है इसमें कोई दो राय नहीं। इसको बढ़ावा मिले, महत्व को समझ रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्रीजी की भावना है, कैसे यह आगे बढ़ सके और कैसे स्थिति को सुधारा जा सके। इसके लिये व्यवस्था की जा रही है। भूमिका में ही रहा तो आप जल्दी ही घण्टी बजा देंगे इसलिये मैं मेरे कटमोशन पर आ जाता हूं।

श्री सभापति : आप बोलें।

श्री बिहारीलाल पारीक : मैंने आपकी

(श्री बिहारी लाल पारीक)

मार्फत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिया है इसलिये आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वनों को बढ़ाने के लिये ग्रामीणों को योजना में शामिल करें। उनके अनुभव को नहीं लिया जाता है उससे बड़ा नुकसान होता है। इसका बजट में प्रावधान करें।

(5.00 म. प.)

पेड़ यहां कहां लगाते हैं इस पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। वनों से लकड़ियों को ले जावे, चोरी करने और वन को काटने वाली बात कई माननीय सदस्य कह रहे थे और मैं भी कह रहा हूं। वास्तव में जंगल लगाने वाली प्रक्रिया कम है और काटने वाली प्रक्रिया ज्यादा है।

जहां चरनोट की भूमि है, गोचर भूमि है, बिना नाम जमीन है, सीलिंग की जमीन है, उसके लिये हमने प्रस्ताव दे रखा है कि उसको वन विभाग में लिया जाय। उसकी लम्बी प्रक्रिया में पड़ जाते हैं। जो अवैध रूप से लकड़ी काटकर ले जाते हैं उससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। वन के अधिकारी मिल जाते हैं यह भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी इनके ऊपर दिया था। सन् 83-84 में 82-83 में और 81-82 में। सन् 80 में तो हम नये चुनकर आये थे सो मैं जानता नहीं था। हमारे क्षेत्र में वन हैं, वहां पर जंगलात है। 12-12, सौ, 15-15 सौ बीघा का बीड़ है। विभाग के जिम्मे यह जंगल दे रखे हैं। उसमें घास होती है। बरसात के दिनों में यह अधिकारी गलत आदमियों से मिल जाते हैं और उन गलत आदमियों को बारह सौ बीघा, पन्द्रह सौ बीघा के बीड़ में से एक एक बीघा दे करके उसको कटवा लेते हैं। इसलिए, सभापति जी, यह बहुत बड़ा नुकसान है। इतना जबरदस्त नुकसान है कि अकाल के वर्ष में अगर इस पर ध्यान दिया जाय तो निश्चित रूप से घास की काफी वृद्धि हो सकती है। बकी की जमीन पर काफी घास है पर जो सरकारी जमीन जंगलात विभाग के जिम्मे हैं उसमें घास का तुनकिया नहीं रहता इसका कारण क्या है ?

अवैध शिकार पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए भी मैंने कहा है। पहाड़ी क्षेत्र में वनों के विस्तार हेतु भी मैंने कहा है और उसमें बीजारोपण वाली बात भी मैंने निवेदन की है। बिना वृक्षों के बहुत पहाड़ियां हैं। उनकी जमीन देते नहीं हैं यह एक नियम बना रखा है। काफी जमीन पड़ी हुई है। यह क्या करते हैं ? चरनोट की भूमि, जहां हमारे मवेशी निकलते हैं, पर वृक्ष लगाना चाहते हैं। इसका भी हमने विरोध किया। वन मन्त्रीजी पहले थे गोविन्द सिंह जी, इनके सामने मैंने बात भी रखी जब ये हमारे क्षेत्र में आये थे। मेरे भी समझ में नहीं आता कि जहां से हमारी गायें हमारे मवेशी रोज निकलते हैं जिनसे किसानों को तकलीफ है वहां जंगल लगाना चाहते हैं और जहां जगह इतनी पड़ी हुई है उसमें ये वृक्ष नहीं लगाना चाहते। तो मैंने इसके लिए भी, ध्यानाकर्षण किया है कि ऐसी जमीन जहां पर बगैर पैसा लगाये पेड़ लगते हैं और किसान भी राजी हैं उनसे सुझाव लेकर अगर लगाते हैं तो इस तरीके से वन पनपेंगे और वह भी लोग मदद करेंगे।

(श्री बिहारी लाल पारीक)

होता यह है कि आपस में विरोधाभास कर देते हैं।

पंचायत के लिए भी काफी प्रस्ताव हैं और कई पंचायतों को रुपया भी दिया गया है। एन.आर.ई.पी. के तहत भी सरकार खर्च कर रही है जिसमें 50 प्रतिशत तो हिन्दुस्तान सरकार देती है और 50 प्रतिशत राजस्थान सरकार खर्चा करती है। आपको ग्रामीण रोजगार योजना के तहत भी काफी पैसा दिया जाता है और अकाल के तहत भी मैं समझता हूं काफी बजट इसमें लगता है। हम लोग भी ध्यान दे करके उनको तार लगाना है तो लगा दें। परन्तु होता यह है कि गांव वालों को जहां तकलीफ है वहां तो यह लगाना चाहते हैं। उसमें तकलीफ यह है विरोधाभास यह है, ध्यानाकर्षण इसलिए किया मैंने कि गांव वालों को ईर्ष्या हो गई है, गांव वालों के मन में यह बात पैदा हो गई है कि गांव की बकरियां, भेड़ें या गायें वहां घुस जायेंगी। ये इस तरीके से हमको लूटने के लिए करते हैं। वह गांव वालों के कपड़ें तक खुलवा लेते हैं, उनकी घोड़िया ले लेते हैं, उनकी छड़ी ले लेते हैं, उनके कम्बल उतरवा लेते हैं।

इसके अलावा मैं समझता हूं, यह क्या है, राज हमारा है और वन विभाग का एक मामूली अधिकारी जो केटल गार्ड होता है, उन गांव वालों को इस तरह लूटता है कि कांजी हौज में बड़ा देते हैं जानवरों को जब कि जगलात कहां है पंचायतों की, दूसरी तहसील में हैं। मेरे क्षेत्र का किस्सा है, गोलचा, चत्ररका मांडल में पंचायत में जा करके उनकी भेड़-बकरियों को बड़ा दी तो बड़ी तकलीफ हुई। मुझे पता चला तो मैं गया उसके पहले उनको लूट लिया गया। इन्होंने कई तरीके से व्यवस्था कर रखी है। इनके फोरेस्ट गार्ड भी पुलिस के रूप में रहते हैं और गांव वालों से भी ये मिल जाते हैं। दोनों मिल करके लूटते हैं। अभी जो आपको किस्सा कह रहा हूं, मेरे यहां गोरके बीड़ है, धुम्राला बीड़ है, सूरगति बीड़ है और दौलपुरा बीड़ है। इन बीडों में अवैध रूप से चराई लेते हैं. वैध रूप से चराई नहीं लेना चाहते। यह वृक्षारोपण का बहाना बना करके बड़े-बड़े बीड़ हैं बारह-बारह सौ, पन्द्रह-पन्द्रह सौ बीघा में। गोरका की जानकारी दे रहा हूं आपको, वहां 12 सौ बीघा का बीड़ है, इन्होंने एक रुपया बीघा में उस बीड़ को दे दिया और कह दिया कि इसका घास काटा जायगा। मैंने जाकर खुद देखा है। इनका जो डी.एफ.ओ. होता है, पहले डी.एफ.ओ. की पोस्ट भीलवाड़ा में नहीं थी चित्तौड़ में थी. अब डी.एफ.ओ. की पोस्ट वहां हो गई, स्टाफ इनका वहां रहता है, इनके वन संरक्षक वहां रहते हैं, इनके कई लोग रेन्जर तीन-तीन चार-चार वहां रहते हैं और उस जंगलात में कई इनके कैटल गार्ड रहते हैं जिनमें तुनकिया घास का नहीं रहता है और फिर बीघा की चराई में देते हैं, यह कौनसी बात हुई ? 1200 बीघा के बीड़ को 1200 रुपये में देते हैं एक रुपया एक बीघा का पड़ता है, मैं समझता हूं यह क्या बात है, इतना अन्धेर कैसे है ? इनके ऊपर के अफसर भी जानते होंगे, इनके कन्जर्वेटर को भी मालूम होगा, कन्जर्वेटर भी देखते होंगे कि 12 सौ रुपयों में 12 सौ बीघा का बीड़ कैसे दिया। मैंने इसका विरोध किया, मैं गांव वालों का इकट्ठा करके वहां ले गया। मैंने पूछा भई, अपने यहां क्या होता है। साहब हर साल हम

(श्री बिहारी लाल पारीक)

बारह सौ पन्द्रह सौ रुपयों में ले लेते हैं फिर सात-आठ आदमी मिल करके आठ-दस हजार में बेच देते हैं। बीस-बीस, तीस-तीस हजार हम वन वालों को दे देते हैं और अन्दर से चराई ले लेते हैं। बकरी की चार आना चराई होती है। बकरियां हजारों की तादाद में होती हैं, गायें भी सैंकड़ों की तादाद में होती हैं, भेड़े भी सैंकड़ों की तादाद में होती हैं जिनकी चराई की व्यवस्था है। मैंने पूछा, जो व्यवस्था है सरकार की तरफ से, जो अधिकारी वहां से लेते हैं एक बकरी की चार आना चराई है, गाय का एक रुपया है, भैंस का दो रुपया है। पर, सभापति महोदय, तीन रुपया एक बकरी का इन्होंने वसूल किया है वहां से। आप हिसाब लगा लीजिए, हजारों बकरियों का पैसा वसूल किया होगा। मुझे पता चला तो मैं वहां के जो आपके डी.एफ.ओ. हैं उनको भी मौके पर ले गया, उनको मौके पर ले जाकर बीड़ बताया, मौके पर जाकर उनसे कहा कि आप अवैध रूप से चराई लेते हैं, हम वैध देना चाहते हैं, आप वैध लीजिये। उन्होंने कहा, साहब, हमने वृक्षारोपण कर रखा है और वृक्षारोपण हो जाने से इसमें वैध रूप से चराई नहीं हो सकती। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, मन्त्री महोदया, कि उनमें वास्तविकता यह थी कि अवैध चराई बराबर लेते रहे। आप हिसाब लगा लीजिये कि वृक्षों का कितना पैसा उन्होंने वसूल किया होगा। मैं समझता हूं, हजारों रुपया वृक्षों का उन्होंने वहां लिया होगा। हजारों रुपया तो वृक्षारोपण का इकट्ठा किया होगा और उसमें वृक्ष नाम की एक चीज नहीं है। डी.एफ.ओ. को बुलाकर एक वृक्ष बता दीजिये। आपने बताया कि नये लगा रहे हैं। चराई में छोड़िये, वह नहीं माने, हमने उसमें छोड़ दी मवेशी क्योंकि राज हमारा है और किसानों ने मुझे चुनकर भेजा है और इसलिए भेजा है कि उनकी व्यवस्था देखूं इस बात की कि अवैध चराई लें ये लोग, हम देना चाहें वैसे नहीं लें। मवेशी छोड़ दी और हमारे पर मुकदमें लगायें। मुझे मालूम है, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहने देना, इसी पर कट मोशन दिया है।

श्री सभापति : कृपया संक्षेप में कहें।

श्री बिहारीलाल पारीक : हम पर मुकदमे लगा रखे हैं। जानते हैं कि यह जन प्रतिनिधि आ गये तो हमको अगली पंचवर्षीय योजना में दुख देंगे। इन्होंने मुकदमें कब लगाये ? पार्लियामेन्ट के जब चुनाव हुए। मैंने इनसे लड़ाई मोल ली। 82–83 में लड़ा, 83–84 में लड़ा और 84–85 में लड़ा। जब हमारे इलेक्शन आये तो हम सब पर इन्होंने मुकदमें लगाये नाम जोड़-जोड़कर उन एजेन्टों से। उन मुकदमों को कोर्ट में दिया। मैंने विरोध किया और जन जागरण होने से यह नहीं लगा सके। लेकिन मैं जानता हूं कि उन्ही की कृपा से मैं यहां हूं अगर वह कृपा नहीं करते तो आज यहां बोल भी नहीं सकता था। आप हिसाब लगा लीजिये, यह उन जनप्रतिनिधियों को विधान सभा में जाने भी नहीं देना चाहते इसलिए मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया कि इसकी जांच होनी चाहिये। क्या कारण है कि 12-12 सौ, 15-15 सौ बीघा का बीड एक रुपये बीघा में दे देते हैं, चराई आप अलग लेते हैं, वहां पर हमारा विरोध करते

178

(श्री बिहारी लाल पारीक)

हैं तो जो यह कहते हैं यह राष्ट्रीय प्रोग्राम है, यह बहुत बड़ा प्रोग्राम है वृक्षारोपण का, वास्तव में है वृक्षारोपण नहीं होगा तो बरसात नहीं होगी और यज्ञ होना चाहिये इसमें दो राय नहीं है, अगर कोई वृक्ष काटता है तो मैं समझता हूं कि एक जीव को काटता है, एक आदमी को मारता है, पर यह कौनसा तरीका हुआ आपका कि आप लूटें अवैध रूप से और हमारी सुनवाई नहीं करें, इतना उपाय करें कि इलेक्शन के दिनों में तो आप हमारे चालान की व्यवस्था करें। इसलिये मैंने ध्यान आकर्षित किया था, मन्त्री महोदय, आपका। वहां पर आज चार साल से एक भी वृक्ष नहीं लगाया गया है। हमने पेड़ लगाने का विरोध नहीं किया है, हमने तो विरोध तो इस बात का किया है कि अवैध रूप से मत कटाइये, अवैध रूप से लोगों को मत जाने दीजिये, अवैध रूप से बकरियां मत जाने दीजिये, आप नियमानुसार काम करें। हमने कब कहा था कि आप वृक्ष मत लगाइये। आज राजस्थान के अन्दर अगर ऐसी जगह है कि जहां पर कोई आदमी नहीं पहुंच सकता है तो आप हवाई जहाज से बीज फैलाइये। हम चाहते हैं कि हमारे यहां पर वृक्ष खूब फूलें-फलें। पर इन्होंने यह जो तरीका अपना रखा है हम इसका विरोध करते हैं। इन्होंने राजस्थान सरकार के अन्दर यह बात फैला रखी है कि हम इसके विरोधी हैं। मगर सही बात यह है कि हम इसके विरोधी नहीं हैं। मैंने हमेशा इसका पक्ष ही लिया है।

हम कहते हैं कि आप ऐसी जगह पर वृक्ष लगायें जैसे नहर के किनारे हैं। जो हमने नयी नयी नहरें बनायी हैं वहां पर पेड़ लगायें। आप हमारे यहां जो मेजा फीडर है उसके किनारे-किनारे पेड़ लगायें। वहां तो, सभापति महोदय, एक भी वृक्ष नहीं लगाया गया। आपने जगह जगह पर खड्डे खोद दिये हैं जिसमें आपने पौधे नहीं लगाये हैं। जहां प्रकृति का हर साल प्रकोप रहता है वहां आप पौधे लगाते हैं तो उनको पानी नहीं मिलता है। जहां पानी मिलता है वहां पर अगर यह पौधे लगावें, नहरों के किनारे तो हम भी उनकी सेवा करें। हम भी चाहते हैं कि पेड़ पौधे लगें। वहां पर लोगों के मन में एक भय व्याप्त हो गया है। जहां लोग व ग आपके खिलाफ होते हैं वहां कई पंचायतों के अन्दर आपने भय व्याप्त कर रखा है पर हमने इसका विरोध नहीं किया है। हमारे यहां लोगों में यह भय हो गया है कि हमारे पंचायत वाले भी यह समझते हैं कि जंगलात में पौधे लगाये गये और अगर वहां कोई जानवर चला गया तो हमारे वृक्ष भी जायेंगे और हमारे जानवर भी जायेंगे और हमारे लोगों को यह जंगलात वाले लूट लेंगे। यह जंगलात वाले लोगों के साथ लूट-पाट करते रहते है। उनके जानवरों को भी रख लेते हैं।

सभापति महोदय, यह बात सही है कि हमारे यहां एक पंचायत है कालेरिया जहां पर एक गरीब आदमी की 10-20 भेड़ें तो चोरी चली गयीं और बीस भेड़ों में से 12 भेड़ इन लोगों ने रख लीं। तो सभापति महोदय, अगर 20 में से 12 भेड़ें किसी गरीब की चली जायें तो उसकी क्या हालत होगी। लोगों को डरा-धमका कर पुलिस और जंगलात वाले लूटते हैं। हमारे यहां पर कोई वृक्षारोपण के गांव वाले

179

(श्री विहारीलाल पारीक)

विरोधी नहीं हैं। पर स्थिति ऐसी बन गयी है कि वह लोग ऐसा महसूस करते हैं कि अगर जंगलात में पेड़ लग गये तो हमारे जानवरों को यह लोग ले जायेंगे।

श्री समापति : संक्षेप में, माननीय सदस्य संक्षेप में। कृपया समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल पारीक : समापति महोदय, मैं भी चाहता हूं कि आप मुझे रोक दें वरना मैं इसके विरूद्ध बोलूंगा तो फिर आप कहेंगे कि विरोध में बोल रहे हैं। बाकी विरोध जैसी बात नहीं है।

श्री सभापति : आप अपनी बात कहिये, विरोध पक्ष की इसमें क्या बात है।

श्री बिहारीलाल पारीक : समापति महोदय, स्थानीय और भौगोलिक दृष्टि से जो पौधे वहां लगाये जाने चाहिये वह पौधे विभाग द्वारा लगाये जायं। बाकी सिर्फ नाम करने के लिये कि हमने इतने पौधे लगाये, यह गलत है। वहां पर सच्चाई में पौधे होते ही नहीं हैं। आपको कहना चाहता हूं कि आप जो पौधे लगायें उनकी देखभाल की व्यवस्था भी करें. हम भी आपको सहयोग देने को तैयार हैं पर चरागाह की भूमि पर आप वृक्षारोपण नहीं करें क्योंकि इस कार्यक्रम से वहां के लोगों को भय हो गया है। उनको यह भय हो गया है कि अगर चरागाह में पेड़ लग गये और हमारे मवेशी वहां पर चले गये तो जंगलात वाले हमारे मवेशी ले जायेंगे। हमें उनको कीमत भी देनी पड़ेगी और मवेशी भी ले जायेंगे। तो इस भय, जो वहां पर लोगों में पैदा हो गया है, के लिये ध्यान आकर्षित किया है।

श्री समापति : माननीय सदस्य समाप्त करें। संक्षेप में समाप्त कर दें।

श्री विहारीलाल पारीक : सभापति महोदय, हम भी चाहते हैं कि हमारी वन सम्पदा बढ़े और जो वन सम्पदा नष्ट हो रही है उसको रोका जाय। हमने जो विरोध किया है वह इस बात के लिये है कि चार आने आप बकरी का मत लीजिये। उन्हें रोका जाय। आप आज वहां पर जो वृक्षों की अवैध कटाई हो रही है उसको रोकिये। आपके नाकों पर ऐसे लोगों को आपने बैठा रखा है कि वहां के. आदमी एक ट्रक दो-दो सौ, 400-400 रुपये देकर भर कर ले जाते हैं मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है पर यह बात कहना अशोभनीय है। आज वहां के तहसीलदार को 500 रुपये देकर ट्रक भरकर पेड़ों को काटकर ले जाते हैं। अगर कोई शिकायत कर देता है तो लोग कहते हैं कि आपने उनका विरोध मोल ले लिया है। वहां पर एक आदमी ने जाकर पुलिस में शिकायत की, उस व्यक्ति को 15 दिन तक पुलिस में पकड़े रखा फिर बाद में हम वहां पर गये और उसको छुड़ा कर लाये। मेरे क्षेत्र की यह हालत है। समापति महोदय यह सही बात है वहां कोई झगड़ा करले. आपको उदाहरण देना चाहता हूं मेरे निर्वाचन क्षेत्र का कि एक रेगर ने एक पेड़ को काट लिया और उस पर छप्पर डाल लिया। थाने में जाकर किसी ने रिपोर्ट की कि फलां व्यक्ति ने पेड़ काट डाला। उसको पकड़ कर जेल में डाल दिया। चार दिन तक वह जेल में पड़ा रहा फिर बाद में हम 20-25 आदमी गये और उसको जमानत पर छुड़ाकर लाये। तो मेरा यह निवेदन है, हम तो चाहते हैं कि हमारे यहां पर वृक्ष खूब फले-फूले पर जो हाय तोबा

(श्री बिहारीलाल पारीक)

मचा हुआ है, लोगों में इतना भय पैदा हो गया है, सभापति महोदय, में बराबर सन् 80 से इनका मुकाबला करता आ रहा हूं, मेरा इनसे मुकाबला हो रहा है मैं चाहता हूं कि मेरा इनसे मुकाबला नहीं रहे....

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री बिहारीलाल पारीक : सभापति महोदय, कई बातें ऐसी हैं वह मैं कहना चाहता हूं पर आपने दो-चार बार घन्टी बजा दी....

श्री सभापति : आप अपनी बात संक्षेप में कहें। कृपया समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल पारीक : कई बातें महत्वपूर्ण थीं, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता था...

श्री सभापति : आपने सभी बातें कह दीं। कृपया समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल पारीक : हम तो यही चाहते हैं कि हमारी वन सम्पदा खूब फले-फूले। प्रकृति हमारा विरोध करती है....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल पारीक : सभापति महोदय, अगर प्रकृति हमारा इसमें विरोध नहीं करें, तो हम भी इसमें सहयोग करेंगे। वन विभाग हमारा सहयोग करे यह जो भय का वातावरण बना हुआ है उसके लिये मैं यह चाहूंगा कि हमारे यहां पर वृक्ष लगाये जायं। मैं तो संजय गांधी ने यह कार्यक्रम दिया था उसके लिये यह कहना चाहता हूं, संजय गांधी तेरी याद में करते हैं हम वायदा, बातें कम करें और पेड़ लगायें ज्यादा।

श्री सभापति : यह बात ठीक है। बहुत अच्छी बात है।

श्री बिहारीलाल पारीक : सभापति महोदय, सुनो। मन्त्रीजी, लोग तो चन्द्रमा पर पहुंच गये हैं हम अभी रो रहे हैं कि हमारी मवेशियों को लोग पकड़ कर ले जा रहे हैं। हमारे लोगों में भय फैला हुआ है इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारे यहां पर गरीब लोगों में जो भय है उसको समाप्त किया जाय।

श्री सभापति : आप अपनी कविता क्या थी वह कहें।

श्री बहारीलाल पारीक : सभापति महोदय, "नानासा भी हरिया नानी चिल्या पड़या" तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि....

श्री सभापति : माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल पारीक : तो हम यह चाहते हैं कि लोगों में जो भय है उसको समाप्त किया जावे पेड़ खूब लगें, फले-फूलें ताकि हमारे यहां खूब वर्षा हो और लोगों को इसका लाभ मिल सके। हमारी वन सम्पदा बढ़े, यह भय का वातावरण समाप्त हो।

श्री सभापति : श्री देवीसिंह भाटी। आप अपने आसन पर से बोलें।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : यहां पर भीड़ है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : भीड़ कम हो जायगी। आसन पर आयेंगे तो अपने आप

(श्री सभापति)

व्यवस्था हो जायेगी। आसन को सहयोग करें।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, पूर्ण सहयोग करूंगा।

सभापति महोदय, आज फोरेस्ट की डिमांण्ड पर चर्चा चल रही है वैसे तो हर विभाग की मैं आलोचना ही करता रहता हूं....

श्री सभापति : आप आज प्रशंसा करेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : आप शायद समझ गये मेरी बात।

इस विभाग के कार्यों की जितनी भी प्रशंसा की जाय उतनी ही थोड़ी है। सभापति महोदय वैसे तो हर विभाग की यहां चर्चा होती है कि फलां आदमी इतने लाख रुपये खा गया, फलां इतने हजार रुपये खा गया। सभापति महोदय, ऐसी छोटी-मोटी बात पर तो मैं ध्यान ही नहीं देता। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, हमारे पश्चिमी राजस्थान में जहां मीलों तक छाया नजर नहीं आती थी वहां पर इस वन विभाग की वजह से जो रिजल्ट्स सामने आये हैं उसके लिये जितनी तारीफ वन विभाग की जाये उतनी ही थोड़ी है। सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय और मन्त्री मण्डल के सदस्यों को यह सुझाव देना चाहूंगा कि इसको प्रोत्साहित करने के लिये आप उद्घाटन करने तो जाते ही हैं लेकिन आपको कोई भी बुलावे या न्योता दे तो आप उसमें यह कहें कि मैं आपके यहां पर तभी चलूंगा जब कि आप वहां पर 11 पेड़ लगायेंगे अगर आप....

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप बुलावें तो सही।

श्री देवीसिंह भाटी : हमें तो आपको मौका ही नहीं देंगे।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : आप पेड़ लगायेंगे ?

श्री सभापति : आप यह तो बात निश्चित कह दें कि आप 11 पेड़ लगायेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : हर साल 11 पेड़ लगाता हूं विधायक नगर में।

श्री सभापति : वहां पर पानी देते हैं या नहीं ?

श्री देवीसिंह भाटी : आज भी वहां पर खड़े हैं।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं गंग कैनाल के किनारे जहां पहले रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखाई देता था स्टेट के जमाने में, वहां इन पांच सात वर्षों में दोनों ओर पेड़ लगाये गये, वह जब तैयार हो गये तो उनको काटा गया, उन्होंने उतना रिटर्न दे दिया जितना कि गंग कैनाल के बनाने में खर्चा आया था। वह सारा का सारा रिटर्न विभाग को दे दिया। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि कैनाल के किनारे या और जहां भी दूसरी जगह पर आप पेड़ लगावें, ज्यादा से ज्यादा लगावें तो वहां आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। इतना ही नहीं मैं तो यह कहता हूं

(श्री देवीसिंह भाटी)

कि आप जहां पर सूखा क्षेत्र है वहां पर भी पेड़ लगावें। जहां पर पानी की कमी रहती है वहां पर पानी उपलब्ध करकर पेड़ों को लगाया जाय। अगर आपने इसमें ढिलाई बरती, आपका विभाग इसको डिसकरेज करेगा तो निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम भी पीछे रहेगा। हाल ही में आपने बजट में इसके लिए प्रावधान किया है। पूर्व में जैसी योजना थी कि हम राजस्थान कैनाल की फर्स्ट स्टेज के बाद में सैकंड स्टेज में जैसे बिसलपुर ब्रांच है, चारणवाली ब्रांच है इसमें ज्यादा पेड़ लगायेंगे लेकिन इस वर्ष आपने कतई कोई बजट का प्रावधान नहीं रखा है। जहां पानी उपलब्ध नहीं है।

(5.21 म. प.)

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवाड़ी, उपाध्यक्ष पदासीन)

मेरी समझ में नहीं आता कि उस क्षेत्र के अन्दर कैसे पौधों को विकसित करेंगे। मैं यह चाहूंगा कि आप राजस्थान कैनाल की दूसरी स्टेज में जैसे बिसलपुर ब्रांच है, चारण वाली ब्रांच है या जैसलमेर जिले में ब्रांच और डिस्ट्रिब्यूटरीज हैं उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगायें। वहां पानी उपलब्ध है, आपका पैसा काम में आयेगा। इसका नतीजा जल्दी मिलेगा, आपको रिटर्न भी मिलेगा। इसके लिए राजस्थान कैनाल में वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी हमें मदद मिलती है। हमें काइंड के रूप में गेहूं तेल और अन्य खाद्य पदार्थ दिये जाते हैं वह मुफ्त में जाते हैं। उसके लिये एग्रीमेंट हुआ है कि जो भी आपसे इनकम लेंगे राजस्थान कैनाल और वर्ल्ड बैंक का फूड प्रोग्राम चल रहा है उसमें रिटर्न आती, उसमें भी आपको वन के लिए अलग से पैसा देंगे। इसके लिए फारेस्ट विभाग ने भी एक योजना बनाकर राजस्थान कैनाल बोर्ड को भेजी हुई है। 140 लाख रुपये की तीन वर्ष की योजना भेजी है जिसके लिए मैं यह चाहूंगा, राजस्थान कैनाल मंत्री बिराज रहे हैं वह ध्यान दें। वह नहरी वृक्षारोपण और चरागाह विकास के अन्दर विशेष रुचि रखते हैं। यह पैसा फूड प्रोग्राम के तहत इकट्ठा हुआ है वह वन विभाग को दे दें तो निश्चित तौर पर यह जो कार्यक्रम, योजना आपने बना रखी है जल्दी सफल होगी। मैं यह चाहूंगा कि जो योजना वन विभाग से राजस्थान कैनाल बोर्ड को बनाकर भेजी हुई है उसके लिए आप विशेष तौर से ध्यान दें। उसको मदद देंगे तो निश्चित तौर से कार्यक्रम जल्दी सफल होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां राजस्थान कैनाल क्षेत्र में जो नई योजनायें चालू की गई हैं उसमें लेफ्ट बैंक की तरफ दो किलोमीटर क्षेत्र से हम पेड़ और चरागाह विकसित करेंगे। उसमें एक दिक्कत आपके सामने जरूर आ रही है, मैं भी सोच रहा हूं कि कैसे पेड़ आप कामयाब करेंगे, क्योंकि लैफ्ट बैंक आपका लिफ्ट क्षेत्र में आता है सिर्फ आप फेंसिंग कर देते हैं। तो धीरे-धीरे विकास होगा। आप उसके लिए अलग से प्रोविजन रखें, पाइप लाइन के द्वारा, लिफ्ट करके स्प्रिंकलर्स के द्वारा विकास करें। अगर वह क्षेत्र विकसित करना चाहते हैं तो अलग से बजट प्रोविजन रखना पड़ेगा वरना यह जो योजना बनी है कैसे कामयाब होगी जिसके अन्दर टेरिटोरियल आर्मी भी सहयोग

183

(श्री देवीसिंह भाटी)

दे रही है आपके पास दो किलोमीटर क्षेत्र के अन्दर पाइप लाइन के लिये, पैसा है इसलिये यह कैसे कामयाब होगी।

दूसरा, आपकी योजना जल्दी बने। अगर धीमी गति से काम चलेगा तो मैं समझता हूं कि एक सदी तक काम पूरा नहीं होने वाला है। मैं चाहूंगा कि वन विभाग को इसके लिये आप पूरा पैसा दें। मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि आप जितना ज्यादा वन विकास के ऊपर जोर देंगे आपकी जितनी समस्यायें हैं, उनमें पचास प्रतिशत समस्यायें निश्चित रूप से अपने आप समाधान हो जायेंगी। जैसे हम देखते हैं कि अभी मारवाड़ से रोजगार के लिए मजदूरी के लिए लोग हमारे गंगानगर जिले और बीकानेर जिले में आते हैं और इसी वन विभाग के अन्दर उन्हें सबसे ज्यादा मजदूरी मिलती है और वह अपने दिन निकालते हैं। इसके ऊपर ज्यादा जोर दीजिये ताकि चाहे ईंधन की समस्या है, चाहे पर्यावरण की समस्या है चाहे दूसरी छाया की समस्या है, जो भी समस्या है हर समस्या का समाधान हो सकता है। मैं चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा वन के ऊपर जोर दें। राजस्थान कैनाल के क्षेत्र के अन्दर जितनी जल्दी पैसा देने का प्रोविजन करेंगे, उतनी जल्दी यह क्षेत्र विकास करेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इतनी जल्दी नहीं। आपके आसन पर विराजने से कुछ समय पहले ही मैंने बोलना शुरू किया है।

इसके साथ ही एक सबसे बड़ी समस्या और आ रही है। राजस्व विभाग को राजस्व क्षेत्र के अन्दर अधिकार दे रखे हैं कि उसके क्षेत्र के अन्दर कोई पेड़ काटता है तो उसके लिए वह अपना मुकदमा करके कार्यवाही कर सकता है लेकिन फोरेस्ट विभाग को आपने सीमित क्षेत्र में बांध कर रख दिया है। उसको पूरे अधिकार नहीं दिये। तो मैं चाहूंगा कि कानून में जो भी आवश्यक संशोधन करना हो वह करके फोरेस्ट विभाग को जब तक आप कानूनी अधिकार नहीं देंगे उनके खिलाफ मुकदमा करने का तब तक कुछ नहीं होने वाला है। कई बार ट्रक के ट्रक और गाड़ियां भरकर जाती हैं। वन विभाग वाले प्रयास करते हैं, कार्यवाही करते हैं लेकिन उनको पूरे अधिकार नहीं हैं इसलिए वह नहीं रुकती हैं। जब तक उनको पूरे अधिकार नहीं देंगे सिर्फ राजस्व विभाग के ऊपर छोड़ देंगे तो इसका समाधान नहीं होने वाला है। पेड़ काटने से रोकना हमारे लिये जरूरी है इसलिये मैं चाहूंगा कि आप फोरेस्ट कानून में संशोधन कराकर उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार दें जिससे जो जंगल काटे जा रहे हैं वह रोके जा सकें।

इसके साथ ही मैं मन्त्री महोदय को यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि इसके लिए कोई विशेष प्रयास नहीं हो रहा है। जैसे हमारे सुन्दरलाल बहुगुणा ने एक "चिपको" आन्दोलन चला रखा है उसके प्रचार के लिए भी आप राजस्थान के अन्दर ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिये। लोगों तक यह बात पहुंचाइये, उनको समझाइये। अगर उनके दिमाग में यह बात बैठेगी तो वह सहयोग देंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजस्थान के जोधपुर जिले के अन्दर खेज-

(श्री देवीसिंह भाटी)

ड़ली में प्रस्तुत हुआ था। पेड़ों से चिपक चिपक कर 363 लोगों ने जान दे दी थी सिर्फ पेड़ बचाने के लिए। इस प्रकार आप इस आन्दोलन का प्रचार राजस्थान में करेंगे तो जो लोग-बाग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं वह पूरा सहयोग देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे बीकानेर में भीणा शहर में गोचर भूमि है जिसके अन्दर वन विभाग को धोखाधड़ी देकर वह पेड़ लगाने के लिए ले गये कि वहां हमारी निजी भूमि है, वहां पेड़ लगायेंगे। वह 15 हजार पौधे व्यर्थ में गये, काम में नहीं आये। वह जान बूझकर वन विभाग को धोखा देना चाहते हैं और उन्होंने धोखा दिया भी। वह पन्द्रह हजार पेड़ खतम हो गये। वन विभाग ने गृह विभाग को इसके बारे में सूचना दी लेकिन आज तक कार्यवाही नहीं हुई, मुकदमा विचाराधीन है। मैं यह चाहूंगा कि गृह विभाग के ऊपर वन विभाग दबाब डाले कि हमारे विभाग के साथ जो धोखाधड़ी की है उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में भी राजस्थान कैनाल क्षेत्र में समस्या है कि आपको जितनी जमीन की आवश्यकता हो, लीजिये। इसके लिये लैंड एक्वीजिशन एक्ट बना हुआ है। जैसे ही आपको जमीन की आवश्यकता होती है उससे पूर्व सम्बन्धित विभाग चाहे रेवेन्यू विभाग हो, चाहे कालोनाइजेशन विभाग हो, जमीन को एक्वायर नहीं करते हैं। तो जिस काश्तकार की जमीन उस क्षेत्र में आ जाती है उसको न मुआवजा मिलता है, न दूसरी जमीन मिलती है। मैं चाहूंगा इसके लिए विभाग सजग रहे। आपको जमीन लेनी है तो पूर्व में वह कार्यवाही कर लें, इससे काश्तकार के सामने कोई समस्या नहीं आयेगी।

इसी प्रकार आप नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर जमीन लेते हैं। मैं यह चाहूंगा कि पूर्व में कार्यवाही हो जाये तो काश्तकार के साथ अन्याय नहीं होगा। इसके साथ ही थोड़ी किसान के साथ यह भी ज्यादती करते हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं, हालांकि आपके पास बजट की कमी होगी लेकिन जहां भी आपने नर्सरी लगाई हैं चाहे आप रोड साइड में प्लांटेशन करते हैं, चाहे आप कैनाल साइड में प्लांटेशन करते हैं लेकिन फेंसिंग पूरी नहीं करते हैं। फेंसिंग आपने नहीं की, हमारे क्षेत्र का पशुधन वह खुला चरता है, खुले चरते हुए कभी-कभार वह आपने जो भी नर्सरी लगाई हैं उसके अन्दर घुस जाता है। आपकी जो दरें हैं, जो पैनल्टी लगती है वह बहुत ज्यादा होती है। मैं यह चाहूंगा कि पहले फेंसिंग की व्यवस्था करें। तारों के लिए आपके पास बजट नहीं है तो कम से कम कांटों की बाड लगायें जिससे फोरेस्ट की जो प्रापर्टी है उसकी सुरक्षा हो जाये और उनके ऊपर जबर्दस्ती जो पैनल्टी लगती है, बहुत ज्यादा रेट के साथ वह भी नहीं लगे। मैं चाहूंगा

(श्री देवीसिंह भाटी)

इसके लिए आप पूरी व्यवस्था करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही आपने जो भी पश्चिमी राजस्थान में पेड़ लगाने चालू किये हैं उसमें आप यह भी विशेष तौर से ध्यान दें कि कौन से पेड़ जल्दी आपके डवलप हो सकते हैं उस वातावरण में जहां कि कम बारिश होती है । वहां कौन से पेड़ लग सकते हैं उनके ऊपर आप ज्यादा जोर दीजिए । पेड़ तो आप जल्दी लगा लेते हैं, मुफ्त में भी वितरित करते हैं और काश्तकार इसके लिए रुचि लेकर लगा भी रहे हैं लेकिन उसके साथ ही आप विशेष तौर पर वह पेड़ लगाइये जो फलदार हों और साथ में ऐसे भी वृक्ष लगाइये जिनसे ज्यादा से ज्यादा ईंधन मिल सके । तभी उस क्षेत्र की समस्या का समाधान हो सकेगा ।

तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं । मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं कि आपने जो इसके लिए वर्तमान में भी 85-86 में बजट का प्रोविजन किया है वह बहुत कम है । मात्र 19 करोड़ रुपया किया है । मैं यह चाहता था, पिछली विधान सभा के अन्दर भी मैंने यह कहा था बजट के ऊपर कि जब तक आप फोरेस्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बजट का प्रोविजन नहीं करेंगे आपकी समस्यायें जल्दी समाधान होने वाली नहीं हैं । मैं आपको निश्चित तौर से कहता हूं और आप स्वयं भी जानते हैं कि फोरेस्ट के ऊपर ज्यादा आप बजट देंगे तो आपकी आधे से ज्यादा समस्यायें अपने आप समाधान हो जायेंगी इसलिए मैं चाहूंगा कि आप फोरेस्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बजट का प्रोविजन कीजिए और जो पेड़ काटे जा रहे हैं, आलरेडी जो नेचुरल पेड़ लगे हुए हैं उनको कटने से आप कानून के अन्दर संशोधन करके बचाइये ।

मैं आखिर में यही निवेदन करना चाहता हूं कि वन विभाग का कार्य सबसे अच्छा, सुन्दर है और इतने थोड़े अरसे में जो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स बतायें हैं वह वाकई में प्रशंसनीय है । मैं दक्षिण और पूर्व की बात नहीं करता । मैं पी. ए. सी. के साथ गया था उदयपुर डिविजन में, वहां भी यह कार्यक्रम चल रहे हैं लेकिन जब तक आपके पास बजट नहीं होगा जब भी हम वहां जाते हैं तो कहते हैं कि नंगी पहाड़ियां हैं पेड़ काट दिये गये हैं इनको जल्दी से डवलप कीजिए लेकिन जवाब यह आता है कि बजट नहीं है । इसलिए मंत्री महोदय इस बार तो आपसे कुछ होना जाना है नहीं, अगली बार आपके पास ही यह विभाग रहे हम यह भी चाहते हैं लेकिन आपका नेक्स्ट बजट 86-87 का आये तो इसके लिए अभी से प्रयास किये जायें कि वन विभाग को ज्यादा से ज्यादा बजट मिले । कार्यक्रम जल्दी से जल्दी सफल हों और रिजल्ट लोगों के सामने आयें तभी वह समझेंगे कि पेड़ों से क्या फायदे हैं और कितना लाभ इसका मिल रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री थानसिंह मीणा ।

श्री थानसिंह मीणा (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 9 पर मेरे जो कटौती प्रस्ताव हैं उनके ऊपर बोलना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार वन सम्पदा की सुरक्षा के लिए, विस्तार के लिए और विकास के लिए काफी

(श्री थानसिंह मीणा)

प्रयत्नशील है इसमें कोई सन्देह नहीं है। राजस्थान सरकार इस वर्ष इसके ऊपर 19 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। विश्व बैंक के जरिये इस वर्ष सरकार ने जो एक योजना बनाई है उसके ऊपर 39 करोड़ रुपया खर्च करेगी। इस वर्ष 3।। करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान है इस बार राजस्थान में कम से कम 7।। करोड़ वृक्ष नये लगाये जाने की सरकार की मंशा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि आजादी के पहले 40 प्रतिशत धरती पर वृक्ष थे अब यह घटते घटते 9 प्रतिशत के करीब धरती पर ही वृक्ष रह गये हैं। एक तो सही बात यह है कि जहां जंगल हैं वहां पर ज्यादा पैसा खर्च करते हैं रोड बनाने में। हमारे यहां खुले जंगल हैं। वहां किस प्रकार का कोट नहीं है उनके चारों तरफ। इतना पैसा कहीं फेमिन में नहीं मिला पैसा जरूर मिला था लेकिन उसके बाद में जहां वृक्ष हैं उनके चारों तरफ कोट होनी चाहिए वह आज की तारीख में नहीं है। कोट नहीं होने की वजह से अक्सर हमने देखा है कि ज्यादातर इसमें भ्रष्टाचार होता है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है इस बात का कि हमारे यहां एक गेम सैंक्चुरी है, कहीं काश्तकार की भेड़, बकरी और गाय चरती हैं तो जो फोरेस्ट में डेली वेजेज वगैरह पर हैं वह जंगल में यह जानवर डाल देते हैं और नाजायज पैसा वसूल करते हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि एक तो फोरेस्टर का काम यही है कि फर्जी रसीदें देना। ज्यादातर जंगल की बरबादी का कारण यही है कि वहां पर पुराने स्थानीय लोग हैं जो वहां जमे हुए रहते हैं। मैंने पहले मन्त्री महोदय से निवेदन किया था कि हमारे यहां एक फोरेस्टर पटेल है उसका काम ही, उपाध्यक्ष महोदय, यही है कि काश्तकारों के कहीं गन्ने के खेत हैं, कहीं गन्ने का गुड़ बनता है उस समय गुड़ की भेलियां लेना, उसके बाद में पैसा वसूल करना, उसके बाद में काश्तकारों से अनाज इकट्ठा करना। उसका काम ही इस प्रकार का है। इस प्रकार के लोग मिलकर जंगल को बरबाद करवाते हैं, जंगल को कटवाते हैं। मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के स्थानीय लोगों को वहां रहने नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि उनके पास मिल जुल कर जंगल की बरबादी और उसको कटवाने के सिवाय और कोई काम नहीं है।

हमारे यहां गेम सैंक्चुरी है, आप देख लीजिए यह हालत वहां पर है कि अन्दर की साइड में कोई वृक्ष नहीं है, सिर्फ रास्ते रास्ते पर विलायती बबूल है। न किसी प्रकार की इमारती लकड़ी के वह काम आ सकता है और न जलाने के ही काम आ सकता है। यह बात जरूर है कि हमारे मन्त्री जी इसको देखते हैं कि जगल बहुत अच्छा पनप रहा है। यही हालत है जंगलों के बारे में। आज से दो महीने पहले वहां गेम सैंक्चुरी में आग लगी उसको एक महीने तक कोई बुझाने वाला नहीं मिला। कोई इत्तला देने वाला नहीं आया क्योंकि गांव वालों के साथ लोगों का व्यवहार ठीक नहीं है। इसलिए वह आग बुझाने नहीं जाते हैं और यही वजह है कि जंगल की ज्यादा बरबादी हो रही है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि जब जंगल में आग लगे तो

187

(श्री थानसिंह मीणा)

उसको बुझाने के लिए कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए ।

इधर सलूम्बर क्षेत्र में देखा है कि पहले जंगल के अन्दर आदिवासियों को निःशुल्क उनके मकान के डांडे मिलते थे और जेवड़ी बनाने के लिए बांस मिलता था और हल वगैरह के लिए सब कुछ मिलता था लेकिन सरकार ने पांच-सात साल से आदिवासियों को जो निःशुल्क सुविधा दी गयी थी, उसको बंद कर दिया है । हमारे मेवाड़ का तो दुर्भाग्य है क्योंकि राजस्थान के आदिवासी मेवाड़ के अन्दर रहते हैं जिनके सौ फीसदी मकान कच्चे ही हैं, किसी के पास तो कच्चे भी नहीं हैं, हम तो सबसे पहले यही बात करते हैं कि हमारे इलाके के अन्दर पहले निःशुल्क डांडे मिलते थे लेकिन अब इन्होंने बंद कर दिया है । उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी अधिकारी और सरकार हमारे ऊपर कलक लगाती है कि आदिवासी जंगलों को बरबाद करते हैं । मैं कहता हूं कि आदिवासी जंगलों को बरबाद नहीं करते हैं, यह तो वहां के ठेकेदार लोग करते हैं । ठेकेदार लोग हैं वह सरकारी अधिकारियों से मिलकर जंगल की बरबादी करते हैं । आदिवासी भूखों मरते हैं तो लकड़ी थोड़ी बहुत लाकर बेच देते हैं रुपया–डेढ़ रुपया में और अपना निर्वाह करते हैं । मेरे जैसे काश्तकार के पास भी 5 बीघा जमीन है । मैं कहता हूं कि काश्तकार को अपनी जरूरत की चीजें लेने के लिए निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए जो व्यवस्था पहले थी । यही वजह है कि छोटी-छोटी चोरियां करते हैं बाकी बड़ी चोरियां उस इलाके में आदिवासी नहीं करते हैं । मेरा आपसे यह निवेदन है कि सलूम्बर सब-डिविजन है, वहां फोरेस्ट का रेंज आफिस है वहां पर पहले डांडे दिये गये लेकिन इस वर्ष काश्तकारों के साथ बड़ा अन्याय किया है । इस प्रकार से डांडों से वंचित करना मेरे इलाके में उचित नहीं है । मेरा आपसे निवेदन है कि इनको घर ढकने के लिए अच्छी सुविधा दी जानी चाहिए और ऐसी सुविधा नहीं मिल सकती है तो हमारे लिए यह सबसे बड़ा दुःख है ।

सड़कों के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे या नहर के किनारे पेड़ लगाने की राजस्थान सरकार ने एक योजना बनाई है इसके अन्दर ग्रामीण जो चयनित परिवार हैं उनको भी वृक्ष देंगे । मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे वृक्ष देने चाहिये जिनसे उनको कुछ आर्थिक लाभ मिल सके । उनमें कुछ बबूल है उसके बाद कुछ सागवान है, कोई नीम का पेड़ है, महुए का पेड़ है । इस प्रकार से जो ऐसे पेड़ हैं जो आने वाले टाइम में 10 साल, 20 साल में अच्छी आमदनी दे सकते हैं उनकी आर्थिक हालत को सुधार सकते हैं उन पेड़ों को बोने के लिये देना चाहिये. यही मेरा आपसे निवेदन है ।

हमने यह देखा है कि जहां भूमि है, राजस्थान सरकार की योजना है कि वहां काश्तकार को भूमि अलाट करके उसके नाम का पट्टा दें फिर उसके बाद उसमें वृक्ष लगाने के लिये दें । सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है । लोगों के पास वृक्ष लगाने के बाद में पानी पिलाने का साधन नहीं होता । 50 एकड़ पर अगर उन्होंने वृक्ष लगाये तो बहुत से ऐसे वृक्ष हैं जो पानी के बिना सूख जाते हैं, ऐसी जगह पेड़ को गर्मी के दिनों में पानी पिलाने के लिये सरकार के पास कोई न कोई सुविधा हो चाहे कुओं से

(श्री थानसिंह मीणा)

हो, चाहे पानी की सप्लाई से करें उनको जिन्दा रखने के लिये जरूरी है। राजस्थान में इतने करोड़ पौधे लगाने की हम योजना बनाते हैं लेकिन इसके अन्दर में 25,20 प्रतिशत से ज्यादा पौध चल नहीं पाते हैं। आपसे यही निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासियों का जंगल से बहुत बड़ा संबंध है इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है। हमारा क्षेत्र ज्यादातर जन-जाति का क्षेत्र है। उसमें वर्मा जी उस समय में बहुत अच्छे पुराने नेता रहे हैं। यह आदिवासी भील उस समय कहा करते थे। भैरोंसिंह जी का राज आया तो वनवासी हमारा नाम पाट दिया, सुख-सुविधा तो कोई मिलती नहीं। कोरा नाम बदलने के अलावा कोई नारा नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि आदिवासी को जहां जो भी उत्पादन हो, 15-20 दिन छूट दे देनी चाहिये ताकि वे घास ला सकें। सूखी लकड़ी आदिवासियों को दी जानी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जो गोंद है, जो सेन्द है इसका दूसरे लोग आ करके ठेका ले लेते हैं। यह तेन्दू के पत्ते हैं इसका भी दूसरे आदमी आ करके ठेका ले लेते हैं और आदिवासियों, जो वहां के रहने वाले हैं ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

को कोई पत्ता तोड़ने का राइट नहीं है। हम टोमाड़ा बनाने के लिये और खाखड़े के लिये पत्ते लेने जाते हैं तो हम आदिवासियों पर दण्ड किया जाता है। इस प्रकार टींगड़े के जो पत्ते हैं और जो चीजें हैं, जो उत्पादन जंगल का उनको आदिवासियों को निशुल्क दिया जाना चाहिये। इसका जो ठेका है वह उनको दिया जाना चाहिये। यह मेरा आपसे निवेदन है।

अन्त में आपने मुझे समय दिया उसके लिये धन्यवाद।

जय हिन्द !

श्री उपाध्यक्ष : श्री यदुनाथ सिंह।

श्री कमला भाई : मेरा नाम है क्या ?

श्री देवीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा नाम भी दिया हुआ है, देवीलाल का।

श्री उपाध्यक्ष : 10-10 मिनट बोल लें।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : No body can take relevance for more than 5 minutes.

पांच ही मिनट लूंगा, उपाध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जब यदुनाथ सिंह जी बोल रहे हैं तो आपको बीच में टोकना अच्छा नहीं। टोक रहे हैं आप।

श्री यदुनाथ सिंह : चाहे हमारा साहित्य देखिये, चाहे पेन्टिंग देखिये, चाहे हमारा संगीत देखिये और यहां तक चाहे हमारी आर्कियोलाजी देखिये आपको उसमें तलैया का जिक्र मिलेगा, आपको उसमें कुंज का जिक्र मिलेगा आपको उसमें पपैया का जिक्र मिलेगा, उसमें कोयल का जिक्र मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि आदि-काल से ही हमारे देश में, हमारी भूमि में वनों और वन्य जीवों का एक महत्वपूर्ण

(श्री यदुनाथसिंह)

स्थान रहा है लेकिन ग्राज स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, जो स्थिति ग्राज बनी है उससे ऐसा लगता है कि ग्राने वाले समय में एक पीढ़ी बाद, दो पीढ़ी तीन पीढ़ी बाद हम इस तरह की भूमि छोड़-कर जाने वाले हैं, एक तरह इस प्रकार की इकोलाजी का सिस्टम छोड़कर जाने वाले हैं कि मनुष्य का जीना भी दूभर हो जायेगा। ग्राज स्थिति बड़ी विचित्र नजर ग्रा रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ वन-सम्पदा थी जिस तरह के जीव-जन्तु थे उनका हमारे समाज के जीवन में क्या महत्व था उसको हम भूलते जा रहे हैं ग्रौर ग्राज मनुष्य सबसे बड़ा दुश्मन इन दोनों चीजों का होता जा रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, जैसे जैसे मैकेनाइजेशन बढ़ता गया, हम इन चीजों का महत्व समाप्त करते चले गये, इसका महत्व कम समझते चले गये। ग्राज उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति क्या बनी है ? इस संसार के दूसरे देशों में भी इस प्रकार की स्थिति बनी लेकिन वहां पर बहुत तेजी से इस ग्रोर ध्यान दिया जाने लगा। इस साल में खुशी की बात है कि हमारे देश में ध्यान दिया जा रहा है परन्तु उतना नहीं दिया जा रहा जितना दिया जाना चाहिये था।

जो हमारे यहां के फोरेस्ट हैं उनके नष्ट होने के बहुत से कारण है। सबसे बड़ा कारण तो यह बना कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये हमें ग्रतिरिक्त भूमि की जरूरत पड़ी। यानि जो जमीन खेती के ग्रन्दर थी उसी में उत्पादन बढ़ाने का काम करते इसके बजाय हम वनों ग्रौर जो खाली जमीन पड़ी हुई थी उसको तोड़ने लगे। उनको जोत कर खेती के नीचे लाने लगे। जमीन पर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है जमीन ग्राज समाप्त हो चुकी है। उपाध्यक्ष महोदय, जितनी भी देश भर में खाली जमीन थी वह हम जोत कर नीचे ला चुके है। ग्रब जो प्रेशर है जो भी दबाव है चाहे वह चराई के लिये हो, चाहे खेती करने के लिये हो, वह ग्राज वनों के ऊपर है। इसके लिये पहले जो प्रीकाशन्स लिये जाते थे उससे बहुत ज्यादा भारी प्रीकाशन्स ग्राज लेने की जरूरत है। यानि ग्राज से 30,35 साल पहले ग्राजादी के समय में भी जो प्रीकाशन्स लिये गये थे उससे ज्यादा हमें सोचते रहने की ग्रावश्यकता है क्योंकि ग्रब चराई के लिये देख लीजिये, जमीन के झगड़े होते थे, ग्रेजिंग के लिये इस देश में झगड़े शुरू होंगे। पिछले कुछ दिनों से ग्रापने देखा होगा, ग्रेजिंग के लिये बहुत भारी झगड़े शुरू हुए। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य की जो स्थिति है वह बड़ी विकराल स्थिति है। चार तरह की हमारे यहां क्लाइमेट हैं। 60 प्रतिशत भाग यानी तो तिहाई भाग डेजर्ट के ग्रन्दर है यानी 40 पर्सेंट जनसंख्या डेजर्ट में रहती है उसके लिये हमको ग्रलग से प्रोजेक्ट बनाना होगा, ग्रलग से योजना बनानी होगी। ग्राज जो ह्यूमिड, सेमी ह्यूमिड क्लाइमेट हैं उसके लिये हमें योजना ग्रलग से बनानी पड़ेगी। राजस्थान केनाल के एरिया में हम कितना ही इन ह्यूमिन हो गये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, ग्रापको याद होगा, ग्रापकी तो बहुत बड़ी उम्र है, करौली से लेकर धौलपुर तक एक जोन हुग्रा करता था जहां शेर-बघेरे ग्रौर ग्रन्य जानवर बड़ी ग्रासानी से विचरण किया करते थे लेकिन ग्राज

(श्री यदुनाथसिंह)

स्थिति ऐसी नहीं है। आज उनको सिर छिपाने की जगह नही है। अभी मैं तीन चार दिन पहले गया तो वहां मैंने एक शेर देखा वह तड़फ रहा था। उसको कोई शल्टर की जगह नहीं। एक वहां लेपर्ड था और उसका एक बच्चा भी था कुछ दिन पहले आज उसको शैल्टर की जगह नहीं है। जिस जगह पहले भारी वन थे, जीव-जन्तु रहा करते थे वहां आज स्थिति यह बनी है। यही नहीं, आज जो स्थिति हमारे सामने बनी है उपाध्यक्ष महोदय, आज 45 हजार स्पैसीज वर्ल्ड की ऐसी हैं कि जिनको डेन्जर है। करीब करीब 50 लाख स्पीसीज आज खतरे के अन्दर गिनी जाती हैं और इस सेन्चुरी के अन्त तक एक मिलियन स्पैसीज इस पृथ्वी से लुप्त हो जायेंगी। यानी अगर आप एवरेज निकालें तो तकरीबन 70 हजार स्पैसीज प्रतिवर्ष लुप्त होती चली जायेंगी जीव-जन्तुओं की। 107 से 170 स्पैसीज प्रतिदिन हमारी पृथ्वी से इस तरह नष्ट होती चली जायेंगी। तो मनुष्य का जीना दूभर हो जायेगा। यह हो क्यों रहा है? यह इसलिये हो रहा है आज के जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हैं उनका अंधाधुंध बिना परिस्थितियों को देखे उपयोग कर रहे हैं। यों कई तरह से जमीन बरबाद हो रही है।

जो आप डेजर्ट की बात कर रहे हैं, डेजर्ट बढ़ता चला जा रहा है। पिछले समय माननीय मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे कि राज्य में डेजर्ट नहीं बढ़ रहा है। यह कह रहे थे कि नहीं बढ़ रहा है, कई रिपोर्ट्स कहती हैं बढ़ रहा है। डेजर्ट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है यह अलग बात है, उपाध्यक्ष महोदय, जो खेती में लगी हुई जमीन है वह खुद बखुद डेजर्ट बनती चली जा रही है। अन्धाधुन्ध हम खाद का प्रयोग कर रहे हैं, मैकनाइज्ड फार्म ट्रैक्टर से हम खेती कर हैं यानि गहरी बिजाई कर रहे हैं और जमीन जो नीचे से जोत हम निकाल रहे हैं उससे इरोजन हो रहा है जमीन कटती जा रही है। वेजीटेशन खतम हो रहा है। ट्रैक्टर से खेती कर के जमीन को बरबाद कर रहे हैं।

वन जीव-जन्तु का जहां तक सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, उसको शिकारियों ने बरबाद कर दिया। कई स्पैसीज ऐसी होंगी जिनको शिकारियों ने समाप्त किया है।

मनुष्य अपनी गलतियों के कारण उनको खतम करता चला जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, ट्रापिकल फोरेस्ट का जहां तक सवाल है, वह बहुत बुरी तरह हमारे यहां नष्ट हो रहा है। हमारे यहां दुनियामी नष्ट हुआ, हमारे यहां का बीहड़ बुरी तरह नष्ट हुआ और उसके न रहते वन्य जीव-जन्तु भी तहस-नहस हो रहे हैं, बरबाद हो रहे हैं। तो आज आवश्यकता है हमें कुछ कड़े कदम भी उठाने पड़ेंगे। जिस जमीन को अन्धाधुन्ध खेती के नीचे लाते रहे उससे देश की भुखमरी की समस्या का निदान नहीं हुआ बल्कि वह बढ़ती जा रही है। भूख तो और बढ़ती चली जा रही है। भुखमरी कम नही हुई देश में इसलिये हमें कुछ कड़े कदम भी उठाने पड़ेंगे. कुछ ऐसे एरियाज भी छांटने होंगे जहां पर हमें यह तय करना होगा कि इस एरिया में खेती नहीं की जायगी। मैंने पिछले दिनों इन्दिरा नहर मन्त्री जी से यहां एक सवाल के जवाब

(श्री यदुनाथ सिंह)

में छोटी सी बहस की थी और मैंने एग्रीकल्चर कमीशन की रिपोर्ट भी पढ़ी थी. जहां तक डेजर्ट डवलपमेंट का सवाल है. इन्दिरा नहर जहां से निकल रही है वहां पर खेती पर बिलकुल ध्यान मत दीजिये। यह आपको कड़ा कदम जरूर लगेगा और इसके लिये एक पालिटिकल विल की जरूरत है कि हम लोगों को जमीन अलाट नहीं करेंगे। कुछ सैक्शन को खुश करेंगे लेकिन आज इसकी जरूरत नहीं है। पास्चर लैण्ड डवलप कीजिये। वहां के ट्रेडिशनल प्लान्ट डवलप कीजिये। अगर आप खेती करेंगे तो थोड़े दिनों के लिये, सौ-दो सौ साल के लिये उस जमीन को डवलप कर सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली होगा क्या ? जो दुनियां के अन्य भागों में हमारे देश में हो रहा है वाटर लोगिंग होगी, खाद का प्रयोग होगा, ट्रेक्टर का प्रयोग होगा और उसके रहते फिर जमीन पर वेजीटेशन ऑफ प्लान्ट खतम हो जायेंगे और जमीन फिर इरोजन होने लगेगी। सोइल ऊपर आ जायेगी, जमीन तबाह होगी और फिर और भी ज्यादा भयकर रेगिस्तान हमारे यहां बन जायगा। इसलिये इस पर बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। इसको न दें खेती की दृष्टि से क्योंकि इसमें कभी खेती हुई नहीं और न ऐसी भूमि में खेती हो सकती है।

गंगानगर जिले के एरिया में हमने देखा भी है, उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। थोड़े दिन के लिये वहां का किसान बहुत प्रासपरस नजर आ रहा होगा, उपाध्यक्ष महोदय लेकिन वहां पर वाटर लागिंग और सेलिनिटी की इतनी भारी समस्या अभी से शुरू हो गई है। पंजाब में उपाध्यक्ष महोदय, देखिये, वहां इंटेंसिटी होगी 180 पर्सेन्ट। वहां क्या नतीजा निकल रहा है? जमीन में से अपने आप पानी ऊपर निकल रहा है और जमीन भयंकर रूप से तहस-नहस होने वाली है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे विषय पर हमें बहुत गहराई से सोचने की आवश्यकता है। लम्बे समय की योजना की बात हुई थी लेकिन आज जो हमें दिखाई दे रहा है उसको किस प्रकार से और अच्छी तरह सुधारें, किस प्रकार उसका रख-रखाव करें इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूं।

हमारे राज्य में 20 सैंक्चुरीज हैं और 30 रिजर्व एरियाज हैं। उनमें से कुछ सैंक्चुरीज तो संसार प्रसिद्ध हैं। रणथम्भोर लीजिये, घाना सैंक्चुरी लीजिये, जैसलमेर का पार्क लीजिये, अपना सिरिस्का लीजिये। इस तरह की कई सैंक्चुरीज यहां पर डवलप की जा सकती हैं। अभी चर्चा चल रही थी, जनता पार्टी के माननीय नेता बोल रहे थे कि वहां पर डायरेक्टर यह करता है, वह करता है। वह गलती करता है उसको तो उसको सजा मिलेगी लेकिन जिस प्रकार की सैंक्चुरीज आज हमें सवाईमाधोपुर की नजर आ रही है वह एक असेट है। मेरी बहुत से फारेनर्स से बात होती है, टूरिस्ट्स से होती है, वह सैंक्चुरी इस संसार की बहुत ग्रेट सैंक्चुरी में से एक हो गई है और होती चली जा रही है। वहां पर आप बड़ी आसानी से शेर देख सकते हैं, बड़ी आसानी से जो भी जानवर चाहे, देख सकते हैं जो वहां पर हैं। वहां के डायरेक्टर ने मेहनत की या नहीं दूसरा डायरेक्टर करता कि नहीं लेकिन आज जो आदमी दिख रहा है

(श्री यदुनाथ सिंह)

उसके काम की तारीफ भी करनी पड़ेगी क्योंकि सैंक्चुरी का जो काम है, ओब्लाइज किसी आदमी को कर नहीं सकता और ओब्लाइज कर नहीं सकता तो शिकायतें होती हैं। इसमें किसी को ओब्लाइज कर दें, वह काम नहीं है। इसलिये जिस तरह की यहां पर सैंक्चुरी हैं, मैं चाहूंगा उनको डवलप करें। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड की मीटिंग हुई थी और अभी भरतपुर माननीय मंत्री महोदय पधारे थे, मुझे पता लगा कि आप बन्ध बारेठा भी पधारे थे। बारेठा सैंक्चुरी का बहुत दिन से फैसला हुआ पड़ा है, कोर्ट ने रिकमण्ड कर रखा है गवर्नमेंट को, और भी सैंक्चुरीज को कर रखा है। आप एक कड़ा कदम यह उठायें, एक पालिटिकल विल यह लीजिये कि करौली से लगाकर धौलपुर के वन विहार तक सैंक्चुरी बनायेंगे। हम इतने क्रिमनल तो नहीं हैं कि 20 किलोमीटर का एक कारपेट भी नहीं छोड़ सकते हैं। लीजिये आप डिसीजन, दूसरी जगह बसाइये लोगों को। कहीं डेम बनाते हैं तब भी तो दूसरी जगह बसाते हो। तो आगे की सृष्टि जिन्दा रहे, इसके लिये यह आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा खास तौर से भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी के बारे में। पिछले दिनों आपने देखा...

श्री सभापति : शार्ट कट।

श्री यदुनाथ सिंह : बिल्कुल शार्ट कट, पाइन्ट की ही बात कहूंगा।

पिछले दिनों आपने देखा एक बड़ी अप्रिय घटना घटी। प्रश्न यह नहीं है कि वहां चराई हो कि नहीं हो। यह हमारा प्रश्न नहीं है, साइंटिस्टों के सोचने का प्रश्न है और मेरी तो आज भी मान्यता यह है कि वहां पर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिये, डोमेस्टिक कैटल को छोड़िये वहां पर वाइल्ड कैटल ही बहुत है। अब वहां के लिये लैण्डिग स्ट्रिप क्लियर चाहिये इसके लिये जरूरी तो नहीं है कि कैटल को ही घुसाकर उसकी लैण्डिग स्ट्रिप साफ करें। मैन पावर द्वारा साफ कराइये। मुझे दुख हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दिनों 8–10 दिन पहले सैंक्चुरी गया तो बुलडोजर वहां चल रहे थे। सैंक्चुरी में किसके खिलाफ यह बुलडोजर थे? घास काटिये, क्या करेंगे बुलडोजर? बहुत से अण्डे नष्ट होंगे, बहुत से प्लान्ट नष्ट होंगे। तो इस तरह की कार्यवाही कृपा करके नहीं करें तो बेहतर होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक फैसला हमें करना होगा, जितनी भी हमारी सैंक्चुरीज हैं या रिजर्व हैं उनके लिये आप एक नीति बनाइये कि 50 किलोतीटर के रेडियस में हम कोई भी चरागाह किसी भी सूरत में अलाट नहीं करेंगे, उनको डवलप करेंगे। यानि बफर जो हमको बनानी पड़ेगी तभी तो प्रेशर कम होगा न? तो यह फैसला सरकार को करना चाहिये। यह रिकमन्डेशन भी खड़ी है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड की भी और राजस्थान वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन बोर्ड की भी। एक एरिया डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इस तरह की जो सैंक्चुरीज की स्थिति है उसमें इतनी दूर तक हम किसी भी सूरत में चरागाह की

193

(श्री यदुनाथ सिंह)

भूमि को नष्ट नहीं होने देंगे और किसी को अलाट नहीं करेंगे। आपने तो देखा होगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री यदुनाथ सिंह : याद कीजिये झलक की रूंखड़ी, मान्दरा की रूंखड़ी, वातर की रूंखड़ी यानि कैटल को चराने के लिये जब तक आप दूसरे पाकिट्स नहीं बनायेंगे तब तक उन सैंक्चुरीज और फोरेस्ट को बचा नहीं पायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सैंक्चुरीज में कई कमियां मुझे नजर आती हैं। यानि जो पानी का सिस्टम है वह वहां तहस-नहस कर दिया गया। पानी देने की कोई व्यवस्था नहीं है। इरिगेशन और फोरेस्ट डिपार्टमेंट में कोआर्डिनेशन नहीं है। कब पानी चाहिये, प्लकिन कब करना है यानि जुलाई में होना चाहिये, एक बार सितम्बर, अक्टूबर में होना चाहिये। प्लकिंग रेगूलर नहीं होता है इसलिये घास नहीं होती है, ढंग से वहां प्लान्ट डवलप नहीं होता है। तो इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। अब सैंक्चुरी इतनी बड़ी है उसमें जब कभी कोई टूरिस्ट जाता है तो पानी पीने की कोई जगह नहीं है। तो उसके पानी पीने की व्यवस्था कीजिये। केवला देव पर आप कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था करिये। आपने व्हीकल बन्द करने का डिसिजन लिया, अच्छा लगा मुझे लेकिन जो परेशानियां हैं मैं देख रहा हूं कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं वे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं बड़ी किच किच करते हैं। सेठ-सेठानी घूमने भी वहां जाते हैं तो बहुत डिस्टर्बेन्स करते हैं। इसलिये आप अपने व्हीकल्स को वहां बढ़ाइये। जो ट्रेडीशनल प्लान्ट है वहां का, उसको फिर से लगाने की जरूरत है। माननीय सदस्य ने अभी जिक्र किया कि वहां तीन बार आग लगी। उसको आपके डिपार्टमेंट के बड़े अफसर जी कहते हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ, किसी को शील्ड करने के लिये यह जरूरी नहीं है। किसी की गलती से आग लगी हो या जान बूझकर, लगाई हो आग सबोटेज हो सकता है, वैसे भी आग लग सकती है लेकिन उसको आप जस्टिफाई किस प्रकार से कर सकते हैं। जंगल में आग लगी उसको जस्टिफाई कर आये भरतपुर जा करके और यहां से बयान निकाल दिये कि आग लग गई इसलिये घास दुगुनी तिगुनी हो गई। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इसके साथ कितनी और चीजें नष्ट हो गई? तो इस तरह के इमेजीनेशन से काम न लें आप, जो फेक्ट बात है वह कहिये।

(6.00 सायं)

इसको पाबन्द कीजिए और उसको बन्द करना है तो बन्द करिये। उसके रहते वाटर पाल्यूशन हो रहा है, उसके रहते सारा क्षेत्र तबाह हो रहा है। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए इतना चाहूंगा कि हमें फोरेस्ट के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए मास्टर प्लान बनाने की जरूरत है। ये नहीं रहे तो हम जिन्दा नहीं रह सकेंगे। इसलिए ज्यादा नहीं कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस परिप्रेक्ष में इसके महत्व को समझने की आज आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कमलाभाई।

श्री कमलाभाई : माननीय उपाध्यक्ष

(श्री कमलाभाई)

महोदय, मांग संख्या 9 वन पर मैं मेरे विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वन सम्पदा हमारे जीवन का एक अंग है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश के अन्दर 33 प्रतिशत भूभाग में वन होना जरूरी था। आज 9 प्रतिशत भूभाग के अन्दर वन हैं। यह बहुत दुःख की बात है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मैंने रेवेन्यू विभाग से आंकड़े लिए हैं, उसमें पचास प्रतिशत भूभाग में वन हैं। पर वहां की स्थिति क्या है। उदयपुर डिविजन के अन्दर आप अच्छी तरह से जानते हैं, अरावली पर्वत है जिसमें पचास प्रतिशत अरावली है और पचास प्रतिशत समतल भूमि है। आज जितने अरावली पर्वत हैं वह बिल्कुल नग्न हैं, वह वीरान हैं, उसमें कटाव हो रहा है। आज जो वृक्ष लगाए जाते हैं वह जहां समतल भूमि है उस पर लगाए जाते हैं। अरावली पर्वत पर वृक्ष हैं वह दिन प्रतिदिन कटते जाते हैं। और जमीन खुर्दबुर्द होती जा रही है। मैंने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया, साहब, यह जितना अरावली पर्वत है इन पर्वतों पर टैंक बना कर पौधे लगाये जावें ताकि यह अरावली पर्वत हरे भरे हो जावें और जमीन का कटाव नहीं हो सके। वन अधिकारियों का कहना था कि वहां पर हमारी गाड़ी नहीं जा सकती है। हम इन पर्वतों तक कैसे पहुंच सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जंगल आदिवासियों के द्वारा ही रह सकते हैं, यह मैं आपको वायदे के साथ कह सकता हूं। एक ढाई हजार एकड़ का जंगल था वह वन विभाग के अधिकारियों ने नहीं रखा मैंने बनाया। आप चाहें तो मैं हाउस के सामने शपथपूर्वक कह सकता हूं. मैं आपको बता सकता हूं कि वह हराभरा है। यह वन विभाग के अधिकारी हैं. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं वन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जंगलों को नष्ट कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र के अन्दर चालीस आरा मशीनें लगी हुई हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आदिवासी क्षेत्र से आरा मशीनें हटाई जावें पर वन विभाग के कर्मचारियों का कमीशन बन्धा हुआ है, इस कारण वह हरे भरे जंगल नष्ट होते जा रहे हैं। कोई एक बड़ा ठेकेदार वहां भयंकर जंगल के अन्दर बसा हुआ है वह आरा मशीन चलाता है। वहां से साजे बना करके बाहर भेजे जा रहे हैं। उस पर कोई कण्ट्रोल नहीं है। यह वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग के कर्मचारियों से जंगल नहीं रह सकते। जंगल तो गांव की जनता रखेगी। पंचायत के अन्दर सरपंचों को हिदायत दी जावे। वह अपने हर गांव हर पंचायत में कण्ट्रोल कर सकते हैं। आज आप देखते हैं कि हर जगह नंगी पहाड़ियां पड़ी हुई हैं। आज मेरे निर्वाचन क्षेत्र लसाड़िया, तहसील धारियावद और प्रतापगढ़ और सलूम्बर के अन्दर, उदयपुर डिविजन के अन्दर या तो केवड़ा की नाल में जंगल हैं या बोरड़ा और फलासिया में जंगल हैं। तमाम छोटे जंगल नष्ट हैं। क्या करते हैं, अधिक जोर कहां लगाते हैं कि साहब वे आदिवासी लोग जंगल नष्ट करते हैं। बेचारे आदिवासी कहां जंगल नष्ट करते हैं। वह अपने घर के लिए लकड़ी

(श्री कमलाभाई)

लाता है, चूड़ा लाता है, हल लाता है, उसके मकान के लिए लाता है। वह सिर पर लाता है। उसको पकड़ा जाता है, उसको मारा जाता है और उस पर जुर्माना किया जाता है। अभी का किस्सा बताता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र वारियविद में एक मर्डर हुआ। एक बड़ा ठेकेदार ट्रैक्टर लेकर रात को गया। उसने सालर के मोंगले काटे और सालर के मोंगले काट करके बाहर ले जा रहा था। इतने में दूसरे आदमी दौड़े कि भाई नहीं ले जा सकते। तो उसके पास मोटर साइकिल थी। उसका एक्सीडेंट हुआ और वह मर गया। मैं सरासर कह सकता हूं, मैं तो जंगल में रहने वाला हूं। मैं जानता हूं और इनकी खोटी-चोखी आपसे छुपी नहीं रखूंगा। इस वन विभाग के द्वारा जंगल कभी नहीं रह सकेंगे। यह वन को नष्ट करते हैं। वन नष्ट करके ये खुर्द-बुर्द कर जायेंगे। जो अरावली पर्वत है, इन पर्वतों पर वृक्षारोपण किया जावे। वह तभी हो सकता है जब जो विलायती बम्बूल है, इन बम्बूलों को अरावली पर लगाया जावे, वह पनप सकें, उसके बाद दूसरे पौधे पैदा हो सकेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, व्यापार मण्डल के द्वारा जो कटाई की जाती है, आज जहां पर जो जंगल काटा गया है उस जंगल पर कोई पौधा नहीं है। लक्ष्य तो रखा गया था कि एक पौधा काटा जाएगा, उसकी जगह दो पौधे लगाये जायेंगे। आपके वन विभाग के अधिकारी महोदय सब विराजे हुए हैं, मैं बता सकता हूं कि आपने सलोदनी कूप के अन्दर जंगल काटे हैं व्यापार मण्डल द्वारा, उस जगह कितने पौधे पनपे हैं ? उस जगह एक भी पौधा नहीं है, वह जमीन बिल्कुल साफ है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री कमला भाई : जंगलात विभाग के अधिकारियों द्वारा जंगल सुरक्षित नहीं रह सकता है। यह जंगल ग्राम की पंचायत और ग्राम के वार्ड पंचों के सुपुर्द किये जावें। आप रेवेन्यू विलेज में निगरानी रखें तो आपका लक्ष्य पूरा होगा वरना जो आपका साढ़े सात करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य है उसको वास्तव में जाकर मौके पर देखें तो आपको पौधे उतने नजर नहीं आयेंगे। मैं तो हमेशा देखता हूं, जहां जहां पौधे लगाये जाते हैं, मैं जाकर चैक करता हूं कि वास्तव में पौधे हैं या नहीं हैं। वैसे गवर्नमेंट के जितने पैसे खर्च होते हैं वह तो होते ही हैं मगर आप जाकर देखें तो उसका रिजल्ट निल है।

मेरे क्षेत्र में एक गेम सेन्चुरी है, सीतामाता गेम सैंक्चुरी। उसके अन्दर वहां की भीषा में बोलते हैं जंगल का राजा वह बगेरी जानवर होता है। उस बगेरी जानवर को जंगल का राजा बोलते हैं। वह रात को आकर मकान पर बैठ गया तो एक बेचारे आदिवासी, जिसके घर पर बैठा था, न मालूम जानवर ने मारा या उसने मारा, उसका जुर्माना वन विभाग के अधिकारियों ने तीन हजार रुपये किया। उसके ऊपर तीन हजार रुपये का जुर्माना किया। बेचारे आदिवासी ने जमीन कुआ, ढाणी सब कुछ बेच कर तीन हजार रुपया लाकर जमा

(श्री कमला भाई)

कराया। एक तरफ सरकार सोचती है कि गरीबों को आगे बढ़ाओ और एक तरफ इस तरह से किया जावे।

इसी प्रकार से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तीन हजार व्यक्ति आज पच्चीस साल से वन विभाग की भूमि पर काबिज हैं। उन्होंने कुआं खोद दिया, मकान बना दिया पर हमेशा उन लोगों को बेदखल किया जाता है। वे लोग पेनल्टी, जुर्माना भर भर कर थक गये हैं। जोनाबारिया और मनकलां में जिन लोगों ने मकान बनाये हुए हैं, कुएं खोदे हुए हैं, उनको हटा दिया। उनके मकान जला दिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में आपके माध्यम से माननीय वन मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जोनाबारिया और मानकलां में उन आदिवासियों के साथ वन विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या हरकत की गई है, इसकी आप जांच करवायें।

यह बताया गया कि पंचायत में गोचर भूमि और रेवेन्यू की बिला नाम भूमि पर वन लगाना चाहिये। आज उदयपुर डिवीजन के अन्दर पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर मामूली जमीन समतल है। वहां की जो चरनोट की भूमि है, बिला नाम की जमीन है, उस पर वन विभाग वाले कब्जा कर लेंगे तो वहां की मवेशी कहां चरेगी ? सरकार जो भेड़, बकरी देती है तो उनके चरने की जगह कहां है ? इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिस जमीन पर वन विभाग द्वारा कब्जा किया गया है उससे कब्जे को छुड़वाया जाय ताकि उन गांवों की मवेशी चर सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट, उपाध्यक्ष महोदय।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जितने जंगल हैं उन जंगलों को सुरक्षित रखने के लिये क्षेत्र की जनता तैयार है, वह जंगल को सुरक्षित रखना चाहते हैं। मैं यह आरोप लगाता हूं कि वन विभाग के अधिकारियों की गफलत से, उनके स्वार्थ के खातिर जितने जंगल है वह नष्ट होते जा रहे हैं, उनकी लापरवाही से हो रहे हैं। जनता का यह मन नहीं है कि हम जंगल को नष्ट करें। बाहर के बड़े बड़े सेठ आते हैं, गाड़ियां लेकर आते हैं, ट्रकों में माल भर कर ले जाते हैं। उनके द्वारा जंगल नष्ट किया जाता है। अगर देखा जाय तो जो तमाम जंगल बरबाद होते हैं। वापस पौधा लगाने की इनकी क्षमता नहीं है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, आज यह जंगल उगाने की बात कर रहे हैं पर जो पौधा लगाते हैं उस पौधे को यह नष्ट करने की कोशिश में हैं। यह मेरी देखी हुई बात है। जो भी बात कह रहा हूं, सत्य है।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य दोहरा रहे हैं।

श्री कमला भाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत टाइम हो गया।

श्री कमला भाई : सिर्फ एक मिनट।

(श्री कमला भाई)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के सामने जो बातें रखी हैं, उसमें मैंने अपशब्द कुछ कहा हो तो वह मुझे वापस लौटाये, उसके लिये मैं क्षमा चाहता हूं।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, इकालोजिकल बैलेंस के विषय पर अभी वन विभाग की मांग पर चर्चा हो रही थी। मैं तो तीन पाइन्ट्स पर कहूंगी, मेरा विषय पाल्यूशन से संबंधित है। एक तो मुझे शिकायत यह है, फारेस्ट से सम्बन्धित जितनी रोड्स हैं, सड़क से थोड़ी दूर तक रोड है उसके बाद रोड जीपेबल भी नहीं है जब कि उन पर पैसा खर्च किया जाता है। रोड्स न हो इसके लिये फोरेस्ट की वाइल्ड लाइफ उससे डिस्टर्ब नहीं हो या जंगल काटने के लिये आदिवासी दूसरे गांव वाले नहीं जा सके, यह प्ली दिया जाता है, इसलिये रोड्स को एनकरेज नहीं करना चाहते हैं। पर फिर भी उनके इंस्पेक्शन के लिये प्रापर रख-रखाव के लिये रोड पर जितना पैसा खर्च हुआ है उसका खर्च हुआ दिखना बहुत जरूरी है।

इसी तरह से फारेस्ट गेस्ट हाउस की हालत अधिकांशतः बहुत दुरावस्था में है। सारे विभाग प्लांटेशन के काम में जुटे हुए हैं। कोई विभाग अपने आपको बड़ा अनफार्चूनेटिली मानता होगा, जो प्लांटेशन न कर सके। एक तरह से देखा जाय तो एक जगह, एक डिपार्टमेंट से प्लाण्टेशन किया जाय तो काफी खर्चा इसमें बचाया जा सकता है। एक सुझाव यह देना चाहूंगी, प्लांटेशन के सम्बन्ध में, कैटल गार्ड की व्यवस्था हो। इस पर परसों भी एक प्रश्न के माध्यम से काफी चर्चा हुई है, इसमें बड़े भारी घोटाले, घपले हैं। इससे ज्यादा बड़े घपले, घोटाले जो ज्यादा अमाउन्ट्स के हैं, ट्री गार्ड्स के विषय में हैं जिसका काफी बड़ा स्कैण्डल है, जिसकी चर्चा किसी अन्य टाइम पर करूंगी। इसी तरह से प्लांटेशन में यूक्लिप्टस और इस तरह के पेड़ उगा रहे हैं, जो इण्डोजिनियस नहीं है, हमारी सोइल को सूट नहीं करते हैं। इसकी वजह से खेती सफर करती है। खाद बीज वगैरह बहुत मंहगा है तो कृषक भी यह सोचते हैं इस तरह का प्लांटेशन किया जाय जिसका क्विक रिटर्न हो। इसलिये इस तरह के पेड़, जैसे यूक्लिप्टस है या और पेड़ हैं जिनसे जल्दी पैसे की प्राप्ति हो जाती है, लगाना ज्यादा प्रिफर करते हैं, इसका कालान्तर में असर बहुत ज्यादा खराब होगा। इससे हमारी व्यक्ति की इनकम तो बढ़ेगी पर हमारे राष्ट्र की इनकम सफर करेगी।

एक और प्रेक्टिकल प्राब्लम है। आदिवासियों के क्षेत्र में कुछ भूमि है रेवेन्यू की जो आदिवासियों के आधिपत्य में होनी चाहिये, कुछ है वन विभाग की। मगर दोनों का डिस्प्यूट रिकार्ड में कहीं सैटल नहीं है। नतीजा यह होता है आदिवासियों को इस पाइन्ट को लेकर बहुत परेशान किया जाता है जिसकी चर्चा बहुत अच्छे बड़े आर्टिकल्स में अखबारों में भी आ चुकी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब जो पाल्यूशन और पर्यावरण के विषय में है मांग

(श्रीमती विद्या पाठक)

संख्या 11, उसके विषय में चर्चा करना चाहती हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके कन्सेप्ट को देखा जाय तो है तो बहुत प्रेक्टिकल पर एक तरह से देखा जाय तो विदेशों से आया हुआ कन्सेप्ट है। जब विदेश में इसको बहुत फिजीबल नहीं मान कर इसकी चर्चा करना वाइन्ड अप करना शुरू कर दिया तब हमारे भारत वर्ष में इसकी चर्चा हुई, वह भी बड़े जोर शोर से चालू हुई है। विशेष तौर से हमारे प्रदेश के परिप्रेक्ष में एक तरह से देखा जाय तो यह लक्जरी है। खास तौर से जो वर्तमान प्रशासन प्रणाली है और सत्ता की जो उदासीनता है, नान क्लेरिटी आफ सब्जेक्ट है, हर एक किसी की समझ में आता नहीं, उसको देखते हुए मैं मन्त्री महोदय को यह सुझाव देना चाहूंगी, मन्त्रीजी, आपका विभाग इस विषय में कोई काम नहीं कर रहा है. एक सफेद हाथी और आप जे. डी. ए. की तरह पनपाना चाहते हैं, इसको वाइन्ड अप कर दीजिये।

श्री शीशराम ओला : आपसे पूछ लेंगे।

श्रीमती विद्या पाठक : यह सुझाव मैं आपको देना चाहती हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय के प्रति कितने गम्भीर हैं, इसके दो छोटे छोटे नमूने बताऊंगी। इनकी उदासीनता का नमूना देखिये, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया यहां पर। उसमें दिल्ली के उप कुलपति आर के. मेहरोत्रा साहब को बुलाया गया, विभाग ने एक किताब लिखी थी या लिखायी थी। उस किताब पर उनके कमेंट्स मांगने के लिये। वे क्या कहते हैं, अपने विचार क्या व्यक्त करते हैं उसके लिये उनको दिल्ली से बुलवाया गया, उन्होंने इनका इनविटेशन एक्सेप्ट किया यहां आये भी सही। परन्तु जिस पर कमेन्ट करना है वह किताब उनको सप्लाई नहीं की गई। किताब ही उपलब्ध नहीं करवाई गई पर्यावरण दिवस पर, जो प्रेस्टिजिअस एक आकेजन होना चाहिये इनका उस पर। इसी फंक्शन में राजस्थान कौंसिल के अध्यक्ष मिस्टर सी. के. गर्ग को भी कमेंट करने के लिये कहा गया, बोलने के लिये कहा गया। एक पर्यावरण संस्था है उसके वह अध्यक्ष हैं, या शायद मैम्बर हैं, सैक्रेटरी हैं या अध्यक्ष हैं उन्होंने उस आकेजन पर बोलते हुए कहा कि अधिकांश वकीलों को इससे सम्बन्धित कानून यानि पाल्यूशन से सम्बन्धित की जानकारी नहीं है। चाहे वह एयर पाल्यूशन है, चाहे वाटर पाल्यूशन है, चाहे वह नोइस पाल्यूशन है। वह कहते है, इससे सम्बन्धित कानून की जानकारी नहीं है। वकीलों को इस विषय में जानकारी क्यों नहीं है? वह आगे कहते हैं, बाजार में इसकी किताबें अवेलेबल नहीं है। अगर पेम्पलेट हैं तो वह इस तरह के हैं जैसे यह अधिकारी वर्ग विधान सभा में हमको सप्लाई किया करते हैं, जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, इस तरह की टाइपिंग के हैं। तो इस तरह से कानून बाजार में उपलब्ध है और वकीलों को उसकी जानकारी नहीं है। इस तरह से कानून को इण्टरप्रेट करने के जो इन्स्ट्रूमेंट हैं उनको ही जानकारी नहीं तो आम जनता को क्या जानकारी हो सकती है विभागीय इनएफिशिएन्सी का तो यह नमूना है ही। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी नीयत भी यह होती है कि जानकारी हो नहीं और डिस्प्यूट करे ही नहीं

199

(श्रीमती विद्या पाठक)

जिससे आराम से वह विभाग में बने रहें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज ! औद्योगिक पोल्यूशन की सारे दिन चर्चा हुई। 44 यूनिट ऐसी हैं जिनका सर्वे कराया था भोपाल की ट्रेजडी के बाद डिपार्टमेंट ने, वह 44 यूनिट ऐसी हैं जो बहुत रिस्की केमीकल कंपोनेन्टस यूज करती हैं और उनके ट्रीटमेंट की कोई व्यवस्था नहीं। उससे जो नुकसान हो सकता है उससे बचाव की कोई व्यवस्था नहीं है। 125 उद्योग ऐसे हैं जिनमें ट्रीटमेंट प्लान्ट तो अनिवार्य है पर है नहीं; जैसे पेस्टिसाइड्स इन्डिया, उदयपुर में है और कोटपूतली का प्रमुख कारखाना माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों के विषय में जब सरकार ने जवाब दिया कि ऐसे डिस्पूट गवर्नमेंट और कारखानों में कितने चल रहे हैं तो 82 के डिस्पूट का तो उन्होंने प्रश्न के उत्तर में बताया नहीं, दूसरे में बताया कि 18 डिस्पूट तय हुए जिनमें से 16 प्राइवेट पार्टीज के फेवर में हुए यह इसी सैशन में जवाब दिया है माननीय मन्त्रीजी ने और दो सरकार के पक्ष में हुए हैं। यह इनकी कार्यप्रणाली की गलती है। अदालतों में विभाग चला जाय पर गलत बात की पुष्टि में वह जीत जाय और सरकार हार जाय तो ऐसा लगता है कि सरकार हारने के लिए केस लडती है। यह इस विभाग की गम्भीरता को बताती है कि यह कितना गम्भीर है। इसको आप दूर करें।

राज्य में 40 नगरपालिकाएं और कस्बे ऐसे हैं जो प्रदूषण की चपेट में आए हुए हैं। उससे नदियों और झीलों का पानी विषाक्त हो रहा है। पर इस बात को न विभाग ने गम्भीरता से लिया, न मन्त्रीजी ने और न सरकार कोई इस विषय में सीरियस है। इस कन्टेक्स्ट में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह याद दिलाना चाहूंगी कि फिफ्टीज में मिनीमाटा जापान में भयंकर पोल्यूशन हुआ; लोग कुबडे होने लगे, हाथों की अंगुलियां टेढी हो गई, मछलियां मर गई, बड़ा इन्डस्ट्रियली डवलप्ड और कांशस कंटरी है, उसकी सरकार बहुत चिन्तित हो गई, उनके कान खडे हो गये कि क्या हुआ। उन्होंने 10 वर्ष रिसर्च की तब पता लगा कि एल्कलाई कारखाना था जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हुआ था। उसका नतीजा यह हुआ कि वहां के लोगों में इस तरह की विकृतियां आई। उसके इरेडिकेशन के लिए 75 मिलियन डालर खर्च कर दिए। इण्डस्ट्रियली आज दुनिया में सबसे जो संपन्न है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय जोधपुर सम्भाग में वाटर पोल्यूशन और एन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है इस विषय में भी आज सारे दिन चर्चा हुई है। पाली बालोतरा, जोधपुर की 10 लाख की जनसंख्या है। अनेकों व्यक्ति और पशु यहां के 1500 कारखानों के प्रदूषण से पीडित हैं। 1500 कारखाने 150 लाख लीटर प्रदूषित पानी रोज निकालते हैं वह पानी गलियों की नालियों में निकल जाता है और कस्बे की गलियों को पार करके सड़कों पर फैलता है। उसकी वजह से वहां के नागरिकों को कष्ट होता है, नागरिकों को नुकसान होता है और 10 लाख हेक्टेयर भूमि इससे खराब होती है। यह रिकार्ड पाल्यूशन है जिसके प्रति सरकार आज भी कांशस नहीं है। कुओं, तालाबों और यहां तक की हैण्ड पम्पों का पानी भी इससे खराब हो गया है जिससे

(श्रीमती विद्या पाठक)

कैंसर, फ्रीक्वेंट एबार्शन, चर्म रोग, इस तरह की बीमारियां और एब्नार्मेलिटीज लोगों में डवलप हो गई है इसके साथ ही पाली शहर के आस पास अनेकों गांवों के कुएं प्रभावित हो गये हैं। इण्डस्ट्रीज जो एसिडिक एफ्लूएन्ट निकालती है इससे पानी तो पाल्यूट होता ही है, जल स्तर और गिर गया है यानि कंसन्ट्रेटेड पायजन लोगों को पीने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। सबसे बडी यह दूसरी समस्या है इससे करीब 20-25 हजार मजदूर केवल पाली शहर के अन्दर प्रभावित होते हैं। केमीकल्स की वजह से जो फ्लोराइड डवलप हो गया हैं उस फ्लोराइडयुक्त वाटर को पीने से पाली की अनेकों पंचायतों के 1.25लाख लोग कुबड़े हो रहे हैं। यह जोधपुर संभाग की बता रही हूं जिसमें इस स्टेज तक पानी जहरीला हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, पानी जहरीला होता है। तो केमीकल्स का क्या असर होता है, इस पर एक्सपेरीमेंट किए गए। जो चर्म के कारखाने का एफ्लूएन्ट वाटर था उसमें कुछ मछलियों को छोड़ा गया वे 8 घण्टे में मर गई। शराब का एफ्लूएन्ट वाटर जो निकालते हैं उसमें कुछ इसी किस्म की मछलियों को छोड़ा गया वे 5 घन्टे में मर गईं। यानि इसकी भी डिग्रीज होती है, जिनको आज तक हमारी सरकार ने क्लासिफाईड भी नहीं किया। ऐसी जनसंख्या के बीच में ईंट भट्टों की सेंक्शन जारी कर रहे हैं जिससे स्वास्थ्य की हानि हो रही है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के 800 छोटे बड़े कारखानों के कारण 80 नगरपालिकाएं जल प्रदूषण से प्रभावित हैं। खेतड़ी के ताम्बा शोधक कारखाने, कोटा के चर्म कारखाने और डी. सी. एम. के कारखाने के कारण अखबारों में हम पढ़ रहे हैं कि तेजाबी वर्षा होने की सम्भावना काफी बनी हुई है। कोटा के थर्मल पावर के कारण जो सल्फेट और क्लोराइड का पानी चम्बल में आता है उससे चम्बल का पानी दूषित हो रहा है। इन इण्डस्ट्रीज की चिमनियों से जो पार्टिकल्स निकलते हैं वे 10 कि. मी. तक लोगों के घरों पर गिरते हैं परमाणु बिजली घर और ताप बिजली घर से जो यूरिया क्लोरीन अमोनिया सीसा पारा ये सारे चम्बल के पानी में मिलते हैं और इससे पूरी चम्बल पाल्यूट हो रही है। सरकार ने बड़े भारी विभाग बनाए मगर विभाग बनाने से क्या होता है, वह इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, हम जयपुर में रहने वालों के एक सर्वे के अनुसार जितनी डी-वोर्मिंग की दवाएं, यानि पेट में कीड़े होते हैं इसकी जितनी दवाएं बनती हैं उसकी आधी दवाओं की खपत मात्र जयपुर में हो सकती है। जयपुर इस मामले में देश में तीसरे स्थान पर आता है। जयपुर में कीड़े होने का सबसे बड़ा कारण जयपुर मेंपानी का प्रदूषण है। बार बार सदन में बताया जाता है कि पानी में कीड़े आ रहे हैं और ये कीड़े जाकर पेट में डवलप होते हैं। इससे लोगों के स्वास्थ्य की हानि होती है। इसमें नगरपालिका भी, नगर परिषद भी कंट्रीब्यूट करती हैं। सभी विभाग अपनी तरफ से थोड़ा बहुत योगदान इस पाल्यूशन को बढाने के लिये देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर जब दिल्ली से आते हैं तो प्रमुखत: आगरा रूट से आते हैं या दिल्ली रूट होकर आते हैं, जो सीधा सपाट पहाड़ चाहे आनागढ़ पहाड़ हो चाहे झालाना डूंगरी का पहाड़ हो खान विभाग उस पर

(श्रीमती विद्या पाठक)

काम करता है, वन विभाग भी काम करता है, डिस्प्यूट में दोनों की जमीन पड़ी हुई है। खान विभाग को जमीनों के लाइसेंस दिए हुए थे पुराने। एक तो यह जनता की समस्या है और जनता की दूसरी समस्या यह है कि पहाड़ जो तोड़ा जा रहा है तो बारिश का पानी जो पहाड़ से, घाट से नीचे बह जाना चाहिए वह शहर की तरफ आने लग गया। नतीजा यह हुआ कि राजा पार्क, आदर्श नगर चेतक मार्ग को पार करता हुआ, मेडिकल कालेज रोड को पार करता हुआ हास्पिटल के अन्दर तक जाता है, बाहर तक जाता है जिससे हास्पिटल के स्टोर्स को नुकसान होता है। तो जो इनडिस्क्रिमिनेट खनन हो रहा है नेचुरल रिसोंसेस से हम लोग निकाल रहे हैं उसकी वजह से बड़ा भारी पाल्यूशन हो रहा है। मथुरा रिफाइनरी से केवल ताज को ही नुकसान नहीं होता है, हमारी घना बर्ड सेंक्चुअरी, जैसा सभी कंसर्नड फील कर रहे हैं, आपका क्षेत्र भी है, को भारी नुकसान हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा में वनस्पति उद्योग का एक कारखाना है उससे जो पाल्यूटेड वाटर निकलता है वह तेजाब से भरा होता है, तेजाब युक्त पानी शहर के बीच में से निकलता है। जितनी बदबू उससे फैलती है उससे सारी जनता दुखी है। वह पानी गांधी सागर में जाकर पड़ता है जिसकी वजह से उपजाऊ जमीनों की उर्वर क्षमता समाप्त हो गई है। इसी तरह से मछलियां भी मरने लग गई हैं, गोलछा का जो कारखाना है उसकी वजह से ऐसा लगता है कि धुआं दिन भर छाया रहता है। स्टोन पाउडर का कारखाना वातावरण को दूषित करता है। अकेले भीलवाड़ा में 10 हजार लोग चर्म रोगों से पीड़ित हैं। भीलवाड़ा की 10% जनसंख्या ऊन के तीनों कारखानों के कारण, सूती कारखाने के कारण, छोटे-बड़े कारखाने के कारण पीड़ित है। किसी जमाने में जब कि यह डिपार्टमेन्ट नहीं था उस वक्त रोड साइड में वेल्डिंग प्राहिबिटेड था क्योंकि यह आई साइट को नुकसान पहुंचाता है, लोगों को तकलीफ होती है। पर आज सिर्फ वेल्डिंग ही नहीं, आज तो खट खट करके काले रंग बनाने का कारखाना है, शहर के बीच में बायलर्स की तपती हुई चिमनियां हैं। मैं स्वयं अपनी तरफ से कई बार इस केस को परस्यू कर चुकी हूं पर ऐसा लगता है कि या तो विभाग की समझ में नहीं आता, और अगर समझ में आता भी है तो फिर विल पावर नहीं है, क्योंकि उनके कमीशन्स बंधे हुए हैं, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है उनके चंदे बंधे हुए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नोइस पाल्यूशन का बहुत बड़ा खतरा है। इस खतरे को हम आज जरूर महसूस नहीं कर सकते मगर इसकी वजह से कालान्तर में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। एयर पाल्यूशन से बराबर खतरा बना हुआ है इसके बावजूद सरकार किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करती है।

दो मिनट, कुछ सुझाव देकर बात समाप्त करना चाहती हूं। एक तो पाल्यूशन की बड़ी चर्चा हुई। यह बात सही है कि ट्रीटमेन्ट प्लान्ट्स बहुत महंगे हैं। बड़े-बड़े कारखाने जहां भी हो सकते हैं इसका इलाज

(श्रीमती विद्या पाठक)

करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश और अन्य सरकारों ने जो योजना चालू की थी यह विभाग मालूम करें कि वह योजना कहां कहां चल रही है, कितनी प्रैक्टिकल है और कितनी कितनी अपने प्रदेश में उतारी जा सकती है। इस योजना की स्टडी करके एक ही स्थान पर जहां औद्योगिक काम्प्लेक्स हैं इण्डस्ट्रीज हैं पाल्यूशन ट्रीटमेंट की व्यवस्था अगर सरकार कर लें और पर्पोशनेटली जो पाल्यूशन करने वाली इण्डस्ट्रीज हैं उनसे चार्ज कर लें तो कम से कम इस समस्या का कुछ निराकरण हो सकता है।

जो पाल्यूशन होता है वह जब हम इकानामिक रिसोर्सेज का और नेचुरल रिसोर्सेज का आधा यूज करते हैं या मिसयूज करते हैं तब उससे बढ़ता है तो यह देखें कि मेग्जिमम यूटिलिटी किसी चीज की कैसे हो सकती है। वह हमारे देश की इकानामी में, प्रदेश की इकानामी में भी सहयोग करेगी। इस चीज की वैज्ञानिकों के साथ बैठ कर सरकार चर्चा करें। यह एक डिपार्टमेंट नहीं हैं मल्टीडिसिप्लीनरी डिपार्टमेंट हैं, पर यह कहते हैं कि जो फाईव पीज सबसे ज्यादा बरबादी के कारण हैं वे हैं पब्लिक, प्लानिंग, पालिसी, पालिटिक्स एण्ड प्रशासन अगर इन सबका सही रूप में हम कार्डिनेट कर सकते हैं तो इस समस्या का निराकरण दूर नहीं। जगह-जगह इण्डस्ट्रीज के लिए जमीनें दे दी है जबकि बहुत बड़ा ही प्रैक्टिकल एप्रोच होना चाहिए कि किस तरह की इण्डस्ट्रीज कौन कौन से एरिया में दी जा सकती हैं, कहां कहां पानी अवेलेबल है, कौन कौन-सी जगह बस्तियों से दूर है। इन सारी चीजों को देखे बिना राजनीतिक आधार पर लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए यह सरकार....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या।

श्रीमती विद्या पाठक : इण्डस्ट्रीज बना रही है। इस विषय पर पूर्ण रूप से विचार किया जाय।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महेन्द्र कुमार परमार।

श्री महेन्द्र कुमार परमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में जंगलों के ऊपर चर्चा चल रही है। मैं भी डूंगरपुर जिले के जंगलों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिले में आज से 30 साल पहले बड़े-बड़े जंगल थे। मैं कल्पना कर रहा था बैठा-बैठा कि जब मैं पढ़ता था 1936-37 में उस समय डूंगरपुर जिले में हम कहीं भी घूमते थे, कोई पहाड़ नंगा नहीं दिखता था। लेकिन आज डूंगरपुर जिला हो या बांसवाड़ा हो या उदयपुर हो कहीं भी हम घूमते हैं तो बिल्कुल नंगे पहाड़ और पत्थर ही पत्थर दिखते हैं। हम पशु चराने जाते थे, पहाड़ पर बैठते थे तब जंगलों के अन्दर जंगली जानवर बोलते थे, हम उनकी आवाज सुनते थे। आपस में ग्वाले बैठते, कोई कहता कि यह कौन सा जानवर बोल रहा है? कोई कहता कि सियार बोल रहा है या शेर बोल रहा है या चीता बोल रहा है या कोई मोर बोल रहा है। इस तरह हम आवाजें जानवरों की सुना करते थे। बड़े अच्छे

203

(श्री महेन्द्र कुमार परमार)

जानवर जंगलों में रहते थे शेर, चीते, हिरण, सियार। कई तरह के जानवर जंगल में रहते थे। उस समय उन जानवरों के रहने से जंगल के अन्दर मनुष्य बहुत कम जाता था। मैं तो एक सुझाव देना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जंगल की रक्षा के लिए जंगली जानवरों की रक्षा करना भी बहुत जरूरी है। मुझे याद है, एक बार हम गाय चराने गये थे जंगल में, शेर ने बकरी पकड़ ली। किस तरह से उसको भगायें? तो हम 15-10 ग्वाले थे, दो ने बकरी पकड़ी, तीन जनों ने शेर को भगाया। हम ऊंची पहाड़ी पर उस बकरे को बड़ी मुश्किल से ले गये दूसरी तरफ शेर को खींचा। तब हमको जमीन कहीं नजर नहीं आती थी, लेकिन आज जिधर भी देखो सूना सूना ही नजर आता है। सारे जंगल बरबाद हो गये।

जंगल बरबाद होने के दो मुख्य कारण रहे हैं। एक तो ठेकेदारी प्रथा। ठेकेदारी प्रथा ने जंगलों को बरबाद कर दिया। उनको कूप दिया, उस कूप के अन्दर ठेकेदार ने कटाई शुरू की। आधी कटाई करने के बाद ठेकेदार ने देखा कि पास के कूप में अच्छी लकड़ी है, सागवान के अच्छे पेड़ हैं। तो ऐसे अच्छे लोगों को, जो जंगल में रहने वाले जानकार लोग थे, को तैयार किया कि भई, उस जंगल में से चोरी छिपे कोई अच्छा पेड़ काटकर उसकी लकड़ी डाल दो ताकि जंगलात वालों को पता नहीं लगे। इस तरह से ठेकेदारी की प्रथा से हमारे जंगल बरबाद हो गये। दूसरा कारण जनसंख्या का रहा। पहले जनसंख्या कम थी। डूंगरपुर में डेढ़ लाख या पौने दो लाख की जनसंख्या उस जमाने में थी। आज सात आठ लाख की जन संख्या है। तो जनसंख्या का असर भी जंगल के ऊपर पड़ा है। हमारे यहां के जंगलात बिल्कुल बरबाद हो गये। सागवान, बांस, अच्छे इमारती लकड़ी के पेड़ थे। आज लकड़ी के लिए दूसरे जिलों की ओर ताकना पड़ता है। हमको मकान बनाने के लिए लकड़ी कहां से मिले। फिर भी, उपाध्यक्ष महोदय, सागवान की लकड़ी बची है, कहीं कहीं थोड़ी बहुत बची है। मेरा एक सुझाव था कि आज वन विभाग की तरफ से जंगल को पनपाने की काफी कोशिश की जा रही है। हम भी जंगल पनपाना चाहते हैं। हमारे डूंगरपुर जिले में प्लांटेशन किया है, अच्छे पेड़ पनपे हैं। जंगल में जहां जहां प्लान्टेशन किया है वहां जो नंगे पहाड़ थे वे हरे भरे हुए हैं। पिछले साल हमने कई प्लान्टेशन देखे। माननीय भाटी साहब ने कहा था कि कभी मैं भी वहां गया था, कोटड़ा में हम भी गये थे। हमने प्लान्टेशन देखा, बहुत अच्छा पनपा है और पहाड़ भी बहुत अच्छे हरे भरे हुए हैं। हमने देखा उस जंगल में पेड़ पनपे हैं, घास थी वहां। तो इस तरह से हमारे डूंगरपुर में जो प्लान्टेशन किया है, उससे अच्छे पौधे पनपे हैं। जो वन विभाग ने कार्य कराया है अच्छा कार्य हुआ है उसकी सराहना करनी पड़ेगी। लेकिन साथ ही जंगल के अन्दर जितने भी पेड़ लगाये गये हैं उसमें मेरा एक सुझाव है कुछ पेड़ वन विभाग की तरफ से लगाये गये हैं वे इस तरह के हैं जो हमारे कोई काम के नहीं है, सिवाय जलाने के या चराई करने के और कोई उपयोग में आने वाले पेड़ नहीं है। मैं कहूंगा कि वन विभाग को अच्छे पेड़, जो मनुष्य के काम में आने वाले पेड़ हैं, की तरफ ध्यान देना चाहिए

2014

(श्री महेन्द्र कुमार परमार)

और उन पेड़ों को लगाना चाहिए। यह सर्वे करना चाहिए कि कौन से पेड़ किस जंगल में पनप सकते हैं। कौन से कहां पनप सकते हैं। इस तरह का सर्वे करा कर उसी तरह के पेड़ लगाने चाहिए। हमारे डूंगरपुर जिले में पहले जंगल में बहुत अच्छे पेड़ थे। इमारती लकड़ी के पेड़ काफी थे। वह सारे जंगल कट गये हैं। लकड़ी सारी जल गयी। वन विभाग की तरफ से जो प्लान्टेशन हो रहे हैं उसमें मेरा सुझाव है कि सागवान के पेड़ लगाने चाहिए, कोप, करमणे, रोहरा, जरमेले, हरबांस, नीम, महुआ, आम, रेजड़ा, बेड़ा, कपूर इस तरह के पेड़ लगाने चाहिए ये पेड़ हैं जो भविष्य में हर तरह से काम में आने वाले हैं। इमारती लकड़ी के जितने पेड़ मैंने बताये वह बड़े मजबूत हैं। 100 साल तक इस पेड़ को सम्भाला जा सकता है। इसकी लकड़ी मकान में लगायें, और कुछ बनाएं, 100 साल तक इस पेड़ की लकड़ी का कुछ नहीं होता है। बड़ी मजबूत लकडी होती है। ऐसे पेड़ लगाने चाहिए जिनसे इमारती लकड़ी बनती है, लोगों को मकान बनाने के लिए उनसे बड़ा लाभ होता है।

जब अकाल पड़ जाता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय पेड़ की पत्तियां हमारे जानवरों के लिए घास के बजाय काम आती हैं। जानवरों को हर तरह के पेड़ की पत्ती हरी लाकर काटकर खिलाते हैं, महीनों निकल जाते हैं तब भी जंगल में पेड़ के पत्ते खतम नहीं होते थे। इन पेड़ों की वजह से जानवर जिन्दा रह सकते हैं। इससे जानवरों को फायदा होता है, और मनुष्यों को भी फायदा होता है। मनुष्य को पेड़ से कई तरह की चीजें मिलती हैं। गोंद लाख आदि मिलता था। एक बील का पेड़ था उस पर जो फल लगता है उसको आदिवासी लोग खाते हैं। कई चीजें इन पेड़ों से लोगों को मिलती थी। इसलिए मैं कहूंगा कि इन पेड़ों को जंगल में लगाया जाय।

(समय-समाप्ति सूचक-घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जिस जमीन पर जंगल लगाये गये हैं उन जंगलों के अलावा बहुत सारी जमीन खाली पड़ी हुई है। अब मैं मंत्री महोदय से....

श्री उम्मेदीलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा, अर्ज हुक्म यह है कि काफी सदस्य बोल चुके हैं, काफी सुझाव आ चुके हैं, इस मांग को पास करो।

श्री महेन्द्र कुमार परमार : अभी ठहरो भाई आपको क्या पता है आपके जंगल नहीं है। हमको तो बोलने दो। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा, उदयपुर जिले में जो नंगी पहाड़िया है उन पहाड़ियों पर पेड़ लगाने का एक प्लान बनाना चाहिए और इन नंगी पहाड़ियों के ऊपर पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ लगा कर उसको हरा भरा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे लोग भी पहले जंगल के महत्व

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

को इतना नहीं समझते थे लेकिन आज लोग समझने लग गये हैं लोग अनुदान लेकर के

205

(श्री महेन्द्र कुमार परमार)

और ऋण लेकर के पेड़ लगाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्रकुमार परमार : तो मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि डूंगरपुर जिले में ज्यादा से ज्यादा जंगल लगाने का कार्यक्रम शुरू किया जाय। हमारे यहां डूंगरपुर जिले में जंगल हैं उपाध्यक्ष महोदय, मेरे वहीं जितने भी आफिसर आये अफसरों ने उनकी बहुत निगरानी की, कुछ अफसर ज्यादा ध्यान देने वाले थे, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ अफसर ढीले ढाले आये, दफ्तर में काम करना ही उन्होंने अपना काम समझा। इस साल के अकाल में

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हमारे डूंगरपुर जिले में जंगल पर बहुत असर पड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, जो जंगल हमारे यहां पनपे थे या पूर्व में थे उनमें थोड़ी बहुत कटाई हुयी है, निश्चित रूप से हुयी है लेकिन यह विवशता थी क्योंकि लोगों के पास धन्धा नहीं था, खाने को अनाज नहीं था। हमारे यहां जंगलात का भी काम हुआ है, ऐसी मेरी मान्यता है। अभी दो साल पहले हमारे यहां पर डी. एफ. ओ. एक मान साहब आये थे उन्होंने अच्छा काम किया। उसकी सराहना किये बगैर मैं नहीं रह सकता। जंगल में कितने कर्मचारी थे वे बड़े होशियार रहते थे कि डी. एफ. ओ. कब आयेगा, चौकी पर रात को आयेगा कि दिन को आयेगा/किस समय चैक करेगा। कोई कर्मचारी अपनी ड्यूटी से नहीं जाता था, जंगल में चारों तरफ बराबर रहता था क्योंकि वह बराबर चैक करते थे। मेरे घर के पास गाड़ी खड़ी देखता था तो मैं चला जाता। पूछता किसकी गाड़ी है? डी. एफ. ओ. साहब आये हैं। तो डी. एफ. ओ. साहब कहीं गये? डी. एफ. ओ. साहब जंगल में घूम रहे हैं। दो घंटे गाड़ी वहीं खड़ी है। वह जाकर तालाब पर जाकर निकलते थे। उनके ध्यान में था कितने पेड़ कटे हैं, कितने सुरक्षित थे। इसका हिसाब किताब उनके पास रहता था। मेरा ख्याल है कि इन दो सालों के अन्दर हमारे डूगरपुर में जंगल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसी मेरी मान्यता है।

(समय समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्रकुमार परमार : मैं चाहूंगा अफसरों को थोड़ा मजबूत किया जाय, उनके ऊपर थोड़ी सख्ती रखी जाय....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्रकुमार परमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय अगर डी. एफ. ओ. रेंजर फोरेस्टर, गार्ड पर अगर सख्ती नहीं बरतेंगे तो जंगल की रक्षा नहीं हो सकती है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने सुझाव रखे हैं। आप इनको कई बार दोहरा चुके हैं। अब आप दोहराइये मत।

श्री महेन्द्र कुमार परमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मुझे दो ..

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

पांच मिनट मैं बोलूंगा साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आप दोहराइये मत बार बार।

श्री महेन्द्रकुमार परमार : आदिवासियों के बारे में पूरा बताना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आप पांच मिनट का समय दें, मैं

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : और भी आदिवासी बोलने वाले हैं। माननीय सदस्य, जल्दी करें...

श्री महेन्द्रकुमार परमार : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां अभी वन विभाग ने ..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जल्दी समाप्त कर दें। और भी माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री महेन्द्र कुमार परमार : गार्डों की भर्ती के बारे में मैं कह रहा हूं। यह गरीबों और आदिवासियों का मामला ..

श्री उपाध्यक्ष : आप बराबर उसी चीज को दोहरा रहे हैं।

श्री महेन्द्रकुमार परमार : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे यहां गार्डों को भर्ती करने के लिए इन्टरव्यू होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत समय हो गया है।

श्री महेन्द्र कुमार परमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जरूरी पाइंट है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी भी जरूरी ही कह रहे थे।

श्री महेन्द्रकुमार परमार : उपाध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे यहां ..

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें। माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री महेन्द्रकुमार परमार : गार्डों के अन्दर आदिवासियों को भर्ती किया जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजें। माननीय सदस्य, कृपया विराजें। समय का ध्यान रखें। और भी बोलने वाले है। माननीय, समय का ध्यान रखें।

श्री महेन्द्र कुमार परमार : मैं कहना चाहूंगा कि 10 वीं 11 वीं पास लड़के जंगल की रक्षा नहीं कर सकते है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री महेन्द्र कुमार परमार : शहरों से आने वाले लड़के जंगलों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। जंगल की रक्षा जंगल में रहने वाला ही कर सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बात पहले भी कह दी गयी है। नयी बात नहीं है।

श्री महेन्द्र कुमार परमार : अब आप उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दीजिये दो मिनट। हाथ जोड़ता हूं आपके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने 20 मिनट ले लिये हैं।

श्री महेन्द्र कुमार परमार : उपाध्यक्ष महोदय, नये गार्डों की भर्ती करते है, 10 वीं 11 वीं पास वालों को भर्ती करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय वे जंगलों की रक्षा नहीं कर सकते हैं, वे शहरों में रहते हैं। अभी कुछ ऐसी घटना घटी, नये जो शहरों से आये थे वे भाग गये और जितने आदिवासी छोरे थे वह वहां पर मजबूत रहे और लोगों से लड़ाई लड़ते रहे। इस तरह से जंगल की जो लकड़ी ले जा रहे थे उसकी रक्षा की। दूसरे शहरों के पढ़ने वाले लोग 10 वीं 11 वीं पास भाग गये। मैं आपको बताना चाहता हूं, 15 साल के कटले गार्ड चलते आ रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उनका पूरा परिवार उन्हीं पर चल रहा है आप उनको तो कम से कम परमानेंट कर दो। इसके बाद में आपको कोई नया क्राइटेरिया तय करना है, 11 वीं पास या 10 वीं पास किसी को भी रखना है तो आप रखिये। 11 वीं पास को दफ्तर में बैठा करके आप काम कराना चाहते हैं, कुर्सी पर बैठाकर काम कराना चाहते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री महेन्द्र कुमार परमार : जंगल में...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। माननीय सदस्य, विराजें। अंकित न हो।

श्री महेन्द्र कुमार परमार : X X X

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी। माननीय सदस्य कम समय में ज्यादा मैटर दे दें तो बेहतर है। चीज को दुहरायें नहीं। उसी चीज को दुहरा रहे हैं। नया मैटर है तो खूब बोलिये।

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थार रेगिस्तान में तेजी से...

श्री उम्मेदी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अर्ज किया था उसका मतलब यह है कि मांग को स्वीकार कर लेना चाहिये। लोगन के जो हैं सुझाव आ गये। औरों के भी आ गये। मेरा सुझाव ये है...

श्री उपाध्यक्ष : श्री गंगाराम चौधरी हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को जाना है, तो जा सकते हैं लेकिन यह महत्वपूर्ण मुद्दा है इस पर हम बोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, 8 मिनट में घन्टी बजेगी। 10 मिनट में कृपया सहयोग करके खतम कर दें। नहीं, तो मैं कह दूंगा, अंकित न हो। और कोई रास्ता मेरे पास नहीं है।

X X X माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री गंगाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, थार रेगिस्तान में तेजी से इकोलौजिकल इम्बैलेंस हो रहा है। उससे उत्पन्न समस्याओं के बारे में मैं कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1952 में प्लानिंग कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बात कही थी कि थार रेगिस्तान प्रति वर्ष आधा मील के हिसाब से क्षेत्रफल में बढ़ रहे हैं। तब हमारा देश और हमारा राज्य भी चौंक उठा था और कई तरह की एडहाक कमेटीज बनायी। उनके सुझाव लिये। उसके बाद में उन्होंने डेजर्ट अफोरेस्टेशन सैन्टर कायम किया। आखिर सैन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट भी कायम हुआ। कई तरह के इस बारे में रिसर्च हुए. योजनायें बनी। सन् 1968 से हमारे राजस्थान में भी डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारम्भ हुआ लेकिन आज नतीजा हम देख रहे हैं चाहे सेन्ट्रल एरिड जोन रिसर्च इन्स्टीट्यूट यह कहता हो कि क्षेत्रफल में थार रेगिस्तान नहीं बढ़ रहा है लेकिन वास्तव में थार रेगिस्तान में चाहे क्षेत्रफल में कम बढ़ा हो वह घनत्व में काफी बढ़ गया है। बालू रेत पिछले वर्षों थार रेगिस्तान में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारे लिये आगे आने वाले वर्षों में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी करेगा। चाहे मंत्री महोदय उत्तर में यह कह दें कि हम राजस्थान कैनाल बना रहे हैं इससे इस डेजर्ट की समस्या हल हो जायेगी लेकिन वास्तव में उससे इस समस्या में कतई लाभ होने वाला नहीं है। जो लोग रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं उन लोगों की जिन्दगी दिन प्रतिदिन दूभर होती जा रही है। एक समय था, उपाध्यक्ष महोदय, जब रेतीली जमीन के अन्दर केवल बारिश से कपास होती है और तीन वर्ष तक उस कपास की झाड़ रहती थी। इस रेगिस्तान में हजारों लाखों की तादाद में मवेशी थीं। गायें थी। इस रेगिस्तान में घी और दूध को नदियां बहती थीं। इस रेगिस्तान में प्रति व्यक्ति तीन गाय का औसत था। लेकिन आज हम सारे आंकड़ों को देखें तो तीन व्यक्तियों के पीछे एक गाय रहती है। एक व्यक्ति पर तीन गाय थी वहां तीन व्यक्ति के ऊपर एक गाय रह गयी है। भेड़ें भी बहुत कम हो गयी है। उनकी पैदावार कम हो गयी है, दूध, घी की पैदावार कम हुई है। केवल एक बकरी ने अपनी तादाद अवश्य बढ़ायी है। जमीन के अन्दर का पानी सूख गया है। वर्षों पुराने कुए जिनको लोग कहते थे कि पाताल तोड कुए हैं, इन वर्षों में बिल्कुल सूख गये। हर साल अकाल पड़ता जा रहा है। अगर आप आजादी के पहले के 12-15 वर्ष का इतिहास देखें तो केवल दो वर्ष अकाल के थे। संवत 2000 से ले करके 2020 तक केवल दो वर्ष अकाल के थे लेकिन 2020 से 2041 तक 14 वर्ष अकाल के रहे। उपाध्यक्ष महोदय, इस इलाके के अन्दर यह सब इसलिये हुआ, देखने में स्पष्ट लगता है कि जनसंख्या बढ़ी। जनसंख्या बढ़ने से आदमी ने ज्यादा हल चलाया जमीन पर, ज्यादा काश्त की, रोटेशनल कल्टीवेशन जो होता था जिससे जमीन हमारी नयी होती थी वह सारा बन्द हुआ, झाड़ पेड़ अनाप शनाप कट गये और धूल ज्यादा, बालू रेत ज्यादा बढ़ गई। आज रास्ते गाड़ियों के रुक गये हैं। सड़कों पर बसों के रास्ते रुक रहे हैं। चाहे आप कितना ही प्रोग्राम फोरेस्ट का, डेजर्ट डेवलपमेंट का बढ़ा दें, यह सारी एडहाक

209

(श्री गंगाराम चौधरी)

व्यवस्था है। इस एडहाक व्यवस्था से इस डेजर्ट की समस्या कतई हल होने वाली नहीं है। इस डेजर्ट की समस्या हल करने के लिये मेरा केवल एक ही सुझाव है कि रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम एक मास्टर प्लान की तरह बनाना पड़ेगा। डेजर्ट एरिया के सारे लोगों, हम सोचते थे, राजस्थान कैनाल पर चले जायेंगे और डेजर्ट पर जो प्रेशर पापुलेशन का है वह कम होगा। लेकिन राजस्थान कैनाल एरिया में अलाटमेंट के कायदे कानून कुछ इस तरह से बने हैं कि डेजर्ट का आदमी वहीं का वहीं रहा और डेजर्ट पर उस पापुलेशन के प्रेशर में रत्ती भर कमी नहीं हुई। चाहे आक्शन से जमीन अलाट की हो चाहे और तरीके से की हो लेकिन राजस्थान के बाहर के लोगों और खाते पीते दूसरे लोगों ने जमीनों पर कब्जा किया और रेगिस्तान का गरीब आदमी आज भी बकरी, भेड़ और गाय के साथ तड़प रहा है। पानी पीने के लिये तरस रहा है। मैं यह चाहूंगा कि रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम इस प्रकार का बनाया जाय, राजस्थान कैनाल एरिया में अलाटमेंट के नियमों में इस प्रकार के प्रावधान किये जांय कि इस ग्रेट इंडियन डेजर्ट में आने वाले लोगों को काफी बड़ी तादाद में ले जा करके वहां बसाया जाय। पहले एक दफा यह बात भी हुई थी कि लिफ्ट कैनाल बनायी जाय....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका विषय कौन सा है ? पर्यावरण ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि इकोलाजिकल जो इम्बैलेंस हुआ है उस इम्बैलेंस को दूर करने के लिये वन विभाग का भी कार्यक्रम है. लेकिन रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम को साथ में नहीं ले रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस बैलेंस को कायम रखने के लिये जो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बनाया जाय उसमें जो बातें पहले चल रही थी कि पानी को इन्सान के पास ले जाया जाय या इन्सान को पानी के पास ले जाया जाय ? अच्छा तो यह होता कि पानी को इन्सान के पास ले जाया जाता। डेजर्ट जितना बढ़ा है उसमें अगर कैनाल्स जगह-जगह ले जायी जाती तो शायद डेजर्ट नहीं बढ़ता लेकिन वह भी नहीं हुआ। मामूली सी लिफ्ट स्कीम हो तो वह डेजर्ट को बढ़ने से कतई रोक नहीं पायेगी। तो इस प्रोग्राम के साथ-साथ वन विभाग को क्या करना चाहिये ? अब चाहे इस वक्त डेजर्ट डवलपमेंट का प्रोग्राम हाथ में लें, चाहे स्टेबलाइजेशन का प्रोग्राम ले लें, चाहे ईंधन का, चाहे किसी तरह का एडहाक प्रोग्राम्स लें, इनसे इकोलाजिकल इम्बैलेंस कोई खास सुधरने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहूंगा कि ऐसा प्रोग्राम बनाया जाय जिससे कि हर किसान को इस प्रकार का ज्ञान हो कि जमीन के इरोजन को रोकने के लिये क्या करना चाहिये। इसमें सरकार का कोई खर्च नहीं हो केवल एडवाइस उसको मिले और उस राय से वह पेड़ों को अपने खेत में एक्रास द विन्ड लगायें। चाहे वह कल्टीवेशन की हैबिट्स बदलें चाहे कुछ और पेड़, पौधे या पैटर्न आफ क्राप्स बदलें लेकिन उसको एक एडवाइस मिलनी चाहिये जिससे कि आने वाले वर्षों में इरोजन को रोक पाये। आज के दिन वहां पर कई स्पेसीज तक खत्म हो गयी हैं, उपाध्यक्ष महोदय, पौधों की, पेड़ पौधों की। जैसा मैं कह रहा था, कपास

(श्री गंगाराम चौधरी)

का पैदा होना बन्द हुआ लेकिन झाड़ जैसा जरिया वहां नष्ट हो गया। संवत 2025 के अकाल में बहुत बड़े इलाके से झाड़ बिल्कुल खतम हो गयी। बीकानेर में और बाड़मेर की एक जगह को छोड़ करके झाड़, जो खाद देता था जमीन को, का पौधा बिल्कुल नष्ट हो गया है।

(7.00 रात्रि)

कई तरह की घास नष्ट हो गयी है। आज बुरड़ देखने को नहीं मिलती, सेवण बहुत कम पैदा होती है। बुरड़ खतम हो गयी, धामन पैदा नहीं होती। आज बरसात के दिन आदमी को अपनी गाय को अपने खेत से पास बांधकर चराना पड़ता है। हमारा इलाका, डेजर्ट ऐसा था जहां पर अपने आप हर्ड के हर्ड जंगल में जाते थे, अपने आप पानी पीते थे, अपने आप दूध देने के लिए घर पर आते थे। उनको आज बरसात के दिनों में भी स्टाल फीडिंग कराना पड़ रहा है। इस तरह जो हालत बिगड़ी उसमें फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, सोइल कन्जरवेशन और इन्दिरा गांधी नहर, सब विभाग मिलकर अगर री-हैबिलिटेशन प्रोग्राम को, उपाध्यक्ष महोदय, नहीं बढ़ायेंगे तो इस डेजर्ट का इकॉलाजिकल बैलेंस आने वाले वर्षों में इस तरह -

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

"बिगड़ जायेगा कि लोगों को पानी की एक बूंद बूंद के लिए तरसायेगा। चाहे रीजनल स्कीम बना लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए इस डेजर्ट एरिया के लोगों को बहुत जल्दी शरणार्थी बनकर गुजरना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन यह कर रहा था कि पर्यावरण विभाग और दूसरे विभाग, जिनके लिए मैंने कहा, मिलकर इस समस्या का समाधान करें।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री खेमराज कटारा।

नहीं हैं?

श्री सूरमा राम। श्री ज्वाला प्रसाद।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अब मन्त्री जी का जवाब दिलवा दें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, तीनों आदमी हैं। आप बोलिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह तो अपनी तैयारी में लगे हैं, सुन तो कुछ रहे नहीं, लिख नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं जो कुछ जवाब उन्होंने देना है दिलवा दीजिए। वह तो तैयारी करने में लगे हैं अपने जवाब की। सुन तो रहे नहीं।

श्री हरिकुमार औदिच्य : उपाध्यक्ष महोदय, तीन लोग हैं, दो दो मिनट बोलेंगे खंगार सिंह जी और चम्पालाल जी।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो पुराने आदमी है नयों को बोलने दो।

श्री खेमराज कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वन मानव जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। जिस तरह से मानव जीवन की हिस्ट्री है उसी तरह से ट्रीज की लाइफ हिस्ट्री और एनिमल्स की लाइफ हिस्ट्री है। गत बरसों में देश और प्रान्त के अन्दर तेजी से वनों का कटाव हुआ

(श्री खेमराज कटारा)

है। किन्तु भारत सरकार के नियमों से और राजस्थान सरकार के प्रयत्नों से गत 10 वर्षों में वन का कटाव कम हुआ है। आज मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह वन तेजी से क्यों कटे। खास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों और आदिवासी क्षेत्रों में वनों का कटाव इसलिए तेजी से हुआ कि खास तौर से आदिवासी वन पर निर्भर रहा करते थे। उनके जीवन-यापन के साधन उन वनों से ही जुटाते थे, लकड़ी चाहे रोजगार के लिये हो, खेत में काम आने वाले औजार हों या घर, या झोंपड़ा बनाने के लिए हो, वह वन पर निर्भर रहा करते थे। हमारा दुर्भाग्य यह है कि उसके माइण्ड को और तरफ डाइवर्ट करने का कोई उपाय हमारे पास नहीं था। आज भी हमारे पास इसके लिये स्ट्रांग उपाय नहीं है जिसकी वजह से हमको वन काटने से जितना रोकना चाहिए था उसमें हमें सफलता नहीं मिली है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज भी हमारे पास वक्त है, वनों पर निर्भर, हमारे चाहे आदिवासी भाई हैं, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों उनकी वनों से निर्भरता हटाकर उसके लिए वनों से सम्बन्धित छोटे छोटे उद्योग लगाये जायं जिससे वनों की कटाई रुक सके।

साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वन विभाग के अन्दर काम करने वाले हमारे अधिकारी और छोटे कर्मचारी हैं। हमारे लिये वन लगाना इतना आवश्यक नहीं है, जितना ही जो मौजूद वन हैं उनकी रक्षा करना है। नये वन लगाने का जहां तक प्रश्न है, आज जो भी अधिकारी है चाहे बड़ा हो या छोटा हो, मेरी मान्यता है कि उसको हार्टिकल्चर, एग्रोनामी और एन्टामालाजी की नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। इसलिए कि कौनसी भूमि के अन्दर कौनसा पेड़ उगाया जाय जो वहां पनप सकता है, यह जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इस दृष्टि से मैं आपकी मार्फत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि कटाव पीड़ित क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे कर्मचारियों को यह नॉलेज बहुत आवश्यक है।

साथ ही जहां तक पर्यावरण का सवाल है, प्रदूषण का सवाल है उदयपुर के अन्दर घनी बस्ती है। उसके बीच में कई फैक्ट्री उद्योग लगे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर, हमारे यहां आयर नदी है उसमें, हमारी दो तीन फैक्ट्री-पेस्टिसाइड्स इण्डिया और डिस्टिलरी, का गंदा पानी नदी में होकर उदय सागर में जाता है। उससे उस नदी के अन्दर कई गाय-भैंसें मरी हुई पड़ी रहती हैं और बहुत गन्दगी रहती है। उससे कम से कम 20 गांव प्रभावित हो रहे हैं। पीने लायक पानी भी हमारे आस-पास के कुओं में नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में हमारा जो पाल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड है वह पूर्ण रूप से असफल रहा है। मैं चाहूंगा कि इस ओर हम ज्यादा ध्यान दें। साथ ही वन का जो प्रश्न है इसमें वन लगाने के साथ-साथ हमारा जो लगा हुआ वन है उसकी रक्षा करना ज्यादा जरूरी है। इन दिनों ट्राइबल डवलपमैण्ट निगम की मार्फत भी वन का काम किया जा रहा है। इसके अन्दर लघु वन उपज के लिए रतनजोत और दोहान जैसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं

(श्री खेमराज कटारा)

कि ग्रादिवासियों का विकास रतनजोत जैसे ट्रीज लगाने से नहीं किया जा सकता। उससे जो लघु वन उपज मिलती है उसकी कास्ट भी कम होती है ग्रौर वह ऐसा पेड़ है जिसकी लकड़ी इमारत ग्रौर फर्नीचर के काम में नहीं ग्राती। मैं चाहूंगा, ग्रादिवासी क्षेत्रों में रेवेन्यू की हो या फारेस्ट की लैण्ड हो वह उनको ग्रलाट कर ऐसे पेड़ लगाये जायं जिनसे ग्राने वाले समय में उनको कुछ मिल सके, उनकी माली हालत ठीक हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा। श्री चुन्नीलाल इन्दलिया। टाइम से। दस से ग्यारह मिनट नहीं।

एक माननीय सदस्य : यह पहली बार बोल रहे हैं ग्रादिवासी इलाके के ग्रादमी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : हां, चुन्नीलाल इन्दलिया जी ग्रादिवासी हैं। ग्राप पुराने ग्रादमी हैं।

श्री सूरमा राम (पिण्डवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वन के बारे में बोलना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र ग्राबू पिण्डवाड़ा में प्रदेश के वन का बहुत बड़ा भाग ग्राता है। माउण्ट ग्राबू राजस्थान ग्रौर गुजरात का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल है जहां वनों का विकास किया जाना बहुत ही जरूरी है। जहां तक मुझे जानकारी मिली है, ग्राबू पर 29 बीघा जमीन में एक प्राइवेट संस्था ग्रारनेट क्लब द्वारा टूरिस्ट काम्प्लैक्स स्थापित किया जा रहा है। इस संस्था द्वारा जहां यह काम्प्लैक्स स्थापित किया जाना है उस जमीन पर करीब 25 हजार पेड़ उगे हुए हैं उन्हें काटा जायेगा। इन पेड़ों की कटाई के लिए ग्राबू पर्वत नगरपालिका ने भी एन.ग्रो.सी. जारी किया है जबकि वन विभाग ने इस कटाई पर भारी ग्रापत्ति व्यक्त की है। ग्राबू का सौन्दर्य इन्हीं पेड़ों पर कायम है। ग्रगर ये पेड़ काटे जायेंगे तो ग्राबू उजड़ जायेगा। जिस जमीन पर यह टूरिस्ट काम्प्लैक्स स्थापित किया जाना है उस जमीन पर राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित गम्भीर हाइडल प्रोजेक्ट स्थापित किया जाना है। इस प्रोजेक्ट के चालू होने से ग्राबू क्षेत्र की हजारों बीघा जमीन की सिंचाई होगी तथा प्रतिदिन 6 मैगावट बिजली पैदा होगी। इस काम्प्लैक्स के स्थापित होने से जन हित की यह योजना नष्ट कर दी जायेगी। मेरी मांग है कि राज्य सरकार जन उपयोग की इस योजना को तत्काल चालू करे ग्रौर टूरिस्ट काम्पलैक्स को निरस्त किया जाय।

ग्राबू में रात में कई वर्षों से पेड़ों की ग्रवैध कटाई की जा रही है। सरकारी ग्रधिकारियों की मिली भगत से पेड़ काटकर जंगलों में ग्राग लगा दी जाती है ग्रौर बाद में घोषित किया जाता है कि जंगल में ग्रपने ग्राप ही ग्राग लग जाती है।

वन विभाग द्वारा क्षेत्र के ग्रादिवासियों को सरकारी ग्रादेशों के बावजूद उनकी कब्जा शुदा जमीन ग्रावंटित नहीं की गयी। ये ग्रादिवासी मूलतः खेती पर ही निर्भर हैं फिर भी वन विभाग उन्हें खेती के लिए जमीन नहीं दे रहा है मेरी मांग है कि ग्रादिवासी कल्याण के लिए सरकार इस मामले पर ध्यान दे ग्रौर खेती की जमीन

(श्री सूरमा राम)

आदिवासियों को वन विभाग से दिलाने की कार्यवाही करे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पर आदिवासी रहते हैं। आदिवासियों का जीवन उन पहाड़ियों से जुड़ा हुआ है। माउन्ट आबू व आबू में कई तरह के फल-फूट पैदा होते हैं, जैसे आम, कैरी, करौन्दे और खट्टी इमली जिनको तोड़ तोड़ कर आदिवासी अपना पेट भरते हैं। जिस जमीन के बारे में, आदिवासियों की जमीनों के बारे में मैंने जिक्र किया था उन जमीनों पर 1972 से पहले वे काबिज थे, उनको अलाट कर कब्जा दिलाने के लिये राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिये थे लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को जमीन आवंटित नहीं की गई है। ये आदिवासी गांव हैं—पाबा, गोपाल बेड़ा, दोहितरा, रणोरा, भामरिया, निचलागढ सुरपगाल, पीपरमाल, डेरी, आरिया, मूला, बालोरिया, मोरा, जामबोडी। ये टोटली पहाड़ी इलाका है और आदिवासी लोग वहां रहते हैं, 1972 के पहले के काबिज हैं, उन्होंने मकान बनवा लिये कुवा बनवा लिये, सब कुछ करवा लिया अब सरकार उनको बेदखल कर रही है।

हमारी सरकार पर्यावरण सुधार पर जब करोड़ों रुपये सातवीं पंचवर्षीय योजना में खर्च करने जा रही है ऐसी स्थिति में मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि आबू की पहाड़ियों पर सघन वृक्षारोपण की पृथक योजना बनाकर शीघ्र लागू की जाय।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, आज सदन में वन विभाग की मांग पर चर्चा हो रही है। उपाध्यक्ष जी, वन ऐसी चीज है जिसका सम्बन्ध गरीब इन्सान से जुड़ा हुआ है। जहां भी हरियाली होगी, यह सब लोगों का मानना है, कि वहां पर बरसात भी अधिक होगी। आज राजस्थान में पेड़ों की संख्या घटने से आये दिन अकाल पड़ते जा रहे हैं। इसलिये मेरा मानना है कि अगर वन विभाग को राज्य सरकार अधिक धनराशि दे और इस अभियान को अगर तेजी से किया जाये तो निश्चित रूप से राजस्थान में अकाल की जो स्थिति है उस पर काबू पाया सकता है।

उपाध्यक्ष जी, राजस्थान कैनाल, जिसका कि नाम इन्दिरा गांधी नहर रखा गया है, के इलाके में बड़ा लम्बा जंगल है, ऐसा इलाका है जहां कुछ वर्षों पहले एक भी हरा पेड़ मीलों तक नजर नहीं आता था। अगर बुराई करें इस महकमे की तो बुराई भी बहुत है लेकिन फिर भी जब हम उस इलाके में जाते हैं तो बहुत हरियाली जगह जगह पर नजर आती है। छोटी छोटी माइनर्स हैं, छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज और खाले हैं वहां पर हरियाली देखने से आदमी की तबीयत खुश हो जाती है। फिर भी सूखे जंगल दिखाई देते है जिससे इस विभाग के प्रति बड़ी निराशा होती है। फिर भी, उपाध्यक्ष जी, वहां जाने से लगता है कि कुछ विभाग ने काम किया है इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी यह विभाग असफल क्यों है?

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

असफलता का सारा दोष न तो इस विभाग के अधिकारियों का है और न कर्मचारियों का दोष है। दोष है तो सरकार की नीतियों का जिससे हम वन विभाग का तेजी से विकास नहीं कर सकते।

उपाध्यक्षजी, वन विभाग का बीकानेर शहर में हरी पट्टी के नाम से प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम के अन्तर्गत पूरे बीकानेर शहर के चारों तरफ लगभग 2 किलो मीटर चौड़ी पट्टी वन विभाग ने लगाई। यह प्रोग्राम आज क्यों असफल रहा है ? तो मुझे बताया गया, सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारे बीकानेर को हरी पट्टी का प्रोग्राम अधूरा पड़ा है। उस प्रोग्राम को आज भी रोकने का आदेश दे रखा है। मैं चाहूंगा कि बीकानेर शहर की हरी पट्टी का जो प्रोग्राम है, उपाध्यक्ष जी, उस प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाय। बीकानेर शहर के आस-पास 30–30, 40–40 किलो मीटर में उस हरी पट्टी का बनाने से बरसात अधिक होती और हमारे जो जंगल है, जो रेगिस्तानी पहाड़ियां हैं, इलाका है उसको रोकने में बड़ा लाभ होगा।

उपाध्यक्ष जी, इन्दिरा गांधी नहर की लेफ्ट साइड में 3 किलो मीटर का वन विभाग का जो हरी पट्टी का प्रोग्राम हैं वह भी आज अधूरा पड़ा है। इस विभाग को काम करने के लिये राज्य सरकार ढंग से बजट दे, अच्छी अगर धनराशि दे। इतना लम्बा चौड़ा इलाका है, यह उसको देखने से और वहां पर जाने से पता लगता है। उपाध्यक्षजी, उपनिवेशन विभाग ने वन विभाग को लगभग साढ़े तीन लाख बीघा भूमि पिछले वर्षों में दी है लेकिन उस भूमि को सुधारने की सरकार के पास न तो कोई नीति है और न ही रीति है और न धन है। सरकार प्रोग्राम दे देती है, जिससे डिपार्टमेन्ट की बदनामी होती है कि वन विभाग वाले चोर हैं, भ्रष्टाचारी है, पेड़ नहीं लगाते, काम नहीं करते। लेकिन, उपाध्यक्ष जी, उस इलाके में जाने से पता लगता है वन विभाग के छोटे छोटे कर्मचारी, नौकर पुराने जंगली इलाके में पड़े हैं। जहां सेवाय सांप रहते है, बड़े खतरनाक सांप रहते हैं जैसे पैना समचूड़ा ऐसे खतरनाक सांप जो आदमी को एक सैकिण्ड में खतम कर दें। वहां कर्मचारी नीचे पड़े रहते हैं। गर्मी के दिनों बाबरी सांप पड़े रहते हैं उनका कोई इलाज नहीं है इनके पास कोई प्लान नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट ही पूरा नहीं देते हैं इस कारण इस डिपार्टमेन्ट की दुनिया भर में बदनामी है। अगर सरकार इस डिपार्टमेंट का बजट दे, ढंग से अगर इससे काम लिया जाय तो मैं कहता हूं कि अगर गरीबी को खतम करने वाला कोई विभाग है, इन्सान की भूख को अगर खतम करने वाला कोई डिपार्टमेन्ट है तो, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का यह वन विभाग है

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं चाहूंगा कि जिस तरह का यह डिपार्टमेन्ट है इसको इस हाथ मे लेना चाहिये। उस इलाके में जो पेड़ हैं उनमें सबसे अच्छा ताली का है, जिसको हम शीशम की लकड़ी कहते हैं। उपाध्यक्षजी, जिस किसान ने अपने खेत में अगर इसके दस भी पेड़ लगा लिये तो भारी कीमत मिलती है उन पेड़ों की, लेकिन सरकार ने आदेश दे रखा है कि उस इलाके में कीकर के पेड़ लगायें, बबूल

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

लगायें। उपाध्यक्ष जी, उन पेड़ो में सिर्फ कांटे होते हैं, उनकी लकड़ी किसी काम की नहीं है। जो हमारा देशी कीकर है, वो किसानों के काम आ सकता है। लेकिन राजस्थान इन्दिरा गांधी नहर इलाके में बहुत बड़ा सिंचित इलाका है उसकी भूमि बहुत उपजाऊ है उसमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ ताली के लगाये जायं और दूसरे फलदार पेड़ लगाये जायं। उपाध्यक्ष जी, किसी किसान ने अगर अपने खेत में दस पेड़ भी उपजाऊ लगा दिये तो इसको अच्छा लाभ होता है। आप देखेंगे इतना बड़ा नींबू होता है वहां बड़े-बड़े नींबू, बड़े-बड़े माल्टे होते हैं, इतनी उपजाऊ वह धरती है वहां अच्छी सब्जियां होती हैं। लेकिन खेद इस बात का है इन्दिरा गांधी नहर जैसी बड़ी हमारी योजना होते हुए आज पीने का पानी नहीं मिल रहा है। पता नहीं उस पानी को कहां बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उपाध्यक्ष जी, बिना पानी के पेड़ कैसे लगें।

पिछले पूरे साल भर से पेड़ तो दूर रहे वहां तो किसानों को पीने का पानी नहीं मिल रहा हैं। उपाध्यक्ष जी, ऐसी हालत में पेड़ जिन्दा कैसे रहेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा खास तौर से मन्त्री महोदय से, मन्त्रीजी उस इलाके में जाते हैं उनको पेड़ों के बारे में पता है

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

उनको धरती और सिर्फ दो मिनट। जमीन की किस्म का पता है, कौनसी ऐसी धरती है, किसमें कौनसा ऐसा पेड़ लगता है। हमारा धरती, उपाध्यक्षजी अच्छी भूमि है पर उसमें एक बीमारी है, पेड़ों से मिट्टी उतर जाती है इसलिये, पेड़ खतम हो जाते हैं। इसलिए जहां ज्यादा से ज्यादा रेतीली भूमि हो वहां पेड़ लगाने चाहिये। लगभग साढ़े तीन लाख बीघा भूमि जो वन विभाग को दी गई है, उपाध्यक्षजी उसमें अधिकतम भूमि काबिल काश्त है। काबिल काश्त जो भूमि है उस भूमि में चांवल भी हो सकता है, सब्जियां हो सकती हैं, गेहूं भी हो सकता है। इसलिये ऐसी भूमि वन विभाग से सरकार को वापिस लेनी चाहिये और किसानों को अलाट करनी चाहिये। जो बहुत सी, लाखों बीघा भूमि धोरों की पड़ी है उपाध्यक्षजी, बेकार भूमि है और तो सिवाय पेड़ लगाने सिवाय जंगलात लगाने, पशुधन चराने के दूसरे किसी काम की नहीं है, ऐसी भूमि अगर वन विभाग के पास हो तो पेड़ भी जल्दी लगेंगे। जो वन विभाग को सख्त भूमि दी गई है, लगभग साढ़े तीन लाख एकड़ भूमि, है उनमें से अच्छी, उपजाऊ भूमि वन विभाग से वापिस ले करके

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

काश्तकारों, भूमिहीन किसानों को अलाट की जाय ताकि किसान जो है....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्षजी, एक मिनट।

इसलिए मैं मांग करता हूं आपकी मार्फत कि बीकानेर का जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है, राजस्थान नहर की लेफ्ट साइड का, उसमें तीन किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है, मैं पूरी नहरों पर पेड़ लगाने का प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को हाथ में क्यों नहीं लिया गया ? उसे लेना चाहिये। नम्बर 11 नम्बर

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

(2) बीकानेर शहर को हरी पट्टी के प्रोग्राम को हाथ में लेना चाहिए ताकि हमारा अच्छा प्रोग्राम सफल हो सके।

मैं लम्बा भाषण नहीं दे करके मांग करता हूं कि वन विभाग की जितनी अच्छी भूमि है, उसमें पेड़ों की सुरक्षा हम ज्यादा कर सकते हैं। जब पेड़ों की सुरक्षा नहीं हो रही हो तो दर्द जरूर होता है कि कितना बड़ा प्रोग्राम है लेकिन काम नहीं हो रहा है। इसका सारा दोष इस विभाग का नहीं राज्य सरकार का है। इस सरकार को कोई नॉलेज नहीं है इस विभाग के बारे में, पेड़ लगाने के बारे में। उपजाऊ पेड़ और फलदार पेड़ लगाने का न सरकार के दिमाग में कोई प्रोग्राम है न कोई प्लान है इसलिए मैं चाहूंगा कि फलदार पेड़ राजस्थान में उस इलाके में लगाये जायं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोविन्द सिंह गुर्जर।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 11 के ऊपर अपने विचार आपके मार्फत माननीय सदस्यों और मंत्री महोदय के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय आज हमारे चारों तरफ जो पांच तत्व हैं जल, पृथ्वी आकाश, पानी, हवा इनसे हमारा यह चोला बना है। जो हमारे चारों तरफ विद्यमान हैं उस पर्यावरण को अक्षुण्य बनाये रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, मैंने भी पढ़ा है कि आज जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें केवल 20 प्रतिशत हवा ऐसी है जो सांस लेने योग्य है। 80 प्रतिशत हवा प्रदूषित है जो हमें नुकसान कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति ऐसी आ सकती है अगर इस गम्भीर समस्या को ठीक तरीके से नहीं समझा गया और इसके प्रति गम्भीर रुख नहीं अपनाया गया तो, उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह हवाई जहाज में देखते हैं मास्क आक्सीजन का लगाना पड़ता है, इसी तरह का मास्क घर में अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति आ सकती है। इसलिए आज जो पर्यावरण की गम्भीर समस्या हमारे सामने है सरकार उसको अपने बलबूते पर दूर कर दे यह सम्भव नहीं है। यह एक ऐसी सामाजिक समस्या है जिसे हम सबको मिल कर सुलझाना होगा वरना उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आप और हम सुनते हैं कयामत आने वाली है, अगर पर्यावरण के विषय में हमने ध्यान नहीं दिया और जिस गति से हम पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं वह गति जारी रही तो आप जानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, डूम्स-डे आने वाला है, आज नहीं आयेगा दस साल, बीस साल सौ साल बाद कयामत का दिन आने वाला है। इसलिए हमारी प्रधान मंत्रीजी ने 5 जून पर्यावरण दिवस को इस वर्ष 1985 को अपना संदेश देते वक्त कहा था कि—

"We must preserve and pass on to coming generation an environment purer than that which we have inherited."

जो हमें मिला है उसमे अच्छा और स्वस्थ पर्यावरण हम आने वाली पीढ़ी को दें, यह संदेश हमारी प्रधान मन्त्री ने हमें दिया था। उपाध्यक्ष महोदय यही नहीं, आपने भी पढ़ा होगा अखबारों में, बहुत

217

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

दफा आया कि आज हमारे जो प्राकृतिक साधन है ईंधन का जिस तेजी के साथ उसको हम नष्ट कर रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं। अगर हम ईंधन को इसी रफ्तार से काम में लेते रहे तो 2000 ईस्वी में ऐसी स्थिति आ जायगी, उपाध्यक्ष महोदय, खाने के लिए तो हमारे पास आटा होगा लेकिन पकाने के लिए ईंधन नहीं होगा। बहुत गम्भीर समस्या है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी प्रधान मन्त्री स्वर्गीया इन्दिरा गांधी ने इस बात को स्टॉकहोम में हुए बहुत बड़े कन्वेन्शन में उठाया था 1978 में, उसके बाद में डिपार्टमेन्ट बना. मैं यह मानता हूं कि डिपार्टमेन्ट की बहुत समस्यायें हैं। अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे डिपार्टमेंट को खत्म कर देना चाहिये, मैं समझता हूं इससे बड़ी ट्रेजेडी और कोई नहीं हो सकती। तो हमको इस समस्या से निपटना पड़ेगा। इस समस्या का निराकरण करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा। आज जो प्रदूषण हो रहा है यह वायु मन्डल में कारबन डाई आक्साइड के कारण है। हम जब सांस लेते हैं तब आक्सीजन लेते हैं और कारबन डाई-आक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। आज कारबन डाई ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती जा रही है। हमारे वातावरण में इसका प्रतिशत जीरो पाइन्ट पांच प्रतिशत है। इसे जीरो पाइन्ट पांच प्रतिशत में भी आधा यानि जीरो पाइन्ट 25 प्रतिशत तो समुन्दर में घुल जाता है और कुछ इधर उधर चूना पत्थर वगैरह बन जाता है। इतना उपयोग हो जाने के बावजूद जो आधा जीरो पाइन्ट 25 प्रतिशत है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ प्रति वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। इसके बढ़ने के कारण, उपाध्यक्ष महोदय यह हो रहा है कि जो हमारा वातावरण है वह प्रदूषित होता जा रहा है और दूषित होता जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1900 में कारबन डाई ऑक्साइड की मात्रा हमारे यहां पर 290 प्रति दस लाख थी जिसे पी. पी. एम. कहते हैं, यह सन् 1960 में बढ़कर 330 प्रति पी. पी. एम. हो गयी। 290 जो थी 1900 में बढ़ कर 1960 में 330 हो गयी। 60 साल में 40 प्रतिशत प्रति दस लाख कारबन डाई ऑक्साइड बढ़ कर वातावरण में फैल गया।

उपाध्यक्ष महोदय, एक ही उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। राजस्थान में कोटा के अन्दर थरमल प्लान्ट लग रहा है। उस थरमल प्लान्ट से, जैसा कि वाटर पोल्यूशन बोर्ड ने खुद सर्वे किया है, 115 टन कोयले का धुंआ निकलता है उससे वातावरण प्रदूषित होता है। उपाध्यक्ष महोदय, जो राख निकलती है वह 115 टन प्रतिदिन निकलती है जो कि ऊपर जाकर आकाश में मिल रही है और प्रदूषण कर रही है। यही कारण है। आपने भी देखा है और मैंने भी अखबार में पढ़ा है, दी टाइम्स' में जो आर्टिकल था उसमें लिखा था कि हिन्दुस्तान में कोटा में और हिन्दुस्तान के दूसरी जगहों पर जहां ऐसे प्लान्ट है वहां यह भारी मात्रा में कारबन डाई ऑक्साइड फैल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : कोटा वाले माननीय सदस्य ध्यान से सुनें।

एक माननीय सदस्य : हमारे यहां भी

(एक माननीय सदस्य)

वातावरण बना हुआ है इस प्रकार का ।

श्री उपाध्यक्ष : यह बहुत काम की चीज है, वास्तव में बहुत काम की चीज है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : तो, उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जो वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है इस विषय पर हमें गम्भीर रूप से सोचने की जरूरत है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह भाषण दे रहे हैं या जवाब दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, घनश्याम जी, यह बहुत काम की चीज है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, जो मेरा चार पांच साल का अनुभव है वह मैं बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : घनश्यामजी, जवाब तो कुछ दिन बाद में देंगे।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि केवल केमिकल से ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हम तो सभी की शुभ कामनायें करते हैं।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रदूषण को रोकने के लिये यह ई. एस. पी, जिसको इलेक्ट्रो स्टेटिक प्लान्ट कहते हैं, लगाने की आवश्यकता है। पर उपाध्यक्ष महोदय, यह यन्त्र भारी और महंगे होते हैं। इनको ठीक ढंग से चालू नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार से होता क्या है कि संयंत्र अपने आप बन्द हो जाते हैं। इस पर तो मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्राकृतिक तरीके, जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं हो, अगर हम अपनायें तो प्रदूषण की मात्रा घट सकती है और कम हो सकती है। इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक हैक्टेयर में हरियाली के अगर हम पेड़ लगा दें, पौध लगा दें, गार्डन लगा दें, या फ्रूट्स के पेड़ लगा दें तो उनसे हमें 200-250 पर्सेन्ट शुद्ध हवा मिल सकती है। एक पेड़ अपने जीवन में हमको 25 लाख रुपये की आक्सीजन देता है। उपाध्यक्ष महोदय, इतना कीमती पेड़ होता है। उपाध्यक्ष महोदय, पेड़ की कीमत नहीं आंकी जा सकती है। एक पेड़ हमको 25 लाख रुपये की आक्सीजन देता है अपने जीवन काल में, तो हम पेड़ लगाकर पर्यावरण की आज जो गम्भीर समस्या बनी हुई है उसको काफी दूर कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक पौधा होता है जंगल की जलेबी आपने देखी होगी, मैंने तो खाई भी है। इस जंगल की जलेबी में कोयले की जो राख निकलती है उसको एब्जोर्ब करने की बहुत अच्छी मात्रा में ताकत है। आज हमारे जहां बड़े-बड़े संयंत्र लगे हुए हैं उनके आस पास में हमें इस प्रकार के पेड़ लगाने चाहिये। अगर वह पेड़ हम लगायें तो जो समस्या पैदा हुई है उससे अपने आप हमारी रक्षा हो जायेगी। इसी प्रकार से एक गुलमोहर का पेड़ होता है। यह सभी जगह होता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी इसे देखा होगा, उसके लाल फूल आते हैं अच्छे अच्छे। गुलमोहर का पेड़ इतनी

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

ताकत रखता है, उपाध्यक्ष महोदय आज जो शहरों में लोगों की सबसे बड़ी समस्या हैं मच्छरों की जिससे बचने के लिये लोग टिक ट्वण्टी, कुछ लोग कछुआ छाप अगरबत्ती और कुछ लोग सोते वक्त ओइन्टमेंट लगाते हैं। अगर, उपाध्यक्ष महोदय, गुलमोहर के पेड़ लगायें तो मच्छर नहीं आयेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, तो मैंने आपको यह छोटे छोटे प्राकृतिक तरीके बताये हैं जिनको काम में लेने से ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा और आपने काम में भी लिया होगा, नीम के पत्ते होते है वह और आंकड़े के पत्ते को अगर हम गेहूं के साथ मिला दें तो आपने सुना होगा कि गेहूं के साथ घुन पिस गये, वह घुन नीम की पत्तियों के डालने से घुन या इली नहीं पड़ती है गेहूं में। तो इस प्रकार जो यह उपचार है। इन्सेक्टीसाइड, दवाइयां होती हैं वह दूसरी बीमारियां फैला देती हैं। वह नहीं हो इसके लिये हमें प्राकृतिक उपचार काम में लेने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपको पहले ई. एस. पी. की बात कही थी। कारखानों में चिमनियां धुआं निकालती हैं। चाहे आपका सीमेंट का कारखाना हो, चाहे आपका और दूसरा कारखाना हो उनमें चिमनियां काम में आती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण आपने पढ़ा होगा, अखबारों में भी पढ़ा होगा कि कोयला जो काम में आता है जब इस कोयले का स्तर या तो निम्न होता है या कोयला अच्छा नहीं होता है या कारखाने को जो कोयला मिलता है वह भिन्न तरीके का, वेरियेबल तरीके का कोयला आता है उसका नतीजा यह होता है कि वह संयंत्र कभी कभी चलता चलता बन्द हो जाता है. वह ओटोमेटिक ही बन्द हो जाता है। उसके बाद में वातावरण बहुत भारी मात्रा में प्रदूषित हो जाता है। सीमेंट के कारखानों से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। आपने भी देखा होगा और मैंने भी देखा है कि वहां पर आस पास के खेतों में ऊपर की सतह पर एक पतला सा फर्श सा बिछ जाता है। इस तरह का खास तौर से सीमेन्ट के कारखाने से होता है। तो ई. एस. पी. है वह उसको कम करने में और दूर करने में बहुत मदद करता है। उपाध्यक्ष, महोदय, कई बार बिजली के बन्द होने के कारण या वोल्टेज में फ्रेक्शन आने से भी संयंत्र बन्द हो जाता है। उसके कारण जो बाद में धुआं निकलता है वह बहुत ही जहरीली गैस जैसा होता है। उसके ज्यादा होने से इसके परिणाम बहुत ही घातक हो सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उद्योगों को इसी बात के लिये पाबन्द किया जाना चाहिये कि इस प्रकार के जो प्लान्ट हैं उनमें यह संयंत्र लगाये जायं ताकि प्रदूषण की मात्रा कम हो।

इसके अलावा एक डस्ट कलेक्टर या डस्ट फिल्टर करने का यन्त्र होना चाहिये। यह बहुत कम खर्च के तरीके काम में लेकर वैकल्पिक व्यवस्था लागू करके हमें इसको रोकना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ी समस्या है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बात लैण्ड पोल्यू-

220

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

शन के बारे में निवेदन करना चाहूंगा बहुत से लोगों ने अपने सुझाव दिये, पर उस पर बहुत कम बोले हैं। आज उपाध्यक्ष महोदय लैण्ड पोल्यूशन बहुत अधिक हो रहा है। आज हमारे यहां पर हम जो कीट नाशक दवाइयां अपनी फसल को बचाने के लिये काम में लेते हैं, खाद में काम में लेते हैं उन खादों में जिस चीज का उपयोग किया जाता है वह कीट नाशक होती है।

एक माननीय सदस्य : आप जवाब दे रहे हैं क्या ?

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : यह बात तो पहले ही हो चुकी है। यह तो कुछ माननीय सदस्यों ने पूछ भी लिया और मैंने माननीय सदस्यों को इसका उत्तर भी दे दिया।

तो मैं, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : यह बात बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, यह जितनी कीट नाशक दवाइयां होती है उनकी खाद जो हम काम में लेते है, में अच्छी मात्रा में ताकत होती है, यह हमारी आइ. सी. ए. आर. इन्डियन कौन्सिल फौर एग्रीकल्चर रिसर्च इन्स्टीट्यूट है उसकी रिपोर्ट है। आप ताज्जुब करेंगे जो डी. डी. टी. हम छिड़कते हैं उसकी मात्रा हमारे शरीर में, इन्सानों के शरीर में 12.8 से लेकर 31.05 प्रतिशत तक है। इतनी डी डी. टी. हम कंज्यूम कर रहे हैं, पेड़ों की मार्फत, जो चीजें हम खाते हैं उनकी मार्फत। यह मात्रा दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे देश में है। हम इतना जहर अपने आप लेते जा रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाह रहा था कि कीट-नाशक दवाइयां....

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी आबादी का यह हाल है हमारे देश में।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : हमारे देश में किसान काम में लेते हैं, इन चीजों से उन्हें अवगत कराने की जरूरत है। इन चीजों से जो नुकसान हो रहा है, आम लोगों पर जो प्रभाव पड़ रहा है जो जहर प्रतिदिन हम अपने शरीर में ले रहे हैं उससे बचने के लिए बहुत कुछ करना आवश्यक है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक-दो सुझाव भी देना चाहूंगा। अणु बिजली घर के लिए बहुत सावधानी की जरूरत है। लेकिन अणु बिजली घर के किये यह बात कहकर कि सीक्रेट संस्थान हैं, वहां किसी भी आदमी को उन चीजों को देखने की, अणु के क्या प्रभाव हो रहे हैं, उस पर शोध करने की इजाजत नहीं है। अखबार में विभिन्न योजनायें पढ़ी हैं, विभाग ने भी इस सम्बन्ध में रिपोर्ट दी है। इसमें बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, पर्यावरण सुधार कार्यक्रम म्यूनिसिपैलिटी के जरिये चलाया गया। मुझे सबसे बड़ी शिकायत यह है कि इस कार्यक्रम में जहां करोड़ों रुपये केन्द्रीय सरकार हमें दे रही है उसका पर्यावरण सुधार के लिए कोई उपयोग नहीं हो रहा है और न ही विभाग का इसमें कोई योगदान है। नतीजा यह होता है कि जो पर्यावरण के लिए धन दिया जा रहा है वह अन्य कामों में खर्च हो जाता है और उसके

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

जो वांछित लक्ष्य है वह हम प्राप्त नहीं कर सकते।

इसी प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में एक बात कहनी है। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने यह कहा है, मैंने भी कहा है, लोगों ने भी कहा है कि जो यह प्रदूषण हमारे उद्योग के कारण या दूसरे तरीके से हो रहा है उसको रोकने के लिए कोई विभाग की ओर से माकूल कार्यवाही नहीं हो रही है। मैं मानता हूं उसका सबसे बड़ा कारण हमारे कानून हैं। कानून में इस प्रकार व्यवस्था नहीं है कि अगर कोई उद्योग प्रदूषण करे तो हम तुरन्त उसको रोक दें। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आइ. पी. सी., आपको मालूम है, की 137 धारा के तहत प्रदूषण रोकने की धारा है। उसके अन्दर यह कार्यवाही की जा सकती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 137 धारा के तहत विभाग को यह अधिकार दिया जाये कि जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनमें जहां भी प्रदूषण कोई भी उद्योग कर रहा हो, उसके खिलाफ केस करके उसको खत्म करने की कार्यवाही करें।

जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चम्पालाल बांठिया।

श्री चम्पालाल बांठिया : उपाध्यक्ष महोदय, जो पश्चिमी राजस्थान में उद्योग हैं रंगाई छपाई के पाली, जोधपुर और बालोतरा में इसके अधिकांश कारखाने हैं उनसे जो दूषित पानी निकलता है उससे आज इन इलाकों में सारी की सारी जमीन, जो उपजाऊ जमीन थी, बहुत खराब हो गई है। आपने देखा होगा तीलगडा में जो पशु मेला लगता है उसके अन्दर खड्डा खोदते ही थोड़ा सा पानी निकल जाता था। इस बार जब उकेरी खोदकर देखा तो उसमें रंगीन पानी था। जो जमीन के अन्दर यह दूषित पानी बह रहा है उससे सारी उपजाऊ जमीन खराब हो गई है। जो मवेशी पानी में बैठते हैं या गुजरते हैं उनकी सारी चमड़ी जल जाती है, उतर जाती है। अनेक पशु मर गये हैं और दूध की जो मात्रा उनसे हासिल होती है उसकी क्वालिटी भी बिगड़ गई है। इस प्रकार यह देखने में आया है प्रत्यक्ष। इसी तरह जो पेयजल है, लूणी नदी के दक्षिण छोर पर जितने भी पीने के पानी स्रोत हैं जहां से बड़ी-बड़ी पाइप लाइनें ले जाकर सारे एरिया के अन्दर पानी सप्लाई होता है उन ट्यूबवैल के अन्दर, ओपन वैल के अन्दर भी इस पानी पर इस प्रदूषण का प्रभाव बढ़ गया है और पानी इतना खारा और दूषित हो गया है कि उसको पीने से आज अनेक प्रकार की बीमारियां हो गई हैं। जैसा माननीय सदस्यों ने निवेदन किया, इससे कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। बालोतरा के अस्पताल में मैंने स्वयं जाकर देखा है कि जो एवरेज पहले टी. बी. के पेशंट का था आज उससे तीन गुने लोग इस बीमारी के आये हैं। यदि हमने इसके सम्बन्ध में जल्दी कारगर कदम नहीं उठाये, इसकी रोकथाम नहीं की तो मुझे डर है कि किसी समय भी कोई महामारी फैल सकती है और सारे के सारे एरिया के अन्दर भयंकर प्रकार से लोग मर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि जिम्मेदारी किस पर आती है। यह जो उद्योग हमने लगवाये हैं, लोगों को बाहर से

222

(श्री चम्पालाल बांठिया)

निमंत्रण देकर बुलाया है, आइये प्रवासी भाइयो ! उद्योग लगाइये हम आपको सुविधा देंगे । मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूं कि बालोतरा में जो उद्योग हैं प्रथम और द्वितीय फेज में, रीको के मालिकों से पूछिये जिन्होंने इसको लगवाया है । उनकी जमीन के ऊपर उद्योग लगाये है. और पैसा लिया है लेकिन उन्होंने पानी की निकासी का प्रबन्ध नहीं किया है । यह जो जवाब आया है यह सरासर असत्य है । 100 प्रतिशत इसके अन्दर कोई सत्य की बात नहीं है । एक भी इंडस्ट्रियल प्लाट लेबल डवलप करके नहीं दिया । पानी खड्डों में हैं, सड़कों के ऊपर है और नालियों के ऊपर पानी है, फिर बतायें कि दूषित पानी कैसे निकले । आज वाटर पाल्यूशन बोर्ड उन छोटे-छोटे उद्योगों के ऊपर, लघु उद्योगों के ऊपर कानून लगाकर उनको गुनहगार ठहराता है, उनके खिलाफ फौजदारी केस करता है, क्यों नहीं वह रीको के खिलाफ मुकदमा दायर करता । यह रीको की जिम्मेदारी है । बालोतरा में रीको उद्योग क्षेत्र में एक रुपया 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर से शुरू किया उसके दो रुपये, तीन रुपये, नौ रुपये, 13 रुपये और आज चालीस रुपये ले रहे हैं लेकिन कोई प्रबन्ध नहीं किया । आज बहुत अधिक प्रदूषण इंडस्ट्रियल एरिया के अन्दर है, सारा का सारा एरिया पानी से भरा हुआ है. बदबू आ रही है उससे वायु मंडल सारा दूषित हो गया है । भयंकर रूप से बीमारी फैलने की जिम्मेदारी रीको पर जाती है । यह जल प्रदूषण बोर्ड है इसकी जिम्मेदारी क्या है । इनकी किताब में लिखा है कि मास मीडिया के द्वारा इस बात का प्रचार व प्रसार करेंगे, लोगों को मालूम करायेंगे और इस प्रकार से यत्न करेंगे । लोगों को, उद्योगपतियों को क्या बतायेंगे जो प्रिलिमनरी ट्रीटमेंट प्लांट लगना है वह भी नहीं लगा, इसकी अभी इन्होंने अनुमति नहीं दी । लोगों ने दूसरे प्लांट लगाने के लिए सलाह मांगी पर लोगों को इसके लिये कोई कारगर सलाह नहीं दी । कोई उपाय नहीं बताया है । मैं निवेदन करना चाहता हूं, जल प्रदूषण बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, श्रीमान राजवंशो साहब और सम्माननीय सदस्य श्री गोविन्द सिंह जी, जो मंत्री थे, जोधपुर में एक प्लांट देखने गये थे । इन्होंने देखा कि दिग्विजय मिल जोधपुर में एक मशीन के जल प्रदूषण का यंत्र लगाया, वह कास्टिक रिकवरी का प्लांट है, उसके अन्दर पानी का डिसचार्ज नहीं है, पानी रोटेट होता है, कास्टिक की रिकवरी बढ़ रही है, प्रोडक्शन डबल हो रहा है । इसकी इन्होंने भूरि-भूरि प्रशंसा की, लेकिन बाद में बाहर आकर न तो लोगों को प्रदूषण की रोकथाम का कोई प्रचार-प्रसार किया, लोगों को बताया नहीं, न इसकी कम कीमत कैसे आ सकती है यह उपाय बताया । उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से यह उद्योग दूषित उद्योग बनकर रह गया है । इस प्रकार पाल्यूशन बोर्ड की हालत है । यह चाहते है कि जो लघु उद्योग हैं, और केवल जो व्यापारी हैं, परम्परागत उन्हीं के उद्योग नहीं है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एस. सी. और एस. टी. और जो पिछड़े वर्ग है उन सब लोगों के उद्योग हैं आज सैंकड़ों-हजारों उद्योग इन सब लोगों के लगे हुए हैं जो कम पूंजी में लगते हैं जिसके अन्दर बिजली की जरूरत नहीं रहती, जिनके अन्दर मजदूर अधिक लगता है ऐसे

(श्री चम्पालाल बांठिया)

उद्योग है जिससे पश्चिमी राजस्थान का भविष्य सुधरा है, लोगों के चेहरों पर थोड़ी बहुत खुशहाली आई है। आज बीस से तीस हजार मजदूर केवल बालोतरा में इस धंधे की वजह से अकाल के अन्दर अपना पेट पालते हैं, अच्छा काम करते हैं. यह उद्योग पनपता रहे और प्रदूषण भी नहीं होता रहे इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है जो प्रदूषण मण्डल बना हुआ है, जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रिज के दफ्तर हैं, रीको के दफ्तर हैं यह आखिर करते क्या हैं? यह कहीं सलाह देते हैं? ट्रीटमेंट प्लांट को देखकर आये उनकी प्रशंसा की बाद में दूसरों को नहीं बताया। उसका बड़े प्लांट का खर्चा अधिक आता है तीन-चार लाख रुपये, अगर छोटा प्लांट लगायें तो डेढ़-दो लाख रुपये में लगता है। इसके अन्दर जैसी गुजरात की सरकार मदद देती है, मेरे पास गुजरात की सरकार का प्रतिवेदन है. समय बहुत कम है मैं आपके सामने विस्तृत रूप से चर्चा नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं वहां की सरकार ने, कर्नाटक की सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने पचास-साठ प्रतिशत सब्सिडी दी है खाली ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट लगाने के अन्दर। और उसकी जो सलाह देने वाले हैं उसके अन्दर जो योजना बनाकर, प्लान बनाकर, नक्शा बनाकर जो देते हैं उसमें 80 पर्सेण्ट सबसीडी देते हैं तब जाकर औद्योगिक रूप से वह लोग हमसे आगे बढ़े हैं। लेकिन हम यहां उद्योग पनपाना चाहते हैं ऐसे इलाके के अन्दर, पश्चिमी राजस्थान के अन्दर यह जो एकमात्र उद्योग पनपा है आज मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बालोतरा का जो टर्न ओवर है आज $2\frac{1}{2}$ अरब रुपये का है। और जीरो इंडस्ट्री क्षेत्र घोषित किया है बाड़मेर जिले की ओर यह जो बैन लगी हुई है अगर आप पुनः खोलें तो यह व्यापार 5-6 अरब तक बढ़ सकता है और 50 हजार मजदूर केवल बालोतरा के अन्दर लग सकते हैं। यह एक कायाकल्प हो सकता है। इन्डस्ट्रीज की परमीशन देते हैं लेकिन पानी की निकासी का कोई इन्तजाम नहीं करते हैं। नालियों के अन्दर पानी सड़ता रहता है। प्रिलिमिनेरी ट्रीटमेण्ट का इन्होंने कोई इन्तजाम नहीं किया। इस प्रकार यह जो तलवार लटकाये रहते हैं मैं कहना चाहता हूं सरकार भी यह चाहती है कि व्यापारी के ऊपर तलवार लटकती रहे और जब चुनाव का समय आये तो वह पैसा देता रहे और इस प्रकार से उसके खिलाफ मुकदमे चलते रहें। जो पाली में कामन ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट लगाया है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पाल्यूशन की प्राब्लम कतई हल नहीं कर रहा है लेकिन व्यापारियों को एक राह मिल गयी है कि उसके ऊपर से कानून का डंडा हट गया है और उसको कहने के लिए हो गया है कि हम ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट के अन्दर भागीदार हैं और उसका खर्चा दे रहे हैं लेकिन उससे वाटर ट्रीट नहीं हो रहा है। यह सारा पानी एक तरह से इकट्ठा करना चाहते हैं। कास्टिक सोडा का पानी इकट्ठा करना चाहते हैं, सिलिकेट का वाटर उसमें इकट्ठा कर देते हैं, गैस का पानी उसमें इकट्ठा कर देते हैं। आइल का जो पानी है वह सब हांच-पांच होकर उसका कोई ट्रीटमेण्ट नहीं हो रहा है और उससे आज पानी दूषित हो रहा है, वायुमण्डल दूषित हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको अलग-अलग करके देखेंगे तो उसमें लाभ होगा। सबसे अधिक

(श्री चम्पालाल बांठिया)

जो बीमारी फैलाने वाली बात है, 60 परसेण्ट जो बीमारी है वह इस कास्टिक सोडे की है और कास्टिक सोडा अगर कण्ट्रोल होता है तो बाकी के जितने कुछ भी हैं वह प्रिलिमिनेरी ट्रीटमेण्ट से काफी कुछ ठीक हो सकते हैं। कास्टिक सोडा का जो रिकवरी प्लाण्ट है इसको लगाया जाये। लोगों को इसके लिए सबसीडी दी जाये। बैंकों से फैसेलिटी दिलाई जाये और इसके अन्दर कम खर्चा कैसे आये ताकि कास्टिक की रिकवरी हो सके, गंदा पानी बाहर न निकले और यह प्रदूषण रूक जाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पर्यावरण के ऊपर जो हमारे सिवाने क्षेत्र का छप्पन का पहाड़ है वह ज्यादा हरा भरा था जिसकी वजह से बरसात भी अच्छी होती थी, आज सब का सब काट दिया गया है। यह सुरक्षित वन है। मान्यवर, कुछ लोग तारीफ कर रहे थे वन विभाग की, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वन विभाग की साजिश से आज सारा जंगल काटकर उसको नंगा कर दिया है। आज बरसात भी कम होने लगी है और सारी लकड़ी ट्रैक्टर में भरकर, ट्रकों में भरकर और निशान गाड़ियों में भरकर सैकड़ों गाड़ियां रोज बालोतरा और जोधपुर के अन्दर आती हैं और चोरी से बिक रही हैं। सरकारी अधिकारी चांदी बना रहे हैं, पैसा बना रहे हैं और आज उसको रोकने की बात नहीं है। यह उस तरफ ध्यान नहीं देते कि जो इण्डस्ट्री है उसके अन्दर जलाने के लिए लकड़ी चाहिए तो आप वहां लकड़ी का कोयले का डिपो खोलें। बार बार निवेदन किया गया, इन्होंने स्वीकार किया लेकिन आज दिन तक ध्यान नहीं दिया। यह तो यही चाहते हैं कि बीमारी बनी रहे और हमारी रिश्वत आती रहे। इस प्रकार से आज लूटखसोट मची हुई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने घंटी बजा दी मैं इतना कहकर अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : वाद विवाद समाप्त हुआ। माननीय मंत्री जी।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय .

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आने दीजिए। माननीय मंत्री जी।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी...

श्री उपाध्यक्ष : अभी देर लगेगी और पीछे भी नाम है आपका। माननीय मंत्री जी।

श्री शिवचरण सिंह : इसकी सारी अनियमितताओं के चिट्ठे तो मेरे पास ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न कर लेना।

एक माननीय सदस्य : बोलने दो साहब।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न कर लेना। पहले इधर का नम्बर आयेगा। बाद में आयेगा आपका। माननीय मंत्री जी।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं एक दो प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : 5 मिनट ।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, वैसे मैं पूर्ण सन्तुष्ट इनकी दोनों रिपोर्टों से ही हूं । इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और जो प्रशासनिक रिपोर्ट हैं उसके प्रथम पेज पर ही मान लिया कि 9 प्रतिशत ही वन रह गये और दूसरी रिपोर्ट के पेज 30 पर दोनों जगह ही यह मान लिया है कि हम वनों की रक्षा करने में अक्षम रहे हैं । इस दृष्टि से यह विभाग और मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने यह काला चिट्ठा खोला कि 40 साल तक यह फारेस्ट का डिपार्टमेण्ट नाकारा और निकम्मा था जिसने वनों का सत्यानाश कर दिया । 16 प्रतिशत वन थे वह 9 प्रतिशत वन रह गये । 12 हजार किलोमीटर में वन थे । यह मेरा नहीं है इनकी दोनों रिपोर्ट के लिए यह धन्यवाद के पात्र हैं और यह बडे भले आदमी हैं कि इन्होंने यह माना । राजस्थान में ऐसा कोई महकमा नहीं होगा जो यह माने कि हम गलती पर हैं । इसके लिए मैं वन मंत्री जी, वन सचिव जी को, आपके माध्यम से, सारे ही डिपार्टमेण्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि लोग सच्चे हैं या बड़े निकम्मे हैं और अरबों रुपया हमने राजस्थान का लुटा दिया और वनों की जो सम्पदा है उसको नष्ट करने के बाद आज हम वर्ल्ड बैंक और सारी दूसरी एजेन्सीज को लूटने के लिए तैयार हैं । दूसरे क्योंकि इन्होंने वन विकास निगम बना दिया वर्ल्ड बैंक को पकड़ लिया । उसके अन्दर से फूड प्राब्लम की और वर्ल्ड बैंक की दूसरी स्कीम है उसको भी पकड़ लिया ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सारा कुछ आपने देख लिया । मैं इनसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं । इन्होंने हमारे इलाके के अन्दर अभी हवाई जहाज से छिड़काव किया । हवाई जहाज का पैसा दिया भारत सरकार ने । बीज दिया राजस्थान सरकार ने और लगभग 10 लाख रुपया खर्च किया है और कल ही इन्होंने भेड़ के परमिट काटे हैं उसी इलाके के लिए । अब अन्दाज कीजिए कि एक तरफ तो 10 लाख रुपया बीज का खर्च करें और क्योंकि भेड़ पर एक रुपया मिलता है चराई का और 9 रुपया मिलता है शीप एण्ड वूल के आफिसरों को भेड़ के जंगलात के महकमे के लोगों को । मेरे करौली के अन्दर जो फारेस्ट का सबसे बढ़िया रिजर्व एरिया है कल परसों इन्होंने वहां भेड़ों के परमिट दिये हैं । वहां इत्तला भेजी । आर्डर्स ऊपर से नीचे तक कोई मानता नहीं है । मुख्य मंत्री जी ने मुझे एश्योर किया कि भेड़ें नहीं जायेंगी । मैं करौली के अन्दर गया उन्होंने कहा कि हमारे पास तो 1 लाख 20 हजार का टारगेट आया है । माने कौन ? कलेक्टर के पास वायरलेस मैसेज पहुंच गया । उन्होंने चुपके रातों रात परमिट दे दिये एक लाख के । क्योंकि एक रुपया भेड़ का मिलता है और वहां चार्ज करते हैं 10 रुपये । वहां गैंग बनी हुई हैं । 8 हजार 10 हजार के ऊपर एक लम्बरदार और लम्बरदार के ऊपर थोक का व्यापारी और उसके ऊपर एक बड़ा व्यापारी । एक लाख के परमिट कटे और मैं चैलेन्ज करता हूं डिपार्टमेण्ट के मंत्री जी को या तो मैं इस्तीफा दूंगा या यह इस्तीफा दें । 4 लाख भेड़ें मौजूद हैं....

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : वह इन्सान नहीं हैं क्या ?

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : एक लाख भेड़ के परमिट कटे हैं और 4 लाख भेड़ें नहीं हों तो मैं इस्तीफा दूंगा नहीं तो आप दे देना। मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैंने पूर्व वन मंत्री जी का उपदेश भी सुना, मैंने दोनों मंत्रियों को सुना है। पूर्व वन मंत्री जी का उपदेश सुना और दूसरे वन मंत्री जी की रिपोर्ट पढ़ी। एक का उपदेश सुना और भूतपूर्व का उपदेश सुना और वर्तमान की रिपोर्ट पढ़ी। इन्हीं से वन का दीवाला निकला है। फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट आया 80 में।

(व्यवधान)

यह देखो, लिख लो कागज पर। विद्यार्थी हो लिखो, काम देगा।

यह 77 का एक सरकुलर है। यह चीफ कन्जर्वेटर आफ फारेस्ट का एक लेटर है। यह है 6 अगस्त, 1977 का उन्होंने लेटर लिखा है माइनिंग एरिया के अन्दर जो लीजेज दे दी गयी हैं उनको चलने से नहीं रोका जाये। फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट जो सी.सी.एफ. हैं उन्होंने अमेण्ड किया है। माइनर मिनरल कन्सेशन रूल्स जिनके अन्तर्गत लीज दी जाती है उसके अन्दर क्लाज 18 है कि बिना रिजर्व फारेस्ट के प्रीओर परमीशन के कोई माइनिंग लीज नहीं दी जा सकती नम्बर एक। नम्बर दो जो माइनर मिनरल की आवशन होती है उसके अन्दर गजट नोटीफिकेशन होता है। गजट नोटीफिकेशन के अन्दर कन्डीशन है। मैं खास तौर से फारेस्ट के आफिसरों को कह रहा था या तो यह नहीं चलेगा नहीं तो सारे कानून को फाड़कर फेंक दो....

(8 00 रात्रि)

यह कानून विधान सभा के बनाये हुए हैं जिनको राज्य के मामूली नौकर कन्जर्वेटर तोड़ते हैं, एम एम आर डी एक्ट है उसको डिपार्टमेंट के सर्कुलर से कैसे तुड़वा दिया, यह मन्त्री जी आपके देखने की बात है। इसी तरह बताना चाहता हूं आपका फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया, आपने जिस तरह का उत्तर लिखा है, जो वनों की कटाई के ऊपर आपने उत्तर दिया वह सन्तोषजनक नहीं था, कानून सम्मत नहीं था, एक मंत्री के स्तर का नहीं था। आप अन्दाज कीजिये, फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट आने के बाद, यह फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट हैं और इसके अन्दर यह फारेस्ट एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है। मैं बताना चाहता हूं आपको यह कमेटी बनाई है कमेटी टू एग्जामिन आन दी प्रपोजल्स रिसीव्ड बाई दी सेन्ट्रल गवर्नमेंट। इसके अन्दर स्टेट गवर्नमेंट एक मेम्बर है। इस कमेटी की जो रिकमन्डेशन्स होगी उसके आधार पर फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट से एक्जम्शन मिलेगा नहीं, नहीं मिल सकता चाहे आप जंगलों की कटाई करें चाहे लीजेज दें लेकिन दोनों मंत्रियों को बताना चाहता हूं पहले के फारेस्ट मिनिस्टर ने दब्बू नीति से फारेस्टों का सफाया करा दिया। किसने कराया, किसने बिजोलिया के अन्दर लीज ली, फारेस्ट एरिया के अन्दर क्यों नहीं रोका फारेस्ट के महकमे के लोगों ने, किसने माण्डलगढ़ के अन्दर लीज ली। उस इलाके के चित्तौड़गढ़ और बूंदी के इलाके के अन्दर में लीज ली, किसने नीम का थाना के अन्दर सारे फारेस्ट एरिया के अन्दर मैंने माईन्ज की डिमाण्ड के अन्दर 40 की लिस्ट दी है सारे फारेस्ट के एरिया के अन्दर लीज ली। फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट को वायलेट करवाया,

(श्री शिवचरण सिंह)

फारेस्ट के लोग सब डर गये, इन्होंने एक्शन लेना शुरु नहीं किया और अभी भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चालाकी खेली है, माईनिंग और फारेस्ट का एक सैक्रेट्री बनाया है। दुविधा में पड़े कि माईन्ज को बचाऊं कि फारेस्ट को बचाऊं लेकिन आपको बता देना चाहता हूं आपके डिप्टी स्पीकरशिप के माध्यम से इस ओर और उस ओर बैठने वाले सदस्यों ने यह महसूस किया कि 16 पर्सेन्ट फारेस्ट के बाद आज 9 पर्सेन्ट फारेस्ट रहा। सारा फारेस्ट का डीफारेस्ट्रेशन हुआ चाहे पालूशन बोर्ड हो, चाहे इन्दिरा जी की आत्मा का कानून हो, चाहे राजीव गांधी का, अभी जो प्रवचन पढ़ रहे थे माननीय वन मंत्री जी, इन सबको अगर आप रखना चाहते हो इस जंगल को बचाइये। माननीय वन मंत्री जी सुनिये आप। आप जिम्मेदार हो सत्यनिष्ठा से कसम खाई है अगर वन को नहीं बचा सके, वन की रक्षा नहीं कर सके तो आपको मंत्री रहने का कोई अधिकार भी नहीं है और अगर वन की सुरक्षा में कानूनों को तुड़वाते हैं तो आप को खुद को, आज यहां नहीं जनता में जाकर जवाब देना पड़ेगा। कितने दिन खड़े रहोगे....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

यह मंत्री पद नहीं रहने वाला है ...

श्री शीशराम ओला : 30 वर्ष तो हो गये और देखेंगे....

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : जवाब दें मेरे प्रश्न का। माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता। यह मैंने तीन चार बातें बताई हैं। मैं आपको एक लेटर और कोट करना चाहता हूं....एक लेटर है माननीय....

एक माननीय सदस्य : 15 मिनिट हो गये।

श्री शिवचरण सिंह : बहुत अच्छी बात बता रहा हूं होम डिपार्टमेंट इन्क्वायरी नहीं करेगा, चीफ मिनिस्टर के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल इन्क्वायरी नहीं करेगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शिवचरण सिंह : एक लेटर है, चीफ कन्जर्वेटर आफ फारेस्ट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का 17 अप्रेल, 1982 इसको लिख लो और बताता हूं यह सारे फंसे पड़े हैं, फंसे रहने के बाद यह मंत्री मण्डल में बैठे रहने वाले लोग बड़े बड़े मिनिस्टर लोग इन सारे लोगों ने फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट को वायलेट करके, एम एम (आर. डी. एक्ट) को वायलेट करके सारे मिनरल्ज एक्ट को वायलेट करके इन्होंने सारे लोगों ने लीज ली है, इनकी हिम्मत नहीं है, मेरे को जो उत्तर मिला है, माननीय सभापतिजी, एक अनस्टार्ट क्वश्चन का उत्तर दिया है। मैंने प्रश्न पूछा था धौलपुर के अन्दर कितना फारेस्ट एरिया है उत्तर सही मिला, कितना है। यह मेरे पास उत्तर है इन्होंने जवाब दिया कि 592 स्क्वायर कि. मी. एरिया है, मैंने पूछा कितनी माईनिंग लीजेंज पर वहां पर मेरा एक प्रश्न है कि किन किन कांग्रेसी नेताओं को वन क्षेत्र में रखने की छूट दे रखी है। वन विभाग द्वारा किसी भी

(श्री शिवचरण सिंह)

व्यक्ति को वन क्षेत्र से खनन कार्य की छूट नहीं दे रखी है, मैंने पूछा कितनी तो कहते हैं, 1.5 वन क्षेत्र में खान चल रही है, एक जगह कहते हैं यह उत्तर है उनका जवाब है मैंने मंत्री जी को लैटर लिखा है, सरासर झूठ अगर चार सौ कि. मी. के अन्दर बराबर खान नहीं चल रही हों फारेस्ट सेंक्चुरी के अन्दर नहीं चल रही हों, स्टार एण्ड कम्पनी, एण्ड कन्सल एण्ड कम्पनी की फारेस्ट सेंक्चुरी अलवर के अन्दर नहीं चल रहीं हों, सवाई माधोपुर के अन्दर नहीं चल रही हों, आप अन्दाज लगाइये सवाई माधोपुर की सेंक्चुअरी में बाहर के जो अधिकारी हैं वह तो जमीन लें और वहां के सैंकड़ों किसानों को मार पीट कर उनके पुश्तैनी खातेदारों को उन्होंने भगा दिया। वहां का अधिकारी जमीन ले और उस सेंक्चुअरी में 25 पुश्तैनी से रहने वाले लोग हैं उनको मार मार करके बेदखल करके निकाल दिया और जमीन ले ली यह व्यवस्था है इनकी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है भरतपुर के अन्दर क्या हुआ? भरतपुर में किसान को गोलियों से भूना गया सैंक्चुअरी आज एक्सर्ट की रिपोर्ट है और मवेशी चरती तो चिड़िया आती, चिडिया आना बन्द हो गया, गोबर पड़ता नहीं, घास चरता नहीं, यह सारी अनियमिततायें हैं। मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं अगर फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की पालना विभाग या मंत्री जी ने नहीं की तो मैं आपको कह देना चाहता हूं, सदन के माध्यम से, और सदन के अलावा कानून की और जो प्रक्रियायें हैं उनके माध्यम से मैं आपको निवेदन कर देना चाहता हूं, आप मंत्री जी को पाबन्द करिये और स्पष्ट कहें कि मैं फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट को वायलेट करवाऊंगा।

श्री शीशराम ओला : यह आप क्या बोल रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : या यह कहें कि मैं फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट को मानर करूंगा, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है, घोषणा की है कि मैं फारेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की पूरी तरह से पालना करूंगा अगर आप सहमत हों, आपके पड़ौस के अन्दर आप उत्तर देना, 80 के बाद फारेस्ट एरिया के अन्दर यह इसमें गाइड लाइन्ज हैं कि माईनिंग लीज कैसे दी जायेगी इसके अन्दर स्पष्ट प्रोविजन है कि पहले फारेस्ट आफिसरों के पास लेटर भेजेंगे वह जब एन. ओ. सी. आयेगा तभी लीज दी जायेगी नहीं तो नहीं दी जायेगी। माननीय सभापति महोदय, सारे मामले के अन्दर पिछले 80 के बाद, 80 से पूर्व में भी फारेस्ट डिपार्टमेंट का लल्लु मिनिस्टर बनता है...

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सारे डिपार्टमेंट को अपाहिज बना दिया है. डिपार्टमेंट के लोगों की चलती नहीं है। डिपार्टमेंट में तेजी लाने के लिये अधिकृत नहीं है डिपार्टमेंट के लोग डीमोरलाइज्ड हैं। मैं यह कहता हूं कि मंत्री जी इसका जवाब दें, डिपार्टमेंट को बूस्ट करें जिससे जंगलों का सफाया न हो, जंगलों की रक्षा हो....

(श्री शिवचरण सिंह)

(समय समाप्ति-सूचक-घंटी)

जंगलों को प्रोटेक्ट कर सकें। इलाके के अन्दर जो इनकी दोहरी नीति है इधर से खाओ, हवाई जहाज से खाओ, भेड़ों के परमिट से खाओ, इसका स्पष्ट उत्तर दें। नीम के थाने के अन्दर, बिजोलिया के अन्दर, माण्डल के अन्दर बूंदी में ढाबी के अन्दर 80 के बाद जिन जिन प्रभावशाली लोगों को चाहे मुख्य मंत्री हो, प्रद्युम्नसिंह हो चाहे कोई और मंत्री हो....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उन सारे लोगों के खिलाफ फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट के अन्तर्गत....

श्री उपाध्यक्ष : आप माइनिंग पर ज्यादा और वन पर कम बोल रहे हैं....

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : फारेस्ट को वन मंत्री खा रहे हैं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं 5 मिनट बोलूंगा साहब... पांच मिनिट से ज्यादा नहीं बोलूंगा।

(व्यवधान)

मैं ऐसे मानने वाला नहीं हूं, पांच मिनिट बोलूंगा साहब। इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। अच्छा दो मिनिट ही सही।

श्री उपाध्यक्ष : माइनिंग पर बोलेंगे या वन पर बोलेंगे ?

श्री हरिकुमार औदिच्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : वन पर बोलूंगा...

श्री रतनलाल ताम्बी : प्रान ए पाइन्ट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, दो दफा आज आपने मंत्री महोदय को पुकारा रिप्लाई देने के लिए कहा और इस प्रकार बार बार यह बात मैं समझता हूं उचित नहीं है। आप मंत्री महोदय को स्टेटमेंट देने के लिये कह दें, उसके बाद जो भी खड़ा हो जाये आप उनको फिर से कह देते हैं....मैं समझता हूं यह उचित नहीं है

श्री उपाध्यक्ष : कई बार करना पड़ता है।

श्री मुक्तिलाल मोदी : कटमोशन मेरा है तो मेरा बोलने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री दिग्विजय सिंह : मंत्री महोदय का वह स्टेटमेंट नहीं होता है, रिप्लाई होता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मुक्तिलाल मोदी : दो मिनिट बोलूंगा साहब।

श्री खंगारसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मोदी जी के बाद मैं बोलूंगा साहब, पहली बार बोलूंगा, आज तक नहीं बोला।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया

(श्री उपाध्यक्ष)

बैठें। मोदी जी, दो मिनिट पहले खंगारसिंह जी और पांच मिनिट आप। 6 मिनिट आप और तीन मिनिट आप। मोदी जी बिराजें।

श्री खंगारसिंह : सभापति महोदय, वन विभाग के बारे में जो यहां बहस चल रही है वन विभाग के अन्दर मेरा जो कटौती प्रस्ताव है उसमें मेरा सुझाव है कि अरावली पहाड़ को सब नंगा कर दिया है। अधिकारियों के द्वारा पाली में रोजाना लकड़ी बाजार में आकर बिकती है। डी. एस. ओ. और कलेक्टर भी हैं रोजाना बाजार के अन्दर 50 ट्रक लकडी लाकर वन से काटकर पाली में बेचते हैं और इसके अलावा अगर यह लकड़ी का काटना बन्द नहीं हुआ तो यह जो पहाड़ है वह बिलकुल नंगा हो जायगा और वहां पर गेम्स सेन्चुरी लगाई हुई है उसका भी सही उपयोग आपका नहीं होगा और इस गेम्स सेन्चुरी के एरिया के अन्दर जो काश्तकार आये हुए है, उनकी वहां भूमि है, उनके कुए है आज उनकी कोई रक्षा नहीं है। जब कभी खातेदारी के अन्दर वन्य जीव खाते हैं और इनको यह बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो यह जंगलात विभाग के अधिकारी दण्डित करते हैं। इसके अलावा अपने जो नील गायें है वह बहुत हो गई है और पहाड़ के अलावा मैदानी एरिया में भी इनका काफी ज्यादा नुकसान है। इसको भी मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि इनका इन्तजाम किया जाय नहीं तो यह मैदानी एरिया में भी काश्त नहीं होने देगी। पहाड़ पर तो होने का सवाल ही नहीं होगा। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मुक्ति लाल जी मोदी। दो मिनिट कृपया।

श्री मुक्ति लाल मोदी : नहीं पांच मिनिट....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, अब कोई भी नहीं।

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष जी, फारेस्ट के अन्दर जो कार्य हो रहा है, वह तो ठीक है परन्तु मैं. माननीय उपाध्यक्ष जी, यह कहना चाहता हूं सरकार से कि वहां पर जो फारेस्ट ऐरिया के अन्दर पेड़ लगाते है, उनकी रखवाली पूरी तरह नहीं होती है। जितना प्रोपेगेण्डा है राजस्थान के अन्दर कि इतने पेड़ हमने लगाये पर उनकी पूरी तरह रखवाली नहीं होती है, उपाध्यक्ष जी।

अब, माननीय उपाध्यक्ष जी, दूसरा मेरा कहना यह है कि आज जो डिपार्टमेंट के अन्दर पुलिस लगा रखी है वह पुलिस एक रुपये का भी काम नहीं करती है। डी.आई. जी, एस.पी. और दूसरे आफिसर, उसके अन्दर जो लगा रखे है, मैं सरकार से कहना चाहता हूं आज चीफ मिनिस्टर साहब ने जो 20 करोड़ रुपये का ऐलान किया है तो ऐसी पुलिस को फारेस्ट डिपार्टमेंट से हटा देनी चाहिये और इनकी खुद की फारेस्ट डिपार्टमेंट की एक तरह की अपनी पुलिस बनानी चाहिये, जो पेड़ों की रक्षा करे।

माननीय उपाध्यक्ष जी, तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सावी परियोजना में आज राजस्थान में चाहे सेन्टर

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

का पैसा हो, उसमें जो खर्च हो रहा है वह भी जैसे पी.डब्लू.डी. में इंजीनियर है वहां भी इंजीनियर है, ओवरसीयर है और दूसरे लोग हैं. मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि ओवरसीयर और इंजीनियर हैं उनके खिलाफ जो अधिकारी लिखते हैं उनकी माननीय मंत्री जी को पालना करनी चाहिये क्योंकि वह इन्क्वायरी करके लिखते हैं और कोई मेरा जैसा आदमी कोई दूसरा चला जाय और अधिकारी लिखे फिर उनका ट्रान्सफर कैन्सिल कर दे, माननीय मंत्री जी यह उचित नहीं है। अगर कोई गलत बात कहें तो न मानें माननीय मंत्री जी परन्तु मैं आपसे सही बात कहता हूं।

एक दूसरा प्रदूषण का सवाल है, हमारे कोटपूतली के अन्दर एक सीमेन्ट फैक्टरी लगी है। उस सीमेण्ट फैक्टरी का आज तक भी पूरी तरह से कोई इन्तजाम नहीं किया है सरकार ने और उस सीमेन्ट का धुआं हमारे गांव में जाता है। काफी लोग बीमार होते हैं, काफी परेशानियां हो रही हैं और वह गांव के पास लगाई है। सीमेण्ट फैक्टरी भी दूर लगनी चाहिये थी, दूर नहीं लगाई परन्तु जो लग गई वह तो उठेगी नहीं। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह कहना चाहता हूं कि उसका माकूल इन्जाम करें, प्रदूषण जो खराब हो रहा है, उसका इन्तजाम करें। जो सीमेण्ट का कारखाना लगाया है उसमें कोई यन्त्र लगा कर लाइम स्टोन का जो धुआं प्रदूषण फैला हुआ है गांव के अन्दर, उसको रोके सरकार और उस सीमेण्ट फैक्टरी का जो लाइसेन्स है जब तक उसको लाइसेन्स दिया हुआ है।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष जी, आज सरकार के अन्दर जिस तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अन्दर जो पहले के आर्डर थे उसमें नहीं करेगी कि हम जितने पेड़ लगावे वह जमीदार को देंगे। आज जंगल ही जंगल खेतों में खड़े हो जायेंगे। सरकार उनको देती नहीं हैं। वह पेड़ लगाकर काटते हैं और बेचते है तो सरकार पकड़ती है, यह दोनों बातें नहीं होनी चाहिये। एक बात होनी चाहिए. माननीय उपाध्यक्ष जी. मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं जितने पेड़ लगाओ तो उनकी रक्षा भी करो। झूठे पेड़ मत लगावो, झूठे पेड़ लगाने से कोई फायदा नहीं है उससे सरकार का रुपया भी खर्च होता है और नतीजा भी कुछ नहीं निकलता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सरकार के पैसों को अपना पैसा मानकर चलता हूं और चलता रहूंगा जब तक जिन्दा हूं तब तक। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष जी, कि आज तक सरकार के जितने आफिसर, जितने मंत्री और जितने दूसरे लोग हैं, भले ही अपने पैसों को अलग समझते हैं और सरकार के पैसों को अलग समझते हैं। आज दुनियां के दूसरे कोने में जाकर देखें वहां के लोग सरकार का और अपना पैसा एक समझते हैं और इसलिये आज दुनियां के लोगों ने तरक्की की है। यहां इतना पैसा खर्च होने के बाद हम इतनी मेहनत और परिश्रम करने वाले लोग है जो आज दूसरी जगह नहीं है। वहां तो परिश्रम और मेहनत करने वाले लोग ही नहीं है। वहां तो केवल 5-6 घंटे काम चलता है और फिर भी 8 गुणा काम होता है और यहां पर 8 गुणा काम भी नहीं होता है। मैं यह कहना चाहता हूं,

232

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

माननीय उपाध्यक्ष जी, कि आप इस सारे काम को देखें। फारेस्ट डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है, माननीय उपाध्यक्ष जी, कि फारेस्ट नहीं होगा तो आदमी भी जिन्दा नहीं रहेगा ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

जैसे आदमी पानी से जिन्दा नहीं रह सकता है, अनाज के बिना जिन्दा नहीं रह सकता है, उसी तरह फारेस्ट के बिना भी जिन्दा नहीं रहेगा। मैं, माननीय उपाध्यक्ष जी, इतना ही कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

श्री पोकरलाल परिहार : माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है।

श्री उपाध्यक्ष : वाद विवाद समाप्त हुआ।

श्री पोकर लाल परिहार : दो मिनट लूंगा, उपाध्यक्ष जी, केवल। उपाध्यक्ष जी, हमारे पाली जिले के अन्दर देसूरी, सादड़ी और बाली वन विभाग के अन्दर काफी लम्बे समय से अवैध जंगल की कटाई हो रही है जिसकी शिकायत हमने, पाली क्षेत्र के विधायक और देसूरी क्षेत्र के दोनों तरफ से लिखित में निवेदन किया है और वन मंत्री जी को पेश किया है, मुख्य मंत्री जी को भी पेश किया है मगर अभी तक उसकी कार्यवाही नहीं हुई है। वन विभाग की सतर्कता समिति के दाता राम जी ने उनकी जांच की थी मगर उनकी गाड़ी में पन्चर हो जाने से अधूरी जांच हुई है इसलिये वह जांच पूरी करवाई जाये। वहां के ए.सी.एस. जो कुम्भलगढ़ से है, वह सादड़ी में अपना आफिस जमाये बैठे हैं। या तो उनको कुम्भलगढ़ भेजा जावे या उनको हटा दीजिये। हमने मांग की थी कि उनको तुरन्त प्रभाव से हटाया जावे। यह वन विभाग के जितने भी सम्बन्धित कर्मचारी हैं, जो अवैध कटाई हो रही है और दो साल से ज्यादा बैठे हैं उनको तुरन्त प्रभाव से हटाया जावे। तभी वन विभाग की अवैध कटाई रुक सकती है और यह भ्रष्टाचार वहां से बन्द हो सकता है इसलिये यह बात हम बार बार पेश कर रहे है, अखबार में भी आ गया है। हमारे पास पब्लिक की शिकायतें भी आ रही हैं मगर उन कर्मचारियों को अभी तक वहां से नहीं हटाया जा रहा है इसलिये तुरन्त प्रभाव से ए.सी.एस. जसवन्त सिंह नाथावथ और उसके अधीनस्थ जो कर्मचारी वन विभाग में हैं, उनको तुरन्त प्रभाव से वहां से हटाया जावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : वाद विवाद समाप्त हुआ।

(व्यवधान)

Not allowed. Not allowed, माननीय सदस्य, वाद विवाद समाप्त हुआ। माननीय मंत्री जी।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आप बन्दूक नहीं देंगे तब तक नहीं होगा ...

(व्यवधान)

आप डण्डे से वनों की रक्षा कराना चाहते है, यह सम्भव नहीं है और एक दूसरी बात जो है ...

(व्यवधान)

233

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : उसमें 400 रुपये का घोटाला हुआ है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो. अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : अपनी मरजी से कोई खड़े हो, यह नहीं होना चाहिये। आप खड़े हो गये बोलने लग गये सोरी, मुझे बहुत अफसोस है पार्टी ने नाम भी नहीं दिया। यह हो गया, वह हो गया। ऐसे नहीं चलेगा हाउस। माननीय मंत्री जी।

श्री शीशराम ओला : उपाध्यक्ष जी, 281 कटौती प्रस्ताव वन पर थे और 28 माननीय सदस्य अपने विचार रख सके सदन में। इसी प्रकार से पर्यावरण के लिए भी 70 कटौती प्रस्ताव थे। मैं माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने अपने अमूल्य सुझाव दिए, इस महत्वपूर्ण डिबेट में भाग लिया। अमुमन तीन चार प्रकार की बातें सब प्रकार से आई। पौधे लगें, अधिक लगें, जीवित रहें, पौधे लगें और मर जायं, लगाने से कुछ फायदा नहीं। वृक्ष कट रहे हैं, न कटें रेगिस्तान बढ रहा है न बढ़े, वन पहले से बहुत कम हो गये हैं आदि आदि। आदिवासी क्षेत्रों के लिए भी तीन चार माननीय सदस्य बोले। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों के लिए भी अपनी बात कही और यह कहा कि उनके लिए पूरी रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं है। लकड़ी की व्यवस्था नहीं है और उनको झूठे ही बदनाम किया जाता है, उनका कोई दोष भी नहीं है। मैं निस्संदेह इस बात से इन्कार नहीं करता कि वन कटे हैं। 1952 की स्थिति यह है कि लगभग 38 लाख वर्ग किलोमीटर में वन थे। 80-81 में साढे तेइस लाख किलोमीटर क्षेत्र में ही रह गए। 83-84 में यह वन लगभग 31 लाख वर्ग किलोमीटर में आए। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण आबादी का बढना, दूसरा कारण वनों के बीच में बड़े-बड़े बांध बनाना, उनसे सिंचाई की योजना करना, खेती को अच्छी सिंचाई मिले, अच्छी खेती हो और कृषि भूमि को सुधरे हुए तरीके से खेती के लिए उपलब्ध कराना, यह सब चीजें इसमें शामिल हैं। यह सब चाहते हैं कि इतने वन भी नहीं रहने चाहिए थे लेकिन फिर भी विभाग ने कुछ कार्य किया है। यह कहा गया कि विभाग ने वनों को कटवाया है, यह सही नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कुछ कुछ है।

श्री शीशराम ओला : इसमें कोई 47,700 के लगभग मामले दर्ज किए गए और उनमें से 32 हजार मामले विभाग ने तय किए। उन पर या तो लकड़ी काटने का दोष पाया गया या भूमि को अतिक्रमण करने का दोष पाया गया और उनसे कुल 38 लाख के करीब रुपया वसूल भी किया गया और 15,200 के करीब, केसेज आज भी पेंडिंग हैं। इसी प्रकार से जो जमीनें 1971 से पहले की अतिक्रमण की हुई थीं या नाजायज कब्जे थे उनको नियमित करने

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री शीशराम ओला)

के लिए कोई 3254 केसेज को इनमें निर्णय दिया। उससे जो भूमि उनको दी गई वह वन विभाग से हटाई गई। काश्तकारों को दी गई जो उसमें काबिज थे। इसके साथ-साथ जो सरकारी भूमि थी अब वह भूमि वन विभाग को सरकार ने तो दे दी लेकिन वन विभाग को उसका सम्पूर्ण अधिकार नहीं मिला। इससे पहले इस भूमि को रेवेन्यू विभाग ने अलाटमेन्ट कर दिया भूमिहीन काश्तकारों को। इसलिए वह वन विभाग में तो भूमि आ गई, वास्तव में विभाग के पास आई नहीं और उस पर केसेज चलते हैं तो वन विभाग अदालत में जाता है तो खतौनी तो किसान के नाम बन गई, वन विभाग अपनी समझता है, यह एक विकट समस्या है। पर जो भी हो, यह जो 1980 का कंजर्वेशन एक्ट आया है वह श्रीमान करौली के माननीय सदस्य उस पर बहुत ही पर्टीक्यूलर हैं वह जोर लगा रहे हैं, वह इतना तेज बोलते जा रहे हैं वह समझ नहीं पा रहे हैं, हम कुछ समझ नहीं सके वह इतने तेज बोलते जा रहे थे। उन्होंने भी यह समझने की चेष्टा की नहीं। दूसरे माननीय सदस्यों ने भी इस पर यह कहा कि यह कानून के बाद कुछ नहीं कर सकते, न लकड़ी काट सकते हैं, न यह कर सकते हैं न वह कर सकते हैं। उस एक्ट की मंशा, माननीय उपाध्यक्ष जी, यह है कि वन की भूमि पर राज्य सरकारें मन चाहे ढंग से उनको कन्वर्ट कर देती हैं या उस संस्था को या उद्योगों के लिए, दूसरे-2 कामों के लिए या किसी ने अतिक्रमण कर लिया तो उसको नियमित कर देते थे। उसकी सारी मंशा को देखते हुए वन विभाग की जमीन जहां है वह कम न हो, इसलिए यह एक्ट आया और अब इस एक्ट की मंशा यह है कि कोई भी यदि वन विभाग की भूमि अवाप्त करनी हुई तो भारत सरकार की मंजूरी के बगैर नहीं हो सकती और राज्य सरकार को भारत सरकार को लिखना पड़ेगा। भारत सरकार मंजूरी देगी तो ही हो सकेगा। अब मैं यह मान सकता हूं और यह कहने की स्थिति में हूं कि जंगलात की भूमि अब कम नहीं होगी और जंगलात अब कटेंगे नहीं। हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी जी चाहते हैं कि आये वर्ष इस भारत की भूमि पर पचास लाख हैक्टर जमीन पर वनों और चरागाहों को लगायें। उसकी पूर्ति के लिए भी राजस्थान अपने हिस्से के कार्य में पीछे नहीं रहेगा। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहूंगा, आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष जी, कि 12 वां सूत्र बीस सूत्री कार्यक्रम का जो है उसमें राजस्थान 84-85 में प्रथम रहा है। राजस्थान ने सराहनीय कार्य किया है, अधिक पौधे लगाये हैं। और अब जो माननीय पिलानी से आने वाली सदस्या ने भी और प्रत्येक सदस्य जो भी बोले थे, उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी, जो जो सदस्य बोले इस पर चाहे नदबई से आने वाले सदस्य हों, सबने ही एक चिन्ता व्यक्त की। वह चिन्ता यह थी कि वृक्ष लगाये तो जाते हैं पर वह कागज पर रहते हैं। जमीन पर नजर नहीं आते। यह भी चिन्ता व्यक्त की कि वही दरख्त लगने चाहिए जो वहां की जलवायु को माफिक पड़ते हों। इससे मैं सहमत हूं और मैं निस्संकोच कह सकता हूं, मैं विभाग को आदेश दे रहा हूं कि कागज पर नम्बर नहीं आए जमीन पर पौधे दिखने

235

(श्री शीशराम ओला)

चाहिए और जमीन पर पौधे नहीं दिखेंगे तो कागज से कोई लाभ होने वाला नहीं है राज्य को और राष्ट्र को।

(व्यवधान)

आप बात कहने दीजिए, मेहरबानी करके सुनिये। आप सुनने की कोशिश करो। हम आपको दस घण्टे तक सुन सकते हैं, आप दस मिनिट नहीं सुन सकते। क्या बात करते हो।

श्री उपाध्यक्ष : भंवरलाल जी साहब, आप तो शहरों में रहते हैं।

श्री शीशराम ओला : मैं इस बात का हामी हूं कि राष्ट्र के धन का दुरुपयोग न हो और जो वनों की आवश्यकता राजस्थान जैसे मरु प्रदेश के लिए है उसको मद्देनजर रखते हुए वन विभाग को चाहिए कि वह जो पौधे लगे उनकी सुरक्षा भी करें, वह जीवित भी रहें। साधन की कमी है, वन अधिक लगने चाहिए। यह राजस्थान की महती आवश्यकता है। इसके लिये हमारे मुख्य मंत्री जी साथ में विचार रखते हैं, राज्य सरकार यह विचार रखती है कि सरकारी भूमि पर कोई भी व्यक्ति पौधे लगा सकता है और वह जब बड़ा हो जायेगा कटने योग्य होगा तब वह पौधा वह व्यक्ति जो लगाता है वह काट सकता है तब तक उसको उसकी रखवाली करनी होगी। इसलिए जो साधन की कमी है उसको मध्यनजर रखते हुए जो व्यक्ति पौधा लगायेगा वह उसको पौधा मिले तो अधिक से अधिक वन राजस्थान में फैलेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनकम टैक्स लगा दिया।

श्री शीशराम ओला : यह भी एक मंशा है और मैं समझता हूं कि पौधा लगाने वाले को और राज्य को दोनों को लाभ होगा।

श्री भगराज चौधरी : अब कोई नहीं लगाने वाले, टैक्स लगाने के बाद।

श्री शीशराम ओला : अब टैक्स लगेगा, कब तक पता नहीं क्या लगेगा, मैं आज की बात कर रहा हूं आज तो कोई टैक्स है नहीं। कमाल की बात कर रहे हो।

(व्यवधान)

हमारी योजना है, राज्य सरकार की योजना है और उसके तहत सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता से राज्य को 16 पूर्वी तथा पश्चिमी जिलों में 39 करोड़ की लागत की सामाजिक वन परियोजना सोशल फारेस्ट्री इस वर्ष प्रारम्भ की जा रही है। विश्व खाद्य कार्यक्रम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अन्तर्गत अगले 5 वर्षों में लगभग 13 करोड़ रुपये की सामग्री इस संगठन से प्राप्त जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु की जावेगी। राजस्थान वन विकास निगम, फारेस्ट डवलपमेंट कार्पोरेशन का पंजीकरण जून माह में कराया जा चुका है और बैंक से ऋण प्राप्त कर वृक्षारोपण का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किये जाने की सम्भावना है। इसी प्रकार से एक के बाद एक योजनाएं सरकार लागू करना चाहती है जिससे प्रान्त में वन सम्पदा बढ़े और डेजर्ट रुकें।

(श्री शीशराम ओला)

चालू वित्तीय वर्ष में 35 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं चरागाह विकास का कार्यक्रम किया जायगा जिससे 3 करोड़ पौधे रोपित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त पांच हजार हैक्टेयर कन्दराओं या नंगी पहाड़ियों पर हवाई जहाज द्वारा बीजारोपण किया जावेगा। वृक्षारोपण कार्यक्रम को आम जनता का कार्यक्रम बनाने हेतु फार्म फारेस्ट्री व अनेक योजनाओं के अन्तर्गत राज्य की 974 पौधशालाओं से साढ़े चार करोड़....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह सदन के पटल पर रख दें, पढ़ा हुआ मान लिया जाय भाषण इनका। पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : यह कुछ आंकड़े दे रहे हैं।

श्री शीशराम ओला : क्या बात है, तो बात क्या है। पढ़ा हुआ बता रहे हैं तो पढ़ के बताओ मुझे, मैंने क्या चीज पढ़ी।

श्री उपाध्यक्ष : आंकड़े तो पेपर से ही देंगे।

श्री शीशराम ओला : आप सुनिये। आप क्या सुनना चाहती हैं? आप इंतजार कीजिये अभी बहुत देर लगेगी। आपको क्या जल्दी हो रही है। बैठिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम लोग 11 बजे के आये हुए हैं, जल्दी तो यह है।

श्री शीशराम ओला : इसमें तो तथ्यों समेत बोला जाता है, मैं गलत कैसे कह दूंगा। आंकड़े सही बोलने पड़ेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आंकड़े तो कागज से ही पढ़े जायेंगे।

श्री शीशराम ओला : क्या बात है इसमें?

श्री भगराज चौधरी : माननीय मंत्री महोदय के गले में टांसल्स है, यह मंत्री महोदय की बड़ी शुभचिन्तक हैं। आपके गले में टांसल्स है, माननीय मंत्री महोदय के गले में टांसल्स है इसलिये माननीय सदस्या माननीय मंत्री महोदय की बड़ी शुभचिन्तक है। इसके कारण आपने कहा कि आपका भाषण पढ़ा हुआ माना जाये।

श्री शीशराम ओला : आप बैठियेगा।

यहां पर यह भी आया कि तेन्दुपत्ता और वन में ठेकेदारी प्रथा है और उससे ठेकेदार गड़बड़ियां कर रहे हैं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह तो सही है। यह बात तो सही है।

श्री शीशराम ओला : बहुत गलत है, नहीं करनी चाहिये। बहुत गलत है। कोई ठेकेदारी प्रथा है ही नहीं अब, मैं यही कहने जा रहा हूं। अब तेन्दूपत्ता और वन की ठेकेदारी कोई ठेकेदारी से नहीं हो रही है विभाग ही कर रहा है और उसमें अच्छा लाभ हुआ....

श्री शिवचरण सिंह : ठेकेदारी से हो रही है कटाई और तेन्दू पत्ता की चिनाई।

श्री शीशराम ओला : कोई कटाई ठेकेदारी से नहीं हो रही है। कोई कटाई नहीं हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहूंगी कि आप ..

श्री शिवचरण सिंह : तेन्दूपत्ता की चिनाई ठेकेदारी से होती है पता हो तो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप भी माटी जी से मदद ले लीजिये बोलने के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माटीजी से मदद ले लें क्योंकि जोशीजी भी तो मदद ले लेते हैं, संयुक्त जिम्मेदारी है इनकी, बोला नहीं जा रहा है. माटी जी मदद कर दो। मैं तो सुझाव दे रही हूं ।

श्री शीशराम ओला : क्या सुनना चाहती हैं आप, आप चिन्ता मत करो आप बैठे रहो आराम से ।

माननीय सदस्य जो आदिवासी क्षेत्र से आये हैं उन्होंने इस बात पर चिन्ता की कि आदिवासियों के लिये वन विभाग ने जो योजनाएं थी पहले राजाओं के जमाने में या महाराजाओं के जमाने में, उनको समाप्त कर दिया गया है अब कोई योजनाएं लागू नहीं की गई है और इस प्रकार से उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और रोजी रोटी से मोहताज हो गये हैं। यहां पर मैं यह कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो काफी देर तक महेन्द्र सिंह जी और दूसरे थानसिंह जी और आप देवीसिंह जी बोले कि मैट्रिक फारेस्ट गार्ड लिया जाता है उसकी योग्यता कम की जानी चाहिये, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में इतनी योग्यता के लोग मिलते नहीं है और यहां से जाते हैं वह वहां ठहरते नहीं है ।

श्री रामसिंह विश्नोई : पेड़ काटने में सहूलियत रहेगी ।

श्री शिवचरण सिंह : जो वन में वासी हैं उनको वन में नौकरी मिले ।

श्री शीशराम ओला : मैं क्या घोषणा कर सकता हूं ..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सुन तो लीजिये ।

श्री शीशराम ओला : आपने क्या क्या घोषणाएं की थी. भैरोंसिह जी ने आपको भी इस लायक बनाया था। तब क्या घोषणाएं की थीं ? और अब तो यह कोई बोल नहीं सका, खनन पर बोल रहे हैं आप, आपने कितनी ले रखी हैं खानें ।

श्री शिवचरण सिंह : मैंने ले रखी हों तो....

श्री शीशराम ओला : हम नहीं लेते, हमारा काम नहीं है । हम नहीं लेते कोई खान-।

श्री शिवचरण सिंह : मैं गलत करूं तो बंद करिये । इनकी गलत है तो इनकी बंद करिये ।

श्री शीशराम ओला : अजी क्या बात कर रहे हो ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में टोकेंगे नहीं ।

श्री शीशराम ओला : मैं यहां पर यह

238

(श्री शीशराम ओला)

कहना चाहूंगा, माननीय सदस्यों की जो चिन्ता थी कि मैट्रिक कार्य नहीं कर पायेगा, यह मसला, यह मुद्दा सरकार के विचाराधीन है और सम्भव है जल्दी इस पर निर्णय हो जाय। चेष्टा यही की जा रही है कि ऐड्थ क्लास पास को इस काम की सर्विस दी जाय।

एक आदिवासी को दो हैक्टेयर जमीन एक साल में दी जाती है और उन व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी सबसे कम आय है, न्यूनतम आय वाले जो व्यक्ति है। उस दो हैक्टेयर भूमि में 3000 रुपये साल एक परिवार को दिया जाता है। उसमें 3000 रुपये साल के फारेस्ट विभाग उसको देता है और वह पैसा उसमें लगा कर उसका पालन पोषण करता है। इस प्रकार से यह 15 वर्ष का कार्यक्रम है। 15 वर्ष के बाद उसमें जो दरखत बड़े हो जायेंगे और कटने की स्थिति में आ जायेंगे तब वह दरखत कटेंगे उसकी आय का बीसवां हिस्सा उस आदिवासी को दिया जायगा जिसने दरखत लगाया है। इसके तहत....

श्री भगराज चौधरी : पांचवां हिस्सा है, पांचवा हिस्सा आप देंगे।

श्री शीशराम ओला : एक ही बात है, 20 प्रतिशत कास्ट हो जायगी। एक ही बात है।

(व्यवधान)

एक कोई गांव में माननीय भगराज जी, एक कोई काश्तकार से कहा कि मुझे कड़त्री चाहिये तो कहा दे देंगे। चालीस सेर की नहीं आठ घड़ी की देंगे कि नहीं मैं तो एक मन की लूंगा और कहीं जाओ मैं तो आठ घड़ी की दूंगा। तो 20 में और पांच में क्या अन्तर हुआ बात तो एक ही है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कोई फर्क नहीं पड़ता।

श्री शीशराम ओला : मेरा सिलसिला कायको टोकते हो, मैं कोई बात कहना चाहता हूं, आराम से सुन लीजिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री शीशराम ओला : इस प्रकार से 450 आदिवासियों को इसका लाभ मिला है। और भी लाभ आगे मिलता रहेगा। यह कार्यक्रम जारी रहेगा, इसलिये जो माननीय सदस्यों की चिन्ता थी, आदिवासी क्षेत्र से आने वाले लोग जो चिन्तित थे कि उनको वह लाभ नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिये था। इन्होंने यह भी चिन्ता जाहिर की है कि उन्हें पूरी लकड़ी नहीं मिलती है जो उनकी आवश्यकता है और लकड़ी को कई जगह से बालोतरा से आने वाले सदस्य ने कहा, हेमारामजी ने भी कहा, मैं यह कहना चाहूंगा कि लकडी की जो आवश्यकता है उससे बहुत कम लकडी वनों से प्राप्त होती है इसलिए संभव नहीं है कि जितनी लकडी की आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके। आज जंगलों की स्थिति यह है कि जो खुली संपत्ति है, चाहे जो व्यक्ति इसकी चोरी कर लेता है, नष्ट कर देता है हम अपने घर में भी कोई चीज सुरक्षित नहीं रख सकते, वह भी चोरी हो जाती है

239

(श्री शीशराम ओला) :

यह तो बिल्कुल जंगल है और जंगल की स्थिति यह है कि जैसे उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया कि प्रहरी इतने एरिया में होना चाहिए उस मापदण्ड से कहीं ज्यादा राजस्थान का फोरेस्ट है। फोरेस्ट प्रहरियों के पास जो वन प्रहरी हैं, वह इस मापदण्ड से कोई 400, 437 व्यक्तियों की और आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक दृष्टि से राज्य के वित्तीय साधनों को मद्दे नजर रखते हुए फोरेस्ट विभाग पूरी क्षमता से इसकी जो स्ट्रेन्थ की भर्ती नहीं कर पा रहे हैं और जब आर्थिक स्थिति सुधरेगी यह मसला सरकार के विचाराधीन है, यह मसला हल होगा। यहां पर निवाई से आने वाली माननीय सदस्या ने बहुत चिंता व्यक्त की थी, वह कह रही थी गोचर भूमि तोड़ रहे हैं गोचर भूमि में दरख्त लग रहे हैं, यह योजना गोचर भूमि की नहीं है आदिवासी क्षेत्र की है। जो दो हैक्टर भूमि प्रत्येक परिवार को दी जाएगी वही स्कीम है इसके अलावा और कोई स्कीम नहीं है। चरागाहों से कोई संबंध नहीं है। अगर गांवों के आदमी, पंचायतें सामूहिक रूप से दरख्त लगाने के लिए वन विभाग को भूमि देते हैं जैसे भरतपुर में देखा बड़ा अच्छा प्रयोग सिद्ध हुआ है, बड़े अच्छे पौधे खड़े हैं गावों के लोग मिलकर देना चाहते हैं तो वन विभाग इस्तेमाल करता है अन्यथा जबरन नहीं। यहां यह भी चर्चा आई कि दरख्त लगा दिए जाते हैं उन पर बाड आदि नहीं होने से वह दरख्त नष्ट हो जाते हैं और उनको जानवर खा जाते हैं। अब इतना बड़ा राजस्थान का क्षेत्रफल, सारे भारतवर्ष में मध्यप्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर आता है तो उस पर कहां बाड़, कहां डोली और कहां डण्डे, यह तो आप ही अपने मन से और अपने ढंग से करवायें। मैं उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, जिनके विचार इसमें आ गए उनका उत्तर मैंने देने की चेष्टा की, जो सदस्य नहीं बोल सके माननीय सदस्य, मैं उनके कटौती प्रस्तावों के उत्तर भिजवा दूंगा। यह व्यवस्था कर रहा हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यों उत्तर देने से काम नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : आप बैठिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप मुझे बैठने का हुक्म देने वाले कोई नहीं, बैठ जाऊं या खड़ी रहूं मैं जो कह रही हूं, आप सुझाव तो मानेंगे, आप कौन होते हैं बैठाने वाले। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सुझाव दे रही हूं, मैं क्यों बैठूंगी, आप अधिकार को छीन रहे हैं, कमाल कर दिया आपने।

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : उपाध्यक्ष जी, यहां पर पर्यावरण के बारे में भी काफी चर्चा हुई और माननीय सदस्य सांगानेर से आते हैं उन्होंने कहा कि विभाग को तोड़ देंगे पर मैं नहीं तोडूंगा, आप तो तोड़ने में लग रहे हैं।

(व्यवधान)

राजस्थान में दो तरह का पर्यावरण है एक तो पानी का और दूसरा हवा का।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप पर्यावरण और प्रदूषण का मतलब समझा दें हम तो समझ नहीं रहे हैं। मैं कह रही हूं, उपाध्यक्ष जी, मंत्री महोदय पर्यावरण और प्रदूषण में अन्तर समझा दें।

श्री शीशराम ओला : आप जैसे कहें वैसे ही समझाऊं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, बोलने में तो तकलीफ है सुनने में भी तकलीफ है क्या ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : सुनने वाली कोई मशीन लगा लें आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी।

श्री शीशराम ओला : माननीय सदस्य सांगानेर से आते हैं उन्होंने बहुत गंभीर चिंता व्यक्त की और सुश्री पुष्पा जैन ने पाली के बारे में काफी चिंता व्यक्त की कि पाली का प्रदूषण....

श्री रामसिंह विश्नोई : वाइल्ड लाइफ का क्या हुआ, खत्म हो गया।

श्री शीशराम ओला : आप एक तरफ तो बैठा देते हैं।

पानी का प्रदूषण निश्चित रूप से गंभीर चुनौती है। पाली का प्रदूषण इंडस्ट्री से हो रहा है वह गंभीर चुनौती है और उससे बहुत नुकसान हो रहा है। एक ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगाया वह भी ढंग से काम नहीं कर रहा है, उसमें जो पैसा डेली खर्च होता है और रीको को ज्यादा देना चाहिए रीको हिस्सा बढ़ा नहीं रहा है छोटे छोटे उद्योगों में यह क्षमता नहीं है कि इसको चलाने में व्यय कर सकें इसलिए इस पर गंभीरता से सोचा जा रहा है इसका क्या सोल्युशन निकले लेकिन यह निश्चित माना जा रहा है कि वहां पर इस प्रदूषण से इन उद्योगों से जमीन पर और हवा में दोनों प्रकार का नुकसान हो रहा है।

(व्यवधान)

अब तक जो प्रिकाशन विभाग ने लिए हैं कोई 110 केसेज का चालान किया और 16 केसेज अपील में गए हैं। एक अदालत के फैसले के बाद में, पांच फैसले मण्डल के विरूद्ध हुए और 92 ऐसे प्लाण्ट हैं जिनमें जल प्रदूषण करने वाली इकाइयां हैं उनमें करना जरूरी है जो किया नहीं गया है। 16 ऐसे उद्योग हैं जिनमें आंशिक तौर पर प्लाण्ट लगे हैं संपूर्ण तौर से नहीं और 43 ऐसे हैं जिनमें संपूर्ण तौर से ट्रीटमेंट प्लाण्ट लग गये हैं और उनमें प्रदूषण नहीं हो रहा है। जल प्रदूषण करने वाली 145 इंडस्ट्रीज है, वायु प्रदूषण करने वाली 125 इंडस्ट्रीज है जिनमें तत्परता से ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगवाने की केष्टा कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, यहां पर जो कहां गया कि कार्यवाही नहीं कर रहे हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वायु प्रदूषण में भी ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगाएंगे क्या ?

श्री शीशराम ओला:
मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि विभाग ने बहुत ही तत्परता से बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं उसमें एक ऐसा केस है जो भारतवर्ष में आज तक प्रथम केस है। जिसको दो वर्ष की सजा हुई है और चार हजार रुपये

(श्री शोशराम ओला)

जुर्माना हुआ है। यह प्रीमियर पेपर एण्ड बोर्ड मिल्स कोटा, जिसके मैनेजर को दो दो वर्ष का कारावास और चार हजार रुपये का जुर्माना हुआ है 8.8.83 को। इसकी सराहना सेन्ट्रल बोर्ड में भी की गयी और इस प्रकार से यह कहना उचित नहीं है कि यह सही नहीं है कि विभाग कुछ कार्य नहीं कर रहा है। इसमें विभाग का कार्य केवल सलाह देना है और जो इण्डस्ट्रीज हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं उनके खिलाफ मुकदमें दायर करना, कानूनी कार्यवाही करना, यह काम है। अब जो भी नयी इण्डस्ट्रीज लग रही है, लगेगी उन्हें पहले एन. ओ. सी. लेनी पड़ेगी डिपार्टमेंट से। इसका भविष्य में प्रबंध कर दिया गया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे निवेदन करूंगा कि मांग संख्या-9 पारित की जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री कल्याणसिंह कालवी : मैं जानकारी के लिए कहूंगा सिर्फ। मैं इस तरह का प्रश्न पूछूंगा जो केवल जानकारी के लिए है बाकी और कोई नहीं है।

मैं यह निवेदन कर रहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान से आने वाले सदस्यों ने भी, जो जंगलात लगे हैं, पेड़-पौधे लगे हैं, उनकी तारीफ की है, मंत्री महोदय ने भी तारीफ की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि पश्चिमी रेगिस्तान में जहां पेड़ लगाये जा रहे हैं, जहां जंगलात का विस्तार किया जा रहा है वहां पर जो कर्मचारी रह रहे हैं उस इलाके में, उनके रहने के लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? यह सरकार की तरफ से घोषणा होनी चाहिए। दूसरा मैं निवेदन कर रहा था कि इन्दिरा गांधी नहर के बायें किनारे के ऊपर जो फौज के साथ में सघन वृक्षारोपण किया जा रहा है, चारागाह विकसित किया जा रहा है। फौज के सिपाहियों को सब तरह की सुविधाएं मिल रही हैं परन्तु विभाग के कर्मचारी जो उनके साथ में काम कर रहे हैं उनको इस तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही है। क्या विभाग उनको भी कुछ सुविधाएं देने के लिए विचार कर रहा है?

तीसरी चीज मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, खास तौर से इस वन विभाग के जो विशेषज्ञ हैं उनसे कि आज जो वहां के पश्चिमी रेगिस्तान के किसान की सबसे बड़ी आवश्यकता है वह यह है कि ज्यूलिफ्लोरा, जो ईंधन का सबसे बड़ा काम करता है उनमें इस तरह का रिसर्च किया जाय, इस तरह का अनुसंधान किया जाय उनमें से कांटा गायब हो सके। यह हमारी सबसे बड़ी जरूरत है और इस विभाग के जो विशेषज्ञ हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए वह क्या कर रहे हैं? इसकी भी घोषणा होनी चाहिए। पश्चिमी रेगिस्तान के मुख्य रूप से जो कल्पवृक्ष माने जाते हैं वह खेजड़ी और कीकर माने जाते हैं। परन्तु संयोग की बात है कि इनकी जो ग्रोथ है जो बढ़ने की रफ्तार है वह बहुत ही धीमी है उस तरह का रिसर्च किया जाकर इनकी यदि बढ़ने की रफ्तार बढ़ायी जा सके तो पश्चिमी रेगिस्तान के व्यक्तियों को सबसे बड़ा लाभ हो सकता है। पानी के अन्दर जिस तरह की हमको जानकारी मिली थी, टेस्ट ट्यूब के अन्दर जिस

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

तरह की एक नस्ल विकसित की जा रही है, जिसकी ग्रोथ की जो दर है, बढ़ायी की जो दर है उसको तेज किया जा सकता है। तीसरा जो पेड़ वहां पर होता है रोहिड़ा जिसकी इमारती लकड़ी हिन्दुस्तान के अन्दर जिसकी खुदाई की जा सकती है वह सबसे बढ़िया लकड़ी हो सकती है। परन्तु यही शिकायत उस रोहिड़ा वृक्ष के साथ में भी है कि उसकी बढ़ोतरी की जो रफ्तार है वह बहुत धीमी है उसको तेज कैसे किया जा सकता है। यह विभाग के लिए एक चुनौती है। इस चुनौती को एक वैज्ञानिक होने के नाते रिसर्च के जरिये उनको सुधारना पड़ेगा, इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा।

(व्यवधान)

मैं इसके साथ ही साथ दूसरी चीज और कहना चाहूंगा जो विभाग सबसे ज्यादा जोर दे रहा है वृक्षारोपण के ऊपर। मैं चाहता हूं कि वृक्षारोपण के साथ ही साथ जो झाड़ियां हैं उनके विकास के लिए भी इस विभाग को काम करना चाहिए। जैसा कि पश्चिमी राजस्थान का कैर है, फोगड़ा है, जाल है, बाड़ है, झाड़ है, कुरमट है यह सारे के सारे जो हैं इनको विकसित कैसे किया जा सकता है। ऊपर पेड़ हो नीचे झाड़ी विकसित हो। यह सारे के सारे काम दोनों ही साथ करने पड़ेंगे। इसके लिए विभाग क्या योजना बना रहा है। इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता था चराई के बारे में। भेड़ों की चराई की बात है। भेड़ें भी राजस्थान के विकास के लिए जितना फारेस्ट जरूरी है उतनी भेड़ें जरूरी हैं। आप उस चारागाह की तरफ से, भेड़ों के चारागाह के लिए आप कैसे व्यवस्था करेंगे। इसके लिए आपको एक योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा तभी जाकर उन भेड़ों की चराई की व्यवस्था की जा सकती है और वह भी राजस्थान के लिए सबसे बड़ी लाभप्रद हो सकती है। पांचवीं चीज मैं यह निवेदन कर रहा था....

एक माननीय सदस्य : यह तो भाषण हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री कल्याणसिंह कालवी : पांचवां प्रश्न में यह, मान लो आपको इसमें कोई रुचि नहीं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री कल्याणसिंह कालवी : आप सुनने की कोशिश करिये, समझने की कोशिश करिए....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं। आप यह उस समय में दे देते तो बहुत अच्छा रहता ....

श्री कल्याणसिंह कालवी : चार मैंने पूछे हैं। एक जो प्रति पेड़ राजस्थान के अन्दर लागत खर्च है उसको कम कैसे किया जा सकता है। इसके लिए भी कुछ न कुछ स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए। लगे हुए पेड़ जिन पर्सेण्टेज में जिन्दे रहते हैं उनकी पर्सेण्टेज कैसे बढ़ायी जा सकती है इस ओर भी इनको करना होगा। सातवां प्रश्न यह करना था कि जो पहले जितने भी कारखानें लगे हुए हैं और जिनके कारण से प्रदूषण

(श्री कल्याणसिंह कालवी)

हो रहा है उसकी रोकथाम के लिए प्लांट कब तक लग जायेंगे ? स्पष्ट सरकार की घोषणा होनी चाहिए ।

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, एक प्रश्न करना चाहूंगा मैं । माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में मैंने जो बिन्दू उठाये थे उनका भी उत्तर दिया नहीं है । मैं यह मान कर चलूं कि उनके ऊपर आप जांच करवा कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य महेन्द्र सिंह जी ।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत ..

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सुना है उनसे मैं एक निवेदन कर दूं कि उन्होंने अपने उत्तर में मैंने जो बिन्दू उठाये उनका जवाब दिया नहीं, मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहूंगा कि आप उन बिन्दुओं के ऊपर जांच करके आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : एक—एक माननीय सदस्य । बैठिये तो सही ।

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्रीजी से तीन सवाल पूछना चाहता हूं कृपया उनका उत्तर दिलायें । क्या राज्य सरकार राज्य में सामाजिक वानिकी परियोजना लागू करना चाहती है या नहीं ? यदि लागू करना चाहती है तो इनके क्या पद होंगे और उसमें कितनी उनकी संख्या होगी । वन निगम का कार्य कब तक शुरु हो जायेगा और इसका अध्यक्ष कौन बनेगा ? सरकारी कर्मचारी या कोई विधायक को बनाया जायेगा या फिर कौन बनेगा ? तीसरा मेरा निवेदन यह है कि जो....

श्री उपाध्यक्ष : सबको एक एक करके याद आता है एक ही प्रश्न कर लीजिये ?

श्री लक्ष्मीनारायण किसान : वनों में खनन की स्थिति क्या है और वनों में खनन कार्य के लिए कितने पट्टे दिये गये हैं और सरकार ने जो अवैध खनन के कार्य जो साथ में चालू हैं उनकी क्या कार्यवाही की है यह मेरा निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष : महेन्द्र कुमार जी ।

श्री महेन्द्र कुमार परमार : मेरा एक प्रश्न है छोटा सा, मंत्रीजी यह बताने का यत्न करेंगे कि 15 साल, 10 साल पुराने केटल का जो स्थाई रूप से जंगलात में काम कर रहे हैं उनको पर्मानेन्ट करने का क्या विचार रखते हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न तो यह पूछना चाहता हूं कि जिन पंचायतों में वन लगाने के लिए आपने भूमि दी और 15-20 साल से वहां वन पड़े और आपने गारण्टी दी थी कि पांच साल में उस भूमि को वापिस वन लगा कर लौटा देंगे पंचायतों को ।

आज वह पंचायतों में वापस नहीं आने के कारण वहां के मवेशियों को चरने की समस्या है । क्या राज्य सरकार यह घोषणा करेगी कि जो वन लग चुके हैं और जो पांच साल की परिधि से आगे निकल चुके हैं ।

2५४

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

वह चारागाह भूमि, जो प्लान्टेशन लगाये वह पंचायतों को कब तक लौटा देंगे? दूसरा प्रश्न मेरा एक और है जो भूमि अभी प्लान्टेशन के लिए आवंटित हुई है 20 साल के लिए उस भूमि में क्या वन विभाग को कोई यह जानकारी है कि कितनी भूमि किस किस व्यक्ति को प्लान्टेशन लगाने के लिए दी है। और यदि वह जानकारी है तो उसके लिए इन्होंने क्या योजना बनायी है।

श्री शीशराम ओला : किस की भूमि है ?

(9.00 रात्रि)

(व्यवधान)

श्री शिवचरण सिंह : राजस्व की भूमि है।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : नहीं नहीं, जो गैर मुमकिन सिवाय चक भूमि सरकार ने आवंटित की है। बीस साल के लिये लीज पर....

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : आप डीफोरेस्टेशन की बात कर रहे हैं क्या ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी....

(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : तीसरा प्रश्न यह है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य...

(व्यवधान)

श्री शीशराम ओला : यह रेवेन्यू में वेस्ट लेण्ड जो है, उसकी बात है, क्या ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह शंका समाधान कर रहे हैं, या दुबारा से कटमोशन आ रहे हैं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य।

श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी : गांवों में जिन पहाड़ों पर आपका प्लानटेशन नहीं है लेकिन वह फोरेस्ट बाउन्ड्री में आता है और कोई किसान अपने खेत के लिए पत्थर ले जाना चाहता है अपने कुए के लिए पत्थर ले जाना चाहता है तो ऐसे इमारती पत्थरों के लिए राज्य सरकार की क्या नीति है ? क्या उसमें छूट देंगे कि वह किसान अपना पत्थर निकाल कर ले जा सके जहां पर आपका प्लाण्टेशन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भैरू लाल जी भारद्वाज।

माननीय सदस्य, प्रश्न करते, शंका समाधान करते समय यह ध्यान रखें कि मंत्री जी को....

(व्यवधान)

श्री भैरूलाल भारद्वाज : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम राजस्थान में करोड़ों की तादाद में पेड़ लगाते जा रहे हैं। क्या मंत्री महोदय, जयपुर जो राजधानी है उसके तीस किलोमीटर के एक वृत के अन्दर एक ग्रीन बेल्ट स्थापित करने का प्रोग्राम रखते हैं ताकि उससे पर्यावरण का भी कंट्रोल होगा और तीस किलोमीटर चारों तरफ राजधानी के ग्रीन बेल्ट होगी तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा—एक बात।

दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि, मंत्री महोदय, विभाग के पास आयुर्वेद के निदेशक ने 200 ऐसे पेड़ों की सूची भेजी है, जिसके द्वारा आयुर्वेदिक पेड़ों के प्लाण्टेशन हर रेंज के साथ या हर जिले में जहां भी वन विभाग का कार्यक्रम है वहां आयुर्वेद की वनस्पति के भी कुछ वन रिजर्व करेंगे दो बात।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा लगता है सारा हाउस प्रश्न पूछना चाहता है।

श्री भैरूलाल भारद्वाज : उपाध्यक्ष महोदय जहां वन विभाग ने अभ्यारण्य घोषित किये हैं, वहां पर क्या विशेष वन रोपण, वृक्षारोपणों के कार्यक्रम शुरू किये जायेंगे ? जैसे जमवा रामगढ़ में हैं। जहां पर कि अभ्यारण्य घोषित किये गये हैं वहां पर अभ्यारण्य घोषित किये जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल जी। समय इतना हो गया है कि अगर आप सब शंका समाधान की इच्छा प्रगट करेंगे तो सम्भव नहीं होगा।

श्री भंवरलाल जी....

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ परिहार : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सारे के सारे सदस्य इकट्ठे शंका समाधान करना चाहते हैं। क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ परिहार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वन मंत्री जी से एक प्रश्न करना चाहूंगा....

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी एक शंका है। इनको रोकिये तो बोलूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय मंत्री जी ने यह घोषणा की है कि जो भी व्यक्ति....

श्री शीशराम ओला : आप जरा तेज बोलिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : राजकीय भूमि पर पेड़ लगाना चाहेगा वह लगा सकेगा। यह आपने घोषणा की।

श्री शीशराम ओला : यह नहीं कहा है ऐसा विचार कर रही है सरकार यह कहा है....

श्री भंवरलाल शर्मा : हां हां विचार में, मैं यह जानना चाहूंगा कि उस व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर मान लो कि 15 पेड़ लगा दिये और उसकी रक्षा के लिए डण्डा भी खेंच दिया....

श्री शीशराम ओला : पेड़ लगेंगे। अभी उसकी क्या व्यवस्था होगी। उसकी सारी प्रक्रियायें बन रही है। अभी से अन्दाज मत लग यें। डण्डा नहीं खेंच सकेगा। ऐसा विचार चल रहा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल जी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सारे चारागाह खत्म हो जायेंगे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : यह क्या हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, न तो मेरा प्रश्न आया और न उत्तर आया....

(व्यवधान)

याने पेड़ लगाने की प्रवृत्ति से सरकारी जमीन पर कब्जा होने की सम्भावना ही है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलाल जी आर्य....श्री हीरालाल जी आर्य सौरी....

श्री रघुनाथ परिहार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय वन मन्त्री जी से....

श्री हीरालाल आर्य : मेरे को अनुमति मिली है। उनको बैठायें आप....

श्री रघुनाथ परिहार : दुबारा बैठा दिया साहब बोलने ही नहीं दे रहे।

श्री हीरालाल आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि कोटा जिले में कन्दरा सुधार और पठार स्थिरीकरण योजना का काम चल रहा था। बीच में बन्द कर देने से वह काम बन्द पड़े हैं। जिससे कटाव बढ़ने से किसानों के खेत खराब हो रहे हैं. मन्त्री महोदय मैंने एक स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से यह पहले दे दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न कर लें।

श्री हीरालाल आर्य : मेरा प्रश्न यह है कि उस योजना को जो अधूरे काम पड़े हैं उनको पूरा करने के लिए आपने यह बताया था कि दस्यु नियंत्रण योजना है उसके अन्तर्गत इस काम को पूरा करायेंगे अब वह योजना तो भारत सरकार के विचाराधीन है उसको कब लेंगे। उस काम में क्या प्रगति है, उस काम को कब तक पूरा करवा देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री दाऊदयाल जोशी।

(व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

वन वाई वन....

(व्यवधान)

आपको मिलेगा टाइम।

श्री दाऊदयाल जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, आपका विभाग जो तार खरीदता है, सारे के सारे तार खरीदे गये हैं पालिशदार तार खरीदे गये हैं, 12 करोड़ रुपये के तार इस वर्ष खरीदे गये हैं। मेरे पास इस बात का प्रमाण है कि कलईदार तार न खरीदकर पालिशदार तार खरीदे हैं। पालिशदार तार खरीदने पर वह काले नहीं पड़ते हैं, और पालिशदार जो खरीदे हैं। 12 करोड़ के इसमें 4 करोड़ का घोटाला हुआ है। कलईदार तार 12 करोड़ के बजाय पालिशदार तार 8 करोड़ रु० में खरीद लिये हैं....

श्री शीशराम ओला : आप जिम्मेवारी से बात करिये, इतने तार खरीदे नहीं गये हैं। 21-22 लाख के तार खरीदे हैं...

(व्यवधान)

एक पैसे का घोटाला नहीं हुआ है।

श्री दाऊदयाल जोशी : एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप चाहें तो इस सारे प्रकरण की जांच करा सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ परिहार।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज, प्लीज आर्डर।

श्री रघुनाथ परिहार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मन्त्री महोदय से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कानून की जो व्यवस्था है राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 84 से 86 में है कि एक खातेदार टिनेन्ट अगर अवैध रूप से पेड़ को काटता है, अपने खेत पर लगे हुए पेड़ को काटता है तो एक पेड़ के लिए 100 रुपये जुर्माने तक की सजा दी हुई है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो वन अधिकारी जिसके क्षेत्र से अगर अवैध वृक्षों की कटाई पायी जाती है, वन सम्पदा के नुकसान का दोषी पाया जाता है, तो क्या ऐसा कानूनी प्रावधान बनाने की इच्छा सरकार रखती है कि उस वन अधिकारी को भी एक खातेदार किसान टिनेन्ट की तरह से दण्डित किया जाय और जुर्माना किया जाय....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ..

(व्यवधान)

नो, शंकायें समाप्त की जाती हैं, शंकायें खत्म की जाती है। माननीय मन्त्री जी....

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर, नो क्वैश्चन।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह के हालात में न तो मंत्री इस योग्य रहेंगे न आप कुछ कर सकेंगे....

श्री हरिकुमार ग्रौदिच्य : मैं नयी बात नहीं कर रहा। दाऊदयाल जी ने जो बातें कही केलोनाइज की कीमत 8/- किलो है ग्रौर जो खरीदना था स्पेसिफिकेशन के मुताबिक वह केलोनाइज का वह 16/- किलो ग्राता है। उसकी जगह वही खरीदा गया 8/- किलो का ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, ग्रलग से बात कर लें। शंकाएं समाप्त की जाती हैं।

No sir, I have not allowed any body. Not allowed, sir. I have not allowed, I have not allowed sir, no sir.

कृपया ग्रंकित न करें। प्लीज ग्रार्डर, नो ग्रंकित। प्लीज ग्रार्डर, ग्रार्डर....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जवाब तो दिलवाईये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी....

श्री शीशराम ग्रोला : बात कर लें डिमाण्ड पास करने की....क्या जवाब चाहते हो?

श्री उपाध्यक्ष : मैं ग्रापकी कठिनाई को महसूस करता हूं ..

श्री शीशराम ग्रोला : ग्रब तो मांग पारित कीजिये....

श्री उपाध्यक्ष : देखिये, ऐसे हालात में मांग संख्या 9 ग्रौर मांग संख्या 11 मतदान के लिये प्रस्तुत की जाती है।

मांग संख्या 9 एवं 11 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 9 वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 19,97,39,000 रुपये तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा ग्रनुदत्त राशि भी है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 11

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11 विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये, किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,81,60,000 रुपये तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा ग्रनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 23 जुलाई, 1985 को प्रात: 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

धन्यवाद..कुछ नहीं।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 9.14 बजे मंगलवार, दिनांक 23 जुलाई, 1985 को म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

249

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 430 की सूची)

LIST OF OTHER BACKWARD CLASSES IN RAJASTHAN

1. Throughout the State except Ajmer district :—

1. Banjare
2. Baori
3. Badera
4. Bagaria
5. Bhat
6. Bhoi (Sagarvanshi Mali)
7. Cheeta
8. Chamta
9. Dakot
10. Damami
11. Daroga
12. Dhandi
13. Dhankas
14. Dhobi
15. Dholi
16. Gaderia
17. Gadia Lohar
18. Ghanacha
19. Ghanchi
20. Hazuree
21. Hela
22. Jogi
23. Julaha
24. Kahar
25. Kalal
26. Kangi
27. Kanvi
28. Khant
29. Kharol
30. Kumbhar
31. Labana
32. Lakhera
33. Lohar
34. Merat and Mer
35. Mehara
36. Maha Brahmin
37. Miras
38. Merasi
39. Mogia
40. Nagarchee
41. Nai
42. Naik
43. Nairia
44. Ood (Beldar)
45. Patwa (Phadal)
46. Pinjara
47. Rai
48. Raona Rajput
49. Rawat
50. Rehbari
51. Sad
52. Sonsi (Sehar)
53. Satya (Sindhis)
54. Sikligar
55. Sirkiwala
56. Teli
57. Thatera

II. In Ajmer District :—

1. Aheer
2. Banjare
3. Cheeta
4. Daroga
5. Dhakad
6. Gadolia
7. Gujar
8. Jat
9. Kahar
10. Khati
11. Kumbar
12. Lodha
13. Lohar
14. Mali
15. Mena
16. Merat
17. Nai
18. Nayar
19. Rawat
20. Rebbari
21. Sadhu
22. Teli
23. Scheduled castes who have embraced Christian religions.

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 431 की सूची)

कार्यालय पंचायत समिति, सराड़ा जिला उदयपुर

वर्ष 1983-84

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	वर्ष का नाम	कार्यों का विवरण	स्वीकृत की गई राशि	व्यय की गई राशि	कार्य पूरा हुआ या नहीं	विशेष विवरण
1.	जावद	1983-84	उच्च प्रा. वि. जावद	5000.00	4960.00	कार्य पूर्ण	
2.	,,	,,	प्रा. वि. दवाणा	9000.00	9000.00	कार्य पूर्ण	
3.	लिम्बोदा	,,	,, ,, लिम्बोदा	3000.00	3000.00	,,	
4.	लिम्बोदा	,,	,, ,, लिम्बोदा	4000.00	4000.00	,,	
5.	लिम्बोदा	,,	,, ,, लिम्बोदा	6000.00	4525.00	अपूर्ण	
6.	बीरपुरा	,,	,, ,, करोडिया	4000.00	4000.00	पूर्ण	
7.	,,	,,	उ. प्रा. वि. कन्तोडा	10000.00	10000.00	अपूर्ण	
8.	खरबर	,,	उ. प्रा. वि. खरबर	24000.00	15500.00	अपूर्ण	
9.	परसाद	,,	प्रा. वि. परसाद	12000.00	12000.00	पूर्ण	
10.	केजड	,,	प्रा. वि. केजड़	5000.00	4999.00	पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	कातनवाड़ा	1983–84	प्रा. वि. मांडवा	7000.00	6989.10	पूर्ण	
12.	,,	,,	प्रा. वि. कातनवाड़ा	8000.00	8000.00	पूर्ण	
13.	चावन्ड	,,	प्रा. वि. चावन्ड	6000.00	6000.00	पूर्ण	
14.	पानसराड़ा	,,	प्रा. वि. पानसराड़ा	6000.00	5000.00	पूर्ण	
15.	,,	,,	प्रा. वि. पानसराड़ा	10000.00	10000.00	पूर्ण	
16.	सराड़ा	,,	कन्या उ. प्रा. वि. सराड़ा	6000.00	6000.00	पूर्ण	
17.	सगातडा	,,	प्रा. वि. उदपरियां	7000.00	7000.00	पूर्ण	
18.	सगातडा	,,	सराय सगतडा	4000.00	4000.00	पूर्ण	
19.	इन्टाली	,,	प्रा. वि. इन्टाली	5000.00	4858.12	पूर्ण	
20.	,,	,,	कन्या प्रा. वि. इंटाली	4000.00	4000.00	पूर्ण	
21.	,,	,,	प्रा. वि. इंटालीपाल	2000.00	2000.00	पूर्ण	
22.	घोडासर	,,	पंचायत भवन घोडासर	4000.00	2565.00	अपूर्ण	
23.	सेमारी	,,	औषधालय भवन सेमारी	10000.00	7500.00	अपूर्ण	
24.	गोतोड़	,,	प्रा. वि. खांखला	5000.00	4560.00	पूर्ण	
25.	इंटाली	,,	उ. प्रा. वि. इंटाली	10000.00	7560.00	अपूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	टोंकर	1983–84	मा. वि. टोंकर	10000.00	10000.00	अपूर्ण	
27.	,,	,,	उ. प्रा. वि. कालीघाटी	15000.00	15000.00	,,	
28.	धनकावाडा	,,	प्रा. वि धनकावाडा	10000.00	10000.00	पूर्ण	
29.	,,	,,	धनका वि. धनकावाडा	10000.00	10000.00	पूर्ण	
30	वलुम्रा	,,	उ. प्रा. वि. वलुम्रा	7000.00	5752.00	अपूर्ण	
31.	बडावली	,,	उ. प्रा. वि. बडावली	7000.00	7000.00	पूर्ण	
32.	,,	,,	उ. प्रा. वि. बर्डावाली	10000.00	10000.00	पूर्ण	
33.	पाडला	,,	प्रा. वि. पाडेला	5000.00	5000.00	पूर्ण	
34.	कुन्डा	,,	उ. प्रा. वि. बोरीपाल	3000.00	3000.00	पूर्ण	
35.	कुंन्डा	,,	उ. प्रा. वि. कुन्डा	6000.00	6000.00	पूर्ण	
36	रठोंडा	,,	प्रा. वि. ओंडा	3000.00	2829.17	पूर्ण	
37.	राठोडा	,,	औषधालय भवन राठोंडा	4000.00	4000.00	पूर्ण	
38.	साठोडी	,,	प्रा. वि. ओंडा	4000.00	4000.00	पूर्ण	
39.	सुरखण्डखेडा	,,	प्रा. वि. नावडा	5000.00	5000.00	पूर्ण	
40.	पीलादर	,,	प्रा. वि, सतियां	4000.00	4000.00	पूर्ण	
41.	,,	,,	,, ,, मुण्डला (कन्या)	6000.00	6000.00	पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	श्यामपुरा	1983–84	प्रा. वि. गतोडा	12000.00	11859.00	अपूर्ण	
43.	भाडोल	,,	प्रा. वि. भाडोल (कन्या)	8000.00	8000.00	अपूर्ण	
44.	भोडाल	,,	,, ,, महादेव बावडी भाडोल	5000.00	5000.00	पूर्ण	
45.	सेल्लाडा	,,	प्रा. वि. सल्लाडा	12000.00	12000.00	पूर्ण	
46.	भोराई	,,	प्रा. वि. भोराई	12000.00	12000.00	अपूर्ण	
47.	धाना	,,	औषधालय भवन थाना	8000.00	8000.00	पूर्ण	
48.	घाना	,,	प्रा. वि. डायली	10000.00	10000.00	पूर्ण	
49.	देवपुरा	,,	मा. वि. देवपुरा बरायदा	16000.00	11000.00	अपूर्ण	
50.	वडावली	,,	प्रा. वि. सीपुर	5000.00	5000.00	पूर्ण	
51	सिगटवाडा	,,	उ. प्रा. वि. सिघटवाडा	10000.00	9000.00	अपूर्ण	
			योग :		361257.71		

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या 433 की सूची)

परिशिष्ट-अ

गत पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

क्रमांक	नाम परियोजना	स्वीकृति वर्ष
1.	चाकसू	80–81
2.	राजगढ़	,,
3.	चौहटन	,,
4.	माण्डलगढ़	81–82
5.	अलीगढ़	,,
6.	आहोर	,,
7.	डूंगरपुर	,,
8.	सागवाड़ा	,,
9.	जयपुर प्रथम	,,
10.	जयपुर द्वितीय	82–83
11.	बाली	,,
12.	फलौदी	,,
13.	रूपवास	,,
14.	टोडामीम	,,
15.	डेगाना	,,
16.	प्रतापगढ़	,,
17.	शाहबाद	,,
18.	किशनगंज	,,
19.	कुशलगढ़	,,
20.	सीमलवाड़ा	,,
21.	झाडोल	,,

1	2	3
22.	सलूम्बर	82–83
23.	घाटोल	83–84
24.	कांटडा	,,
25.	सराडा	,,
26.	ऋषभदेव (खैरवाडा)	,,
27.	जोधपुर	,,
28.	डीग	,,
29.	नादौती	,,
30.	जैतारण	,,
31.	तलवाडा	,,
32.	रेवदर	,,
33.	आबूरोड	,,
34.	गोगुन्दा	,,
35.	सिवाना	,,
36.	आसपुर	,,
37.	बिच्छीवाडा	,,
38.	शेरगढ	,,

परिशिष्ट "ब"

छठी पंचवर्षीय योजना काल में प्रारम्भ किये गये राजकीय छात्रवासों की सूची

क्र.सं.	नाम योजना	स्थान छात्रावास	जिला
1.	अनुसूचित जाति योजना के अन्तर्गत	कठूमर	अलवर
2.	,, ,,	समदडी	बाडमेर
3.	,, ,,	माडलगढ	भीलवाडा

257

क्र.सं	नाम योजना	स्थान छात्रावास	जिला
4.	अनुसूचित जाति योजना के अन्तर्गत	कोलायत	बीकानेर
5.	,, ,,	वैर	भरतपुर
		रूपवास	भरतपुर
6.	,, ,,	गगरार	चित्तौड़गढ
7.	,, ,,	राजगढ	चूरू
8.	,, ,,	सूरतगढ	गंगानगर
		रावतसर	श्रीगंगानगर
		विजयनगर (कन्या)	श्रीगंगानगर
		समेजाकोठी	श्रीगंगानगर
		मनोहरपुरा	जयपुर
9.	,, ,,	राडावास	जयपुर
		रेवदर	सिरोही
10.	,, ,,	सागोद	कोटा
11.	,, ,,	मकराना	नागौर
12.	,, ,,	नागौर	नागौर
		उनियारा	टौंक
13.	,, ,,		
		19	
14.	अनुसूचित जनजाति योजना के अन्तर्गत	कुशलगढ (टीएडी)	बांसवाडा
15.	,, ,,	सालमगढ (कन्या) टीएडी	चित्तौडगढ
16.	,, ,,	सावला (कन्या) (टीएडी)	डूंगरपुर
17.	,, ,,	बगरू	जयपुर
18.	,, ,,	खण्डार	सवाई माधोपुर
		नादौती	सवाई माधोपुर
		सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर

क्र.सं.	नाम योजना	स्थान छात्रावास	जिला
19.	अनुसूचित जनजाति योजना के अन्तर्गत	कोटडा (कन्या) टीएडी	उदयपुर
		चावण्ड (कन्या) (टीएडी)	उदयपुर
		सलूम्बर (टी.ए.डी.)	उदयपुर
		उदयपुर (टी.ए.डी.)	उदयपुर
		11	
	कुल योग	30	

भंगी कष्ट मुक्ति योजना के तहत गत पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ किये गये राजकीय छात्रावास।

क्र.सं.	स्थान	जिला	छात्रवासों की संख्या	स्वीकृत छात्रों की संख्या
1.	जयपुर	जयपुर	4	प्रत्येक छात्रावास में स्वीकृत छात्र संख्या 25 है।
2.	जोधपुर	जोधपुर	3	
3.	अजमेर	अजमेर	1	
4.	ब्यावर	अजमेर	1	
5.	कोटा	कोटा	2	
6.	बीकानेर	बीकानेर	2	
7.	उदयपुर	उदयपुर	2	
8.	देवगढ	उदयपुर	1	
9.	अलवर	अलवर	2	
10.	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	1	
11.	नोहर	श्रीगंगानगर	1	
12.	केसरीसिंहपुरा	श्रीगंगानगर	1	

क्र.सं	स्थान	जिला	छात्रवासों की संख्या	स्वीकृत छात्रों की संख्या
13.	सादुलशहर	श्रीगंगानगर	1	प्रत्येक छात्रावास में स्वीकृत छात्र संख्या 25 है।
14.	भीलवाडा	भीलवाडा	2	
15.	सीकर	सीकर	1	
16.	भरतपुर	भरतपुर	1	
17.	टोंक	टोंक	1	
18.	चूरू	चूरू	1	
19.	रतनगढ	चूरू	1	
20.	पाली	पाली	1	
21.	मारवाड जं.	पाली	1	
22.	वाडमेर	वाडमेर	2	
23.	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर	1	
24.	बून्दी	बून्दी	1	
25.	देई	बून्दी	1	
26.	नागौर	नागौर	1	
27.	झुन्झुनु	झुन्झुनु	1	
28.	चित्तौडगढ	चित्तौडगढ	1	
29.	जालौर	जालौर	1	
30.	धौलपुर	धौलपुर	1	
		योग	40	छात्रों की संख्या 1000

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 231 का विवरण)

क्र.सं	प्राथमिक विद्यालय	स्थान
1	2	3
1.	प्राथमिक विद्यालय	पहाड़पुरा
2.	,,	फालना
3.	,,	खापरोल (पाचला)
4.	,,	पुरगाग
5.	,,	जाखल 2
6.	,,	भांक (कन्याशाला)
7.	,,	जाटों का गोलिया (हेमागुड़ा)
8.	,,	हाड़ेचा (कन्याशाला)
9.	,,	भवातड़ा

परिशिष्ट 5

परिशिष्ट "क"

(तारांकित प्रश्न संख्या 241 का विवरण)

प्रदेश के विभिन्न स्टेडियमों की देखभाल से सम्बन्धित स्थानीय निकायों/संस्थाओं/ विभागों की सूची

(निर्मित स्टेडियमों की)

क्रमांक	जिले का नाम	देखभाल के लिए जिम्मेदार संस्था	स्टेडियम की संख्या
1.	अजमेर	अजमेर नगर पालिका, अजमेर	1
		पुष्कर नगर परिषद्, पुष्कर	1
2.	अलवर	राजऋषि कालेज प्रशासन, अलवर	1
3.	बीकानेर	कलेक्टर के अधीन शिक्षा विभाग द्वारा	1
		सादुल पुष्करणा उच्च माध्यमिक विद्यालय	1
4.	बाड़मेर	म्युनिसिपिल बोर्ड, बाड़मेर	1
5.	डूंगरपुर	जिलाधीश की अध्यक्षता में बनी समिति द्वारा	1
6.	जयपुर	सवाई मानसिंह स्टेडियम-सार्वजनिक निर्माण विभाग	1
		चौगान स्टेडियम-जिला क्रीड़ा परिषद्, जयपुर	1
		सांगानेर म्युनिसिपिल कौंसिल, जयपुर	1
7.	जालौर	कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला क्रीड़ा परिषद्, जालौर	1
8.	जोधपुर	स्टेडियम ग्राउण्ड्स:- सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड, जोधपुर।	1
9.	झालावाड़	पुलिस विभाग	1

1	2	3	4
10.	झुन्झुनू	सेठ मोतीलाल कालेज प्रशासन, झुन्झुनू	1
		सूर्य मण्डल, नवलगढ़	1
		पोद्दार कालेज, नवलगढ़	1
		बिडला उच्च माध्यमिक स्कूल प्रशासन, पिलानी	1
11.	कोटा	नगर परिषद्, कोटा	1
12.	सिरोही	नगर पालिका, आबू पर्वत	1
13.	उदयपुर	भूपालगढ़ स्टेडियम–म्युनिसिपल कौंसिल, उदयपुर	1
		लवकुश स्टेडियम–म्युनिसिपल कौंसिल, उदयपुर	1
			21

परिशिष्ट "ख"

निर्माणाधीन स्टेडियमों को देखभाल के लिए जिम्मेदार संस्थाओं की सूची

क्रमांक	जिले का नाम	देखभाल के लिए जिम्मेदार संस्था	स्टेडियम की संख्या
1.	अजमेर	ब्यावर नगर परिषद्, ब्यावर	1
2.	अलवर	पुल एवं निर्माण निगम द्वारा निर्माण कराया जा रहा है, जिम्मेदारी बाद में निश्चित की जावेगी	1
3.	बीकानेर	नगर विकास न्यास, बीकानेर	1
4.	भीलवाड़ा	सुखाड़िया स्मृति समिति, भीलवाड़ा	1
5.	चूरु	म्युनिसिपिल कौंसिल	1
6.	गंगानगर	जिला क्रीड़ा परिषद्, गंगानगर	1
7.	जयपुर	पुलिस एकेडमी प्रशासन, जयपुर	1

1	2	3	4
8.	जालौर	दानदाता द्वारा निर्माणाधीन है जिम्मेदारी बाद में निश्चित की जावेगी	1
9.	जोधपुर	बरकततुल्ला खां स्टेडियम–नगर सुधार न्यास जोधपुर ।	1
10.	जैसलमेर	गठित (ज्ञापित) कशेतु समिति	1
11.	पाली	म्युनिसिपिल कौंसिल, पाली	1
12.	सवाई माधोपुर	नगर पालिका सवाई माधोपुर	1
		करौली शिक्षा विभाग द्वारा	1
13.	उदयपुर	राजकीय वां. उ. मा. विद्यालय, कांकरोली	1
			14

परिशिष्ट 6

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

फलौदी औद्योगिक क्षेत्र में सुविधायें

434. **श्री मोहन छंगाणी** (फलौदी) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) फलौदी औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित ऐसी कौन कौन सी इकाइयां हैं जो विद्युत, पानी, कच्चे माल आदि के अभाव में उत्पादन प्रारम्भ नहीं कर पा रही हैं ? कृपया प्रत्येक इकाई की आवश्यकता दर्शाते हुए विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त इकाइयों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं, अथवा उठाये जा रहे हैं ?

(3) उक्त इकाइयों की आवश्यकताओं की पूर्ति कब तक हो सकेगी ?

उत्तर

(1) औद्योगिक क्षेत्र फलौदी में वर्तमान में ऐसी किसी इकाई से, विद्युत पानी एवं कच्चामाल आदि के अभाव में उत्पादन में नहीं आने के लिए, कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता है।

रायपुर (पाली) में बाल विवाह विषयक दर्ज प्रकरण

435. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या दिनांक 30-5-1985 को थानाधिकारी, रायपुर, जिला पाली द्वारा बाल विवाह नियन्त्रण (निरोध) अधिनियम की धारा 5 व 6 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया ? क्या इस मुकदमें में जांच करने का अधिकार थानाधिकारी रायपुर के कार्य क्षेत्र में आता है ? यदि नहीं, तो किस आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया गया व क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में हजारों की तादाद में इसी वर्ष के वैशाख माह में शादियां हुई हैं ? इस वर्ष कितने मुकदमें बाल विवाह के बनाये गये ? कृपया सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वैशाख महीने में शादियां होती आ रही हैं। इस वर्ष प्रदेश में 3 अभियोग पंजीबद्ध किये गये। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1. अभियोग संख्या 45 दिनांक 29-5-85 थाना चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर पर श्री के. एन. तिवाड़ी सनाढ्य ब्राह्मण की रिपोर्ट पर जिसमें 12 वर्षीय बच्ची की शादी 50 वर्षीय अध्यापक के

(उद्योग मन्त्री)

साथ की जाने के आरोप लगाये गये हैं। अभियोग का अनुसंधान जारी है।

2. थाना लुहाडिया (जिला बांसवाड़ा) में आदिवासी द्वारा नाबालिग लड़कियों की शादी के सम्बन्ध में है।

3. अभियोग संख्या 46 थाना रायपुर (पाली) दिनांक 31-5-85 जिसके सम्बन्ध में वर्तमान प्रश्न है।

उदयपुर तथा जयपुर की संस्थाओं को अनुदान

436. **श्री खेमराज कटारा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर तथा जयपुर की किन-किन संस्थाओं को समाज कल्याण विभाग किस-किस कार्यक्रम के लिये अनुदान दे रहा है व कितना कितना ?

(2) भारत सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता व स्वीकृति के उपरान्त भी विभाग ने किन संस्थाओं की किश्तें रोकी तथा इससे किन किन सामाजिक कार्यक्रमों में बाधा हुई ?

(3) जयपुर की राजस्थान लोक सेवा समाज नामक संस्था का महिला कल्याण कार्यक्रम की किश्तें व आगामी स्वीकृति किस आधार पर रोकी, जबकि सरोजनी विद्यालय तथा अन्य संस्थाओं का भुगतान कर दिया गया ?

(4) कृपया सहायक निदेशक, समाज कल्याण, जयपुर द्वारा कराई गई जांच की निरीक्षण रिपोर्ट (राजस्थान लोक सेवा समाज संस्था से सम्बद्ध सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(परिशिष्ठ "अ")

(2) भारत सरकार से स्वीकृत तथा आर्थिक सहायता प्राप्त होने पर भी जिन संस्थाओं की सहायता रोकी गई उनकी सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(परिशिष्ठ "ब")

(3) राजस्थान लोक सेवा समाज जयपुर को आगामी किश्त संस्था द्वारा हिसाब व रेकार्ड न दिखाने के कारण रोकी तथा सरोजनी विद्यालय व संस्थाओं को भी भुगतान नहीं किया गया है।

(4) सहायक निदेशक, द्वारा कराई गई निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(परिशिष्ठ "स")

परिशिष्ट 'अ''

उदयपुर एवं जयपुर की उन संस्थाओं के नाम जिन्हें समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाता है :—

क्र.सं.	नाम संस्था	स्वीकृत अनुदान वर्ष 84–85
	(निराश्रित बाल गृह)	
	जयपुर	
1.	सरोजनी बाल विद्यालय समिति, अमानीशाह रोड, नाहरी का नाका, जयपुर	17,027
2.	अरविन्दभारती विद्यालय समिति, कालवाड़ रोड, झोटवाड़ा, जयपुर	54,123
3.	ए. के. पब्लिक स्कूल, मोती कटला बाजार, जयपुर	23,125
4.	बाल रश्मि सोसायटी, ए–40, शांति पथ तिलक नगर, जयपुर	1,09,604
5.	जगजीवनराम शिक्षा समिति, फतेहटीबा, आदर्श नगर, जयपुर	37,190
6.	मातृकुंज विद्यालय, शिल्प कोलोनी, झोटवाड़ा, जयपुर	21,817
7.	विक्टोरिया मांटेसरी पब्लिक स्कूल, रामनगर नाहरी का नाका, जयपुर।	18,268
	उदयपुर	
8.	श्री लालबहादुर शास्त्री शिशु निकेतन समिति, कांकरोली, (उदयपुर)	12,249
9.	जवाहर सेवा मण्डल समिति, नाथूवास, नाथद्वारा (उदयपुर)	29,463
10.	लव-कुश विद्यालय समिति, सलूम्बर (उदयपुर) उदयपुर	28,018
11.	सरस्वति शिशु निकेतन समिति, महेश्वरी का नाक, उदयपुर	53,922
12.	निम्बार्क गंगा सोसायटी स्कूल, सूरजपोल गेट, उदयपुर	20,952
13.	राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद 1 कमल गली,	

267

1	2	3
	भामाशाह मार्ग, उदयपुर ।	44,853
14.	महिला मण्डल, 58-चित्रगुप्त मार्ग, सब्जी मण्डी, उदयपुर	27,304
15.	गायत्रि विद्या मन्दिर समिति, अशोक नगर, उदयपुर	61,088
16.	राजस्थान विद्या पीठ, उदयपुर	2,00,790
17.	श्री ... प्राथमिक शाला, फतेहपुरा, उदयपुर	99,808
18.	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर द्वारा	84,000

कार्यशील महिला छात्रावास

1.	राजस्थान महिला परिषद, उदयपुर	2,56,124
2.	नगर परिषद उदयपुर ।	2,34,375

संकटग्रस्त महिला पुनर्वास प्रशिक्षण केन्द्र

1.	सरोजनी बाल विद्यालय समिति, जयपुर	54,540
2.	अरविन्द बाल भारती विद्यालय, जयपुर	53,490
3.	राजस्थान लोक सेवा समाज, जयपुर	84,924
4.	मानव शिक्षा समिति जयपुर	20,317

परिशिष्ठ "ब"

उन संस्थाओं की सूची जिनकी सहायता एवं स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त भी रोक दी गई

	संस्था का नाम	कार्यक्रम
1.	सरस्वती शिशु निकेतन, उदयपुर	आपदग्रस्त महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु ।
2.	दधिमथि शिक्षण संस्थान, श्रीगंगानगर ।	" " "
3.	जवाहर सेवा मण्डल, नाथूवास, नाथद्वारा	अतिरिक्त निराश्रित बालगृह

4. श्री करणी नगर विकास समिति, कोटा। ,, ,, ,,

5. जीवन निर्माण संस्थान, भरतपुर ,, ,, ,,

6. गायत्री विद्या मंदिर समिति, उदयपुर। भवन निर्माण हेतु

उक्त संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा योजना की आवश्यकता का 45 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया जाता है। शेष 45 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा योजना मद से तथा 10 प्रतिशत संस्था को स्वयं का अंशदान लगाना होता है। राज्य सरकार के योजना मद में राशि का प्रावधान न होने के कारण विभाग द्वारा इन्हें स्वीकृति नहीं दी गई। इनसे सामाजिक कार्यक्रमों में कोई विशेष बाधा नहीं हुई क्योंकि निराश्रित बालकों को अन्य संस्थाओं में जिनमें रिक्त स्थान थे प्रवेश दिला दिया गया है। महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु ट्राईसेम व स्काईट योजना के अन्तर्गत व्यवस्था करदी गई।

परिशिष्ट–स

राजस्थान लोक सेवा समाज, कल्याणजी का रास्ता, जयपुर द्वारा संचालित आपद्ग्रस्त महिलाओं हेतु आवासीय तथा पुनर्वास केन्द्र, जयपुर का निरीक्षण करने के संबंध में

निरीक्षणकर्ता—श्रीमती पुष्पा सिंघवी,
परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी,
महिला (जयपुर)
निरीक्षण दिनांक—25-1-85

आदेशानुसार दिनांक 25-1-85 को राजस्थान लोक सेवा समाज, कल्याणजी का रास्ता, जयपुर द्वारा संचालित आपदग्रस्त महिलाओं हेतु आवासीय तथा पुनर्वास केन्द्र (सिलाई तथा बुनाई) का निरीक्षण करने हेतु गोविन्दराजियों का रास्ता, पुरानी बस्ती, जयपुर में पाया गया। वहां पाने पर ज्ञात हुआ कि संस्था जो पूर्व में यहां चल रही थी, उसे बंद कर दिया गया। बाद में राजस्थान लोक सेवा समाज कल्याणजी का रास्ता में जाया गया। संस्था की सेक्रेटरी श्रीमती विजयलक्ष्मी शर्मा से बात की गई। उन्होंने बताया कि धनाभाव के कारण मकान मालिक को किराये का भुगतान नहीं किया जा सका एवं मकान मालिक तथा उनके लड़के में आपसी झगड़ा होने के कारण मकान खाली करना पड़ा। 10 जनवरी से महिलायें यहां पर नहीं रह रही हैं। संस्था में सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। संचालिका ने बताया कि इस समय तीसरा समूह चल रहा है जिन्हें 6 माह तक निःशुल्क आवास तथा प्रशिक्षण दिया जाता है:

संचालित श्रीमती विजयलक्ष्मी जी से व्यक्तिगत रूप से कई बार सम्पर्क किया गया एवं अनेक बार फोन भी किया गया परन्तु उन्होंने रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया। कुछ दिन पूर्व रेकार्ड प्रस्तुत किया परन्तु जब उनकी प्रतिलिपि चाही गई जो आज तक

269

प्राप्त नहीं हुई है एवं न ही जो महिलायें प्रशिक्षण प्राप्त करके गई उनके संबन्ध में जानकारी प्राप्त हुई है क्योंकि उन महिलाओं की अभी तक सूची प्राप्त नहीं हुई है, जिससे उनसे सम्पर्क स्थापित किया जा सके। संचालिका ने बताया कि श्रीमती चन्द्रशेखर के द्वारा 10 महिलाओं को बुनाई मशीन वितरित करवाई गई थी, परन्तु उनसे सम्पर्क नहीं करवाया गया, महिलाओं को अभी तक सर्टीफिकेट वितरित नहीं किये गये हैं। धनाभाव के कारण ही 10 जनवरी, 85 से संस्था को बंद कर रखा है। महिलायें कल्याणजी के रास्ते में सीखने हेतु आती है, परन्तु उन्हें खाना आदि 10 जनवरी के बाद से नहीं दिया जा सका है। रेकार्ड न होने से वास्तव में कितनी एवं कौनसी महिला से सीखा है, आज दिनांक तक वास्तविक जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है।

उचित एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत है।

ह०
(पुष्पा सिंघवी)
परिवीक्षा एवं कारागृह
कल्याण अधिकारी (महिला)
जयपुर

गलता तीर्थ के सौन्दर्यकरण की योजना

437. डा. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रसिद्ध गलता तीर्थ के क्यारे का निर्माण किये जाने के लिये राशि आवंटित की गई थी? यदि हां तो कितनी? क्या उक्त राशि में क्यारे का निर्माण हो चुका है? यदि नहीं, तो क्यों, और अब निर्माण कब तक पूरा कर दिया जावेगा?

(2) क्या गलता तीर्थ स्थान पर सूर्य कुण्ड के ऊपर (मरदाना कुण्ड) अन्धेरी दरवाजे में क्यारे की दीवार को मरम्मत कराये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है? इस कार्य के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत है?

(3) क्या यह सही है कि गलता तीर्थ स्थल विकास कार्यों पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का पूरा उपयोग अभी तक नहीं होने के कारण गलता को बाढ़ प्रकोप से नहीं बचाया जा सका है?

(4) क्या यह सही है कि गलता तीर्थ के सौन्दर्यकरण की योजना का मास्टर प्लान बना लिया गया है? यदि हां, तो इस प्लान पर अब तक कितना कार्य हो गया है, शेष कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा? कृपया मास्टर प्लान की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या गलता तीर्थ स्थल पर पुराने

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

मन्दिरों की मरम्मत कराकर वहां विद्युत्-पानी सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी हां। इस कार्य हेतु सिंचाई विभाग को 18.26 लाख रु. की राशि आवंटित की गयी थी। केवल बाईयाश के अलावा क्यारे का कार्य पूरा हो चुका है। बाईवाश का कार्य वर्ष 1985-86 में पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

(2) जी हां। पृथक से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(3) गलता तीर्थ स्थल पर पूर्व में आवंटित धनराशि का उपयोग सिंचाई विभाग द्वारा पूरा कर दिया गया है। क्यारा बांध के बाईवाश के कार्य की अलग से स्वीकृति दे दी गई है। यह कार्य पूर्ण होने पर गलता तीर्थ को बाढ़ प्रकोप से कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है।

(4) जी हां। इस प्लान के अनुसार पूरे किये गये एवं शेष रहे कार्यों की सूची संलग्न है। शेष कार्यों के पूर्ण कराने के अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। मास्टर प्लान की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(5) यह मन्दिर सुपुर्दगी की श्रेणी में आते हैं जिनका प्रबन्ध स्वयं सुपर्दगार करते हैं। अतः इन मन्दिरों की मरम्मत कराकर वहां विद्युत-पानी सुविधा उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की कोई योजना नहीं है।

(मास्टर प्लान की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बिन्दु सं. 4 का संलग्न क

मास्टर प्लान के अनुसार गलता तीर्थ पर पूर्ण किये गये एवं शेष रहे कार्यों का विवरण :—

(1) कार्य जो पूर्ण हो चुके :—

1. सिसोदिया रानी के महल से गलता मुख्य दरवाजे तक सड़क एवं पुलियाओं का निर्माण कार्य।
2. मुख्य-द्वार के पास मलवे से भरी बावड़ी को साफ कर मरम्मत का कार्य।
3. मलवे से भरे हुये केलों वाले कुण्ड की सफाई एवं मरम्मत का कार्य।
4. मलवे से भरे हुये कुए की सफाई एवं मरम्मत कार्य तथा उसके चारों ओर चबूतरे का निर्माण कार्य।
5. उत्तरी पहाड़ के नीचे नाले का निर्माण कार्य तथा टेरेसेज निर्माण कार्य।
6. गलता पुनरुद्धार समिति द्वारा मर्दाने कुंड का मलवा जनाने कुंड में डाल दिया था, उसे हटाने का कार्य।

7. जनाने कुंड के मलवे को हटाने एवं कुंड की मरम्मत का कार्य ।

8. सिसोदिया रानी के मन्दिर से गलता मुख्य-द्वार तक वृक्षारोपण कार्य ।

9. गलता के मुख्य क्षेत्र की पहाड़ियों पर वृक्षारोपण का कार्य ।

10. सूरजपोल दरवाजे से गलता कदम कुंड की सड़क की मरम्मत का कार्य ।

11. मर्दाने कुंड के मलवे को हटाने का कार्य व कुंड की मरम्मत का कार्य ।
(गलता पुनरुद्धार समिति द्वारा करवाया गया)

12. जनाने कुंड से यज्ञ देवी कुंड तक सिड्ड़ियां बनाने का कार्य (गलता पुनरुद्धार समिति द्वारा करवाया गया)

13. जनाने कुंड के दक्षिण की ओर टैरेसेज का निर्माण कार्य ।

(2) कार्य जो आंशिक रूप से पूर्ण हो चुके हैं :—

1. गलता मुख्य दरवाजे के बाहर वाहनों के लिए पार्किंग स्थल का कार्य ।

2. गलता मुख्य-द्वार से सीतारामजी के मन्दिर के पास वाले द्वार तक के क्षेत्र के मलवे को हटाकर टैरेसेज का निर्माण तथा लैण्ड स्केपिंग का कार्य मय फुटपाथ के ।

3. सीतारामजी के मन्दिर के सामने से लेकर जनाना कुंड तक मलवा हटाकर पक्का रास्ता बनाने का कार्य ।

4. मर्दाने कुंड से मुख्य-द्वार के बाहर तक एस्केप चैनल निर्माण कार्य ।

(3) कार्य जो शेष हैं :—

1. पार्किंग स्थल के पास जन-सुविधाओं का निर्माण कार्य ।

2. जल-पान हेतु कियोस्क बनाने का कार्य ।

3. गलता मुख्य-द्वार एवं परकोटे की दीवार का पुनः निर्माण कार्य ।

4. जनाना कुंड पर पुरानी छतरियों का जीर्णोद्धार कार्य तथा नई छतरियां बनाने का कार्य ।

5. मर्दाने कुंड के सामने प्लेट फार्म पर छत डालने का कार्य एवं अन्य निर्माण कार्य ।

6. गालव ऋषि के मन्दिर से कदम कुंड तक के क्षेत्र को पक्का करने का कार्य । इसके अलावा सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ से बचाने के लिए निम्न कार्य और प्रस्तावित

थे—जिनमें केवल बयारा डेम के बाईपास का कार्य तथा एस्केप–चैनल का कार्य छोड़कर शेष कार्य पूर्ण हो चुके हैं : –

(1) बयारा डेम का पुनः निर्माण (2) चोर घाटी डेम का पुन: निर्माण

(3) बयारा डेम से गलता मुख्य कुंड तक अधिक पानी के निकास के लिए नाले का निर्माण।

(4) चोर घाटी डेम से मुख्य कुंड तक अधिक पानी के निकास के लिए नाले का निर्माण।

सुजान गंगा नहर की मरम्मत

438. **श्री नत्थीसिंह** (कुम्हेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भरतपुर किले के चारों ओर की नहर (सुजान गंगा) का पानी निकाल कर उसे मरम्मत किये जाने का कार्य कई साल से चल रहा है? यदि हां, तो यह कार्य कब से जारी है? प्रतिवर्ष कितना रुपया इस कार्य पर खर्च किया जाता है?

(2) क्या उक्त नहर से पूरी तरह पानी निकलवा कर सफाई करने तथा उसके घाटों और बैंक्स की पूरी तरह से मरम्मत करने की कोई समयबद्ध योजना है? यदि हां, तो कब तक इस कार्य को पूरा कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) कुछ वर्ष सिंचाई विभाग द्वारा कार्य किये जाने के पश्चात् सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सुजान गंगा नहर का पानी निकालने का कार्य दिनांक 3.1.84 को प्रारम्भ किया था तथा नहर की मरम्मत का कार्य 8.6.84 से चल रहा है। इस कार्य पर जून 1985 तक कुल 21,19,912/- रु० व्यय किये जा चुके हैं।

(2) जी नहीं।

केवल सुजान गंगा की कोटवाल (बाहरी दीवार) का पूरी लम्बाई में आवश्यक पानी निकाल कर जीर्णोद्धार एवं मरम्मत का कार्य उपलब्ध स्वीकृत योजना में सम्मिलित हैं, जिसे दिनांक 25.11.8? तक पूर्ण करने की योजना है।

महुआ के फूल का विक्रय

439. **श्री नवनीत लाल नीनामा** (घाटोल) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी निगम, उदयपुर द्वारा दिनांक 7-11-1982 को लघु वन उपज विक्रय समिति द्वारा महुआ फूल विक्रय किया गया? यदि हां, तो कितना महुआ फूल किसे तथा किन शर्तों पर विक्रय किया गया? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या उक्त महुआ बाद में घटिया किस्म का बताकर उस पार्टी को 15 प्रतिशत

(श्री नवनीत लाल नीनामा)

कम दर पर बेचा गया, जिससे निगम को 25,000 रु. का घाटा हुआ ?

(3) क्या बेची गई रतन जोत में भी अनियमितता हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या डोलमा बिक्री में भी अनियमितता हुई ? यदि हां, तो क्या व इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। 2468 क्विंटल महुआ फूल मैसर्स जैन ट्रेडिंग कम्पनी, धान मण्डी, उदयपुर को निम्नलिखित शर्तों पर विक्रय किया गया था :—

1. उपरोक्त उपज की 10% सिक्योरिटी राशि दिनांक 18–11–82 तक संघ मुख्यालय में जमा करानी होगी।
2. महुआ फूल की डिलीवरी बोरा गोदामों से दिनांक 19–12–82 तक लेनी होगी।
3. उपरोक्त उपज के बारदाना, रायल्टी, अन्य सभी टैक्स अलग होंगे।
4. उपरोक्त उपज नकद भुगतान पर दी जावेगी।

विक्रय आदेशों की प्रति परिशिष्ट-'क' व 'ख' पर है।

(2) जी नहीं, नीचे बचा हुआ कुछ माल नमूने से निम्न स्तर का होने से प्रबन्धक वित्त, जो उस समय प्रबन्धक वन का कार्य कर रहे थे, द्वारा प्रबन्ध निदेशक से अनुमति होने की शर्त पर 15 प्रतिशत कम मूल्य पर तुलवाया गया। प्रबन्ध निदेशक ने इसे स्वीकार नहीं किया जिस पर पार्टी की रोकी गई राशि से 15 प्रतिशत अस्थाई छूट की राशि वसूल करली गई। इस सौदे में राजस संघ को हानि नहीं हुई है।

(3) जी नहीं।

विक्रय आदेशों की प्रति

परिशिष्ट–क

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि.
30–ए–न्यू फतहपुरा पटेल सर्किल, उदयपुर–313001

प. 17(2)(4) रा.ज.म. संघ/1/क्रय-विक्रय/82-83/7955 दिनांक 11/12.11.82

मैसर्स श्री जैन ट्रेडिंग कम्पनी
धान मंडी, उदयपुर (राज.)

विषय :– महुआ फूल रतनजोत एवं डोलमा के विक्रय के सम्बन्ध में।
प्रसंग : –आपकी निविदा दिनांक 7·11·82

274

विषयांकित प्रकरण में आपकी प्रासंगिक निविदा के संदर्भ में आपको निम्नांकित लघु वन उपज का निम्न शर्तों पर विक्रय स्वीकृत किया जाता है :—

क्र.सं.	नाम उपज	दर	(मात्रा क्विंटल में)
1.	महुआ फूल	181·25 प्रति क्विंटल	2408·29·000
2.	रतनजोत	195·50 प्रति क्विंटल	571·20·000
3.	डोलमा	366·00 प्रति क्विंटल	200·35·500

शर्तें :—

1. उपरोक्त उपज की 10 प्रतिशत सिक्योरिटी राशि दिनांक 18·11·82 तक संघ मुख्यालय में जमा करानी होगी।
2. महुआ फूल की डिलीवरी बारां गोदामों से दिनांक 19·12·82 तक लेनी होगी।
3. उपरोक्त सभी उपज के बारदाना, रायल्टी, अन्य सभी टैक्स अलग होंगे।
4. उपरोक्त सभी उपज नकद भुगतान पर दी जावेगी।
5. रतनजोत एवं डोलमा की डिलीवरी उदयपुर गोदामों पर दिनांक 30·11·82 तक लेनी होगी।

ह०/—
महाप्रबन्धक

परिशिष्ट—ख

राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लि.,

30—ए न्यू. फतहपुरा पटेल सर्किल, उदयपुर—313001

क्रमांक प. 17(2)(4) रा.ज.स. संघ/वन/क्रय-विक्रय/82-83/9338-42 दि. 25-11-82

मैसर्स श्री जैन ट्रेडिंग कम्पनी,

धान मण्डी, उदयपुर।

विषय: —महुआ फूल, रतनजोत एवं डोलमा के विक्रय के सम्बन्ध में।

275

प्रसंग:—इस कार्यालय का पत्र कमांक प. 17[2][4] रा.ज.स.संघ/वन/क्रय-विक्रय/82–83/7955 दिनांक 12·11·82

विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि आपकी निविदा दिनांक 7·11·82 के संदर्भ में आपको निम्नांकित लघु वन उपज का निम्न शर्तों पर विक्रय स्वीकृत किया जाता है :—

क्र.सं.	नाम उपज	दर (प्रति क्विंटल)	मात्रा (क्विंटल में)
1.	महुआ फूल	182·50 प्रति क्विंटल	2408·29·000
2.	रतनजोत	195·50 प्रति क्विंटल	571·20·000
3.	डोलमा	266·00 प्रति क्विंटल	229·71·000

शर्तें :

1. महुआ फूल की डिलीवरी रा.ज.स. संघ बारां के गोदामों से दिनांक 12·1·83 से पूर्व लेनी होगी ।
2. रतनजोत एवं डोलमा की डिलीवरी रा.ज.स. संघ, उदयपुर के गोदामों से दिनांक 15·12·82 से पूर्व लेनी होगी ।
3. उपरोक्त सभी उपज के बारदाना, रायल्टी अन्य सभी टैक्स अलग होंगे ।
4. उपरोक्त सभी उपज नकद भुगतान पर दी जावेगी सिर्फ महुआ फूल की अन्तिम खेप (डिलीवरी) बारां गोदाम से देते समय 37,890/– रु. (अक्षरे सैंतीस हजार आठ सौ नब्बे रुपये) जमा शुदा सिक्योरिटी 1,00,000/– (अक्षरे एक लाख) में से समायोजित किये जावेंगे । सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रवन्धकों से माल पूरा उठाने एवं किसी प्रकार की बाकियात नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शेष सिक्योरिटी राशि 62,110/– (अक्षरे बासठ हजार एक सौ दस रुपये) लौटाये जावेंगे जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

ह०/–
महाप्रबन्धक

ग्राम पंचायत, सिराना में सामुदायिक विकास केन्द्र की स्थापना

440 **श्री बिरदमल सिंघवी** (जोधपुर): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जालौर जिले की ग्राम पंचायत सिराना का सामुदायिक विकास केन्द्र का निर्माण सिराना में न हो कर चोचवा की ढाणी में किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या पूर्व में इस केन्द्र का निर्माण सिराना में होने की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो अब स्थान बदलने का क्या औचित्य है ?

(3) चोचवा की ढाणी व सिराना की जनसंख्या क्या है, व अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों की दोनों स्थानों की जनसंख्या क्या है ? क्या चोचवा की ढाणी पंचायत के मध्य में न होकर एक कोने में आई हुई है, व सिराना ग्राम पंचायत के मध्य में है, और आवागमन की सुविधाएं सिराना में अधिक हैं ?

(4) ग्राम पंचायत की राय में कौनसा स्थान इस केन्द्र के लिए अधिक उपयुक्त है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) चोचवा की ढाणी पृथक राजस्व ग्राम नहीं बल्कि सिराना गांव की ही ढाणी है। सिराना गांव की कुल जनसंख्या 5207 है. अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों की संख्या दोनों स्थानों को मिलाकर 600 है। चोचवा की ढाणी में लगभग 47 परिवार हैं जिनकी अनुमानित जनसंख्या लगभग 250 होगी। यह सही है कि चोचवा की ढाणी पंचायत के मध्य न होकर एक कोने में आई हुई है। सिराना ग्राम पंचायत के मध्य में है और आवागमन की सुविधाएं सिराना में अधिक हैं।

(4) ग्राम पंचायत की राय में ग्राम सिराना उक्त केन्द्र के लिये अधिक उपयुक्त है।

विद्युत मण्डल में रोस्टर प्रणाली का अनुसरण

441. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विद्युत मण्डल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के रिक्त पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति रोस्टर प्रणाली से की जाती है ?

(2) अगर हां, तो विद्युत विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता से सहायक अभियन्ता व सहायक अभियन्ता से अधिशाषी अभियन्ता के पद पर तथा अधिशाषी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता के पदों पर मार्च, 1975 से मार्च, 1985 तक कितने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अभियन्ताओं को रोस्टर प्रणाली से पदोन्नत किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में रिक्त पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति रोस्टर प्रणाली के अनुसार ही की जाती है।

(2) मार्च, 1975 से मार्च, 1985 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के 14 कनिष्ठ अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता के पद पर व 5 सहायक अभियन्ताओं को अधिशाषी अभियन्ता के पद पर रोस्टर प्रणाली के अन्तर्गत पदोन्नत/नियुक्त किया गया है तथा जोन आफ कन्सीडरेशन में नहीं आने के कारण अधिशाषी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता के पद पर किसी अनुसूचित जाति/जन जाति के अधिशाषी अभियन्ता को पदोन्नत/नियुक्त नहीं किया गया है।

सिरोही जिले में अनुसूचित जाति के पीड़ित व्यक्तियों को सहायता

442. **श्री हरीश शर्मा** (खानपुर): क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति के लोगों पर सवर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा अत्याचार करने पर विभाग द्वारा तत्काल सहायतार्थ राशि प्रदान कराई जाती है ? यदि हां, तो उपरोक्त राशि किस प्रकार के अत्याचारों के लिए कितनी-कितनी प्रदान कराई जाती है ?

(2) 3 मार्च, 1984 को सिरोही जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा इस संदर्भ में किस-किस व्यक्ति के लिये कितनी-कितनी राशि उठाई गयी तथा इस राशि का कितना-कितना भुगतान किस-किस को किया गया ?

(3) क्या इस भुगतान में किसी प्रकार का घपला हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई गयी ? यदि हां, तो कृपया जांच अधिकारी का नाम एवं जांच रिपोर्ट का विवरण सदन पटल पर रखें। क्या दोषी अधिकारी को दण्डित किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जिस प्रकार के अत्याचारों के लिये जितनी रकम दी जाती है वह इस प्रकार है :–

1. हत्या के मामलों में 10000/–
2. स्थाई रूप से अंग भंग होने पर। 10000/–
3. घर के स्थाई नुकसान पर 1000/–
4. अस्थाई रूप से अंग भंग होने पर 2000/–
5. बलात्कार के मामलों में 000/–
6. चल सम्पत्ति के नुकसान होने पर। 2000/–

(2) जी हां, सिरोही जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिलाधीश, सिरोही की स्वीकृति के आधार पर।

श्री कालू पुत्र राजाजी के लिये 1500/–

(समाज कल्याण मन्त्री)

श्रीमती मीखी बेवा खीमा के लिये 1500/–

श्री रघुनाथ पुत्र नरसाजी के लिये 1500/–

श्री मंछा पुत्र नाथा जी के लिये 1500/-

श्री पूना पुत्र नोना जी के लिये 1500/–

श्री भूरा पुत्र भीखा के लिये 1500/–

श्री पूना पुत्र तेजाजी के लिये 1000/–

की राशि उठ ई गयी. तथा भुगतान श्रीमती मीखी पत्नी खीमा जी को 200/–

श्री रघुनाथ पुत्र नरसाजी 500/

श्री भूरा पुत्र भीखा जी 1500/–

श्री पूना पुत्र तेजाजी को 600/–

कुल 2800/– रु. का किया।

(3) जी हां इसकी जांच करवाई गयी है। जांच श्री ओ. पी. मीणा, तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक (आई. सी. डी. एस.) द्वारा की गई। जांच रिपोर्ट का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। जांच की आगे की प्रक्रिया जारी है तथा एफ. आई. आर. दर्ज कराने हेतु पुलिस अधीक्षक, सिरोही को भी लिख दिया गया है।

श्री ओ. पी. मीणा द्वारा की गयी जांच का विवरण

श्री कालूलाल छाजेड़, तत्कालीन जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सिरोही के विरुद्ध धारा 16 सी. सी. ए. के अन्तर्गत की गयी जांच का विवरण।

श्री छाजेड़ पर तीन आरोप लगाये गये थे :–

प्रथम आरोप :–

सिरोही में जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी के पद पर रहते हुए 7 अनुसूचित जाति के अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता देने की राशि में से 7200 रुपये का गबन। जांच अधिकारी ने उपलब्ध रिकार्ड एवं गवाहों के बयानों के आधार पर यह आरोप पूर्णरूप से दोषी अधिकारी श्री कालूलाल छाजेड़ के विरुद्ध साबित पाये हैं।

दूसरा आरोप :–

श्री छाजेड़ ने श्री कालू, श्रीमती मीखी-देवी, श्री रघुनाथ, श्री मंछा, श्री पूना पुत्र नोना जी, श्री भूरा, श्री पूना पुत्र श्री तेजा जी का भुगतान प्राप्ति की रसीदें पूर्णतया फर्जी व नकली प्रस्तुत कीं। श्री रघुनाथ की रसीद पर 500 रुपये के स्थान पर 1500 रुपये बनाये तथा बाद में शब्दों में 1500 रुपये लिख कर फर्जीदारी का अपराध किया। इस प्रकार उन्होंने जालसाजी, धोखाधड़ी तथा विश्वास भंग किया।

जांच अधिकारी ने गवाह के बयानों एवं रिकार्ड के आधार पर दोषी अधिकारी के द्वारा फर्जी रसीदें बनाकर प्रस्तुत करना साबित किया है। फर्जी रसीदें बनाने में इनका ध्येय राज्य सरकार के साथ धोखा-धड़ी थी। दोषी अधिकारी के द्वारा राज्य सरकार ने इनमें जो विश्वास निहित किया था उसको भंग किया गया अतः रिकार्ड एवं गवाहों के बयानों के आधार पर यह आरोप भी दोषी अधिकारी के विरुद्ध पूर्णतया साबित बताये गये हैं।

(3) तीसरा आरोप :

श्री छाजेड़ ने दिनांक 31-3-84 को स्वयं ने 10 हजार रुपये कैश उठाकर इसका हिसाब स्थानान्तरण के समय दिनांक 21-9-84 में कैशियर को रसीदें सम्भलवाई। इस प्रकार उन्होंने वित्तीय नियमों के विपरीत कार्य किया और राशि के भुगतान हेतु बाद में हिसाब नहीं दिया। इसलिये वह वित्तीय अनियमितताओं के दोषी हैं।

जांच अधिकारी ने इस आरोप को आंशिक रूप से दोषी अधिकारी श्री छाजेड़ के विरुद्ध इस हद तक साबित बताया है कि उसको 10 हजार रु० दिनांक 31-3-84 को प्राप्त ही नहीं हैं। हिसाब दिनांक 21-9-84 को कार्यालय में प्रस्तुत किया गया।

अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को ऋण सुविधा

443. **श्री मूलचन्द मीणा (टोडाभीम) :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान वित्त निगम द्वारा प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को ऋण सुविधा प्रदान की जाती थी और वर्तमान में उक्त सुविधा समाप्त कर दी गई है ?

(2) क्या उक्त सुविधा जिसमें अधिक मात्रा में ऋण देने के प्रावधान था, अब समाप्त कर बराबर कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और किन आदेशों से किया गया ?

(3) क्या राज्य सरकार अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिये पूर्व की सुविधा पुनः जारी रखने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त सुविधा वर्तमान में भी प्रभावी है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला जालौर में चोरी एवं लूट के दर्ज प्रकरण

444. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालौर में वर्ष 1984 में वर्ष 1983 की तुलना में अधिक संगीन जुर्म पुलिस थानों में दर्ज हुए ? यदि हां, तो इसके क्या क्या कारण थे ? पिछले दो सालों के संगीन दर्ज जुर्मों की सूची कृपया सदन के पटल पर रखें।

(2) जिला जालौर में पिछले दो सालों में चोरी एवं लूट के कितने मामले दर्ज हुए एवं उनमें से कितनों में अदालत में चालान पेश हुए एवं कितनों में एफ. आर. दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मामलों में कितना माल बरामद हुआ एवं कितने मामलों में बरामदगी पुलिस द्वारा नहीं की गई एवं क्यों ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वांछित सूचना परिशिष्ट "क" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वांछित सूचना सदन के पटल पर परिशिष्ट 'ख' में रख दी गई है।

280

परिशिष्ट "क"

जिला जालौर में वर्ष 1983 व 1984 में दर्ज मुकदमात की तुलनात्मक सूची

वर्ष	डकैती	लूट	हत्या	बलवा	नकबजनी	चोरी	बलात्कार
1983	5	25	29	95	68	116	8
1984	2	31	16	109	61	136	2

281

परिशिष्ट 'ख'

जिला जालौर में वर्ष 1983 व 1984 में दर्ज चोरी व लूट के दर्ज मुकदमात की तथा इनमें चोरी गई व बरामद की गई सम्पत्ति की तुलनात्मक सूची :—

वर्ष	शीर्षक	पंजीबद्ध हुए अपराध	अदम-वकुआ	तफतीश धारा 157, बी.सीआर. पी. सी. में की गई	अदम-पता	अदम-सबूत	जैर-तफतीश	चालान	प्रतिशत चालान	चोरी गई सम्पत्ति का मूल्य रुपयों में	बरामद हुई सम्पत्ति का मूल्य रुपये में	बरामदगी का प्रतिशत
1984	चोरी	136	51	—	23	1	—	61	72%	336101-00	248609-00	74%
1983	चोरी	116	44	—	15	—	—	57	80%	262250.76	248168-66	95%
1984	लूट	31	11	—	2	—	—	18	90%	16442.00	13277-00	81%
1983	लूट	25	12	—	1	—	—	12	92%	27409.00	25979-00	95%

जैसलमेर जिले के छात्रावास भवन

445. **श्री सुल्ताना राम** (जैसलमेर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास गांवों में टूटे हुए निजी मकानों में चल रहे हैं ? जिनमें कभी भी दुर्घटना की संभावनाएं हैं ? क्या विभाग अपने भवन बनाने की योजना रखता है ?

उत्तर

जी नहीं । जैसलमेर जिले के 6 छात्रावासों में से 2 छात्रावास राजकीय भवनों में व शेष किराये के मकानों में चलाये जा रहे हैं जिनमें कुछ टूट फूट है किन्तु इन भवनों से अच्छे भवन उन स्थानों पर उपलब्ध नहीं हैं । वित्तीय साधन उपलब्ध होने पर विभाग भवन बनाने की योजना क्रियान्वित करने पर विचार करेगा ।

ग्राम पंचायत लाखना के सरपंच के विरुद्ध शिकायतों में कार्यवाही

446. **श्री कालीचरण सराफ** (जौहरी बाजार), **श्रीमती विद्या पाठक** (सांगानेर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जिलाधीश, जयपुर ने दिनांक 9-2-1984 को विकास अधिकारी, सांगानेर से यह जानकारी चाही थी कि ग्राम पंचायत, लाखना के सरपंच को वर्ष 1978 से अब तक काम के बदले अनाज योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि, अनाज तथा सीमेंट, किन-किन तिथियों को दी गई ? जन सहयोग किस-किस कार्य हेतु किस मात्रा में किस रूप में प्राप्त हुआ है तथा किस-किस कार्य में कितना-कितना उपयोग हुआ एवं कितनी राशि शेष रही तथा कितने का हिसाब प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त जानकारी प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण कृपया तारीखवार सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि अतिरिक्त जिलाधीश ने विकास अधिकारी, जयपुर द्वारा दिनांक 27-3-1984 को ग्राम पंचायत, लाखना के सरपंच श्री नाथूलाल से गबन की राशि रुपये 12,694.50 की वसूली का आदेश दिया था ? यदि हां, तो यह राशि कब और किस तारीख में जमा हुई ? कृपया आदेश की प्रति एवं पूर्ण विवरण तारीखवार कृपया सदन के पटल पर रखें ।

(3) क्या यह सत्य है कि उक्त सरपंच ग्राम पंचायत लाखना को क़ानून, नियम एवं आदेशों की पालना किए जाने हेतु निदेशक, ग्रामीण एवं पंचायत राज विभाग, जिलाधीश (पंचायत) व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने आदेश दिये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त सरपंच ने इन आदेशों की पालना की ? सरपंच को 1978 से अब तक दिये गये आदेशों की प्रतियां एवं पूर्ण विवरण तारीखवार कृपया सदन के पटल पर रखें ।

(4) यदि नहीं, तो दोषी व्यक्ति के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

283

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सरपंच द्वारा अभी तक राशि जमा नहीं कराई गई है। अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी के पत्र दिनांक 27-3-84 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) प्रश्न जिस रूप में विभाग को प्राप्त हुआ, अस्पष्ट एवं अनिश्चित होने से सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।

(4) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पंचायत समिति, सांगानेर द्वारा ग्राम पंचायत लाखना को दिये गये भुगतान एवं ग्राम पंचायत द्वारा खर्च की गई राशि का विवरण।

क्र. सं.	किस कार्य हेतु राशि दी गई	किस व्यक्ति को राशि दी गई	दिनांक	राशि	ग्राम पंचायत द्वारा व्यय राशि
1	2	3	4	5	6
1.	उच्च प्रा. शा. श्री रामपुरा	श्री नाथूलाल सरपंच	25-5-81	2000-00	37,097-84
		श्री रामसहाय ग्रुप सचिव	13-7-81	2060-00	
		,,	4-8-81	1949-80	
		श्री नाथूलाल सरपंच	15-3-82	2000-00	
		,,	14-6-82	11156-00	
		,,	5-4-83	2400-00	
		,,	21-12-83	3600-00	
				25,165-80	37,097-84

1	2	3	4	5	6
2.	उ. प्रा. शा. लाखना	श्री नाथूलाल सरपंच	21–5–81	2000–00	82,324-14
		श्री इन्द्रकुमार सचिव	18–1–81	2250–00	
		,,	6–2–81	2864–10	
		श्री रामसहाय सचिव	24–6–81	3000–00	
		,,	13–7–71	2000–00	
		,,	,,	237–00	
		,,	1–8–81	2129–00	
		,,	14–9–81	1150–00	
		,,	,,	2 00–00	
		,,	17–9–81	1993–00	
		,,	,,	3101–10	
		,,	30–9–81	1271–40	
		श्री छीतरमल सचिव	9–12–81	4607–40	
		श्री नाथूलाल सरपंच	15–3–82	4998–00	
		,,	21–1–85	10000–00	
		,,	1–3–85	14834–00	
		,,	30–3–85	15708–00	
				72,493–00	82,324–14
3.	हरिजन कूप सीताराम पुरा	श्री छीतरमल सचिव	14-11-79	2250-00	2,256-50
		श्री नाथूलाल सरपंच	28-3-80	250-00	
				2500-00	2,256-50
4.	प्राथमिक शाला बालावाला	श्री नाथूलाल सरपंच	25-5-81	1000-00	23,777-04
		श्री रामसहाय सचिव	24-6-81	700-00	
		श्री मोतारास सचिव	31-3-81	900-00	

1	2	3	4	5	6
4.	प्राथमिक शाला	श्री इन्द्रकुमार सचिव	18-1-81	1750-00	
	वालावाला	,,	6-2-81	1386-36	
		श्री रामसहाय सचिव	24-6-81	2600-00	
		,,	1-8-81	4100-00	
		,,	26-8-81	1500-00	
		,,	31-8-81	2000-00	
		,,	19-9-81	1752-10	
		,,	,,	1996-40	
		श्री छीतरमल सचिव	25-11-81	2635-80	
				22,220-86	23,777-04
5.	कूप निर्माण	श्री नाथूलाल सरपंच	15-6-83	4000-00	6082-50
	लाखना		18-1-84	4000-00	
				8000-00	6082-50
6.	प्राथमिक शाला,	श्री नाथूलाल सरपंच	28-3-80	2000-00	13,181-75
	मनोरियावाला	श्री रामसहाय सचिव	4-8-81	665-25	
		श्री नाथूलाल सरपंच	7-12-83	4000-00	
			31-3-84	5397-00	
				12,062-25	13,181-75
7.	रास्ता दुरूस्ती	श्री नाथूलाल सरपंच	2-9-83	4000-00	10,155-00
	रातल्या से	,,	19-10-83	4000-00	
	श्री रामपुरा	,,	21-12-83	2000-00	
				10,000-00	10 155-00

1	2	3	4	5	6
	8. नवकूप निर्माण बालावाला स्टेशन	श्री नाथूलाल सरपंच	19-10-88	7201-00	11,533-50
		,,	1-6-84	7200-00	
				14,400-00	11,533-50

पंचायत समिति सांगानेर द्वारा ग्राम पंचायत लाखना को वर्ष 1978 से अब तक दिये गये गेहूं के प्राप्ति एवं वितरण का विवरण

पंचायत समिति से प्राप्त गेहूं			गेहूं का वितरण		
क्र.सं.	प्राप्ति दिनांक	मात्रा गेहूं	क्र.सं.	निर्माण कार्य का नाम	मात्रा गेहूं
1	2	3	4	5	6
		क्वि. किलोग्राम			क्वि. किलोग्राम
1.	19-12-78	25 00 000	1.	श्री रामपुरा तलाई	48,75,000
2.	20-1-79	99 95 000	2.	श्री रामपुरा तलाई	28,76,900
3	15-8-80	100 00 000	3.	मवेशीखाना श्री रामपुरा	25,00,000
4.	11-8-79	99 90 000	4.	उ. प्रा.शाला श्रीरामपुरा	27·89·450
5.	6-3-79	99 60 000	5.	सार्व. कुआ बागडोका श्री रामपुरा	11·68·000
6.	27-3-79	99 60 000	6.	सार्व. कुआ सीताराम जी श्री रामपुरा	भुगतान बकाया है
7.	29-3-79	40 39 000	7.	हरिजन कूप श्री रामपुरा	13·46·000
8	30-3-80	59 80 000	8.	सांडघर श्री रामपुरा	25·31·325
9.	15-9-81	16 90 000	9.	प्रा.शा. बालावाला	125·98·150

ग्रा. पंचायत मुहाना

1	2	3	4	5	6
10. 28 9-81 ग्रा.पं. दादिया	6	00	000	10. तलाई रातल्या	49 14·750
11. 1-10-81 ग्रा.पं. शिकारपुरा	9	00	000	11. हरिजन कूप रातल्या	20·60·350
				12. सीतारामपुरा तलाई	47·43·000
योग	656	14	000	13. तालाब लाखना	49 92·000
				14. तलाई मनोरियावाला	43·70·000
				15. सार्व. कूप "	4·65·800
				16. उ. प्रा. शाला लाखना	25·89·000
				17. हरिजन कूप सीतारामपुरा	2·10·000
				18. प्रा.शा. मनोरियावाला	12·23·000
				19. ग्रा. पं. शिकारपुरा को दिये	25·00·000
				20. छीजत	15·48·475
				21. प्रा. शाला लाखना एवं प्रा. शाला वालावाला	33·40·000
					636·41·200

शेष : 19 क्विं. 72 किलो 800 ग्राम

पंचायत समिति सांगानेर द्वारा ग्राम पंचायत लाखना को दिये गये परमिटों द्वारा प्राप्त सीमेन्ट का आय व्यय विवरण

क्रमांक	दिनांक	मात्रा प्राप्त सीमेन्ट	किस कार्य हेतु खर्च की गई
1.	16–11–79	40 कट्टे	सीतारामपुरा हरिजन कूप
2.	16–7–81	20 कट्टे	प्रा. शाला बालावाला
3.	6–8–81	20 कट्टे	उ. प्रा. शाला लाखना
4.	4–9–81	20 कट्टे	उ. प्रा. शाला श्रीरामपुरा
5.	17–6–83	40 कट्टे	सार्वजनिक कूप लाखना
6.	10–7–84	50 कट्टे	सार्वजनिक कूप बालावाला स्टेशन
7.	18–11–83	40 कट्टे	
8.	29–1–79	40 कट्टे	
9.	2–3–79	50 कट्टे	
10.	27-9–82	40 कट्टे	

ग्राम पंचायत लाखना का स्टाक रजिस्टर पुलिस थाना सांगानेर द्वारा वास्ते तफतीश जप्त किया हुआ है। अतः क्रमांक 7,8,9 एवं 10 पर अंकित प्राप्त सीमेन्ट कट्टा 160 का विवरण मालूम नहीं किया जा सका है।

पत्र की प्रति

कार्यालय जिलाधीश, जयपुर

क्रमांक :- पांब/पंचग्रो/जांच/527 दिनांक 27/3/84

श्री नाथूलाल शर्मा,
सरपंच,
ग्राम पंचायत लाखना।

विषय:- वसूली।

आपके विरुद्ध प्रारम्भिक जांच एवं विभागीय जांच के आधार पर निम्न-वर्णित अनुसार राशि वसूली योग्य बनती है, अतः आप यह राशि निश्चित रूप से 15 योम में पंचायत समिति सांगानेर में जमा कराकर रसीद प्राप्त करके इस कार्यालय में पेश करें।

	राशि।
1. काइन हाउस के नाम से पंचायत भवन के स्वरूप का जो भवन श्री रामपुरा में बनाया है उसके निर्माण में अनधिकृत रूप से विकास अधिकारी, सांगानेर के स्थगन आदेश के पश्चात भी भवन में खर्च की गई राशि।	6,357-00
2. काम के बदले अनाज योजना में काइन हाउस के नाम से पंचायत भवन के स्वरूप का मकान बनाया उसके निर्माण-में अनधिकृत रूप से खर्च की गयी राशि।	2,500-00
3. स्कूल के छात्रों की मस्टर रोल में फर्जी हाजरियां बताई उसकी वसूली।	108-50
4. स्कूल की कम्पाउण्ड वाल निर्माण कराये बिना ही फर्जी भुगतान बता दिया उसकी राशि।	894-00
5. डबल हाजरियों का फर्जी भुगतान बता दिया गया उसकी सम्बन्धित वसूली।	322-00
6. विभागीय जांच के अनुसार आलमारी, मवेशीखाना, साण्डघर टेबिल फेन एवं सफाई रोशनी हेतु पंचायत कोष से प्राप्त अग्रिम राशि।	2,468-00
	12,649-50

इस प्रकार आपके विरुद्ध उपरोक्त वसूलियां बनती हैं अतः यह राशि आप 15 योम में पंचायत समिति, सांगानेर में जमा कराकर रसीद की प्रति इस कार्यालय में पेश करें। यदि इसमें आपको कोई एतराज हो तो दिनांक 9-4-84 को मेरे सम्मुख उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

तहसील बयाना एवं बसेड़ी के ग्रामों का विद्युतीकरण

447. **श्री बृजेन्द्रसिंह** (बयाना) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बयाना स्थित तहसील बयाना एवं बसेड़ी के किन-किन गांवों में विद्युतीकरण स्वीकृत हो चुका है ?

(2) विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत गांवों में विद्युतीकरण कब तक पूरा कर लिया जायगा ?

(श्री बृजेन्द्रसिंह)

(3) इस साल कितने गांवों में विद्युतीकरण की स्वीकृति दिया जाना विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) तहसील बयाना तथा तहसील बसेड़ी में क्रमशः 78 व 34 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा अब इन दोनों ही तहसीलों के 60-60 और ग्राम विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत हैं, जिनकी सूची "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त स्वीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण आगामी वर्षों में धन एवं विद्युत की उपलब्धि पर निर्भर करेगा। अत: इन सब ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्ण करने के सम्बन्ध में अभी निश्चित रूप से कहना सम्भव नहीं है।

(3) वर्ष 1985-86 में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। कार्यक्रम तय होने से पहिले ग्रामों की संख्या के सम्बन्ध में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

तहसील बयाना एवं बसेड़ी के स्वीकृत ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
बयाना एस.पी.ए-2-80-81					
1.	मोरतलाव	6/7/108	15.	नगला बहादुरिया	12
2.	चक पोला	11	16.	पीपली	40
3.	नगला कुरवारिया	10	17.	लाछोर कलां	45
4.	नगला नाबरिया	9	18.	रीछोली	44
5.	बामूरी	8	19.	बासरोली	46
6.	मूण्डिया	6	20.	मिलकपुर	41
7.	हिगोता	4	21.	सेवला	43
8.	शेखपुर	5	22.	गदपुरा	64
9.	नावली	36	23.	नगला कुशालीराम	14
10.	एचोली	35	24.	अगवाली	48
11.	बछीना	25	25.	अजनोली	39
12.	ढमैना	24	26.	नगला मेदसिंह	17
13.	झागरो	1	27.	नगला खुशअहम	20
14.	बिरहटा	42	28.	बाजोली	47
			29.	नदीगांव	63
			30.	छुवखेरा	65

291

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
31.	कुवारिया	66	57.	कपुरादेहर	153
32.	नगला खडकसिंह	15	58.	झटोला	154
33.	अरजी जालिम	22	59.	धुरेन	155
34.	नगला श्योलाल	31	60.	पुराहरलाल	156
35.	नगला रूपराम	32		**तहसील बसेड़ी (ग्रोबी स्कीम)**	
36.	नगला निरामन	51	1.	उदुपुरा	6/9/90
37.	नंगला हरलाल	56	2.	लोगपुरा	103
38.	चक बलरामपुर	70	3.	बीलोनी	93
	बयाना एस.पी. ए-2-81-82		4.	घुमानपुरा	95
39.	अड्डा	99	5.	खरोली	96
40.	पीपरी	101	6.	चन्द्रावाली	105
41.	खूंटखेड़ा	102	7.	बड़रिया	55
42.	मदनपुर	103	8.	मुरारीकलां	71
43.	महरावर	104	9.	कांकरेट	73
44.	अरादा	105	10.	लीलोठी	62
45.	पट्टीशहजाद	111	11.	भरामद	66
46.	नहरोली	138	12.	पीपरेट	61
47.	सरायवम्बू	143	13.	दीगोरी	64
48.	करकर	144	14.	भरखुंजरा	65
49.	पीलूपुरा	145	15.	झीलकपुर	56
50.	नगलाहूता	146	16.	सलेमपुर पट्टी	59
51.	दघरेन	147	17.	जिन्दापुरा	58
52.	रासेरी	148	18.	कुरगवां	63
53.	कंखरी	149	19.	पोही	53
54.	मउवाली	150	20.	तिलवा	50
55.	जसवर	151	21.	तृषीपुरा	40
56.	कपूरामलुका	152			

क्र.सं. ग्राम का नाम	कोड नं	क्र.सं. ग्राम का नाम	कोड नं.
22. पीपरोन	41	42. सागोली	32
23. कोडरा	39	43. गोरेली	17
24. बरई	35	44. दऊपुरा	30
25. मोहारी	35	45 सलेमपुर	27
26. कांनोर	44	46. नौनेरा पृथ्वीसिंह	26
27. हरजोपुरा	42	47. ममोधन	25
28. बनोरा	43	48. उतरसुमा	24
29. डोर	46	49. कुईया	23
30. खानपुरा	47	50. चादरअलीनगर	11
31. ताजपुरा	54	51. रतनपुर	22
32. खड़कपुरा	45	52. एकटा	20
33. बनसराय	48	53. यउगुलवाली	19
34. नादनपुर	52	54. कंकुटा	18
35. वरमन	49	55. दादीपुरा	21
36. नेदपीपरोदा	51	56. पट्टीपुरा	14
37. मैई	4	57. छहरबोरेली	16
38. इडोन	3	58. नरसिंहपुर	15
39. प्रथेरा	1	59. खुरड़िया	67
40. पाली	9	60. भीरी	15
41. खींडोरा	33		

(एस. पी. डी , बसेड़ी (योजना)

राजस्थान मुख्य नहर से मिट्टी की निकासी

448. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या इन्दिरा गांधी नहर मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राजस्थान मुख्य नहर में प्रत्येक पुल के पास कितनी गहराई, चौड़ाई व बैंड लेवल है तथा प्रत्येक पुल के पास नहर में कितने-कितने फिट मिट्टी जम गई है ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) मुख्य नहर की क्षमता कितनी है,

293

(श्री देवीसिह भाटी)

व वर्ष 1983–84 से 1985–86 में माहवार कितना–कितना पानी छोड़ा गया ?

(3) विभाग ने मुख्य नहर से मिट्टी निकालने हेतु क्या योजना बनाई है ?

उत्तर

(1) इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की वांछित सूचना संलग्न तालिका "क" में दर्शायी गई है।

(2) मुख्य नहर की क्षमता हरिके हैड पर 18.500 क्यूसेक्स हैं। वर्ष 1983-84 से वर्ष 1985-86 तक छोड़े गये पानी की माहवार सूची तालिका "ख" में दी गई हैं।

(3) मुख्य नहर से मिट्टी निकालने का अभी कोई कार्यक्रम नहीं हैं। नहर की क्षमता से सिंचाई की आवश्यकतानुसार कम पानी चलने के कारण यह मिट्टी जमा हुई है एवं पूरा पानी चलने की स्थिति में स्वतः ही अधिकांश जमा मिट्टी आगे बह कर खेतों में पहुंचने की सम्भावना है।

तालिका "क"

इन्दिरा गांधी मुख्य नहर के सम्बन्ध में पुलों पर नहर के नाप का विवरण

क्र.सं.	पुल की स्थिति बुर्जी	बेड से एफ. एस. एल. तक गहराई (फीट में)	चौडाई (फीट में)	बेड लेवल	जमा सिल्ट सिल्ट की गहराई (फीट में)
1.	22'000	21.0	200.00	609.06	2
2.	33'000	21.0	199.4	607.64	3
3.	50'000	21.0	197.6	606.91	3
4.	64'390	21.0	206.6	605.72	5
5.	84'000	21.0	190.2	604.08	6
6.	99.30	21.0	204.00	602.81	2.5
7.	112'00	21.0	203.00	601.75	6
8.	135'00	21.0	203.80	599.83	5
9.	191'40	21.0	203.00	595.14	5.5
10.	218'134	21.0	203.4	592.94	4
11.	236'347	21.0	222.4	591.42	8

क्र.सं.	पुल की स्थिति बुर्जी	पानी की गहराई फीट में	नहर के तल की चौड़ाई फीट में	नहर के तल का स्तर	जमा मिट्टी की गहराई फीटों में
12.	253'125	21	75	590.01	2.00
13.	269'950	21	75	588.59	2 50
14.	287'500	21	75	587.14	2.50
15.	303'000	21	74	585.85	1.50
16.	315'750	21	74	584.79	2.00
17.	330'900	21	74	583.60	2.00
18.	348'500	21	74	582.06	1.00
19.	363'000	21	73	580.85	2.00
20.	375'000	21	73	579.85	3.50
21.	390'000	21	73	578·60	1.50
22.	399'050	21	73	577.85	1.50
23.	415'250	21	73	576 50	—
24.	428'000	21	73	575.43	1.50
25.	445'000	21	72	574.02	2.16

1	2	3	4	5	6
26.	465'000	21	72	572.35	3.00
27.	487'000	21	61.30	570.52	2.87
28.	507'290	21	62	568.83	—
29.	526'850	20.28	60	567.31	280
30.	546'050	20.90	60	565.70	2.60
31.	559'100	20.90	60	564.52	250
32.	'750	20.90	60	563.35	2.60
33.	'800	20.90	60	562.02	2.90
34.	604'000	20.90	60	560.77	2.50
35.	619'3000	20.90	60	559.60	—
36.	644'100	20.80	41	557.65	2.00
37.	668'100	20.80	41	555.65	1.50
38.	685'200	20.80	41	554.22	2.85
39.	698.200	20.80	41	553.14	1.80

1	2	3	4	5	6
40.	710'000	20.50	41	552.46	1:50
41.	731'000	20.50	41	550.71	2.50
42.	750.000	20.50	41	549.13	1.80
43.	764'000	20.50	41	547.96	1.50
44.	786'250	20.50	41	546.10	2.00
45.	800'500	20:50	41	544.91	1.80
46.	819'217	20.50	41	543.28	1.50
47.	836'100	20:50	41	541.98	2.50
48.	850'150	20.50	41	540.78	1.80
49.	859'000	19.70	41	540.40	1.50
50.	873'000	19.70	41	539.67	1.80
51.	786'400	19.70	41	538.56	1.70
52.	909'400	19.70	41	536.59	1.80

1	2	3	4	5	6
53.	930'580	19.70	41	534.84	2.25
54.	942'650	19.70	41	533.76	1.70
55.	961'350	18.00	40	534.04	1.50
56.	979'600	18.00	40	532.46	—
57.	997'950	18.00	40	530.79	—
58.	101'301	18.00	40	529.32	—
59.	1041'350	18.00	40	527.48	
60.	1057'912	18.00	40	526.23	
61.	1080'500	18.00	40	524.23	
62.	1095'050	18.00	40	523.06	
63.	1117'500	18.00	40	521.50	
64.	1121'200	17.50	40	521.19	
65.	1139'800	17.50	40	519.65	
66.	1154'000	17.50	40	518.46	

1	2	3	4	5
67.	1163'000	17.50	40	517.71
68.	1183'000	17.50	40	516.04
69.	1202'900	17.50	40	514.38
70.	1205'200	17.50	40	514.21
71.	1207'500	17.50	40	512.00
72.	1222'950	17.50	40	512.71
73.	1243'200	17.50	40	511.03
74.	1251'800	17.50	40	510.31
75.	1254'450	17.50	40	510.08

तालिका 'ख'

MONTHLY RELEASES IN INDIRA GANDHI FEEDER AT HARIKE FROM 1983–84 TO 1985–86

Crop.	Month.	Year 1983–84		Year 1984–85		1985–86		Remark
		Monthly releases in cusecs days.	Average releases in cs.	Monthly releases in cusecs days	Average releases in cs.	Monthly releases in cusecs days.	Average releases in cs.	
K	April	1,34,980	4499	1,71,C59	5702	59371	1979	
H	May	2,39,830	7736	1,48,344	4785	154267	4976	
A	June	2,00,789	6693	2,42,804	8093	127853	6393	From 1–20 June, 85)
R	July	2.26,300	7300	3,04,352	9818			
I	August	2,26,300	7300	3,68,912	11900			
F	September	2,20,700	7357	2,99,092	9970			
	Total	12,48,899		15,34,563				

1	2	3	4	5	6	7	8
R	Oct.	2,70,900	8739	2,23,927	7223		
A	Nov.	2,82,700	9423	1,49,778	4992		
B	Dec.	2,38,870	7705	1,50,450	4853		
I	Jan.	59,900	1932	1,26,335	4075		
	Feb.	2,02,906	7247	1,10,812	3957		
	Mar.	2,56,281	8267	1,30,877	4222		
	Total	13,11,557		8,92,179			

Note :—(1) There was closure in Indira Gandhi Feeder from 5–25 Jan. 84 due to repairs of damage of canal lining D/S tail Feeder.

(2) There was closure in Indira Gandhi Feeder from 10.25 April' 85 duc to certain repair or gates of Harike Head works by Punjab authorities.

302

घग्घर नदी के डिप्रेशन्स में सेम से प्रभावित क्षेत्र

449. **श्री शोपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) घग्घर नदी के पानी से कितने डिप्रेशन भरे जा चुके हैं, तथा कितने डिप्रेशन तैयार किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन डिप्रेशन्स में पानी भरे रहने के कारण आस पास के इलाकों में सेम आने के कारण कई गांव तथा हजारों एकड़ भूमि सेम ग्रस्त होकर बरबाद हो गई है ? यदि हां, तो कितने गांवों के मकानात व जमीन बरबाद हुई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या बरबाद गांवों व जमीनों का मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) घग्घर नदी के बाढ के पानी को एकत्रित करने हेतु 18 डिप्रेशन बनाए गए थे। जिसमें से पानी की आवक के अनुसार अब तक 16 डिप्रेशनों में ही पानी एकत्रित किया गया।

(2) डिप्रेशनों के आस पास के तीन गांव तथा लगभग 4111 एकड़ भूमि सेम ग्रस्त हो गई।

(3) सेम से प्रभावित 3 गांवों के मकानों का मुआवजा दिया गया है। प्रभावित जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया है क्योंकि इन्हें जमीन के बदले जमीन देने का निर्णय लिया गया था।

मोहनगढ़-नाचना के बीच सीज किये गये भट्टे

450. **श्री मानिक चन्द सुराना** (लूणकरणसर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ;—

(1) मोहनगढ़ से नाचना के बीच इन्दिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा कितने भट्टे सीज किये गये ? कृपया गांववार व चकवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन भट्टों को सीज किया गया उनमें कितना सब स्टेण्डर्ड माल मौके पर मौजूद मिला ? कृपया ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त भट्टे में बना हुआ सब स्टेण्डर्ड माल नहर में लगाया गया ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1 से 3) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के मोहनगढ से नाचना के बीच किसी भी भट्टे को सीज नहीं किया गया बल्कि बुर्जी $1202\frac{1}{2}$ से 1305 मुख्य नहर पर संलग्न सूची के अनुसार 22 भट्टों पर कुछ सब स्टेण्डर्ड टाइलें बनाने का मामला विभाग के ध्यान में आया है। जिसकी जांच की जा रही है। सब स्टेण्डर्ड माल बनाने व उसके उपयोग व उससे संबंधित दोषी अधिकारियों के विषय में सही स्थिति जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

बुर्जी संख्या 1202 से 1309 तक सब स्टेण्डर्ड टाइलों के लिए
जांच किये जा रहे 22 भट्टों की सूची।

S No.	Location of kilns
1.	Kiln at R.D. 1202.500 of RMC
2.	Kiln at R.D. 127.500 of RMC
3.	Kiln at R.D. 1212 000 of RMC
4.	Kiln at RD. 1214 af RMC
5.	Kiln at R.D. 1217 of RMC
6.	Kiln at R.D. 1222 of RMC
7.	Kiln at R.D. 1227 of RMC
8.	Kiln at R.D. 1231 of RMC
9.	Kiln at R.D. 1236 of RMC
10.	Kiln at R.D. 1242 of RMC
11.	Kiln at R.D. 1247 of RMC
12.	Kiln at R.D. 1257 of RMC
13.	Kiln at R.D. 1256 of RMC
14.	Kiln at R.D. 1263 of RMC
15.	Kiln at R.D. 1266 of RMC
16.	Kiln at R.D. 1272 of RMC
17.	Kiln at R.D. 1275 of RMC
18.	Kiln at R.D. 1283 of RMC
19.	Kiln at R.D. 1288.750 of RMC
20.	Kiln at R D. 1296(1297) of RMO
21.	Kiln at R.D. 1299(1300) of RMC
22.	Kiln at R.D. 1309 of RMC

उनियारा कस्बे में बाढ़ से क्षति

451. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) **सुश्री पुष्पा** (पाली) : क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1981-82 में कुछ जिलों में भयंकर बाढ़ आई थी, जिससे काफी नुकसान हुआ था ? यदि हां, तो कौन-कौन से जिले में ?

(2) इस बाढ़ में कितने व्यक्ति मारे गये और कितने आज तक लापता हैं ? कितने पशु मारे गये ? किस-किस प्रकार की कितनी-कितनी क्षति हुई ? कृपया विवरण सदन पटल पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि इस बाढ़ से क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के पुन: निर्माण हेतु केन्द्र से विशेष धनराशि आवंटित की गई थी ? यदि हां तो कितनी ?

(4) क्या इस राशि का पूर्ण उपयोग राज्य सरकार द्वारा कर लिया गया है, और सब क्षतिग्रस्त कार्य पूरे हो गये हैं ?

(5) क्या यह भी सही है कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त उनियारा कस्बा, जिला टोंक के लिए सिंचाई विभाग द्वारा 1.7 लाख की बाढ बचाव योजना बनाई गई थी ? क्या वह स्वीकृत कर दी गई है ? यदि नहीं, तो अब कब तक कर दी जावेगी ?

(6) क्या यह भी सही है उनियारा से एक किलोमीटर ऊपर जलवा बांध बंधा हुआ है जिससे हर साल वर्षा ऋतु में बाढ़ का खतरा बना रहता है ? यदि हां, तो उससे बचाव हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 1981–82 में टोंक, नागौर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, सीकर, बूंदी, गंगानगर, सवाईमाधोपुर एवं कोटा जिले बाढ़ से प्रभावित हुये थे ।

(2) इस बाढ़ में 141 व्यक्ति, 33430 पशु मारे गये, 226 व्यक्ति लापता हैं । क्षति का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(3) जी हां, बाढ़ राहत हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 4505.60 लाख रुपये की व्यय सीमा निर्धारित की गई थी ।

(4) उक्त राशि में से 4379.90 लाख रुपये का उपयोग किया गया है । सभी क्षतिग्रस्त कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं ।

(5) जी नहीं । उनियारा कस्बे के लिये सिंचाई विभाग द्वारा कोई योजना नहीं बनाई गई थी और न कोई कार्य इस मद में सिंचाई विभाग द्वारा करवाया गया था । सिर्फ क्षतिग्रस्त गलवा बांध व नहरों के दुरूस्ती के कार्य पर 9.50 लाख रुपये व्यय किये गये थे ।

(6) वर्षा ऋतु में उनियारा गांव को खतरा होने से उनियारा ग्राम में बाढ़ से बचाव कार्यों के संबंध में 79–80 में रुपये 4.50 लाख का बजट आवंटित किया गया था जिसका उपयोग आवश्यक बाढ़ बचाव कार्यों के करने में किया गया था ।

बाढ़ से हुई क्षति का विवरण

(नुकसान लाख रु. में)

1. मकानों की क्षति आंशिक रूप से	41007	41.01
2. पूर्णतः नष्ट मकानों की क्षति	31818	95.45
3. पशुओं की हानि	33430	334.00
4. सड़कों एव पुलियों की क्षति	—	3189.23
5. सिंचाई कार्यों की क्षति एवं पंचायत टैंकों की क्षति	—	1348.03
6. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक-विभाग की क्षति	—	335.00
7. विद्युत की क्षति	—	216.36
8. कृषि की क्षति	—	26143.00
9. उद्योगों की क्षति	—	84.00
10. सरकारी विभागों की भवनों की क्षति	...	154.78
11. स्थानीय निकाय विभाग की क्षति	—	1556.90
12. अमानी शाह के नाले एवं नालियों की क्षति	—	5935.00
	कुल क्षति	39,432.76

लगभग हानि रुपये 394.33 करोड़

जिला परिषद, पाली में स्थाई समितियों का गठन

452. **श्री खंगारसिंह चौधरी** (खारची) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला परिषद, पाली का गठन कब हुआ, व इस जिला परिषद् की स्थाई समितियों का गठन कब किया गया ? यदि नहीं किया गया, तो क्यों नहीं ?

(2) जिला परिषद्, पाली के गठन के बाद कब-कब जिला परिषद्, पाली की मीटिंगें हुई व बिना स्थाई समितियों के जिला परिषद् का कार्य कैसे चलता है ?

(3) क्या जिला परिषद् की स्थायी समिति के अभाव में मूल भावना की हत्या जानबूझ कर की जा रही है ? इसके लिए कौन जिम्मेवार है ?

उत्तर

(1) जिला परिषद्, पाली का गठन दिनांक 11–1–82 को हुआ तथा जिला परिषद् की स्थाई समितियों का गठन की कार्यवाही 28–4–83 को की गई किन्तु नामांकन कम आने के कारण गठन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी।

(2) जिला परिषद्, पाली के गठन के बाद दिनांक 7.2.82, 1.6.82, 10.1.83, 30.9.83, 8.12.83, 27.7.84 एवं 27.4.85 को मीटिंग हुई। स्थाई समितियों के अभाव में जिला परिषद की सामान्य बैठक में लिये गये प्रस्तावों द्वारा जिला परिषद् का कार्य चल रहा है।

(3) जी नहीं। अतः जिम्मेदारी का प्रश्न ही नहीं उठता।

एच. टी. उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली

453. **श्री चम्पालाल बांठिया** (पचपदरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विद्युत मंडल को राज्य के एच. टी. उपभोक्ताओं से कितनी बकाया माह मई, 1985 तक लेनी थी ? क्या यह बकाया राशि वसूल कर ली गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृपया बकाया राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त बकाया की वसूली के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे चल रहे हैं ?

(3) क्या एच. टी. उपभोक्ता का सीधा नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष के पास है ? क्या यह भी सही है कि उक्त उपभोक्ताओं पर 40-50 करोड़ की बकाया पड़ी हुई है ? यदि हां तो क्यों ?

(4) किन किन मण्डल अध्यक्षों के कार्यकाल में कितनी-कितनी बकाया राशि रही ? कृपया विगतवार 5 मंडल अध्यक्षों के कार्यकाल के समय की गई वसूली एवं रही बकाया का विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(5) वर्तमान में मई, 1985 तक की विद्युत मण्डल की देनदारियां कितनी हैं ? एवं इनके चुकारे की क्या योजना है ?

(6) क्या सरकार उक्त एच. टी. उप-

(श्री चम्पालाल बांठिया)

भोक्ताओं से त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक अथवा वार्षिक वसूली का लक्ष्य कर बकाया राशि वसूल करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विद्युत मण्डल के विभिन्न एच. टी. उपभोक्ताओं में बिलिंग माह मई, 1985 के अन्त तक करीब 52.17 करोड़ रुपये बकाया थी। बकाया राशि का विवरण देते हुए तालिका "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है। बकाया राशि वसूल न किये जा सकने के मुख्य कारण निम्न है :—

(1) संबंधित उपभोक्ता द्वारा न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करना।

(2) वाटर वर्क्स, रेलवेज व अन्य केन्द्रीय व राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों की ओर विभिन्न विवादों के कारण बकाया।

(3) कनैक्शन कटे हुए व रुग्ण उद्योगों की तरफ बकाया।

(4) बकाया न चुकाये जाने पर उपभोक्ता पर प्रति माह 2% लेट पेमेंट सरचार्ज लगाने के कारण कुल बकाया में क्रमोन्नत वृद्धि।

(5) उपभोक्ता के कारण मण्डल से किये गये इकरार नामे के समय के पूर्ण होने से पूर्व कनेक्शन कट जाने पर कटी हुई अवधि में न्यूनतम चार्ज का बिलिंग होने के कारण।

(2) जी हां, बकाया राशि की वसूली को रोकने के लिए लगभग 75 प्रतिशत राशि के मामलों में विभिन्न उपभोक्ताओं ने न्यायालयों में याचिकाएं दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर रखे हैं।

(3) एच. टी. उपभोक्ताओं का नियन्त्रण निदेशक, वाणिज्यिक कार्यविधि के अधीन है न कि सीधा विद्युत मण्डल के अध्यक्ष के। बकाया राशि का विवरण प्रश्न के भाग-1 में बता दिया गया है।

(4) विवरण तालिका "ब"-में-सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(5) वर्ष 1984-85 के लेखे अभी तैयार किये जा रहे हैं। मई 1985 तक की देनदारियों तक के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। 31 मार्च, 1984 तक अंकेक्षित लेखों के अनुसार विद्युत मण्डल की चालू देनदारियां 330.79 करोड़ रुपये थी तथा सम्भाव्य दायित्व 157.11 करोड़ रुपये था।

विद्युत मण्डल द्वारा इन दायित्वों के निर्वाह हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। 2 जुलाई, 1985 को मुख्य मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत बजट में प्रस्तावित विद्युत आपूर्ति की दरों में वृद्धि से होने वाली अतिरिक्त आय से इन दायित्वों का काफी हद तक निर्वाह किये जाने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार से 185.54 करोड़ रुपये आर. ई. सबसिडी वर्ष 1983-84 तक के लेखों के पेटे प्राप्त होनी है। अगर यह सबसिडी विद्युत मण्डल को प्राप्त हो जाती है तो पर्याप्त सीमा तक देनदारियों को चुकाया जा सकता है।

(6) सरकार व विद्युत मण्डल एच. टी. उपभोक्ताओं से बकाया की वसूली के लिये कृत संकल्प है समय समय पर बकाया राशि की स्थिति का अवलोकन करके उसकी वसूली करने के संबंध में आवश्यक कदम उठाये जाते हैं।

सूची "अ"

एच. टी. उपभोक्ताओं में बिलिंग माह मई 85 तक बकाया का विवरण

क्रम.	विवरण	रुपये (लाखों में)	प्रतिशत
1.	न्यायालयों के स्थगन आदेशों के कारण बकाया राशि	3935.84	75.5%
2.	वाटर वर्क्स विभाग में बकाया राशि	268.41	5.1%
3.	रेलवे विभाग में बकाया राशि	57·54	1.1%
4.	केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के विभागों व प्रतिष्ठानों में बकाया राशि	49·98	0.9%
5.	कटे हुए कनेक्शनों में बकाया राशि	650·17	12.5%
6	अन्य कारणों से बकाया राशि	255·57	4.9%
	योग	5217·51	

थाना हमीरगढ़ में दर्ज चोरी का प्रकरण

454. **श्री बिहारीलाल पारीक** (माण्डल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि लगभग 2 वर्ष पूर्व भीलवाड़ा जिले के तकड़िया ग्राम पंचायत सेधुरिया में कंजरों द्वारा चोरी किये जाने का मुकदमा थाना हमीरगढ़ में दर्ज हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह सही है कि चोरी करने वाला कंजर पुलिस हिरासत में मर गया ?

(3) कंजर की मृत्यु होने पर क्या पुलिस ने तकड़िया गांव के व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। बाद अनुसंधान मुकदमें का

(गृह मंत्री)

चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां विचाराधीन है।

(2) जी नहीं।

(3) कालिया कंजर को चोरी करके ले जाते समय ग्रामवासियों ने पकडकर बुरी तरह से पीटा' फलस्वरूप बाद चिकित्सा, अस्पताल एवं उसके घर के देशी इलाज के, उसकी घर पर ही मृत्यु हो गयी। इस संबंध में मु. नं. 63/83 अन्तर्गत धारा 302, 325, 323 ता. हि. दर्ज कर बाद तफतीश मुल्जिम रतना गंगाराम पुत्र दौला गूजर व देवा, भगवाना पुत्र दोला कुम्हार निवासी तकडिया के विरुद्ध जुर्म साबित होने पर दिनांक 7.1.84 को चालान अदालत में प्रस्तुत किया गया जहां विचाराधीन है।

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 562 की सूचना)

परिशिष्ट "अ"

वित्तीय वर्ष 1984–85 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के लिये स्वीकृत योजनाओं/प्रावधान/व्यय आदि का विवरण

मद/उपमद/योजना	स्वीकृत प्रावधान				व्यय				कार्य संबंधी विवरण
	आ. भिन्न	आयो.	के. प्र. योजना	योग	आ. भिन्न	आयो.	के. प्र. योजना	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
288 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण									
ग–अनु. जातियों अनु. जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण									
(ख) अनु. जातियों का कल्याण									
1. शिक्षा विभाग के माध्यम द्वारा छात्रवृत्ति और वजीफा									
(I) संचालक महा. शिक्षा	36.40	—	—	36.46	35.62	—	—	35.62	महा. के स्तर से छात्रों के लिये छात्रवृत्ति

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(II) संचालक प्रा. मा. शिक्षा विद्या.	133.89	—	—	133.89	259.25	—	—	259 25	प्रा. मा. स्तर के छात्रों के लिये छात्रवृति
(III) संचालक संस्कृत शिक्षा	0.92	—	—	0.92	1.84	—	—	1.84	संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्रवृति
(IV) संचालक ग्राधो. शिक्षा	2.16	—	—	2.16	2.16	—	—	2.16	ग्रा. ग्रो. शिक्षा. प्राप्त करने वाले छात्रों की छात्रवृति
(V) समाज कल्याण विभाग के माध्यम से	16.14	17.90	93.14	127.18	16.14	17.90	89.14	123.17	विभाग के माध्यम द्वारा स्वीकृत की जाने वाली छात्रवृति
(VI) छात्राओं के छात्रावासों के भवन निर्माण हेतु	—	6.23	6.23	12.46	—	1.95	1.95	3.90	छात्राओं के छात्रावासों के निर्माण हेतु प्रावधान
(VII) छात्रावासों का संधारण	88.83	9.40	—	98.23	83.00	14.26	—	97.26	अनुसूचित जाति के प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के छात्रों के रहने के लिये निःशुल्क छात्रावास सुविधा

311

312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(VIII) बुक बैंक	—	1.00	1.00	2.00	—	1.00	1.00	2.00	अनु. जाति के छात्रों के लिये निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराने हेतु
(IX). प्रारम्भिक विद्यार्थियों को प्रोत्साहन	—	1.00	—	1.00	—	—	—	—	अनुसूचित जाति के प्रारम्भिक छात्रों को प्रोत्साहन हेतु प्रावधान
(X) अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृति कम छात्रावास	—	12.33	9.13	21.46	—	10.96	7.60	18.56	अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों को निःशुल्क छात्रावास एवं छात्रवृत्ति
गृह निर्माण									
(I) आवास हेतु दिये गये ऋणों की प्रति पूर्ति	40.00	—	—	40.00	32.71	—	—	32.71	आवास हेतु दिये ऋणों के पुर्नभरण हेतु प्रावधान
(II) गृह निर्माण अनुदान	—	2.00	—	2.00	—	2.00	—	2.00	बैंकों द्वारा दिये गये ऋण में कुछ अंश सहायता

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
(III)	रोजगार बेकार स्नातकों एवं स्नातकोत्तरों को छात्रवृति और वजीफा	—	0.70	—	0.70	—	0.64	—	0.64	बेकार स्नातक एवं स्नातकोत्तरों को वजीफा
	— कृषि									
(I)	कृषकों को ऋण के ब्याज के भुगतान हेतु	4.00	—	—	4.00	2.73	—	—	2.73	कृषकों को बैंकों द्वारा दिये गये ऋण के ब्याज के भुगतान हेतु
(II)	सर्टलिंग इन ट्रेड्स		—	0.20	—	0.20	—	—	—	
	अन्य कल्याणकारी योजनाऐं									
(1)	स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायतार्थ/अनुदान/अंशदान/सहाय	5.00	—	—	5.00	2.82	—	—	2.82	स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुसूचित जाति के विकास हेतु सहायतार्थ अनुदान
(II)	अनुसूचित जाति में अन्तर्जातीय विवाह हेतु स्वर्णों को प्रोत्साहन राशि	—	0.50	—	0.50	—	0.10	—	0.10	अनुसूचित जाति में किसी स्वर्ण जाति के आदमी द्वारा विवाह करने पर प्रोत्साहन राशि

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
—अनुसूचित जाति उप परियोजना अनुसूचित जन जातियों का कल्याण		—	690.66	690.66	—	—	852.43	852.43	
(2)- शिक्षा विभाग के माध्यम द्वारा छात्रवृति और वजीफा									
(I) संचालक महा. शिक्षा	20.22	—	—	20.22	20.22	—	—	20.22	महा. वि. के स्तर के छात्रों को छात्रवृतियां
(II) संचालक प्रा. मा. शिक्षा	88.72	—	—	88.72	138.65	—	—	138.65	प्रा. मा. स्तर के छात्रों को छात्रवृतियां
(III) संचालक संस्कृत शिक्षा	0.45	—	—	0.45	0.96	—	—	0.96	संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने वालों को छात्रवृति
(IV) संचालक प्रा. वो. शिक्षा	0.79	—	—	0.79	1.00	—	—	1.00	प्राद्यो. शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को छात्रवृति

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(V) समाज कल्याण विभाग	9.50	13.35	73.83	96.68	9.55	13.35	76.33	99.23	विभाग के माध्यम द्वारा स्वीकृत की जाने वाली छात्रवृत्ति
(VI) शिक्षा माध्यम द्वारा प्रारम्भिक विद्यालयों को चलाना	0.85	–	–	0.85	0.85	–	–	0.85	शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालयों को चलाने हेतु सहायता ।
(VII) छात्रवासों का संधारण	89.04	2.88	–	91.92	81.12	6.60	–	87.72	अनुसूचित जन जाति के छात्रों को निःशुल्क छात्रावास
(VIII) आश्रम स्कूल	3.96	–	–	3.96	3.96	–	–	3.96	आश्रम स्कूल चलाने के लिये पंचायत समितियों को अनुदान
(IX) पूर्व प्रशिक्षण तथा स्टैनो प्रशिक्षण	1.86	1.00	1.00	3.86	1.54	–	0.61	2.15	प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व निःशुल्क प्रशिक्षण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(X) स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता	2.00	–	–	2.00	1.32	–	–	1.32	स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुसूचित जाति के विकास हेतु अनुदान
प्रा. विद्यार्थियों को प्रोत्साहन	–	0.05	–	0.05	–	–	–	–	अनुसूचित जाति के प्रा. प्रोत्साहन हेतु सहायता
(3) आर्थिक विकास									
(III) लघु उद्योगों को सहायता	–	0.10	–	0.10	–	–	–	–	लघु उद्योग लगाने के लिये सहायता
रोजगार									
(I) बेरोजगार स्नातकों तथा स्नातकोत्तरों को छात्रवृत्ति और वजीफा	–	0.60	–	0.60	–	0.30	–	0.30	बेरोजगार स्नातक व स्नातकोत्तरों को वजीफा
–कृषि									
(I) कृषकों को ऋण के ब्याज के भुगतान हेतु सहायता	1.40	–	–	1.40	0.88	–	–	0.88	बैंकों द्वारा कृषकों को दिये गये ऋण के ब्याज के भुगतान हेतु सहायता

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(च) जन जाति क्षेत्र उपयोजना									
I-समाज कल्याण विभाग के माध्यम से									
(I) अनुसूचित जातियों का कल्याण	1.43	0.90	–	2.33	0.78	0.85	–	1.63	जनजाति क्षेत्र के अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्र-वृत्ति वजीफा
कृषकों के ब्याज के भुगतान हेतु और गृह निर्माण अनुदान आदि									
(II) अनुसूचित जन जातियों का कल्याण	4.46	18.02	34.95	57.43	2.66	18.00	26.65	47.31	उपरोक्तानुसार

317

परिशिष्ट "ब"

मार्च 1985 के अन्तिम सप्ताह में आवंटन व स्वीकृत की गयी राशि का विवरण।

क्रमांक	कार्यो का विवरण	स्वीकृति का दिनांक	आवंटित व स्वीकृत धन-राशि
1.	अनु. जाति के छात्रावास बैर के भवन किराये के भुगतान हेतु	20–3–85	58,750/-
2.	अनु. जाति के छात्रावास नागौरी गेट के भवन किराये के भुगतान हेतु	25–3–85	19,000/-
3.	अनु. जाति के छात्रावास भरतपुर (नंदबई) व सवाई माधोपुर (सिवाड) को भोजन वस्त्र, फीस, पुस्तकें आदि के लिये	29–3–85	16,920/-
4.	अनु. जन जाति छात्रावास लाखेरी सपोटरा, बामनवास व टोड़ा भीम के लिये।	29–3–85	15,650/-
5.	विमुक्त एवं घुम्मकड़ जातियों के छात्रवास टोंक व पाली के छात्रावास संधारण हेतु।	29–3–85	43,790/-
6.	जिलाधीश जोधपुर को वृद्धावस्था वाले व्यक्तियों को पेंशन हेतु	28–3–85	20,00,000/-

क्रम संख्या 3 से 5 में अंकित राशि 13 क्रमोन्नत छात्रावासों के लिये वित्त सचिव महोदय द्वारा व्यय की स्वीकृति हेतु प्राधिकृत किया गया, तदनुसार बकाया भुगतान के लिये आवंटन दिनांक 29–3–85 को किया गया।

क्रम संख्या 6 में अंकित स्वीकृति वृद्धावस्था पेन्शन के अन्तर्गत पोस्ट आफिस की बकाया राशि रुपये 20 लाख के भुगतान किये जाने हेतु जिलाधीश, जोधपुर को दिनांक 28–3–85 को आवंटन किया गया।

उपयुक्त अंकित राशि का उपयोग पूर्व में किया जा चुका था। अतः आवंटन किया गया था।

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 564 का विवरण)

सत्र 1980-81 में जिला परिषदों को वितरित की गई सामग्री की सूची

क्र. सं.	नाम जिला परिषद	नाम वस्तु तादाद							
		एल्यूमिनियम तस्तरी	पीतल का रामझारा	एल्यूमिनियम की परात	लोहे की बाल्टियां	पीतल भरत के चमचे	पलटा	दरी-पट्टीयां	भगोना
1.	जि. प. बीकानेर	14,600	292	292	584	584	292	4 088	292
2.	जि. प. वाड़मेर	26,700	534	534	1,068	1,068	534	8,010	534
3.	जि. प. भीलवाड़ा	31,450	629	629	1,258	1,258	629	9,435	629
4.	जि. प. चित्तौड़गढ	32,500	650	650	1,300	1,300	650	9,100	650
5.	जि. प. जयपुर	49,050	981	981	1,962	1,962	981	14,666	981
6.	जि. प. जैसलमेर	11,650	233	233	466	466	233	3,961	233
7.	जि. प. जालौर	22,550	511	511	1,022	1,022	511	7,665	511

319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	जि. प. कोटा	14,750	295	295	590	590	295	4,140	295
9.	जि. प. सिरोही	4,100	82	82	164	164	82	1,394	82
10.	जि. प. उदयपुर	56,300	1126	1126	2262	2252	1126	16890	1126
	योग ;	2,66,650	5333	5333	10,666	10,666	5333	7,93,390	5333

321

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 566 से सम्बन्धित सूचना)

परिशिष्ट "क"

क्र.सं.	चोरी गई वस्तु का नाम	चोरी गई वस्तु की कीमत	वर्ष
1.	दो कोपरशीट	11,354–18	16–9–82
2.	ड्रिल मशीन	4,085–00	1–2–84
3.	जी. आई. शीट्स	5,286–54	24–8–84
4.	स्पेयर पार्ट्स	30,248–00	19–9–84
5	विस्फोटक पदार्थ	20,124–00	16–3–85
6.	मस्टर रोल की राशि चोरों द्वारा चोरी की गई	3,000–00	3–11–83
7.	पाईप 2½ ,, (15 नं.)	3,695–00	16–8–83
8.	फलेन्ज 2 ,, (4 नं.)	40–00	16–8–83
9.	पाईप 2½ ,, (42 नं.)	10,206–00	4–6–84
10.	पाईप 2½ ,, (24 नं.)	7,776–00	4 6–84
11.	पाईप 3 ,, (5 नं.)	2,100–00	4–6–84
12.	इलेक्ट्रीक डेटोनेटर्स (800 नं)	1,560–00	21–3–85
	डिले डेटोनेटर्स (20 नं.)	97–00	,,
	स्टोर चार्जेस	49–00	,,
13.	डीजल 5 लिटर	16–50	6–6–84
14.	डीजल 20 लिटर	66–00	24–9–84
15.	डीजल 55 लिटर	181–50	24–9–84
16.	डम्पी लेबल, फ्यूज कोयल वाटर होज पाईप	2706–00	17–4–85
17.	ऑर्डिनरी डेटोनेटर्स (1000 नं) जिलेटिन (4 पेटी) इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स (400 नं)	3440–00	26–10–84

क्र.सं.	चोरी गई वस्तु का नाम	चोरी गई वस्तु की कीमत	वर्ष
18.	ड्रील रोड 215 (25 नं) $2\frac{1}{2}$,, लम्बी	5850–00	30–5–83
19.	एक्साईज बेटरी	1500–00	1–5–84
20.	फ्यूल पम्प	6000–00	9–8–82
21.	फ्यूल पम्प आरजेवी 2366	4200–00	30–1–85
22.	बिजली का सामान	2239–00	7–7–83
23.	लोहे की चद्दरें	—	15–7–84
	योग :—	1,21,820–42	

अधीक्षण अभियन्ता एवं प्रा. सहा.
मुख्य अभियन्ता
माही बजाजसागर परियोजना
बांसवाड़ा

परिशिष्ट "ख"

(1) कॉपर शीट की चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 18–9–82 को माही बांधस्थल थाने पर दर्ज करायी गई। किसी पर सन्देह नहीं होने से नाम नहीं लिखवाया गया।

(2) ड्रिल मशीन की चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट बांसवाड़ा थाने पर दिनांक 2–2–84 को दर्ज करायी गई। रिपोर्ट में श्री शान्ति, हरदारियां, रकमा, श्री गोतियां के नाम लिखवाये गये थे।

(3) जी.आई. पाईप की चोरी की रिपोर्ट दिनांक 25–8–84 को बांसवाड़ा थाने में दर्ज करायी गयी। जिसमें विभाग को किसी व्यक्ति पर सन्देह नहीं था। पुलिस ने जांच कर माल बरामद कर लिया तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया है।

(4) स्पेयर पार्ट्स की चोरी की सूचना दिनांक 29–4–84 को थाना प्रभारी बांधस्थल पर दर्ज करायी गयी। जिसमें किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट नहीं करायी गयी।

(5) विस्फोटक पदार्थ के चोरी की प्रथम सूचना दिनांक 10–3–85 को पुलिस थाना प्रभारी बांधस्थल पर दर्ज करायी गयी। जिसमें किसी सरकारी कर्मचारी के नामजद रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं करायी गयी।

(6) मस्टररोल की राशि की चोरी के सम्बन्ध में दिनांक 3–11–83 को श्री अब्दुल हकीम खान मिस्त्री द्वारा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी जो कि किसी के नामजद नहीं है।

(7) जी.आई.पाईप $2\frac{1}{2}$,, ,, 15 नग की चोरी की प्रथम सूचना दिनांक 16–8–83 को थाना प्रभारी बांसवाड़ा में दर्ज करायी गयी। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के नाम उल्लेख नहीं करायी गयी।

(8) फ्लेन्ज 2''4'' नग के चोरी की प्रथम सूचना दिनांक 16–8–83 को थाना प्रभारी बांसवाड़ा में दर्ज करायी गयी लेकिन व्यक्ति विशेष का नाम उल्लेख नहीं कराया गया।

(9) पाईप 2 '' 42 नग (10) पाईप $2\frac{1}{2}$ '' 24 नग (11) पाईप 3 '' 5 नग	के चोरी की प्रथम सूचना दिनांक 4–6–84 को थाना प्रभारी बांसवाड़ा में दर्ज करायी गयी। किन्तु किसी व्यक्ति विशेष का नाम उल्लेख नहीं कराया गया।
(12) इलेक्ट्रिक डिटोनेटरर्स डिले डिटोनेटरर्स	के चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना प्रभारी बांसवाड़ा में दिनांक 22–3–85 को दर्ज करायी गयी। जिसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम उल्लेख नहीं कराया गया।
(13) डीजल 5 लीटर– (14) डीजल 20 लीटर– (15) डीजल 55 लीटर–	इन चोरी की प्रथम सूचना थाने में दर्ज नहीं करायी गयी।

(16) डम्पी लेवल फ्यूज कोयल वाटर होज पाईप की चोरी के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं करायी गयी क्योंकि चोरी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा की गई है। अतः व्यक्ति विशेष के खिलाफ कार्यवाही करना संभव नहीं है।

324

(17) ग्रार्डिनरी डिटोनेटर्स 1000 नग, जिलेटीन 4 पेटी एवं इलेक्ट्रीक डिटोनेटर्स 400 नग के चोरी के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 27–10–84 को दर्ज करायी गयी। पुलिस विभाग से इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(18) ड्रिल रोड्स के चोरी के प्रकरण में थाना प्रभारी, खमेरा में दिनांक 4-6-83 को चौकीदार श्री प्रभु व श्री लक्ष्मण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

(19) एक्साइड बैटरी की चोरी के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना प्रभारी ग्रधिकारी बांधस्थल पर दिनांक 30–6–84 को दर्ज करायी गयी।

(20) फ्यूल पम्प की चोरी के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना प्रभारी, ग्रधिकारी बांधस्थल पर दिनांक 11–8–82 को दर्ज करायी गयी।

(21) ट्रक ग्रार. जे. बी. 2366 के फ्यूल पम्प के चोरी के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना प्रभारी ग्रधिकारी, बांधस्थल पर दिनांक 31–1–85 को दर्ज करायी गयी।

(22) बिजली का सामान दिनांक 7–7–83 को तादादी रु० 2239–00 के चोरी के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना प्रभारी ग्रधिकारी बांधस्थल पर दिनांक 7–7–83 को दर्ज करायी गयी। प्रकरण न्यायालय में चल रहा है।

(23) लोहे की चद्दरों की चोरी के प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना प्रभारी ग्रधिकारी बांधस्थल पर 15-7–84 को दर्ज कराई गई।

ग्रधीक्षण ग्रभियन्ता एवं
प्रा. सहा. मुख्य ग्रभियन्ता,
माही बजाज सागर परियोजना
बांसवाड़ा।

परिशिष्ट "ग"

(1) कॉपर शीट के चोरी के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा चालान न्यायालय में पेश कर दिया गया परन्तु निर्णय ग्रभी तक नहीं हुग्रा है। इसमें किसी को भी सजा नहीं हुई है।

(2) ड्रिल मशीन के चोरी के प्रकरण में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है इसमें अभी किसी को सजा नहीं हुई है।

(3) जी. आई. पाईप के चोरी के प्रकरण में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में किसी को सजा नहीं हुई है।

(4) स्पेयर पार्ट्स के चोरी के प्रकरण में किसी सरकारी कर्मचारी का नाम रिपोर्ट में नहीं होने से तथा पुलिस द्वारा भी कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रकरण में किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई है।

(5) विस्फोटक पदार्थ के चोरी के प्रकरण में किसी सरकारी कर्मचारी का नाम रिपोर्ट में दर्ज नहीं कराया गया है एवं न ही पुलिस द्वारा कोई सूचना दी गई है। अतः इस सम्बन्ध में किसी को भी सजा नहीं हुई है।

(6) प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है। न ही किसी को ही सजा हुई है।

(7 से 12) जी. आई. पाईप $2\frac{1}{2}$" फ्लेन्ज 2" जी. आई. पाईप 2" जी. आई. पाईप $2\frac{1}{2}$" जी. आई. पाईप 3, इलेक्ट्रीक डिटोनेटेनर्स एवं डिले-डिटोनेटोर्स के चोरी के प्रकरणों में पुलिस छानबीन कर रही है। जिसकी अन्तिम सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है न ही इसमें किसी को सजा हुई है।

(13 से 15) डीजल चोरी के प्रकरण में श्री रामचरण, आपरेटर, दिलीपसिंह हेल्पर, श्री बस्तीराम आपरेटर, वेदप्रकाश आपरेटर एवं श्री नाथूसिंह हेल्पर को निलम्बित किया गया है।

(16) डम्पी लेवल फ्यूज ओइल वाटर होज पाईप के चोरी के प्रकरण में पुलिस द्वारा जांच कार्य अभी जारी जिससे किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया गया है। न ही किसी को सजा हुई है।

(17) ओर्डिनरी डिटोनेटर्स जिलेटीन पेटी तथा इलेक्ट्रीक डिटोनेटरर्स की चोरी के प्रकरण में पुलिस द्वारा जांच चल रही है। अतः किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया गया एवं न ही किसी को सजा हुई है।

(18) ड्रिल रोड्स की चोरी के प्रकरण में थाना प्रभारी खमेरा ने दिनांक 21–1–84 को सूचित किया कि "अनुसंधान किया गया व बावजूद कोशिश के ड्रिल रोड्स बरामद नहीं हो सकी" मुकदमा पुलिस द्वारा नहीं कराया गया

326

इसलिए किसी को भी सजा नहीं हुई है। विभागीय कार्यवाही में सर्व श्री प्रभु, लक्ष्मण दोनों दोषी पाये गये एवं दोनों चौकीदारों को सेवा से पृथक कर दिया गया है।

(19) एक्साईड बेटरी के चोरी के सम्बन्ध में अभी तक किसी को सजा नहीं हुई है।

(20) फ्युल पम्प की चोरी के सम्बन्ध में अभी तक किसी को भी सजा नहीं हुई है।

(21) ट्रक आर. जे. बी. 2366 के फ्युल पम्प चोरी के प्रकरण में भी किसी को सजा नहीं हुई है।

(22) बिजली के सामान के चोरी के सम्बन्ध में अभी तक किसी को सजा नहीं हुई है।

(23) लोहे की चद्दरों की चोरी के प्रकरण में न्यायालय के निर्णय अनुसार चोरी गई चद्दरें आर. बी. सी. सी. के ठेकेदार को देने का आदेश हुआ।

अधीक्षण अभियन्ता एवं प्रा. सहा.
मुख्य अभियन्ता,
माही परियोजना, बांसवाड़ा

परिशिष्ट "घ"

(1) कॉपर शीट की चोरी के प्रकरण में श्री ओमप्रकाश फिटर को दिनांक 6-10-82 से निलम्बित किया गया था तथा उन्हें 1-6-83 को वापस बहाल किया गया।

(2) स्पेयर पार्टस एवं विस्फोटक पदार्थों की चोरी के प्रकरणों में विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने तक निम्नांकित कर्मचारियों को दिनांक 15-10-84 से निलम्बित किया गया है।

(1) श्री बापूलाल नागर स्टोर मुंशी।

(2) श्री धुलिया बेलदार।

(3) श्री विटला बेलदार।

(3) डीजल चोरी के प्रकरणों में निम्नांकित कर्मचारी निलम्बित हैं :—

(1) श्री रामचन्द्र आपरेटर दिनांक 13–6–84 से

(2) श्री दिलीपसिंह हेल्पर दिनांक 11–6–84 से

(3) श्री बस्तीराम आपरेटर दिनांक 17–11–84 से

(4) श्री वेदप्रकाश आपरेटर दिनांक 17–11–84 से

(5) श्री नाथूसिंह हेल्पर दिनांक 26–9–84 से निलम्बित है।

(4) लोहे की चद्दरों की चोरी के सम्बन्ध में किसी को निलम्बित नहीं किया गया है।

अधीक्षक अभियन्ता एवं
प्रा. सहा. मुख्य अभियन्ता,
माही बजाज सागर परियोजना,
बांसवाड़ा।

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 572 के परिपत्र की प्रति)

No. RSEB/SE (Comml)/F. 1 (36)/Misc./Pt. II/3121

Q. No. 188

Appendix–'A'
Jaipur,
Dated 20th Sept. 75

CIRCULAR

The following revised procedure is prescribed for assigning priority in drawing service line and releasing connections in all cases including such group applications as found acceptable in accordance with relevant regulations and instructions, Demand Notices to consumers will be issued in chronological order of the dates of receipt of applications for service connections alongwith the prescribed fee/deposit made by the prospective consumers. After the deposit of the required amount such as service connection charges, security deposit etc., as per demand notice, the consumer shall submit the L' form as quickly as possible. The priority for drawing the service line shall be accorded on the basis of date of receipt of 'L' form. The service line is not to be drawn till the 'L' form is received.

If the consumer does not submit the 'L' form within a period of one month from the date of receipt of the amount of service connection charges, security deposit etc., as per demand notice, a six months' notice may be served upon the consumer to submit the 'L' form within the notice period otherwise his claim for getting the connection shall stand forfeited. If the consumer does not comply with the requirements of such notice, his right to get connection be forfeited together with application fee deposited by him in accordance with clause-2 (a) of the "General Conditions of Supply" and balance amount refunded to him on his application. The consumer will be required to make fresh

329

application alongwith application fee, if he still wants the service connection.

This supersedes the following orders :—

1. Order No. RSEB/S-2/F. 8/PHIP (156)/Pt. II/D. 2358 dated 10th December, 1970.

2. Order No. RSEB/S-2/Tech./F. 8/PHIP (156) Pt. II/D. 2654 dated 5th October, 1971.

3. Order No RSEB/S-2/Comml /F. 1 (46)/ Pt. II/D.2040 dated 23rd August, 1974.

By order,

Sd/-

(K. C. Kasliwal)

Supdtg. Engineer (Comml.)

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 575 का विवरण)

वर्ष 1980 से 1985 तक भरतपुर जिले में तहसीलवार ग्रामीण विद्युतिकरण की प्रगति एवं दिये गये कनेक्शन्स का ब्यौरा

1. पंचायत समिति का नाम	1980–85 के दौरान विद्युतिकृत ग्राम	हरिजन बस्तियां	वर्ष 180 से 1985 तक दिये गये कनेक्शन्स घरेलू	व्यावसायिक	औद्योगिक	सार्वजनिक प्रकाश	जलाशये	कृषि	अन्य	योग
1. भरतपुर	–	5	2447	651	154	–	–	57	–	3309
2. बयाना	42	46	1393	325	118	19	2	390	–	2247
3. डीग	–	23	949	211	126	4	–	117	6	1413
4. कामा	–	17	762	159	76	–	–	126	1	1124
5. कुम्हेर	31	26	1087	194	104	1	6	85	–	1477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	नदबई	42	25	1220	144	99	3	3	408	–	1877
7.	नगर	29	19	580	195	103	4	2	107	–	991
8.	बैर	–	17	1186	207	105	3	3	945	–	2449
9.	सेंवर	19	23	715	124	77	3	2	106	–	1027
10.	रूपवास	46	5	273	91	40	–	2	21	–	427
	कुल	209	206	10612	2301	1002	37	20	2362	7	16341

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 578 की सूची
एवं नियमों की प्रति)

तहसील लाडनूं के अग्नि पीड़ित व्यक्तियों की सूची जिन्हें दिनांक 20.4.83 को स्वीकृति दी गई ।

क्र. सं.	नाम अग्नि पीड़ित व्यक्ति मय सकूनत	स्वीकृत राशि
1.	अर्जुन सिंह पुत्र कालूराम, मेगवाल ग्राम धुलिया	245/-
2.	पूर्णाराम पुत्र जोगाराम, नायक ग्राम खोखरी	300/-
3.	नारायणराम पुत्र भेरा राम जाट ग्राम खोखरी	350/-
4.	अनाराम पुत्र बलदेवराम, मेगवाल ग्राम धोलिया	250/-
5.	सांवरसिंह पुत्र इन्द्रसिंह, राजपूत ग्राम कोयल	225/-
6.	उषाराम पुत्र जोगाराम, नायक ग्राम खोखरी	300/-
7.	मोहनराम पुत्र मांगीलाल, डाकोत ग्राम लेडी	225/-
	योग—	1895/-

नियमों की प्रति

ANNEXURE-3

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
(GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT)

NOTIFICATION

Dated Jaipur, 21st March, 1955.

No.F. 21(1) GA/A52/62. The Rules regarding grant of relief to sufferer of natural calamities, such as flood, fire etc. are published for general information.

Sd/-
KISHAN PURI
CHIEF SECRETARY TO GOVT.

Rules regarding grant of relief to sufferers of natural calamities such as flood, fire etc.

1. It must be clearly understood that Govt. do not accept the responsibility for the loss of property caused by the calamity. The objection for granting relief under these rules is merely to meet immediate requirement of food and shelter.

2. The sufferers should make an application to the Tehsildar concerned in the prescribed form given as Appendix -I.

3. On receipt of the application the Tehsildar will make necessary investigation and make his recommendation to the Collector through the S.D.O. concerned.

4. The Collector may sanction gratuitous relief, if funds are available, to the extent of Rs. 500/- per family provided the

   (a) the amount of gratuitous relief does not exceed 1/6 of the loss suffered by the family; and

(b) it does not exceed Rs. 75/– per member of the family in case the family consists of 5 or less number of members and Rs. 50/– per member for the family consisting more of than five members.

5. At the commencement of each financial year, allotment of funds for this purpose for each district will be made by the Revenue Department. In the case of fire or flood of such serious nature that special measures by the Government are considered necessary, the Collector should make an immediate report to the Revenue Department.

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 579 की आदेशों की प्रतिलिपियां)

Copy of order No F 2(20)/Appts (O & M)/60 dt, 20.6.1960.

The strength of the ministerial staff in the various departments/sections of the Secretariat was fixed in 1956 vide order No. F. 1 (33) Appts./B/56. dated the 15th June, 1956 in accordance with the following formula laid down by the Ujjawal Committee and approved by the Government :—

DEALING WORK : One Upper Division Dealing Clerk for 10 Ps. U. C. per day.

The normal composition of a section is as under : —

(1) 5 U. D. Cs.	Dealing Clerks.
(2) 2 L. D. Cs.	They are not to be attached as helper to the U. D. Cs but are to be given independent dealing work of a less important nature, unless in any case it is felt that the work with any U.D.C. is so much that it cannot be disposed of without the help of another clerk and it is not possible to divide that work independently between two clerks.
(3) 4 L. D. Cs.	General Duty Clerks, namely :— 1. Receipt Clerk. 1. Despatch Clerk. 2. Typists.

The Accountants and Accounts Clerks are to be provided according to the requirement of the section.

Leave Reserve Clerks have been attached to the Secretaries concerned and the work of clearance of recorded files is done by the Inspection-cum-clearance Squad.

2. Later on in 1957, the organisation & Methods Section laid down the following standard of work for assesment of the strength of Diarist, Despatcher and Typist :—

(1) Diarist :—One for receipts ranging between 50 to 80 per day.

(2) Despatcher :—One for issues ranging between 50 to 80 per day (excluding the number of endorsements).

(3) Typist :—One for 25 pages at least per day.

3. With a view to see if the norms prescribed previously do not require any. change, the staffing requirements of some departments/sections of the Secretariat were assessed in accordance with the techniques of work study.

4. The matter has, therefore, been considered in the light of the assessment reports and it has been decided that the standard laid down previously will continue with the modifications given below :—

1. FOR DEALING WORK :

(i) The number of dealing clerks (Assistant, U.D. Cs., Accounts Clerk) will be fixed at the scale of one dealing clerk for 10 Ps. U. C. per day received in the department/section. For this purpose, the average receipt per day will be worked out on the basis of the total number of papers received in the departments/sections during the last two years.

(ii) Where the number of dealing clerks works out to more than 5, one post of Assistant will be provided within the total strength of dealing clerks worked out as indicated above.

(iii) Accountants will be provided according to the requirements of the section.

337

(iv) In each department/section cosisting of more than 5 dealing clerks, 2 posts of L. D. Cs. will be provided to deal with the cases of less important nature.

No'e :—There will be a case for addition or reduction of a dealing clerk if the volume of work increases or decreases by 20%.

II. FOR ROUTINE JOBS :

(i) One whole-time Diarist will be provided in each department/section where the average receipt per day is 100.

(ii) One wholetime Despatcher will be provided in each department/section, where the average issues per day range between 50 to 80 (excluding the number of endorsements.

Note :—(i) Where the average receipt and issue falls below 50 per day the post of Diarist and Despatcher will be combined.

(ii) Upto 20% increase or decrease in the volume of work, the strength will remain unchanged.

III. FOR TYPING WORK:

1. A whole-time English Typist will be provided in each department/section if the volume of work involves typing of 25 pages per day.

2. A whole-time Hindi typist will be provided in each department/section, if the volume of work involves typing of 20 pages per day.

CABINET SECRETARIAT

(O & M SECTION)

ORDER

No. F. 2 (5) O & M/71 Dated 20th January 1972

Subject :—Reorganisation of Secretariat—Implementation o recommendations No. 9, 23 and 42 of the Secretariat procedure Committee.

Reform is a continuous process to achieve increased efficiency Steps have, from time to time, been taken by the Government to achieve increased efficiency in the transaction of Government business a all levels. With a view to review the entire working of the secretaria and to suggest measures calculated to increase efficiency, a committee known as Secretariat Reorganisation committee was constituted under order No. F. 5 (30) O & M/68 dated the 2nd August, 1968.

2. Before the recommendations of this committee could be considered by the Government, a committee known as Secretaria procedure committee was constituted under order No. F. 5 (25) O & M/71 dated the 15th July, 1971 for studying the problems of delays in the despatch of Government business including the implementation of Government decisions and suggesting ways and means to simplify procedures and cut down delays.

3. The report of the former committee was also taken into consideration by the latter and it was recommended that the "Group System" as recommended by the Secretariat Reorganisation Committee in chapter III of their report may be introduced in all the Departments of the secretariat except a few departments/sections for which either the "Cell System" or the existing set up has been considered suitable by the secretariat Reorganisation Committee and that the branches of Legal Affairs Department dealing with advice, writs, drafts and conveyancing should be reorganised on the ptattern of the "Cell System".

4. The Government have accepted the above recommendations of

339

the Secretariat Procedure Committee with certain modifications and have been pleased to order that—]

(a) "Group System" as envisaged by the Secretariat Reorganisation Committee may be introduced on the following lines in all the departments of the Secretariat except those mentioned in the subsequent paras of this order :—

(i) A 'Group' should be headed either by an Assistant Secretary or by a Section Officer or by an officer of equivalent rank, who will be known as "Group Officer."

(ii) A typical 'Group' will have four dealing hands (Assistant, Legal Assistant, Accountant, Statistical Assistant, U.D.C. or Accounts Clerk) and four Lower Division Clerks for Common services like receipt & despatch, typing, record keeping as well as for relieving duties. The actual number of dealing hands and L.D.Cs. may. however, vary depending upon the volume of work of individual "Groups"

(iii) "Group Officer" will assume a dual role under this system. In important matters which require quick disposal or are too intricate for the office, he should do the original examination in the same manner as a "Cell officer" does! In other cases, he should see that the office notes are correct and adequate and he should add his notes and correct drafts wherever necessary, He should also guide, supervise and teach his staff to improve their work in both quality and quantity. Further he should ensure that the files are opened, maintained and consigned to Record strictly in accordance with the rules and that the cases in the 'Group' are disposed of quickly and in a business like manner.

(iv) The Senior officers in the Departments should see that the 'Group officers' under them discharge their functions adequately,

(v) No dealing hand, whether he is an Upper Division Clerk, Assistant or Accountant shall be allowed the assistance of a Lower Division clerk either for opening or maintaining files or for dealing work. He himself will maintain the case files neat and up-to-date.

(vi) The work of consignment of closed cases to the Records at present handled by the clearance squads of the organisation and Methods Section should be handled by the Lower Division Clerk provided in each 'Group'' for this work. The Lower Division Clerks who will thus be required to deal with recording and consigment of files will be imparted practical training for a period of two weeks in this work in the Organisation & Methods Department as per programme to be intimated later. In addition to the work relating to the consignment of records, this Lower Division Clerk will also maintain leave record of the staff working in the group, prepare periodical returns and perform such other work of routine character which may be entrusted to him by the "Group Officer."

(vii) In the new set-up, each 'Group' has been provided with a Lower Division Clerk for relieving duties. It will be desirable to entrust this Lower Division Clerk with the work of maintaining the Guard Files. Secretariat Manual, Rajasthan Service Rules and similar other books up-to- date. He would do this work whenever he is free from relieving duties.

(b) The existing set up will continue in the following Departments :—

1. Appointments (B) Department.

2. Appointments (C) Department.

3. Appointments (D) Department. It will lose its present

independent identity and be a part and parcel of the organisation & Methods Department.

4. Appointment (A–VII) Department.
5. Organisation & Methods Department.
6. Agriculture Department (cells No. VI & VII).
7. Parliamentary Affairs Department.
8. Vidhi Rachna Sangathan.
9. Departmental Enquiries Department.
10. Removal of Public Grievances Department.
11. Famine Relief Department.
12. Finance Department (Budget, Ways & Means and Investments & Commercial Accounts).
13. Finance Department (Expenditure). The Cell System will continue with the modification that the Assistant Accounts Officer/Accountant will be allowed to examine the cases, as heretofore. The 'Rules' and 'Stores Purchase' branches will have Groups.
14. Legal Affairs Department. Those Sections which deal with advice, writs, drafting and conveyancing will work on the "Cell System". The Section dealing with establishment etc., will be turned into a "Group". The Codification Branch will continue to function as heretofore.

Subject to the overall control of the Law Secretary, the work between Law Secretary-cum-Legal Remembrancer and the Joint Legal Remembrancer may be so divided that the work relating to advice, litigation and writs may be looked after by Joint Legal Remembrancer and the other work by Legal Remembrancer. Officers dealing with drafting. vetting aad conveyancing will be known as Dy. Legal Draftsman/Assistant Legal Draftsman and officers dealing with cases relating to advice, litigation and writs will be designated as Deputy Legal Remembrancers/Assistant Legal Remembrancers. All cases coming to Deputy Legal Draftsmen/Deputy Legal Remembrancers should normally be disposed of by them finally unless they think that the matter is an

important one to be brought to the notice of Law Secretary/Joint Legal Remembrancer. The Assistant Legal Remembrancers/Assistant Legal Draftsmen will submit their cases directly to Law Secretary/ Joint Legal Remembrancer. Each Cell shall deal with such of the Departments of the Secretariat as indicated in Appendix "A" to this order.

5. All the departments of the Secretariat should start functioning on the above lines latest by the 1st February, 1972.

6. The revised set-up of each department indicating the allocation of subjects to be dealt with in various 'Groups' and the staff provided to them is given at Appendix "B" to this order.

Sd/-

(S.L. KHURANA)

CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT.

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 580 की सूची)

"एच" टाइप क्वार्टर्स में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अतिरिक्त लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की सूची

क्र.सं.	आवास संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	आवास ग्रहण की तिथि
1	2	3	4	5
1.	एच–513	श्री माधोसिंह	कनिष्ठ लिपिक	1.9.82
2.	एच–522	श्री गोपालराम	,,	21.12.70
3.	एच–524	श्री नाथूसिंह	,,	9.8.78
4.	एच–527	श्री किशन लाल भाटिया	,,	16.12.83
5.	एच–594	श्री बी.एल. सोनी	,,	1.8.84
6.	एच–668	श्री रविन्द्र कुमार	,,	13.7.78
7.	एच–855	श्री चन्द्र प्रकाश	,,	6.2.80
8.	एच–856	श्री हरिश चन्द्र	,,	8.6.79
9.	एच–874	श्री भवानी सिंह	,,	26.4.80
10.	एच–884	श्री प्रहलाद दास पारीक	,,	3.11.77
11.	एच–906	श्री नाथू लाल	,,	15.7.78

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 584 के आदेशों की प्रतिलिपियां)

प्र. सं 1297 सूची 'अ'

Copies of relevant paras of the proceeding of the meeting held under the Chairmanship of the Chief Minister on 13.1.82 to review the progress of Special Component plan, action which was required to be taken by Chairman, RSEB.

Chairman, R.S.E.B. 14. R.S.E.B. said that 1905 agricultural wells belonging to SC farmers had been energised. Similarly, 432 Harijan Basties had been electrified by the end of March, 82 C.M. desired that there should be an inbuilt arrangement to ensure that every village which was electrified must provide street lights in Harijan Basties. The transformer should also be located close to be Harijan Basties should be electrified at the earliest in all such villages where other localities had street lights, Chairman R.S.E.B., assured that the backlog would be over-come at the earliest and the above said guidelines would be followed.

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

No. RSEB/SE/S&I/SS/F. 4 (8-III)/D. 4132 dated 5.2.82

Copy submitted to the Chief Engineer (O&M) RSEB, Jaipur, for information & necessary action.

Sd/-
(DALAJEET SINGH)
SUPERINTENDING ENGINEER (S&I)

Copy sent to the Dy. Chief Engineer & Superintending Engineer (O&M) vide letter No. RSEB/SE/S&I/SS/F. 4 (S-III)/D. 4191 dated 10.2.81

345

सूची 'ब'

RAJASTHAN STATE ELECTRICITY BOARD

No. RSEB/CE (O&M)/Sec. 4 (C)/OO/389 Jaipur, dt. 17.11.83

OFFICE ORDER

The Distribution Transformers required for electrification of new village, should be installed nearer to Harijan Basties of the village, so that electrification of Harijan Basties is done simutaneously. This however should be done only if the technical feasibility is not adversely effected. This is further the instructions issued by the Chief Engineer (RE) vide No. RSEB/CE/S&I/56/F. 4 (8-III)/D. 4132 dated 5.2.82.

Sd/-

(S. S. VYAS)

Chief Engineer (O&M)

No. RSEB/CE/(O&M)Sec. 6/F.14(HB)/D. 2567 Dt. 17.11.83.

Copy to :

1. The Director (Comml. Operations), RSEB, Jaipur for information along with minutes of the meetings taken by Hon-ble Chief Minister on 13.'.82 & 25.6.83 and necessary instruction in this regard.
2. The Chief Engineer (RE), RSEB, Jaipur for information.
3. The Dy. Chief Engineer ( )/D./
   The Superintending Engineer ( ) RSEB,................for information and necessary action. The copies of minutes of the meeting are enclosed for ready reference.
4. The T.A. to Technical Member, RSEB, Jaipur for kind information of the Technical Member.
5. The Executived Engineer ( ) RSEB,] for information &
6. The Asstt. Engineer (O&M/REC/Const)] necessary action RSEB.

Sd/-

Chief Engineer (O&M)

सूची-स

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

क्रमांक/राराविम/सै09/आरई/डी 435 जयपुर, दिनांक 3/9/84

परिपत्र

मुख्य अभियन्ता (परि.एवं.संधा) कार्यालय के आदेश संख्या राराविम/मुअ/परि. एवं संधा./सैक्शन-4 (सी) आदेश/389 दिनांक 17/11/1983 के संशोधन में आदेश दिये जाते हैं कि अब से किसी भी ग्राम को विद्युतिकृत करते समय पहला ट्रांसफार्मर गांव की एक हरिजन बस्ती के निकट ही लगाया जाय और पास की हरिजन-बस्ती में एल.टी. लाइन भी साथ ही खैंच दी जाय। यदि मांग हो तो प्रथम कनेक्शन भी हरिजन बस्ती में किया जाय। ग्राम के विद्युतीकरण की सूचना देते समय सम्बन्धित सहायक अभियन्ता इस आशय का एक प्रमाण-पत्र भी देंगे कि उस ग्राम में ट्रांसफार्मर हरिजन बस्ती के निकट में ही लगाया गया है। क्षेत्रीय अधिशाषी अभियन्ता (परि. एवं संधा) इन आदेशों की पालन निश्चित करें। क्षेत्रीय अधीक्षण अभियन्ता (परि. एवं संधा.) एवं उप मुख्य अभियन्ता (परि. एवं संधा) जब भी निरीक्षण यात्रा पर किसी भी जगह जायें तो उपरोक्त आदेश की पालना के संबंध में आंशिक जांच करें और कम से कम 2 नये विद्युतिकृत ग्राम में लगे ट्रांसफार्मर को प्रत्येक यात्रा में अवश्य देखें तथा इसका उल्लेख अपनी यात्रा टिप्पणी में करें। इस प्रकार की जांच से एक वर्ष में उनके क्षेत्र में विद्युतिकृत ग्राम का कम से कम 20 प्रतिशत, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा एवं 5 प्रतिशत ग्रामो की जांच उप मुख्य अभियन्ता द्वारा होनी चाहिये। मुख्य अभियन्ता भी जब जब निरीक्षण यात्रा में जावे तो इन आदेशों की पालना को विशेष तौर से देखें और कुछ ग्राम वे स्वयं भी मौके पर जाकर जांच करें।

उपरोक्त आदेशों की अवहेलना किये जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये आदेश/निर्देश उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझे जावे।

ह०/-
(कृष्ण मोहन सिन्हा)
सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, राज. सरकार, जयपुर।

2. निदेशक (वाणिज्य कार्य विधि), राराविम. जयपुर।

3. शासन सचिव, समाज कल्याण विभाग, राज. सरकार, जयपुर।

4. मुख्य अभियन्ता (परि. एवं संधा (ग्रा.वि.) राराविम, जयपुर।

5. उप मुख्य अभियन्ता (परि. एवं संधा) राराविम,... ... .

6. अधीक्षण अभियन्ता (परि. एवं संधा) राराविम एस. एण्ड आई. जयपुर।

7. अधिशाषी अभियन्ता (परि. एवं संधा) राराविम,...........5 प्रति सहा. अ. के लिये)

8. निजी सचिव अध्यक्ष, राराविम, जयपुर।

9. प्राविधिक सहायक-तकनीकी सदस्य ( ) राराविम, जयपुर।

10. निजी सहायक-सचिव, राराविम, जयपुर।

ह०/-
सचिव

परिशिष्ट 16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 585 से सम्बन्धित सूचना)

वर्ष	बैठक आयोजित करने का दि.	बैठक में उपस्थित होने वाले जनप्रतिनिधियों के नाम	यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता दी गई राशि	दिनांक जिसका भुगतान किया गया
1	2	3	4	5
1980–81		–	–	–
1981–82	2.7.82	श्री हनुमन्त सिंह रावत प्रमुख	–	–
		,, महेन्द्रविक्रमसिंह उप प्रमुख	–	–
		,, विष्णु प्रकाश बजारी विधायक	–	–
		,, भगवानदास शास्त्री विधायक	–	–
		,, नारायणसिंह प्रधान	–	–
		,, हरिराम तोषनीवाल प्रधान	–	–
		,, भूपेन्द्रसिंह प्रधान	–	–
		,, करणसिंह प्रधान	–	–
		,, रमजान खां प्रधान	–	–
		,, विश्व प्रसाद भार्गव अध्यक्ष, सहकार संघ, अजमेर (दैनिक भत्ता)	15/–	1.11.83
1982–83	22.5.82	श्री हनुमन्त सिंह रावत प्रमुख	–	–
		,, महेन्द्र विक्रम सिंह उपप्रमुख	–	–
		,, गोविन्दसिंह गुर्जर विधायक	–	–
		,, केसरीचन्द चौधरी विधायक	–	–
		श्रीमती भगवती देवी विधायिका	–	–
		श्री भगवानदास शास्त्री विधायक	–	–
		,, हरिश्चन्द शर्मा प्रधान	–	–

349

1	2	3	4	5
		श्री भूपेन्द्र सिंह प्रधान	–	–
		,, नारायणसिंह प्रधान	–	–
		,, हरिराम तोषनीवाल प्रधान	–	–
		,, रमजान खां प्रधान	–	–
		,, सोहनसिंह प्रधान	–	–
		,, विश्वप्रसाद अध्यक्ष सहकार	15/– (दैनिक भत्ता)	1.1.83
1982–83	20.8.82	1. श्री हनुमन्त सिंह रावत प्रमुख	–	–
		2. ,, गोविन्दसिंह गुर्जर विधायक	–	–
		3. ,, भगवान देव आचार्य सांसद	–	–
		4. ,, महेन्द्र विक्रमसिंह उप प्रमुख	–	–
		5. ,, श्री विष्णु प्रकाश बजारी विधायक	–	–
		6. श्रीमती भगवती देवी विधायिका	–	–
		7. श्री कैलाश मेघवाल विधायक	–	–
		8. ,, भगवानदास शास्त्री विधायक	–	–
		9. ,, हरिशचन्द्र शर्मा प्रधान	–	–
		10. ,, सोहनसिंह प्रधान	–	–
		11. ,, करणसिंह प्रधान	–	–
		12. ,, भूपेन्द्रसिंह प्रधान	–	–
		13. ,, हरिराम तोषनीवाल प्रधान	–	–
		14. ,, विश्वप्रसाद भार्गव (दैनिक भत्ता)	15/–	1.11.83
		15. ,, नारायण सिंह प्रधान	–	–

1	2	3	4	5
1982–83	8.2.83	1. श्री हनुमन्तसिंह रावत प्रमुख	–	–
		2. ,, कैलाश मेघवाल विधायक	–	–
		3. ,, विष्णु प्रकाश बजारी विधायक	–	–
		4. श्रीमती भगवती देवी विधायिका	–	–
		5. श्री करणसिंह यादव	–	–
		6. ,, भूपेन्द्रसिंह प्रधान	–	–
		7. ,, हरिराम तोषनीवाल प्राधन	–	–
		8. ,, सोहनसिंह प्रधान	–	–
		9. ,, रमजान खां प्रधान	–	–
		10. ,, नारायण सिंह प्रधान	–	–
		11. ,, विश्व प्रसाद भार्गव अध्यक्ष सहकार संघ	15/–	दैनिक भत्ता 1.1.83
1983–84	26.7.83	1. श्री हनुमन्तसिंह रावत प्रमुख	–	–
		2. श्रीमती भगवती देवी विधायिका	–	–
		3. श्री हरिराम तोषनीवाल प्रधान	–	–
		4. ,, भगवानदास शास्त्री विधायक	–	–
		5. ,, केसरीचन्द चौधरी विधायक	–	–
		6. श्रीमती सुरज देवी विधायिका	–	–
		7. श्री सोहनसिंह प्रधान	–	–
		8. श्री करण सिंह प्रधान	–	–
		9. ,, रमजान खां प्रधान	–	–
		10. ,, हारेश चन्द्र प्रधान	–	–
		11. ,, भूपेन्द्र सिंह प्रधान	–	–
		12. श्री विश्न प्रसाद अध्यक्ष सहकार संघ	15/–(दैनिक भत्ता)।	1·11·83

1	2	3	4	5
1983–84	29·10·83	1. श्री हनुमन्त सिंह रावत प्रधान	–	–
		2. ,, गोविन्द सिंह गुर्जर विधायक	–	–
		3. ,, प्रयाज महाराज विधायक	–	–
		4. ,, विष्णु प्रकाश बजारी विधायक	–	–
		5. ,, कैलाश मेघवाल विधायक	–	–
		6. ,, भगवान दास शास्त्री विधायक	–	–
		7. ,, हरिराम तोषनीवाल विधायक	–	–
		8. ,, करणसिंह यादव प्रधान	–	–
		9. ,, रमजान खां प्रधान	–	–
		10. ,, नारायण सिंह राठौड़ प्रधान	–	–
		11. ,, भूपेन्द्र सिंह प्रधान	–	–
		12. ,, विश्न प्रसाद भार्गव अध्यक्ष सहकार संघ	15/– दैनिक भत्ता	13·9·84
1983–84	26·11·83	1. श्री हनुमन्त सिंह रावत प्रमुख	–	–
		2. ,, गोविन्द सिंह गुर्जर विधायक	–	–
		3. श्रीमती भगवती देवी विधायिका	–	–
		4. ,, करणसिंह प्रधान	–	–
		5. ,, हरिराम तोषनीवाल प्रधान	–	–
		6. ,, नारायणसिंह राठौड़ प्रधान	–	–
		7. ,, सोहन सिंह प्रधान	–	–
		8. ,, भूपेन्द्र सिंह प्रधान	..	.

1	2	3	4	5
		9. श्री हरिश चन्द्र शर्मा प्रधान	–	–
		10. ,, महेन्द्र विक्रम सिंह उप प्रमुख	–	–
		11. ,, विश्व प्रसाद भार्गव अध्यक्ष सहकार संघ	15/– (दैनिक भत्ता)	13·9·84
1983–84	28.2.84	1. श्री हनुमन्त सिंह रावत प्रमुख	–	–
		2. ,, गोविन्द सिंह गुर्जर विधायक	–	–
		3. ,, विष्णु प्रकाश बजारी विधायक	–	–
83–84	28.2.84	श्री केसरीचन्द चौधरी विधायक	–	–
		श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा विधायिका	–	–
		श्रीमती भगवती देवी विधायिका	–	–
		श्री करणसिंह प्रधान	–	–
		,, नारायणसिंह प्रधान	–	–
		,, सोहनसिंह प्रधान	–	–
		,, हरिराम तोषनीवाल प्रधान	–	–
		,, हरिशचन्द्र शर्मा प्रधान	–	–
		,, विश्व प्रसाद भार्गव अध्यक्ष	15/– (दैनिक भत्ता)	13.9.84
84 85	13.6.84	श्री हनुमन्त सिंह रावत प्रमुख	–	–
		,, गोविन्दसिंह गुर्जर विधायक	–	–
		,, विष्णुप्रकाश बजारी विधायक	–	–
		श्रीमती भगवती देवी, विधायिका	–	–
		श्रीमती सूरजदेवी मल्होत्रा विधायिका	–	–
		श्री महेन्द्र विक्रम सिंह उप प्रमुख	–	–
		श्री नारायणसिंह राठोड प्रधान	–	–
		,, हरिराम तोषनीवाल प्रधान	–	–
		,, भूपेन्द्र सिंह शक्तावत प्रधान	–	–

1	2	3	4	5
		श्री हरिशचन्द्र शर्मा प्रधान	–	–
		,, करणसिंह यादव प्रधान	–	–
		,, सोहनसिंह प्रधान	–	–
		,, रमजान खां प्रधान	–	–
		,, विश्व प्रसाद भार्गव अध्यक्ष सहकार	15/-रु.	13.9.84
84-85	15.11.84	श्री हनुमन्त सिंह रावत प्रमुख	–	–
		,, सोहनसिंह प्रधान	–	–
		,, करणसिंह प्रधान	–	–
		,, रमजान खां प्रधान	–	–
		,, हरिराम तोषनीवाल प्रधान	–	–
		,, नारायण सिंह राठौड़ प्रधान	–	–
		,, कैलाश चन्द मेघवाल विधायक	–	–
		,, विश्व प्रसाद भार्गव अध्यक्ष सहकार संघ	–	–

[redacted]

परिशिष्ट 17

(अतारांकित प्रश्न संख्या 603 की सूचियां)

"परिशिष्ट-1"

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अप्रेल, 83 अप्रेल से अप्रेल, 85 तक नियन्त्रित चीनी का व्यापार किया गया।

क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर (पूर्व)

क्र.सं.	माह	माह में चीनी प्राप्ति की राशि	माह में चीनी वितरण की राशि
1.	अप्रेल, 83	3,83,907.00	4,21,615.00
2.	मई, 83	–	2,02,360 00
3.	जून, 83	–	–
4.	जुलाई, 83	3,27,739.43	87,674.00
5.	अगस्त, 83	46,320.00	2,68,088 00
6.	सितम्बर, 83	6,12,351.00	6,33,915.00
7.	अक्टूबर 83	13,40,670.14	5,63,983.50
8.	नवम्बर, 83	3,52,268.00	8,35,128.00
9.	दिसम्बर, 83	3,47,241.00	6,09,104.50
10.	जनवरी, 84	1,80,585.00	2.08,897.00
11.	फरवरी, 84	2,48,878.55	29,267.00
12.	मार्च, 84	–	2,61,822.50
13.	अप्रेल, 84	9,46,963.00	4,39,490.00
14.	मई, 84	2,04,404.20	9,64,285.00
15.	जून, 84	–	41,467.50
16.	जुलाई, 84	5,91,247.60	4,35,581.00

355

1	2	3	4
17.	अगस्त, 84	9,61,992.89	1,46,761.00
18.	सितम्बर, 84	3,39,074.65	9,29,091.00
19.	अक्टूबर, 84	5,13,572.20	8,26,972.00
20.	नवम्बर, 84	–	25,971.00
21.	दिसम्बर, 84	6,99,717.90	7,15,950.00
22.	जनवरी, 85	–	–
23.	फरवरी, 85	–	11,102.00
24.	मार्च, 85	3,71,464.50	2,87,176.50
25.	अप्रेल, 85	3,45,495.10	3,18,209.50
	योग :–	88,14,092.16	92,63,911.00

क्षेत्रीय कार्यालय डूंगरपुर : -

क्र.सं.	माह	माह में चीनी प्राप्ति की राशि	माह में चीनी वितरण की राशि
1	2	3	4
1.	अप्रेल, 83	79,745.00	55,000.00
2.	मई, 83	5,44,041.95	3,29,358.00
3.	जून, 83	8,21,438.07	5,68,690.50
4.	जुलाई, 83	–	6,21,544.00
5.	अगस्त, 83	–	–
6.	सितम्बर, 83	3,65,856.90	62,480.50

1	2	3	4
7.	अक्टूबर, 83	6,11,752.83	3,38,960.00
8.	नवम्बर, 83	3,71,057.58	8,07,925.00
9.	दिसम्बर, 83	8,42,425.06	7,86,943.50
10.	जनवरी, 84	3,19,562.20	2,99,793.50
11.	फरवरी, 84	4,79,741·75	4,61 039.50
12.	मार्च, 84	3,26,172.70	3,64,933.00
13.	अप्रेल, 84	10,77,236.05	9,46,123.50
14.	जुलाई, 84 से जून, 85	1,04,27,050.00	1,16,49,871.00
		1,62,66,080.09	1,72,92,662.00

क्षेत्रीय कार्यालय बांसवाड़ा

क्र.सं.	माह	माह में चीनी प्राप्ति की राशि	माह में चीनी वितरण की राशि
1	2	3	4
1.	अप्रेल 83	2,95,676.00	2,95,676.00
2.	मई, 83	4,28,846.00	4,28,846.00
3.	जून, 83	2,04,194.00	2,04,194.00
4.	जुलाई, 83	5,60,472.00	5,60,472.00
5.	अगस्त, 83	7,50,384.00	7,50,384.00
6.	सितम्बर, 83	11,61 088.00	11,61,088.00

1	2	3	4
7.	अक्टूबर, 83	3,96,036.00	3,96,036.00
8.	नवम्बर, 83	2,39,706.00	2,39,706.00
9.	दिसम्वर, 83	3,19,222.00	3,19,222.00
10.	जनवरी, 84	3,26,942.00	3,26,942.00
11.	फरवरी, 84	3,99,510.00	3,99,510.00
12.	मार्च, 84	8,49,972.00	8,49,972.00
13.	अप्रेल, 84	3,06,870.00	3,06,870.00
14.	मई, 84	13,27,068.00	13,27,068.00
15.	जून, 84	4,41,970.00	4,41,970.00
16.	जुलाई, 84	8,58,078.00	8,58,078.00
17.	अगस्त, 84	10,28,304.00	10,28,304.00
18.	सितम्बर, 84	3,68,630.00	3,68,630.00
19.	अक्टूबर, 84	5,15,310.00	5,15,310.00
20.	नवम्बर, 84	8,61,938.00	8,61,938.00
21.	दिसम्वर, 84	3,81,754.00	3,81,754.00
22.	जनवरी, 85	4,51,620.00	4,51,620.00
23.	फरवरी, 85	6,13,740.00	6.13,740 00
24.	मार्च, 85	9,28,330.00	9,28,330.00
25.	अप्रेल, 85	6,72,412.00	6,72,412.00
		1,46,88,072.00	1,46,88,072.00

"परिशिष्ट–2"

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समय पर माल नहीं उठाने से अप्रेल, 83 से अप्रेल, 85 तक रेल्वे स्टेशनों पर चुकाये गये वारफेज/डेमरेज की सूचना

क्षेत्रीय कार्यालय उदयपुर (पूर्व)

माह	रेल्वे स्टेशन	वारफेज/डेमरेज की राशि
1. अप्रेल, 84	उदयपुर	2639.00
	क्षेत्रीय कार्यालय डूंगरपुर	
1. मई, 83	डूंगरपुर	16746.00
2. जून, 83	"	6708.40
3. अक्टूबर, 83	"	1775.00
4. नवम्बर, 83	"	2628.00
5. दिसम्बर, 83	"	6206.00
6. फरवरी, 84	"	4101.00
7. मार्च, 84	"	2247.00
8. अप्रेल, 84	"	11117.00
9. मई, 84	"	24694.00
10. जुलाई, 84	"	438.00
11. अगस्त, 84	"	8002.00
12. सितम्बर, 84	"	22911.00
13. अक्टूबर, 84	"	20852.00
14. नवम्बर, 84	"	2428.00

1 2	3	4
15. फरवरी, 85	डूंगरपुर	35.00
16. मार्च, 85	,,	27591.00
17. अप्रेल, 85	,,	—
		158479.40

क्षेत्रीय-कार्यालय बांसवाड़ा

क्षेत्रीय कार्यालय बांसवाड़ा द्वारा अप्रेल, 83 से अप्रेल, 85 तक किसी भी प्रकार का वारफेज/डेमरेज नहीं दिया गया है।

परिशिष्ट 18

(अतारांकित प्रश्न संख्या 605 की सूचियां)

विषय-हैण्ड पम्पों की ग्रामवार सूची
पंचायत समिति–पीसांगन (अजमेर)

क्र.सं	नाम ग्राम पंचायतं	नाम ग्राम	हैण्ड पम्प संख्या
1	2	3	4
1.	मायापुर	मायापुर	5
		नाहपुरा	4
		ककलाना	6
		लछीपुरा	2
2.	केसरपुरा	केसरपुरा	8
		अर्जुनपुरा	2
		कोटाज	3
3.	सोमलपुरा	सोमलपुरा	6
4.	कानेसरा	सरसड़ी	2
5.	सराधना	सराधना	2
		नदी	2
6.	रामगढ़	राजगढ़	7
7.	भवानी खेड़ा	भवानी खेड़ा	4
8.	राजौसी	राजौसी	11
9.	देराठू	देराठू	4
10.	भटियानी	भटियानी	10
11.	झड़वासा	झड़वासा	7

1	2	3	4
12.	जेठाना	सामला	7
		जेठाना	1
		मात्या	1
		मोटीनाडी	1
13.	नाजेलाव	नाजेलाव	3
		अलीपुरा	1
14.	दांतड़ा	दांतड़ा	10
		स्याली खेड़ा	3
15.	करनोसा	करनोसा	2
		शिवपुरा	1
		रामगढ़	1
		तरनगढ़	1
16.	मांजलियावास	मांजलियावास	4
		दौलतखेड़ा	1
		अर्जुनपुरा जागीर	2
17.	बिठूर	बिठूर	6
		भीमपुरा	4
		अन्सरी	3
		पचमना	2
18.	बिडकच्यावास	बिडकच्यावास	8
		मोर मगरी	1
19.	नांदला	नांदला	7
		बवानिया	1

1	2	3	4
	नांदला	जोलादांता	3
20.	न्यारा	रामपुरा	2
		अगरपुरा	2
		जबरक्या	2
		लेराखेड़ा	4
		बक्तावंरपुरा	1
		भगवानपुरा	1
21.	पीसांगन	पीसांगन	6
22.	पगारा	पगारा	6
		मेवड़िया	8
		रीछमालिया	3
		पजाराढाबी	1
23.	भड़सूरी	हणवन्तपुरा	2
		वक्तावरपुरा	4
		जैतगढ़	2
24.	मकरेड़ा	मकरेड़ा	2
25.	डीडियाना	नाथूवाला	2
26.	भगवानपुरा	भगवानपुरा	6
27.	लामाना	लामाना	6
		रूदलाई	4
		अमरणगढ़	4
28.	लीड़ा	लीड़ी	9
		पाबू थान	2
29.	राजोसी	राजोसी	11
30.	रामपुरा डाबला	सेठन	4
		फतेहपुरा	3
31.	खोरी	खोरी	2

1	2	3	4
	खोरी	कलवाई	2
		ग्रड़ावा	2
		होफरा	4
		छोटी होकरा	2
32.	देवनगर	देवनगर	2
		कानस	4
		भीला सेवड़ी	2
33.	कडेल	रेवत	1
		मझेवला	1
34.	गनाहेडा	चावडियां	2
		ग्राश्रम	1
		पाखरिया की ढाणी	1
		गनाहेड़ा	3
35.	नांद	नांद	6
		रामपुरा	2
36.	बांघसूरी	बांघसूरी	2
		नाहरपुरा	1
		बुघपुरा	1
		बनेवड़ी	6
		लक्ष्मीपुरा	1
		नयागांव	2
		ग्रजवा का वडिया	2
		कुल योग	308

पंचायत समिति, श्रीनगर जिला अजमेर में स्थापित हैण्ड पम्पों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	हैण्ड पम्प सं.	क्र.सं.	ग्राम का नाम	हैण्ड पम्प सं.
1.	भूडोल	10	25.	कानाखेडी	5
2.	लीडपुरा	5	26.	जिलावड़ा	6
3.	गुड्डा	4	27.	रामपुरा	5
4.	गाडियावास	3	28.	लोहरवाड़ा	6
5.	नालखा	4	29.	अबरकिया	1
6.	गगवाना	3	30.	घोलाभाटा	1
7.	बबानो	6	31.	रामपुरा	2
8.	हाथी पट्टा	4	32.	जसवन्तपुरा	3
9.	फारकियां	3	33.	हनवन्तिया	2
10.	गुदली	1	34.	सनोद	6
11.	लवरा	3	35.	तिलाना	6
12.	बलवन्ता	6	36.	बेवन्जा	3
13.	मोहनपुरा	2	37.	चान्दसैन	2
14.	श्रीनगर	10	38.	कराडी	2
15.	बडल्या	8	39.	नवाब	3
16.	पालरा	4	40.	चाचियावास	6
17.	सेदरिया	5	41.	छातडी	6
18.	नोरेली	8	42.	कायड	6
19.	कानपुरा	7	43.	पदमपुरा	3
20.	बनवडी	3	44.	नरवर	5
21.	हरडी	1	45.	माकंडवाली	9
22.	तिहारी	8	46.	लोहागल	3
23.	ढाल	6	47.	चोरसियावास	2
24.	मडियानी	2	48.	रामसर	7

365

क्र.सं.	ग्राम का नाम	हैण्ड पम्प सं.	क्र.सं.	ग्राम का नाम	हैण्ड पम्प सं.
49.	रामबाडी	1	75.	आता मंजरा	1
50.	सामोदा	3	76.	चादियावास	3
51.	केरिया	5	77.	जाटली	3
52.	मोराभडी	4	78.	सराणा	4
53.	खेडा रघुनाथपुरा	2	79.	रसलपुरा	4
54.	सूरजपुरा	3	80.	मदारपुरा	2
55.	नेपाली	2	81.	काकरदा	5
56.	मावशिया	2	82.	मनावाई	5
57.	देवलिया	3	83.	कल्याणीपुरा	4
58.	लक्ष्मीपुरा	2	84.	घुघरा	8
59	कल्याणीपुरा	1	85.	बोराज	4
60.	केसरपुरा	3	86.	हाथीखेड़ा	6
61.	खोर	9	87.	काजीपुरा	4
62.	दिलवाडा	5	88.	अजयसर	5
63.	मोडी	4	89.	खरेखडी	7
64.	गोदरी	3	90.	कामपुरा	1
65.	आशापुरा	2	91.	रतनपुरा	1
66.	रामनेर ढाणी	7	92.	रामनर ढाणी	2
67.	मगरा	4	93.	रामसर	3
68.	अरडका	4	94.	श्रीनगर	2
69.	होशियारा	3	95.	बीर	1
70.	मगरी	1	96.	गुदली	1
71.	बाघपुरा	1	97.	दांता	2
72.	बवाइचा	3			
73.	हासियावास	2		कुल योग	381
74.	आखरी	2			

पंचायत समिति, श्रीनगर में हैण्ड पम्पों की स्थिति		पंचायत समिति, पीसांगन में हैण्ड पम्पों की स्थिति	
मेजर मरम्मत योग्य हैण्ड पम्पों की सं.	माइनर मरम्मत योग्य हैण्ड पम्पों की संख्या	मेजर मरम्मत योग्य हैण्ड पम्पों की सं.	माइनर मरम्मत योग्य हैण्ड पम्पों की संख्या
18	—	15	13

परिशिष्ट 19

(अतारांकित प्रश्न संख्या 606 का विवरण)

सूची 'क'

खरीदे गये खम्भों का विवरण

वर्ष	टी. एन. नं.	साइज	आर्डर किये गये खम्भों की संख्या	दर प्रति खम्भा
1978-79	903 (अतिरिक्त)	7.5 मीटर	33216	148.50
,,	904 (अति.)	8.00	15043	148.50
,,	983	7.5	203500	164.00
,,	984	8.00	127500	170.00
1979-80	983	7.5	25725	164.00
,,	984	8.00	20895	170.00
,,	1040	7.5	284000	200.00
1980-81	—	—		
	1041	8.0	250000	205.00
1980-81	—	—	—	शून्य
1981-82	1040	7.5	12500	200.00
	1041	8.00	2500	205.00
1982-83	1140	7.5	27000	213.00
,,	1140	7.5	10817	200.00
,,	1141	8.00	23000	211.00
,,	1141	8.00	11432	205.00
जुलाई, 83		शून्य		

सूची "अ"

निजी क्षेत्र में सीमेंट के खम्भे बनाने वाली यूनिटों की जिलेवार सूची :–

जयपुर :

1. मैसर्स राजस्थान प्रस्ट्रेज उद्योग, सांगानेर
2. ,, नन्द प्रेस्ट्रेस उद्योग, सांगानेर
3. ,, सनगोल्ड इण्डस्ट्रीज, जयपुर
4. ,, जयपुर पोल्स उद्योग, सांगानेर।
5. ,, मोर्डन इण्डस्ट्रीज, कानोता।
6. ,, अलवर उद्योग, बगरू।
7. ,, प्रिफेब कंकरीट प्रोडक्टस, जयपुर।
8. ,, प्रेस्ट्रेस इण्डस्डट्रीज लि., जयपुर।
9. स्वास्तिका प्रेस्ट्रेस उद्योग, दौसा।
10. ,, न्यू इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन, जयपुर।

टोंक

11. ,, लायन्स प्रेस्ट्रेस्ड इण्डस्ट्रीज, निवाई।
12. ,, मेहता सीमेंट वर्क्स, निवाई।

सवाई माधोपुर

13. मैसर्स हिसारिया प्रेस्ट्रेस एण्ड अलायड प्रोडक्टस, सवाई माधोपुर

कोटा

14. ,, अशोका स्टील एण्ड केमीकल कं., कोटा।
15. ,, अरावली कान्करीट कोटा।
16. ,, चम्बल प्रेस्ट्रेस उद्योग, कोटा।

अजमेर :

17. ,, शिवानी प्रेस्ट्रेस्ड एण्ड अलाइड इण्डस्ट्रीज, अजमेर।
18. ,, गोतम सीमेंट वर्क्स, ब्यावर।

19. ,, गणेश इण्डस्ट्रीज, ब्यावर।
20. ,, ज्ञान सीमेन्ट वर्क्स, ब्यावर।
21. ,, मुराणा सीमेंट वर्क्स, ब्यावर।
22. ,, मुराणा उद्योग ब्यावर।
23. ,, गजानन्द इण्डस्ट्रील कारपोरेशन, ब्यावर।
24. ,, दीपक पोल्स एण्ड पाइप्स, ब्यावर।
25. ,, के. के सीमेन्ट वर्क्स, ब्यावर
26. ,, गिरीराज अलाइड इण्ड्स्ट्रीज, विजय नगर।
27. ,, आर. के. प्रेस्ट्रेस्ड एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज, विजय नगर

जोधपुर :

28. मैसर्स एम. ए. प्रेस्ट्रस्ड. वर्क्स जोधपुर
29. ,, राहुल एलाइड इन्डस्ट्रीज, जोधपुर
30. ,, सांखला उद्योग, जोधपुर
31. ,, मेहता उद्योग, जोधपुर।

पाली :

32. ,, श्री उम्मेद सीमेंट उद्योग, नीमाज।
33. ,, सीमको पाइप्स भूवा।
34. ,, विजय लक्ष्मी प्रेस्ट्रेस इण्डस्ट्रीज, सोजत सिटी

अलवर :

35. ,, नलवाया उद्योग, अलवर
36. ,, ओवेराय इण्डस्ट्रीज, अलवर
37. ,, उमा प्रेस्ट्रेस्ट इण्डस्ट्रीज, भिवाडी
38. ,, अग्रवाल सीमेंट उद्योग, अलवर।

भरतपुर :

39. ,, अनिता प्रेस्ट्रेस उद्योग, सेवार (भरतपुर)

सीकर :

40. ,, माहेश्वरी एसबेसटोस उद्योग, सीकर
41. ,, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पोल इण्डस्ट्रीज, सीकर।

42. ,, कमल उद्योग, सीकर।

43. ,, नेशनल प्रेस्ट्रेस इण्डस्ट्रीज, कोटा।

झुंझुनू :

44. ,, मातृ भूमि उद्योग, बगड़।

चित्तौड़ :

45. ,, उषा प्रेस्ट्रेस्ड एण्ड अलाइड इंडस्ट्रीज, चित्तौडगढ

भीलवाड़ा :

46. ,, राजस्थान पी. सी. सी. पोल्स इण्डस्ट्रीज, भीलवाडा

उदयपुर :

47. ,, विकास सीमेंट उद्योग, उदयपुर।

48. ,, मेवाड प्रेस्ट्रेस्ड एण्ड अलाइड इण्डस्ट्रीज, उदयपुर।

49. ,, सिंघवी उद्योग (सीमेंट) प्रा. लि. उदयपुर।

50. ,, सिरोया सीमेंट उद्योग, उदयपुर।

सिरोही :

51. ,, सिंघवी उद्योग, शिवगंज

371

पारि[redacted]

(अतारांकित प्रश्न सख्या 520 की सूची)

क्र.सं.	नाम जिला	ग्राम पंचायत का नाम जिन्हें वर्ष 1981–82 में आज तक अनुदान राशि नहीं दी गई है।	अनुदान राशि नहीं दिये जाने का कारण
1.	झुन्झुनू	1. प्रतापपुरा	पंचायत समिति द्वारा रोक लगाई गई हैं।
2.	नागौर	1. मारोठ 2. घाटवा	सरपंचों द्वारा तलब शुदा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं करने के कारण पंचायत समिति की स्थाई समिति द्वारा प्रस्ताव लेकर रोक लगायी गयी है।
3.	सिरोही	1. वेलोगिरी 2. खाम्बल 3. तवरी 4. डोड़आ 5. गोयली 6. जेतवाड़ा 7. टोकरा 8. मोहब्बतनगर 9. अनादरा	पंचायत समिति द्वारा रोकी गई। अब विकास अधिकारी ने सूचित किया है, कि अनुदान की राशि का बिल तैयार है परन्तु सरपंचों द्वारा भुगतान प्राप्त नहीं किये जाने से अवितरित हैं।

1	2	3	4
4.	उदयपुर	1. झाड़ोल पंचायत समिति के अधीन दो ग्राम पंचायतें (जिनके नामों की सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है)	सरपंचों के विरुद्ध कार्यवाही चलने के कारण ।
5.	जोधपुर	1. नाड़सर	पंचायत द्वारा छः वर्षों से आडिट नहीं करवाया है ।

बांसवाड़ा जिले से सूचना अभी प्रतिक्षित है । शेष जिलों में उपर्युक्त को छोड़कर कोई ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है जिसका अनुदान 1981-82 से अब तक नहीं दिया गया हो ।